

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

राजनीतिक निबन्ध

{ Essays in Political Science }

संस्कृत

ईश्वर चन्द्र ओमा, डी.ए. (आर्नस) एम.ए.
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान कॉलेज, जयपुर।

भूतपूर्व प्राप्तिक
प्रसवन्त राजपूत कॉलेज, जागरा।

नवीन संस्करण १९६७

प्रेम बुक डिपो
हास्टिट्यूट रोड, जागरा-३

प्रवाशक :
प्रेम युक दिपो,
आगरा-३ ।

मुद्रक :
पद्म प्रिन्टर,
नूरोगेट, आगरा-२ ।

मूल्य :
१०) रुपये ।

प्रस्तुत संस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक के पिछले संस्करणों का शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों सभी के द्वारा उचित स्वागत हुआ। इस संस्करण में यथेष्ट परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ नये निबन्ध बढ़ा दिये गये हैं। नये निबन्ध ऐसे विषयों पर हैं जो राजनीतिविज्ञान के प्राधुनिकतम युग के सर्वाधिक ज्वन्त एवं महत्वपूर्ण विषय हैं। 'अवमूल्यन', 'भारत के सन्य एशियाई देशों से सम्बन्ध' ऐसे विषय हैं जिनको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुस्तक को अपने आप में पूर्ण करने पूरा-पूरा प्रयास किया गया है।

पुस्तक को और भाषिक उपयोगी बनाने की इच्छा से भेजे गये सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे।

धारा है पुस्तक पाठकों के लिए और भी भाषिक लाभप्रद सिद्ध होगी।

—प्रकाशक

विषय-सूची

प्रधारा

		पृष्ठ	
१.	प्लेटो और धरस्तू के राजनीतिक विचार	...	१
२.	महियादसी के राजनीतिक विचार	...	१४
३.	'इच्छा, न कि शक्ति, राज्य का आधार है'	...	२४
४.	मुख्यसंवाद की रूपरेखा	...	३२
५.	गांधीवाद की स्थारेखा	...	४८
६.	मार्क्स और गांधी	...	५८
७.	साक्षी के राजनीतिक विचार	...	६२
८.	राजनीतिक बहुवाद	...	७०
९.	भराहवाकादी दर्शन	...	८०
१०.	नियोजित प्रजातन्त्र	...	८०
११.	प्रजातन्त्र की मुद्दे समस्याएँ	...	१०३
१२.	प्रजातन्त्र एवं अमिक सम	...	११४
१३.	संघीय प्रजातन्त्र	...	१२५
१४.	राजनीतिक दलों का प्रजातन्त्र में महत्व एवं स्थान	...	१३४
१५.	समानता	...	१४६
१६.	स्वदंत्रता और गाम्यवाद	...	१५३
१७.	उपरोगितावाद	...	१६३
१८.	जनसत् और प्रधार	...	१७०
१९.	बस्यागुकारी राज्य की समस्याएँ	...	१८१
२०.	सुपवाद की समस्याएँ	...	१८९
२१.	ढदारवाद की विचारधारा	...	२०२
२२.	भारतीय संघीय संविधान (एक आनोखनामक अध्ययन)	...	२१०
२३.	भारतीयों के पुनरावस्थेन का अधिवार	...	२२०
२४.	इंडिनियन राज्य	...	२२८
२५.	राष्ट्रसंगठन	...	२३६

प्रम्याप			पृष्ठ
२६. जाति, रंग एवं राजनीति	२४४
२७. राष्ट्रसंघ एवं सायुक्त राष्ट्रसंघ के घन्तांगत सामूहिक सुरक्षा	२५३
२८. प्रन्तराष्ट्रीय संरक्षणात्मक शासन व्यवस्थाएँ	२६१
२९. तिग्छीकरण	२६६
३०. विश्व ज्ञानिकी की समस्याएँ	२७६
३१. विश्व संघ की समस्याएँ	२८२
३२. वैल वूटनीति	२८८
३३. प्रायिक सामाजिकवाद	३०८
३४. मरुसुल रखने व्यवस्थाएँ वैदेशिक नीति	३१८
३५. श्रीलंका की वैदेशिक नीति	३२०
३६. मोरियत संघ की वैदेशिक नीति	३२८
३७. मारवीय वैदेशिक नीति	३४६
३८. शान्तिपूर्ण मह-एमित्तव	३६०
३९. प्रायुनिक राज्य में नोहरशाही वा हथान	३६८
४०. प्रायुनिक मर्दानिहारी राज्य	३७८
४१. प्रबन्धन प्रोट्र प्रायिक-राजनीतिक परिणाम	३८४
४२. सर्वोदय	३८२
४३. भारत तथा एशियाई देश	४००
४४. धर्म और राजनीति	४१०
४५. भारत के राजनीतिक दल	४१६
४६. हिन्दूभाक सम्बन्ध समस्या	४३४

प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचार

प्रादिवालीन यूनानी दार्शनिकों में धरस्तू और प्लेटो को निर्गमोच राजनीति भास्त्र से गवर्णर्टेट विचारों में स्थान दिया जा सकता है। उनकी, राज्य की प्रहृति और गिदान्त के सम्बन्ध में, इतनी अधिक गौमिक देन है कि लगभग ही राहय वर्षों से भी अधिक रामय तक इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखा गया और जो कुछ लिखा भी गया वह उनके दर्शन की टिप्पणियाँ गाढ़ हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ पर उनके राजनीतिक विचारों का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं कर सकते हैं, किन्तु उनके मूल्य-मुद्द्य विचारों का गारांग ही दे रहे हैं।

दोनों को ही, अधिकांश हा से, गूढ़ विचारों और प्रेरणा की ग्राहित गुरु-रात से हुई थी। प्लेटो की प्रमुख हृतियाँ 'गणतन्त्र (The Republic)', 'राज्य विशारद (The Statesman)', और 'कानून (The Laws)', हैं। 'गणतन्त्र' का गूढ़ विचार गुकरात का गिदान्त 'गदगुण ही ज्ञान है' है। इसमें घनुमार 'थेट्स्ट' का ज्ञान साक्षिक अन्वेषणों द्वारा हो जाता है और इसकी जिता भी दी जा रही है। अतः 'गणतन्त्र' की प्रमूल देन यह है कि दार्शनिक धर्मात् वह पूर्ण जो कि ज्ञान है, जागक भी होना चाहिए। उग्रा ज्ञान ही उसे जागत का अधिकारी बनाता है। प्लेटो का विचार है कि समाज, घुर्खल आवश्यकताओं पर तभी घनुवर्ती वरतुदीयों तथा गेवार्थों के ग्रादान-पदान पर आधारित है। प्लेटो के गिदान्त के दो प्रमुख नियम ये हैं—(प) जागत एक कला है जिसके लिए विशिष्ट एवं यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है और (द) जागत की स्थानान्वयनिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के निमित्त हुई थी और यह ऐक्य तभी गमधर्म है जब कि प्रत्येक गदरय को वह स्थान ग्रदान किया जाय जिसके लिये वह गर्वोगमुक्त है।

प्लेटो की राजनीतिक प्रत्यरोता और घनहृष्टि का दिव्यदर्शन इसी तथ्य द्वारा हो जाता है, कि उग्रने यूनान में नगर राज्यों में प्रत्यक्ष ग्रजातन्त्रीय वार्ष ग्रामार्थी के आत्म निर्गीताना द्वारा, यह घनुमद विषय और निष्ठाये निषाया कि ग्रजातन्त्र धर्मो-राज्य की उपायना है और प्रत्येक गदरय की अधिकांश बुराटीय राजनीतिकों अथवा राज्यविद्यारदों की अयोग्यता वे बारगु हैं। अतः उनके ग्रजनीतिक गिदान्त का

प्रमुख निर्देश है कि राज्य-विज्ञानर्दों को जासन कला में शिक्षित किया जाय। उसे राज्य वैज्ञानिक अवश्यमेव होना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को प्रहृति एवं सीमाओं का यथार्थ ज्ञान रखना चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना तभी होगी जबकि उसका जासन राज्य वैज्ञानिकों द्वारा होगा। उसका कथन है कि जब तक राजा दार्शनिक न हो अथवा दार्शनिक राजा न हो, आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होगी। प्रो० बार्कर के शब्दों में :—

“विशिष्टीकरण का मार्ग प्लेटो के लिए एकीकरण का मार्ग भी था। यदि सरकार के कार्यों के लिए एक पृथक वर्ग की नियुक्ति हो तो सरकार को नियन्त्रण में लाने के लिए, शायद ही संघर्ष के लिए कोई स्थान रहे। यदि प्रत्येक वर्ग अपनी ही सीमाओं में बढ़ रहे और अपनी ही कार्यों में एकाग्र चित्त हो, तो वर्गों में संघर्ष नहीं होगा। विशिष्टता के अनाव के ही कारण नागरिकों में मनभेद मम्मव हूपा है। विशिष्टता के साथ-साथ यह चीजें एक जायेंगी और प्रत्येक वर्ग प्रसन्नतापूर्वक अपने लिए नियुक्त हुए कार्यों को करेगा। स्वार्थपरता अनन्तध्यान हो जायेगी और राज्य में एकता का साम्राज्य होगा।”
(प्लेटो और उसके पूर्वाधिकारी पृ० १५२)

प्लेटो, आदर्श राज्य की समस्त जनसंख्या भी तीन वर्गों में विभक्त करता है। उनमें सर्वेप्रथम सरकार है, जिनको पुनः सेनिको और शासको में विभक्त किया गया है। दूसरे मजदूर है जो कि जनसंघ्य का अधिकृतम भाग है। उनका मुख्य कार्य उत्पादन, अथवा वह वाम जो उन्हें बनाया जाय, करना है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट गुण ये जिनके द्वारा उन्हें अन्य वर्गों से अलग किया जाता था। इस प्रकार दार्शनिकों में बुद्धिमत्ता होना, सैनिक गरकार में साहस एवं उत्साह होना और मजदूरों में अभियुक्ति होना ही उनके विभेद के प्रमुख लक्षण हैं।

‘प्रत्येक को उसका श्रीचित्य प्रदान करना’ ही प्लेटो के सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की परिमापा है। इस विचार के प्रकाश में शिक्षा प्रत्येक के सामर्थ्यनुसार होगी और आदान में समाज की यह आशा रहेगी कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और जीवन में अपने पद के अनुरूप ही ईमानदारी से सामाजिक हितों का अनुदान करेगा। प्रो० बार्कर के शब्दों में :—

अतः समाजिक न्याय को, उस समाज का खिदान वह गढ़ते हैं, जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा निर्मित हुआ हो और जो एक दूसरे के प्रति अपनी आवश्यकताओं वी प्रृत्ति में संयुक्त हुए हों— इस प्रकार एक संयाज में संयुक्त और अपने पृथक वत्तिधों में एकाग्रचित्त होकर एक ‘सम्पूर्ण’ का

निर्माण निया हो—जो कि यूर्ज है। वयोवि गह गायूं गायब-गरिवक का प्रतिकाल और प्रतिविष है।"

(लेटो और उनके गुर्दापुङ्करी गृह १५)

मतः सामाजिक शायद का तालार्य यह है कि गमात्र वा कुशल निर्देशन तभी हो गवता है जब कि प्रत्येक वो वह व्यान निर्पालित हो जिसके लिए वह गवते धर्मिक योग्य है और व्यक्ति घरते निर्पालित व्यान पर बाहरी की दूरा करे।

लेटो के गायबाद वा गुण्डा उद्देश्य राज्य में धर्मिकता एवं गुनिश्चित गता और उन गव कारणों को गमून नाट करता था, जो कि गमात्र में गत्यर्थ प्रत्यान करते हैं और उनको विरोधी दोनों और वर्गों में विभक्त करते हैं। लेटो गव प्रकार वीर घर व घरते निभी गमति का नियेष करता है। वह रथायी यीन गम-व्याय, नितवो गायपालानत्या गरिवारिक गंदा कहा जाता है, का भी नियेष करता है। यह दोनों नियेष में वक्त गंदाक वर्ग के निए है। गमति एवं गरिवार की गाय-वायी व्यवस्थाएँ एक दूरारे की पूरक हैं। निभी गमति के अधिकार की गतुपालिति में गायार्दों के भ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं रहेगा। निभी गमति की व्यवस्था उग्ग ममय तक गमति है जब तक कि गरिवार की गंदा रहेगी। गंदाक वर्ग की गमति भी गालगा को गमून नाट करने के लिए यह व्यवस्था है कि उनको घरते गरिवार, गतियों एवं बच्चों का नियेष हो। गतियों एवं बच्चों का गायबाद नस्त में गुपार के इन्दिरोंग में भी व्यवस्था है। गरिवारिक गायबाद में नियन्त्रित गतानीलति और गंदाक वर्ग के गर्वथेष्ट गुण्डों एवं गहियार्दों का नियन्त्रित गमय पर गहवाग होने में खोल गमति प्रत्यान होगी। यहीं पर यह व्यान रखना व्यवस्था है कि लिंटों के गायबाद वा उद्देश्य में तो व्याधिक विषयतायों वा गमन करता था और तसमयत गमात्र में गायबादी व्यवस्था ही उस्तुत करता था, अपितु गरज्य में एकता व्याधित करता और गंदाक वर्ग को घरते उत्तारदामियों में छुत करने वाल उन गमति गंदार्दों का यान रखता था। लिंटों का यह हड विश्वाग था कि गत का गत-नीतिक गंदार्दों की कार्यप्रणाली पर धर्मित पर गतुचित प्रभाव पड़ता है और इस दोष की मिटाने का लेटोवी वेष्ट एक ही गार्द दिलाई दिया। यह गार्द भरता उम्मूलन था। जहाँ तक गंदाक वर्ग का व्यवस्थ है, एवं गमति और गरिवार गरज्य की एकता के मार्ग में बायर है तो गमति और गरिवार का घमन करता ही होगा।

गार्द गरज्य के निर्माण में लेटो गिराव के गिरान का व्यधिक गहवता है। यहीं तक कि इसने जलवी दूरतर 'हल्लास्त्र' गढ़े के उपरान्त उसे 'गिराव' पर गमते गहवत कूनि' की गंता ही। गरिवार गमून ही गता है और इसकी गिराव दी जा गवती है तो इगवी गिराव देने वाली गिरान-ग्रण्यार्दी का यादगं गता में गर्वोंतम गहवत देता रमायाविष है। लिंटो 'गरज्य द्वारा नियन्त्रित घरिवार्द गिराव' के पास गे है।

दसकी निदान प्रणाली दो हम दो मार्गों में विभक्त कर सकते हैं—(१) प्रारम्भिक शिक्षा, जो कि बेबत बीस वर्ष तक के सबयुवकों और नवयुवियों के लिए थी और (२) उच्चतर शिक्षा, जो कि बेबत शासक वर्ग के लिए उन हाएँ युवकों एवं युवतियों के लिए थी। पाठ्यक्रम भी दो मार्गों में विभक्त था। ऐटो जारीरिक विभास के लिए व्यायाम और मानसिक विभास के लिए सगोर को ग्रावश्यक समझता है। इन्ह द्वारा नियन्त्रित शिक्षा के ग्राम माप ऐटो राज्य द्वारा बड़ोर परीक्षण वी सिफारिश करता है ताकि नवीन पीढ़ी पर कोई प्रवृत्तिक प्रभाव न पहुँचे।

'गणकन्त्र' में वर्णित आइंस राज्य में सरकार नियमों द्वारा न हाँकर व्यक्तियों द्वारा हीगी। यदि आइंसिकों की शामिल होना है, और यदि आइंसिक वे व्यक्ति हैं जो कि मुमासन वी कला में पूर्णतया नियुक्त है, और यदि उनकी मम्मूरु जान पाप्त है; तो उनके बायं करने की स्वतन्त्रता को नियमों द्वारा नियन्त्रित करने वी आवश्यकता नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुमार जो भी बायं उचित समझें, बरें; और उनका प्रत्येक बायं आइंस राज्य मुकुल होगा। ऐटो अपने जीवन जात में ही आइंस राज्य स्थापित करने के स्वन वी आर्यान्वित न कर सका था। ऐवाश्यक में दो बार आइंस राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में अपना होँकर ऐटो इग निष्पर्य पर पहुँचा कि, जूँकि आइंस आइंसिक का मिलना चाहिन है; इगनिए ध्यक्ति के शासन वी प्रवेदा नियमों का जामन ध्विक व्यावहारिक होगा। उपने अपनी पुस्तक 'कानून' में नियमों के जामन को पूँज़ द्वीपार बिया है। वही वह बिया है:—

"मिसनी घणवा अन्य नाह, वही भी, मानव स्वामी वे धर्मीत न हाँकर नियमों के अधीन होने चाहिए, ऐगा मेरा गिहान है। धर्मीता, स्वामी और प्रवा दोनों वे स्वयं वे लिए, अपनी मंतान वी मनान के लिए और उनके बगजों वे लिए धहित्तर है।"

उक्ते 'राज्य विगारद' में पूँज़ अपना यह मन प्रवट बिया है कि मदि जालक आइंसिक हों तो निरकुल जामन ही सर्वथोऽप जामन है:—

"जाउन के प्रशारों में सबये प्रधिक गही और बास्तविक युक्तार वह है जिसमें कि जासक को बच्चे विज्ञान का ज्ञान ही। न केबत ऐगा प्रतीत होउ हो कि वे नियमों से या दिना नियमों से, चाहे उनकी प्रवा इच्छा पूर्वक घणवा अनिल्द्वापूर्वक उन्हें चाहे, जामन करते हैं।"

यह पूर्णतया बिद करता है कि ऐटो राज्य में नियमों के जामन वी जालव वी प्रामुख्यों के बारए ही बायं हाँकर स्वीकार करता है। बास्तविकता में पर्याप्त होँकर, एवं परिस्थितियों गे बायं होँकर ऐटो को 'नियमों द्वारा जामन' वी मर्वथोऽप

शासन के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। प्लेटो के बाद के दर्शन का राज्य इसलिए नियमों के सुनहरे धारों से बैधा होगा :—

‘नियमों के थोड़तम भाग प्रदर्शक धारों को हमें अवश्य ही सदैव सहयोग देना होगा। यद्यपि तकनीकियता थोड़ है किन्तु यह उठ न होकर कोमल है।

इन मार्गप्रदर्शक धारों की सहायता से हमारे प्रबन्ध जो स्वरूप प्रकार है वह दूसरे प्रकारों को सुनिश्चित रूप से हरा देगा।’

अरस्तू व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं से अधिक सम्बन्धित था। ‘राजनीति’ के प्रथम भाग में वह आदर्शवादी है और एक आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना करता है। यह सुकरात और प्लेटो के प्रभाव के कारण है। दूसरे भाग में वह राजनीतिक संस्थाओं की कार्य-प्रणाली और उनकी व्यावहारिक समस्याओं से अधिक सम्बन्ध रखता है। अरस्तू के दर्शन में हम राज्यों का मौलिक, वर्गीकरण पाते हैं। इस वर्गीकरण के दो मुख्य शाखाएँ हैं—शासनों की सह्या और शासन का उद्देश्य राज्यों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम राजतत्र या एक व्यक्ति का राज्य है जो कि भवके हित से शासन करेगा (प्लेटो का प्रभाव) और सबसे निकृष्ट प्रजातत्र है जो कि अरस्तू के लिये प्रायः भोड़तन्त्र है (प्लेटो सहमति)।

अरस्तू के अनुसार बैधानिक शासन के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं :—

प्रथम, यह वह शासन है जिसका उद्देश्य जनहित है,

द्वितीय, इसमें शासन नियमों द्वारा होगा न कि साधारण व्यक्तियों द्वारा होगा।

तृतीय, इसमें सरकार शासितों की इच्छा पर प्राधारित होगी।

अरस्तू नियमों द्वारा शासन को नीतिक और सम्यक जीवन के लिए आवश्यक मानता है। ‘राजनीति’ में उसने बहा है “मानव पूर्ण होने पर प्राणियों में सर्वथोष्ठ है, किन्तु न्याय व नियमों से पृथक होकर सबसे निष्पट है।” अरस्तू रुद्धि पर आधारित नियमों को अधिक महत्व देता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह तर्क करना सम्भव है कि नियमों के निर्माण में जनता की सामूहिक बुद्धि सबसे बुद्धमान नियम बनाने वालों से थोड़तर हो सकती है, किन्तु सबसे बुद्धिमान कानून बनाने वाले भी रुद्धिवादी कानूनों से अच्छे कानून नहीं बना सकते। अत परम्परा, अरस्तू के दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परम्परा में निहित ज्ञान अरस्तू के लिए सुशासन हेतु मार्गप्रदर्शन करने का सिद्धान्त है।

अरस्तू के मतानुसार सर्वाधिक व्यावहारिक राज्य पोलिटी (Polity) है जो कि एक व्यक्ति और द्व्यक्तिलिङ् शासन के समझौते का भाग है। इसको हम एक सीमित प्रजातत्र, जिसमें कि सरकार का सचालन नियमों द्वारा होता है, भी कह सकते हैं। इसमें जनतत्र और अल्प-जनतत्र दोनों के तत्व सम्मिश्रित हैं। इसकी जनता का अधिकार भाग एक ऐसे मध्यम वर्ग का होगा जो कि न तो अधिक धनी हो

और न अधिक निर्धन हो। नागरिक, यदि वह माध्यारण मम्पत्ति योग्यता की पूर्ण वरते हैं, तो यपने नगर के शासन में भाग लेने के अधिकारी होते। मंविधान घन और शिक्षा के प्रभाव वो बेदत सस्था वे प्रभाव में सन्तुष्टि करेगा। भरस्तू जनता की सामूहिक बुद्धि में विश्वास रखता है तथा उसका यह भ्रत है कि जनता वे एव वह भाग को भ्रष्ट बरता अत्यन्त ही न छिन है। इसलिए वह सुध्यवस्थित शासन की सुरक्षा, सस्था में ही पाता है। राज्य में, प्रशासनिक पद घटुमध्य और सम्पत्ति वाले व्यक्तियों वो हो देने चाहिए। ऐसे राज्य में स्थायी एव सुध्यवस्थित शासन होता। पोलिटी (Polity) विशेषतः एक मध्यमवर्गीय राज्य है और यह मध्यम मार्ग वे स्वर्णिम नियम पर आधारित है।

जोई भी विचारक यपने मुग के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सकता और भरस्तू भी इस चिदान्त का अपवाह नहीं है। यपनी भ्रति बुद्धिशीलता और दूरदण्डिता की अपेक्षा वह दास-प्रथा की भा रक्षा बरता है। भरस्तू के मतानुसार दास-प्रथा प्राहृतिव एव धावश्यव है। समाज में बुद्ध ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मत्तिपक भ्रति विव-भित होता है और दूसरे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि शारीरिक रूप से बलबान होते हैं। जो मानसिक रूप से प्रबल है वे आज्ञा एव निर्देश दे सकते हैं। वे जानते हैं कि जोई भी वायं वैमे विया जाता है विन्तु जोई भी वायं यपने माप नहीं भर सकते। इसके विपरीत, ये, जो कि शारीरिक रूप से बलबान है और शारीरिक ध्रम में योग्य है, वायं तो भर सकते हैं, विन्तु यह नहीं जानते कि उसे वैमे भरना चाहिए। इसनिए भरस्तू इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को उनके यपने द्वित में सह्योग बरता आवश्यक मानता है, किसीसे एक वायं वा निर्देश करे और दूसरा उनको वायांनित करे। परन्तु भरस्तू इससे भी एक पग भागे बढ़वर एक माध्यारण व्यक्ति के पश्चात्पाँच दृष्टिवेणु को प्रदर्शित बरता है, जब वि वह नियम जनाता है कि यूनानी वभी भी दास नहीं बनाये जा सकते।

भरस्तू ख्लेटो के इस मिदान्त में कि ‘राज्य के लिए एवता अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस एकना प्राप्ति के लिए मम्पत्ति व परिवार वा साम्पदाद हीना चाहिए’ महसूसत है। उसके मतानुसार सामाजिक जीवन का मुख्य माध्यार विभिन्नता है न कि एकता। इसनिए वह ख्लेटो की एकतार्थक व्यष्टि को व्याप्त मानता है। मम्पत्ति वा साम्यवदाद समाज में ऐसी परिस्थिति बत्यन्त बरेत्ता किसी न तो जोई शामाजिक मम्पत्ति की देखभाल ही उचित रूप में बरेता और न समाज में किसी को वायं बरते व लिए पगरा ही रहेगी। उसके मतानुसार प्रत्येक दो सम्पत्ति विसी वी सम्पत्ति मरी है अतः जोई भी उमड़ो देख-देख नहीं करेगा। महिलायों का समाजीबरण, क्रिसके फलस्वरूप यमाज में कई नवीन गमस्थाएँ उत्तरन हींगी, वह अमद्द मनमता है। यदि सन्तान वो यपते भावा-किया का जात नहीं होगा तो यह सरलतावृद्धक यपताप

की गुहता जाने विना ही पितृवात् वैसा जघन्य मपराप कर सकेंगे। इन कारणों से वह प्लेटो के साम्यवाद को अस्वीकार करता है और निजी सम्पत्ति के सामान्य उपयोग के सिद्धात् को अपनाता है। अरस्तू की हप्टि मे सम्पत्ति परिवार का आवश्यक ग्रग है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता और एक की अनुपस्थिति मे दूसरे का अस्तित्व ही असम्भव है।

परिवार के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग मे पति, पभी और सनान होते हैं। पुरुष और महिलाएँ मानव जाति की वृद्धि और रक्षा के लिए परिवार मे सम्भित होते हैं। द्वितीय भाग मे वह अस्त्र हैं जो कि परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यह अस्त्र जड़ अथवा जेनन, उत्पादनशील अथवा उपभोग्य हो सकते हैं और यह परिवार की सम्पत्ति का निर्माण करते हैं। अरस्तू के अनुसार प्रत्येक परिवार मे तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं।

प्रथम : पति-पत्नी सम्बन्ध,

द्वितीय . माता-पिता-नांवन सम्बन्ध, और

तृतीय . स्वामी-दास सम्बन्ध ।

अरस्तू, दास को एक प्रकार का अस्त्र व सम्पत्ति वा भाग समझता है। उसके मतानुसार कतिपय व्यक्ति स्वभावत् दास व कतिपय व्यक्ति स्वभावत् स्वामी होते हैं। इन दोनों का इनके प्रस्तित्व और हितों के लिए पारस्परिक सयोग आवश्यक है। वह परिवार को एक प्राकृतिक समुदाय मानता है, जिसका उद्देश्य नित्य प्रति वी प्रावश्यकताओं को पूर्ण करना है। उसके लिए यह सम्बन्ध बेल आधिक अथवा यौन सम्बन्ध नहीं है प्रणिनु प्राकृतिक है। इसका आधार दोनों भागीदारों के मध्यस्थ जीवन पर्यन्त मंत्री है। वह परिवार को पिनृसत्तात्मक मानता है और परिवार मे वयोवृद्ध को शासन वा अधिकार देता है।

अरस्तू न तो सम्पत्ति के पूर्ण उन्मूलन, जिससे कि पारिवारिक जीवन पर सकट आयेगा, के पक्ष मे ही है और न धन के कुछ व्यक्तियों मे अनियन्त्रित एकत्रीकरण के पक्ष मे ही। वह निजी सम्पत्ति वो सीमित सम्पत्ति के हर मे चाहता है और उसको थोड़ जीवन के लिए आवश्यक मानता है। सम्पत्ति का समष्टीकरण वस्तुओं एव लाभों के वितरण मे कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा वयोऽसि समाज मे अनुदान और आवश्यकताएँ सदैव विषम रहेंगी। कुछ समय पश्चात् यह जनता मे अन्याय की भावना को जन्म देगा और इस कारण सधर्यं और गृह्य-मुद्द होंगे। अरस्तू के अनुसार अनियन्त्रित सम्पत्ति सामूहिक सम्पत्ति से भी बड़ा दोष है और धन की अत्यधिक विषमताएँ समाज मे घासान्ति और गृहकलह का कारण देनेंगी। सदके पास नामरिको जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए न्यूनतम आवश्यक साधन होने हो चाहिए। इस सम्बन्ध मे वह एक ऐसे मध्यम वर्ग वा पक्षपाती है जो न तो अधिक धनी हो और न अधिक निर्वन।

धरस्त्र ने व्यावहारिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से राज्यों में प्रान्ति के कारणों का विस्तृत हप में विवेचन किया है। वह राज्य में प्रान्ति प्रीत अमान्ति वी प्रग्नाय का परिणाम मानता है। प्रान्ति के गिरावन्तों के सम्बन्ध में वह पूर्णतया वास्तविकता के आधार पर लिखता है। वह बारगुणों के साथ साथ उनके दूर करने के उपाय भी बतलाता है। उसके लिए राज्य के विधान में परिवर्तन का गवं है आधिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और ऐसा परिवर्तन पूर्ण प्राप्ति होगा। उसके लिए प्रान्ति वा हिमातमक होना भावशक्ति नहीं है और वह चुनाव व दूसरे वैद्यानिक साधनों द्वारा भी हो सकती है। उसने प्रान्ति का वर्णकरण इस प्रशार किया है :—

- (क) पूर्ण धरया धर्माण् ।
- (ख) प्रान्तिपूर्णं धरया हिमातमः ।
- (ग) व्यक्तिगत, जब कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति धरया गुट की सत्ता में चुन ऊना हो, धरया ग्रंथिक, जबकि उसका उद्देश्य समस्त आधिक व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना हो ।
- (घ) जननश्रीय धरया अन्यत्रननश्रीय । प्रान्ति के फलस्वरूप जिस वर्ग की शक्ति प्राप्त होगी उसके अनुमार इन दोनों में से एक ही सत्ता है ।
- (ङ) डिमोर्गांगिक जबकि दृम्याहमां राजनीतिग राजनीतिश सत्ता वी प्राप्ति भाग्यगुणों के प्रभाव से प्रयत्ने हाथ में कर नेने में सक्त हो जाते हैं ।

परम्परा के अनुमार प्रान्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हों गवते हैं :—

- (अ) यह अन्याय की भावना के कारण हो सकती है। यदि राज्य के दैनिक घटों वे विवरण में पश्चात होता है, गमान में अत्यधिक आधिक विषयता है धरया राज्य की ओर से आइर व सम्मान के विवरण में पश्चात होता है तो यह जनता में अन्याय की भावना उत्पन्न करते हैं। इनसे हम प्रान्ति के मठोंवैज्ञानिक कारण कह सकते हैं।
- (आ) प्रान्तियों का प्राइविक कारण भी है। जब समाज में अत्यधिक आधिक विषयता होती है और समाज दो विशिष्ट आधिक हितों में विभाजित हो जायगा तो समाज में आधिक गोपण व्यवस्था होता है और उसके फलस्वरूप निर्धनों में अमन्त्रायण फैलेगा और निर्धन वर्ग सह्या में अधिक होने के कारण प्रान्ति का मार्ग अपनाएगा।
- (इ) राज्य के प्रशासनीय वदों द्वारा गति के दुष्पर्योग में भी प्रान्ति की सम्भावना रहती है। पश्चात, झट्टाचार, धूम, कुनवा परम्परा और गोपण आदि वस्ता के दुष्पर्योग होने के विवरण उदाहरण हैं, जिनके द्वारा प्रान्ति की सम्भावना रहती है।

(ई) मध्यम वर्ग की, जो कि समाज को सन्तुलित करने के लिए आवश्यक है, प्रनुपरिषति में भी व्यान्ति हो सकती है। वर्ग संघर्ष से बचने के लिए समाज में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का विकास आवश्यक है।

(उ) उपर्युक्त विचारधारा भी व्यान्ति की पोषक है।

व्यान्ति के कारणों को दूर करने के लिए भरस्तू यह सिफारिश करती है कि सरकारों के प्रशासकीय पद व राज्य सम्मान के वितरण न्यायपूर्ण होने चाहिए। विधान में सब प्रत्यार के हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रशासकीय कर्मचारी योग्य होने चाहिए। विधान का आधार मध्यम मार्ग का स्वर्णिम नियम होना चाहिए और भीतर नियंत्रों को भाजीविरा देकर सन्तुष्ट रखना चाहिए। नागरिकों को अपने विधान के सदृगुणों से परिचित करना चाहिए। यदि शासक इन सिद्धान्तों को अपनाएं तो व्यान्ति के कारण दूर हो जाएंगे।

प्लेटो और भरस्तू दोनों अपने मूलभूत विचारों में भिन्नता रखते हैं। उनकी राजनीति शास्त्र के अध्ययन करने की प्रणालियों भी सर्वथा भिन्न हैं। प्लेटो अधिकतर सुकरात की प्रश्नोत्तर प्रणाली को अपनाता है और वह निगमनात्मक प्रणाली से नियंत्रण पर पहुँचता है। वह पहले मूल सिद्धान्तों का निर्माण करता है, तदुपरान्त उनको व्यवहार में साने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर भरस्तू अधिकतर आगमनात्मक प्रणाली को अपनाता है। उसने अपने बहुत से सिद्धान्तों का निर्माण अपने मुग्ध वीरों राजनीतिक सत्याघो का अध्ययन करने के पश्चात् दिया था। उसने अपने कानके १५८ नगर राज्यों की राजनीतिक सत्या और उनकी कार्यप्रणालियों का मूलनात्मक अध्ययन दिया। इसके फलस्वरूप उसने राजनीति शास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का निर्माण दिया। उसके स्कूल, साईसियन में अधिकार विचार उसके और उसके शिष्यों के द्वारा विस्तृत अनुसधान वे फलस्वरूप बने थे। सेवाद्वारा भनुसारः—

“यह भनुसधान जिनमें कि विधानों का अध्ययन वेवल एक भाग था, मुरुप्ति, दार्शनिक न होकर ऐतिहासिक थे। धास्तव में वे प्रयोग थे और भनुभव पर आधारित अनुसधान थे। भरस्तू ने यदाकदा उनके आधार पर ‘हूल’ के स्थापित होने के पूर्वनियति अपनी कृतियों में परिवर्तन किया।”

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृ० ८८)

भरस्तू की कृतियों मात्र वैज्ञानिक एवं तत्त्वपूर्ण हैं और उनमें साहित्य का कोई स्पष्ट नहीं है। प्लेटो की कृतियों महान् साहित्यिक कृतियाँ भी थीं। उनकी भाषा में कवित्व है और वे मुरुप्तया दार्शनिक हैं। भरस्तू की कृतियाँ अधिक सुव्यवस्थित एवं विश्लेषणात्मक हैं और इसलिए प्लेटो की अपेक्षा उनको समझना अधिक सरल है। यही कारण है कि ‘गणतन्त्र’ की जगह ‘पोलिटिक्स’ आधुनिक

राजनीति की पाठ्य पुस्तक बनी हुई है। भरस्तू वो हम सच्चे पथों में एक महान् राजनीति विजारद रह सकते हैं।

प्लेटो और भरस्तू दोनों के राज्य की उत्पत्ति के मामल्य में विभिन्न विषयार हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हमारी आधिक आवश्यकताओं के अभिभावन और वायंदाता के कारण हुई। कोई भी व्यक्ति भवेता अपनी समस्त आवश्यकताओं को उत्तम रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व वा भाषार सामाजिक अस्तित्व ही है जो इस प्रकार आधिक आवश्यकता है। व्यक्ति आधिक आवश्यकताओं द्वारा सहयोग के लिए वाप्त होते हैं और राजनीतिक व सामाजिक जीवन का यही भाषार है। इच्छा एवं नायं करने की योग्यता भिन्न-भिन्न होती है और किसी भी समाज में इन विभिन्न कायों के समन्वय एवं सुगठन के लिए किसी राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। इम प्रकार इन कायों वा समन्वय हुए विना श्रेष्ठ जीवन असम्भव है। भरस्तू के लिए राज्य एक प्राहृतिक सम्पद है। वह राज्य को परिवार के समान ही प्राहृतिक मानता है। आधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक भाग पुरुष एवं महिलाएँ और दूसरी भाग स्त्री एवं दास परिवार म सम्भित होते हैं। ये परिवार सम्मिलित होकर प्राप्त वा, और प्राप्त सम्मिलित होकर नगर-राज्य वा निर्माण बरतते हैं। इसलिए वह राज्य को परिवार वा ही एक बृहद् स्वरूप मानता है। भरस्तू वे शब्दों में :-

“राज्य अपनी प्रहृति वा वारण ही परिवार और व्यक्ति से भी पूर्व वा द्वयोंकि यह पूर्ण अपने एक भाग से पूर्व वा प्रवायमनावी रूप है।” “वह व्यक्ति, जो कि समाज में रहने योग्य नहीं है अथवा जिसकी समाज की इमलिए आवश्यकता नहीं है कि वह स्वरूप पूर्ण है, या तो पशु है या ईश्वर। वह राज्य वा कोई भाग नहीं हो सकता। प्रहृति ने प्रत्येक मनुष्य में सामाजिक प्रहृति का रोपण किया है।”

इसलिए भरस्तू के अनुसार व्यक्ति स्वभावतः सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है।

वे राज्यों के वर्गीकरण में भी भिन्नता रखते हैं। प्लेटो के अनुसार सर्वव्येष्ट राज्य में—जो इन वेतन संदान्तिक रूप से ही सम्भव है और जिसका व्यावहारिक अस्तित्व सम्भव नहीं है—ज्ञान ही वर्वोच्च होता; और भाषाक इम वर्वोच्च ज्ञान की जानने वाले दार्थनिक होते। तदुपरान्त वे राज्य आते हैं जिनमें ज्ञान दार्थनिकों द्वारा न होकर, तियमों द्वारा होता है। प्लेटो के अनुसार यह दूसरी श्रेणी वा सर्वव्येष्ट राज्य है और इसलिए अपूर्ण है। यन्त में वे राज्य हैं जिनमें न तो दार्थनिक राज्य बरते हैं और न नियम ही, जिनमें भजान वा भासुन है। भरस्तू अपने राज्य के वर्गीकरण में आधिक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है। उसके अनुसार वर्गीकरण के दो मुख्य भाषार हैं—(१) राज्य में कितने व्यक्तियों के हाथ में शक्ति है और (२) इस शक्ति का उपयोग

विनके हिलों में हो गा है। राज्य में एकता बनाए रखने की समस्या पर उनम् तावंशा
प्रतार्गतस्य रहता है। औटो पहुँचा गया है कि यदि गमाझ में प्रथमेक व्यक्ति को
प्रगती योग्यतानुगार पद मिले और शामक वर्ग में में वे गय बाराण्य जो कि उन्हें भ्रष्ट
परते हैं या शोषण करने के लिए प्रेरित करते हैं दूर पर दिये जाएं तो एकता
स्थापित हो सकेगी। औटो में शासक-वर्ग समस्ति और परिवार की साम्यवादी व्यवस्था
प्रगतापूर्वे और गमों की गणह में रहते हुए राज्य की देशा करेंगे। घररत्न गमाझ और
राज्य में विभाजन को दूर करने के लिए औटो द्वारा बनाए हुए इन गुभारों को
प्रगताने के पक्ष में नहीं है। उनका विश्वास है कि वे राज्य में एकता वे स्थान पर
एकल्पना स्थापित करेंगे। प्रगति और विकास के लिए विभिन्नता एवं व्यक्ति की
स्थतान्त्रिता सावधान है। औटोनिक राज्य साधुगिक गमों में 'सर्वाधिकारी राज्य' कहा
जा सकता है। प्रो० जोड में गो इगकी कालिट राज्य तक कहा है। घररत्न ने लिए
तावंशेष्ट व्यावहारिक राज्य विभाजन-सीमा प्रभाग-न है। उन्हें प्रगती पुरतक
'प्रोसिटिव' में कहा है :—

"राज्य की प्रहृति व्यवस्थादी है। राज्य में परिवार और परिवार से व्यक्ति,
व्योकि परिवार राज्य में और व्यक्ति परिवार से अधिक (महत्वपूर्ण) है।
इसलिए हमें इस अधिकारिक एकता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि हम
ऐसा करेंगे तो राज्य का विनाश हो जायगा। राज्य वेष्ट वृक्ष में व्यक्तियों
का ही नहीं विभिन्न विभिन्न प्रभाव में व्यक्तियों से धना हुया है। गमान व्यक्ति
मिलकर राज्य नहीं बना गवते।"

यथोपि उनके दर्शन की उत्तमता नगर-राज्य में हुई थी और नगर-राज्यों
के युग का उन पर अधेष्ट प्रभाव है, किर भा, उनके विपार गय कालों के लिए और
गय प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शीक राजनीतिक
दर्शन का प्रभाव, विशेषतः घररत्न का प्रभाव, परिवारी राजनीतिक विपारपारा पर
अधेष्ट हो गे गहा है। एक गहय वर्ष सक गमत मध्यमुग में गमाजिक और
राजनीतिक गंभीराओं के गम्भीर में घररत्न के प्रभाव को अन्तिम रूप से गाना जाता
रहा। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि रेष्ट उन्हें नाम लेने मात्र से विसी भी
योद्धाविदाद का निर्णय हो जाता था। शूलार्थिक दर्शन एष्टति ने घररत्न की
युद्धियादी विचारपारा और गंत प्रगताइन के पामिक उपदेशों का गमित्रलु विया
था और यह मध्यमुग का रवीटत दर्शन रहा है। एक प्रभाव में इन्हें प्रथमिक हानि
पहुँचाई। इन्हें गोलियां के गधीन वियारों की ओर गृणन करने की योग्यता का
एक गहय वर्षों तक गला खोटा। घररत्न के इस दार्ढनिक सर्वाधिकार का प्रभाव ऐसा
गेलियाइसी में युग में ही हुआ, जिस पर धान में पुत्रंग वा अधेष्ट प्रभाव पहा था,
और किर ताप से नये मिपारों का प्रध्ययन विया जाने थागा।

दिमु सम्भवतः बहुत लोगों को यह पारचर्य होंगा कि उनके समझालीन यूनान और इन दार्शनिकों की मृत्यु के पश्चात् उनके दर्शन और विचारों वा नगर-राज्यों की राजनीति एव सम्याप्तों पर बोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रो० सेवाइन के शब्दों में—

“ज्ञेये और अरस्तू का राजनीतिक दर्शन विस्तारण हप ने किसी भी प्रकार के व्यावहारिक व मैट्टानिक प्रत्यक्ष प्रभाव से बचित रहा। अरस्तू के भरते के दो शनाच्छिद्वी पद्धतान् के प्रभाव में यदि उमड़ा मूल्यांकन करें तो हमें उसे एक महान् प्रमक्षता ही बहुत होंगा। उग्रता वा राज्य यह है कि इन दोनों दार्शनिकों ने मध्यांत नगर-राज्यों की राजनीतिक सम्याप्तों के प्रादर्शों एव मिदानों वा ऐमा उन्नेव किया, जो कि उनके पश्चात् बोई भी दार्शनिक न कर सका और न उनके करते वीं कोई सम्भावना थी। वास्तव में इस प्रोर बोई प्रगति न हुई। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ ज्ञेये और अरस्तू ने निषा या वह केवल नगर राज्यों वं सम्बन्ध में ही मूल्य रखता है। ज्ञेये के दर्शन के आधार—जिनको कि मात्रीय मध्यन्तों के बीद्धिक अध्ययन का निषय बनाया जा सकता है और उनका युद्ध द्वारा निर्देशन किया जा सकता है—किसी भी यामात्रिक विज्ञान वं आधारभूत मिदान्त हो सकते हैं। अरस्तू के राजनीतिक दर्शन के मामान्य नैतिक मिदान—प्रोर यह विश्वास कि राज्य स्वतन्त्र एव नैतिक हृष्टि में यथात् नायरिकों के बीच एक में मध्यन्य होना चाहिए जो अपने आपको नियमानुसार चलाता है और जिनका आधार जक्ति न होकर वाद-विवाद है—कभी भी युरोपीय राजनीतिक दर्शन से यसान्त नहीं हो सकती। इस दर्शन के ये महान् गुण इस तथ्य को मिल करते हैं कि मूल से बुनेभान तक के विचारकों वीं बार बार ज्ञेये और अरस्तू के दर्शन का आधार नेता पड़ा है। यद्यपि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उमड़ा अधिकांग भाष्य स्वादि हप में महत्वपूर्ण है, पर यह तथ्य है कि ज्ञेये और अरस्तू के बीच उनको नगर राज्य में ही सम्बन्धित समझते थे। उन्होंने कभी भी इनका या अन्य राजनीतिक प्रादर्शों का विस्तीर्ण प्रकार वीं नायरिक व्यवस्था में कार्यान्वित होना सम्भव नहीं समझा था। उनक अनुमान इन दर्श्यों में पूर्णता मिल होने हैं कि राजनीतिक दर्शन के युनानी नगर-राज्यों वीं प्रयोगा और किसी समाज में उपय होने की सम्भावना नहीं कर सकते हैं।

(राजनीतिक मिदान्त वा इतिहास पृ० ११६)

ज्ञेये और अरस्तू दोनों इस तथ्य को पूर्णतया जानते थे कि विस्तीर्ण भी यूनानी नगर राज्य ने इन आदर्शों को न ली आज रिया है और न छर गक्का है। यद्यपि उन्होंने नगर-राज्यों की राजनीतिक सम्याप्तों वीं नियमयतापूर्वक प्रालोचना की है और प्रायः बहुत सी संस्थापों की भास्त्रीशार भी किया है, ठीं भी उनका यह विश्वास

या कि मगर राज्य राजनीतिक संगठन का सर्वधोष है, और थोड़ जीवन को प्राप्त करना ये वरा इसी राजनीतिक संगठन के मानदण्ड हैं में होता है। दोनों प्रजातन्त्र के विरोधी ये और यद्यपि उन्होंने एक ऐसे थोड़ राजनीतिक संगठन के विषय में सिसा है जिसमें ये सर्वधोष जीवन अवशीत कर सके फिर भी ये एक विशेष बांग के दार्शनिक ये। उन्होंने नागरिकता या राज्य में हिस्सा लेने के अधिकार को जनता के अल्प भाग के लिए, जिसके पास यथेष्ट सम्पत्ति, यथेष्ट अवकाश और सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेने की यथेष्ट चेतना होगी, का विशेष अधिरारो घाया।

दोनों का यह विश्वास या कि थोड़ जीवन का अधरं राज्य के दायं एवं जीवन में सक्रिय भाग लेना है। उन्होंने राज्य में नागरिकों के इस भाग को एक नेतृत्वक मापदण्ड का, न कि अधिकार और कर्तव्यों की एक राजनीतिक अवश्यकता का, रूप दिया है। नागरिकता उनके लिए केवल अधिकारों और कर्तव्यों की राजनीतिक अवश्यकता भी ये नागरिक को राज्य से पृथक प्राणी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार नागरिक राज्य का अभियान अग्रणी है और नागरिकता सामाजिक जीवन में भाग लेने का एक अधिकार मान दी। यतः नागरिकता सभी मानवीय वस्तुओं में थोड़ है और थोड़ जीवन को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त प्रावश्यक है। थोड़ जीवन नगर राज्यों में ही, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अवशीत करते हुए सम्भव है न कि राज्य से पृथक याहर विसी शर्य स्थान पर। राजनीतिक अधिकार सार्वजनिक पदों एवं कर्तव्यों के प्रति उदारीनता उन दोनों में लिए सायसे बढ़ा पाप और थोड़ जीवन के मार्ग में सबै पहुँच आया दी। राजनीति विज्ञान को उनकी यह देन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और उनके सिद्धान्त को यदि हम प्रयोग में लाएँ तो हमारे इन आधुनिक प्रजातन्त्रों में विस्थान गुप्तार होगा।

धीक राजनीतिक दर्शन का विशेषता, प्ररक्षा का एक गुरुत्व अनुदान यह भी है कि उन्होंने सही मनोवैज्ञानिक गाधारों पर राज्य के सम्बन्ध की पहलना की है। वे यह मानते हैं कि मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्ति अत्यन्त ही प्रवर्त है और इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी माना है। इसलिए राज्य एवं सावश्यक और सामाजिक स्थान न होकर सावश्यक एवं स्वाभाविक संस्था हो जाती है। यतः उनका राजनीतिक दर्शन सही मनोवैज्ञानिक गाधारों के कारण सम्मुखित एवं स्थायी है।

मैकियावली के राजनीतिक विचार

साधारणतः मैकियावली को ग्रन्थनं ही बड़ी धारोंचना हुई है और प्रायः उसको गलत ममभा गया है। व्यावहारिक राजनीति को समस्त मुराइयों एवं दोषों से हम उनके दर्शन को सम्बन्धित करते हैं। उनका नाम वपटी, प्रधम, और शक्ति के द्वपासक राजनीतिकों के लिए पर्यायवाची शब्द वे हप में प्रयोग होता है।

मैकियावली धार्षुनिक राजनीति शास्त्र में ज्ञान के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके विचार राजनीति शास्त्र में मध्यकालीन एवं धार्षुनिक युग के मध्य वी सीमा निर्धारित करते हैं। बिन्दु ममस्त धार्षुनिक राजनीति मैकियावली के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। न तो वे चर्च में मुद्घारवादी विचारों वा प्रतिनिधित्व करते हैं और न वह मध्यकालीन युग के सदस्ते वहे विचारक मन्त्र दामम् एकमीनास वे ही, जिनका दर्शन धर्व वैद्योनिक चर्च वो मान्य है, वे मिद्धान्तों का स्थृत करने हैं। प्रत्येक विचारक भपने जीवन कान वे युग वा प्रतिनिधित्व करता है और मैकियावली इसके भपदाद नहीं है। वह देवी भवितारों के मिद्धान्त एवं एवं एवं धार्दश नीतिक व्यवस्था के विचार वो स्वीकार नहीं करते हैं। वह सांसारिक बस्तुएँ जैसे कि रूपाति, दैशिष्ट्य, ममान और ऐश्वर्य आदि वो मृत्यु देते हैं और आदरशक ममझने हैं। इनको प्राप्त करने के लिए शक्ति वो धावस्थवता है और शक्ति त्वय भी उत्तम है यदोऽि यह व्यक्तियों में प्रभूत्व वो प्रवृत्ति वो मन्त्रुष्ट बरती है। शक्ति, राजनीतिक उत्थापनों में वेन्डित है और इसीलिए उनके समस्त परामर्शों 'प्रिन्स' के प्रति हैं।

ज्ञान के पुनर्जन्म ने धार्षुनिक व्यक्ति एवं धार्षुनिक विचारों का जन्म दिया है। यह व्यक्ति के गौरव वो नवीन भव्य में पोषण, व्यक्तिवाद वी प्रोत्साहन और उन सब सम्बन्धों और दावों वो, जो वि जन्म या पद वे धावार पर थे, खण्डन करते हैं और मुद्घारवादी विचारपाठा वो, प्रेरणा देते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया है और उसके परिणामस्वरूप इस विश्वास को भी प्रस्तारित किया है कि अधिकतम विकास राष्ट्रीय राज्यों वे ढारा ही हो सकता है। धाव धमासारिक और धावात्मिक आदर्शों वो अहंकार करते हैं और जीतिकदाद का भपनाते हैं। दिलियम टी० जोन्स ३। इस सम्बन्ध में बतान है:—

“दूसरी ओर, ज्ञान के पुनर्जन्म के युग के लिये व्यक्ति, ईश्वर से अधिक महत्व-पूर्ण है और व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्ध उसकी आत्मा और ईश्वर के सम्बन्धों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। ईश्वरीय सम्पृणता के आदि-भौतिक आदर्श की अपेक्षा व्यक्ति ऐसे आदर्श अपनाता है जो कि प्राकृतिक एवं मानवीय हैं। सासारिक विषय ही महत्वपूर्ण है, आदिभौतिक नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की समृद्धि, बुद्धि और सौन्दर्य के प्रत्येक रूप योग्यता का विकास, परिपूर्ण एवं विभिन्न कार्य का उपभोग और दक्ष जीवन ही महत्वपूर्ण हैं। यह ससार ईश्वर की व्यक्ति हेतु योजना का चिह्न या स्थाई दर्पण न होकर प्राकृतिक शक्तियों की एक गतिशील कीड़ा हो जाता है।”

(राजनीति दर्शन के महान विचारक, मार्ग २ पृ० २७)

यह आधुनिक व्यक्ति अपने धर्म और योग्यतानुसार अधिक से अधिक रूप से उसी प्रकार बायं कर रहा है जैसा कि मैकियावली ने अपने ‘प्रिन्स’ को परामर्श दिया था। शक्तिशाली राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विशेषतया अग्न्य सब राष्ट्रों के सम्बन्ध भी, साधारणतया, मैकियावली के सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं। मैकियावली के अनुसार ‘प्रिन्स’ का सर्वप्रथम कर्तव्य अपनी और अपने राज्य की शक्ति का ‘पर जोपण’ द्वारा सञ्चालन है। वह आवश्यकतानुसार बुरा अथवा घच्छा होगा और परिस्थितियों के अनुसार अच्छे या बुरे साधनों का उपयोग बरेगा क्योंकि जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु सफलता है। वह इसलिए सफलता को पाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा और उसे न तो इस सम्बन्ध में अधिक सचेत होना चाहिए और न उसके लिए, जिनको साधारण व्यक्ति अवगुण समझते हैं, का परित्याग आवश्यक ही है। वे उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हैं तो उन्हें उसे अपनाना ही होगा। इस सम्बन्ध में मैकियावली कहता है—

“आपको यह समझना चाहिए कि ‘प्रिन्स’, और विशेष तौर से एक नवीन राजा, उन समस्त गुणों को, जिनका कि व्यक्ति ग्रादर करते हैं, पालन नहीं कर सकता क्योंकि राज्य को बनाए रखने के लिए उसे निष्कपटता, मित्रता, मानवता और धर्म के विषद् भी कायं करना पड़ता है।”

वे समस्त साधन, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और उसको शक्तिशाली बनाते हैं, सर्वसम्मानीय एवं न्यायोचित हैं। यदि हमें बुरे साधनों एवं राज्य के अस्तित्व दोनों में से एक का चुनाव बरना है। तो मैकियावली हमें राज्य के अस्तित्व के लिए बुरे साधनों के चुनाव का परामर्श देता है। वह कहता है—

“मेरा यह विचार है कि जब कभी राज्य के अस्तित्व का भय होता है तो राजा एवं यात्रान्वय दोनों ही उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विश्वास भग करेंगे और अहतशता दर्शाएंगे।”

को भग्नात थे । किन्तु दोनों भौतिकवादी, आचारहीन एवं धर्म विरोधी हैं । राजनीति में कार्य-कारण का सम्बन्ध मानवीय इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार ही समझा जा सकता है और जो शासक इनका नियन्त्रण कर सकता है वह सफल शासक हो सकता है । 'प्रिन्स' में जिन राजनीतिक सत्यों एवं तथ्यों का वर्णन किया गया है उन्हीं को हम मैकियावलीवाद कहते हैं और यही भाषुनिक राजनीतिक दर्शन को एक महान् देन है । मैकियावली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता के उच्च शिखर से उतार कर शक्ति-राजनीति की आवश्यकताओं से परिचित करा दिया । यह उसकी महानता है कि उसने निःरता से 'प्रिन्स' को शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों को अपनाने का परामर्श दिया ।

कूटनीति के अधिकाश सिद्धान्तों का आधार मैकियावली के 'प्रिन्स' की शिक्षाओं में निहित है । राजनीति में हर्ता, हत्या नहीं है, किन्तु किसी बाधा को मार्ग से हटाना है और असत्यवादिता कूटनीतिज्ञों का एक आवश्यक गति है । गुप्त सन्धियाँ, विश्वासघात, प्रतिज्ञा भग अथवा छलकपट आदि, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए पूर्णतया अनेतिक हो सकते हैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आवश्यक गुण हैं । हम यहीं तक कह सकते हैं कि बतंमान विश्व में शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो दोष आगये हैं और जो राष्ट्रों को युद्ध की ओर अग्रसर करते हैं वे मैकियावली के उद्देश्यों के परिणाम-स्वरूप ही हैं । मैकियावली ने ही अपने 'प्रिन्स' को किसी भी मूल्य पर राज्य वी सीमाओं में वृद्धि करने के लिए प्रोत्माहित किया था । मैकियावली आक्रमण को राजा के लिए एक आवश्यक गुण मानता है और उसने ही भौतिक हितों के रक्षायं हिसा का प्रयोग करने का उपदेश दिया था । दूसरे शब्दों में वह स्पष्ट रूप से युद्ध को राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति का एक आवश्यक गति मानता है । वह स्पष्ट रूप से ऐसे उपदेश देता है जिनकी ओर हमारे बाल के महानतम् व्यक्ति भी केवल सकेन ही कर सकते हैं । कम से कम वह सत्यवादी और स्पष्टवक्ता अवश्य था और उसने इटली की एकता तथा इटली के राष्ट्रीय हितों के रक्षायं जो कुछ भी आवश्यक समझा उनको प्रकट करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं किया । यहीं सिद्धान्त अधिकाश राजनीतिज्ञ भी अपनाने हैं किन्तु कोई भी स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा करने का साहम नहीं कर सकता । वे इस सम्बन्ध में फोरेंटिक महाद के परामर्शं का अनुसरण करते हैं जिसके अनुसार मैकियावली की जनता के समक्ष आलोचना किन्तु व्यक्तिगत रूप में प्रशंसा करनी चाहिए । हॉम की भाँति मैकियावली के लिए भी यह सत्य है कि उसका मानव स्वभाव के गत्वान् में अस्थन्त ही निराशावादी रुद्धिकोण है । उसके मतानुमार अधिकाश व्यक्ति बृद्धिहीन व अविवेकी हैं । उनका मत है :

"जनता प्राप्य, मिथ्या हितों द्वारा छली जाकर, अपने विनाश की इच्छा स्वयं

करती है। विभासंयुक्त समाधो में उपस्थित मनुष्यों ने निरीक्षण किया होगा कि प्रायः उनके मत वित्तने आनन्दमूलक होते हैं और वास्तव में यदि उनको उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्देशित न किया जाय तो वे तबहीन एवं विवेदहीन होंगे।”

(भाष्य (Discourses) २ नूमिदा पृ० २२४)

मैंविद्यावनी बा यह निश्चित मत है कि अधिकांश व्यक्तियों वे वायों वा प्राधार तर्वं न होकर भावनाएँ होती हैं। उनके भनुमार प्रेम एवं नय ही व्यक्तियों के वायों के लिए सदसे मुख्य उद्देश्य है :—

“..... मनुष्य अपने समस्त वायों में दो मुख्य प्रेरणामों द्वारा प्रोत्ताहित होते हैं— प्रेम एवं नय। इनसिए जो अपने आपको प्रिय बनाता है उसका भी उतना ही प्रशाव होगा जितना कि अपने आपको भयानक बनाने वाले वा। यद्यपि, साधारणतः, जो अपने आपको भयानक बनाता है उसका शीघ्रता से अनुसरता एवं आक्षा पानन होगा अपेक्षाहृत उनके जो कि अपने आपको प्रिय बनाता है।”

(भाष्य (Discourses) ३ पृ० १५६)

इनके साथ ही साथ वह ऐश्वर्य, प्रेम, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षामों वो भी शक्ति-शाली प्रेरक पानता है।

मैंविद्यावली आवश्यक रूप से राजतत्र वा पक्षपाती नहीं है। व्यक्तिगत शारणों वो धीर्घकर वह यणतन्त्र के पदा में है। बिन्दु उसके भनुमार यणतन्त्र की स्थापना के लिए बुद्ध गुणों वा अस्तित्व आवश्यक है और इन गुणों की अनुपस्थिति में उसके भनुमार राजतन्त्र अधिक मुरक्कित राजनीतिक व्यवस्था है। उनके भनुमार—

“विसी भी प्रकार को व्यवस्था स्थापित करने वा बेबल यही मार्ग है.... कि राजतन्त्रीय शामन की स्थापना की जाय। वयोंकि वही प्रजाजन सर्वेनः इतने अच्छ है कि वानून नियन्त्रण के लिए स्वयं शक्तिहीन है, यह आवश्यक हो जाता है कि विसी उत्कृष्ट शक्ति की स्थापना वो जाय जो कि राजनीति हस्त (Royalhand) द्वारा अवशा सम्पूर्ण एवं निरंकुश शक्तियों द्वारा शक्ति-शालियों की अत्यधिक अद्विकांशा एवं भण्टरा वो संप्रभ में रख सके।”

(भाष्य, (Discourses) पृ० २१०-११)

एक वैज्ञानिक वी सी विरक्ति में मैंविद्यावली एक और यणतन्त्र के राजनीतिक मिठान्तों की और दूसरी और निरंकुश शासन की व्याप्ति बरता है। हमें मैंविद्यावली वी 'ग्रिस' में शक्ति-राजनीति के मिठान्तों वे अधिकतत वे लिए निन्दा नहीं करनी चाहिए। हम, साधारणतया उसे अत्याचारी शासक एवं शक्ति-राजनीतिश दार्शनिक मानते हैं बिन्दु उसका दूसरा फ़र भी या। वह यणतन्त्र एवं जनता वी स्वतन्त्रतायों वा अत्यधिक पक्षपाती या :—

“प्रशसनीय व्यक्तियों में सर्वप्रथम स्थान के योग्य धार्मिक लेखक व संस्कारक रहे हैं, उन्वें उपरान्त यणतन्त्र अवशा राजतन्त्र वे स्थापकों वा स्थान है। शेष

धर्मसंघो की प्रशंसा का वह भाग प्राप्त होता है जिसका सम्बन्ध उनके कार्यों एवं ध्यवसायों से है। इसके विपरीत वे आवश्यक और सांबंदलीकिक घृणा के पात्र हैं जिन्होंने घमों का विनाश किया एवं गणतन्त्र और राजतन्त्र को पलटा है, अथवा जो कि गुण, विद्या, और उस प्रत्येक कला के; जो कि मानवता के लिए हितप्रद और ग्रादरणीय है; के गग्नु है। ऐसे सौंग आधर्मी, हिंसक, अज्ञानी, भासली, अथवा भी इतने मूलं अथवा विद्वान्, दृष्ट अथवा भले नहीं हैं कि इन दोनों गुणों के मध्यान्तर चूनाव में प्रशंसनीय की प्रशंसा और दोषपूर्वक की उपेक्षा न करें। परन्तु फिर भी कृत्रिम साधुता तथा कृत्रिम यश द्वारा छलित, स्वेच्छापूर्वक अथवा अज्ञानवश उनकी और आकर्षित होते हैं जो कि प्रशंसा की अपेक्षा उपेक्षा के बोग्य हैं। गणतन्त्र या राज्य की स्थापना से शाश्वत गोरख प्राप्त कर सकें, इतने भाद्र, सुरक्षा, सतोष और मानसिक शान्ति को वे हो देते हैं। और कितना अपयश, कलह, दोष, और शान्ति के प्राप्त करते हैं……।" (भाष्य पृष्ठ १२२-२३)

मैकियावली के भाष्य का यह धंश अत्याचारी शासनों की आलोचना से परिपूर्ण है।

मैकियावली ने वेदम् जनता की स्वतन्त्रताओं को जनता के लिए सुरक्षित रखने के लिए हड़ नीति भपनाने की आवश्यकता का परामर्श दिया है। मैकियावली की आदान कला का सबसे महान् विचारक कहा जा सकता है। वह नवीन विजित गणतन्त्रों में या नवीन स्थापित राजतन्त्रों में निर्देशी-शक्ति के प्रयोग का परामर्श देता है। किन्तु इस निर्देशी-शक्ति का प्रयोग राज्य की सुरक्षा एवं हड़ स्थापना के लिए ही है।

"…… विजेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सब क्रूरताओं का प्रयोग एक साथ करे ताकि उसे नित्य प्रति उनका आध्रम न लेना पड़े और इस प्रकार नूतन परिवर्तन न करे और जनता को दुनः विश्वास दिलाने और उनको साम पहुँचा कर अपनी ओर करने में सफल हो सके। जो कोई भी कायरता अथवा भ्रनुचित विमर्श के कारण दूसरे प्रकार से कायं करता है उसको सांघर्ष एवं तत्पर रहना होता है। वह अपनी प्रजा पर कभी निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि प्रजा निरन्तर नवीनतम् शक्तियों के कारण उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती।"

(ग्रिन्स पृष्ठ ३५)

ज्ञासक की द्विधा मैकियावली के अनुसार अत्यन्त ही घातक हो सकती है। उसे शीघ्रता एवं निश्चयात्मक ढग से कायं करना है।

"सद्य बुद्धिमान् शासक" वर्तमान का ही नहीं अपितु भविष्य के संघर्षों का भी ध्यान रखते हैं और अमूर्खक उनसे अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि पूर्वभाग हो जाने से वे सरलतापूर्वक सुधारे जा सकते हैं। परन्तु, यदि कोई

उनके प्रागमग तक ठहरता है तो भीषणि परिस्थिति के मनुकूल नहीं रहती और रोग असाध्य हो जाता है ।……… अतः राज्यन्कायों में भी ऐसा ही होता है क्योंकि भविष्य में जल्म सेने वाली युद्धायाँ, जो कि यत्नमान में निर्माण घपत्या में ही हैं, का ज्ञान (जो कि यत्नमान सामर्थ्य में ही है) ही जाने के पारण उनका सरक्षणापूर्वक चपचार हो सकता है ।"

(प्रियत पृष्ठ १०-११)

जागन इसा हेतु मैत्रियावसी एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना के पोतण वा परामर्श देता है और भाडे के संनिवेदी के प्रयोग की उपेक्षा करता है ।—

"जागन युद्धायं सेनाएँ" स्वयं राजा की, भाडे की, यहायतायं घपवा निश्चिन्ह होती है । भाडे की घपवा गहायतायं सेनाएँ व्यर्थ एवं भयवर होती है और यदि राज्य की युद्धाया भाडे की सेनाएँ यों द्वारा होती हैं, तो वह राज्य कभी भी युद्ध एवं विघ्न नहीं हो सकता । इसका बारण इन सेनाओं की पृष्ठ, महत्वाकांक्षा, मनुमानहीनता, दृष्टिज्ञान या मिश्रों के गम्भुग्य शूरता और शत्रुओं ने भी इसा प्रदणित करती है । इनसे ईश्वरीय प्रबोध का किञ्चित् भाव भी भय नहीं होता और मनुष्यों के प्रति घर्मनिष्ठा का अनिष्टान वर्ती करते । पात्रमण इषणित रहने तक ही सर्वनाय में वित्तन्य हो सकता है वयोगि जानिकाल में इन भाडे की सेनाओं द्वारा और युद्धाकाल में शत्रु द्वारा विनाश होता है । इसका बारण यह है कि युद्ध वेतन के अनिरिक्त देश प्रेम घपवा घपव वीई ऐसी प्रेरणा नहीं होती जो उनसे प्राप्ते प्रति जोवनदाल के निमित्त प्रोत्याहित कर सके ।" (प्रियत पृष्ठ ४४-४५)

मैत्रियावसी के इस प्रध्ययन में हम हम निष्ठादं पर पहुँचते हैं कि हमारी शतान्द्री और सम्पत्ता के प्रमुख जगह, उशहरणन्या, मिथ्याभाषण, प्रादृश्यर, कपट एवं हिन्दी भी सापन के द्वारा सफलता प्राप्त करना वास्तव में मैत्रियावसी को देन है । वैयक्तिक जीवन में भी केवल सफल व्यक्तियों का ही पादर होता है और हम उसकी सफलतायों के सापनों का कभी भाव्यपण नहीं करते । हम सपन व्यक्ति के सम्बन्ध में उन बहुत भी बातों को दर्शा कर देते हैं जिनकी कि व्यक्ति के मस्तक होने पर हम तीव्र यात्रोचना एवं निष्ठा परते हैं । दलीय-राजनीति एवं विभिन्न दलों की राज्य-क्रिया प्राप्त करने हेतु प्रति श्रीपणे प्रतिस्पर्धा, घनरोप्त्रीय दोष में राज्यों के वीच प्रतिस्पर्धा के दमान ही है । दोनों में ही उसी प्रकार के सापनों एवं प्रलालियों का प्रयोग होता है और यापारएतः सपनता उम्हीं सापनों द्वारा प्राप्त की जाती है जो कि वैतिष शोटी परकभी उते सिद्ध नहीं होते । पूर्णार्थी, भूष्टाचार, यमकी, जापसाजी इत्यादि याप्य का प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार में पाये जाने हैं और इन सब की विशेष उन्हें

'प्रिंस' से मिली है। मैकियावली के उपदेश इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं और हमारे दूसरे व्यक्तियों, दलों और राष्ट्रों के प्रति वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में इतने प्रतिबिम्बित होते हैं कि हम उनको सरलता से निश्चय-पूर्वक एक महान् आधुनिक विचारक कह सकते हैं। उनका ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का अध्ययन और उनके सम्बन्ध में भविष्यवाणी भूतपूर्व है और उनके लिए, जो कि किसी भी मूल्य पर सकलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सलाह अत्यन्त ही उचित है। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उनका मानवीय जीवन कार्यों का अनुभव और मानव मनोविज्ञान का अध्ययन दोनों ही अत्यन्त विस्तृत एवं गहन था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है मैकियावली की अत्यधिक निन्दा हुई है और उन्हे गलत समझा गया है। अधिकांश विचारकों की दृष्टि में वे उल्लंघन में डालने वाली समस्या और आधुनिक इतिहास की एक पहेली हैं। इस सम्बन्ध में प्रो॰ सेंबाइन का कथन है—

"उसको पूर्णतया सनकी, उत्कट देशभक्त, प्रचड़ राष्ट्रवादी, राजनीतिक जैसुइट, हठ विश्वासी, प्रजातन्त्रवादी और निरकुण राजाओं से किसी भी प्रकार से अनुग्रह प्राप्त करने वाला बतलाया गया है। इन दृष्टिकोणों में से प्रत्येक में, जो प्राप्ति में प्रतिकूल है, सम्भवत् सत्य का कुछ न कुछ अश अवश्य है। किन्तु यह कदाचिं सत्य नहीं है कि इनमें से कोई अकेला मैकियावली या उसके विचारों का पूर्ण चित्रण बरता है। उसके विचार एक सच्चे प्रयोग से अनुभव करने वाले के समान थे, जिनकी उत्पत्ति विस्तृत राजनीतिक पर्यवेक्षण एवं उससे भी अधिक राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप हुई थी। उनके विचारों में कोई विशेष दार्शनिक व्यवस्था नहीं थी जिनके साथ कि वह अपने निरीक्षणों को सम्बन्धित करने का प्रयत्न करते।"

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृष्ठ ३०१)

इस पर भी उनकी पुस्तकों का सबसे प्रमुख लक्षण उनकी रचि का एक ही विषय पर केन्द्रीयकरण व एकाप्रचित्त होने शक्ति है। वह व्यावहारिक राजनीति के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं लिखते हैं। उनकी पुस्तकों शासन-कला एवं वूटनीति के सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। उनकी सेंडान्टिक समस्याओं में प्रायः कोई रचि नहीं थी, न वह सामाजिक और प्रार्थित समस्याओं में ही रचि रखते थे और न उन्हें हम वास्तविक घर्थों में सिद्धान्तवादी ही कह सकते हैं। वह इतने अधिक व्यावहारिक थे कि दार्शनिक हो ही नहीं सकते थे। किन्तु विशुद्ध राजनीति के खोल में उनका व्यावहारिक ज्ञान एवं दूरदर्शी पर्यवेक्षण भद्रभूत है।

"ऐसे समय में जब कि यूरोप की प्राचीन राजनीति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही थी तथा राज्य व समाज में नवीन समस्याओं का प्रति द्रुतगति से प्रादुर्भाव हो रहा था, उसने पटनामों के घर्थ की ताकिक व्यास्था, अवश्य-

भावी प्रश्नों पर भविष्यवाणी, और ऐसे नियमों के निर्माण करने की चेष्टा की जो कि तब से राजनीतिक काष्ठों का निर्देशन कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय जीवन की नवीन निमित दग्धों में विस्तृत हो रहे हैं।"

(एतो एवं कैनूनिक धारानिवार इतिहास, मात्र १ पृष्ठ २००)

प्राधिनिक भूरोप का राजनीतिक इतिहास और विशेष स्थ से राज्य व्यवस्था के लक्षण, जो कि भौतिकावती के समय में ऐसा भावने बातें थे, उनका उसने पूर्ण-तया सही विश्वेषण अपनी वृत्तियों में किया है। यही कारण है कि उनकी व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं में सकारांत रूप एवं अदार्जनिक कृतियों की घटनाएँ भी उनको सब आलोचक धार्यनिक बाल का एक महाद्व विचारक भावनते हैं।

तथापि प्रो० संवाइन के समान ही वित्तपद्य सेवक या आलोचक उसकी शृंखियों को सारणभित्ति नहीं मानते। इसका कारण यह है कि केवल उपने पामन-वसा पर ही विशिष्ट अध्ययन तिया है प्रो० वह भी एक विशिष्ट प्रशान्ति एवं हृष्टिरोग से। भास्ति-राजनीति आधुनिक राजनीति का, राष्ट्रीय एवं भन्नराष्ट्रीय दोनों ही दंत्रों में, एक वास्तविक तथ्य है। प्रतः सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में शक्ति एक महत्वपूर्ण घण्टे के कारण उत्तेजित नहीं हो गई। परन्तु वेदल यह ही एक घण्टे नहीं है और न ही यह मानवीय सम्बन्धों एवं राजनीतिशास्त्र का धन्तिम सिद्धात है। अतः प्रो० संवाइन इस निष्पत्यं पर पहुँचते हैं।

‘दहू दर्भन, जो कि राजनीति की सफलताओं पर अमरकृताधारों को शामक की कार्यदशाता एवं अधोभूता पर निर्भर करता है, मरवरयमेव अल्पग होगा। मैंकियावली समाज में नेतृत्व, पारिषद और आधिक तत्वों को ऐसी शक्तियों समझता था, जिनमें कि एक बुगल राजनीतिभ राज्य के हिताप्य व्यवहार में सकता है और जिन्हें कि वह उसके लिए उत्पन्न भी कर सकता है, और यह केवल मान्यताधारों की स्वस्य व्यवस्था के लिए ही नहीं अपितु प्रचलित व्यवस्था में सामयिक प्रभाव रखने के लिए आवश्यक भी है। यह निश्चित है कि मैंकियावली ने बेदस किंपय मिथ्या विश्वासों से प्रुक्त इसी निवासियों के अतिरिक्त यूरोप के १६ बी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रबन्धित योरोपीय विचारधारा को प्रतुचित प्रसार से हमारे समझ प्रस्तुत किया है। उसकी दोनों पूस्तकों पाठेन लूगर के विटनवर्ग के चर्च के द्वार पर प्रथमी धीमिम लगाने की १० वर्ष की प्रवधि में ही जिसी गई थीं। प्रोटेस्टेण्ट धर्म-भूमधार का ही यह प्रभाव हुआ कि उसके पश्चात् मध्यसालीन युग के अधिराज भाग की अरेदा आधुनिक राजनीति और राजनीतिक दिचारों का पर्यंत एवं धार्मिक दिचारों से सम्बन्ध हुआ। मैंकियावली की धार्मिक सत्यों के प्रति उदारीकरण ग्रन्त में आधुनिक दिचारों का एक भामान्य दर्शाय हो गई। इन्हें सा, उसके लिखने के दो गताब्दी पश्चात् हुआ, सत्य नहीं था। इस प्रथं में उसके दर्गत में कोई भासीएंडा का प्राप्तान होता है और केवल उसके युग

का ही प्रतीक है। यदि उसने इटली के अतिरिक्त और इसी देश में या इटली में ही घर्म सुधार के पश्चात् या रोमन वैष्णोलिक चर्च में सुधार को रोकने के लिए जो सुधार हुआ था, के पश्चात् लिखा होना तो यह मानना असम्भव है कि उसने घर्म के साथ भी वही व्यवहार किया होता जो कि किया है।" (राजनीतिक सिद्धान्तों का इतिहास पृष्ठ ३०२)

यह मैत्रियावली का बदाचिन् कठोर, अन्यायपूर्ण मूल्यांकन है। उसका दर्शन मले ही १६ वीं शताब्दी के इटालियन राज्यों की गतीण शक्ति-राजनीति से प्रभावित हुआ हो किन्तु वह वेवल उसके युग का ही प्रतीक कदापि नहीं है जैसा कि प्रो० संवादन का बधन है।

हम यह पूर्णतया गिद्ध कर सकते हैं कि आधुनिक राज्य व्यवस्था मैत्रियावली युग की इटली की राज्य व्यवस्था का ही वृत्त रूप है। उसका आधुनिक अन्तर्विद्वीय सम्बन्धों पर गहन प्रभाव एवं आधुनिक विचार पारा के मूल तत्वों का उसका ज्ञान स्वयं सिद्ध है और इनके इसी भी प्रभावण की आवश्यकता नहीं है। अतः हम निश्चित रूप से वह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक वैज्ञानिक या। इतिहास को एक तरफ रखने हुए हम यह कह सकते हैं कि मैत्रियावली ने चर्च में सुधार के द्वारा साधारण शक्ति द्वारा घर्म के घर्म के प्रति विट्टोण में परिवर्तन घाने के पूर्व ही घर्म को सासारिक बना दिया एवं राज्य के ग्रथीनस्थ कर दिया और इस घर्म में वह चर्च के सुधार का अनुगामी नेता है। ज्ञान के पुनर्जन्म की प्रवृत्ति भ घर्म द्वारा सासारिक बनाने की प्रवृत्ति द्वारा मैत्रियावली के विचारों में पूर्णतया प्रतिनिधित्व हुआ है। यह सत्य है कि मैत्रियावली वीं शक्तिशाली इटियों द्वारा नष्ट करने द्वारा इन प्रवृत्तियों में शक्ति नहीं। इन सासारिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप मानवीय मूर्तिपूजा (Paganism) का जन्म हुआ और मैत्रियावली इस मानवीय मूर्तिपूजा का प्रशंगक था। यह भी सत्य है कि इस मूर्तिपूजा का इटली और इटली के बाहर विराघ हुआ किन्तु इस सासारिकता का प्रभाव चर्च में घर्म सुधार और इन घर्म सुधार से रक्षा करने के लिए सुधारों पर भी प्रभाव पड़ा था। यदि चर्च में घर्म सुधार न हुआ होता तो यूरोप की धार्मिक एकता नष्ट न हुई होती, राष्ट्रीय चर्चों का निर्माण न हुआ होता तथा यथार्थ में राष्ट्र-राज्यों की स्थापना न हुई होनी। मैत्रियावली के विचारों का प्रभाव सम्पूर्ण आधुनिक इतिहास में पाया जाता है और वह यथार्थ में राष्ट्र-राज्यों का दार्शनिक है।

‘इच्छा, न कि शक्ति, राज्य का आधार है’

प्रत्येक प्रजातन्त्रीय राज्य में स्वेच्छा, न कि शक्ति राज्य का आधार है। यदि जनना को जनता के हेतु और जनता के ही द्वारा भगवार स्थापित करनी है तो यह स्वभावतः धारण्यक है कि ये राज्य का आधार इच्छा हो, न कि शक्ति। आदर्श-बादियों, विशेष रूप में टॉ॰ एच॰ ग्रीन, वा यह विश्वास है कि राज्य का बास्तविक आधार इच्छा है, न कि शक्ति।

ग्रीन के लिए राज्य सामान्य उद्देश्य की सामान्य खेतना का ग्रन्ति करने है। इसकी विशेषता नैतिक प्रकृति है। शक्ति का उद्योग, नागरिकों की सामान्य होने के लिए यह धारण्यक है कि उम्मीद नैतिक टॉट्टि में उचित ठहराया जाय। किंतु भी समाज का राजनीतिक संगठन तथा नक्कलीस नहीं है जब तक कि उसके भृत्यों में खेतना राजनीतिक इच्छा का तत्व विद्यमान न हो। नागरिकों द्वारा यह धारणा होना चाहिए कि राज्य की प्रांदिशात्मक सत्ता का प्रयोग उनके सामान्य हित के लिए ही हो रहा है और राज्य द्वारा निश्चय ही जनता के सामान्य हित की बहुतात से साम्य रखता हुआ है। राज्य की सत्ता और नियमों के पालन का आधार और शीघ्रतये इनके द्वारा सामान्य हितों की रक्षा में ही है। सापारणकामा नागरिक बानूनों वा पालन इस-लिए नहीं करते कि वे सामान्य हितों की रक्षा करने हैं बल्कि इसलिए कि धरवाहा के फलस्वरूप उन्हें निश्चित हृषि में दण्ड मिलेगा और साथ ही समयना के विकास के कानून पालन करने वी आदत वा भी विकास उनमें ही गया है। परन्तु किसी भी प्रादर्श राजनीतिक समाज में आज्ञा पालन का आधार दण्ड का भय ही स्वभावतः प्राज्ञा पालन की प्रपेक्षा यह जेतना होनी चाहिए कि राज्य के नियम सामान्य हितों में बृद्धि और रक्षा करते हैं। केवल उन्हीं राज्यों में, जिनकी नीति वा आधार सामान्य हितों की बृद्धि है, प्राज्ञा पालन अधिकार्य-इच्छा पर आधारित है जिन्हें उन राज्यों की नैतिक द्वयवस्थाओं में जहाँ राज्य री नीति किंसी राजा, अधिकार्यक पालन में समाज के नाग वी रक्षा करती है, प्राज्ञा पालन का आधार दण्ड का भय या स्वभावतः आज्ञा पालन होगा जो कि नितिये इच्छा के अस्तित्व को प्रादर्शित करता है।

टी० एच० ग्रीन, प्रास्टिन के प्रभुता के सिद्धात पर, जिसके अनुसार जनता राज्य की आज्ञामो का पालन दड़ के भय, अथवा स्वभाव के कारण करती है, अस्वीकार करता है। यदि किसी समाज में नागरिकों का आचरण बेवल भय के द्वारा ही निर्देशित होता है तो हम उसे वास्तविक राजनीतिक समाज नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्प काल के लिए शक्ति के अत्यधिक प्रयोग द्वारा तंपुर या चोर या दोई विजेता या निरकुश शासक जनता को भयभीत करके तत्क्षण एवं पूण आज्ञा पालन कराने में सफल हो जाय, परन्तु वह किसी भी वास्तविक राजनीतिक समाज में स्थाई रूप से निर्देश नहीं बर सकता। टी० एच० ग्रीन इस प्रकार प्रास्टिन के शक्ति को प्रधानता देने के सिद्धात की अस्वीकार करता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में शक्ति का तत्व वास्तव में उपस्थित है और रहेगा विन्तु शक्ति का आधिक्य स्वेच्छा न तत्व को, जो कि किसी भी राजनीतिक समुदाय का वास्तविक आधार है, विनष्ट कर देगा।

शक्ति, राज्य का आवश्यक गुण है, यह अधिकारों की व्यवस्था और राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए बत्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है; किन्तु इसका न तो यह अर्थ है और न हा सकता है कि राज्य का आधार शक्ति ही है। शक्ति अधिकार व्यवस्था को बनाये रख सकती है किन्तु अधिकारों को जन्म नहीं दे सकती है। इनका हड़ आधार टी० एच० ग्रीन के अनुसार 'सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना,' या इसो के अनुसार 'गामान्य इच्छा' है। राज्य को बनाये रखने के लिए शक्ति आवश्यक है, क्योंकि नागरिकों में यद्यपि सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना हाती भी है, तो भी वे उन कानूनों के भग होने से, जो कि सामान्य हितों की रक्षा एवं वृद्धि करते हैं रोकने के लिए नहीं है। साधारणत, अधिकाश नागरिक निपिल्य होते हैं। वे राज्य पर और राज्य के शक्ति तापनों पर अपने अधिकारा और स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए निर्भर रहते हैं। समाज-विरोधी व्यक्तियों रो अपनी रक्षा स्वयं अपने प्रयत्नों से करने की अपेक्षा वे राज्य से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरणत यदि कोई चोर प्राप्ते पठोसी के मकान में घुसने को चेष्टा कर रहा है और आप उसे देख भी सेते हैं तो भी आप उस चोर को समाज-विरोधी कार्यों से रोकने के लिए दौड़ नहीं पड़ेगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप स्वयं समाज-विरोधी हैं या आपको चोर के कार्यों से सहानुभूति है। आप यह भी नहीं चाहेगे कि चोर बचवर भाग जावे। यदि राज्य से चोर को कारावास अथवा दड़ मिलता है तो न तो आप उसका विरोध करेंगे और न किसी प्रकार की आधा ढालेंगे, भरपिनु भाप राज्य के इस कार्य की सराहना ही करेंगे। इसका अर्थ केवल यह है कि आप निपिल्य प्रकार के नागरिक हैं। यद्यपि आप में सामान्य हितों की चेतना अवश्य है, किन्तु

फिर भी, प्राप्त राज्य के रानुवों को रक्षा के लिए—दूसरे शब्दों में ही सामान्य हितों को रक्षा के लिए—प्रपने आप को सचमुच में आमने के लिए तत्त्व नहीं हैं। सख्त प्रयोग में, प्राप्त उम्म प्रकार के महिला नागरिक नहीं हैं जो कि राज्य में शक्ति के तत्त्व वा रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।

यह उदाहरण राज्य के शक्ति माध्यमों वा आवश्यकता को पूर्णतया मिछ करता है।

अब इसके दूसरे पक्ष वो सीजिए। यदि नागरिकों वा बद्दा समूह राज्य के किसी कानून अधिकार आज्ञा का जेतन रूप में विरोध करता है तो राज्य की मध्यांग शक्ति के प्रयोग पर भी राज्य के लिए आज्ञा प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से प्रसन्नत नहीं भार सकता और न ही भी राज्य प्रपने अधिकार नागरिकों को जेतन के सीक्चों में ही बन्द बर सकता है। यदि राज्य का विरोध चेननन्दच्छ्वा अपवा इस विवाह पर, कि ऐसा बरना नैतिक हृष्टि से उचित है, आवारित है तो शक्ति अन्त में अंदर से राज्य वो नहीं बनाये रख सकती। भारत में शक्तिनाली ड्रिटिश साम्राज्य वा पतन इमलिए दृष्टि कि वह शक्ति और अधिकार व्यक्तियों की निपिय इच्छा पर आधारित या। जिस दारु ड्रिटिश मत्ता से निपिय सहयोग के स्थान पर नैतिक विरोध शुरू हुआ तभी में शक्ति अंदरी उम्म अलावाल वो भी, जिमने कि बास्तव में इष शक्ति से घनहृयोग किया या, आज्ञा प्राप्त के लिए बाध्य न कर सको। समवतः एक प्रतिशत से भी अधिक जनना ने निपिय विरोध म किया या, और इस विरोध की प्रहितात्मक प्रहृति थी, किर भी कभी-कभी राज्य वे लिए उनबो नियशित करना बठिन हो जाता या। यह अंदरी शक्ति वी पराजय वा उदाहरण है और यह मिछ करता है कि शक्ति अंदरी राज्य वा स्थाई रूप से नहीं बनाये रख सकती।

स्वभावतः आज्ञापालन भी उभी उक होता है जब तक कि प्रभु, जनना के सामान्य हितायं एवं रुद्धिगत विचारों पर आक्रमण नहीं करता है। जनना के रीति-रिवाजों एवं रुद्धियों पर कोई भी आक्रमण, चाहे वह कितना ही प्रत्यक्ष एवं अस्पष्ट रूप से वयो न हो, वभी उभी प्रभु के लिए हानिकारक सिद होगे और उसके विनाश में सहायक होंगे। इतिहास जनना के द्वारा निरकुण प्रभुमता के हटाये जाने के उदाहरणों से भरा हुआ है। पीटर महात्र निरकुण भास्तव होने पर भी रुद्धियों वा आपुनिर नहीं बना सका और न सग्राम जोलेक ही हूंगरी के मग्यार जाति वालों वो जर्मन भाषा भीखने के लिए बाध्य बर सका। राज्य के द्वारा शक्ति के उपयोग वी निपित्त आंतरिक सीमाएँ हैं और कोई भी शासन उन सीमाओं का प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी शासक या राज्य जनना के सामान्य उद्देश्यों वी सामान्य चेतना पर आक्रमण न करे प्रत्यया कभी न इभी उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जायगा। इसी भी समाज में अनिम स्पष्ट से शक्ति, भास्तविम के नितिक शक्ति है। इस सम्बन्ध में प्रो॰ बाह्यर वा कथन है कि :-

"सामान्य चेतना, जो कि पवित्रता का निर्माण करती है, ही केवल समुदाय के मन्त्रियों और प्रतिनिधियों को गति दे सकती है। विश्वास या चेतना भ्रष्टिकारों को उत्पन्न करती है। वह ही कानून या नियमों की व्यवस्था, जिनके द्वारा यह भ्रष्टिकार बनाये रखे हैं, और उस प्रभु को जिनका विशेष वायं कि इन कानूनों को प्रकाशित एवं लागू करना है, उत्पन्न करता है, और पूर्ण गति एवं सामन्जश्वता के द्वारा उन समस्त जीवित सम्भागों का, जो कि उन भ्रष्टिकारों व कानूनों की मूलत्ववृहत है, पा पोपण करता है।"

सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना को नागरिकों में कैसे विकसित किया जाय, एक ऐसी सामान्य है जिसके हल के लिए प्रजातन्त्रीय विचारकों को ध्यान देना चाहिए। निर्धनता, भ्रष्टानता और इनके कानूनवृहत जो मानवीय धरित्र पतन के कारण हैं, साधुनिक उत्पादन की पूँजीवादी व्यवस्था के भ्रमिल अग्न हैं और यह सामान्य चेतना के विचार में निश्चित रूप से वापक हैं। इच्छा या राजनीतिक चेतना के विचार के लिए यह भावश्यक है कि नागरिक वा अपने देश के शासन में पुरुष न कुछ भाग अवश्य मिले उनको समुदाय व नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्षिय होना चाहिए। उनको मत और पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनको नियन्त्रणों एवं अप्रस्थक प्रभावों से स्वतन्त्र होना चाहिए। सधोप में, उनकी इच्छा भनोवैशानिक शोपण की प्रणालियों के द्वारा नियमित न होकर विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। प्रजातन्त्र की गफलता और नागरिकों के अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं हेतु पूर्ण उपयोग करने के लिए राजनीतिक चेतना का विकास अत्यन्त भावश्यक है।

यदि नागरिक को यह विश्वास है कि राज्य का कोई भी कायं सामान्य हित के लिए हानिकारक है परवा उसकी प्राप्ति वे लिए बन्धन है तो राज्य का विरोध करना उसका कर्तव्य है। यदि हम इच्छा को राज्य का ग्राधार मानते हैं तो नागरिकों के राज्य का विरोध करने का अधिकार हमें स्वीकार करना होगा। ग्रीन, व्यक्ति को यह अधिकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक देता है। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए भावश्यक है कि वह विरोध करने या न करने के अधिकार की सावधानीपूर्वक जाच करे। यदि विरोध करने से समाज की परिषक हानि होती है तो विरोध करना सामान्य हित में नहीं होगा और यदि विरोध न करने और भागापालन करने से परिषक हानि होती है तो व्यक्ति को राज्य की भाजा का विरोध करना ही होगा।

यदि हम इस प्रकार रावधानीपूर्वक दिये गये विरोध करने के अधिकार का विश्लेषण करें तो इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि विरोध करने वाले व्यक्ति को दो युराइयों में से छोटी युराई को प्रणालन पड़ेगा। विन्मु यह अनुचित इष्टिकोण है; वयोवि युराई के राय कोई भी समझौता, जाहे यह इसी भी कारण से यो न हो, अनेतिक है। व्यक्ति को न सों भच्छे और युरे के बीच में चुआव करने में भिन्नता ही चाहिए और न युराई के साथ इष्टिए समझौता करना चाहिए कि

ममाज क लिए प्रथमा ऐसा न करने पर ममाज प्रथमा इय के निए कठिनाईयों उत्तरान हो जाएंगा। अन्याय एवं बुराई का विरोध करना पूर्णतया एक नीतिक कर्त्तव्य है। यदि राज्य वा आवार इच्छा है तो उपके वायों को नापरिसों ही इच्छा के प्रत्युष्टन ही होना पड़ेगा। इनमें नीतिक भी विचलित होने पर राज्य की गता के विच्छु नापरिसों द्वारा विरोध होगा और यह विरोध सरन का अधिकार इसी एवं वास्तविक राजनीतिक नमुदाय वा अन्य वृद्धि के निए आवश्यक है। केवल यह प्रधिकार ही व्यक्ति की, राजनीतिक नमुदाय द्वारा अन्याय प्रथमा शक्ति के दुष्प्रयोगों से रक्षा कर सकता है।

ऐसा सम्बन्ध है कि राज्य की इच्छा और व्यक्तियों की व्याप्त इच्छा में कभी सर्वं हो जाय। ऐसी वर्तमितियों में दानों प्रियार्थी इच्छायों में नुनाद किष प्रदार किया जाय? राज्य इस बात का दावा कर गवता है कि वह मामान्य इच्छा वा वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है और व्यक्ति को इस तरह द्वारा नियंत्र कर सकता है जिसकी इच्छा, जौँकि वह राज्य का विरोध करती है, वास्तविक इच्छा नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो यह अनुदारणा पा निरतुण्डा का गोपण करगी और उक्ता मामान्य इच्छा वा इय वेश में उनित ठहराने का प्रयत्न करेगी।

मामान्य इच्छा के मिलान से दुष्प्रयोग सम्बन्ध है और हुआ भी है। प्रायः प्रत्येक युग में मर्मी गाय यह दावा करते आये हैं कि वह जनता वी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके एवं गामान्य इति वी रक्षा एवं वृद्धि के लिए है। राज्य का यह दावा प्रवक्ता या नुस किंतों ही प्रत्युमिति में अस्वीकार करना चाहित है। प्रधिनायकन्व प्रोग निरतुण्ड शायह भी वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, और हर प्राग के विरोध को वे ममाज विरोधों और राज्य व जनता के हित के विरुद्ध बतलाने हैं। जब तक जनता वी निपिय व्याप्त इच्छा इन शायकों को स्वीकार करती है तब तक इनके इस दावे का गहन करना चाहित है। परने प्रधिकारों एवं स्वनन्दनायों वी रक्षा करना और पह देखना, कि राज्य के वायं मामान्य हिनों पर ही आधारित है, जनता का ही वायं है। यदि जनता प्रथम प्रति पह कर्त्तव्य करने में अमफस होती है तो वह राजनीतिक नमुदाय निश्चित रूप से अन्यार्थी व निरतुण्ड शामका द्वारा शासित होगा। इस्तु यह दूर्घटना मिल विद्या हुया तथ्य है कि ऐसे शामक भी तभी तक शामन कर सकेंगे जब तक जनता उनका नियम रूप से विराप नहीं करती है। यह निपिय रूप में प्राज्ञानासन भय, उदासीनता या मर्मोवेजानिक गोपण के द्वारा हो सकता है।

अब हम इस सम्प्ति के दूसरे दश की देखेंगे। हम मामान्य जेतुना, के अस्तित्व के बार म रूप निश्चय कर सकते हैं, प्रथमा हरष्ट जल्दों में किसी भी विगेप प्रति के ऊपर मामान्य चेतना बढ़ा है, इसका पना हम केंगे समावेश? केवल सख्ता के द्वारा ही यह पना नहीं लगाया जा सकता। यह मावन्दव नहीं है कि मर्मी इच्छा वा बहुमत की इच्छा ही रही है। बहुमत भी आवाचार करता है और कर-

सकता है। ऐसा सत्याचार सबसे प्रनुचित प्रकार वा होता है। इस सम्बन्ध में बाल्टर लिपमैन का कथन है :—

“... साधारणतया प्रजातप्रीय सखारो की प्रवृत्ति अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रसन्न रखने वी होती है। यही वरण है कि सरकारें, राज्य में जनमत और प्रतिनिधि सभायों के निष्ठायिक हो जाने पर वास्तविकता का सामना परने से उस समय, जब कि मतदाताओं के भुकावों वा विरोध करने वाला कोई भी राज्य विशारद नहीं होता और ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो कि वेयल उनको उत्तो जित करके उनका शोषण करते हैं, असमय होती है।”

(जन दर्शन (The Public Philosophy) पृष्ठ ४०)

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ग्रासर्स और शासित दोनों इस बात का दावा कर सकते हैं कि उन्हें सामान्य हित वा ज्ञान है और दोनों से इसका दुरपयोग होने वी सम्भावना बराबर है। राज्य की सक्रिय इच्छा पर हम वैसे आवागति करें, यह राजनीतिशास्त्र की एक ऐसी समस्या है जिसका हल भवित्य के विचारक सम्भवतः बनेंगे। तब तक यह कहना अधिक उचित होगा कि सब प्रकार के राज्य, जिनमें प्रजातन्त्र भी समितित है, निष्ठिय एवं निष्ठेष्ट इच्छा पर आधारित हैं। प्रजातन्त्र की हम भले ही यह प्रशंसा दरों कि वह शासितों की इच्छा पर आधारित है किन्तु वास्तव में यह इच्छा अधिकार नागरिकों के लिए भी उतनी ही किञ्चित्, निष्ठेष्ट, अशिक्षित और मनोवैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा निमित होती है जैसे कि अधिनायक तन्मों में। दार्शनिक हृष्टि से इन दोनों प्रणालियों के मध्य कोई भी वास्तविक परिय अथवा विशेष चुनाव नहीं है। इन दोनों में से कोई भी वास्तविक एवं सक्रिय अथवा शिक्षित इच्छा पर आधारित नहीं है। इस प्रकार हम इस निष्ठव्य पर पहुँचते हैं कि शक्ति भले ही राज्य के निर्माण में अथवा उसे बनाये रखने में रहायर रही हो किन्तु प्रत्येक राज्य का आधार इच्छा ही हो सकती है।

हमारे रामदा अब यह समस्या है कि हम इस सामान्य चेतना वा सामान्य इच्छा को व्यक्तिगत इच्छा से कैसे सम्बन्धित करें। क्या है और क्या होना चाहिए, इसमें सदैव यथेष्ट अन्तर रहा है। इसी प्रकार व्यक्तिगत इच्छा जो कि उस इच्छा से, जो कि होती चाहिए, भिन्न होती है। हम यह आशा नहीं बरते हैं और ऐसी आशा करना एक धार्षनिक भावदर्श होगा कि रामाज वा प्रत्येक सदस्य इस सामान्य इच्छा वो जानता है अथवा सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना के निर्माण में उसकी इच्छा भी निहित है। साधारणत, उसको मामाजिक या राजनीतिक जीवन की आवश्यकता की चेतना भी नहीं होती। हममें से अधिकार इस समस्या के प्रति उदासीन हैं और उन्होंनो सम्भवतः इतनी समाज-विरोधी प्रवृत्तियों के हैं कि उनकी चेतन इच्छा, जो कि सामान्य इच्छा होनी चाहिए, वे एकदम विपरीत है। इस वास्तविक धार्षना वो हल करने के लिये हीगल ने व्यक्तियों वी दो इच्छाओं वा निर्माण

विया है— यथार्थ इच्छा, जो कि हम साधारणता, समाज के प्रत्येक गदरस्य में पाले हैं। यह इच्छा सामान्य हित, सामाजिक और राजनीतिक सङ्गठनों के प्रति उदामीन होती है। प्रोट दूसरे प्रवार की वास्तविक इच्छा या वह इच्छा जो हीनी चाहिए और जिस इच्छा के होने पर हम प्रादर्श नागरिक होते और जो हमें सामाजिक एवं राजनीतिक सङ्गठनों से उस सीमा तक महयोग बराती है जो कि सामान्य हित के प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। किन्तु इच्छाओं के इस वर्गीकरण के साथ हीपल ने यह भी स्वीकार किया है कि समाज के अधिकांश व्यक्तियों में बेदल यथार्थ इच्छा ही होती है और इसी कारण में प्रादर्श राष्ट्रीय राज्य की अनीभित सत्ता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह प्रजिक्षित और उदामीन मदम्यों में वास्तविक इच्छा के अनुसार कार्य बरा भरे। दूसरे शब्दों में, यह वह भवने है कि राज्य ही सामान्य हित की सामान्य चेतना को सर्वोत्तम रूप से अभिश्वक्त कर सकता है। इसलिए राज्य ही सर्वोच्च होना चाहिए और उसके निर्णयों को मद्दत स्वीकार करना होगा। व्यक्ति वो उसके न चाहने पर भी प्रच्छें जीवन की ओर से जाना ही होगा।

ग्रीन के मामूल भी यह बढ़िनाई पाती है प्रोट वह इस समस्या को सावधानी पूर्वक हल करता है। प्रौढ़ बाकर के अनुसार :—

“वह नैतिक वर्त्तन्य, जिनको कि हम यह स्वीकार करते हैं, उन्हीं सोनों से अंकुरित होते हैं जिनमें कि राजनीतिक अपीनता दत्त्यन होती है और जहाँ तक हमारी एक के प्रति स्फुतिमान चेतना होती है वही तक हम दूसरे को भी स्वीकार करते हैं। प्रश्नेक अवस्था में हम यह स्वभावः और स्वच्छन्दना से बेतन देने वाले और बेतन पाने वाले; वरीदने वाले और बेचने वाले के साधारण सम्बन्धों अधिकारों के स्वामी की हैसियत से दूसरों को स्वीकार करते हैं और अपने प्रति दूसरों से स्वीकृति का दावा बाने हैं। चाहे हम कानून के द्वारा बितने ही स्थानित सामान्य हिन के प्रावश्यक प्रारम्भिक विचार के माव से अनभिज्ञ हो किन्तु इसमें स्वीकृति गमित है। महत्वपूर्ण है कि यह हमें ‘स्वामिभक्त प्रजातन’ से अधिक नहीं बनाती और यह भी मत्य है कि एक समझदार देश भर की ओटी तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को राज्य के कार्यों में मान निनता, और सदस्यता प्रदाना वस से कम प्रान्तीय या राष्ट्रीय सदनों के भाग-प्रियात वी हैसियत होना प्रावश्यक है। किन्तु ग्रीन प्रजातन्त्र या राजनीतिक मुखारों की समस्याओं वा अपने भाषणों में समावेश नहीं बराता। जैसा कि हम देख सके हैं कि वह बन्धनान राज्यों के वास्तविक जीवन के थारारों वो समझाने या विस्तैपण करने में ही मनुष्ट है। वह यह बड़नाने में ही यन्तुष्ट है कि प्रजातन्त्र का सावधूत विदान्त ‘गति, न कि इच्छा, ही राज्य का प्राप्तार है’ सदैव है और मदा रहेगा। वह एक ऐसे मत्य वो कि किमी विशेष रूपस्या के माय मावभौमिक मह व्यापक है

मोर न कह ऐसे सामय के एक विशेष द्यनहार पर मणित प्रभाव देकर उसके सच्चूट मे गही डासना चाहता । उसके वास्तविक जीवन से और उसके सिद्धान्तों के तरंग से हमें यह बता चलता है कि यह सामय की प्रतिनिधि प्रणाली मोर विस्तृत मताधिकार मे विश्वास रखता था जिसु राज्य मे सागड़न से घणित उसकी इसमे भी कि राज्य घणी शक्तियों से बदा करता है या कर सकता है । भूमि और सुरापान की सामाजिक समस्याएँ उसके स्थान को सबसे घणित घणित करती हैं ।"

(इन्होंने यह का राजनीतिक वर्णन १८४०-१८५४, पृष्ठ २५,३०)

प्रजातांत्रीय व्यवस्था मे भी व्यक्ति घणने घापको सामान्य इच्छा से स्वतः ही समीकरण गही करता है । घणितवश सामय मे यह व्यवस्था या उद्दीनता के बारए सामाजिक सामया राजनीतिक सामस्याओं मे न तो रुचि लेता है और न यह पता साधने का प्रयत्न करता है कि सामान्य इच्छा क्या है । यह घणी इच्छा को देता गही किंतु क्षेत्रता है । सामान्य इच्छा से भी कठिन सामस्या यह पता साधने द्वीप है या सामान्य हित बना है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है । सामान्यहित के साम्बन्ध मे सामंत्रीकिक सामगति हो ही गही सकती । हम मे से घणितवश व्यक्तियों को सामान्य हित के विषय मे घणाट जान ही हंता है । घापक प्रभाव द्वीप मई प्रणालियों जिनका एकमात्र उद्देश्य मनोवैज्ञानिक शोषण है, हम से सामान्यहित के साम्बन्ध मे हमारे जातियों के गत को मनवा रोकी है । प्रचार के साधनों मे इतना घणित विकास हुआ है कि कोई भी घणितायक या राजनीतिक दल सारसतापूर्वक जगता से घणने रखायी को सामान्य हितों के रूप मे स्वीकार करने मे सफल हो सकता है ।

जिसु फिर भी हम इतना घणस्य कहेंगे कि जिसी भी राजनीतिक समुदाय वे इधायिता एवं घणितवश के इक्षितों से राज्य के जिए इच्छा सबसे घणित घणस्य बुले हैं । यह द्रूपरो यात है कि ऐसी इच्छा विश्वास या जान पर भाषारित हो या मनोवैज्ञानिक शोषण के तरीको द्वारा उत्पन्न वी नई हो । सामान्य उद्देश्यों द्वीप सामान्य जेतना भले ही साम्बन्ध न हो जिसु एक सीमा तक सामान्य उद्देश्यों के गूस-भूत घायारो मे सामान्य विश्वास होता है तथा सहगति वा सामान्य धोन भी किसी अंश तक पाया जाया है । विभेद एवं विभिन्नताएँ घणितर विस्तार मे पाई जाती हैं ।

मार्वर्संवाद की रूपरेखा

हेमल के दर्शन की मुहर दो गान्धाएँ हुईं। एक सो राष्ट्रीय मार्वर्संवाद, जिसका कि शीमवी शताव्दी का एक स्वत्त्व पासितम है और दूसरा द्वंद्वात्मक भीतिवाद जिसका कि वरिगाम हम साध्यवाद पाते हैं। वालं मार्वर्स और उसके विचार बाद-विवाद और मध्यम के विषय रहे हैं और अब भी हैं। मार्वर्संवादी दर्शन विश्ववे इतिहास में युग परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। यह दर्शन एक नये वर्ग का दर्शन है— एक ऐसे वर्ग का जो वि धरण्य शताव्दियों से सदैव दृढ़ा था रहा था, जिसका राज्य ने हमेशा उत्तीर्ण किया और इसको सर्वप्रथम मार्वर्स ने शासनेतिक हृष्टि से स्थीरता दिया। यह वर्ग उन व्यक्तियों का है जिनके पास अपना बहने के लिए कुछ नहीं है। पूँजीवाद के उदय होने पर एक ऐसे नये वर्ग का जन्म हुआ जिसके पास अपना-अपना कहने के लिए अपने शारीरिक घर के अनिस्तिक और पुरुष नहीं था। मार्वर्संवाद सबसे यथिक विकल्प और मरम्मत विश्ववे इतिहासिक वाद है। मार्वर्संवादीय हेमल वादी फार्मिस्टों से सबसे भिन्न सामाजिक मदस्थों के प्रति माननीयता का हृष्टिकोश रखता है। मार्वर्संवादी दर्शन के अपनी विश्वास हेतु प्रयोग में लाना है। उसका यह विश्वास है कि ऐतिहासिक भवित्ववाली सामाजिक समस्याओं का हन बरने के लिए सबसे बेधानिक मार्ग है। मार्वर्संवाद विश्वदर्शितात्मिक मिदान्त है और उसका उद्देश्य आधिक एवं शक्ति शासनीयि के दिलास की, विशेषतः सामाजिक व राजनीतिक शान्तियों की, भवित्ववाली करना है। उसके आधिक भनुमत्यानों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। उसका बारग यह है कि उसके आधिक भनुमत्यानों का उद्देश्य ऐतिहासिक भवित्ववाली करना था। मार्वर्संवाद मिदान्त नहीं है, यह वे वस्त ऐतिहासिक विश्वेषण की एक प्रणाली है। मार्वर्संवादी इतिहास की आधिक व्याख्या उसके बाद थे मिदान्तों का आधार है। उसका बहना है :—

“शक्ति या अस्तित्व उग्री चेतना विश्वन नहीं बरनी है जिसु उसा सामाजिक अस्तित्व या अग्नियतया जिसी भी गमाज में प्रचलित उल्लङ्घन प्रणाली के भनसार निश्चित होती है। मार्वर्संवादी अपनाएँ भी आधिक बारग

को रायरो धार्यिक महत्व देता है। प्रथेक ऐतिहासिक युग में दो वर्ग रहे हैं। एक शोषण परने वाला और दूसरा शोधित वर्ग साज तक जिनमी भी सामाजिक, धार्यिक व राजनीतिक प्रान्तियाँ हुई हैं उन राय ने भी इस भाष्यारभूत सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया है। साम्यवादी प्रान्ति के पश्चात् दो वर्ग-विभाजित समाज का इतिहास में सर्व प्रथम अन्त होगा और तब समाज जिनके पास सम्पत्ति है और जिनके पास नहीं है तबा शोषण करने वालों और शोधितों में विभाजित नहीं होगा। ऐसी प्रान्ति करने के लिये वेदल सर्वहारा वर्ग ही योग्य है, 'क्योंकि इस वर्ग की प्रान्ति से कोई हानि नहीं है, साम ही साम है।' इतिहास में सर्वप्रथम यहुमत के हाथ में राज्य भी शक्ति आयगी और प्रान्ति के पश्चात् वर्ग-सम्पर्क का अन्त हो जायगा और तब प्रान्ति के बाद वाले युग में वेदल एक ही वर्ग होगा।

मध्यमवर्गीय प्रान्ति की राज्य प्रान्ति द्वारा एक नये पूँजीपति वर्ग को राज्य की शक्ति प्राप्त हुई। इस वर्ग के साथ-साथ एक नये वर्ग का जन्म और हुआ जो कि वेदल वेतन भोगी वर्ग या जिसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। न तो इस प्रान्ति ने और न इसे पहले होने वाली किसी भी प्रान्ति ने जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता दी क्योंकि इन प्रान्तियों द्वारा केवल राज्य के स्वामी और शोषण करने वाले वर्ग के सदस्यों में परिवर्तन हुआ। वास्तविक स्वतन्त्रता वेदल एक वर्ग विहीन समाज, जिसमें से सब धार्यिक, सामाजिक या राजनीतिक विभिन्नता अन्त हो चुकी हो, मे ही संभव है। ऐसे वर्ग विहीन समाज गी स्थापना के हेतु और वर्तमान सामाजिक और धार्यिक द्वाये में सम्पूर्ण परिवर्तन करने हेतु एक हिसासक प्रांति की धावश्यता होगी। यह सर्वहारा वर्ग का ऐतिहासिक प्रारम्भ होगा जो कि ऐसी प्रांति द्वारा वर्ग हीन रामाज की स्थापना करेगा।

वालों के अनुसार धावश्यक सामाजिक अम ही वरेसा पूँजी उत्पन्न करता है दूसरे कोई भी सर्व महत्व पूर्ण नहीं है। उनके अनुसार :

"प्रथेक वस्तु का मूल्य, जिसमें अम वी साक्षा रखें हुई है और धावश्यक अम का समय प्रकट हुआ है किसी भी विशेष सामाजिक दशा में जो कि उत्पादन में धावश्यक है; निश्चित होता है।" या

जैसा कि कालं कोट्सवी पहता है कि :—

"वह कोई भी यत्तु इतिहास मूल्य रखती है क्योंकि उत्तरे समाजिक या सामाज्य मानवीय अम का रामायेन होता है।"

माक्स्ट, अम वे अतिरिक्त उत्पादन के ग्रन्थ सत्त्वो के प्रति उदासीन है। पूँजी, कच्छा माल या दूसरे विभिन्न सहाय्या सत्त्वो वो वस्तु के मूल्य निर्धारण में लिए धावश्यक नहीं मानता है। मतिम इप से यह दूसरे सब तत्त्व मानवीय अम ही है।

उसके पनुआर मानवीय थम शक्ति ही समस्त प्राकृतिक देनों की उनके मूल्य में परिणाम करती है। प्राकृतिक साधन, विना मानवीय थम वे त तो सद्य पूँजी ही जाते हैं और न उनका बोई भूल्य है। ऐबल तभी हम उनका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जब कि थम ने उनको समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का स्वप्न दे दिया हो। मात्र संपूँजी को ऐबल सचित थम मानना है। पूँजीपति के लाभ वे प्रतिरिक्ष मूल्य हैं जिसको कि वह हरण कर लेता है। संवाइन ने अतिरिक्ष मूल्य को इस प्रकार समझाया है :—

“.....प्रपने मजदूरों के संन्यीकरण व छंगठन के द्वारा पूँजीपति यह निश्चित करता है कि थम शक्ति वे लर्च से जो वस्तु उत्पन्न हुई उमड़ी मात्रा, थम शक्ति वा जो मूल्य दिया गया है, उससे भविक हो। थम शक्ति, जो कि गर्व होती है उस मूल्य से, जो कि उसके बदसे में कान आने वाला थम है, वही भविक उत्पन्न करती है। इस प्रतिरिक्ष मूल्य में से ही सब लाभ, व्याज पौर किराया निवारता है, क्योंकि थम या मान्य विसी के विनियम, से ही उसके मूल्य में बोई वृद्धि नहीं होती।”

(राजनीतिक सिद्धांत वा इतिहास पृष्ठ ६५७)

मात्रमें ने पूँजीवाद वा मवसे उत्तम विश्वेषण दिया है। उमका कथन है कि पूँजी में ही उसके दिनार के दोन वर्वदारा वर्ग वे हर मेर मधिहिन हैं। उमका यह भी विद्वास था कि श्रीदोगिक व्रान्ति वे विवास के माध्य-साध निर्धन और भी निर्धन होते जाएंगे और पूँजीपति भविक घनवान होते जायेंगे और इस कारण से समाज में दुख और शोपण की अभिशृद्धि होती जायगी। मात्रमें ने जब यह भविष्यवाली थी तो उसे यह पता न था कि राजव के पूँजीपति और निर्धनों के दोन में हस्तयोपकरने से तथा मयुर स्वन्य व्यापार के विकास से उगड़ी यह भविष्यवाली सही नहीं उत्तरेगी। प्रो० संवाइन के गव्डो में :—

“मात्रमें ने ऐसे विषयों, जैसे कि सुमय समय पर बार बार होने वाली उपस्थुति, सम्पन्नता वाल मेरी दोषे स्थायी श्रीदोगिक वेवारी, बुझत कला-वौगल वा नई मणीनों द्वारा विवास, निपुण थम वा अनिपुण द्वारा स्थापन, घडदोगी व्यापारों की बड़ी मेहनत और मवसे निम्न वर्ग के वेवार सर्वहारा वर्ग की वृद्धि, वा वास्तविक वर्णन विया। प्रपने ऐतिहासिक अध्ययनों वे समान ही मात्रमें वा प्रमुख एवं विशेष लक्षण श्रीदोगिकरण के सामाजिक प्रभाव, उसके परिवार जैसे प्रारम्भिक सामाजिक समुदाय वो निर्वस बनाने वी प्रवृत्ति और अन्ततः उगड़े द्वारा उत्पन्न मानवीय गमस्थायी, जैसे विषयों पर और देना था। इन गव्डों निष्पत्ति यह पा-

कि पूँजीवाद विशेषतया पराश्रमी है और समाज के मानवीय तत्त्वों का दाय करता है।"

(राजनीतिक सिद्धान्तों का इतिहास पृष्ठ ६५५)

मावसं के सिद्धान्तों के अनुसार निजी सम्पत्ति के, जो कि व्यक्ति ने अपने श्रम से उपार्जित न की हो या जो उस पर आधारित न हो, अधिकार नहीं दिये जा सकते। कम से कम उसको दूसरों के भाग्य व जीवन पर नियन्त्रण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। किसी को हम शक्ति साधनों के नियन्त्रण का अधिकार नहीं दें सकते क्योंकि ऐसा अधिकार हमें सम्पत्तिशाली वर्ग वे द्वारा सामजिक शोषण हेतु उपयोग में आएगा। एक नई सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि मजदूरों या सर्वहारा वर्ग के बहुमत वो अपने भाग्य का नियन्त्रण व निर्देश का अधिकार हो, मावसंवाद का सबसे महत्वपूर्ण बायं है। मावसंवादी के लिए उस अल्पमत था, जिसके पास अपने आर्थिक शक्ति के कारण राजनीतिक शक्ति का नियन्त्रण भी है, नट करना आवश्यक है। शासकों में परिवर्तन बरने के पूर्व शासितों की दशा में परिवर्तन करना सभव नहीं है। मावसं राज्य को शक्ति का एक अस्त्र मानता है। यह अस्त्र सर्वहारा वर्ग को अपने हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए अपने हाथ में रखना ही होगा।

राज्य को अपने हाथ में करना सरल कायं नहीं है। जिनके पाम यह शक्ति वा अस्त्र है वे इसे पासानी से नहीं छोड़े गे। इसलिए मावसं अहिंसात्मक क्रान्ति के पदा में नहीं है। वह हिंसा का प्रशसक नहीं है किन्तु वह उसे आवश्यक समझता है और उसकी तुलना एक दाई से बरता है जो कि नवीन समाज को प्रसव पीड़ा को कम बरने में सहायक होगी। इस नवीन समाज वा जन्म एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और शक्ति वेवल एक उत्प्रेरक का कायं बरती है। पूँजीवादी युग का शोषण, हिंसात्मक क्रान्ति की हिंसा की अगेका कही अधिक हिंसात्मक है। अपने जीवन के अन्तिम काल में उसने यह भी कहा था कि हिंसा उन देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ पर कि सर्वहारा वर्ग को भनाधिकार का अधिकार मिल चुका है, जैसे कि हालैण्ड, इंडिया आदि। यह भविष्यवत्तारी १९५६ में भारत के केरल राज्य में भी पूर्ण हुई है।

अहिंसात्मक क्रान्ति और राज्य की शक्ति को अपने हाथ में कर लेने के पश्चात् सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र की स्थापना होगी। समाज वे अब वेवल एक ही वर्ग होगा और उस वर्ग के हित समान होगे और इन हितों का प्रतिनिधित्व वेवल सर्वहारा वर्ग वा राजनीतिक दस ही वर सकेगा। यह सर्वहारा वर्ग वा अधिनायक तन्त्र राज्य की शक्ति का उपयोग दो प्रवार के उद्देश्यों से करेगा। (१) मध्यम वर्ग वे हारा किर से क्रान्ति वो रोकने के लिए तथा (२) राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग वे अधिनायकतन्त्र वे दो मुख्य वार्ग होंगे— मावसंवादी क्रान्ति का एकत्री रण और सर्वहारा वर्ग के हितों की वृद्धि।

प्रत्येक उच्चतर साम्यवाद की, जिसमें 'प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार, और प्रत्येक को उसकी प्रावश्यकतानुसार' का सिद्धान्त अपनाया जायगा, स्थापना होगी, तब राज्य वा दाय हो जायगा और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र वा भी इन्होंने हो जायगा। यह परिवर्तन वैसे होगा, समझता सरल नहीं है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र में राजनीतिक और प्रार्थिक दोनों शक्तियों वा राज्य में अभूतपूर्व विवेद्यवरण होगा। यह हमारी समझ के बाहर है कि यह अत्यधिक नेत्रोऽयवरण वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए वैसे मार्ग निर्देशन दरेगा जो कि मार्क्स-वाद वा अन्तिम सद्दर्थ है। यदि आपको पूर्व वीं ओर जाना हो और आप पश्चिम की ओर रवाना हो जावें तो आप भले ही संदाचित्त रूप से तब द्वारा मिठ बरने में सफल हो जावें कि पूर्वी गोल है इसलिए आप व भी न कभी पूर्व की ओर पैदेंगे ही इन्हुंने ध्यावहारिक हृष्टि से यह तक हास्यास्पद होगा। यदि हमारा अन्तिम सद्दर्थ एक विवेद्यवरण वर्ग विहीन समाज की स्थापना है तो वहो न हम प्रारम्भ से ही विवेद्यवरण के मार्ग की अपनावें। जिन सोसो के हाथ में शक्ति होती है, वहें वे भले ही सर्वहारा वर्ग के सदस्य हो, उनके लिए शक्ति वा परित्याग बरना स्वभावतः प्रत्यक्षभव होता है। मार्क्सवाद में राज्य की प्रादेशात्मक शक्ति के अन्त होने पर उसका स्थान लेने वाले सामाजिक व शक्ति रहित प्रादेशों के विषास व निर्माण और इन नवीन आदिशों के लिए नवीन प्रादर्श सत्याग्रो व निर्माण पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। मार्क्सवादियों ने यह सब कार्य भविष्य के लिए घोट दिये हैं और इस सदाचय में कोई भी रचनात्मक वार्य नहीं किया है।

मक्षेप में यह मार्क्सवाद के सार्वभूत सिद्धान्त है। इन्हें भाष्य-साध बहुत से और भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हमारा विचार बरना आवश्यक है।

साम्यवादियों का मत है कि इस नवीन समाज में 'प्रत्येक से उसकी योग्यता वे अनुसार और प्रत्येक को उसकी प्रावश्यकता के अनुसार' व्यवहार विया जायगा। इन्हुंने योग्यता और प्रावश्यकताओं की बमोटी क्या होगी? इन्होंने विशेष व्यक्ति की प्रावश्यकताओं का निर्धारण करना बारतव में प्रसन्नन्द नहीं हो कठिन मतरर है। साधारणतया व्यक्ति की मूल मूल प्रावश्यकताओं—भोजन, आथय, वस्त्र, न्यूनतम अवकाश और जीवन वीं जीने योग्य बनाने वाले सुखो—की परिमूर्ति में कोई भी एक मत हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि हम जिस प्रकार एक टाक्टर प्रदेश बुद्धि-जीवी या बासाकार वीं प्रावश्यकताओं की निर्धारिति कर लेने हैं। भूजन प्रबूतियों को सतुष्ट बरने के लिए यह प्रावश्यक है कि हम उन्हें एक निश्चित भावा में सूख के वे साधन दें जो कि एक अमज्जीवी के लिए प्रावश्यक नहीं हैं। सदोंप में प्रावश्यकताओं में अतर वे साथ माप भोगताएँ में इतर सर्व अंतिम रूपों। साम्यवादी समाज की

स्थापना के अन्तिम रान में इन प्रावश्यकताओं का निर्णयिक सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तन्त्र होगा, और इसका भी क्या विश्वास है कि शक्ति का घब तक जैसा दुरुपयोग होता रहा है, भविध में वैसा दुरुपयोग नहीं होगा।

यह उचित है कि कुछ व्यक्तियों को बहुलता प्रदान करने से पूर्व समृद्धि व्यक्तियों की मूल भूत प्रावश्यकताओं की सतुष्टि हो। इस सीमा तक वेवल साम्यवाद ही तक मुक्त है। किन्तु उम्मीदवाले के घागे हमें सामाजिक हितों के प्रति मनुदानों की विषयता, वेतन की विषयता आदि स्वीकार करनी ही होगी। वास्तविक जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक मापदण्ड होते हैं और ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होते हैं। प्रधान मन्त्री और सदान में कार्य करने वाले अधिक की प्रावश्यकताएँ सर्वथा भिन्न होगी। यह भिन्नता इसलिए नहीं है कि शक्ति को दिखावे या ऐश्वर्य को आवश्यकता होती है किन्तु इसलिए कि प्रधान मन्त्री को जो कार्य करने पड़ते हैं वह अधिक से भिन्न प्रकार के हैं और उनके लिए सामाजिक स्तरों की विभिन्नता आवश्यक है। यह वास्तव में एक कठिन समस्या है किन्तु कम से कम समता का यह सिद्धांत हमारे ध्यान को इस मूल भूत और महत्वपूर्ण सत्य की ओर आकर्षित करता है कि आर्थिक समता को स्थापना प्रावश्यकताओं के आधार पर हो सकती है। यह योग्यताओं से अधिक सुरक्षित आधार प्रदान करते हैं। किन्तु इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने में हमें विरोध कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योग्यताओं के समान आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। अपने अम से अर्जित अपनी निजी सम्पत्ति के अधिकारों की किसी सीमा तक स्वीकृति होनी ही चाहिए। इस अधिकार की सीमा वेवल अधिष्ठित वी दूसरों के जीवन और स्वतन्त्रता पर शक्ति प्रदान करने तक ही सीमित होनी चाहिए है। उत्तराधिकार वास्तव में हितकारी है यदि वह दुर्बल और अपनी अपनी आर्थिक सरक्षण प्रदान करता है। उत्तराधिकारी को सम्पत्ति के द्वारा भालस्यपूर्ण एवं वितासी जीवन व्यतीत करने के लिए न हो। बिना परिस्थित द्वारा प्राप्त जीविका पर आधित रहना अपमत्तम पराध्यता है।

हम उत्पादन के उन साधनों का, जो कि समाज में लिए घट्यन्त महत्वपूर्ण हैं, समाजीवरण कर सकते हैं। किन्तु दूसरे खेत्रों में व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में अपने व्यवसायों को बलाने की पूर्ण स्वनव्हता होनी चाहिए। भूमि का स्वामित्व उन व्यक्तियों के पास में होना चाहिए जो कि उसको जोतते हैं। शक्ति के द्वारा उनका समर्थकरण नहीं होना चाहिए। स्वामित्व और स्वायत्तीकरण का आकर्षण उतना ही पुरातन है जितना कि मानव दृतिहास। यह मानव अकृति का एक अभिन्न भग है। अरस्तू का यह सिद्धांत यथेष्ट रूप से सही है कि प्रत्येक की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं है और किसी की भी सम्पत्ति प्रत्येक की सम्पत्ति है। यह हमारा प्रतिदिन का सामान्य मनुभव है कि जनता के सदस्य सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रायः दुरुपयोग ही करते हैं। एक किसान

धर्मनी भूमि पर गामूहिक हृषि कोष में अधिक धन्दा कार्य रहेगा। हमें यह जीवियों की सह्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। किसी भी समाज में निम्न मध्यमवर्ग वी प्रथिक सह्या ही स्वापित्व और व्यवस्था का सबसे पढ़ा योग्य है। उनका समाज में शान्ति-पूर्ण स्वामादिक प्रवरथा की रक्षा में व्यक्तिगत हित है। वेदल मय यही है कि वे अनुदारता के गण ही मरते हैं और हर प्रवार की उन्नति का विरोध कर सकते हैं।

साम्यवाद वर्ग-समर्पण और पूरण के सिद्धातों का प्रचार करता है। हम किसी भी वृद्धमत को, जहाँ वह वृद्धमत रितना ही अधिक बर्याँ न हो, अल्पमत के विनाश के अधिकार का नहीं दे सकते हैं। किसी भी समाज की पक्षे सदाचारों के जीवन व रक्षन-न्त्रन के अधिकार को धीरने का प्रधिकार नहीं दिया जा सकता। हम पूँजीवादी व्यवस्था की निन्दा इसलिए बरते हैं कि वह एक अल्पमत को भरने हित में एवं प्रत्य-पिक वृद्धगठ की स्वतन्त्रता के अपराधणा का प्रधिकार देता है। यही खिढ़ान विमी वृद्धमत के लिए भी सत्य है। जो कि पहले बाले उदाहरण में घनेतिक है, वह दूसरे में भी अवश्य होगा। हम उनकी स्थिति में शरिकतें बर मरने हैं, और उनकी योग्यताओं के प्रनुभार समाज में उनका स्थान पुनः निर्धारित कर मरने हैं। बिन्तु हम किसी बालण में किसी भी वृद्धमत को इस अल्पमत के विनाश का प्रधिकार नहीं दे सकते। वृद्धमत का अत्याचार भी एक आत्याचार ही है। वेदल सह्या किसी प्रनुभित कार्य को उचित नहीं बना सकती।

विचार और प्रभिष्यति पर नियमण तथा जीवन का भर्त्योऽग्न्यु व्यक्तित्व के दिवाम के लिए प्रातः होता है। एक दलीय राज्य किसी भी प्रवार की प्रानोचना और विरोध को सहन नहीं का सकता। वह चाहता है कि प्रथेह उनकी नीति एवं आदर्शों को मान्यता दे और जो विरोध की प्रावाज उठाते हैं उनका निर्देशतामुख दमन दिया जाना है। ऐसे राज्य में मृजन प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है और व्यक्ति बेवज यन्त्रवद् हो जाते हैं। दुष्क की बात है कि वाल्टेयर की गहियानुवादी किसी भी गाम्यवादी समाज में भद्रगुण नहीं है। विचारों व प्रभिष्यति की स्वतन्त्रता व्यक्ति के विनाश और सामाजिक स्थिति के लिये उठनी ही प्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण है जितना कि प्रावारभूत भीतिक गुल जो कि साम्यवाद देने का बादा करता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि पेट की ही मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण धरण मानते हैं बिन्तु वे मूल जाते हैं कि बेवज मस्तिष्क ही उन्नति और अन्तेज जीवन में योग देता है और मन्त्रिक वो पेट की मांगों के प्रधीन नहीं दिया जा सकता है।

मात्रने और उमरे गिरातों की प्रत्यन्त तीव्र एवं उचित धानोचना प्रो० बालं पोरर ने धर्मनी पुस्तक 'स्वतन्त्र समाज और उसके गम्भ' में यही है। पोरर का भी यह विचार है कि मात्रमें प्रन्य बाल्यनिक प्रादर्शं राज्य में विचारम रखने वाले समाजवादियों के समान ही है। गार्वमें ऐतिहासिक भविष्यवादी में विचारम रखना का और उसने

गांधीजी के लिए व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मात्रा है। और हर व्यक्ति का ध्येय आत्मानुभूति होना चाहिए। गांधी जी का ईश्वर में प्रटृप्त विश्वास था। धर्म को दूसरे सातारिक कार्यों से अलग करने में बहु विश्वास नहीं करते थे। राजनीति को यद्यपि वह एक अच्छी वस्तु नहीं समझते थे और उन्होंने इसकी तुलना एक सर्व से दी है; तथापि उनका विश्वास था कि यदि आप सामाजिक जीवन चाहते हैं—और कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता—इसलिए व्यक्ति को राजनीति में भाग लेना ही पड़ेगा। किन्तु उसे यह चाहिए कि वह भाग लेना हुए भी उसको दुराई को अधिक से अधिक बम करने वा प्रयत्न करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य राजनीति में धर्म का सम्मिश्रण करना है वह धर्म और धर्म से सम्बन्धित सब विषयों की हँसी उड़ाने की आधुनिक प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी आत्मव्याप्ति में लिखा है—‘जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं, वह यह नहीं जानते कि धर्म वा वया अर्थ है।’ (भाग २, पृ० ५६१) उनके अनुसार ईश्वर में विश्वास अहिंसा के मानने वालों के लिए आवश्यक है। ईश्वरीय विश्वास वे विना व्यक्ति हिंसा की ओर अप्सर होगा। साधारणतया नास्तिक अपनी आत्म रक्षा के लिए हिंसा और शारीरिक शक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं। ईश्वर के विषय में उनकी परिभाषा इस प्रकार की है जिसको स्वीकार करने में किसी भी भो कोई अप्रति नहीं हो सकती। उनके अनुसार ‘सत्य’ ही ‘ईश्वर’ है और सत्य ही ईश्वरीय-नियम है।

आत्मानुभूति के लिए यत्य वा जान आवश्यक है। गांधीजी के लिए ईश्वर और व्यक्ति परस्पर विरोधी वस्तुएँ नहीं हैं। आत्मा व्यक्ति का ईश्वर और गृहिणी के अन्य जीवों के साथ एक य प्रदान करती है। व्यक्ति का नैतिक पूनरुत्थान तभी समव होगा, जबकि वह आत्मानुभूति करने में सफल होगा, और आत्मानुभूति तभी होगी जबकि वह सत्य से परिचित हो जाएगा। सत्य, जो कि साध्य है, अहिंसात्मक है, अतः इस सत्य वो प्राप्त करने के साधन भी अहिंसात्मक होने चाहिए। गांधी-दर्शन का एक मुख्य सिद्धान्त साध्य-साधन सामजिक है।

गांधीजी वा सर्वोदय सिद्धान्त और बैन्धव का उपयोगितावादी सिद्धान्त पूर्णतः भिन्न है। उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य को वह कार्य करने चाहिए जिससे अधिक रो अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित हो। गांधीजी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार उपयोगितावाद एक हृदयहीन सिद्धान्त है, जो कि ५१ प्रतिशत के लाभ के लिए ४६ प्रतिशत की बलि दे सकता है। किन्तु सर्वोदय और उपयोगिता वाद में उस सीमा तक साम्य है, जहाँ तक कि अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित करने वा प्रश्न है; किन्तु हस सीमा के पश्चात् उन दोनों में कोई साम्य नहीं है। किसी भी गांधीवादी के लिए एकमात्र ध्येय सब

की भवार्द्ध ही हो सकती है। और उम ध्येय को प्राप्त करने के लिए वह आपना विजिदान तक दे सकता है, विस्तु कोई भी उपर्योगितावादी इस मीमा तक जाने के लिए तत्पर नहीं होगा।

इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो माधव अपनाये जाएँ वे ध्येय के प्रबन्धन ही होने चाहिए। एक थोड़ा साध्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा माधव भी आवश्यकता है। गांधीजी इस प्राप्तिकर गतिनीतिक मिदान में विश्वास नहीं रखने ये कि थोड़ा साध्य को प्राप्त करने के लिए इर प्राप्त के माधव उचित है। न वे साम्यवादी, पासिस्ट और ऐसी ही विचारणागत्रों के मानने वालों गे महसून है कि हिमा और कपट आदि अनेक माधव भी उचित हैं, यदि वे हमें अपने साध्य को प्राप्त करने में मद्दत करें। गांधीजी के लिए माध्य और पापन में कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुमार नीतिक और उत्तम ध्येय का हम नभी प्राप्त हर मरुमे जरकि हमारे साधन भी नैतिक और उत्तम हों। माधवों भी विशुद्धता उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। योग यह नहीं भी प्रतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि उनके लिए साधन ही मर्मस्व है। उन्होंने लिखा है कि यदि हम माधवों का ध्यान रखें तो साध्य स्वयं ठीक होगा। दूसरे माधवों के प्रयोग से यह नम्भव है कि हमें कभी-कभी शीघ्र सफलता मिल जाय, किन्तु यह सफलता शालिक होती। हिमा, कपट और हमों प्रकार अन्य मैत्रियावित्तिक माधव कुछ समय के लिए भवेही सत्य और व्याय पर विचय पा जाएँ, किन्तु उन माधवों द्वारा प्राप्त सफलता प्रश्यायी होती। और ऐसी सफलता का अन्त मद्देब दुमदार्द ही होगा। स्थायी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम साधनों को अधिक ने अधिक महत्व दें और विशुद्ध माधव ही आपनाएँ।

गांधीजी के लिए अहिमा का प्रथम दूसरों को जान दूझकर कियी प्रकार से हानि न पहुँचाना, दूसरों की मेवा इस उद्देश्य से करना कि मद लोगों का अविकल्प ही हो और प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं कल्प नहकर भी अन्याय का विरोध करना है। अन्याय का विरोध हिमा या अन्याय के द्वारा नहीं होता भाहिए वरद् अहिमादमह माधवों द्वारा होता चाहिए। अहिमा अस्तानुभूति के लिए प्रावश्यक है। प्रासानुभूति और माध्यगुदि के लिए गांधीजी नैतिक-अनुशासन को आवश्यक समझते हैं। विना नैतिक-अनुशासन के न तो आन्मानुभूति ही सम्भव है और न आत्मगुदि ही। जौक आत्मगुदि और आन्मानुभूति व्यक्ति के नैतिक पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है, इसलिए नैतिक अनुशासन ही व्यक्ति के पुनरुत्थान के लिए एक आवश्यक माधव है। ऐसे विष्यों भी ममात्र में, जिसके अधिकांश व्यक्ति नैतिक प्रबन्धन के द्वारा अपना पुनरुत्थान करने में सक्त हों, उस ममात्र में स्वयं ही पुनरुत्थान हो जाएगा। गांधीजी नैतिक अनुशासन को मापात्रिक पुनरुत्थान एवं मापात्रिक पुनर्निर्माण और एक वर्ग-विहीन और राज्य-विहीन प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक माधव घोषन्ते हैं।

नैतिक अनुशासन के मुख्य सिद्धान्त गांधीजी की मौलिक देन नहीं हैं। हमारे धर्म शास्त्र हजारों वर्षों से व्यक्ति के नैतिक विवास वे लिए इन साधनों को आवश्यक बतलाते आये हैं। बिन्दु गांधीजी और धर्मज्ञानवी के उपदेशों में इनना अन्तर है कि गांधीजी इन सिद्धान्तों का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक जीवन को व्यतीत करते हुए भी सभव समझते थे। वे इनका प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए करना चाहते थे। इस नैतिक अनुशासन के मुख्य सिद्धान्त ये हैं—

(क) प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का पालन करना।

(ख) प्रत्येक परिस्थिति में, जहाँ तक सभव हो, भ्रह्मसा का पालन करना।

(ग) अस्तेय—इसका अर्थ है कि उसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा न करना, जो कि व्यक्ति की अपनी नहीं है और किसी भी प्रकार से दूसरों का शोषण न करना।

(घ) अपरिग्रह—इसका अर्थ सब सासारिक वस्तुओं का रायाग नहीं है और न समाज को छोड़ कर सम्यास ग्रहण करने का ही है, वरन् उन सब अनावश्यक वस्तुओं का रायाग करने का है, जो कि व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं और सासारिक वस्तुओं को पाने और एकत्रित करने की प्रवृत्ति का भी रायाग करना है। यदि किसी व्यक्ति के पास मे आवश्यकता से अधिक वस्तुयें हैं तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इन वस्तुओं से वचित करता है। हमें इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणाम करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर दें।

(इ) ब्रह्मचर्य—इसका अर्थ है अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण। और अन्त में अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करना, विशेषकर उन कर्त्तव्यों को, जो वि समय और स्थान के अनुसार सर्वप्रथम हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कि नैतिक अनुशासन का पालन करेगा, वह भ्रह्मसा की ओर भ्रमसर होने से सफल होगा; और ऐसा व्यक्ति समाज में सुख और सामंजस्य के लिए प्रयत्न करेगा। वह एक गांधीवादी संनिक होगा, जिसका उद्देश्य एक नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान को प्राप्त करना, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना, जिसमें ‘अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक भला’ होने के सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणाम किया गया हो। ऐसे समाज में साधर्य नहीं होगे और इसलिए किसी भी प्रकार के तनाव न सौ व्यक्तियों के बीच में और न व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के बीच में होंगे। ऐसे समाज में किसी भी कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक इक्ता वी आदर्दवता नहीं होगी, वी जे वन आदर्श एवं शान्तिपूर्ण होगा। वर्ग-

विहीन और राज्यविहीन प्रजान्‌त्र हमों भावाज से मुक्तिपूर्व है। गवना है, जिसमें कि अधिकार व्यक्ति इन नीतिक भनुशासन वो मानने लगें और जिसमें आन्तरिक नीतिक निर्देशों का विकास हो चुका है। यिन्होंने इन आन्तरिक निर्देशों के यह सम्बद्ध नहीं है कि थोई भी भावाज बाह्य शक्ति, निर्देशों का अन्त पर नहे। इसलिए हमारे भनानुभार गांधी जी का राज्यविहीन और बर्गविहीन भावाज का आदर्श भावमें के आदर्श वो अपेक्षा अधिक व्यावहारिक और सम्भव है।

गांधी दर्शन के भावाजिक आदर्शों दो प्रभार वे हैं। निषेधात्मक हिंदि से गांधी दर्शन का उद्देश्य हिंगा, तर प्रभार के शोषण, घन्याय और सद्धर्थों का अन्त बरना है। इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाएं वे अहिंसात्मक होने चाहिये। सत्रिय रूप में गांधी दर्शन का उद्देश्य एक बर्गविहीन और राज्यविहीन प्रजानन्त्र वो ग्रामपन्न है। जिमका आधार ऐच्छिक भृत्योग और अधिक से अधिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होगा। गांधीजी शक्ति को एक हानिकारक बन्तु समझने हैं। वह इस निष्ठान्त में पूर्णतया नहमत है कि शक्ति भूष्ट बरती है और धर्मीगमन शक्ति धर्मी-मित रूप से भूष्ट बरती है। इन वार्षण से वह शक्ति का धीरे धीरे विकेन्द्रीयकरण सम सीमा तक बरना चाहते हैं कि शक्ति की हानिकारक प्रवृत्ति न्यूनतम हो जाय। वह मह समझते हैं कि शक्ति का पूर्णरूप से उत्तमता असम्भव है, बिना इमारा अधिक मेर अधिक विकेन्द्रीयकरण, जो कि इसको निरोप देना दे, सम्भव है।

गांधी जी ने हमारे समझ एक सबैतोमुखी और दूर्लं राष्ट्र निर्माण का रचनात्मक वायं जन्म रखा है। उन्हें अनुभार इस वायंक्रम का पालन बरतने से उन्हें भावाजिक आदर्शों को स्थापित करने में व्यक्ति सम्मत होता है। उन्होंने अनुनोदार पर और चर्चे के उपर्योग पर दृढ़ अधिक जोर दिया है। अनुनोदार उनकी भावाजिक समवा के मिष्ठान्त का प्रतीक है और तर प्रभार के भावाजिक शोषण को रोकने का भी प्रतीक है। चर्चा उनकी आधिक समानता का और एक नयी आधिक व्यवस्था, जिसमें कि अधिक मेर अधिक आधिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होगा, का प्रतीक है। गांधीजी अधिक से अधिक भावाजिक एवं राजनीतिक समता मेर विश्वास रखते थे। उन्हें रचनात्मक वायंक्रम के मुख्य विषय यह है—भाग्यदायिक एकना; अनुनोदार; लादी धीर दृष्टरे द्वाष्य उद्योग जैसे कि चमड़ी, धीमना, धान, बृहना, गायन, भाग्य, तथा माचिम बनना, चमड़ वो बुनाई, नील विकासना, इत्यादि का विकास; पूर्ण शराब बन्दी, धाम र्वास्य व नवाई, प्रीड शिला; भट्टिलाली का डरान, न्यास्य और सपाई मेर मिष्ठानों की शिला, प्राभृतीय भाषा और माहित्य का विकास, तथा साथ ही गाय हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप मेर विकास, अधिक मेर अधिक आधिक समता विकास, भजूर और भाविकानियों का डरान; विद्यालियों के लिए रचना वह वायं-

प्रम जैसे राजनीतिक दल और राजनीतिक हड्डतालों से दूर रहता, यूत चातना, चाढ़ी का उपयोग, हरिजनों की भलाई, समाज-सेवा और चरित्र निर्माण। बाद में उन्होंने ऐती और पालतू जानवरों की नसल में सुधार करने का विषय भी अपने रचनात्मक कार्य क्रम रखा लिया।

सर्वोदय एक ऐसी सामाजिक ध्यवस्था का दर्शन है जिसमें कि प्रथेक व्यक्ति को वह कार्य और स्थान दिया जायगा, जिसवे लिए कि वह उपयुक्त है एवं जिसमें व्यक्ति अपने समाज की सेवा के लिए कार्य करेगा, त कि अपने निजी लाभ के लिए। अपरिग्रह और शारीरिक श्रम वे हारा ही भोजन प्राप्त करने का सिद्धांत उस समाज में हर प्रवार की प्रतिस्पर्धा का घन्त कर देगा। ऐसे समाज में उत्पादन का केन्द्रीय-करण और बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग का ग्रन्त हो जायेगा। उत्पादन का केन्द्रीय-करण आधिक शक्ति पा ऐन्द्रीयकरण है। और इस केन्द्रीयकरण से आधिक शक्ति वे दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। गांधी जी आधिक इटिट से व्यक्तिवादी है। परन्तु उनका व्यक्तिवाद, पाश्चात्य व्यक्तिवाद जो कि भौतिक सुखवाद के दर्शन पर आधारित है, से सर्वथा भिन्न है। साधारणत यह माना जाता है कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के विरोधी थे और वे विसी भी प्रकार के शोषणगिक विकास पा अन्वेषण को नहीं चाहते थे। बिन्तु यह सत्य नहीं है। वह शोषणगिक विकास और वैज्ञानिक अनुसाधान पो समाज पे आधिक विकास और उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, जहाँ तक कि राहयोगी समुदायों की आधिक निर्भरता के लिए वे सहायक थे। बिन्तु वे उनको ऐन्द्रीकृत उत्पादनों के साधनों वे हम में बुरा समझते थे। उनके अनुसार पर्हिसात्मक सामाजिक ध्यवस्था का विकास केवल इूपि और घरेनु उत्थोग के आधार पर ही हो सकता है। वे उन यन्त्रों के विरुद्ध नहीं थे जो कि व्यक्ति के भार को हँसका बरते हैं और आवश्यक मानवीय श्रम को विस्थापित नहीं करते हैं, जो कि घरतता से बुटीर उत्थोग द्वारा निर्मित बिये जा सकते हैं। महा पर यह स्मरण रहे कि बाबी जी मशीनों को श्रम के बचाने का साधन नहीं मानते थे। हमारी इस शोषणगिक पूर्जीयादी सम्यता वी सबसे बड़ी देन यह है कि हमने व्यक्तियों के स्थान पर मशीनों पा प्रयोग किया है। और इस कारण बेकारी और भुसमरी भी है और इसी बारण हम इस युग में जहाँ एक और अस्थिर सम्पन्नता पाते हैं वहाँ दूसरी और हम आधिक निर्धनता एवं प्रसातोप भी पाते हैं। नैतिक इटिटोल से—और गांधी जी का इटिटोल विशेषतः नैतिक ही है—मशीने व्यक्तियों से आधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मशीन मानवता की सेवा में केवल एक यन्त्र मात्र होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मशीन को हम अपना स्वामी नहीं बना सकते और न उसे मानवता को सट करने का ही एक साधन बना सकते हैं। गांधी जी ने लिया है कि वे मशीनों का विरोध कर सकते हैं, जबकि वह मानवीय शरीर चारण किए हुए हैं, जोकि

इन्हें एक गुण है। उग्रा। विराम है जिसमें मुख में उत्तादन की अवस्था में देखीय रूप वर्णके पीछे और अंतिम दो घाविक क्षेत्र में नगर बनाए गायबता वा विनाश हर दिन है। वह यह भाव है कि आधिक व्यवस्था विर उभी सम्बन्धीय हृषि को प्राप्त हो जाए, जिसे कि व्यवस्थावाली उत्तादन और अंतिमता वा विनाश करा। ऐसी उत्तादन व्यवस्था में आधिक से अधिक आधिक विरेटीयकरण संभव होगा। और वह उत्तादन व्यवस्था हर प्रदार के घाविक तोदण वा प्राप्त करने में पीछे गुण घाविक गायबता रखाविं वर्ण में उपलग होगी। घोषोविर आनंद में बारण माझुत्युने घाविक तोदण और घाविक गायबता के हाथ में देखीय-करण होगा है। यानी हम दोनों को दूर बर्ने के लिए वह भाव होता है कि आधिक घटित रामायन के हाथ में हो पीछे वह घाविक गायबता वा तदेवायन वर्ण में अधिकायक तथा द्वारा ही भिन्न हो। विभू गीधी जी आधिक घटित वा इतना आधिक विरेटीय-करण भाव है कि उसने तोदण वर्ण में घाविक गायबता हो जाए। रामोदय का यहै रूप है—अधिक से अधिक गायबिक मुख-और यह गायुगिता युवीनावी व्यवस्था में उपलग होती है। इस गोपीनाथ परम वे अग्रदार—गावोदय अवेदायन वा वैतिही-करण द्वारा मानवीयकरण करता है।

राजनीति गाव एवं भावत घटित वे विताणु हैं ताम्रपिता है। राम के पास दिता और घारेयायन वाहु घटन ही है, जिस राम की मङ्गुति वो घारेयायन के पीछे तोदणायन बनाती है। यह राम इन से दार्ढे वर्णके शीत वो सीमित करती है पीछे अंतिम बन्दु घटित और अंतिम वे घटितायन के विराम में बायर है। वर्ण व्यवस्था राम के बायर गाव रही है और राम गता ने पर्णे गायबता इतिहास में कभी भी लिखने वा बायर गही दिया है। यह गर्वद अंतिमों के हाथ में एक तोदणायनका दल बायर रही है, जिसे पास आधिक घटित भी। एक गायबतावाली राम में भी जहाँ वि घाविक विग्रहादे बहुत तुरं तर हो पड़ती है, क्योंकि घटिता वर्ण रही होता। गायबतावाली गायबता में भी यो बर्ण होते हैं—गावाक और घटित।

गीधी जी राजनीति वो घटित से गवेषा भिन्न दरवा भाव होते हैं। वे घटित राजनीति से मुला करते हैं, और एक यो घटित घटित वी रामायन वर्ण करते हैं; जिसी हृषि घटन के घट्यों में—‘रामायनावी राजनीति’ (Goodness Politics) वह घटते हैं। इस घटावे राजनीति भी मुख्य गायबता एक ऐसी जी गायबिक व्यवस्था का विराम; जिसे वि दिता और घारेयायन सारे राम के बाहु घटन, जो कि राम-दश गायबिक एवं और गायबिक व्यवस्था के लिये गायबता घटन जाते हैं जी घावायनता वा घटे यो घटावे राम के रामेवित्त विद्युतायन और ऐसी ही घाव-घटि एवं बाहु गायबिक विद्युतों वा घटित हो, जो कि घटित रामायन और गायबिक एवं बाहु रामायन वा रूप है। इस इस घटत वो उपर बता

चुके हैं कि वह तभी सभव होगा, जबकि विसी भी समाज का बहुमत नैतिक अनुशासन को अपना लेगा। बहुत से आलोचक इसको अव्यावहारिक, कोरा आदर्श, और ऐसे समाज की स्थापना असभव समझते हैं किन्तु यह आदर्श ऐसा अवश्य है जिसके लिए व्यक्ति को भरसक प्रयत्न करना चाहिए। गांधी जी आदर्श को एक पूर्ण वस्तु मानते हैं और जूँ कि आदर्श एक पूर्ण वस्तु है; इसलिए अपूर्ण व्यक्ति उसको नहीं पा सकते। ऐसा कोई भी आदर्श, जिसको कि हम पा सकें, अपूर्ण होगा और गांधी जी के लिए आदर्श नहीं होगा।

व्यक्ति और समाज के सामाजिक और आधिक जीवन का अहिंसात्मक साधनों से पुनरुत्थान, शक्ति राजनीति का अन्त करने के लिए आवश्यक है। डॉ० घटन के अनुसार—‘कल्याणकारी राजनीति आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों को एक नया रूप देती है। राज्य को अब तक हम अपने प्राप्त में एक साध्य मानते गए हैं किन्तु अब हम उसे अधिक से अधिक व्यक्तियों की अधिक से अधिक भलाई का एक साधन मानेंगे। राज्य का आदर्श जन-सेवा होना चाहिए और हम राज्य को सपूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्य के स्थान पर एक सेवा राज्य मानेंगे। शक्ति और सम्प्रभुता का एकमात्र उद्देश्य समाज का नैतिक पुनरुत्थान करना होगा। स्वतन्त्रता का अर्थ अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की स्वतन्त्रता है। समता का अर्थ समस्त व्यक्तियों को आध्यात्मक एकता से है। इच्छा, विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, न कि मनो-वैज्ञानिक शोषण के उपायों द्वारा या शक्ति के भय से ली गई हो। आतून, सावं-भौमिक सिद्धान्तों का विशेष परिस्थितियों में प्रयोग हो न कि विसी प्रभु की इच्छा। राष्ट्रीयता का आधार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और रचनात्मक होनी चाहिए न कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं सैनिकवाद। राजनीति ज्ञान पर आधारित होनी चाहिये।’

गांधी जी आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों का इस प्रवार एक नया अर्थ देते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन राज्य की प्रकृति के विषय में है। वह राज्य को एवं आदेशात्मक संस्था नहीं मानते न उसको सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न संस्था ही मानते हैं। किन्तु उनके अनुसार राज्य जनता का एक सेवक मात्र है।

लॉयलल फील्डग गांधीजी के आदर्श और चरित्र के सम्बन्ध में वहता है, “गांधी जी गतिशील हैं न कि स्थायी। वह भारत के द्वेष हुए और अपरिवर्तन-शील साक्षे व्यक्तिये, के अपरिवर्तन दित्यरे, का अद्वृत् कृत् शीर्मा रत् प्रतिलिपि एवं मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद के बीच दीड़ शुल्क हो गई। गांधी जी शक्ति, ऐश्वर्य, याक्रमण, और श्रोत्योगीकरण से दृढ़ शत्रु हैं। वह प्रेम के गिद्धान्त के सबसे बड़े जीवित व्याख्याकार है।”

प्रधिवास मात्रोचन गांधी जी ने भादरों पर दर्शन को प्रव्यावहारिक मानते हैं। वह गांधी दर्शन को बाल्पनिक और आप्यायिक मानते हैं, जोकि सापारण ध्यतियों द्वारा वार्षिक में नहीं प्राप्त जा सकता। इन्हुंने हमारे पास पर्याप्त समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जिनसे यह सिद्ध हो सकता है कि प्रहिसात्मक व्यक्ति पूर्ण रूपेण गारीरिक और मानविक हृषि से एक यापारण ध्यति हो गी है। मानव स्वभाव में घपने भावनों परिवर्तन करने की पर्याप्त शक्ति है और कोई भी व्यक्ति घपने स्वभाव को प्रहिसात्मक बना सकते में सफल हो सकता है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि इस प्रयुक्ति में गांधी जी का यताया हृषा मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है।

गांधी जी ने घपने वर्गविहीन और राजविहीन प्रजातन्त्रीय भादरों में सम्बन्ध में पृथक् मौलिक विचार प्रवाट किए हैं। उनके प्रनुमार ऐसा भादरण प्रव्यावहारिक है, क्योंकि यह पूर्ण भादरण है, इसलिए इसका प्रव्यावहारिक होना तानिक ही है। उनके प्रनुमार यह एक ऐसा ध्येय है जो कि प्रयत्न बरतने योग्य है। कोई भी व्यक्ति या सामाजिक जितना हरा ध्येय के समीप पहुँचेगा उक्ता ही वह पूर्णता के समीप भी होगा। उन्होंने लिखा है, "ऐसा राज्य में (जिसमें प्रराजनता होगी) प्रत्येक व्यक्ति घपना स्वयं शाशक है, वह घपना शासन इस प्रबार बरता है कि वह घपने पदोन्नी के मार्ग में यापन नहीं होगा, इसलिए भादरण राज्य में कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि कोई भी राज्य नहीं होगा।" कुछ बड़ी पश्चात् उन्होंने घपने भादरण प्रजातन्त्र की धारे और व्यापार की है। "प्रहिसा पर आधारित समाज प्रामों में दर्शन हुए समुदायों का बना हृषा होगा और उसमें मन्मानपूर्वक और शान्ति पूर्वक अस्तित्व के लिए ऐन्जिक सहयोग एक भावरक दशा होगी।" आगे उन्होंने घपने इस भादरण प्रजातन्त्र के सरथात्मक हावि की प्राप्त्या बरते हुए बहा, "हर प्राम एक गणतन्त्र होगा या एक पूर्ण शक्तिशानी भूंचायत होगी। इसलिए प्रत्येक प्राम प्राप्त निमंर होगा और घपने वायों की स्वयं गम्भीरता के धोग्य होगा। यहीं तक कि सारे विश्व के विद्वद् घपनी रक्षा करने वे लिए भी समर्थ होगा। उगड़ो बाहु यात्रमण से घपनी रक्षा करते हुए नष्ट हो जाने के लिए तैयार किया जायगा और गिरा दी जायगी। अन्तिम रूप से व्यक्ति ही इवाई होगा, जिन्हुंने हमारा यह स्वर्ण नहीं है कि पढ़ीमियों से या विश्व के दूगरे भागों से निर्भरता या महायता एवं प्रत्यक्षविना नहीं पट्टी। ऐसा समाज भास्तव्यद भूप से मुक्ताशक्तिवाल होगा और उसमें प्राप्ति पुरुष और महिला यों घपना ध्येय मानूम रहेगा एवं दर्शन भी रहेगा। तो उन्हें कियी जो भी ऐसी कोई वस्तु की इच्छा नहीं बरनी चाहिए, जो कि दूसरों को भी बराबर धर्म करने पर प्राप्त न हो सके।

"इस हावि में, जो कि धर्मव्यवहार प्रामों का बना हृषा होगा, जोवन का रबरूप एवं विरामिद वे प्रसार पा न होगा, जिसमें कि लिंगर तत्त्व में उपर

ग्राधारित होती है। किन्तु इसमें हर व्यक्ति ग्राम के लिए, ग्राम-ग्रामों के एक समूह के लिए बल देने को तैयार होगा, जब तक कि सब व्यक्ति एक ही जीवन के सूक्ष्म में न बैठ जायें। सबसे बाहरी परिविशक्ति का प्रयोग आन्तरिक परिविशक्ति को नष्ट करने में नहीं करेगी, किन्तु अपने भीतर सबको शक्ति देने में और उनसे शक्ति प्राप्त करने में करेगी।"

ऐसे ग्रामों में, जो कि गांधी जी की राज्यविहीन प्रजातन्त्र की इकाई होगा, पूर्ण प्रजातन्त्र होगा और इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। गांधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है :—

"व्यक्ति अपनी सरकार का स्वयं निर्माता है। अहिंसा का नियम उसका और उसको सरकार का शासन करेगा। वह और उसका ग्राम विश्व की सारी शक्ति से लोहा से सेकेगा। व्योकि हर ग्राम निवासी इस कानून से शासित होगा और उसे अपनी और अपने ग्राम की सम्मान रक्षा के लिए जीवन तक दे देना है।" यह प्रजातन्त्र पूर्णरूप से विकेन्द्रित होगा। गांधीजी के अनुसार, "केन्द्रीयकरण की व्यवस्था समाज के अहिंसात्मक ढाँचे से मेल नहीं खा सकती।" और गांगे, "मेरे विचार से यदि भारत को अहिंसात्मक मार्ग से विकास करना है तो उसे बहुत से क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकरण अपनाना होगा। केन्द्रीयकरण का अस्तित्व और रक्षा शक्ति के बिना नहीं हो सकती।"

राज्य विहीन प्रजातन्त्र ग्रामों का एक ऐच्छिक सघ होगा। ये ग्राम अपने अस्तित्व और उन्नति के लिए आपस में सहयोग करेंगे। गांधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है :—

"इस चित्र में प्रत्येक घमं का पूर्ण और समान स्थान होगा। हम सब एक महात् वृक्ष के पत्ते हैं जिसका तना अपनी जड़ों से नहीं हिनाया जा सकता, जो कि पृथ्वी में बहुत नीचे तक जमी हुई है। शक्तिशाली से शक्तिशाली ग्रांथी भी इनको नहीं हिला सकती।"

"इसमें उन यन्त्रों का कोई स्थान नहीं जो कि भानवीय थम वो विस्थापित करते हैं और जो शक्ति का कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीयकरण करेंगे। किसी भी सुसस्कृत मानव परिवार में थम का अपूर्व स्थान है, हर यन्त्र जो कि प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करता है, उसका तो स्थान है, किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने कभी इस सम्बन्ध में नहीं सोचा कि वह ऐसा कौन सा यन्त्र हो सकता है। मैंने (सिंगर) सीने वी मशीन के विषय में सोचा है, किन्तु वह भी अनावश्यक है। इस चित्र वो पूर्ण करने में मुझे उसकी ग्राव-यशक्ता प्रतीत नहीं होती।"

गांधीजी ने अपने अहिंसात्मक राज्य के संरक्षणका दाये वी गृष्ट हपरेसा नहीं दी है। उन्होंने कभी इस सम्बन्ध में विशेष चिना: नहीं की कि अहिंसात्मक राज्य की राजनीतिक, प्रायिक और सामाजिक संस्थाओं का वया स्वच्छ होगा। यह कभी विसी घोटिक सीमाओं के कारण नहीं रही, परन्तु उनका यह विश्वास था कि किसी भी सत्याग्रही को बलना के घोटे दोढ़ाने में अपना समय और शक्ति व्यय नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे अपने हाथ से कार्य करने में और समय, स्थानानुसार अपने आवश्यक बृत्यों के करने में वाधा पढ़ेंगी और अपने व्येष वी और अप्रसर होने में यह एक बहुत बड़ी बाधा होगी। गांधी जी ने कहा, “सत्याग्रह विज्ञान की प्रवृत्ति उसके विद्यार्थी वो भरने वदम रखने से पूर्व धारे देतने से वंचित करती है।” इसलिए इम नयी व्यवस्था की ओर सत्याग्रही एक-एक बदम बढ़ाते हुए घग्गर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा हप्टिकोण एक सच्चे वैज्ञानिक का ही हो सकता है। इसलिए यह कहना विसी भर तक ढीक होगा कि गांधीवाद, वाद न होता, वेवल विचारधारा भाव है और यदि ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसूत इसमें समय समय पर परिवर्तन होने रहे तो हमें यह धीरोगिक आनंद के दुष्परिणामों तथा सामाजिक नीतिक पुनरुत्थान के यथार्थ ग्राधारों को देने में समर्थ हो सकती है। यदि इस इसमें से, विशिष्ट भारतीय पृष्ठभूमि एवं अनुभवों के कारण जो एकपक्षीवता आ गई है, उसे दूर कर मूलभूत ग्राधारों पर समझानीन परिस्थितियों के अनुपार पुनः विचार करें तो अधिकार मानवीय समस्थानों को सही प्रकार से मुलभाने में समर्थ होंगे।

मार्क्स और गांधी

मार्क्स और महात्मा गांधी १९वीं तथा २०वीं शताब्दी के दो महान् सामाजिक शिल्पकार हैं। दोनों ने एक नई व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न किया है। उनके क्रान्तिकारी सिद्धान्तों ने कठोड़ी व्यक्तियों को विभिन्न देशों में प्रभावित तथा प्रोत्साहित किया है। यह सत्य है कि उनके वर्गविहीन और राज्यविहीन भाइयों को पाने के मार्ग प्रथक-प्रथक है। साथ ही यह भी सत्य है कि उनके दार्शनिक नैतिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु, यद्यपि वह पृथक मार्गों पर अप्रसर होते हैं किर भी वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का उनका ध्येय समान है। बहुत से व्यक्ति इससे सम्भवत सहमत न हो, उदाहरणत, विनोवा भावे कहते हैं :—

“दो व्यक्ति शारीरिक रूपित से इतने समान थे कि राजनीतिक प्रपञ्च में एक के स्थान पर दूसरा कार्य चला सकता था। किन्तु दोनों में योद्दी सी भिन्नता भी थी। एक सोस लेता था किन्तु दूसरा नहीं। इसके फलस्वरूप एक के लिए भोजन तैयार हो रहा था और दूसरे के लिए कफन। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में समानता अद्वितीय को छोटी सी भिन्नता को छोड़ कर भी ऐसे ही ऊपर बाले दूसरे व्यक्तियों की समानता है।”

(प्रश्नावली, ‘गांधी और मार्क्स’ मध्याला पृष्ठ १७)

किन्तु हमारे विचार से ऐसी आलोचना किसी सीमा तक सही नहीं है। ऐसी तुलना सर्वेष ऊपरी तुलना हांगी। इन दोनों विचारधाराओं की तुलना करने से पूर्व हमें उनके आधार, उनके साधन और साध्य का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इन दोनों दार्शनिकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इन दोनों दार्शनिकों ने दुर्बल, पददलित और शोषित बगों की समस्या के ऊपर अधिक ध्यान दिया है। इनके चरित्र की महानहार इस द्वातः में पूर्णरूपेण मिठ्ठ होती है कि इन्होंने भपना घर, समाज में प्रपता स्थान और मन्य भौतिक महत्वाकौशलों को अपने सिद्धान्त में लिए तिलाज्जलि दी और इन्होंने भपने ध्येय को पाने

के लिए अपने सारे जीवन का विनियोग दे दिया । दोनों भन्दे मध्यमवर्गीय परिवारों में दृढ़ हुए थे । दोनों दों घरमें बाल्यवाल और पुकारस्था में निर्धनता या घन्याय के बारह बाट तीन उठाना पड़ा था । दोनों ने अपनी भौतिक मध्यवालामाझों और एक मुमी जीवन वाले त्याग वर प्रत्येक प्रकार के लोपण का विरोध बरने तथा उसे समाप्त बरने में गाग जीवन विनियोग किया । उन्होंने हर प्रकार के लोपण का खाते वह धार्मिक, सामाजिक, प्रायिक, राजनीतिक इसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया; सदैव विरोध किया ।

बदं मानव इतिहास का इन्हम हृषा है तब में हम राज्य को मदेव एवं राजनीतिक संघटन के हृष में पाते हैं । राज्य अपने सारे जीवन के लिए मदेव एक शक्ति की इच्छा रहा है और मदेव इस शक्ति का मानविक और वैदेशिक दोनों में प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए हृषा है जिनके हृष में यह राज्य का सचानन रहा है चाहे वह राजा हो या कुलीन वर्ग, अत्यं जनतन्त्र हो या वरदा आपूर्विक मध्यवाली में एक धार्मिक वर्ग, प्रत्येक ने इस राज्य शक्ति का प्रयोग अपने हिन में किया है । इन्हें-मानव के लिए राज्य एक वर्ग राज्य है और इसलिए राज्य की शक्ति श्री नम शक्ति का प्रयोग वर्ग की शक्ति है और वर्ग हिन में है । मानव राज्य को एक शक्ति का यन्त्र मानता है वह चाहता है कि इस शक्ति के यन्त्र का संबंधारा वर्ग इसी भी मानव द्वारा अपने हृष में करते । यह साधन खाद्य वैधानिक हो या अवैधानिक, प्रहिष्ठात्मक हो या हिमात्मक संबंधारा वर्ग इस शक्ति के यन्त्र का प्रयोग नहीं वर्षभित्रीन और राज्य विहीन गामाजिक व्यवस्था के निर्माणे के लिए बरेया । इस नयी गामाजिक व्यवस्था में मादंमीमिक समाज और तावंभीमिक आनुत्तर होता । और इसमें प्रत्येक वा स्वतन्त्र हृष में विचार, सबके स्वतन्त्र विचार व विचार एवं भावस्थक बहुत होता । इस नयी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण ममता ध्यायित बरने के लिए मानव के प्रनुगार प्रत्येक व्यक्ति अपनी मोर्धना के प्रनुगार मानन को बायं करके देगा और धर्मनी धावत्यक्तामाझों के प्रनुगार समाज में पाएगा ।

शक्ति भूष्ट करती है और धर्मीयित शक्ति धर्मीमित द्वारा से भूष्ट बरती है, ऐसोंकि शक्ति का नुसार गदेव निरुगता वी और रहा है । संबंधारा वर्ग वा धर्मीतायतन्त्र एवं प्रभूत्पूर्व शक्ति का बंद्रीवहरण होता । समाज वी ममता गामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति गंभीरारा वर्ग के कुछ घल्य नेतामों वे हृष में होती । राज्य समस्त शक्ति वी एवं सामाज द्वारा होती । राज्य ही एक मान नियुक्त करने वाला है दरादान के माध्यमी का एक मान स्वामी होता । इस धर्मिनायतन्त्र में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति वा पूर्ण ममित्यक्त होता । और इसी समित्यक्त वे द्वारा राज्य के हृष में एवं प्रभूत्पूर्व शक्ति वा बंद्रीवहरण हो जायता । ऐसा राज्य धर्माधिक शक्ति-शाली होता । और इस प्रकार यह धर्मिनायतन्त्र समाज होवर एक वर्गविहीन व-

राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। यह समझना अत्यन्त ही इच्छित है। किन्तु ऐसे राज्य को समाप्त करने की समस्या पा हून सरलता से निकलने वाला नहीं है।

सर्वंहारा वर्ग का भविनायकतन्त्र एवं दलीय राज्य होगा। जौँकि वर्ग-संघर्ष का अन्त होने के पश्चात् वेवल एक ही वर्ग रह जायगा, और उस वर्ग का वेवल एक ही हित होगा। इसलिए उस हित का प्रतिनिधित्व केवल एक ही दल कर सकता है। इसलिए माक्सं और दूसरे साम्यवादी विचारक सर्वंहारावर्ग के भविनायकतन्त्र के एक-दलीय राज्य होने को ठीक समझते हैं। किन्तु एक-दलीय राज्य आलाचना और भिन्नता को सहन नहीं बर सकता। ऐसा राज्य चाहता है कि समस्त जनता उसके बह अनुसार चले और उसकी नीति विचार और दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हो। ऐसे राज्य से जीवन संतिक श्रम की तरह होगा, इसमें विचारों पर कड़ा नियन्त्रण होगा। और यह कारण व्यक्ति वे व्यक्तित्व के विवास में अत्यन्त वाघक होंगे। विचारों और व्यवहार की एकरूपता ऐसे राज्य का मुहूर्य लक्षण होता है। ऐसे राज्य में व्यक्ति यन्त्रवत् हो जायेंगे और उनकी सृजन शक्ति का अन्त हो जायेगा। इतिहास का अनुभव हमें यह बताता है कि उन्नति के लिए और विशेषकर विचारों की उन्नति के लिए भिन्नता, न कि, एकरूपता आवश्यक है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें भिन्नता और सनकीपन को सहन करना ही होगा। क्योंकि यह सत्य को पाने में सहायक है। हमें कम से कम भिन्नता के लिए सहमत होना होगा।

अखण्डनीतिक व आधिक शक्ति के इस जबरदस्त बेन्द्रीयकरण के साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सामजिक वरने का प्रयत्न एक ऐसी समस्या है जिसका हल सरलता-पूर्वक नहीं मिल सकता। जब तक राज्य शक्ति की इकाई रहेगा तब तक राज्य सामाजिक संयठन का शक्ति रूपी यन्त्र रहेगा, तब तक इस यन्त्र को प्रयोग बरने वाले अपने आपरो एक वर्ग में समृद्धि रखेंगे और तब तक वर्ग संघर्ष के अन्त की आशा बरना व्यर्थ है। जब तब राज्य रहेगा तब तक वर्ग-संघर्ष आवश्यक रहेगा। वर्ग-संघर्ष का अन्त करने के लिए राज्य का अन्त करना आवश्यक है। वर्गविहीन समाज की स्थापना वे लिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति का उम्मूलन कर दें। किन्तु उम्मूलन करना समझव नहीं है इसलिए हमें शक्ति का उस सीमा तक बिन्द्रीयकरण कर देना चाहिए जहाँ पर उसका माकर्यण समाप्त हो जाए। शक्ति का अपना स्वयं माकर्यण है। क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसी को दण्ड देने या पारितोषिक देने की क्षमता होगी। उसे दूसरों पर माधिपरद जमाने का अवसर मिलता है, और यह व्यक्ति वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शक्ति का बेन्द्रीयकरण करने से यह उसी अनुपात में भविक आकर्यक और भविक हानिकारक हो जाती है। विन्द्रीयकरण करने से उसका माकर्यण कम होता जाता है और इसके शोषण और दुरुपयोग की क्षमता भी उसी अनुपात में कम हो जाती है।

युम यह कह सकते हैं कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना, जो कि इन दोनों विवारणों का घोय है, शक्ति के विकेन्द्रीयकरण के द्वारा ही ही जा सकती। जहाँ ति मात्र संस्कृतवर्ग के अधिनायकत्वपूर्वे स्वरूप में शक्ति वा अत्यधिक विकेन्द्रीयकरण का प्रमाण हमारे समझ रखता है और एक समाज विलास है कि निश्चितः राज्य का अन्त हा जाएगा और वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, वहाँ दूसरी पारी जो भीषे विकेन्द्रीयकरण का प्रमाण हमारे समझे रखते हैं। वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के यादगाँ की स्थापना के निए गांधीजी का मार्ग अधिक व्यावहारिक और तात्काल प्रतीत होता है। शक्ति का विकेन्द्रीयकरण पूर्व नए सामवर्गों को जन्म देगा और समाज का कम से कम, शाही और शासित दोनों में विभाजन कर देगा। यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि यह नया सामव वार्ष स्वेच्छा से प्रपने स्थान और शक्ति का त्याग कर देगा परवाना वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिये प्रयत्न करेगा। ऐसा होना मतलबीय शक्ति के विट्ठ होगा सोचियन ग्रन्थ की स्थापना में अब तक का इनिहांग इस तथ्य की निढ़ बरता है कि राज्यवर्ग के अधिनायकत्व का एक मुक्त्य लक्षण शक्ति के निरुद्ध और प्रतिवृद्धता और समर्पण रहा है। निए जी मूलुं के पश्चात् टॉट्सों और स्टालिन के बोन में शक्ति के निए जो सघर्ष हुआ वा और स्टालिन की मूलुं के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों के बीच में शक्ति के निए जो सघर्ष चल रहा है वह इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि मर्वहारावर्ग के नेताओं में भी शक्ति के निए अत्यधिक प्रतिरक्षणपूर्वी है। इसके गाय ही जैसे जैसे शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होता जायेगा वैराग्यमें व्यक्ति राजनीतिक विनिय पर पीढ़हटता जायेगा और राज्यके मध्यम उसका व्यक्तित्व नगण्य रह जायेगा। ऐसी परिवर्तितियोंमें पूर्व राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना कम से कम तात्काल प्रतीत नहीं होती।

✓**प्रोटोगिक शान्ति** के बारागु आधिक और सामाजिक गुलकन को टॉड वरते का प्रयत्न मात्रगं और गांधी दोनों बरते हैं। प्रोटोगिक शान्ति के पूर्व मध्यकाल में समाज का सामाजिक और धार्यक स्वरूप का आपापर व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत स्वायत्त्वीकरण था। उत्पादन की इस प्रणाली में व्यक्ति की गृहन शक्ति का प्रत्यक्षिक विकास सम्भव था। प्रोटोगिक शान्ति ने सामाज के इस आधिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। मध्यकालीन आधिक व्यवस्था में अधिक आधिक भोग्यता नहीं थी। पटवि उस आधिक व्यवस्था की भ्रष्टता बुगाइया है और हृषि के क्षेत्र में सामग्रों द्वारा अत्यधिक छोपण भी था, जिन्हुं प्रोटोगिक दोनों में यह जोगण गहरी के यतावर था।

~**प्रोटोगिक शान्ति** ने एक नई आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था में उत्पादन के गाड़ी का विकेन्द्रीयकरण होता और गाय ही गाय घन का नहीं। इस व्यवस्था ने मर्वहारावर्ग की, पूर्वजीवाद की और डाकी मुराइयों को जन्म दिया। उत्पादन के गापन अधिक विकास में होते गये और यह समाज के एक बहुत

ही अल्प भाग के हाथ में आ गये। मशोनो ने आवश्यक मानवीय धर्म को विस्थापित कर दिया और मानवता को भूख वीमारी और गरीबी के कारण कष्ट सहने पड़े ताकि श्रीयोगिक श्रान्ति का यह गोरक्षपूरण यान्त्रिक विराग सम्भव हो सके। श्रीयोगिक श्रान्ति के इस काल में हमारे सामने एक विचित्र दशा है। जहाँ एक और हम प्रत्यक्षिक धन और वंभव पाते हैं वहाँ दुरारो और हम अत्यधिक निघंता और कष्ट भी पाते हैं।

इस दशा को सुधारने के लिए और इसमें बोई सरदेह भी नहीं कि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता थी, मावर्स ने सामाजिक उत्पादन और सामाजिक उपभोग का सिद्धान्त हागारे समझ रखा था कि श्रीयोगिक श्रान्ति ने उत्पादन को व्यक्तिगत से सामाजिक बना दिया, इन्तु उपभोग व्यक्तिगत ही रहा। मध्यकालीन मुग में यदि व्यक्तिगत उपभोग था तो व्यक्तिगत उत्पादन भी, इन्तु श्रीयोगिक श्रान्ति के मुग में सामाजिक उत्पादन वह होते हुए भी उपभोग व्यक्तिगत ही रहा। मावर्स ने आधिक व्यवस्था में रान्तुतन ताने के लिए हमारे समझ जो सुधार रखा है वह एक सीमा तक सही है। यदि उत्पादन सामाजिक है तो उपभोग भी सामाजिक ही हाना चाहिए। किन्तु सामाजिक उपभोग तक तक सम्भव नहीं है जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज या उसके प्रतिनिधि राज्य के हाथ में न हो। इसलिए मावर्स रावंहारा वर्ग को राज्य को अपने रूप में रखने का राय देता है ताकि वह उत्पादन और उपभोग दोनों को सामाजिक बना रखे।

दूसरी ओर गांधीजी, जहाँ तक सभव हा, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग चाहते हैं। और जहाँ पर यह सभव नहीं है वहाँ वह योग्यता के समाजीकरण का सिद्धान्त हमारे समझ रखते हैं। यह भाषा की जाती है कि योग्यता का समाजीकरण हो जाने से, जिनमें धन के उत्पादन की योग्यता है, व अपने पौ समाज की घरोहर रखने वाले रामर्भगे और उनके पास जो आवश्यकता से अधिक धन होगा उसे वे समाज की घरोहर समझेंगे। यदि वे लोग ऐसा करने से मना करें तो गांधीजी राष्ट्रीयकरण करने की भी सलाह देते हैं। किन्तु ये राष्ट्रीयकरण का अस्त्र भनितम बदम पर बाम में साना होगा। कुछ घालोचक योग्यता वे समाजीकरण के सिद्धान्त को अव्यायहारिक और हास्याप्पद समझते हैं। उनका यह बहना है कि पूँजीपति कभी भी अपनी पूँजी और गायनों को समाज की घरोहर नहीं समझेगा। किन्तु हम उन घालोचकों को बेवत यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में भी उत्पादन की इकाइयों के व्यवस्थापकों को उत्पादनों के साधनों को समाज की घरोहर के हृष में ही मानना होगा अंत्यथा राज्य की शक्ति के न रहने पर कुछ समय बढ़ यह सभव है कि समाज में जो उत्पादन की इकाइयाँ उनके अधीन रखी हैं वे स्वयं उसके स्वामी बन जायेंगे और थोड़े से अधिकों भी सहायता लेकर फिर से एक नए हृष से शोषण और वर्ग संघर्ष मारम्ब करदें। यद्यपि दोनों विचारक पूँजी

ग्रोर गोपणे के बिछु हैं, दोनों आधुनिक धार्यिक प्रीत राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, दोनों ही एक नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तथादि उन दोनों का इटिक्सोल इम सवध में सर्वथा भिन्न है। इन दोनों विचारकों के बीच एक दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर साध्य ग्रोर साधन के विषय में है। गांधीजी के लिए माध्य प्रोर साधन के बीच में सामग्रस्य हृना ग्रावश्यक है। एक थोष्ट साध्य को खाने के लिए थोष्ट साधनों का प्रयोग गांधीजी अत्यन्त ग्रावश्यक समझते हैं। यहाँ तक हम वह सहते हैं कि गांधीजी के लिए माध्यन, साध्य में भी धर्यिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार यदि आप सही मार्ग वा अपनावेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर ग्रावश्यक पहुँचेंगे उसी प्रकार सही साधनों वो अपनाने से गाध्य ग्रावश्यक प्राप्त होगा। मैवियावेतियन साधनों से यद्यपि सफलता प्राप्त भी ही गई तो यह सफलता न तो स्पाई होगी ग्रोर न पर्याखावारी। इसका अन्त सर्वद व्यष्टिदायी होगा। इसलिए गांधीजी एक वर्ग विहीन ग्रोर राज्य विहीन समाज को स्थापना के लिए बेवल प्रहिंगा वो ही उचित साधन मानते हैं। किन्तु मात्रमें लिए गए साध्य प्रोर माध्यन ग्रामजन्य की ग्रावश्यकता नहीं है। उसके अनुगार साध्य ही महत्वपूर्ण है ग्रोर उसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मात्रमें इस समस्या पर धर्यिक विचार नहीं बरतते हैं। उसके लिए वह प्रत्येक साधन उचित है जो कि सर्वद्वारा वर्ग वो राज्य की शक्ति प्राप्त करने में सहायता करेंगा।

गांधारणी: यह माना जाता है कि मात्रमें हिंसा के प्रयोग पर यहूँ धर्यिक महत्व देता है। मात्रमें सामजिक परिवर्तन की यतिशीलता वो तीव्र करने के लिए हिंसा का प्रयोग ग्रावश्यक समझता है। ऐतिहासिक दिनाम वे नियमानुसार एक वर्ग समाज का जन्म ग्रावश्यमभावी है और यदि इम नए युग वो जन्म देने के लिए गवंदारा वर्ग को शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो उगे इसमें गंदोच नहीं करना चाहिए। गर्भ हारा वर्ग के द्वारा वो मई इंग्रिज राज्य की स्थाई गोपण स्पी इंसा को समाप्त करने में सफल होगी। हिंगा इस नए युग के जन्म में वही वार्ता करेगी जो कि दाई एक नए शिशु के जन्म के समय करती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह मानते हैं कि यह हिंसा नए समाज के जन्म में एक दाई वा काम करेगी ग्रोर इसके द्वारा प्रभव पीड़ा कर होगी।

साधारणता, यह भी बहा जाता है कि हम साम्यवाद से हिंगा वो नियम दें तो उसमें ग्रोर गांधीवाद में कोई विशेष प्रनतर नहीं रहेगा। किन्तु यह बेवल एक एक सोबोक्ति मात्र है। इन दोनों में अन्तर इसमें कई गुना धर्यिक है ग्रोर इन दोनों के बीच में कई मूलभूत भिन्नताएँ हैं। गांधीजी ग्राम्य में विश्वास करते हैं। सामाजिक के ग्राम्यात्मिक एक्य में विश्वास करते हैं। वह इतिवर एवं गत्य में विश्वास करते हैं उनका नेतृत्व घर्म में पूर्ण विश्वास है। वह नेतृत्व अनुग्रामन की शक्ति और समाज

के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक समझते हैं। और यह पुनरुत्थान वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। उनके लिए अहिंसा का मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है। वयोऽग्नि उनका यह विश्वाम है कि हिंसा के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। वह हिंसा वो एक ध्वसात्मक वस्तु समझते हैं और उनके साधन एव साध्य सामजिक सिद्धान्त के अनुसार एक ध्वसात्मक वस्तु के द्वारा कभी भी एक रचनात्मक साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा, हिंसा को जन्म देती है और इसका परिणाम सदैव संघरण और तनाव होता है। यह जीवन के आन्तरिक और वाह्य सामजिक वो नष्ट वर देगी। यह एक शोषण वा यन्त्र है। इसलिए हिंसा कभी भी, गाधीजी के अनुसार, हमें अपने साध्य तक नहीं पहुँचा सकेगी। साधनों का यह अन्तर इन दोनों विचारकों में एह मंजूर्ण पन्ना है।

गाधी जी राजनीति और धर्म का सम्मिलण करना चाहते हैं और राजनीति को आध्यात्मिक धार्मानुषासन देना चाहते हैं। मात्र से पूर्णतया भौतिक हृष्टिकाल को अपनाता है और धर्म में उसका कोई विश्वाम नहीं है। वह धर्म को जनना के लिए प्रफीम से उपयोग देता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मात्र से केवल धर्म के सासारिक वाह्य ग्राहम्बर का विरोध वरता है। यह धर्म को पुजारियों की शोषण की 'मनोवृत्ति' के कारण बुरा समझता है। न तो उसने धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया है और न उसको आलोचना की है। उसने स्तुतिवादी नैतिकता की बड़ी आलोचना की है और उसे मध्यम वयोंपर आडम्बर बताया है।

गाधीजी कुछ मूलभूत जीवन की ऐसी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं जो कि अपरिवर्तनीय है किन्तु साधन के लिए ऐसी काई मान्यताएँ नहीं। समाज के किसी भी ऐतिहासिक युग में सस्याएँ, विचार और मान्यताएँ उस युग वी उत्पादन प्रणाली के अनुसार होगी। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उत्पादन प्रणाली मानवीय चेतना, और विचारों वो निश्चित करते हैं और समाज के सस्यापक ढंगे वो मोड़ती हैं जिनमें परिवर्तनीय मान्यताओं का प्रसन्न नहीं उठता।

यह दोनों दार्शनिक धौद्योगिक क्रान्ति के द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं के के सबै में अपने विचार हमारे समझ रखते हैं। यह दोनों एक ऐसे सावंभौमिक समाज की बहुपना करते हैं जिसमें न हिंसा होगी और न शोषण जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी होगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मन्याय और विषमता नहीं और जिसमें सावंभौमिक स्वतन्त्रता होगी। किन्तु इस समाज के निर्माण के लिए जो साधन ये दार्शनिक अपनाते हैं वे सर्वथा भिन्न हैं। और यह भिन्नता उनकी ऐतिहासिक गृष्ठ भूमि की भिन्नता के कारण है। जबकि गाधीजी पर पूर्वी आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि का प्रभाव है। मात्र से पर दार्शनात्मक बोढ़िक और भौतिकवादी पृष्ठ भूमि का प्रभाव है।

गांधीजी के विचार व्यक्ति प्रीत ममाज के नेतृत्व पुनर्वयान एवं पद दलित देश की स्वतन्त्रता की समस्या और एक सामाजिक पुनर्निर्माण में अधिक सम्बन्ध रखते हैं। मावर्स के विचार ऐतिहासिक विशेषण, प्राचिक घटना और उगके कार्यकारण सम्बन्ध से अधिक सम्बन्धित है। और इसलिए मावर्स व्यक्ति वो अधिक महत्व नहीं देता। वह व्यक्ति को ऐतिहासिक घटना का और उत्पादन प्रणालियों का एक निर्बन्ध शिवार समझते हैं। मावर्स समूह को अधिक महत्व देते हैं जबकि गांधीजी व्यक्ति को। रोमारोलों ने गांधीजी के कुछ नेतृत्व के फाल्सीमो स्वतरण के प्रावधान में इन दोनों मार्गों के तुलनात्मक गुणों के विषय में लिखते हुए लिहा है:

“मैंधू के मैदानों में मैं आत्मा के दुर्ग को उठाने हुए देखा जोकि दुर्बल प्रीत न भुक्तने वाल महात्मा के द्वारा खड़ा किया गया था एवं मैंने उसको शुरूप में पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया।” आगे, उन्होंने लिखा है कि वे सोविधित साम्यवाद और गांधीजी के मारतीय प्रस्तृपोग प्रान्दोलन को व्याप्ति के दो मार्गों के रूप में देखना चाहते हैं, प्रीत वे आत्मा करते हैं जिन्हें दोनों भाग आगे चल पर मिल जाएंगे। अपनी इस आत्मा की गणनता पर लिखते हुए रोमारोलों ने लिहा कि मेरी राय में साम्यवादी और गांधीवादी मिदान्त दो बहुत दृढ़े प्रयोग हैं और इन प्रयोगों का उद्देश्य मानवता का विकास है। यह प्रयोग विश्व की विनष्ट होने गे बचा सकते हैं प्रीत दोनों मिलवर विश्व की समस्त समस्याओं को हल बैर सकते हैं। आपमें विरोध करते हुए नष्ट हो जाने से तो उनकी राय में इन दोनों को एक होना चाहिए। जिन्हुंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इनका एक होना सम्भव नहीं है।”

“गांधीजी ने स्वयं इन दोनों मार्गों की १९२७ में सकलतवाला, जो रिटिंग पालियामेट के साम्यवादी सदस्य थे, योगमाल में भेट करते हुए यह इन्डिया में मैं लिखा है “हम दोनों में वम से वम एक बहुत बड़ी समानता है; दोनों इस वा दावा करते हैं कि देश और मानवता का द्वित उनका एकमात्र व्येष्य है। यद्यपि इस समय यह प्रतीत होता है कि हम दोनों विरोधी दिशाओं में मैं जा रहे हैं किन्तु मैं आगा चरता हूं कि एक दिन हम समझ मिलेंगे।”

गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने विवाद करने हुए गांधीजी ने साम्यवाद के घारे में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं:—

“मैं यह स्वीकार करता हूं कि खोल्सेविज्ञ को पूरी तरह समझने में सफल नहीं हो सका हूं। मैं बेवल जानता हूं कि इसका उद्देश्य निजी सम्पत्ति की संस्था का उन्मूलन है। यह भपरिप्रह के प्रादर्शों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य रूप में लाता है। यदि जनता इस प्रादर्श को अपने आप स्वीकार करे या

ग्रान्तिपूर्ण ढंग से गमभाने के द्वारा स्वीकार करे तो इससे अच्छी ओर चात नहीं है। किन्तु जो कुछ मैं बोल्शेविज्म के सम्बन्ध में जानता हूँ उसके अनुसार यह शक्ति के प्रयोग का नियेष नहीं करता किन्तु निजी सम्पत्ति के उन्मूलन और राज्य की उस पर सामूहिक स्वामित्व को बनाये रखने के लिए काम में लाने का शक्ति के प्रयोग का आदेश देता है। और यदि ऐसा है तो मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं होगा कि बोल्शेविक सरकार अपने इस बत्तमान रूप में अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। किन्तु यह चाहे जो कुछ हो इम तथ्य तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि बत्तमान बोल्शेविक आदर्श के पीछे आगणित पुरुष और महिलाओं का बलिदान है जिन्होंने अपना सब कुछ इसके लिए त्याग दिया है और ऐसा आदर्श, जो कि लेनिन जैसी महान आत्माओं के बलिदान से पवित्र हो चुका है; व्यर्थ में नहीं जा सकता है। उनके त्याग का यह महान उदाहरण सर्वेव के लिए चमकता रहेगा। और समय व्यतीत होने के साथ आदर्श को विशुद्ध रूप प्रदान करेगा।”

हमने ऊपर कुछ महान विचारकों के उद्दरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गांधीवाद और मावर्सवाद के मार्ग हमें एक ही आदर्श की ओर से जाते हैं। कम से कम उन दोनों में यह समानता अवश्य है। यदि निर्धनों का शोषण और अत्यधिक आधिक विषमताएँ विसी समाज में बहुत दिनों तक रहेगी तो एक हिंसात्मक व्याप्ति उस समाज में अवश्य होगी। उन्होंने लिखा है, यदि स्वेच्छा से घनवान अपने घन और शक्ति का त्याग नहीं करें, तो एक दिन हिंसात्मक व्याप्ति अवश्य आएगी। और इस हिंसात्मक व्याप्ति को सम्भावना को दूर करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रचार किया है। हम यह देखते हैं कि बहुत से देशों में गांधी जी की भविष्यवाणी सही हो चुकी है। हमारे सामने केवल दो मार्ग हैं, उनमें से हम चाहे विषको अपनावें किन्तु एक स्थायी सफलता के लिए और वर्गविहीन व राज्यविहीन प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए गांधीवाद का मार्ग अधिक उचित प्रतीत होता है।

लास्की के राजनीतिक विचार

लास्की की मूल्य को देवत अत्य समय ही व्यक्तीव हीने के कारण न ले हम उनके विचारों की पालोचनात्मक ध्यानपा ही बर सकते हैं और न वाह्यविक स्पष्ट से उनका राजनीतिक विचारकों में स्थान ही निर्णयित कर सकते हैं। धर्मिक से धर्मिक हम इस समय देवत उनके प्रमुख विचारों का विवेचन एवं उनकी राजनीतिक जात्रा को देन की ही सक्षम्य में व्याख्या बर सकते हैं।

प्रो० लास्की की प्रतिभा मर्दनोग्न्यग्रीषी थी। यथापि मन में वह एक राजनीतिक वैज्ञानिक बने, जिन्हु विद्व विद्यालय में अध्ययन शुरू बरते गे पहले लगभग एक वर्ष से उन्होंने सन्दर्भ में कामे शीघ्रतें की बायोमेट्रिक विज्ञानशाला में जीवशास्त्र पर अध्ययन विद्या था। जीवशास्त्र में और विज्ञेयतर मानव जाति उपनित विद्यक जात्य (Eugenics) के प्रति उनका आर्थिक उत्तर होने वाले पत्ती के प्रभाव के कारण था। याकबेंफोड़ विश्वविद्यालय में भी उन्होंने एक वर्ष तक प्राणिशास्त्र का अध्ययन किया और तब वह अपने नहीं मार्ग पर आए।

उनको कानूनी गिरावटों वा विस्तारा ज्ञान वा घोर यही कारण है, जि उनके दर्जे वा आपार कठोर सत्य और तथ्यों का ढोग दौड़ा है। उनकी विस्तारा प्रतिभा इसमें पुण्यस्त्रोता मिट गयी है कि उनकी प्रथम पुस्तक, 'गण प्रभुता की समस्या' देवत २४ वर्ष की आयु में, 'धार्षुनिक राज्य में सना' (Authority in the Modern State) २६ वर्ष की आयु में, 'गण प्रभुता वे आपार' २८ वर्ष की आयु में और उनकी मरण भृत्य 'राजनीति वो व्याकरण' ३० वर्ष की आयु में ही प्रवालित हो गई थी। इस पुस्तक के बारे में गिरावटी वेव वा विचार है कि, "मिजिक के पश्चात् यह राजनीति का गर्वप्रदम गम्भीर एवं गमानवादी हिट्टिबोगु में भी गर्व प्रथम अध्ययन है।" यह गलत है कि उनकी मरण प्रतिभा इन पहली गृहियों में ही नहीं बल्कि है। ३० वर्ष की ही आयु में वह अपनी विस्तारा प्रतिभा के गवैच्छ शिगर पर पहुँच जुहे थे। गर्वियन, ने इस मरण में टिप्पणी करते हुए किया है, "उनकी युवावरणा की प्रतिभा से जो बड़ी दर्दी मानाएँ उपर दृढ़ है उनको उन्होंने

आगे चलकर लेखक के रूप में कभी पूर्ण नहीं किया। उनकी प्रीहावस्था की जितनी भी कृतियाँ हैं उनमें से केवल एक को छोड़कर—संयुक्त राष्ट्र की विधान और सरकार के सम्बन्ध में—किसी में भी उनकी पहली चार महान् कृतियों की प्रतिभा नहीं फलकती। लग्नदन स्कूल में उन्होंने अपने सर्वप्रथम भाषण में यह कहा कि वह राजनीति का अध्ययन इतिहास के आधार पर चोहते हैं, जबोकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तब तक स्थाई नहीं हो सकती जब तक कि वह भूतकाल के ऊपर आधारित न हो। उन्होंने आगे यह कहा कि राजनीति शास्त्र व्यक्ति का मगालित राज्यों से सम्बन्ध का अध्ययन कराता है। राजनीति शास्त्र को वह इतिहास का बरण न मानते थे। और इतिहास के अनुभव के आधार पर वह राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तों का निर्माण करने के पक्ष में थे।

अपने सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने कभी राजनीतिक पद की न अभिलाषा की और न स्वीकार हो किया। जबोकि उनका यह विश्वास था कि राजनीतिक पद उनकी अन्तरात्मा, जिसको वह सत्य समझते हैं, के पालन में हस्तक्षेप करेंगे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केवल वह कोरे संदानिक दार्शनिक थे। उनका विश्वास था कि एक राजनीतिक दार्शनिक के लिए विशेष उपर्योग यह अपने चारों ओर हांने वाली विश्व की घटनाओं से उदासीन रहे। राजनीतिक घटनाएँ और राजनीतिक दलों के कायदङ्गम के अध्ययन से ऐसे दार्शनिक को अनुभव प्राप्त होगा और उसके विचारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सत्य एक स्थान पर कहा है कि अभिक आनंदोलन ने उनके अपने अनुभवों में, सिद्धान्तों के निर्माण करने में और उन सिद्धान्तों को एक नवीन रूप देने में पर्याप्त सहायता की है। लालकी पर समकालीन घटनाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, विशेषतया आधुनिक समाज के सामाजिक और आर्थिक घोषणा का, और उन्होंने अपना समस्त जीवन अन्याय और शोषण के विरुद्ध सघर्ष करने में लगाया है। अपनी आगि ल पृष्ठभूमि के कारण उनका व्यक्ति की स्वतन्त्रता में पूर्ण विश्वास था और व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बड़ा यादर था। उनके अनुसार यदि व्यक्ति को उसकी अन्तरात्मा, उसकी योग्यता और उसकी बुद्धि को हम नैतिक हृष्टि से स्वीकार नहीं करते हैं तो न्याय की कोई सभावना नहीं। वह यह समझते हैं कि अन्तिम रूप में व्यक्ति का मार्ग दर्शन उसकी अपनी अन्तरात्मा और विचार करेंगे, जाहे वह अन्तरात्मा अनुचित और मूर्खतापूर्ण ही ज्यों न हो। कभी से कभी वह व्यक्ति की अपनी सम्पत्ति है और स्वतन्त्रता अन्तरात्मा के कहने के अनुसार बायें करने में है। व्यक्ति का सर्वेप्रथम कर्तृव्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति है।

वह उस सामाजिक संगठन को सबसे अच्छा समझते थे जो कि व्यक्ति को अच्छा जीवन ध्यतीत करने के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। उन्होंने अच्छे

जीवन की दर्जियाँ वर्ते हुए थे। नि इसे जीवन का एक सूख्य गिरावत है तो, "प्रथमी स्वतन्त्र इच्छा में वह कार्य करना जो कि हम करने योग्य समझते हैं।" दूसरे पाल्टों में यह भी वह। इते हैं कि वह उम मामाजिन गणठन को अच्छा समझते थे जो विश्वित के कायी पर कम में कम नियन्त्रण रखता है। स्वतन्त्रता के शिष्य में प्रो० लाली के दिवारों में आगे चलकर परिवर्तन हुआ है प्रीत यह कुछ उन मुख्य मिदालों में से है जिनमें लाली ने आगे चलकर श्रीदावस्था में बदेश्वर परिवर्तन किया है। प्रथमी पुस्तक 'राजनीति का व्याकरण' में उन्होंने स्वतन्त्रता की परिभाषा परते हुए यहा कि "स्वतन्त्रता, एक महिय वस्तु है प्रीत इसका धर्म नियन्त्रण की अनुपस्थिति ही नहीं है।" इसी मध्यम में आगे उन्होंने यह भी यहा कि राज्य की बुद्ध कायी की नियन्त्रण करने की शक्ति के बाबरा, 'न तो स्वतन्त्रता का भ्रन्त ही होता है प्रीत व व्यक्ति की शृङ्खल करने की प्रवृत्तियों को निराश्य ही होता है। प्रच्छेद जीवन के लिए आवश्यक नियमों को साक्षर करने में व्यक्ति परत नहीं होता है। ऐसे कायी को, जो विसामान्य हितों के बिट्ठ है, वी प्रनियतिन वाये सेव में हृषीने में स्वतन्त्रता पर काँट प्राप्तमर्ह नहीं होगा।' किन्तु प्रथमी उसी पुस्तक 'राजनीति का व्याकरण' १९३७ के दूसरे सस्परण में, जो कि 'प्राणिनिक राज्य में स्वतन्त्रता' तामस पुस्तक के पश्चात् प्रकाशित हुई थी, उन्होंने इस मृगभूत विचार के मध्यम में आगे विचारों में पूर्णतया परिवर्तन वर दिया और उम मध्यम उन्होंने लिया, "स्वतन्त्रता के मध्यम में पुराना हाटिकोण कि स्वतन्त्रता नियन्त्रण की अनुपस्थिति है ही बेयत नागरिक के व्यक्तित्व की रक्षा वर सकता है।" उन्होंने आगे चलकर यह भी यहा कि मुद्द भीमाएँ जैसे कि हृषी का नियंत्रण अर्द्ध यद्यपि उपर्युक्त भीमाएँ हैं किन्तु किर भी उनको भीमाओं के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। प्रो० लाली गमानता और स्वतन्त्रता की एक दूसरे के लिए आवश्यक और पूर्ण मानने थे। उन्होंने लिया है कि स्वतन्त्रता तभी सक्षम होगी जबकि उसका प्राधार गमानता का स्तर होगा। गमानता के बिना स्वतन्त्रता बेक्षम एक व्यक्ति मात्र है और गमानता उन आपारों को ब्रह्मन करती है जो कि स्वतन्त्रता को सक्रिय शर्य देते हैं। प्रच्छेद जीवन के मिए और आवश्यक परिवारों के लिए सब व्यक्ति समान स्तर से परिष्कारी हैं। ऐसे परिवारों को जो कि प्रच्छेद जीवन के लिए आवश्यक दमाएँ हैं लाली प्राणिनिक परिष्कार मानता है। जब उनकी इस मध्यम में प्राणिनिक शब्द के प्रयोग के लिए आपोचना की गई तो उन्होंने प्रथमी रक्षा में यह तक दिया कि नेत्रिक वर्तम्यों के लिए हमें अच्छा धन्य कोई उचित धारणा नहीं है सहता। उन्होंने लिया "यह स्पष्ट है कि यदि एक यार भी हम यह स्वीकार वर सेतो है कि विनी भी विशेष परिस्थिति में एक नियम होना ही चाहिए तो हम प्राणिनिक बाह्यन के अनित्य को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा धारा हाटिकोण यह है कि प्राणिनिक बाह्यन के मार्ग में इन सब कटिनाइयों की अपेक्षा भी उसे गमनीति कर्त्तव्यों में, दर्शन का एक दृष्टिकोण है।" अच्छि का विधि में सम्बन्ध,

प्रो० लास्की ने अपनी अच्छे जीवन की परिभाषा में लिखा है “निर्गी भी समाज की अन्तिम परीक्षा उसके द्वारा प्रस्तुत उन रचनात्मक सेवाओं के साधनों से होती है जिन्हे प्रयोग में लाने के लिए कोई उत्सुक है।”

लास्की का यह निश्चित मत या कि जब तक आर्थिक और सामाजिक धोंशों में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतन्त्रता और समानता केवल कागज पर रहेगी और एक प्राढ़म्बर मात्र ही होगी। आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि जिस समाज में बहुत अधिक आर्थिक विप्रमताएँ होगी, वहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा उचित ढग से नहीं व्यक्त कर सकेगा। उन्होंने अपने एक सेख “मैं मानवसंवादी क्यों बना” में लिखा है, “मैं अमेरिका से यह विश्वारा लेकर लौटा कि स्वतन्त्रता का समानता के बिना कोई अर्थ नहीं है और मैं यह भी समझने लगा हूँ कि जब तक उत्पादन के साधन समाज के स्वामित्व में नहीं आयेंगे तब तक समानता का भी कोई अर्थ नहीं होगा।” सभवतः यह सब्द उन्होंने अपने हावंड काल के कदु अनुभवों के आधार पर लिये हो जबकि पुलिस की एक हठताल में हस्तक्षेप करने पर उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने समाजवादी एवं बहुवादी विचारधारा अपनायी। उनके विचार से समाज और व्यक्ति दोनों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को केवल बहुवादी उचित प्रकार से संबंधित कर सकता है। इसलिये उन्होंने कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना की और उसे भ्रस्तीकार कर दिया। अपनी सम-प्रभुता पर पहली तीनों हृतियों में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना की है। और अपनी अन्य हृतियों में भी सम्बन्धित स्थानों पर उन्होंने यह आलोचना जारी रखी।

यह सत्य है कि उनके राजनीतिक दर्शन में कुछ ऐसी समस्याएँ रह गई हैं जिनका कि वह ठीक ठीक हल नहीं दे सके। उन्होंने पहले समाज की बहुवादी विचारधारा को अपनाया और राज्य के महत्व व शक्ति पर पर्याप्त नियशण लगाये। इन्होंने बाद में उन्होंने राज्य को फिर से अपने महत्वपूर्ण स्थान पर आरोपित कर दिया। उन्होंने अपना पुस्तक ‘माधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता’ में लिखा है ‘क्योंकि व्यक्ति अपनी विरोधी इच्छाओं वो पूर्ण करने के लिए विभिन्न मार्ग अपनाते हैं, इगलंग राज्य की आदेशात्मक शक्ति जिसके अनुसार व्यक्ति उचित ढग से थागे बढ़ सकता है और समाजिक व्यवहार के नियमों का निर्माण कर सकता है, आवश्यक है।’ उन का यह कथन राज्य को पुनः अपनी शक्ति लौटा देना है। राजनीति शास्त्र के विद्यायियों को इसमें यह भ्रम हो सकता है कि लास्की राज्य को सामाजिक धर्मों में प्रमुख स्थान ५ दान वरता है। उन्होंने राज्य को विशिष्ट शक्तियों प्रदान की है जर्बाक

उन्होंने यह लिखा कि, "स्वतन्त्रता की सीमाएँ" सामाजिक रानित के संबंध से सम्भावना से निर्धारित होगी।"

प्रो० लास्टी पियोपदर एक मुपारक ये और अन्य मुपारकों की भाँति ही यह चाहते थे कि राज्य उनके मुद्दारों को बायं रूप में परिणत करे। देवत एक शक्तिशाली राज्य ही ऐसा बर सकता है और इसलिए उन्हें शक्तिशाली राज्य के विचार पर स्वीकार करना पड़ा। समाजवाद राज्य की शक्ति को बम नहीं करता, यद्यपि माध्यूनिक बायं दोष को बढ़ाता है और प्रत्येक समाज में इसका प्रथम बायं दोष ही होगा। समाजवाद को स्थापित करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि राज्य की आदेशात्मक शक्ति बाम में न लाई जाय। यद्यपि लास्टी के पनु सार आधुनिक राज्य में शक्ति का तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु भी यह राज्य की आज्ञाप्री वा पालन कराने के लिए आवश्यक है। यद्यपि किसी सीमा तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक नियोजन ये मामलय ही सकता है जिन्हें यह घ्यान में रखना चाहिए कि यिसी भी नियोजित समाज में नियोजन की गफलता के लिए राज्य एक आवश्यक भूमिका है। चाहे यह राज्य सम्पूर्ण प्रभुता नम्पम न भी हो जिन्हें किंतु भी बम से बम हम इतना आवश्यक हूँ सकते हैं कि बहुवादी राज्य के लिए नियोजित समाज की स्थापना संभव नहीं है।

लास्टी ने राज्य की आज्ञा-पालन के आदर्शवादी गिर्दान्त की आलोचना की है। उनके पनुमार यह मिर्दान्त भी प्रवार की स्वतन्त्रता वा विरोधी है। लास्टी के अनुमार—“स्वतन्त्रा वा भी मिर्दान्त आदर्शवाद के प्रत्येक आद्यार के नियेष पर आधारित है। राजनीतिक दर्शन के सम्पूर्ण दर्तिहास में इसके अधिक चतुरता नहीं पाई जाती। इस चतुरता से आदर्शवादी विचारकों ने स्वतन्त्रता और प्रभुत्व शक्ति के पुराहन विरोध की गमस्या से बचकर निकल जाने वा प्रयत्न लिया है।” लास्टी ने आदर्शवादी गिर्दान्त की आलोचना हावहाउस में भी वही ध्यापिक को है और इस निर्दान्त के दोषों को स्पष्ट गव्यों में हमारे सामने रखने की चेष्टा की है। लास्टी के अनुमार राज्य की आज्ञा पालन वा यह मिर्दान्त न को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रूपा बर सकता है और न ऐसी परिम्यनियों का ही दिर्माण बर सकता है जो कि व्यक्ति के विवास के लिए आवश्यक हैं।

लास्टी १६ की शताब्दी के मौन राजनीतिक दर्शन के बहुत बुद्ध गोपा तक फैले हैं और स्ट्रैची के अनुमार लास्टी के मन्त्रिक वे सबसे नीचे के स्तर वा आधा १६वीं शताब्दी के प्रगतिवादी विचार थे। उन्होंने उदारतावादी एक नई परिभाषा दी जो कि श्रीदीगिक युग और समाज की आवश्यकताओं के अनुमार डिजित थी। 'राजनीति की व्याकरण' में उन्होंने लिखा है कि उनके राजनीतिक विचार दैन्यम के विचारों की आधुनिक बात की विदेष आदर्शवादी वे अनुमार एवं नवीन गश्त रहे हैं। साता-

के दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों से वह सहमत थे। उनका मय क मावर्ग की व्यास्या द्वारा ही केवल कानून के सार के समझा जा सकता है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक मे मावर्स के सिद्धान्तों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। इस पुस्तक 'साम्यवादी धोपणा पत्र, एक समाजवादी सीमा चिन्ह' (Communist Manifesto, a Socialist Landmark) मे लिखा है कि इस नए विश्वास के मानने वालों का उत्तीड़न इसका उत्तर नहीं है किन्तु हमें यह मिथ्क करना होगा कि इसमे विश्वास न करने वाले भी इससे एक अधिक शानदार भविष्य की कल्पना सामने रख सकते हैं। उनकी वाद की कृतियों की मुख्य समस्या मावर्सवादी सिद्धान्त और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे सामजिक पैदा करना थी और इस समस्या ने उनके विचारों मे अनेकों स्थान पर विरोधी और असंगत विचारों को जन्म दिया। जॉन वैस (Jen Weiss) ने लास्की की मृत्यु पर एक शोक निवन्ध मे लिखा, "उनके मस्तिष्क के मावर्सवाद और उनके हृदय के उदारतावाद का सघर्ष स्पष्ट रूप से १९३४ मे उनकी पहली मास्को यात्रा मे हुआ। बोल्डेविको के द्वारा सामाजिक परिवर्तनों की जोरदार शब्दों मे रक्षा करने के पश्चात उन्होंने मास्को अकादमी के सामने प्रजतन्त्रीय और रासदीय स्वतन्त्रता के पक्ष मे उतनी ही जोरदार दलीलें दी।" रोसी (Rossi) के अनुसार हमारे समय की एक बहुत बड़ी मावश्यकता यह है कि, "मावर्सवाद का पुनर्जर्यन इस हिट से हो कि उसमे से कुछ सिद्धान्तों को बचाया जा सके और उनका प्रजातन्त्रीय विश्वासों के साथ समिक्षण किया जा सके।" २० वीशताब्दी मे यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए मदमे अधिक थोग्य था, तो वह प्रो० लास्की ही थे।

लास्की कभी भी असीमित राष्ट्रीयता को ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने निखा है कि यदि राष्ट्रीयता को सम्भवता की प्रावश्यकताओं के अनुहान होना है तो उन बातों को जिनका एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्ध है और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य हिनों से सम्बन्ध रखतो है, हम किसी भी बड़े राष्ट्र को अकेले उन पर निर्णय करने का अधिकार नहीं दे सकते। उनके विचार मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मे सामजिक हो सकता है। देशभक्ति का पर्य यह नहीं है कि हम विश्व युद्ध की ओर अप्रसर हो या दूसरे राष्ट्रों को हम अपने मालीन करने की चेष्टा करें। किन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आचुनिक परिव्यतियों मे समाजवाद की स्थापना राष्ट्रीय राज्य के हाँचे को परिवर्त रो ही हो गती है चाहे इसमे जितनी ही कमज़ोरियाँ अथवा कमियाँ बयो न हो।

राजनीतिक विचारो और सिद्धान्तो का अध्ययन करने के साथ-साथ उन्होंने राजनीतिक स्थापनो का भी अध्ययन किया है। वह सिद्धान्तो को भी स्थापनो के समान ही महत्वपूर्ण नममने थे, क्योंकि सिद्धान्तो को स्थापनो के बिना कार्यरूप मे परिणाम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनो पुस्तक 'राजनीति की व्याकरण' मे आचुनिक

राज्य के गंभीरात्मक होने पर एक प्राचीनतारमह और गवेषणात्मक अध्ययन दिया है और हम यह वह महत हैं कि आधुनिक राजनीतिक सम्पादों के अध्ययन के निए उनकी यह पुस्तक उत्तम-गुणात्मक पुस्तकों में में एक है। विचारों प्रीत राजनीतिक गंभीरात्मों के मध्यम्य में उनकी जिज्ञासा, उनकी दो पुस्तकों, जो कि उन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति और अमेरिकन प्रजातन्त्र के मध्यम्य में लिखी थीं, में गिद होती है। वहाँों की मध्यम्य पहला आशच्चर्य होता है कि ममात्रवादी बहुवादी लास्टी भी पूँजीवादी अमेरिका के मध्यम्य में इनकी अधिक जिज्ञासा व्याप्त हुई। लास्टी ने इताना उत्तर स्वयं अपनी पुस्तक 'आधुनिक राज्य में गता' (Authority in the Modern State) में लिखा कि यह मानते हुए भी कि अमेरिका की राजनीति अव्यक्त है वही की जनता अत्यधिक आमावादी है। वही पर पांच व्यक्ति सरकारी नौरगी या राजनीतिक जीवन में न होने के दूसरे दोनों में हैं। याथ ही वही पर ऐसी राजनीतिक सम्पादों हैं जो कि प्राप्त-निकाल के लिए हानिशक्ति गिद हो गयी हैं, इन्हुंने इन एवं कमियों के अतिरिक्त भी हाथ घोमिला के विषय में बुद्ध बातें ध्यान में रखती हैं। जैसे कि अमेरिका का जन्म कानिंह के द्वारा हुआ था और उस कानिंह ने अबतर भी समाजता के मिलान को एक प्राहृतिक अधिकार वा क्षमा दिया था और हम यह भी नहीं जूनता चाहिए कि अमरीकी राजनीति जीवन और उसके मध्यन्तिक विषयों पर अध्ययन की तुलना में टोट्टेल और शाइर का अध्ययन व ज्ञान भीमिल प्राप्ति होता है।

अमरीकी जीवन के मध्यम्य में श्रो० लास्टी को पर्याप्त ज्ञान था और उन्होंने अमरीका में जो पोंडा या गमय व्यक्ति निया था उसी में वे अमरीकी जीवन के गूढ़नृत व्यक्तों पर अच्छा अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने में अत्यन्त महत हुए हैं। लास्टी उन बुद्ध गवेषनिक विचारों में गए हैं जो कि उनके गमय की राजनीतिक गमन्यामों ने गतिय रूप में गमन्यित होते हैं। उनके गमन्य जीवन कान में वे गरेव गतिय राजनीति में गमन्यित रहे। उनका ग्रिटिंग शमिल बन गया ताकि विश्व के गमानवादियों में अत्यन्त ही निवाट गमन्य थे, उनके गिदान्त और विचार इन दिवित्र गमन्यामों के द्वारा पूर्ण रूप में प्रभावित हुए हैं, और वह कभी भी विचारों की अगुणगति के नये गमने विचारों में आवश्यक परिवर्तन करने में तीखे नहीं होते। कान और दिवित्रि के अनुसार जैसे-जैसे उनके विचारों एवं अनुभवों में परिवर्तन होता गया वैपें-वैपें उन्होंने अपने मिलानों में भी परिवर्तन किया। उदारवाद से वे बहुवाद की ओर दृढ़ और बहुवाद से गमानवाद की ओर। यद्यपि वे अपने मुग की मद्दते वही गमन्यामों हैं जैसे अपने गमन्य विचारों के लिए मार्ग दर्शन का बाधा दर्शते।

प्रो० लास्की का प्रभाव अपने जीवन काल में ही बहुत अधिक था । उन्हे एक सच्चे अर्थ में दाशंनिक एवं विचारक वहा जा सकता है । अनेक व्यक्ति इस बात को भूल जाते हैं और वे केवल उनको एक राजनीतिज्ञ की हृष्टि से देखते हैं । प्रो० मैकइलवेन का यह कहना है कि प्रो० लास्की का अपने विद्यार्थियों पर और उन्हीं भी शिक्षक से वही अधिक प्रभाव था ; वे तो यहाँ तक बहते हैं कि उन पर सब भी प्रो० लास्की का बहुत अधिक प्रभाव था और वे सब इस प्रभाव के लिये उनके अनुग्रहीत थे । लास्की इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे कि दाशंनिकों एवं विचारकों को व्यावहारिक जीवन से प्रलग रहना चाहिए । विन्तु उनका यह विश्वास था कि दाशंनिक एवं विचारकों को अपने व्यावहारिक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा और अनुभव प्राप्त करना चाहिए । श्री किल्फ़म्मे मास्टिन इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

“अपनी पुस्तक ‘विश्वास, बुद्धि और सम्यता’ में हेरोल्ड ने उन बोद्धिक लेनायों की आलोचना की है जो कि उनकी हृष्टि में पूँजीवादी समाज के धर्य के बारणों की सम्भते हैं तो भी अपनी पीढ़ी का उम वास्तविकता का मामना करने में सहायता देने के स्थान में व्यक्तिगत प्रायत्वाद के मार्ग को प्रोत्तिहृन देते हैं । आन्तिकारी युग में बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वह नामान्य जनता की आवश्यकताओं से अपना सम्बन्ध रखें, उनको नेतृत्व दे, व्यापार करें और उनको अधिक से अधिक व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न करें । उन्होंने ऐसे बुद्धिजीवियों के बायों के सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप, जैफर्सन का प्रारम्भिक गणतन्त्रवादिया से राम्बन्ध, मार्क और एनजली का रामजवादी आन्दोलन से सम्बन्ध जिसके कलस्वरूप प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अधिक सघ का जन्म हुआ था, निर्वासित लेनिन का रूस के बोल्शेविकों से सम्बन्ध और एक छोटे रूप में कदाचित् वर्म सफल रूप में बैल्श का विटिंग अधिक आन्दोलन से १९३१ के पहले बाले युग में है ।” (हेरोल्ड, जे. लास्की पृष्ठ २४६-४७)

२० वीं शताब्दी के बुद्धिजीवियों की अपने कर्तव्य प्राप्ति का असफलता की आलोचना करते हुए अपनी पुस्तक ‘विश्वास, बुद्धि और सम्यता’ में लिखा है—

“यह इटालिन बुद्धिजीवियों की असफलता के कारण मुसोलिनी शक्ति में आने में सफल हुआ । अर्मन बुद्धिजीवियों की असफलता के बारण हिटलर अपना कुर्ल्प साम्राज्य स्थापित कर सका । यह १९१६ के पश्चात् के फैच बुद्धिजीवियों की असफलता ही यो जिसने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसके कारण कास की १९४० में हार हुई । हमें अपने आपको इस विश्वास से घोसा नहीं देना चाहिए कि ग्रिटेन पौर संयुक्तराज्य अमेरिका में परिस्थितियाँ भिन्न हैं ।”

प्रो० लास्की ने जीवन भर अपनी पीढ़ी को उसकी समस्याओं से अवगत कराने में और उन समस्याओं से सवर्ण करने की प्रेरणा देने का प्रयत्न किया था और इस प्रयत्न में यह स्वाभाविक ही है कि उनको बहुत अधिक लिखना पड़ा । इस कारण से वही कही गर विचारों की युनरायूति होगई है या उनमें असरति मार्ग है ।

राजनीतिक वहुवाद

वहुवाद विशेषणः प्रभुता का गिरावंत है। राज्य के रानुनी सम-प्रभुता गिरावंत के अनुगार प्रभुता प्रविभाज्य है। इस गिरावंत के मानने वालों में प्रभुता की सबसे अच्छी परिमापा आस्टिन के द्वारा की गई है। आस्टिन के अनुसार "परिमियो गमाज वा अधिगम भाग इसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की शासायों का गायारणः गानन करता हो तथा वह निश्चित व्यक्ति किसी अस्य प्रधान की शासा मानने का आदी न हो, तो उस गमाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभु है, तथा वह गमाज उस प्रधान के महिन एवं स्वतन्त्र राज्य है।" प्रभुता के इस गिरावंत के अनुगार प्रभु एवं निश्चित व्यक्ति है और गमाज के मदस्यों पर उसकी शक्ति असीमित है। उसके ऊपर किसी भी प्रभार का कोई नियंत्रण नहीं है और उसकी शासा ही कानून है। प्रभुता जो इस प्रभु का गुण है प्रविभाज्य, अदेय, सर्व व्यापक और स्थाई है। इसका भयं यह हूपा कि प्रभुता के बह राजनीतिक समुदाय का ही गुण है और इस गुण के बारण राजनीतिक समुदाय गम समुदायों में गवर्स अरिह भट्टवर्गों है। प्रभुता के इस गिरावंत के अनुगार राज्य के पाता में दूगरे गमुदायों की नियन्त्रित करने की भी शक्ति है।

राज्य के कार्य को त्रै में वृद्धि के गायन्माय राज्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है। गमाजसाद और लोक वन्याणकारी राज्यों के इस पृष्ठ में राज्य के कार्य-शेष में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके कानूनकरण राज्य की शक्ति में भी वृद्धि हुई है। १६वीं शताब्दी में व्यक्ति राज्य की इस शक्ति के गमश्च गमने आग को बहुत ही दुर्बल और अमहाय पाता है। अपने हितों की रक्षा के लिए उसे आवश्यक हो गया है कि वह दूसरे व्यक्तियों के गाय मिन कर द्वित रक्षायं समुदायों का निर्माण करे। बीमवी शताब्दी में राज्य और व्यक्ति के स्थान पर राज्य और गमुदायों का संघर्ष आयुनिर राज्यों का मुख्य लक्षण है। अरेका व्यक्ति राजनीतिक शितिज पर नगण्य है और आयुनिर राज्य की अगोमित केन्द्रित शक्ति के गमश्च प्रत्यन्त ही अगहाय है। यदि वह राज्य के अनुचित

हृषीकेश को रोहता पाहा है और भगवन् उन्होंने हिंगे की रथा करना पाहता है तो उनके लिए यह धार्मिक है कि गामान्य हिंगों पाले दूसरे व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थानित करे और ऐसे अविकास का राज्य के मनुष्यित हस्तांशों को रोकने के लिए समुदायों का नियमित वापर्य है। गमान्य के बहुतांशी विद्यालय के यीगड़ी वालास्थी में प्रगति और वाहन वाले मुख्य कारण हैं।

प्राचीन व्यक्ति के लिये दृढ़ होने हैं और उनके व्यक्तिगत के भी अनेक स्वरूप होते हैं। जब यह राजनीति, गामान्य, पांचिक, वालिक और धन्य दाता में वार्षिक वरता है या भाग लेता है तो यह विविध रूपों में वार्षिक वरता है। यह एक ही समय में विभिन्न गमुदायों का वार्षिक वरता है और यह इसके विभिन्न विषयों के लिए वार्षिक वापर्यक भी है। इनमें से प्राचीन गमुदाय उनके लिये भी लिये दिया जी गुण्डाया रथा वरता है अपरिवर्त्य उनके गामान्य राजनीतिक लिये भी रथा वरता है जैसे—जानित और गुण्डाया वराणी रथता, गमान्य विरोधी अविकास में उनकी गमान्यता और जीवन की रथा करता। जबकि उनके दूसरे गमुदाय विषिष्ट हिंगों को पूरा वरते हैं। अविकास के हिटांगों में उनके यह दूसरे विशेष दृढ़ भी यदि परिवर्तन नहीं तो उनमें से गमुदायों हैं जिनमें कि राज्य द्वारा रक्षित राजनीति वर्ता है।

गामान्यीय गमुदायों ने गुण्डा राजनीतिक गमुदाय राज्य, वरिवार, धनं, धनिक गम्य, और चारहाँक गमुदाय लेता है वार्षिक इत्यादि है। इनमें से प्रथमा गमुदाय एक विषिष्ट दृढ़ हिंगों को पूरा वरता है और इनमें से लिये भी लमुदाय का कार्य दूसरा गमुदाय नहीं कर सकता है। चारहाँक दामांक गमान्य जाति की वराणीय का वराणीय रथता है। यह एकों प्रारम्भिक गमुदाय है और इसके सब्द होने से गमान्य जाति लकड़े में यह जापयी। वरिवार दामांक गमुदाय में सबसे प्रारम्भिक गमुदाय है। इसकी वराणीयता अविकास की दृष्टि पर लिमंट नहीं वरली है। यह उनकी ही अविकास है जिनको कि राज्य की वराणीय। अविकास जैसे राज्य में जग्म लेता है जैसे ही वरिवार में भी जग्म लेता है। वरस्त इस यह भी कहु गयो है कि जग्म लेता ही यह परिवार का वराणीय होता है। इस प्राचार अविकास हिसी विशेष पद्म में ही जग्म लगता है और उनकी यह पांचिक वराणीयता भी अविकास है। जिन प्रकार यह वरिवार पर जग्म लेता है वह लियी परिवार का राज्य का वराणीय हो जाता है उनी प्राचार यह लियी पांचिक वराणीय भी वराणीय हो जाता है। यदि वरिवार की वराणीयता दराक प्रगता और पांचिक वराणीय की वराणीयता भी वरिवार के द्वारा वरली जा वरती है तो राज्य की वराणीयता में भी प्राचूर्णितकरण के द्वारा वरिवार लिया जा वरता है। वापरारण्णतः यह सोचना कि राज्य की वराणीयता अविकास है और दूसरे गमुदाय की वराणीयता ऐसिया है, भूत है। वरिवार की वराणीयता की वरत, जो कि गगड़ा गमान्यीय गमुदायों में गम्य से प्राचिक वापर्यक एवं प्राचूर्णित है, पांचिक वराणीय

और जाति की गद्दस्यना आदि भी उन्होंने ही अतिवार्य है जिन्होंने कि राज्य की और विवाह परिवर्तन में राज्य से भी प्रविष्ट। आप प्रयत्न करके अपनी नायरित्यना में परिवर्तन रख मरते हैं इन्हुंने आप जिन्होंने भी प्रयत्न करे अपनी गस्तुति, रंग और जाति में परिवर्तन करने में गहरा नहीं हो सकेंगे।

गस्तुतिर पार आधिक समुदायों की गद्दस्यना भी ऐच्छिक नहीं है। आप प्रयत्न मास्तुतिक गमूह को खुला नहीं है बरत् उमर्मे जन्म लेते हैं। एक व्यक्तिवादी गम्भीर यह दावा कर कि वह एक स्वतन्त्र व्यक्ति है और स्वतन्त्र इच्छा का स्वामी है जिन्हें उन्होंना नहीं है। उनकी स्वतन्त्रता की भी प्रतेक सीमाएँ हैं। पर्ही तरफ कि उनकी गस्तुति, उनके परिवार, ममाज और जन्म लेने के स्थान से निर्दिष्ट होती है। उनका भावन यह उनकी गस्तुतिक दर्शनों का निर्माण जीवन के प्रारम्भ में ही हो जाता है और नदरश्चारा उत्तरा पूर्णतया परिवर्तन तर देना प्रत्ययन ही कठिन होता है। योग्यों जनान्दी में यदि व्यक्ति आपने आधिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो उसे उन दूसरे नमान आधिक इन बाने व्यक्तियों के साथ में शामिल होना ही पर्हेगा वयाकि ऐसे गवठन के बिना उनके आधिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। गामूहिक अधिकारों की साथ वो शक्ति और गामूहिक हस्ताक्षेप का विरोध अर्हों व्यक्ति में अग्रिम शक्ति रखते हैं और उनकी सकृतता की भी याज्ञा प्रभिक होती है। अमिक गम्ध आनंदोलन का पूर्ण आधार यही गामूहिक शक्ति और आधिक अधिकारों में हस्ताक्षेप का गामूहिक विरोध है। अधिकांश यापुनिक व्यक्तियों के लिए अमिक संघ की गद्दस्यना प्रबिद्ध नहीं है जिन्हें प्रतिवार्य है। अमिक राज्य आनंदोलन वा गम्ध बड़ा दुर्बाय यह है कि एक ही प्रकार के आधिक हिन्दों की रक्षा के लिए विभिन्न अम गम्ध बनते रहे हैं और यह अमिक गम्ध कभी-कभी आपस में मंवर्य भी करते रहे हैं। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक अमिक गम्ध आधिक अधिकारों की रक्षा करने में गहरा नहीं हो गहरा और यह आपने प्रस्तुति के फारल को गहरा नहीं बना सकता। प्रगतिशील देशों में अमिक गम्ध आनंदोलन इन देशों तक प्रगति कर चुका है कि गामूहारण्यतः नमान आधिक हिन्दों वाले व्यक्ति एक ही अमिक गम्ध के गद्दस्य होते हैं। परिवर्तन औद्योगिक देशों में आपत्ति किंगी भी उद्योग में तब तक बायं नहीं बिल गरना जब तक कि आपके पास अमिक गम्ध की गद्दस्यना का ग्रामाण नहीं होता और यिन्होंने ऐसी गद्दस्यना के आपत्ति प्राप्ति हिन्दों की हानियों का मुद्यादजा लेना अम भव होता। ऐसी परिवर्तन में यह कहना कोई अविद्यायोक्ति-पूर्ण नहीं होगा कि अमिक संघों की गद्दस्यना आधिक हिन्दों के रक्षार्थ उतनी ही आवश्यक और प्रतिवार्य है जिन्होंने कि राजनीतिक हिन्दों के रक्षार्थ राज्य की। कुछ परिवर्तनियों में तो हम यही तर बहु मरते हैं कि अमिक संघ की गद्दस्यना राज्य में भी अनियंत्रित पूर्ण होती है और ऐसी परिवर्तनियों में गार्भावाद का यह विदान 'आधिक इति ही गम्धे प्रथाम होते हैं' गत्य प्रतीत होता है।

ग्रन्थ हम पह कह सकते हैं कि जिन समुदायों को साधारणत ऐच्छिक कहा जाता है वे उन्हें ही प्रतिशायं होने हैं जितना राज्य। प्रो० मैस्पाइवर के शब्दों में बहुवादियों की मुख्य मांग पह है कि राज्य रावं प्रधान समुदाय न होकर एक समुदाय मात्र ही हो। बहुवादियों का पह कहना है कि समस्त समुदाय व्यक्ति के लिए समान रूप से आवश्यक है वशोकि वे सब व्यक्तियों के विभिन्न हितों की समान रूप से रक्षा करते हैं। ऐसी अवस्था में राज्य ही को क्यों समुदायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिये? राज्य क्यों समुदायों के नियन्त्रण करने वाला समुदाय हो? केवल इसी को सम्मत हो और विवश उसने की शक्ति क्यों मिलनी चाहिए? व्यक्ति के हृष्टिकोण से राज्य उन्होंने ही महत्वपूर्ण है जितने कि दूसरे समुदाय। इसलिए बहुवादी राज्य की विवश करने को शक्ति एवं सम्मत होना चाहिए। उनका पह हृष्टिकोण इसलिए है कि राज्य को अपने महत्व के अनुसार ही शक्ति मिलनी चाहिए और चूंकि राज्य अन्य समुदायों के समान ही महत्वपूर्ण है इसलिए राज्य की शक्ति एवं अन्य समुदायों की शक्ति में कोई विवेद अन्तर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के लिए प्रपत्ते समस्त विवेद हितों की रक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को भक्ति प्रसन्न समस्त हितों के प्रति समान रूप से है। जब उसके हितों में सर्वप्रथम होता है तब व्यक्ति उस हित की रक्षा करता है जिनको उस समय उस परिस्थितियों में सबसे प्रविक्षिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि अभिक्षम सम उसके ग्राहिक हितों की रक्षा के लिए हड्डताल करने को माना देता है और राज्य उस हड्डताल को ग्रवेद घोषित करके व्यक्ति को हड्डताल करने से बचित करता है तो ऐसी अवस्था में साधारणत व्यक्ति प्रसन्न अभिक्षम गम का हो साय देगा और राज्य का विवेद करेगा। उस समय हड्डताल करने वाले मजदूर के लिए उसके ग्राहिक हित राजनीतिक हितों से ग्रविक्षिक महत्वपूर्ण होगे और ऐसे समय में राज्य सम-प्रभुता और विवश करने की शक्ति के होने पर भी व्यक्ति से वह प्रपत्ते आदेशों का पालन करने में सफल नहीं होगा। व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में राज्य के आदेशों का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है कि वह समाज में ग्रव्यवस्था उत्पन्न करना चाहता है या उस में समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं और न इस लिए कि वह अपने ग्राहिक हितों को राजनीतिक हितों से ग्रविक्षिक महत्व देता है। यह तो बेवजह इसलिए कि उस समय उसके ग्राहिक हित राज्य की नियन्त्रण और आदेशात्मक शक्ति के सर्वप्रथम मात्र हैं और प्रपत्ते हितों की रक्षा के लिए उसे अपने समुदाय का साय और राज्य विवेदी हृष्टिकोण प्रपत्तनामा आवश्यक होता है। इसी प्रकार जब चर्च किसी धार्मिक हित की रक्षा के लिए राज्य की मान्यता का उल्लंघन करने का आदेश देता है तो भी व्यक्ति साधारणत राज्य का विवेद करता है और चर्च का साय देता है। इस तथ्य को सिद्ध करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति के जब विवेद हित और राज्य के आदेशों में सर्वप्रथम होता है, व्यक्ति राज्य के आदेशों को साधारणत दुकरा देता है।

और इससे बहुवादियों का यह दावा कि दूसरे समुदाय भी व्यक्ति के लिए राज्य के समान महत्व रखते हैं, यिद्ध होना है।

प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने बहुवादी दृष्टिकोण को प्रशंसनात्मक है। डॉ. रिगिम ने राज्य की दूसरे समुदायों में इस्तेशोप बरने की मानित वी आस्तोचन की है। प्रौ० बोकर के शब्दों में वह यह चाहते हैं, "प्रोर उनने ऐसी नीति का समर्थन किया है कि जिससे ऐसे गमस्त समुदायों को सावंजनिक सहस्या मानवार उन्हें अपने-प्रपने हितों के नियन्त्रण के लिये विवेक तथा धर्मिक स्वतन्त्रता के तात्पर्य कार्य करने की मुविधा मिल जाय।" (आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० ५३६ यादवेन्द्र तथा मेहता द्वारा अनुवादित) प्रौ० बाहार भी राज्य का दूसरे समुदायों से सम्बन्ध वो छिर से निश्चिन करना चाहते हैं। इग नमून्य में वह बहते हैं "ऐस राज्य की व्यक्तियों के सामान्य जीवन के लिए निर्मित सहस्या के रूप में कम देखते हैं वरव हम उसे ऐसे व्यक्तियों की सहस्या के रूप में ही प्रधिक देखते हैं जो वहने से एक व्यक्तिक और नामान्य लहय के लिए घनेस समुदायों में संयुक्त है।" (हयंट स्टोनसर से आज तक का (१६१५) इ ब्लैड मे राजनीतिक दर्शन) प्रौ० बोकर के 'प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन' पृष्ठ २०३ से उदृत) डॉ. लिडले स्पष्ट शब्दों में विभिन्न समुदायों की व्यक्ति के प्रति मान को स्वीकार करते हैं और वे इन समुदायों की व्यक्ति के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त भी गमन्त हैं। नास्ती राज्य की समुदायों में प्रभुता को नीतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करते। उनका व्यवहार है कि राज्य के धारेशों का पालन ही प्रत्युपार में व्यक्ति के लिए उचित है जिन प्रत्युपार में वह नीतिक है और वह उसी राज्य के प्रति भवित प्रदर्शित करेगा जो कि नीतिक दृष्टि से उद्दित है। उनके धनुगार व्यक्ति वह सबसे प्रथम कर्तव्य प्रसन्नी धन्तरात्रमा के प्रति है। ये आदे बलकर स्पष्ट शब्दों में बहते हैं कि राज्य मानवीय समुदायों के प्रति इसीं में से केवल एक है। प्रपनी गुस्ताक 'राजनीति ही व्याकरण' मे प्रौ० नास्ती निश्चित है कि इग विवरण पर पहुँच गये थे कि समाज में जनित का स्वस्य संघीय होना चाहिए। बहुवादी गिर्दान्त ने आधुनिक बात मे राज्य के गिल्ड यमाजवाद के गिर्दान्त मे निश्चित स्प प्राप्त किया है। गिल्ड यमाजवादियों का यह विश्वास है कि आधिक हितों वा प्रनिनिधि व रक्षा एक भीमिक एव प्रादेशिक भाषारों पर चुनी हुई संसद नहीं वर सकेयी वयोंवि ऐसी संगठ भीमिक निर्वाचन दो त्रों के प्राप्तार एव चुनी हुई होयी और वह केवल दोनों नामान्य हितों वा प्रनिनिधित्व वर सकेयी। इसनिए उनके विचार मे आधिक हितों की रक्षा के तिए एक अलग आधिक या गिल्ड संसद भावत्पर है। इसके चुनाव वा भाषार य्यादसामिक प्रनिनिधित्व होना चाहिए पा विभिन्न गिल्ड परियों का प्रनिनिधित्व होना चाहिए। इग प्रकार विभिन्न गिल्ड इवाइयों की एक संघीय संसद होगी। गिल्ड समाजवादी दृग बात मे विश्वास रखते हैं कि विभिन्न प्राधिक हितों को स्वायत्तता देनी चाहिए इसनिये उनकी

मुख्य माँग उद्योगों में प्रजातन्त्र है। प्रत्येक उद्योग का अपना गिलड होना चाहिए और ऐसी गिलड में मजदूर और मालिक दोनों दो प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। गिलड परिषद में इन प्रतिनिधियों के साथ-गाय उन सम्बन्धित गिलडों के भी प्रतिनिधि होंगे जिनका यह किसी विशेष उद्योग में विशेष हित होगे। उदाहरण स्वरूप कपड़े के उद्योग में गृह उद्योग वाला के विशेष हित है और इसका दूसरा पहलू भी सही है। उद्योगों के और व्यवसायों के आधार पर यह गिलड दा प्रशार के होने चाहिए। यह गिलड अपने प्रतिनिधि उगो उद्योग धन्धे के गिलड राष्ट्र में भेजेंगे और वहाँ से प्रतिनिधि राष्ट्रीय गिलड समाज में भेजेंगे। राज्य की प्रभुता गिलड समाजवादियों के अनुगार राजनीतिक व सास्त्रिति समाज, जो यह भौतिक निर्वाचन धोनों के आधार पर वर्तमान प्रकार से चुनी जाएगी में, और एक आधिक गिलड समाज, जो यह उद्योग और धन्धों के आधार पर निमित निर्वाचन धोनों के आधार पर चुनी जाएगी, में विभाजित होगी। प्रभुता वा राज्य और दूसरे गमुदायों में यह विभाजन पूर्ण नहीं है वर्षों के दूसरे विभाजन भी नीचे लियी हुई अठिनाइयों के बारण व्यापक हारिक नहीं है —

- (a) आधुनिक दाल में राजनीतिक और आर्थिक रामस्याएं एक दूसरे से अभिन्न रूप से मिली हुई हैं और उनमें अलग बरना असम्भव रहा है। लोट वल्यालारी राज्य के गिरदान्त का विकास होने से और अधिकारी राज्यों में दग गिरदान्त के कार्य रूप में परिणत होने से राज्य के आधिक कार्यों में एक बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय धोनों में राजनीतिक और आधिक हितों को अलग बरना असम्भव रहा है। वैदेशिक नीति बहुधा आधिक हितों पर आधारित होती है और अन्तर्राष्ट्रीय धोनों में भी आधिक हितों की रक्षा राज्य के लिए राजनीतिक और सास्त्रितिक हितों से आधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य के कार्यों में आधिक और राजनीतिक कार्यों वा विभेद करना असम्भव है।
- (b) आधिक समाज, जब भी वह बनेगी, उसका आधार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने उद्योग व व्यवसाय की आवश्यकताओं एवं गरिस्तियों से पूर्णतया परिचित होगा। इसलिए ऐसी समाज विशेषज्ञों की सहाय होगी। उदाहरणतः मान लीजिए कि इसके सामने एक ऐसा बानून का प्रस्ताव आया है जो कि डाक्टरों के सम्बन्ध में है। ऐसे प्रस्ताव पर केवल डाक्टरों का प्रतिनिधि ही कुछ बोलने या आलोचना करने के लिए योग्य समझा जावेगा। अन्य प्रतिनिधि केवल चुपचाप बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पावेंगे।

ऐसे प्रस्ताव पर पन्थ प्रतिनिधियों वो क्या स्थिति होगी, क्या वह चुपचाप बैठे रहेंगे या वह ऐसे वाद-विवाद ने भाग लेंगे जिसमें कि भाग लेने के लिए वे उपमुक्त विशेष योग्यता नहीं रखते। यदि शास्त्रों वे एक से अधिक प्रतिनिधि हुए घोर वे एक दूसरे से प्रगट्मत हुए तो उनसी पारस्परिक प्रगट्मति की दशा में गमद जिस प्रशार निर्णय करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। यह गत्य है कि एक ही विषय के विशेषज्ञ विभिन्न ने गम्भीर होने हैं और माध्यमिक एक दूसरे ने प्रगट्मत रखते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ऐसी गमद के लिए कोई भी निर्णय बर लेना बहिन हो जायगा।

गैद्धान्ति क हृष्टिकोण में बद्धवादियों वो गिद्धान्त बहुत कुछ पक्ष तब गत्य घोर तब गमत है। किन्तु व्यावहारिक हृष्टि में वह गम्भीर गा प्रतीत होता है कि हम वभी भी राज्य वी प्रभुता को राज्य घोर दूसरे गमुदायों में मध्य में विशित बर मजें। मात्र तब गिद्ध गमाद्वादी घोर बद्धवादियों वो इस कार्य में गम्भीरता नहीं बिली है घोर न वह कोई ऐसी गम्भा वा निर्भागु बर पाए है जो कि इस कार्य को बरने में गफन हो सके। बोकर ने बद्धवाद के आधुनिक भुक्तायों पर ध्यान्या बरने हुए बता है-

“यह बद्धवादी गिद्धान्त आधिक रूप में बर्तमान बात के उन व्यावहारिक घटनों की युक्ति युक्त ध्यान्या है, जो कि अनेक ब्रवार गामाजिक नियन्त्रण में विनियोगरण वा प्रयोग बरना चाहते हैं। उदाहरणादें, ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें गरकारी तोषारी वी राज्यायों की गतायों तथा उनके उत्तरदायित्व में खुदि बरके व्यावसायिक ममुदायों वी गरकारी सेवा में आधिक स्थान दिये जाने वा प्रस्ताव दिया जाता है। स्थानीय शामन वी मत्यायों की उनकी प्रशासनीय स्वतन्त्रता तथा उनके बायों में खुदि परं उन्हें गजीव बनाने वी भी योजनाएँ हैं। यह भी गुभाव प्रस्तुत रिया जाता है कि यस्ति के न्यायनुर्वेक विवरण तथा आत्मानिष्ठस्ति के लिए अधिक गुणोंमें वी व्यवस्था बरने वी हृष्टि में ढारोंगों के नियन्त्रण वा तुलन्यन बरने में राज्य वी उच्चोगों के प्रत्यक्ष गरकारी प्रबन्ध या नियन्त्रण वी जगह राज्य वी अधीनता में गमुक्त नियन्त्रण वी व्यक्तिगत वद्धतियों वी प्रोत्याहित बरना चाहिए। यह गिद्धान्त गह है कि राज्य वे स्वाधित्व में जो उद्योग है, उनका प्रबन्ध राजनीतिक मनोवृति के राज्य मरियों द्वारा नहीं होता चाहिए, जिनका चुनाव उग उद्योग में निरुत्तु एव न्याय पूर्ण गवाहन में दिलबम्पी रखने वाये गमुदाय हों। ऐसी व्यवस्था बंडल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उत्कार्य बर्तमानी प्रपत्ते दिविष्ट हिंदों वी राजा बर गके बरन् इसलिए भी

कि वह जनता को नीकरेगाही ऐ दोपो से इस गिरावट के भाघार पर याचा सके ।”

(प्रापुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. ५०८-९ यादवेन्द्र तथा मेहता
द्वारा घनुवादित)

जमंती, कान्स और घैकोस्लोवेकिया की भार्यिंक परिपदे भी भाषुनिक बहुवाद
की ओर भुकाव का प्रतिनिधित्व करती है ।

“जमंती, प्रान्स तथा घैकोस्लवेकिया की परियदो ने भवित्रमण्डसो द्वारा
प्रस्तावित करो, सामाजिक शोभा, मकान निर्माण, थम जीवियो की अवस्था
उत्पादन और व्यापार के नियमन, राज्य तथा प्रोत्साहन की योजनाओं के
सम्बन्ध में परामर्श दिया है । इन्तु यह दरामर्श मुख्य कर विशेषज्ञ का
परामर्श था, उसका राजनीतिक रूप नहीं था ।”

(प्रापुनिक राजनीतिक चिन्तन कोलर पृ. ५११ यादवेन्द्र—तथा मेहता
द्वारा घनुवादित)

सात्वी जैसे बहुवादियों को बहुवाद की व्यावहारिक कठिनाई के कारण बाद
में घपने सिद्धान्तों को शब्दनाम पड़ा । उन्हे राज्य की भविष्यक शक्तियों को स्वीकार
करना पड़ा और राज्य की भादेशास्त्रक शक्ति को भी भावशक मानना पड़ा ।
इतिहास के इस युग में राज्य की शक्तियों तथा भविष्य को स्वीकार
करना एक राज्यालय और नियो-
जित प्रजातन्त्र के नाम पर प्रजातन्त्रीय अवस्था में भी राज्य अवश्यित के वायंशेत्र पर
भत्यधिक नियन्त्रण स्थापित करते में भी सफल हो गया है । राज्य भाज राजनीतिक
और भार्यिंक शक्तियों के सम्मिश्रण हो जाने से भत्यधिक दक्षिणाली है । अधिक
भी यह भाषा करते हैं कि राज्य उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ।

बाल्टर ई. सेन्टोलियर इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

“इस शाताब्दी में बहुवाद एक राजनीतिक दर्शन के सिद्धान्त से हृष में भाज
उतना सक्रिय नहीं है जितना कि वह दो वर्ष पहले था । यह भाज उतना
सक्रिय नहीं है जितना हि वह दो वर्ष पहले था । यह सामाजिक संस्थाओं
में राज्य के महत्व को कम करने की प्रवृत्ति कर प्रतिनिधित्व करता है और
राज्य की सम्भुता के सिद्धान्त को हड़ता से भव्यीकार करता है । इसका
प्रभाव राज्य के बड़ते हुए भविकारों के बारण स्पष्ट हृष से पढ़ गया है ।
हेराल्ड सात्वी जो कि घपनी यादि शक्तियों में इम हृष्टिकोण के पश्च के एक
मुख्य प्रतिनिधि थे, घपनी बाद वी शक्तियों में एक राज्य के प्रभाव वी यूडि
वी दशा में, यहीं तक कि राजनीतिक अवश्यकता के शक्ति शासित हृष की
ओर भी उतना निश्चित और हृष भुकाव दिशाई देता है । सोवियत
राज्य वा राधीय हृष होते हुए भी उसका विकसित होता हूमा स्वरूप का
एक भत्यधिक शक्ति संपूर्णता वा स्वभाव है । यद्यपि यह बहुवादियों वी

उग गिरेप प्रीर नीनिक देत, जो यि उत्तरे गामाजिक हस्तिवीण में प्रतीत होती है, वे प्रभाव वा भी प्रतिनिधित्व बरता है। तप भी भंभवतः बहुवादी विचारधारा के वर्मनोर पढ़ जाने से इनका बुद्ध न बुद्ध संबन्ध प्रवर्श्य है। किन्तु फिर भी बहुत बुद्ध भीमा तक प्रापुनिष राज्य ने परने लक्ष्यदायित्वों को गमनान्वर इसमें लोइ तुल्य मेवा नहीं बी है।"

(२० वी शताब्दी वा राजनीतिक दर्शन पृ० १६४—६५)

बहुवाद का इतिहास बाहुनी मिदान के स्वयं में कई शताब्दियों पुराना है। इग गिदान को हम अन्वयित्व, प्रीर मैटेनेंड की बृतियों में पाते हैं। उनका विद्वाम या कि नियमों वा अपना एक बाहुनी वास्तविक व्यक्तित्व होता है जो कि राज्य पर निभंर नहीं है। मैटेनेंड का यह विद्वाम या कि नियम, यही तक कि घोटे घोटे नियमों, वा भी वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इग सम्बन्ध में मैटेनेंडियम का वर्णन है—

"इस गिदान का दब बाहुनी विद्वारद देवे प्रीर नियों द्वारा बी बृतियों पर भी निश्चित प्रभाव पढ़ा था। किन्तु इ मैटेनेंड में किंचित द्वारा चर्च के गेर बाहुनी परिवारों की रक्षा इस देश (मधुसूक्तराष्ट्र) में मुमारी फॉलेट के द्वारा सामूहिक व्यक्तित्व की भी और हरान्ड लास्कों की भनुतरदायी राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा में दबो यानोचना ने हमारे ध्यान वो इस सम्बन्ध में आपसिंत किया है।"

(२० वी शताब्दी वा राजनीतिक दर्शन पृ० १६५)

बहुवाद की गवर्नेंस होट राज्य के बायें थोक वो निश्चित करने प्रीर गाय-माय राज्य प्रीर दूसरे भमुदायों के सध्य में एक सीमा रेखा रीचने में भम-फलता है। बहुवादी भाष्ट दूर से यह नहीं बननाने कि देवे राज्य वो बोन से बायें देना चाहते हैं या वे बोन में बायों का नियेष करना चाहते हैं जो कि भड़ेतवादी देते हैं। यह मिदान भी प्राप्तेन्द्रिया मही नहीं है कि यदि व्यक्ति वो हम राज्य नियंत्रण से स्वतन्त्र न रह दें तो वह परनी भूजनात्मक गतियों वो प्रीर परनी प्रदृतियों वा विद्वाम उचित प्रवार में बर सकेंगी। जही एइ प्रीर बहुवादी राज्य की हस्तक्षेप प्रीर नियंत्रण करने की शक्ति वो आनोखना बरते हैं वहीं दूसरी प्रीर वे गामाजिक प्रीर इनी भमुदायों के शक्ति शामन के हपो वा विरोध नहीं बरते। इग सम्बन्ध में जिमरन वा वर्णन है—

"जो व्यक्ति राज्य की निरंतुश्वा वो बान बरते हैं वे गवं गत्य वो ऊंझा बरते हैं कि गमीप वे पट्टीनी के भत्याचार के युमान भत्याचार दूसरा नहीं है। चमुदाय बिनका ही छोटा होगा बरता ही भयिक बाटा भावने जोबन तथा बायो पर ग्रतिवन्ध रहेगा।"

(राजनीतिक दर्शन—होइर—ग्रापुनिष राजनीतिक चिन्तन पृ० ५१७

यादवेन्द्र तथा मेट्टा द्वारा भनुतावित से उछृत)

कोकर ने इन शब्दों में बहुवाद की अराफ़तता वा राराज़ दिया है—

“प्रत्येक 'छोटा या ऐच्छिक' समुदाय वास्तव में राज्य की सर्वोच्चता को अम्यस्त रूप से स्वीकार करता है, जब कि उसे इस सत्ता को उन दूसरे समुदायों से अपनी रक्षा के लिए आवश्यकता होती है' जो उस क्षेत्र में, जिसे वह अपना ही समझता है, उसके कार्य की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं।”

“राजनीतिक अद्वैतवादी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य ऐसा समुदाय है जो व्यतियों तथा समुदायों की स्वार्थपरता के ऊपर मनुष्यों की सामाजिक प्रवृत्तियों की श्रेष्ठता को बायम रखना है। वह सम्बेह करता है कि छोटे समुदाय - मजदूर गभा, धार्मिक समुदाय, व्यापारिक संघ, स्वाभाविक रचनात्मक कार्य के केन्द्र बनने के प्रयत्न में जब अधिक सफल होगे, उसी समय अच्छा काम करेंगे, जबकि वे सब राज्य वीं कानूनी सर्वोच्चता को स्वीकार वर लोगे। यदि बहुवादी इसे स्वीकार करते हैं, या यदि वे यह स्वीकार करते हैं, जैसा कि वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, हमारा केवल एक ही ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता साधारणतया अनिवार्य है और इस सम्मान्य हितों की परिभाषा करने की सत्ता उचित रूप से प्राप्त है और इन हितों की रक्षा करने में वह कानून के अनुसार बल प्रयोग कर सकती है, तब इससे इस बात में कोई अधिक संदान्तिक या व्यावहारिक भेद नहीं होगा कि इस सम्बन्ध में कोई एक मत है या नहीं कि राज्य के इन स्वीकृति पूर्ण एवं विलक्षण गुणों को हम प्रभु शब्द द्वारा भलीभांति व्यक्त कर सकते हैं। महत्व पूर्ण बात तो यह प्रतीत होती है कि हम व्यक्ति या समुदाय की स्वतन्त्रता को चाहे जितना महत्व दें सभावना इस बात की है कि हमे अब कई प्रकार के तथा अधिक केन्द्रीभूत राजनीतिक नियन्त्रण का मुकाबला करना पड़ेगा और विकेन्द्रीयकरण वीं दशा में हमारे व्यावहारिक प्रयत्नों के जो परिणाम निकलेंगे उनसे राज्य सत्ता का महत्व अवश्य क्षेत्र जल्दी ही क्षय नहीं होगा।”

(माधुनिक राजनीतिक चिन्तन मृ० ५४७—४८ य. देवेन्द्र तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

अराजकतावादी दर्शन

मराजवादाद एवं राजनीतिक गिरावळ के हप में घटित ऐसे प्रत्येक प्रवार वे स्पष्ट वा दिरोध करता है और शक्ति को चाहे वह विनी भी प्रवार से कार्य में लाई जानी हो, अनावश्यक, अशानिष्ठूरण एवं हानिकारक रामबद्ध है। मराजकतावादी राज्य को नहीं चाहते वह राज्य के स्थितित्व वा विरोध करते हैं। राज्य एक अनावश्यक दुराद्दृश्य है और इनका अन्त जिनका शीघ्र हो जाए उतना ही समके हित में अच्छा है। राज्य के उन्मूलन के साथ साथ वह व्यक्तिगत गम्भीरता को सत्स्या और प्रत्येक प्रवार की पार्विक मत्ता वा भी अन्त बरना चाहते हैं।

हैंड रीट के अनुसार—

“मराजवादाद के लिए समस्त तरफ़ वा आधार एवं सामाज्य अनुमान—
अनुमान यह है कि इसी प्रकार वा सामाज एवं गावपञ्च वस्तु
है—और वेदत सावधय वस्तु के अनुरूप ही नहीं है बरन् वास्तविक
में एक जीवित दौंचा है जिसकी अपनी विषय आवाधारे हैं, पाचन
प्रदूनिर्दी और विषय वृत्तियाँ, हुद्दि और मस्तिष्क हैं। जैसे एक व्यक्ति इन
महाकुण्डों के मही सञ्चुनन को बनाए रखने से अपने आपको स्वस्थ बनाए
रख सकता है उसी प्रवार से एक सामाज स्वतन्त्रतापूर्यक और स्वामायिक स्पष्ट
से अपराध और दोस्तारियों के दिना रह जाता है। अपराध सामाजिक
दोस्तारियों, जैसे दरिद्रता, विषमता और अतिव्यन्धों के सदाचार हैं। सामाजिक
शरीर वो इन दोस्तारियों से छुटकारा दिलाने पर आप समाज को अपराध से
भी छुटकारा दिना सकेंगे। जब तक आपका इसमें विषयास नहीं है, एक
भादरी और बालपना वे स्पष्ट में नहीं, विन्तु एक प्राणी शारदीय सत्य
के स्पष्ट में, आप अराजकतावादी, नहीं हो सकते। विन्तु यदि आप का इसमें
विस्तार है तो आपको दाविय हृष्टि से अराजकतावाद पर आना ही होगा।
हृष्टि मार्ग आपने लिए अविद्याशी और घटित में विश्वास रखने वाला एक

ऐसा व्यक्ति जिसका प्राकृतिक प्रवस्था में नहीं के बराबर विश्वाग है और जो कि विश्व में अपनो इच्छायों के अनुहृष्ट किमी प्रप्राकृतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न करेगा।” (भराजकतावाद का दर्शन पृ. ३०-३१)

भराजकतावादियों का साधारणत मत यह है कि हमारी गमस्त बुराइयों, जिनको कि वे सामाजिक बीमारियों का नाम देते हैं, उन सबका कारण आदेशात्मक और विकाश करने वाली शक्ति है तथा वे सब प्रतिबन्ध हैं जो कि राज्य लगाता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वाधक है और सामाजिक प्रव्यवस्था को उतार करते हैं। मनुष्य उनके अनुसार स्वभावत अच्छा है और उसमें सामाजिक एवं राह-योगी प्रवृत्तियों की प्रभुता है। यह राज्य की शक्ति के द्वारा उत्पन्न की हुई भ्राकृतिक परिस्थितियों का ही परिणाम है कि उसमें स्वार्थी और प्रतिदृग्दन्ता पूर्ण प्रवृत्तियों का आधिक्य पाया जाता है। इन सब बुराइयों के लिए नेवन एक ‘शीघ्रिति’ है, राज्य को समाप्त कर दीजिए और सब कुछ ठीक हो जायगा। प्रोधों सभवत पहला विचारक पा जिसने कि अपने भ्रापको भराजकतावादी कहा। वह प्राकृतिक याय में विश्वाग करता था और उसके अनुसार सब अपने अपने अम के द्वारा उपन वी हुई वस्तुओं का पूर्ण उपभोग करने के अधिकारी हैं। अपनी एक प्रगिद्ध पुस्तक ‘गमाति व्या है’ में सम्पत्ति की परिभाषा करते हुए उसने बताया है कि गमस्त सम्पत्ति चोरी है और यह भी धोपणा की कि, “मैं पूर्ण अर्थ में भराजकतावादी हूँ” (आमुनिर राजनीतिक चिन्तन—कोकर—पृ. २२५ यादवेन्द्र तथा मेहना द्वारा अनुवादित में) उदन, उनका विश्वास है कि राज्य निजी तमाति की स्थिति और उसके फरवर्त्ती आर्द्धक विषय-ताप्रो को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह राजनीतिक शक्ति का विरोधी था, क्योंकि शक्ति का अर्थ है मनमानी करना और यह नुदि, न्याय और गमभरारी के विपरीत है।

१६ वीं शताब्दी के अधिकाश भराजकतावादी मनुष्य की आनादिक अच्छाई में विश्वास रखते हैं और उनका यह भी विश्वास था कि व्यक्ति एक स्वतन्त्र और नैतिक हो सकता है यदि राज्य की सत्ता का अन्त हो जावे। उसमें गे यविकाश गमस्त राजनीतिक कार्यों से असहयोग करने में विश्वाग करने थे, और उन्होंने व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से उदासीन रहने का उपदेश भी दिया है। थोड़ जो कि एक प्रस्तावत अमेरिकन भराजकतावादी था, अन्तरात्मा को कानूनों गे थोड़ मानता था। वह चाहता था कि सब व्यक्ति आनी स्वतन्त्र और बोहिंद्र इच्छायों में अनुगार कार्य करें। जो शिया वारेन ने अमेरिका में सबसे पहले भराजकतावादी पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था ‘शान्ति पूर्ण ज्ञानिकारी’। इस भराजकतावादी विचारक के मुख्य विचार प्रो० कोकर के अनुसार इस प्रकार हैं—

“अपने सामाजिक सिद्धान्त को आत्मरक्षण में सावंभीम स्वाभाविक नियम पर आधारित करते हुए उसने कहा वि राज्य की ओर से रक्षा की आवश्यकता

मनुष्य को आगे रखना के काम की नहीं बरत उन दूसरों के बारें होती है जो उनके पूर्वजों ने व्यक्तिगत मध्यति तथा दमनशारी शासन की स्थापना करके उत्तम की। ग्राम के बायों की सामान्य व्यवस्था के लिए वह विदेशी वीं एक समिति की ही पर्याप्त गमनना था जिसके निर्णयों का महत्व बेबत उतना ही हो सकता था जितना हि गमनने वुभाने में उन्हें दिया जा सकता था। उसने गमन समिक्षा को राजनीतिक बायों में फोर्ड शप्ट न लेने और घण्टे बायों को अव्यक्तिगत महायोगों प्रयत्नों तक ही गोपन रखने की सलाह दी। उसके विचार में यदि ऐसा किया गया, तो ग्राम के निर्धनता एवं लाभ का धीरे धीरे घन्ट हो जाएगा और घन्ट में लाभ की प्रावश्यकता भी समाप्त हो जायगी।"

(आधुनिक राजनीतिक विभान पृ० २०७-८, यादेन्दु तथा
मेहता द्वारा अनुवादित)

प्राचीनतावादी दर्शन के दो प्रकार ही महत्वपूर्ण विचारक, विनौनि कि प्रापुनिक यात्रा में ग्रामानाकारी निदानों का पूर्ण और व्यवस्थित विवरण दिया है, मादेन्न वैदूनि और प्रियं पाठ्य शोपार्टिन हैं। दोनों हमीं गमन घर्म के थे। दोनों ने ही मासां के गिरान्तों की आलोचना की है क्योंकि वे गिरान्त राज्य की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि वरते हैं। इन विचारकों का उद्देश्य गमनदिक् और व्यक्तिगत गमनि का उन्मूलन करना था। प्री० कोस्टर के शब्दों में वैदूनि के घर्म में और समर्पित के मध्य विचार यह है—

"राज्यमता, व्यक्तिगत गमनि और घर्म यात्र विभाग की निम्न व्यवस्था की स्वामानिक गम्याएँ हैं क्योंकि उनका गमन घर्म किमी न इमी रूप में शारीरिक इच्छायों तथा भय ने है। व्यक्तिगत गमनि भौतिक वस्तुओं में मनुष्य की परिवर्ति उत्तम करनी है, राज्य भौतिक घर द्वारा व्यक्तिगत गमनि की रक्षा करना है। घर्म, राज्य तथा गमनि दोनों का पीपलु बराता है और वह यात्र के भौतिक मुष्टि की बाधना को जागृत बराता है तथा मृदु के बाद शारीरिक बष्टों का भय भी दिखताना है। इन गम्यायों को, जो कि यात्रा की आदिम प्रहृति की विकिष्ट अधिक्षिणी हैं, यात्र विभाग के स्वामानिक नियमों के अन्तर्गत गमन ही मूल होता है।"

(आधुनिक राजनीतिक विभान पृ० १४१ यादेन्दु तथा
मेहता द्वारा अनुवादित)

वैदूनि ने अप्पे घर्म में ग्रन्थेष्ट प्रकार की राजनीतिक गमना या जित की उचित नहीं गमना है। यात्रानीय राजनीतिक उपदानों परी दस्ती इमर में उचित नहीं

थी। उमका यह विश्वास था कि राज्य वा मूल-स्वभाव तिथी भी प्रकार मे नहीं यदना जा सकता है। आविक रूप से शक्ति गम्भीर वर्ग सदैव राज्य का उपभोग अपने सामी के लिए करेंगे और वे राज्य को आविक रूप से दुर्बल वर्गों का शोषण करने के लिए एक अस्त्र बनाए रखेंगे। राज्य अनैतिक भी है वयोवि इससे शामक और शामित दोनों का नैतिक पतन होता है। दूसरे के आदेश के बारागा हिया हृष्णा गाँई भी कार्य या राज्य रक्ता वे उत्तीर्ण के डर से किया गया कार्य भी अनैतिक और अताकिक है और इसलिए वैदूनिन के अनुसार राज्य समस्त जनता के नैतिक पतन का कारण है। यह एक और प्रत्याचारी शासको को जन्म देता है तो दूसरी बार दामो को। निजी सम्पत्ति और धार्मिक सम्पादनों जो कि राज्य की शक्ति की गतियता से प्रपना प्रस्तित्व बनाए रखती है, नैतिक दूषण भी हैं।

वैदूनिन का विश्वास था कि मराजकतावाद की स्थापना आशिक रूप से विकास के द्वारा एवं आशिक रूप से शक्ति के द्वारा होगी। मराजकतावादी शक्ति का उद्देश्य समस्त शक्ति द्वारा शासित सम्पादनों का ध्वन करना होगा। यह शक्ति आवश्यक रूप से हिंगात्मक होगी। शक्ति के पश्चात् शक्तिशारी परिषदों की स्थापना होगी जिनका मुख्य कार्य होगा, राजनैतिक सम्पादनों का पूर्ण ध्वन और गाथ ही गाथ ऐसी नई सम्पादनों की उत्पत्ति के विषद् पूर्ण सजगता रखना। इन्तु वैदूनिन दुष्ट मराजकतावादियों की तरह इस बात में विश्वास नहीं करता है कि राज्य वे उन्मूलन से ही गब दुष्ट अपने भाषण ठीक हो जावेगा। यह सामाजिक सम्पादनों की या वश्यकता को रामभता है और यह भी आवश्यक समभता है कि शक्ति के बाद बाने युग में सामाजिक एकत्र को बनाये रखने के लिए किसी न किसी प्रकार न ग्रीन गम्भीरों की स्थापना आवश्यक होगी। उसके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है योर उनके लिए सामाजिक जीवन आवश्यक और स्वभाविक है, इसलिए वह यह नहा मानता कि मराजकतावादी समाज में समस्त गणठन का अन्त हो जायगा। किन्तु उसने ऐसी रामस्पादनों को और उसके सम्बन्ध में विचारों को भविष्य के लिए दृष्टि दिशा है। उसके अनुसार प्रारम्भिक कार्य ध्वन का है और इस पर ही उसने अपने विचारों पर विनियत किया है। पुनर्निर्माण के कार्य को उन्होंने भविष्य के लिए छोड़ दिया है। राज्य के स्थान पर एक स्वतन्त्र समाज होगा जिसमें राज गमान होंगे और जिसके लिए भी प्रकार की विषमता नहीं होगी। इसका आधार ऐच्छिक समुदाय होगा। गारी भूमि और यन्त्र गमान रूप से सारे समाज के हाथ में होंगे और गमाज उत्तादन करने के लिए व्यक्तियों या स्वेच्छा से नियमित गमुदायों दो देंगा। गर तो उत्तादन में भाग होगा, यदि उन्होंने अपनी योग्यनानुसार गमाज वा तुष्ट भी गमुदान दिया है। राजनैतिक सीमाएं समाप्त हो जावेगी। वैदूनिन ने कहा है, "उस गमय व्यक्तियों के स्वतन्त्र काम्यून होंगे, काम्यूनों के स्वतन्त्र प्रान्तों के राष्ट्र और राष्ट्रों का

स्वतन्त्र सघ गूरोप का संयुक्त राज्य और भ्रत में प्रतिसंविद विश्व का एक संघ होगा।" (प्रापुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० २१८ यादवेन्दु तथा मेरुता द्वारा अनुवादित)

बैदूनिन शासितवारों भराजवतावाद में विद्वान् रहता है जिन्हें शोपांटिन विवासवादी भराजवतावाद के पश्च में है। शोपांटिन वा भ्रत है कि विकास के प्रारूपित वानून समाज और उसकी सत्याप्ति के सम्बन्ध में भी लागू किए जा सकते हैं। उनका यह भी विद्वास या कि राज्य भी कोई भी धावद्यवता नहीं है। प्रारूपित और ऐतिहासिक राज्य इस अर्थ में प्रभ्राहृतिक है यदि वह हमारे सहयोगी वापर करने की प्रारूपित प्रवृत्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। राज्य और उसके सत्यात्मक दौर्च के उत्पन्न होने के पूर्व अगणित शासनियों तक व्यक्ति स्वतन्त्र समाजों में रहा था और रीति-शिवाय ही उसके कानून थे। जब समाज का ऐसे आधिक वर्गों में विभाजन हुआ जिनके हितों में विरोध या और त्रिसके कारण सर्वर्थ शुल्क हुआ तब राज्य एवं राज्य द्वारा निर्मित बानूनों का जन्म हुआ। बानून भ्राहृतिक और भ्रल्यज्ञ गुण वाले होते हैं और उनमें लाभ के बल सम्पत्तिशाली वर्ग को होता है। शोपांटिन ने हठा के साथ इस बात को कहा है कि इतिहास ने पूर्ण रूप से यह चिठ्ठ किया है कि राज्य न तो उच्च नैतिक भावदों को पाने में ही सफल हो सकता है और साथ ही जितने भी अन्याय व दोष, जिनके कारण मानवता को कष्ट पहुँचता है, उन सबके निए उत्तरदायी भी है। राज्य शोषण को नहीं रोक सकता और न गापारण व्यक्ति के निए नाभदायक मेषाएं ही बर मकना है। यहाँ तक कि यह व्यक्ति के मूल धरिकारों की भी रक्षा नहीं बर मकना है। व्यक्ति के ममस्त मूल धरिकार जैसे कि "भ्राचार पत्रों की स्वतन्त्रता, समा भी स्वतन्त्रता, गुह भी अद्वलंघनीयता" की रक्षा और नागरिक स्वतन्त्रताओं का भाव उसी ममत्य तक होता है जब तक जनता उनका प्रयोग उन वर्गों के विद्वद नहीं बरती है जिनके पास विशेष धरिकार हैं।" राज्य सामान्य नागरिक भी समाज विरोधी धरिकारों से रक्षा भी नहीं कर सकता है। और यह गत्य है कि भारागार और राज्य द्वारा दिये दण्ड दुर्गुणों को कैलाने के लिए, न विउद्धो नियत्रित करने या रोकने के लिए, उत्तरदायी है। बैदूनिन भी जीनि शोपांटिन भी प्रजातन्त्रीय सरकार भी व्यवस्था को पिछली राजनीतिक व्यवस्थाओं में विसी भी प्रवार थे एवं नहीं मानता है—

"प्रतिनिधि शासन ने अपना घ्येय हो पूरा कर लिया उसने दरवारी शासन पर धातव्र प्रहार किया है और घस्ते वादविवादों और विचार विनियम द्वारा जनता ने सार्वजनिक प्रदलों के प्रति रुचि पेटा भी है जिन्हें प्रतिनिधि शासन को भावी भ्राचारी भ्राचारी समाज ने निये उपयुक्त शासन उपनकना भविकर मूल होगी। जीवन के प्रत्येक धार्यिक पहनू वा प्रयना राजनीतिक पहनू भी

होता है। यह राजनीतिक सम्बन्ध के माध्यम में भगुरुस परिवर्तन किये जिन भाषुभिर साधिक जीवन के माध्यम—व्यक्तिगत सम्भाल—को संशोधन करना समझाय है।”

(पराजयतावादी साम्यवाद—जोपॉटिन पृ० २८ भाषुभिक राजनीतिक विज्ञान—कोहर पृ० २२२, यावदेशु तथा गेट्सा द्वारा भनुवादित)

जोपॉटिन निजी सम्भाल की सहाया के विषय है। निजी सम्भाल के दुर्युल्य अनेक हैं। यह एक धोर जनता के लिए दुखो धोर घोरारी को उत्पन्न करती है और दूसरी धोर मुख्य पतनान व्यक्तियों के लिए भारात्य, नीतिक पतन और सामाजिक क्षेत्र में सुदूर के द्वारा विषयता उत्पन्न करती है। उसके भनुतार राजनीतिक गत्ता का मुख्य कार्य सम्भाल की रूपा परन्तु है। राज्य और निजी सम्भाल के उन्मुक्त से एक पराजयतावादी गमाज का नवीन युग प्रारम्भ होगा। इस पराजयतावादी गमाज का सम्बन्ध उसी प्रकार का है जैसा कि भाइकेता भेदुनिं का था। गमाज उन व्यक्तियों के स्वेच्छापूर्वक निर्मित समूहों में गणठित होगा जिनका यह एक ही उद्देश्य है। यह समुदाय दूसरे समुदायों के साथ गे गय बनाएँगे। इन संघों का माध्यम उनके विशेष और विभिन्न साधिक एवं सामाजिक द्वित होंगे। इनकी सदस्यता ऐचिक्का होंगी और जो व्यक्ति इसके नियमों का पालन नहीं करते उनको समुदाय नियासित पर देंगा। भगवां का नियासारा मध्यस्थी के द्वारा होगा। गमाज विरोधी शार्यों का नियासारा नीतिक प्रभाव के द्वारा या कुछ गमतों में, जिनमें कि नीतिक प्रभाव ऐसा करते गे समरक्ष होगा, नियासन के भय से होगा और नीतिक प्रभाव एवं नियासन का भय यह इस नवीन गमाज से एक वो बाहर रखने के लिए नवीन राष्ट्र के थापन होगे।

जोपॉटिन सम्भाल में सामूहिक स्वामित्व में विश्वास करता था और इस लिए वह यह समझता था कि उत्पादन और उपभोग के उद्देश्यों में कोई भवतर नहीं होना पाहिए। प्रत्येक मनुष्य में वास करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इसलिए व्यक्ति स्वयं जिसी मिसी स्वेच्छा से निर्मित समुदाय का सदस्य हो जायगा। ऐसे समुदायों का माध्यम ऐचिक्का समझौते होंगे। इन समझौतों के हृण के सम्बन्ध में जोपॉटिन ने लिखा है यह—

“हम आपको इस प्रभाव का साम्बन्धन देते हैं कि माप हमारे गत्तातों, भड़ारों राजपथों, यातायात एवं परिवहन के साधनों, विद्यालयों तथा भद्रुतागमों का इस यत्न पर प्रयोग कर सकते हैं कि भारत २४ लाज वी भारु से ४५ - ५० लाज की भाषु तक प्रतिदिन ४—५ पृष्ठे ऐसे कागज का गम्भादन करते गे सामाजिक जीवनोपयोगी समझा जाए। माप स्वयं यह निर्णय पर सें कि माप वौन से समुदाय में प्रविष्ट होगा चाहते हैं समझा माप कोई नया समुदाय सम्बन्ध करना चाहते हैं, किन्तु उसे जिसी सावधय के लिए वायं नो स्वीकार

करना होगा। दोप्रथम गे ग्राम मनोरजन, विज्ञान या बना के उद्देश्य से अपनी रचि के घनुसार चाहे जिगके गाथ ग्रामा गम्पके रखते—हम आप से बधल यह चाहते हैं कि आप एक धर्म में १२०० से १५०० घटे किसी भी ऐसे गम्पदाय या बाय परे जो साधारण, वस्त्र या आश्रय स्थान उत्पन्न करने अथवा गायंजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि के कार्य में लगत है। इसके बदले म हम आपके लिए उन गभी बस्तुओं की गारन्टी देते हैं जो हमारे संघ उत्पन्न करते हैं।"

(धार्मिक राजनीतिक विज्ञान—कोकर पृ० २२४ यादवेन्द्र तथा मेहता द्वारा ग्रन्त्यादित)

यह नियम गमने उग अराजकतावादी गमाज, जो कि विष्वम वे याद जन्म लेगा, वी अपराधा रहना है, आपांटिन का यह विश्वास था कि सारी जनता की अवध्यरनावा क याय गामिणी उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बी केवल ३ या ५ घटे काय प्राप्तिन रखना पर्याप्त होगा। धार्मिक व्यवस्था में अधिकाश उत्पादन किसी भी काय ८ नहीं गमाज और व्यक्तिवादी उत्पादन व्यवस्था के बारए उत्पादन गमन भी व्यथ नहीं होता है। उमसा यह भी विश्वास था कि हमारे मामाजिक विराग वी दिना दस भविद्य के गमाज वी ग्रोर भी है। जने जने, मह्योगों सम्पादे राज्य से अनेक गायंजनिक बायों की सेवी जमी जा रही है। उनसी राय मे यद्यपि यह मामाजिक विराग पा अन प्राजकतावादी गमाज मे ही होगा किन्तु फिर भी यह तभी मध्य होगा जबकि तेरे गमाज वी स्थाना के लिए बान्ति होगी। ऐसी बान्ति के लिए प्राजकतावादी गमाज वी स्थाना संभव नहीं होगी।

यह बान्ति प्रारम्भ मे टिमातमक और ध्वंसात्मक होगी। शामसों को हमें शक्ति के द्वारा निपालिन करना होगा। राज्य वी गमन शक्ति गामिणी और राजनीतिक गमयाओं वा घ्यग भी बान्ति के लिए नहीं हो सकेगा। बान्ति के दूसरे चरण मे निझो गमति वा उन्मूलन होगा और निझो गमति जनता मे बीट ही जायगी। विज्ञान भूमि वी श्रीर मजदूर बन्न-बारमानों वी गमने अधिकार मे पर देंगे। पव्यवस्थान गमाज के पुनर्निर्माण वा युग आएगा। यह पुनर्निर्माण विशुद्ध गहयोगों एच्छिद्र आधारों पर ही होगा। दिनों वी भी ऐसे महयोग के लिए चिन्ता बनने वी आवश्यकता नहीं। राज्य वी शक्ति वी अनुपस्थिति मे भी नागरिकों को उनकी प्रारूपिक प्राप्तिक प्राप्तिकताएं महयोग के लिए बाध्य करेंगी।

राजाटिन का यह वक्ता है कि प्राजकतावाद जैसा कि साधारणतः समझा जाता है अन्वयवस्था वा नान दृष्टि नाम नहीं है। प्राजकतावाद वा उद्देश्य वेवन संगठित शक्ति एव गमयाओं वा विशेष करना है। हमें राज्य वी शक्ति के गमनों को पूरा करने मे

लिए भावश्यकता इस कारण पड़ती है कि इन समझोतों का आधार प्रायः प्रिवेशता पर्यं शक्ति होती है और इगलिए भी कि ये समझोते केवल एक हो पक्ष के लिए होते हैं। भराजकतावादी समाज में ऐसे कोई भी समझोते नहीं होगे। उस समाज में समझोते का आधार व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा होगी। ये दोनों पक्षों के हितार्थ होगे और इस कारण दोनों पक्षों द्वारा राज्य की शक्ति की अनुपस्थिति में भी पूर्णल्लेख पूरे रिए जाएंगे। ओपाटिन का यह भी विश्वाग था कि व्यक्ति स्वभावत थम से पूणा नहीं करता किन्तु वह प्रत्यधिक थम या ऐसे थम से जिसका कि पूरा पारितोषिक नहीं मिलता या जो कि मस्वाहृद्यग्रद या गन्दा है, से पूणा करणा करता है। भराजकतावादी समाज में थम के साथ में ऐसी कोई भी दशाएँ नहीं होगी इगलिए थम उस समाज में प्रत्यक्षर नहीं होगा।

ओपाटिन व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों के अस्तित्व में विश्वाग नहीं करता और न वह समाज के साध-प्रद रीति-रियाजों को नष्ट ही करना चाहता है। आजकल जो भी समाज विरोधी कार्य होते हैं उनका कारण ऐसी दूषित सामाजिक रीतियाँ हैं जो कि व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों के लिए बाध्य कर देती है। ओपाटिन रुद्धिवादी धर्म को भी नहीं चाहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म का कोई आधार नहीं है। यह या तो "जनता की रुद्धि की धीमांगा करने वाला एक सादिम गिदान्त है" या "प्रहृति को समझाने का एक भद्दा प्रयाग है" या एसे रुद्धिवादी नैतिक व्यवस्था है जो कि जनता के अन्धविश्वासों पर माधारित है। वह ऐसे थम और रुद्धिवादी नैतिक प्रणाली के विषद्य या। उनके भनुगार स्वयं विवरित जनता की सामाजिक नैतिकता ही उचित प्रकार की नैतिकता हो। यह सामाजिक नैतिकता ऐसे नैतिक नियमों तथा मादतों का समूह है जो कि धार्मिक विश्वासों द्वारा स्वतन्त्र स्वरूप विकसित हुमा है।

भराजकतावादी और समाजवादियों का एक ही उद्देश्य है। ये दोनों वर्गविहीन और राज्य विहीन समाज पाहते हैं। किन्तु इस उद्देश्य को पाने के उनके मार्ग प्रधक हैं। समाजवादी और विमोक्षर वानिकतारी समाजवादी इग उद्देश्य को पाने के लिए सर्वहारा वर्ग का धर्मनायकतन्त्र भावश्यक समझते हैं। किन्तु भराजकतावादी ऐसी शक्ति द्वारा शासन करने वाली गस्थाप्तों को प्रयत्ने उद्देश्य को पाने के लिए न तो भावश्यक ही समझते हैं और न परान्द ही करते हैं। जहाँ साम्यवाद का अन्त होता है वहा भराजकतावाद भारम्भ होता है। उनको हम एक ही वृक्ष के दो घर्ष भाग वह सकते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में लेनिन ने लिरा है, "हमारा भराजकतावादियों से अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य के विनाश के प्रश्न पर मतभेद नहीं है।" किन्तु "मार्गवाद भराजकतावाद हे इग बात में भिन्न है कि वह सामान्यतः वानिक काल में

तथा दियोगता पूर्वीवाद से ममाजनावाद की पीछा प्रद्वयर होने के समय बाप में राज्य तथा राज्य की गति की प्रावध्यता को मानता है।”

(प्रायुनिष राजनीतिक चिन्तन—सोकर पृ० २३४ प्रादेवनु तथा भेटा द्वारा अनुदातित)

कुछ ऐसे प्राजननावादी भी हैं जो प्रत्येक प्रवार की हिंग तथा शक्ति के उपरोक्ते विश्वल हैं, जो इसका लूगुं मात्रनों से अराजननावादी ममाज की स्थापना करते हैं, ऐसे अराजननावादियों में सबसे प्रचलित टान्मटाय है। उनके गिरावं परे हम विश्ववन अराजननावाद पहुंचते हैं। उन्होंने विश्ववन लूणों एवं नैतिकता को पानन करने का उत्तम दिया गा। उनके प्राजननावादी ममाज का प्रापार परी मुगा है। वह राज्य एवं व्यक्तिगत ममता की गस्ता को पेर विश्ववन सम्पादन करते हैं। राज्य शक्ति पर द्राशालि है पौर प्रपने प्रादेशों का पानन करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है इसलिए राज्य, विश्ववन पर्व के नैतिक आदेश कि बुराई का गति के द्वारा विराप नहीं रखता जाहिए का पानन नहीं रखता है। व्यक्तिगत गमनिकी गस्ता मानवीय धानन्व और दान के विश्ववन नैतिक प्रादेशों के विरुद्ध है। वह अराजननावादी ममाज को उन गिरावं एवं व्यक्तिगत व्यावहार के द्वारा स्थापित वर्गना जातन य तथा व्यक्ति को मुक्त नैतिक प्रवृत्तियों को आपन रखना प्रावध्यक गमनने थे। उनके अनुसार एक भवने विश्ववन की तरह पौर बुराईयों का निवाय दियो र करने का यदि गमाज के प्रधिकार व्यक्ति रहेंगे तो प्राजननावादी ममाज की स्थापना म बोई विदेष इष्टिनाई नहीं होगी।

गमन अराजननावादी ममाज की स्थापना जानिलूगुं प्रयत्नों में नहीं हो सकेगी। हृदयं रीढ़े अनुसार :

“एक विद्वान् वी अवध्यता इमनिए होगी व्यक्ति जब ताकं करने का प्रवनर प्रायंता तब प्राप्ते एवं प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी, यदि वह दिगर पर्व, तो गमान्व नाम के लिए अपने व्यक्तिगत लाभों का बनिदान नहीं बर्देंगे।”
(प्राजननावाद का दर्शन पृ० ३४)

रीढ़ का यह कथन तुमारे दिवार में मानवीय अमाद के ऊर एवं प्रत्यन्त ही निराशावादी पौर गंत प्राजननावादी व्यास्ता है।

१८ वी शनाहरी जे मोशन में इन्मान्यक प्राजननावादी कार्यकर्ता हो, उसी शून्यदादी विचारों से, न यि देवनिन या शोभाटकिन से प्रेरणा मिली थी। शून्यदाद का प्रत्यं है गमन्व प्रवृत्तिन विचारों, विद्यायों पौर घमों एवं गमान्व, राजनैतिक, पौर व्यक्तिगत लाभों एवं गमन्वों का निरंत। गंदेष में यह प्रत्यं प्रष्ठ-विन मानवना वी प्रमीरात रखता है। इमनिए यह प्राजननावाद में कही घणित व्यापर एवं कानिगरी है। मारम्ब में शून्यदाद का प्रयोग गाहितियक गमन्वोंवालों

के धोने में ही था। शून्यवादी की रगा उन आलोचकों के लिए उपयोग में लायी जाती थी जो कि समस्त रुदिवादी मान्यताओं का विरोध करते थे और जो कि साहित्य का सृजन प्रहृतिवाद पर आगरित मानते थे एवं उनके अनुमार ऐसा सृजन स्वयं विकसित होना चाहिए। प्रो० कोकर के अनुमार—

“धर्म तथा सदाचार के धोने में शून्यवादी हृष्टिरोण सत्तावाद, कटुरवादी था, सर्वातिशायिता तथा नियम-निष्ठता की निराम में तथा धर्म में नास्तिकता, और नीति में सुखवाद, परोक्षणवाद तथा मानववाद की शिक्षा में प्रकटवाद रूप के रामान राज्य, तथा धर्म (चर्च) में निश्चलता, प्रमाद तथा अमानुषिकता वा जो राज्य था, उसके विरुद्ध शून्यवादियों की ये प्रवृत्तियाँ एक प्रकार से स्वाभाविक प्रविष्टिया थी।” (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन—यादवेन्द्र तथा मेहता द्वारा अनुवादित पृ० २३१)

शून्यवाद वा सबसे महत्वपूर्ण विचारक एक रसी सरगी नेतरेव (१६४८-१६५२) था। उनकी दृतियों ने प्रचलित रुदियों, मान्यताओं एवं सत्याग्रों का पूर्ण दाक्ति प्रयोग द्वारा नाम पर अविक जोर दे। बैकूनिन के माथ मिलवर उगने एक ‘कान्तिकारी प्रश्नोत्तरी’ का गक्कन किया। इस दृति में एक पूर्ण बान्तिकारी के कलंधों की सूची है। प्रो० कोकर के अनुमार—

“इन पुस्तिकारों में उगने वहताया कि इन कार्यों के सम्पादन के लिए कान्तिकारी को कठिन बान्ति के प्रति पूर्ण आत्मगमर्षण करना होगा और समस्त भाव प्रधान बन्धनों तथा नीतिक एवं परम्परागत वाधाओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। भराजवतावादी ध्येय की प्राप्ति के लिए—विष, तलवार, अग्नि फौसी वी रसगी आदि—हर प्रकार के साधनों का समर्थन किया गया है। कान्ति के शत्रुओं को नष्ट करने तथा—मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए प्रचार के हेतु हृत्याग्रों का भी समर्थन किया गया है। उगका गिरावत या कि जब तक शब्द वायरलूप में परिगण न हो तब तक उनका वोई मूल्य नहीं। भराजवतावाद का यह भाव नहीं है कि वे भविष्य के समाज के सगठन की योजना तैयार करें। यदि हम भाज की प्रस्वाभाविक संस्थाओं को मिटा दें, तो भविष्य के अनुभवों से सगठन के समुचित रूपों का विकास हो जायगा।” (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन—यादवेन्द्र तथा मेहता द्वारा अनुवादित पृ० २३२)

शून्यवाद भराजवतावाद का सबसे उपर रूप है तथा यह हमारी सम्यता की समस्त मान्यताओं का निवेद करता है। यह इन शून्यवादियों और भालकवादियों के बायंक्रम वा ही प्रभाव है कि गाधारणत जनता की हृष्टि में भराजवतावाद रम्यरुण विवरण और अव्यवस्था का ही दूसरा नाम बना हुआ है।

नियोजित प्रजातन्त्र

एक प्रश्न जा रि हम ऐसे ग्रविवाश व्यक्तियों के महसूलक में सम्मतः होगा, विदेशी भाग्न म, यह है कि नियोजन वी प्रावद्यवना क्यों है? हमें इस बात का भी मन्देह हो गक्ता है कि नियोजन अद्वितीयमें कि हमें गता का आभाग होता है और एक ऐसी व्यवस्था का आभाग होता है जिसमें हमारे वार्ष, उद्देश्य एवं प्रत्येक वस्तु राज्य के द्वारा निश्चिन होनी है, का भी वया श्रजातन्त्र के गाय प्रस्तित्य हो सकता है। प्रजातन्त्र का ग्रांथ समता, स्वतन्त्रता तथा गता पर प्रतिबन्ध एवं उत्तरदायित्व होता है।

भारत में हमें नियोजित प्रजातन्त्र को इसलिए भी प्रावद्यवता है कि हम औद्योगिक व्यापार के २०० वर्षों के बात को बुझ वर्षों में ही पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिक राष्ट्रों ने त्रितीय विकास इन विद्वतों दो शताव्दियों में किया है, वह हम अब करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र के औद्योगिक वरण के लिए यह प्रावद्यक है कि हम तीव्र से तीव्र गति से राष्ट्र वी मानवीय एवं भौतिक व्यक्तियों को प्रधिक से प्रधिक वार्ष में लाने का प्रयत्न करें। यह वार्ष नियोजन द्वारा ही हो गता है और दिना नियोजन के औद्योगिक राष्ट्रों के राहावर पहुँचना अत्यन्त ही कठिन होगा। हम उन भयंकर वर्षों एवं वर्षों में भी बचना चाहते हैं जो जि पुराने औद्योगिक राष्ट्रों को हस्तक्षेप न करने के निदान एवं स्वतन्त्र आदिक व्यवस्था के कारण उठाने पड़े थे। हम अपनी भौतिक उभति एक नियोजित प्रकार से करना चाहते हैं और यदि हम भौतिक उभति के लिए त्याग भी करना पड़े तो यह त्याग गव नाशखिंची द्वारा ही न कि जिसी एक वर्ग-विदीय द्वारा। इसलिए भी हमें राज्य के द्वारा नियन्त्रित नियोजन की प्रावद्यकता है। मानवीय स्तर को ढंचा करने के लिए एवं भौतिक

कन्याएँ यह आवश्यक है कि विज्ञान को मानवता की गेवा में लाया जाय और यत्रों के विकाग के द्वारा मद्दतों वार्य, आवश्यकताओं की पूर्ति और कम से कम वे साधन तो दे ही दें जो कि मानवीय स्तर को ऊचा उठाने में सहायक हैं। यह वार्य पूँजीवाद भी कर सकता है किन्तु गम्भीर पूँजीवादी मार्ग को ग्रहण करने से इस दिशा में प्रगति मन्द गति गे होगी और अभिक कष्ट उठाना पड़ेगा। समाजवाद इस वार्य को प्रधिक शीघ्रता से वर गरना है और इस मार्ग से कम में कम कष्ट उठाना पड़ेगा। राज्य इस स्थिति में है कि वह राष्ट्र के समस्त गाधनों का राष्ट्र वी आयिक व्यवस्था के संतुलित विकाग और हमारी गम्भीर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजन करे। ऐसा हटितोगु कि तो भी पूँजीपति का कदाचि नहीं हो गरता क्योंकि उसका हटिकोण निजी साम वा होगा न कि राष्ट्रीय विकाग वा। नियोजित व्यवस्था के प्रारम्भ होने पर राज्य के वार्य धर्म में अत्यधिक वृद्धि होगी, क्योंकि राज्य को राष्ट्रीय जीवन के राखी पश्चो वा निर्देशन करना होगा, और इसनिए नियोजन का अर्थ है कि राज्य की शक्ति गे वृद्धि। शक्ति की उप वृद्धि वा स्वभावत अर्थ होगा कि राज्य व्यक्ति के कायों में हस्तक्षेप करे और राज्य की व्यक्ति के ऊपर गता प्रधिक हो जाने के फलस्वरूप प्राविक धोन म व्यक्ति के स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति का प्राय अन्त ही हो जायगा। सभवत गाम्याजित एव राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस स्वतन्त्रता का अन्त हो जाएगा जैसा कि गाम्यवादी राज्यों म हुया है। यही पर यह बात स्पष्ट है में समझ लेनी है कि राज्य की व्यक्ति जिनकी प्रधिक होगी उनकी ही जल्दी योजनाओं को हम वार्य है परिणाम कर मकोंगे और दूसरी और शक्ति जिनकी प्रधिक होगी उनका ही राज्य म अभिनायकतन्त्र होने की गम्भीरता है। प्रधिनायकतन्त्र एक निरकुप राक्कार को जन्म देगा और इस तरह हम इस परिणाम पर पहुँच गरने हैं कि नियोजित आयिक व्यवस्था के लिए निरकुपता की आवश्यकता है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है। यिनी भी प्रजातन्त्रीय राक्कार की अपक्रिय के मामलों म हस्तक्षेप करने की, अपनी सीमाएँ होनी हैं प्रजातन्त्र राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करने का गिरावंत है। प्रजातन्त्रीय राज्य भी नियोजित, प्राविक व्यवस्था की स्थापना एव विकास उनी सीमा तक करने म सकन होगा जिस सीमा तक वह व्यक्ति के मामला म हस्तक्षेप कर सकता है।

गाम्यवादी प्रधिनायकतन्त्र म नियोजन स्वभावत प्रजातन्त्रीय नियोजन में भिन्न होता है। नियोजन का अर्थ है कि हम राज्य को मानवीय और भौतिक साधनों के पूर्ण निर्देशन के लिए आवश्यक शक्तिया एव सत्ता दें। यह पूर्ण निर्देशन की शक्ति प्रजातन्त्रीय राज्यों के पास नहीं है। यहां तक कि शिटिंश अभिक दल का प्रजातन्त्रीय समाजवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज की समाजवादी व्यवस्था का तिदान्त राष्ट्र के भौतिक साधनों का निर्देशन करने में भले ही गफ्त हो जाये परन्तु

प्रान्तीय सामनों के लिए में इनके नियोजन की महत्वपूर्ण सीमाएँ होंगी। किन्तु प्रवान्त्र के समझ और सार्थक भी नहीं है। प्रजातन्त्र यदि समाजवादी अधिनायकतन्त्र से प्रतिक्रिया करना चाहता है तो उसे अब ते समस्त राष्ट्रीय साधनों का नियोजन करना हो जाए और नियोजन इमरिए अवश्यम्भावी है। हमारे समझ यह नियन्त्रण करने की समझा है कि हमें कैसा नियोजन बाहिर और हम नियोजन के साथ प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को कैसे रख सकते हैं। प्रो० कानून में नहीं मैं इस गम्भीर में बहा है—

“हस्तक्षेप न करने के गिरावन का धन और नियोजन की आमस्थाना बन्धान हिति एवं प्रातुरिक पहलिया की प्रहृति का अनिवाय फर है। संभवतः हम सब पुराने ऐसे से गोस्तुरिक एवं अवकाश प्राप्त भइ व्यक्तियों की तरह हमना परान्द करे और या १८ वीं एवं १६ वीं शताब्दी के शताब्दी सार्थक सार्थकों की तरह जीवन परान्द करे परन्तु हम किम युग में रहेंगे एवं जिन समस्याया को हमें पुस्तकाला पढ़ेंगा, इसको चुनने का अविस्मार हमें नहीं दिया गया है। सब प्रकार के नियन्त्रण—प्रायिक, राजनीतिक सतोवैज्ञानिक और यात्रिक—इन्हें अधिक प्रश्नोत्तर हो गए हैं (पौर विद्यालय युद्ध में इन प्रवृत्ति वाँ अन्यायिक तीव्र गति दी है) कि प्रदन यह है कि इन नियन्त्रण के माध्यनों का उत्तरांग और और किम उद्देश में करेगा ज्योंकि उनका प्रयाग प्रवश्य ही होगा। प्रब हमें ‘नियोजन’ या ‘हस्तक्षेप’ न करने के विद्यालय, में ने एक चुनना नहीं है किन्तु ‘नियोजन किम निए?’ और ‘नियोजन किम प्रकार का?’ के योंगे में चुनना है।”

(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं प्रजातन्त्रीय नियोजन पृ० ८)

प्रो० कानून में नहीं, जो कि इस समस्या के मध्ये बड़े विचारक माने जा सकते हैं, के अनुगार यदि प्रजातन्त्र और नियोजन के गम्भीरों को गम्भीर है तो हमें प्रजातन्त्र की मान्यताओं में गंभीरता करना होगा। यिन और सोन्मर के व्यक्तिवादी एवं राज्य में हस्तक्षेप न करने के विद्यालय पर प्रायारिल प्रजातन्त्र, नियोजन की नहीं गहन कर सकता और ऐसे प्रजातन्त्रीय विद्यालय नियोजन का विरोध करते हैं। किन्तु यदि प्रजातन्त्र को हम एक समाज कल्याणकारी व्यवस्था या एक ऐसी सरकार के रूप में देखें तो कि श्रेष्ठ जीवन के साधनों को इनें वार्ती और व्यक्तियों के समस्त हितों का गरण्य करने वाली है तो प्रजातन्त्र और नियोजन का यह प्रस्तुति हो सकता है। प्रजातन्त्र की प्रब हमें एक नए हायिकोल से देखना होगा और एक नए न्यू में उग्री मान्यताओं को देखना होगा। मत्ता और स्वतन्त्रता में गर्दव अत्यन्त ज्ञान नित मनुष्य रहा है और नियोजन इस गन्तुलन को नष्ट कर गवना है। नियोजन इस गन्तुलन की यता के पश्च में और स्वतन्त्रता के विद्यु अगलुनित कर देगा।

मुढोत्तर युग का विद्व रामाज स्थिति भिन्न हो रहा है और इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम नई मान्यताएं एवं नये मार्ग अपनायें। १६ वीं शताब्दी का प्रजातन्त्र इस स्थिति से माम नहीं दे सकता और इसलिए प्रजातन्त्र को एक नया रूप देने की हमें निःन्त आवश्यकता है। अभी तक इस रामाजिक पतन को रोकने के दो प्रयत्न हुए (अ) अधिनायकतावीय नियोजन— इनके दो प्रकार हैं—फासिस्टवादी एवं साम्यवादी। (ब) प्रजातावीय नियोजन जो कि शनैः शनै विकास के द्वारा हुआ है।

साम्यवाद एवं फासिस्टवाद दोनों ही इस आधिक अव्यवस्था की समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों इस समस्या में परिवर्तन करने के लिए उपराधनों का प्रयोग आवश्यक रामभते हैं। वे दोना इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता उत्तरा पेट है त कि उसका सरित्पा और यह पेट की आवश्यकता राज्य द्वारा सम्पूर्ण जनता को नोकरी दे देने से ही हल होगी। वे दोनों इस बात से परिचित हैं कि कोई भी राधारण व्यक्ति आधिक सुरक्षा को वित्तना महत्व देता है। वे दोनों निराश व्यक्तियों के समक्ष सुगम एवं शीघ्र उत्पत्ति का मार्ग रखते हैं और ऐसा मार्ग जो कि “आदेश, दबाव, शक्ति, निर्देश और समुदायों को विनष्ट करने के तरीकों में प्रयोग है। यह पद्धतियाँ राधारण उन समाजों की हैं जिनमें कि सैनिकवादी हड़ियाँ हैं और जिनका सम्बन्ध पड़े संन्यवाद पर आधारित है” (स्वतन्त्रा, शक्ति और प्रजातावीय नियोजन— पालं मैनहीम पृ० २३) इसलिए यह दोनों नियोजन को व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को नियन्त्रण करने वाली अव्यवस्था के रूप में देखते हैं। वे नियोजन को एक अत्यधिक बेन्ड्रीकृत अव्यवस्था, जो कि शक्तिशाली बेन्ड से निर्देशित होगी, भी नहीं समझते हैं। अधिनायकतन्त्र में नियोजन का मर्य होगा कि शिशर के कुछ नेताओं के हाथ में अत्यधिक शक्ति वा बेन्ड्रीकरण। इसका यह भी मर्य होगा कि सम्पूर्ण व्यक्ति राज्य के आधीन हो जायगा। उसका प्रत्यक्ष से प्रपना कोई भी प्रसिद्धत्व या अतित्व नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष राज्य के धोन से बाहर न होगा और सकोप में राज्यरूपी मशीन का बेवल एक पुर्जा मात्र होगा। व्यक्ति के जीवन का नियोजन, दोनों प्रकार की अव्यवस्थाओं में, बेवल आधिक धोन तक ही भीमित नहीं रखता यह दूसरे धोनों से यहीं तक कि विचारों का भी नियोजन एवं नियन्त्रण करता है। ऐसे समाजों में, जीवन का अत्यधिक संन्योकरण होता है। यहीं तक कि उनकी सत्त्वति भी एक निर्देशित संस्कृति होती है।

11055.

मानवाद हमारे समक्ष एक बांग विहीन य राज्य विहीन स्वतन्त्र समाज की शानदार वल्पना रखता है जिन्हुंने इस भावध्य के समाज तक हमें सर्वहारा बांग के अधिनायकतन्त्र द्वारा नियोजित, बेन्ड्रीकृत, निर्देशित और यत्रवत् जीवन की बठिनाइयों में से होवार पहुँचना पड़ेगा। यथा यह एक ऐसी देव पर, जो कि घमी स्थापित भी नहीं हुई है, हुड़ी नहीं है? पिर यदि सर्वहारा बांग के मुद्द नेताओं से हाथ में शक्ति

बेन्द्रीहृत हो जायगी तो इसकी बया भाषा है कि नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त वर सेने के पश्चात् नियोजित समाज की बद्धिमत्त्वों एवं नियत्रणों से व्यक्ति को छुटकारा भिल जायगा और व्यक्ति ने नियोजित समाज के स्थापित करने में जो बनिधान लिए हैं उनके फलों वा वह स्वतंत्र बायुमण्डल में उपयोग वर सकेगा ? नियोजन न तो विनी भी समाज का एक स्थाई लक्षण है और न होना चाहिए । नियोजन वा एक विशेष उद्देश्य है और जिस काण यह उद्देश्य प्राप्त हो जाये उभी काण इसके नियत्रणों को हटा देना चाहिए और इसीलिए मात्रमें ने एक राज्य विदीन समाज की बल्पना की है । इन्तु बया हम और बया कोई भी इन कात परी भाषा वर सकता है कि साम्यवादी या फारिट अधिनायकत्व कभी भी राज्य-कर्त्ता वा अन्त होने देया ? या सो कोई वटूरवादी वा कोई पागल ही ऐसी बल्पना बरेया ।

हमारे मुण की मुख्य समस्या नियोजन के द्वारा गामाजिक व्यवहार का पुनर्निर्माण एवं पुनरत्पान करना है । इन्तु ऐसा बरने वे लिए हमें साम्यवादी या फारिट नियोजन ने एक विश्व प्रतार वा नियोजन अपनाना होगा । श्रोत भैन्हीम के शब्दों में—

"यह नियोजन स्वतंत्रता के लिए होगा, और प्रजातंत्रीय नियंत्रण के धार्धीन होगा । यह नियोजन इतना प्रतिवृद्धि नहीं होगा कि पूँजीपतियों या श्रमिक नमुदायों वे नामूहिक एकाधिकारों के पक्ष में हो, इन्तु समृद्धि के लिए नियोजन, घर्षान् पूर्ण रोबार और भौतिक साधनों वा पूर्ण जोपण व सामाजिक व्याय के लिए नियोजन न कि पूर्ण समना के लिए, और इसमें भच्चों समना के धारार पर पारितोषिक और स्थान भिन्नता न कि विशेष अधिकारों वे धारारों पर होती । नियोजन एक वर्ग विदीन समाज के लिए नहीं, इन्तु उम समाज के लिए जो कि चरम ऐश्वर्य और चरम नियनता का उन्मूलन करता है । ऐसे मास्टिक सतरों, जो कि नीचे न निरो, के लिए नियोजन, उप्रति के लिए नियोजित परिवर्तन जो कि पुरानी हडियों में ने महत्वपूर्ण बस्तुओं वा घन न वरे; नियोजन जो कि सामाजिक नियन्त्रण के समन्वय के द्वारा समृद्धता तरीकों के लिए हुए समाज की धाराहायों में वसाए—सामूहिक बगीटी द्वारा निर्वित किये हुए सुस्यात्मक नेतृत्व उनके सम्बन्ध में ही हस्तशेष वरे, बेन्द्रीयकरण और सत्ति वे वितरण के बीच समन्वय स्थापित वरे, समाज का शान्ति शाने, परिवर्तन करता है ताकि व्यतिकूल के दिकाय को प्रोलाहित वरे; मर्दांप में नियोजन न कि गंभीरकरण ।"

प्रजातन्त्रीय नियोजन वे उद्देश्यों की यह अत्यन्त ही स्पष्ट हर रेता है। प्रजातन्त्रीय नियोजन को नियोजन सत्तावादी और हस्तक्षेप न करने की नीति की अव्यवस्था के मध्य वा मार्ग अपनाना होगा। यह हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा मार्ग भी है। साधारणतः यह विश्वास है तथा यह मान लिया जाता है कि अधिनायकतन्त्र और अव्यवस्था के मध्य मे कोई मार्ग नहीं है किन्तु ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के बीच मे प्रजातन्त्रीय नियोजन का मार्ग है। प्रजातन्त्रीय नियोजन का मुख्य बार्य सत्ता और स्वतन्त्रता मे एक नये लतुलन वा निर्माण करना होगा।

नियोजित प्रजातन्त्र को स्थापित करने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा ताकि जनता को हस्तक्षेप न करने की नीति से नियोजित प्रजातन्त्र की ओर यह परिवर्तन स्वीकार हो जाय। साधारण शब्दित को हमें इस नए प्रजातन्त्रीय रूप की आवश्यकता और गुणों की शिक्षा देनी होगी। प्रो० मैनहीम के भनुसार—

“वह समय अवश्य नहीं रहा जबकि राजनीतिक इच्छा स्वतः ही जनसत के द्वारा एकीभूत हो जाय। मुद्दे स्थित समस्याओं पर आज ही प्रजातन्त्रीय समझौते को प्राप्त करने के लिए यह थीक है कि मुद्दे रूप से एकता के निर्माण की विस्तृत पद्धति की आवश्यकता है—और यह सदैव प्रजातन्त्र को सर्वाधिकार वाले भिन्न करेगी—यह आवश्यक है कि विरोधी रचनात्मक शक्तियों किसी भी परिस्थिति मे दबाई न जाए। रचनात्मक याताचना धर्मिक महत्वपूर्ण हो जायगी किन्तु जिन मार्गों के द्वारा इनका निर्माण एवं प्रकाशन होता है और वह रामय जबकि वह प्रकाशित होगी, मे परिवर्तन होगा।”

(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं नियोजित प्रजातन्त्र पृ० ३५)

इस कथन से यह स्पष्ट है कि नियोजित प्रजातन्त्र की सफलता के लिए भी हमें एक प्रकार का विचार निर्देशन अपनाना होगा। यह विचार निर्देशन अधिनायकतन्त्रों के विचार नियशण समान नहीं होगा। किन्तु फिर भी विचार स्वतन्त्र मे किसी सीमा तक हस्तक्षेप तो होगा ही।

इस नये प्रजातन्त्र मे विरोधी पक्ष को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों मे परिवर्तन करना होगा। यह विरोधी पक्ष केवल विरोध के लिए ही विरोध नहीं करेगा और न राज्य वी शक्ति को पाने की प्रतिस्पर्द्ध के फल रूप ही करेगा। विभिन्न दसों को इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का गिरावंत अपनाना होगा। प्रो० मैनहीम के भनुसार इन योजनाओं को कुछ उद्देश्य पूरे करने होंगे और तभी यह योजनाएँ विभिन्न राजनीतिक दसों की सहमति प्राप्त करने मे सफल होगी। उसके भनुसार—

(प) "योजनाओं में एक रूपता आवश्यक है—धर्म हमें ऐसी सामूहिक समस्याओं जैसे कि नौकरी का स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, अवमर की समानता, आदि का एक भ्रात्यधिक महत्वित सामाजिक दौरे में सम्बन्धित मध्यों वो जिनके एकत्रित होने का दर है, सुलभाना पढ़ेगा।"

(ब) "यह योजना बहुमत को मान्य होनी चाहिए—ऐसा बहुमत बेबत हमें प्रतिक्रियावादियों का, जो कि दिसी भी बीमा पर परिवर्तन नहीं चाहते हैं और उपकारी, जो कि यह समझते हैं कि मुग्ध-परिवर्तन होने पर ही है, दोनों से घलग मध्य में ही मिल सकता है। यह शावृतिक है कि इन समूहों में भी विभिन्न राय होंगी जिनके दीर्घ से सूख्य मिश्रताएं होंगी। इन्हीं के पापार पर मूलभूत समस्याओं पर मत्योंग प्राप्त किया जा सकता है—दिसी भी वान्नदिक वार्षिक पर गमनीता बरने की उनमें योग्यता होनी चाहिए या वम से धर्म धर्मता द्वारा निर्णय बरने की।"

(स्वतन्त्रता, ज्ञाति और प्रजातन्त्रीय नियोजन पृ० ३६)

ऐसे प्रजातन्त्र के भउदाताओं में भी धूष्ट विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। उनकी राजनीतिक निर्णय बुद्धि का विकास बरना पढ़ेगा और महत्वपूर्ण समस्याओं को उन्हें पूर्णरूप में समझाना पढ़ेगा। उन प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों को जो कि नियोजित आधिक व्यवस्था को अपनायें एवं वडा प्रचार विकास रापना होगा जो कि योजना, उमके उद्देश्य और राष्ट्र की धार्यित समस्याओं वीं भाषारण मनदाना को समझा-एगा। यद्यपि हम किसी भाषारण मनदाना में योजना या उमरे परिणामों का निर्णय बरने की विशेष योग्यता वो प्राप्ता नहीं बरते हैं, इन्हुंने वम से वम उम्बा इतना मानविक विकास प्रावश्यक है जो कि भाषारनूत निष्ठानों एवं समस्याओं को समझने के लिए प्रावश्यक हो। राजनीतिक विचारकों दे निष्ठानों को इनना गरन बरके लिखना चाहिए इसके बाहर साधारण समाजाओं के द्वारा भी समझे जा सके।

ग्रोन के पश्चात हम विद्वाम बरने लगे हैं कि मत्रिय और सच्ची स्वतन्त्रता का भर्य है, त बेबत जिसी धार्य को, जिसको कि हम बरना चाहते हैं, बरने की स्वतन्त्रता, जिन्हुंने हमारी स्वतन्त्रताओं का उपभोग बरने के लिए प्रावश्यक माध्यों की स्वतन्त्रता भी है। जिन्हुंने यह साधन बेबत राज्य के द्वारा ही दिए जा सकते हैं। जो राज्य ऐसे साधनों को देता है उसे हम लोक-सत्याग्रहकारी एवं मत्रिय राज्य बहते हैं। वान्नदिक और मत्रिय स्वतन्त्रता बेबत ऐसे ही राज्य में गम्भीर है। जिन्हुंने ऐसा लोक-सत्याग्रहकारी और मत्रिय राज्य प्राप्ति रूप में प्रदाने हुए समाज में सम्बद्ध नहीं है। जो राष्ट्र मत्रियनिय धार्य धर्म से प्रियदर्श हुए हैं यदि वे अपने नागरिकों को मत्रिय स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण सावधन देना चाहते हैं, तो

उन्हे नियोजन को अपनाना होगा। इसलिए नियोजन सच्ची भौत राक्रिय स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है। हम डा० कालं मैनहीम से पूर्णत सहमत हो सकते हैं कि नियोजन भौत स्वतंत्रता न तो विरोधी बस्तुएँ हैं भौत न एक दूसरे के लिये अनावश्यक। यदि नियोजन भौत स्वतंत्रता विरोधी बस्तुएँ नहीं हैं तो नियोजन भौत प्रजातंत्र में भी विरोध नहीं हो सकता।

नियोजित प्रजातन्त्र की भपनी कुछ कठिनताएँ और समस्याएँ हैं। यह प्रजातन्त्र का एक दोष है कि प्रजातन्त्रीय सरकारों को मांगामी आम-चुनावों, सोब-कल्याण या ऐसे सुधार जो कि साधारण जनता को भपने अज्ञान के बारण प्रहरिकर हैं—प्रधिक चिन्ता रहती है। ऐसी सरकार जनता का इस सम्बन्धों में कानूनों के द्वारा नेतृत्व नहीं कर सकती। यह सरकार दिली कमून को, चाहे वह कितना ही अच्छा व सुधारक क्यों न हो, जो कि जनता की सामाजिक एवं धार्मिक अपविश्वासों और रुद्धियों का भन्त करता है, नहीं बना सकती। यद्योऽसि उसे इस बात का डर है कि ऐसा कार्य करने से जनता में उसके प्रति विरोध उत्पन्न होगा और मांगामी आम-चुनावों में वह हार जावेगी। किसी भी प्रजातन्त्र में एक भृत्याधिक नियुक्त सरकार ही जनता की भलाई के लिए बार्य कर सकती है। विशेष रूप से जब वहुमत, जिसकी कि यह सरकार जनता की भलाई समझती है, उसके विरुद्ध हो। सामान्य चेतना और सामान्य उद्देश्य केवल प्रादर्श बस्तु है। साधारणत प्रजातन्त्र में भी ऐसी चेतना का अस्तित्व नहीं पाया जाता। यह एक स्वयं गिर तथ्य है कि भारत की जनसत्त्वा में बुद्धि शोधता से हो रही है और इस बुद्धि से अनुह्य ही हमारी राष्ट्रीय धार्मिक साधनों में बुद्धि नहीं हो रही। साधनों के विकारा में और जनसत्त्वा की बुद्धि में जो प्रतिस्पर्द्धा है, उसका निरंय निश्चित रूप में जनसत्त्वा में पथ में ही होगा। ऐसी दशा में हमारी योजनाओं की रफ़लताओं के लिए यह प्रादर्शक है कि हम जनसत्त्वा के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निफ़र नीति का पालन करें। इन्तु यह भारत की प्रजातन्त्रीय सरकार नहीं कर सकती है और न बरने का उसमें साहस ही है, यद्योऽसि परिवार नियोजन की नीति जनता के धार्मिक अपविश्वासों के विरुद्ध है।

ऐसी वापायें प्रायः प्रजातत्रीय व्यवस्थाओं में नियोगन के गार्ग में घाटों हैं पौर इनको दूर बरने का एक मात्र उपाय है कि हम सरकार को समुचित शक्तियाँ प्रदान करें। प्रायः शक्ति की कमी प्रत्यक्ष वैधानिक सीमाओं के रूप में नहीं होती लिन्तु सरकार की अपनी शक्तियों को वार्ष रूप में परिणत न बरने को इच्छा के द्वारण सरकार होती है। यह इच्छा चुनाव में हारने एवं राज्य शक्ति के हाथ से निराग जाने वे ढर में होती है। दूसरे शब्दों में हम यह एह सकते हैं ति प्रजातत्रीय सरकारें सफलता पूर्वक ऐसी सामरयाओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं, जैसे ति मानव शक्ति साधनों

का निर्देशन, बहती हुई जनगम्या का नियंत्रण, विभिन्न व्यक्तियों एव समूहों को बांध का वितरण प्राप्ति । इसलिए नियोजन प्रजातंत्रीय व्यवस्था में साधारणतः उत्साह-हीन एवं मनदग्धति से होगा ।

२० वीं शताब्दी में प्रजातन को फालिस्टयादी, नात्मी, एव साम्यवादी अपिनायकत्रों की चुनौती वा सामना करना पढ़ रहा है । ये अपिनायकनव, प्रजातन्त्र को 'अयोग्यता की पूजा' की व्यवस्था कह कर हँसी उड़ाते हैं और अपनी व्यवस्थामों को नागरिकों के सिए अधिक भौतिक लाभ पठुचाने में प्रभावकारी बनाते हैं । इस चुनौती वा सामना करने के लिए प्रजातन्त्रों की अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना होगा और हर राष्ट्र के तिथे किसी न विसो रूप में लोक-कल्याणकारी नीतियों को अपनाना होगा । जिन राष्ट्रों का श्रीशोधिक विकास हो चुका है वे किमी सीमा तक नियोजन के बिना भी लोक-कल्याण करने में सफल हो सकते हैं । उनके पाम इसके तिए पर्याप्त आधिक साधन हैं । लोक-कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और हर घन अन्तिम रूप में राज्य को केवल दो प्रकार से ही मिल सकता है—

(अ) दर वृद्धि के द्वारा ।

(आ) उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण द्वारा ।

प्रथम प्रकार की विश्वित सीमाएँ हैं जिन्हे दूसरे प्रकार में शनैः शनैः किसी भी सीमा तक हम वृद्धि कर सकते हैं । यद्यस्त पार्याप्त टॉप्ट से विद्युत हुए प्रजातन्त्रों को उत्पादन के साधनों वा सामाजिक स्वामित्व अपनाना होगा यदि वे एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापित करना चाहते हैं । यदि ननका श्रीशोधिकरण अमूर्ख है तो हमें नये सदीयों को आपने बरता होगा । प्रजातन्त्रीय राज्य भी अपने श्रीशोधिकरण की प्रगति वा नियोजन कर मक्ता है । उत्पादन के साधनों का सामाजीकरण, आधिक सार्वजनिक क्षेत्र वा श्रीशोधिक विकास और नियंत्री प्राधिक क्षेत्र पर प्रतिबन्ध, वह ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे कि अधिकार सापारण व्यक्तियों वा बहुमत प्राप्त है । प्रजातन्त्रीय समाजवाद वेवन एक अर्थ-नियित गृह प्राप्त एक समझौता है । यदि आप समाज में पूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उत्पादन और वितरण दोनों वा नियोजन करना आवश्यक है ।

नियोजित वितरण आवश्यक रूप में स्वतन्त्रता वो सीमित नहीं करता है । हर राज्य वो युद्ध जान में, जबकि जीवन की आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं किसी सीमा तक नियोजित वितरण अपनाना पड़ा था । अपने आपको महान प्रजातन्त्र मानने वाले राष्ट्रों जैसे इंडियन्स एवं इन्डियन्स को भी इस वो अपनाना पड़ा था । शांति वो भी नियोजित वितरण वो बनाए रखना एक विद्युत हुए राष्ट्र दे

लिए आवश्यक है। जब हमारा उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए होगा तब हम उसे समाजवाद कह सकेंगे और ऐसे समाजवाद को स्थापित करने के प्रारम्भ में, उपभोग की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी। नियोजित वितरण, नियोजित उत्पादन का परिणाम है और आधिक हैट से पिछड़े हुए समाजों के लिए एक आवश्यकता है।

साधारणतः व्यक्तियों में जन-सेवा की भावना नहीं होती और न वे राष्ट्र की योजनाओं को समझते हैं या इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे सरकारी योजनाओं में स्वेच्छापूर्वक सहयोग देने का प्रयत्न करें। सब प्रजातन्त्र, भत्ताताओं की इस उदासीनता से पीड़ित है। नागरिकों को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने या योजना की सफलता के लिए आवश्यक त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन कार्य है। यह मानव प्रकृति की प्रवृत्ति है कि व्यक्ति प्रायः अपने स्वार्थ से प्रभावित होता है न कि राष्ट्रीय व सामाजिक कल्याण की भावना से। निजी उद्योगों में तो पूँजीपति स्वयं इस बात को देखता है कि उत्पादन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं और मजदूर मालस्य तो नहीं कर रहे हैं किन्तु राष्ट्रीय उद्योगों में प्रायः कोई इतनी रुचि नहीं लेना है और इससे यह फल होता है कि योजना के सक्षय पूर्ण नहीं होते और न उद्योग आवश्यक बचत ही कर पाते हैं। इससे राष्ट्रीय, मानवीय एवं भौतिक साधनों का अपव्यय होता है। नियोजित प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये हमें कुछ ऐसे नये प्रश्नों का विचास करना होगा जो कि मजदूरों को राष्ट्र के लाभ के लिए कार्य करने की प्रेरणा हैं।

उदारवादी आधिक प्रणाली आध्यात्मिक मान्यताओं के बिना रह सकती थी किन्तु नियोजित समाज में भैनहीम के घनुसार 'आध्यात्मिक मम्पूर्णता' की अव्यन्त आवश्यकता है। नियोजित प्रजातन्त्र को भविनायकतन्त्रों के, वाह्य आंदोलनों और प्रतिक्रियावादियों के आन्तरिक आक्रमणों से रक्षा करने के लिए एकीकरण की आवश्यकता है। साम्यवाद और फासिस्टवाद इस मम्पूर्णता प्रदान करने वाले तथ्य की आवश्यकता के सत्य को पूर्णतया समझते हैं और ऐसी धर्म धारियों मम्पूर्णता का विकास करते हैं जो कि आवश्यक मनोदैशानिक और समाजशास्त्रीय आधारों को नियोजन के लिए निर्माण करती है। यह नियोजन को उनकी जनता द्वारा स्वीकृत करता है और उनमें इसके प्रति विश्वास उत्पन्न करता है कि उनकी स्वतन्त्रता के भविकार का नियन्त्रण करना और उनके जीवन को राज्य द्वारा नियोजित करने देना आवश्यक है।

इसलिए हम परिणाम पर पहुँचते हैं कि नियोजित समाज प्रजातन्त्रीय ध्यवस्था के मुख्य सिद्धान्तों को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय भी अपनाएंगा जोकि जनता की आध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है। कार्य भैनहीम तीन महत्वपूर्ण उपाय इस सम्बन्ध में बताते हैं। उनके अनुसार—

(ध) "प्रजातन्त्रीय नियोजित समाज को एक नए प्रवार पर्याय व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें आत्मोचना करने के अपिचार वा उठना ही हट दिवास हो चुका होगा जितना कि पूर्ण के प्रति उत्तरदायी होने के बहुत बाहर का । .. इसी नियोजित समाज में हितों की प्रावृत्ति व परस्पर विद्या जो कि शब्द शब्द एक पूर्ण कार्य प्रणाली तक पहुँचानी है, नहीं होगी बिन्दु एक बौद्धिक रूप से बनाई हुई और सब दलों द्वारा स्वीकृत योजना होगी । यह स्पष्ट है कि ऐसी नीतिका तभी स्पष्ट हो सकती है जब मानवीय पुनररक्षान के गहनमत सोड समाज के पुर्णजन्म में सहायक हो ।

(ग) " ... नियोजित समाज में जैसे ही धर्मिक वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध हो जायगा वैसे ही विभी भी निरुद्योग के दूरवर्ती परिणामों से उनका सम्बन्ध होना जायगा । निकटवर्ती हितों एवं मुहरवर्ती दायित्वों के समय एक प्रतिदिन के विचार की वस्तु हो जायगा । वेवल वही पीढ़ी जिसकी शिक्षा घर के द्वारा हुई है । वह से वह घर के स्तर पर हुई है वही तत्त्वात् लाभी और जीवन की विरक्षायी समस्याओं में विभेद बरने में और नियोजित प्रजातन्त्र के नियन्त्र द्वारा वीर्य जो कि प्रत्येक समूह एवं व्यक्ति से, सब के हित में है, के लिये होगी ।"

(इ) "नियोजित समाज को एकोवरण के प्रयोजन की आवश्यकता होती है । विरोधियों की महसूति या तो उनका विनाश या बद्दी बरने से प्राप्त हो सकती है या समाज के मदरमों की आधरान्तिक मध्यूर्णता में ।"

(हमारे युग का निदान पृ. १०२-०३)

नियोजित प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में आव्यातिक भूम्पूर्णता के लिए राजनीतिक दलों को, विशेष रूप में विरोधी दलों को, एक नया हृष्टिकोण अपनाना होगा उन्हें अपने प्राप्तवों नियन्त्रित बरना होगा वे आत्मोचना को वेवल आत्मोचना के लिए नहीं बरें । उन्हें सामाजिकता हिनों वा, न कि सहुचित दलीय स्वार्थों का ध्यान रखना होगा । राजनीतिक दलों में इस प्रवार के व्यवहार की ध्यान उम समय तक नहीं जा सकती जब तक कि उन पर विभी प्रवार वा वोई नियन्त्रण बरने वाला प्रभाव न हो और यह प्रभाव या तो बाह्य होगा या पान्तरित । अपिनायनकान्तों में यह प्रभाव बाह्य होगा क्योंकि यही राज्य की आदेशात्मक शक्ति वा इस वार्य के लिये उपभोग होगा और प्रजातन्त्री के आन्तरिक जटी पर कि उसको वेवल नीतिक प्रवृत्ति होगी । इस नई नीतिकता का प्रचार जीवन में एक नए धार्मिक हृष्टिकोण के द्वारा ही हो सकता है । यह तक इन मूल्यों के प्रश्नान आने वाले जीवन के महान्म में अधिक चिन्ना करते हों और इसके में

प्राप्त होने वाले सुखों की आशा में तत्कालीन सुखों के आनन्द प्राप्त करने से अपने को बचित रखते थे, उसी प्रकार हमें तत्कालीन लाभों वा चाहे वह राजनीतिक हो या प्राधिक, के नियन्त्रण की आवश्यकता है। हम ऐसे समाज की स्थापना, जहाँ पर कि प्राधिक हो, के लिए आशा और कार्य करेंगे। यह नयी नीतिकता व्यक्ति को स्वयं नियन्त्रण और सामाजिक हितों को व्यक्तिगत स्वाधीन से ऊपर रखने की शिक्षा देगी। प्र०० मैनहीम के अनुसार—

यह प्राध्यात्मिक सम्पूर्णता एकता के लिए आवश्यक है। प्रजातन्त्रीय समाज अपनी योजना के लक्ष्यों वो पूर्ण करने की ओर जनता वा सहयोग प्राप्त करने को समर्था को कैसे हल करेगा इसके लिए मैनहीन ने अपने 'प्राध्यात्मिक सम्पूर्णता' की योजना प्रस्तुत की है जो कि एकीकरण करने और हम सब लक्ष्य से सहमत होने और उनको पूरा करने में सहमत करेगी। मैनहीम इस सम्बन्ध में कहते हैं कि 'पुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमको सहमत होना ही हांगा, इसलिए नहीं कि वे प्राधिक प्रकृति के हैं या वे प्राधिक दोष में कदम उठाने से प्रभावित होने किन्तु इसलिए कि पिछले बीस वर्षों की अव्यवस्था से यह चिन्ह किया है कि प्राधिक हस्तक्षेप न करने नीति ने सामाजिक दोष में दोष पैदा कर देगी, उदाहरणत — अत्यधिक बेकारी। सामाजिक जीवन के प्रत्येक दोष में जीवन की अपनी अव्यवस्थाएँ हैं। ऐसे समाजों में रहना भविष्य ही अधिक सुखपूर्वक होगा जहाँ पर प्राध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रचार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से नियोजन के हृष्टि-कोण को रखने वाले अर्थशास्त्रियों की उदारता और अर्थशास्त्र के मतिरित अन्य दोष में हस्तक्षेप न करने की नीति वास्तव में उनके दूसरे दोषों के सम्बन्ध में अग्रान के कारण है। और यह समझने की अपेक्षा है कि स्वयं सुधार भी उनमें असफल हुआ है।"

(हमारे युग का निदान पृ० १०४)

हस्तक्षेप न करने की उदारवादी प्रणाली से नियोजित व्यवस्था में परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि योडे समय में समाज की मान्यताओं एवं हृष्टि-कोणों में गहन परिवर्तन न हो। मनोवैज्ञानिक हृष्टि से यह सम्भव नहीं है। जीवन के सद्यों की पुनर्वर्तिभाषा न करने और उनको एक नया महत्व न देने से हम जनता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते और उनकी भावनाओं को एक ऊंचे शिखर तक इस नयी व्यवस्था के पक्ष में नहीं पहुंचा सकते। यह एक नए प्राधिक मनुभव के द्वारा ही सम्भव है और प्राथुनिक समाज में अपने सदस्यों की प्राध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए ऐसे पर्म की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर पुनर्निर्माण तभी सम्भव है जबकि हम इस नयी व्यवस्था के लक्ष्यों को एक नया विश्वास एवं एक नया

प्रथं देने मे सफल होंगे। यह पुरानन स्थितिवादी धर्म की सस्थानो द्वारा सम्भव नहीं है। धर्म को एक नया धर्म और एक नया जीवन देना होगा ताकि य जनता द्वारा स्वीकृत हो जाय और एक पुनर्स्थान को प्राप्त हुए नेतृत्व वा आधार हो सके।

यह नयी मान्यता बेन्द्रोय राजनीतिक सत्ता के आदेशो के द्वारा नहीं भनवाई जा सकती। ऐसा बेघच मर्यादिकारों राज्यो मे ही सम्भव है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था मे यह मान्यताएँ जनता वी इच्छा द्वारा ही प्रपनाई जाएंगी। भूतकाल मे ऐसी सार्वजनिक इच्छा, कम मे वम निष्ठिय इच्छा, वा आधार रीति-रिवाज थे, जिन्हु मापुनिन युग मे इनका आधार और इनके विकास के लिए आवश्यक इच्छा राज्य मे द्वारा समझने से, भ्रष्ट वित्त व्यक्तियो वे विकास मे, एव बुद्धिजीवियो मे बाद-विवाद के द्वारा निर्माण की जा सकती है और यह इच्छा नियोजिन प्रजातन्त्र वी सपनता के लिए मत्यन्त आवश्यक है।

प्रजातन्त्र की कुछ समस्याएँ

आइस की प्रजातन्त्र की परिभाषा इस प्रकार है—

“वह सरकार जिसमें कि योग्य नागरिकों के बहुमत की दबावा द्वारा ही शामन होता है तथा यह मानते हुए कि योग्य नागरिक पूर्ण जनता के अधिकांश भाग है, जो समाज कम से कम तीन चौथाई है, जिससे कि नागरिकों की शारीरिक शक्ति उनकी मतदान की शक्ति के मनुगार हा जाय।”

(आधुनिक प्रजातन्त्र माग १ पृ० २२)

प्रजातन्त्र के पक्ष में तीन मन्य तर्क हैं। पुरातन युग में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त जैसे कि सबके लिए प्रधिकारों की समता, मध्ययुग में—कि सरकार अधिक व्यक्तियों के मुख के लिए और १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में बादशाही की सिद्धान्त कि देवल इसी प्रकार की शासन प्रणाली में, व्यक्ति के व्यक्तित्व वा पूर्ण विवास हो सकता है। प्रजातन्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें कि स्वतन्त्रता और समता वे भवित्वार पूर्णरूपे प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें अधिकारांश व्यक्ति शामन की प्रहृति के बारे में निश्चय करते हैं। यह परिभाषा हमें प्रतिनिधित्व की समस्या की ओर ले जानी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक युग में प्रजातन्त्रीय शामन का मर्यादित अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि शासन होता है। प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त के विकास के साथ ही शासन में भाग लेने वाले, राजनीतिक हिट से योग्य मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकारांश प्रजातन्त्रों वा सार्वलोकिक व्यवस्था मताधिकार एवं आवश्यक लक्षण है। यह मतदाता योगिक समूहों में मत देते हैं। मत देने की यह प्रणाली सबसे सरल एवं सुविधापूर्वक प्रतीत हुई और इसलिये इसको अपनाया गया।

दिन्तु यह हम प्रतिनिधि प्रजातन्त्र के इन दोनों भाषारों से सहमन नहीं है। न तो हम यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के शासन में भाग लेने के योग्य है और न हम भौमिक प्रतिनिधित्व को ही सर्वोत्तम पद्धति समझते हैं। मतदाताओं के भौमिक निर्वाचन होतोंके स्थान पर आधुनिक विचार व्यावसायिक निर्वाचन

दोनों पां ग्रननि की राय देते हैं। तेसे विचारकों का यह विश्वास है कि यहस्तपूर्ण राजनीतिक समस्याएँ वास्तव में आधिक समस्याएँ हैं और उनका प्रतिनिधित्व भौमिक समूहों में न हात हार आधिक समूहों में ही हो सकता है। किन्तु ये विचारक इम बान को नृप जाते हैं कि आधिक हिंसा में साध ही साथ भ्रंतक सामान्य हित भी है जिनकी हप उपयोग नहीं कर सकत और इन सामान्य हिंसा का बायार भौमिक दोष है न कि व्यावसायिक दोष। बृद्ध विचारक आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में है। उनका तक यह है कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन की भौमिक इकाइयों को रखने हूए भी निर्वाचन के बहुत से दाया ना दूर कर सकती है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्षपाती मतदाताओं वां मार राष्ट्र में विनाशित कर देते हैं, तो आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्षपाता मतों को विभिन्न उम्मीदवारों में विनाशित करते हैं। किन्तु उन सोमों के समझ, जो कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में है, बृद्ध समस्याएँ हैं। इसमें भल देने एवं बहुना भी प्रगतिशील राष्ट्रारण मतदाताओं की समझ से बाहर है। इसका परिणाम राजनीतिक दलों को द्विग्र-भिन्न बना यो दलों की जगह छोटे र राजनीतिक गद्दों को उत्तन बना होना है जो कि समीक्षा ब्रजानन्द की गफनना वे लिये घानन है। न तो राजनीतिक बहुवादी ही यो न वे जो कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहते हैं, अब तक वाई दोष रहित निर्वाचन प्रणाली हमारे समझ रखने में सफल हूए हैं। यह हम मानते हैं कि भ्रोमित बृहमन प्रणाली में व्यवस्थापिक कमी भी जनता की इच्छा वा वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं वर गड़ी किन्तु इसके दोषों को दूर करने के साथ उसके गुणों को नष्ट न करने वाली कोई भी निर्वाचन प्रणाली पक्ष तक हमारे समझ नहीं आई। निर्वाचन की मत्रोंतम प्रणाली के सम्बन्ध में आनुमानिक एवं विकास प्रजातन्त्र वी एक प्रामार्थकृत समस्या है जिसका हृत सम्बन्ध भविष्य में हो।

१६वीं व १०वीं जनाधी ने भविवांश विचारक माधारण्डः यह स्वीकार करते हैं कि हमारे सुग वा मुख्य सुझाव प्रजातन्त्र वर व्यवसायीय भौमिकों के पक्ष में है। प्रो० मंत्रालय राजनीतिक सम्पादों के विद्वान का भविष्यन इसके हूए यह कहते हैं—

“प्रतिनिधियों के होठ हार भी राज्य का मुख्य भूमाद प्रजातन्त्र वी योर है।”

(आनुपातिक राज्य पृ० ३४०)

परन्तु हमें प्रो० मंत्रालय वा यह निर्णय स्वीकार नहीं कर सका चाहिये। भौमिक शान्ति ने बृद्ध ऐसी आधिक समस्याओं को जन्म दिया जो कि १६वीं जनाधी के व्यवसायी, उदारवादी हृष्णदीप को न करने के प्रजातन्त्रोंय गिरावनों के द्वारा सुनना पूर्वक हुए न हों वर्तेंगी। व्यवसायी वी एक नयी आधिक समस्या वी स्पष्टित करने एवं दूजीवादी आधिक व्यवस्था के बोधान वो रोकने वी घोषणा के बारण

जनता को यह सोनने को बाध्य कर दिया नि प्रजातन्त्र सर्वोत्तम प्रकार की शासन व्यवस्था है, कही भ्रम मात्र तो नहीं है। २०वीं शताब्दी ने कुछ ऐसे राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया जो कि स्पष्ट रूप से सत्तावादी एवं प्रजातन्त्र विरोधी हैं। उनका प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों में या प्रजातन्त्र के सुखी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यताओं में कोई विश्वास नहीं है। फासिस्ट और साम्यवादी अधिनायकतन्त्र अपनी जनता को भीतिक साधनों को देने में अधिक सफल हुए हैं और उन्होंने वैभव, विजय एवं सेनिक शक्ति की भाषा में साधारण व्यक्ति को पूर्णतया प्रभावित कर दिया है। हमें यह ध्यान भर रखना चाहिये कि प्रजातन्त्र को इन सत्तावादी दर्शनों से भय की पूर्ण आशका है और इसलिए प्रजातन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि वह शीघ्र ही अपनी रथा के लिये कोई ठोस रचनात्मक कार्य प्रणाली को अपनायें। ये कार्य प्रणाली आविक क्षेत्र में आवश्यक साधन देने के योग्य होनी चाहिये। यह ऐसा तभी कर सकती है जबकि यह स्वयं कुछ सत्ता के ही लक्षणों को अपनाय, अपने हँडिवादी सिद्धान्तों को अपनाये और हस्तक्षेप न करने की नीति का संवर्धन त्याग करदे। यह नया प्रजातन्त्र विशेष से आविक क्षेत्र में नियोजित एवं नियन्त्रित होगा। इस प्रजातन्त्र को यह नवीन रूप देना प्रजातन्त्र की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है।

प्रजातन्त्र में सिरों का तोड़ने के स्थान पर गणना करने के सिद्धांत द्वारा भी योग्यता का पना नहीं लग सकता है। हम अब तक इच्छा की प्रभिव्यक्ति के लिये मतदान से अधिक उपयुक्त प्रणाली नहीं सोच पाये हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मतदान में जिस इच्छा की अभिव्यक्ति होती है उसमें मत देने वाले समस्त व्यक्तियों का अनुभव एवं ज्ञान के योग के आधार पर हो। अधिकतर यह समाज के बहुमत द्वारा होता है और यह बहुमत भी मनोवैज्ञानिक शोषण की प्रणालियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इस बहुमत में अधिकांश मतदाना घटानी होती है। यह बहुमत भी राष्ट्र के मतदाताओं का बहुमत नहीं होता। प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों में व्यवस्थापिकार्यों जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसत्ता बहुमत वाले दल के हाथ में होती है और इस दल को भी राष्ट्रीय मतदाताओं का अल्पमत ही प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उनके मार्ग में और भी कई वाधाये हैं। वे दल के अनुशासन से बंधे हुये हैं और उन्हें अपने दलीय स्वार्यों का ध्यान रखना आवश्यक है।

हम एक साधारण व्यवस्थापक से यह आशा नहीं कर सकते कि कानून के निर्माण एवं शासन जौसी कला के लिये उसमें आवश्यक ज्ञान व अनुभव होय। राजनीतिशास्त्र विनष्ट एवं शासन आवस्थापन कला के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये भावधिक परिश्रम, भ्रम्ययन एवं जीवन का भर अनुभव और इस दिशा में प्राकृतिक

प्रयुक्ति भावश्यक है। यह अत्यन्त ही विचित्र है कि जब हम अपनी साधारण जारीगिक बीमारियों की चिह्निता प्रयोग्य व्यक्तियों से कराने में सक्षम करते हैं तो हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक महत्वपूर्ण बीमारियों की चिह्निता उन व्यक्तियों के हारा करते हैं जिनको इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं पौर हमारी इस उपेक्षा का भयंकर परिणाम होता है। हम ऐसे विसी भी साधारण घटवस्थापन में, जिसके लिए राजनीतिशास्त्र उतना ही असचियूण है जितना कि एक कृषक वे लिये एमटाइल का सापेक्षदात का निदान। हम वरोंदो का भाग्य उन व्यक्तियों के हाथ में दे देने हैं जिनको दि उनकी व्यक्तिगत दग्ध में हम अपने साधारण कार्यों को बरने दे तिए भी योग्य नहीं समझते। ऐसे घटवस्थापकों के दल के युद्ध नेताओं की ही में ही मिलानी पड़ती है पौर उनके व्यक्तिनुसार चलना दहना है। जिनको हम जनना का शासन समझते हैं वह वास्तव में एक वर्ग का जामन है पौर वह वर्ग भी अन्य वर्ग है। यदि हम यह भी जान से कि प्रजातन्त्र यहुमन का हो जामन है—यद्यपि यह उचित नहीं है—दो भी प्रजातन्त्र बेदल भर्त्या का जासुन है।

साधारण मनदाताओं की प्रजानता और उदासीनता की गमस्या का हम अत्यन्त ही बढ़िन है। कोई भी गभीर सामाजिक विचारक द्वाज इसमें विश्वास नहीं बरता है कि यह व्यक्तियों में समान बीदिक योग्यता होगी। 'एक व्यक्ति—एक श्रौत प्रत्येक की गणना एक हो पौर किसी की भी एस ते अधिक न हो' अच्छे नारे हो। सबते हैं जिन्हु वास्तविक रूप में ठीक नहीं है। व्यक्ति एक समान न तो ही पौर न हो सकते हैं। राजनीतिक प्रजातन्त्र विष गमानता की दुहार्द बेता है वह यात्रिक समानता है। साधारण मनदाताओं में अपने वार्य को बरने योग्यता नहीं है उसके पास न तो अनुभव ही है पौर न सावश्यक बीदिक विकास ही, जिनके बिना वह उचित निर्णय बरने में सफल नहीं हो सकता। वह राजनीतिक गमस्याओं ने प्रति अत्यन्त ही धात्तमी एवं उदयीन होता है। वह मतदात के वार्य के लिये सावश्यक ज्ञान व शिक्षा प्राप्त करने का कष्ट नहीं उठाना चाहता।

एक अच्छे मतदाताओं के लिये वह में वर्म यह सावश्यक है कि—

(प) उसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का ज्ञान हो।

(प) इन समस्याओं की हल बरने के लिये विभिन्न राजनीतिक हालों के मुझाओं की ज्ञानकारी हो।

(इ) उसमें यह निर्णय बरने की बुद्धि हो कि वह इन विभिन्न मुझाओं में से सबसे उत्तम एवं उपयुक्त मुझाव चुन सके।

एक अच्छे मतदाता के लिये यह सब जानकारी अत्यन्त सावश्यक है। कोई भी प्रजातन्त्र उस समय तक सफलतापूर्वक वार्य नहीं कर सकता जब तक कि दर्पिणांग

मतदाता अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करते। निर्वाचकों की उदासीनता राजनीतिक प्रजातन्त्र का एक मुख्य दोष है और इसके अन्य दोष इसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतदाताओं एवं व्यवस्थापकों की सही प्रकार की शिक्षा ही प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के इन दोषों को किमी सीमा तक दूर कर सकती है। शामरों वो शासन कार्य आना चाहिए और शासितों को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों दो पूर्ण करना आना चाहिए। जब तक कि जनता की नागरिकता की शिक्षा और जब तक व्यवस्थापकों की शासन एवं व्यवस्थापन कला की शिक्षा नहीं नहीं दी जायेगी तब तब प्रजातन्त्र के बहल आढ़म्बर मात्र होगा और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बहुत से मूर्खों पर शासन करने में सफल होगे। यह शिक्षा सब प्रकारों से पक्षगत रहित होनी चाहिए। जनता को बादे एवं नारों के द्वारा प्रकार की जगह पर तथ्यों और उनके हितों की शिक्षा देनी आवश्यक है। उन तथ्यों के माध्यार पर व्यक्ति स्वयं सोचने के लिये मक्कन होगा। परन्तु व्यक्ति के लिये यह तभी सम्भव होगा जब उसका बोधिक विकास इस सीमा तक पहुँच गया हो कि वह स्वयं निर्णय कर सके। राजनीति ही नहीं बरन् साहित्य कला एवं दर्शन को समझने के लिये भी निर्णय बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातन्त्र के इस युग में, जो कि सामान्य व्यक्ति का युग है, सास्कृतिक स्तर का येषट्ट मात्रा में पतन हुआ है। जनता ललित कलाओं में रुचि नहीं रखती है और न उसका इतना बोधिक विकास ही हुआ होता है कि वह साहित्य कला एवं दर्शन की माध्यताओं को समझ सके। यही कारण है कि वर्तमान शताब्दी में इन सब में पतन हुआ है। हिमा अपराध एवं लिङ्ग भेद सम्बन्धी वातों में ही जनता की ग्राम्यिक रुचि है और जो कला या साहित्य जनता की रुचि के अनुसार होता है उनमें यह सब वस्तुयें भरी रहती हैं। यह प्रजातन्त्रीय युग और जनता के सास्कृतिक पतन के कारण है। यह भी प्रजातन्त्र की एक मूलभूत समस्या है जिराका श्रीग्रातिशीघ्र हल आवश्यक है। यह तभी सम्भव होगा जब कि प्रजातन्त्र सब को नीचे गिराने वालों व्यवस्था न रह कर सबको ऊपर उठाने वाली व्यवस्था हो जायगी।

प्रजातन्त्र को प्रायः अयोग्यता की पूजा वहा जाता है। प्रथम तो इसलिये कि इसमें मतदाता अत्यन्त ही अज्ञानी एवं उदासीन होते हैं और इसलिए ऐसे ही व्यवस्थापकों का भी चुनाव होता है। और द्वितीय इसलिये कि सभवतः यह सबसे पीरे कार्य करने वाली सरकार है। प्रजातन्त्र विशेषत बाइ-विवाद की सरकार है और प्रत्येक निर्णय के लिये जो कि व्यवस्थापिका या मत्रिमठल लेते हैं वह उस निर्णय प्रत्येक निर्णय के लिये जो कि व्यवस्थापिका या मत्रिमठल लेते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की सबसे मूलभूत एवं महत्वपूर्ण स्वतन्त्रतायें हैं। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रनित्म निर्णय लेने के पहले सब व्यवस्थापकों एवं मतों को पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हो जानी चाहिये। किन्तु प्रायः प्रकार के दृष्टिकोण एवं मतों को पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हो जानी चाहिये।

यह विवाद नहीं हीन और विवाद के लिए ही होने हैं न कि मन दी मिजाजा ने बारण। प्रथमः अज्ञानी, मूर्खतापूर्ण, बाधा एवं देशी करने वाली प्रणालियों को विरोधी दल प्रजातन्त्र में अपनाना है। बाद विवाद करने समय ने गांधी का इटिकोण प्रचार का होता है। व अज्ञानी मनदातायों का बहुताकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। अधिकार इन विवादों में काई तथ्य नहीं होता। यह बेदन शब्दों एवं नारों के साथ विवाद होता है। इनलिए व्यवर्त के बाद विवादों के बारण प्रजातन्त्रोप व्यवस्था में निर्गम्य लेने में देरी लगती है। प्रजातन्त्र शीघ्रता से बायं नहीं कर सकता और एक पुरानो नोशांकि है कि यहून से रसोइय भोजन को सराव कर देते हैं यही राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी वहाँ जा सकता है। जबकि अधिनायक और निरक्षुण शासन चन्द्र मिजाजों में निर्गम्य ने लेते हैं वहाँ प्रजातन्त्र को बहुत दिन लग जाते हैं।

प्रजातन्त्र को एक भ्रष्ट प्रवार वी सरकार भी बहते हैं। प्रजातन्त्रीय सरकार को सबसे भ्रष्ट और सबसे अदोष प्रकार की सरकार बहा जाता है किन्तु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अपना दिसी विशेष सरकार का लक्षण नहीं है और न वह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के तीनों का माप बढ़ है। अपना जनता के नीतिक पनन का लक्षण है। बेदन भ्रष्ट जनता ही भ्रष्ट सरकार को भट्ट बरेगी। पूँस देने वाला भी उनका ही भ्रष्ट है जिनका हि लिने वाला। वह पूँस हूमरी को बकाई व दान स्वरूप नहीं देता है किन्तु परने म्बाई को पूर्ण करने के लिए देता है।

प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक बायं करने के लिए राजनीतिक दलों की आद-
म्यदला होनी है। इन राजनीतिक दलों का मुख्य बायं है कि वह भवदासामों को विनियन्त्र उम्मीदवारों में से चुनने का अवसर दे और भवदासामों को राजनीतिक शिक्षा दे। किन्तु बाग्रत ने बनेमान युग में यह राजनीतिक दल राज्य की शक्ति को पाने के लक्ष्य मात्र हो गए है। प्रथम का राजनीतिक दल चाहे वह कुछ भी बहे एवं ऐसे ममान विचारों वाले व्यक्तियों का बहुत है जो कि राजनीतिक शक्ति की शान्ति पूर्ण एवं वैधानिक प्रणाली में ग्रान्त करना चाहते हैं। जब वे इस शक्ति की ग्रान्त करने में सफल हो जाते हैं तो वे यह बायं गोबन हैं। प्रथम कि उनकी शक्ति की घबराय प्रस्थाई है और द्वितीय कुनाव को जीतने में जिनको उनकी लिंबाएँ एवं परिवर्तम हृषा या उनके कल पाने का अवसर शासन हाय में पाने ही आजायगा। वे मर्दिव राज्य की शक्ति को द्वारा इस शक्ति के सामों का मुड़ की जोउ के समान समझते हैं। दल में भी शक्ति बेदल कुछ शिक्षर के नेताओं के हाथ में होती है जारी रख ही के ही मिलाने बाने होते हैं। दल के भाधारण मदसों को दल का अनुशासन मानता होता है पन्थपा उन्हें दल में नियमादित हो जाने का नय दरमान होकरा है। निर्वाचन दो को का आवार और

मतदाताओं की रास्था एवं चुनाव के खर्च में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि साधारण व्यवस्थापक की दल के सगठन एवं ग्रंथ सहायता की चुनाव जीतने के लिये भावश्यकता होती है। दश से निष्पापित होने का ग्रंथ राजनीतिक जीवन वा अन्त होना है। ऐसे बुद्धि ही व्यक्ति अपने सिद्धान्तों के लिये सर्वस्व को सट्टमे डालने के लिए तत्पर होगे। घन्थे खोर राजनीतिज्ञ, दलों में अधिक हैं और दलीय राजनीति की स्तरावियों एवं दुरुःखों के लिये यथेष्ठ रूप से उत्तरदायी है। जब तक साधारण नागरिक राष्ट्रीय एवं दलीय समस्याओं में उदासीन रहेगा तब तक घन्थे खोर राजनीतिज्ञ उस पर अपने लाभ के लिये शासन करेंगे।

जिस प्रकार कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था हम पाते हैं वह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से दम खाया है क्योंकि इसमें नेतृत्व सबसे कम निर्दिष्टी एवं शोषण करने वाला होता है और इसमें हम सरकार को गृहयुद्ध या क्रान्ति के बिना शान्ति पूर्ण तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। रोबट मार्टिक्स के शब्दों में—

"व्यक्तियों का बहुमत अनादि अभिभावकता की ऐसी दुखान्त पूर्व निर्धारित भावश्यकता है कि वे हमेशा एक अल्पमत द्वारा शासित होंगे और उन्हें हमेशा अल्प जनतन्त्र के लिए अवलम्बन बनाना होगा।"

(राजनीतिक बल; आधुनिक प्रजातन्त्र के अल्प जनतन्त्रवादी प्रवृत्तियों का एक समाजशास्त्रीय घट्यायन पृ० ४०७)

यह शब्द प्रत्येक प्रजातन्त्रीय सरकार के सम्बन्ध में सत्य है।

आधुनिक प्रजातन्त्रों की सबसे कड़ी आलोचना ग्रोसवाल्ड स्पेन्जलर ने दी है और यह विश्वास दिया है कि इन प्रजातन्त्रों का भविष्य ग्रन्थकारमय है। वह कहता है—

"जनता के अधिकार और जनता का प्रभाव दो विभिन्न वस्तुयें हैं…… वैधानिक अधिकारों को कार्य में तभी साया जा सकता है जब कि उसके पास घन हो …… मताधिकारी भी, लगभग वैसे ही कार्य करें जैसे कि आदर्शवादी उसका कार्य करना मानते हैं, के लिये यह आवश्यक है कि सगठित नेतृत्व का प्रधान चुनने वालों पर (अपने हित में) जहरी तक कि उसके पास यह ही अनुपस्थिति को मानकर चलना है। यत्मान पत्रों की तुलना दिसी सेना से की जा सकती है जिसमें सावधानी पूर्वक समर्पित हिस्ते और टुकड़ियाँ होती हैं इसमें पत्रकार आपीसर होते हैं और पढ़ने वाले सैनिक। यहीं भी एक बड़ी सेना की तरह मौनिक बिना सोचे हो आज्ञा पालन परता है और युद्ध के उद्देश्य एक योजनायें उसकी जानकारी बिना ही बदल जाती है। पत्रों के पड़ने वालों को न तो यह पता होता है और न यह गता समझने दिया जाता है कि उसे शित कार्यों के लिये काम में लाया जा रहा है। प्रत्येक जो पढ़ रखता है वह बहुत चाहे जो

वह रात्रा है जिस्तु गमाचार पत्रों का भी यह स्वतन्त्रता है कि व्यक्ति जो कहता है उसके ऊपर ध्यान देया न दें। यह किमी भी सत्य को बेबत जनता तक पहुँचाने से मना करके मृत्यु की मजा दे सकते हैं। पहुँ एक मयकर चुणी द्वारा परीकाण है। यह परीकाण प्रीर मी प्रथिक शक्तिगती है क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने वाली प्रसरण जनता वो इमके अस्तित्व का ही पता नहीं होता ॥ जैसे १६वीं शताब्दी में इन्हींलैट का गजपद एक बोरा एवं यमीर प्राह्लदर मात्र रह गया। या वैसे ही २० वीं शताब्दी में व्यवस्थापिका मध्याये हो जाएंगी। जैसे तब राजदण्ड और ताज का बैमें ही अब जनता के अधिकारों पा जितना महत्व कम होता जाता है उनमें ही प्रथिक शिष्टाचार जनता के गामने इनका प्रदर्शन किया जाता है।"

(पदिघम का पतन भाग २ पृष्ठ ४५५, ४६६, ४६२-६३, ४६४)

यह प्राधुर्निक प्रजातन्त्रीय जीवन और सुखारोही बोमारियों का एक अत्यन्त ही प्रोग्राम विद्वेषण है। यह सम्भव है कि कुछ व्यक्ति प्राप्तिकांड शैक्षिकर के इन वर्षों से सहमत न हो और उनकी योग्य बहुत उनकी आत्मवना करें जिन् उनमें से प्रत्येक सत्य है। राजनीतिक प्रजातन्त्र, त्रिमरी कि हम यद्य तर अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रगता बरते थाएँ हैं, वेवल यह राजनीतिक यादम्बर मात्र है। प्रगल्भुतित प्रजातन्त्र एवं दर्नीय राज्य में प्रथिक भिन्न नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रजातन्त्र हैं जिनमें कि विरोधी दलों का योग्य स्वरूप से समझन न होन के कारण सम्मुख गहीं होता। ऐसे प्रजातन्त्रों में जिस राजनीतिक दल के हाथ में जति होनी है पदि उसे यह दिखाया है। जाय कि आणामी आम-नुवाव में उसे विष्टाविन नहीं किया जा सकता और दूसरा कोई भी राजनीतिक दल यदि उसके प्रति-पक्ष में जनता की यानुभूति स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता है तो वह प्रनुत्तरदायी हो जायगा। एक दर्नीय ध्यवस्था में नुवने के नेतृत्व प्रतिकार का भी प्रायः अन्त हो जाता है। कुछऐसे भी प्रजातन्त्र हैं जिसके राजनीतिक दल धीरे सभूहों में बढ़े हुए हैं और पह सामूहिक शक्ति एवं पद ही प्राप्त करने के लिये यसना ध्येय प्रत्यक्ष बनाये गये हैं। उनमें विचारों का कोई विशेष मतभेद नहीं होता। यही कारण है कि जिसने कि कान्स के प्रजातन्त्र को प्रस्थाई बना दिया है। इस प्रम्यायित्व के कारण कान्स में ऐसा सम्भव है कि प्रजातन्त्र का ही अन्त हो जाय और दासिम्ट प्रधिनायकतन्त्र या किमी मैनिक गृह का का शासन हो जाय।

प्रजातन्त्रीय लालन प्रणाली में जामन जनता की इच्छानुसार होता है जिस्तु इस इच्छा का प्रकार एक निश्चिन्तु प्रविति के पश्चात जुनाव के अभ्य ही निशुंशासक द्वय में हो सकता है। प्रधिकांश मनदाता लक्ष्य एवं धाराय जे कारण न नो यह विना करते हैं कि वे अनना सत विस लिये और दिम वो दे। वे मठप्रदान करनेवो

एक वेगार मात्र समझते हैं। बहुत से मतदाता विभिन्न कारणों से अपने मत को सही रूप से काम में नहीं लाते जैसे कि समुदाय, रक्त सम्बन्ध, विश्वता, आर्थिक दबाव या सौभ के कारण। ऐसे भी बहुत से हैं जो कि वहाकावे में प्राकार किसी विशेष राजनीतिक दल एवं विचारधारा के लिये मत देते हैं। विन्तु ऐसा मतदान सही प्रकार का नहीं है। यह भय लोभी या मनोवैज्ञानिक जोखण की प्रणालियों के द्वारा निर्मित इच्छा है। वास्तविक इच्छा का आधार विश्वास होना चाहिए और ऐसी इच्छा के लिये राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के बत्तेव्य की पूर्ण नागरिक भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना हम निर्वाचन मडल के एक प्रतिशत सदस्यों में भी नहीं पाते। जिस प्रजातन्त्र को हम जानते हैं और जिसकी कि दिलसी दो शताव्दियों से प्रशस्ता है, अत्यन्त दोष पूर्ण है और यह भले ही सबसे अच्छी प्रकार की शासन प्रणाली हो किन्तु यह कदाचि आदर्श प्रकार की शासन प्रणाली नहीं हो सकती। इसका कारण स्पष्ट है यह अपूर्ण प्रजातन्त्र है। हम राजनीतिक प्रजातन्त्र को मार्गिक हृषि में ही सम्बन्ध स्थापित रखने में सफल हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना अभी होने को है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती। किन्तु यह निश्चित है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रजातन्त्र आर्थिक प्रजातन्त्र के बिना पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता और सदैव दोषपूर्ण रहेगा।

सामाजिक प्रजातन्त्र के बल जीवन का एक मार्ग है। जब तक समाज में आर्थिक विषमतायें रहेगी भ्रातृत्व की स्थापना असम्भव है। साधारणता आर्थिक वर्ग ही सामाजिक वर्गों का निर्माण करते हैं। आर्थिक प्रजातन्त्र इसलिए सामाजिक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। वर्तोंकि जब तक आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं होती तब कानून के समक्ष समता, मतदान की समता आदि बेबल एवं स्वप्न मात्र है और रहेंगे।

आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना हमारे युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। हम इछका हल या तो विसी प्रकार के प्रजातन्त्रीय समाजवाद के प्रयोग से या नियोजित प्रजातन्त्र की स्थापना के प्रयत्न द्वारा कर सकते हैं। हम इतिहास के उस क्षण में हैं जबकि हमें भविष्य के लिये सही मार्ग का निर्धारण करना है। पुरानी व्यवस्था छिप भिप हो रही है और सब और हम नीतिक अव्यवस्था पाते हैं। एक नए प्रकार की मानवताओं का विकास हमारे युग की मुख्य समस्या है। हमें प्रजातन्त्र को इन समास्याओं को गुलभाने का अव्यविक प्रयत्न करना चाहिए न कि प्रजातन्त्र को हम छुरा दें या उसके प्रति उदासीन हो जायें। प्रौ० कालं मैनहीम के पनुसार—

“बहुमान अव्यवस्था प्रौर मनुषों को अन्तिम प्रौर अवश्यम्भावी स्वीकार कर लेना महूरदर्शी मान्यवादिता होगी। हमारी पीढ़ी को यदि संयोगवण होने वाले तिताजों को हड़ मानने प्रौर याने काली पीढ़ी को ऐसे प्रबार के समाजों को बनाए रखने के लिये सघर्ष करना जो कि अपन धारा में भमतोपजलक है, इन्हना का अमाव होगा। न तो हम जाली प्रजातन्त्र, जो केवल कन्धरों प्रौर धर्ति निर्धनता एवं धनिकों के धर्ति ऐसवर्य का पक्ष लेता है या ऐसे जाली नियोजित समाज के लिये जिसमें भमस्त मानवीय स्वतन्त्रताजों का भन्त हो जाता है, वे लिये मरते के योग्य नहीं है। प्रत्येक दस्तु इसलिये हमारी इन्हना प्रौर बोटिव प्रथलों पर निर्भर करता है। न तो हमारी प्रजानन्दीय व्यवस्था के बहुमान पक्ष को अवश्यम्भावी ही स्वीकार करना चाहिए प्रौर न हमें मर्वाइकारी गाड़यों के पुत्रमंगल के बिसी भी प्रयोग को ही केवल सही मार्ग मानकर घटना लेना चाहिए।”

(स्वतन्त्रता, इक्षित पद नियोजित प्रजातन्त्र पृष्ठ ३०)

प्रजातन्त्र को एक नया स्वयं प्रदान करने का ममता था गया है। प्रजातन्त्रीय विचारों एवं स्वतंत्र में परिवर्तन करने की प्रावश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रौढ़ों द्वारा एवं शहर ने लिया है—

“मेरे निये यह मौतना प्रभुमय है कि हम विशेषाधिकारी दर्ये के व्यक्तिगती प्रजातन्त्र की ओर लोट मढ़ते हैं और उसी प्रवार हम कमज़ोर राज्य जो कि बेवल पुनिम वार्ष करते हैं, के ग्रामान्तर राजनीतिक प्रजातन्त्र की ओर लोट मढ़ते हैं। हम सामूहिक प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रीय समानता, पार्सित व्यवस्था का नियंत्रण एवं सांवर्जनिक नियन्त्रण भौतर इमोनिए शक्तिशाली राज्य जो कि मुथागत्वक एवं रचनात्मक वार्ष करता है.....। सामूहिक प्रजातन्त्र के निए भी नियन्त्रण समाज, नियन्त्रण एवं उत्तरदायी नेता उत्तरे ही आवश्यक हैं जिन्हें कि व्यक्तिगती प्रजातन्त्र के निये। क्योंकि इसी प्रवार नेता और जनता के बीच की व्याप्ति जिसमें कि सामूहिक प्रजातन्त्र के लिये गवर्ने प्रणिक भय है वो नहर जा सकता है। यह कार्य कठिन है किन्तु निराशाजनक नहीं.....।”


(નવી મન્મહાર પૃષ્ઠ ૫૬—૭૯)

प्राच ग्रन्थान्तर को सबसे बड़ी चुनौती मर्दानिकारी भाषण व्यवस्थाओं, विशेष एवं साम्यवादी धर्मनालक उन्नति में है, जो हि विश्व को यह मिट्ठ भगवने का प्रयत्न बर रखे हैं कि वे ग्रन्थान्तर में प्रधिक योग्य हैं और योंदे समय में वे ग्रन्थान्तर में कही मधिक भीतिक साधन दे सकते हैं। ग्रन्थान्तर वो इस चुनौती वा सामना करने के लिये अपने आप ही पुरुषसंगठित करना होता। यह पुरुषसंगठित ज्ञ ज्ञा होता या पुरुषसंगठन ये से होता, इस सम्बन्ध में दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि है—

"गहने वाले प्रजान्त्र जो कि इन मुख्य भूमारी के बड़ा थपने प्रक्रान्त के बारम्बान परिनायक गतियों के लदय वाँ नहीं खोक गवे, वीं मृणतियों से बचने का दायित्व हम पर है और यह इस देश (इहानेड) का, प्रजान्त्र की शक्तियों रक्षणशक्ति। और एक नये ममाज वाँ जो कि इस नए प्राकृति 'स्वाम्नता' के लिये नियोजित' के लिये तायं एक शब्द, गुप्तार करने का गेनिश्चित उत्तरदायित्व द्वाना घायल्यक है ।"

(भारे युग का निदान ग० ११)

गम्भेयतः प्रजान्त्र व्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता के लिए भी महसून होते । यदि हम परिनायकत्वाँ वाँ गुनीरी का सकरता तुरंत साधना चाहते हैं, तो हमें रक्षणशक्ति, समानता और भासृष्टि के साथ 'नियोजित प्रतिनि' और 'रक्षणशक्ति के नियोजन' के नए नारों का प्रजान्त्र के प्रति जीवन के लिए असनाना द्वाया । साथ ही साथ हमें यह भी नहीं गूसना चाहिए कि जागन की यह घटनाएं प्रणाली तभी गुण्यतया माय होती जबकि परिवर्तन नापरिवर्तों में प्रजान्त्रीय चेतना, बीड़िया त्रापृति, नीतिक गुणरक्षात् एव तरंग निष्ठा रसायित होती ।



प्रजातन्त्र एवं श्रमिक संघ

हमारी शताब्दी युग विविदतम् भी है और विशेषतः पुदोत्तर बास में जीवन के सब लोक में परिवर्तन वो तीव्र गति ने बायरा पुरानी मान्यताएँ नष्ट प्राप्त हो पूर्वी है तथा नवीन मान्यताओं के निर्माण की समस्या का हल हमारे लिए प्रत्यन्त महत्व-पूर्ण हो रहा है। शामन की वह प्रणाली, जो गांधारण्डी प्रजतन्त्र कहलानी है भयानक रोग से पोषित है। इसका ग्राहार न तो हस्तक्षेप करने वा मिटाना ही है और न उदारवाद वा ही। बोमडी शताब्दी में प्रजातन्त्रीय मस्थान्दो पर समाजवाद के मिटाना वा गटन प्रभाव पढ़ा है और यह भी गत्य है विसमाजवाद और प्रजतन्त्र विरोधी नहीं बरत एक दूसरे के पूरक है। पूर्ण प्रजातन्त्र यथायं रूप में आपिक प्रजतन्त्र ही है और समाजवाद प्राप्तिर प्रजतन्त्र वा ही दूसरा नाम है। इसलिए इस मैत्री के द्वारा इनमें विसमाजवाद प्रजतन्त्र में भगला बढ़ा है पूर्णतया सहमत हो सकते हैं। जिन्होंने इस बढ़ाव को जब तक इस नहीं उठाते प्रजातन्त्र अपूर्ण है और रहेगा। बर्तमान परिस्थितियों को देखने हृषि इस बढ़ाव को उठाने में विद्युत ममद सकेगा। आजवाय हम प्रजतन्त्र पो अपूर्ण रूप में शामन व्यवस्था के रूप में ही प्राप्त करते हैं। जब तक आपिक प्रजतन्त्र वा स्थानना नहीं होती और जब तक पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रजतन्त्र के साथ विद्यमान रहेगी तब तक अभियां और पूँजीवितियों वे सम्बन्धों में परस्पर विरोप रहेगा। इनमें पारम्परिक मानवान्धों वे विरोध वा मुख्य दाराएँ हैं, इनके आर्थिक हितों की विभिन्नता एवं विरोप है।

बर्तमान परिस्थितियों में पूँजी की मरणित शक्ति, जिसको राज्य की शक्ति की सहायता भी प्राप्त है, वे विद्युत व्यक्तिगत रूप से अभियों का प्रयत्ने आर्थिक घटिकाओं की रक्षा करना बड़िन ही नहीं बरत अमर्षव है। अभियों वे निये समुदायों में समर्थित होकर अपने आपिक व्यविकारों की रक्षा करना अस्यम ही सावधान है। अभियों के बहुमत में होने हृषि भी आपिक इच्छा में वे प्रत्यन्त ही दुर्बल हैं और एकता वे द्वारा ही वे शक्ति प्राप्त कर गवते हैं। गांधीजित नविदा और आपिक घण्यायों वा विरोप करने के निये सामूहिक विरोध अभियों वे निये पारम्परिक घरन हैं। इन घाँओं

के प्रयोग के बारण ही धीरवी शताव्दी में हस्तशेष न करने की नीति को राज्य की त्यागना पड़ा है। थमिक संघ आन्दोलन के उद्देश्य, थमिकों का आर्थिक भक्ति के लिये सगठन और उनके आर्थिक अधिकारों की सामूहिक सविदा और सामूहिक विरोध द्वारा रक्षा करना है।

जब तक समाज में उत्पादन की पूँजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक थमिक-संघ-आन्दोलन की आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सगठन के बिना थमिक पूर्ण रूप से नि सहाय हैं जिनेवा में १८६६ ने मार्क्स ने घन्तराष्ट्रीय थनिक संघ में थमिक संघों पर एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा है—“थमिक संघों को अपने आदि कार्यों के साथ साथ यह भी सीखना चाहिए कि वे थमिक वर्ग सगठन, उनकी पूर्ण मुक्ति, जिसमें कि उसका अधिक हित है, के लिये चेतनायुक्त रागम विन्दु होने का प्रयत्न करेंगे। उनको इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली प्रत्येक सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन से महयोग करना ही चाहिए। अपने पापको सम्पूर्ण थमिक वर्ग का प्रतिनिधि एवं नेता समझने हुए और उसी प्रकार दाय करते हुये थमिक संघों को समस्त मज़बूर वर्ग में से, जो भी उनके सगठन से बाहर है, सगठित करने में सफल होना अत्यन्त आवश्यक है।”

मार्क्स के अनुसार थमिक संघ के उद्देश्य थमिक वर्गों को उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये सगठित करना और थमिक वर्गों को पूँजीवादी अत्याचार से मुक्त करना है। थमिक वर्गों की स्वभावत समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में विश्वास रखना होगा। मार्क्सवादी एवं थम-संघ-वादी उनको बत्तमान समाज परिवर्तन में कानूनिक भाग देते हैं। श्रेष्ठी-समाजवादी भी उन पर और सामूहिक सविदा के अस्त्र पर, समाजवादी समाज की रक्षा के लिये निर्भर हैं। युद्धोन्नत वाल के विषय के समस्त समाजों में आर्थिक अशान्ति है। इस अशान्ति का बारण, प्रो० लास्की के अनुसार “उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों में” अत्यधिक विषमता है। यह विषमता आर्थिक धैर्य में प्रजातन्त्र न होने के कारण है। राजनीतिक प्रजातन्त्र के मुहूर लक्षण निजी सम्पत्ति एवं पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था है और ऐसी परिस्थितियों में थमिक संघों की प्रत्यन्त आवश्यकता है। इनको उपयोगिता और कार्य के बारे में प्रो० लास्की ने लिखा है—

“इसके बहुत से ऐतिहासिक उद्देश्य अब तक प्रारम्भिक आवश्या भै हैं और अब भी इसी स्वीकृति के लिये, जीवन के उचित अंगों को प्राप्त करने और शोषण एवं बलिदानी और रोकने के लिये मध्यं बरना आवश्यक है।”

(नवीन समाज में थमिक संघ पृ० ११०)

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि थमिक, थमिक संघ आन्दोलन में भाग ले और विसी भी थमिक वो इस सम्बन्ध में उनाव करने का बोई अधिकार

मही है। यह विचार कि अभिव्यक्ति शाहौं जिन शर्तों पर आई थी, हस्तांशेप न करने वाले ऐतिहासिक युग के दर्शन पा है और यमाजवाद से युग में ऐतिहासिक इतिहास कोई महत्व नहीं रखता। यमाजवाद से हम युग में अभिव्यक्ति के शार्यों में परिवर्तन अनिवार्य है। जिन शर्तों के निये यह गवर्नर रखता या गो अभिव्यक्ति की दिन में वाप्रों को यह बरता था, एवं राजद ने अपने उत्तर से ली है। ऐतिहास इत्यालुरारी गेवाएँ जो कि पहले अभिव्यक्ति मध्ये को इसी पहचानी थीं, उन शोलोंमिह रखते रखता है। अभिव्यक्ति में घटने गएव्यक्ति को मामान्य निशा देने के निये उचित प्रकार का मानन नहीं है। अधिक में अधिक यह अपने गएव्यक्ति को उत्तरे पर्ये भी निशा में ही दे पावे तिन्हु श्रोतु निशा के द्वारा उनके व्यविकाश प्रयत्न अग्रसर हुए हैं।

अब वह समय आ गया है जबहि अभिव्यक्ति द्वारा उनके श्रोतोंमिह वारस्तारों के दिवाल और श्रोतोंमिह इत्यादन के नियोजन में आग दिया जाये। इसमें देवियों में विकास परियोग यह बास करती है और इनके माय ही ताय अब उनको अभिव्यक्ति के श्रोतोंमिह निशा देन वा बायं सोउ दिया गया है।

चन्द शीढियों में यह सम्बन्ध ही मरता है कि विश्व के तमाम गणव्यों को नियोजित आण्डिया गणव्यों को अपनाना पड़ द्यो ऐसी परिवर्तिति में यह निरिपत है कि नियी उद्योग पर्यों का उद्देश्य इत्यत इस ही जांचेण। जिन राष्ट्रों में माम्पवादी व्यवस्था है वहीं पर अभिव्यक्ति सधे एक म्बान्य इसाई नीं रहेंगी और न अपने उनकी कोई अपनी नींति हीं रहेंगी। ये देवता गोपाल न आग ही पवे हैं और उनके व्यवस्था माये बरते ना दोब प्रविष्ट मर्मांग हा गया है। इत्याम उनका अभिवारजा कि इष्टामा मुख्य प्राप्त है, वहीं पर राम में नहीं आदा ना आता। अधिक में अधिक ये सरकार को यानी कठिनाईयों एवं गम्भीराओं के इत्यन्य में तुचित कर सकते हैं। सरकार उनको तुद्य विशेष वायं बरते रा उनगदायित्व द देती है। उद्दारण्डु स्वदृढ सोवियत रस में मामादिक दीपा, अगिरो के निये है। मामृतिक फ्रोट्रनाल्मक एवं निशाइरफा जायों को उत्तरे का आग भी उत्तरा प्रदान दिया गया है। जींग ही पूर्णी-वादी व्यवस्था का ग्रन्त होया रहत, अभिव्यक्ति का आधिक हितों के रक्ता करत वाने हप द्वा आन्त हो जायेण। मामाजवाद व्यवस्था ए उनके इन द्वा कोई आवश्यकता नहीं रहेंगी। यह तरे राष्ट्रीय ग्राम उत्तरे हूए उद्योगों के नयन्य में अभिव्यक्ति के अद्योग सेते के तरीकों का यसी नह चिरान नहीं रह गो है। यह गम्भ्या उत्तमत में दानन वाली है। यदि हम ऐसे उद्योगों का निर्देशन अभिव्यक्ति के हाप में दे देने हैं या बायंवागिरी के ग्रामव्यक्ति द्वारों के अभिव्यक्ति के नेतायों को दे देने या उनके प्रतिविधियों को प्रवल्लक अभिव्यक्ति में नियुक्त करदें तो इनके ते काई भी प्रवल्ल गोप-जन्म नहीं होगा। गायीय उद्योगों के गणदनाल्मक देखे रे गम्भ्य में गो० गम्भी ने मामृतपूर्ण निचार प्रदृष्ट दिये ३—

‘पहारा चिढ़ात यह है कि भावनक एवं व्यापरीयक दोनों में अस्थिर विकासद्वीकरण है और प्रबन्ध की प्रत्येक रुठा का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व आवश्यक है। दूसरा चिढ़ात यह है कि जहाँ पर मजदूरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया जाय वहा उन निर्णयों का लागू करने से पहले प्रत्येक स्तर के मजदूरों द्वारा विचार विशेष के अंत तामनो द्वारा निराया का समझने, और उनमें से यह विश्वास दिनानि कि उनके लाइटर्स एवं दोनों दोनों भी महत्व दिया जावेगा, ये लिये उचित विषयाती उन्होंना आवश्यक है। तीसरा यह है कि पदोन्नति एवं पश्चाच्छुत उनके प्रभावाता मजदूरों की गहरति रहा निश्चित होनी चाहिए और मजदूरों के पूर्धा पर उगता। यह उछन् ॥ अधिकार देना चाहिये कि इन निषमा का इसी विशेष स्थिति न रखतरह उपयाग होगा। चौथा यह है कि समस्त उद्योगों में भर्ती हानि के प्रभावात् व्यायामादित् शिक्षा की योजना मजदूरों की स्वयं प्रगति के पूर्ण प्रवर्तन दल के लिये हानी चाहिये और इन योजनाओं पर निर्माण एवं उपयाग मजदूर और प्रबन्धक नियमित रूप से करेंगे। इसी रा सम्बन्धित पौन्त्रयी यह है कि लालू रत्यागारी योजनाओं में सम्मिलित वाय वरन् वी तामन्त्रा मावश्यकता है। छठवीं यह हिमोदीपिक धनुगन्धिन, चाहू यात्रिका व्यथा स्वारथ्य सम्बन्धा, जिसे मजदूरों का मानविक स्वारथ्य भी सम्मिलित होगा, उन्हें यह महत्वपूर्ण होगा ॥ वे ऐसी परिस्थितियों में किये जाये जिनसे कि मजदूरों को उनका अपने लिये महत्व का ज्ञान प्राप्त हो और जहाँ तक सम्भव हो उनका प्रत्यक्ष गटपोर और व्यापहारिक धनुभवों से द्वा विषय में तामन्त्र उठाये जिनकी लाय उपेक्षा की जाती है सातवीं सिद्धान्त मह है कि यथार्थ स्थान से निरन्तर गगड़ा होने वाली प्रवन्धकों एवं मजदूरों की सम्मिलित परिषदों, जिनमें प्रत्येक पक्ष से एक दूसरे के विचारों को जानने का ध्यान रखेंगे। आदिरी यिद्वान्त, जिसकी ओर ध्यान आवश्यित करना चाहिये, यह है कि एक व्यक्ति जो कोर्मन में मुख्य प्रबन्धक तक कोई भी राय-रारिणी का पर राष्ट्रीयस्तरण किया हुए उद्योग में नहीं देना चाहिये जिनकी धर्मिक रायों की आवश्यकता की स्वीकृति के सम्बन्ध में संवेद हो और जो इन उद्योगों को जलाना चाहते हैं, यद्यपि उनका विश्वास है कि राजनीतिक हृष्टि से इनका सावंजनिक स्वामित्व ठीक नहीं है।’’

(नवीन समाज में धर्मिक संघ पृ० १५८—१५९)

धर्मिक ध्ययरणा में परिवर्तन में साध साध धर्मिक ग्रंथों में कायों में परिवर्तन भवियाय है। समाजवादी युग में उनका शोगण वे विद्व मजदूरों की रक्षा का

देवल निक्षय कायं ही न होगा वरन् उद्योगों के निदेशकों को राय एवं निर्देशन में सहित भा। भी नना होगा। दूनरी थोर उद्योगों के न्वामित्र में परिवर्तन होने पर मजदूरों के लिये एक नई अवस्था का सृजन होना प्रावश्यक है। उनरे लिए वस से नम बेतन और अधिक ने अधिक प्रतिदिन कायं समय का निश्चित होना प्रावश्यक है। यह वस से वस बेतन हनना अवश्य हो रि वे जीवन की आवश्यकताओं की पुति कर सकें। उनको प्रतिपथं बचेन छुट्टी एवं मनोरक्तन के मनुषित भाषण भी देना आवश्यक है। यदि शारम्म में इन बायों को बरने में राष्ट्रीय उद्योगों को कुछ हानि भी होती है तो भी उनका यह कायं रखा ही चाहिए यह हानि राष्ट्रीय धाय में पूरी होनी चाहिए। अमिक मध्यों का यह उत्तर्य आवश्यक है वे अपने सदस्यों को एवं नई परिस्थितियों में जीवन उत्तं व्य की गिका दे। जिसी भी प्रजातन्त्रीय अवस्था में विशेषत राष्ट्रीयकरण किय गये उद्याया म, प्रो० लाल्हड़ी के प्रनुभार अमिक मध्यों के मूल्य कायं है—

“अपने सदस्यों की शिक्षा दना और यह न्वीकार बरना वि उमरा प्रथम उत्तं व्य इन सदस्यों के प्रति है लो वि घोषोगिक हौचे क निम्न स्तर पर है। जब यह उनके लिये जा निम्न पद्धयम बगे वे हैं, अधिक सच्चाई दण्डों के लिये माँग बरता है तब उम यह मिठ बरना प्रावश्यक है वि प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घटे के उत्पादन में वृद्धि या दिसी विशेष अवसाय में मजदूरों वे उत्तरदायित्वों में दिशेप वृद्धि या जीवन के स्तर में अव्यन्त वृद्धि हुई है और जिनका मजदूरों पर विशेष-प्रभाव पड़ा है। इन्नु अमिक मध्यों को मध्यम अधिक यहत्व एवं जोर प्रापेक व्यक्ति की प्रत्येक घटे में उत्पादन की वृद्धि पर देना चाहिये।”

(नवीन समाज में अमिक सम्प, पृ० १६१)

अब अमिक सधों की मत्रिय, उत्तरदायित्व प्रूण दायं बरने होंगे थोर यदि वे एगा नरते हैं तो वे प्रजातन्त्रीय प्रगाती भी रक्ता बरने में अत्यविव सहायता देंगे।

उत्तंयान कान वे अमिक मध्यों की मूल्य सदस्य घोषोगिक मध्यों की मूलभाने दी है। अपिकतर अमिक मध्य हृदयाल के अस्त्र का प्रयोग बरने है इन्नु यह आगिरी अस्त्र होना चाहिये। हृदयाल प्रारम्भ करने के पहिने अमिक मध्यों का यह उत्तरदायित्व है वि वे समझों की समस्त परिस्थितियों का प्रनुभायन करने। अपिकतुम परिस्थितियों में हृदयाल समाज दिरोधी प्रग है। यह समाज के माध्यम जीवन की अव्यवस्थित बरता है और उस समय तो यह बात और जी सत्य है जब वि हृदयाल का प्रभाव समाज की आवश्यक सेवाओं पर पड़ता है। विश्व के अधिकार मोर्योंमिक राज्यों में मजदूरी एवं प्रदन्पद्धति रे आयिर सुपर्यं वो जिद्दाने हे लिये अथव अवस्था का

निर्भाण किया गया है। हट के मामले में न्यायाधीश जैसमन ने अपना निर्णय देते हुए कहा:—

“थमिक आनंदोलन अपनी परिधि पूर्ण कर चुका है। थमिका ने बहुत समय तक सघर्ष किया है और यह सघर्ष धूला से परिपूरित और सकटपूर्ण रहा है। किन्तु अब भजदूरों से उनकी रोज़ी इसलिए नहीं छीनी जा सकती वयोकि वे थमिक सधों के पक्ष में हैं और उनके मालिक उनका विराघ करते हैं। थमिकों ने दूसरे और भी धरिकार जीते हैं जैसे कि देकारी की शति पूर्ति, बृद्धावस्था के लिए मुरखा, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण और जो विं दूसरे के लाभों का आधार है, यह स्वीकृति है कि अपने जीवन-पोषण के लिए कार्य करने के अवसर के लिए चिन्ता करना वबन व्यक्ति से ही सम्बन्धित नहीं किन्तु ऐसी समस्या है जिसका सब समाजों को सामना करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, यदि वे अपना प्रस्तितव बनाये रखना चाहते हैं। यह न्यायालय अब सघ के इस धरिकार को स्वीकार करता है विं वे आधिक जगत में किसी भी पूंजीपति को भाग लेने से मना बर सकते हैं वयोकि वे उसे पसद नहीं करते। यह न्यायालय पूंजीपतियों के आयिक थोक को जिसको कि वे निपत्रित करते हैं और पूर्ण रूप से जिस पर धरिकार रखते हैं, जिसके लिए थमिकों ने इनने दिनों से इनकी कठोरता एव सही प्रवार से दावा करने का प्रयत्न किया था, किसी व्यक्ति के पास नहीं हाना चाहिए।”

[“नवीन समाज में थमिक संघ” लाइकी—पृष्ठ १७ से उठूँत]

यह एक न्यायाधीश वा थमिक सधो के प्रभाव वे सम्बन्ध में कथन है। किन्तु थमिक सघ आवश्यक सेवाओं वे सम्बन्ध में भी शति उठाने हैं। ऐसे मामलों में सरवार समाज के हित में हस्तक्षेप बरती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जब कि वह हस्तक्षेप अन्यायपूर्ण एव मनुचित था। यदि सरवार यह हटिकोण प्रपना लेती है कि कोई भी उद्योग जो राष्ट्र के आधिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर प्रभाव पड़ने की आशका है तो राज्य वो हस्तक्षेप बरना ही पड़ेगा। सरवार का ऐसे सघर्षों में हटिकोण न तो तटस्थ होता है और न पक्षपान रहता ही। प्राय राज्य उत्तारदिनों के साधनों के मालिक का साथ देता है और यह बात इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि जब कभी पूंजीपतियों के पक्ष में समझौता होने वी सम्भावना होती है, तो कभी हस्तक्षेप नहीं बरता, और इसीलिये थमिकों का आयोगिक सघर्षों वो निवटाने के लिये सरकारें जो न्याय व्यवस्था स्थापित बरती है, कोई थदा नहीं होती। यहां पर यह घ्यान रहे कि मैं उन बुद्ध थमिक सधों के धनुतरदायी कार्यों वे पक्ष में नहीं हैं जो विं किसी पक्ष विशेष के राजनीतिक व आयिक स्वार्थ के लिये सारे समाज को हानि पहुँचाने में नहीं फ़िक्र है।

आर्थिक शक्ति का बुध ही व्यक्तियों के हाथों में बेन्ड्रोहृत हो जाता ही उपरे दुष्प्रयोग का सूख्य कारण है। राज्य इसी भी व्यक्तिगत समटन में इतनी शक्ति केन्द्रीकृत नहीं होने देरा। कि वह राज्य की वरावरी करने लगे और समाज में सबट ऐदा होंगे। इन बेन्ड्रोहृत आर्थिक शक्ति के विरुद्ध अभियोग का थर्डले ही सधर्य आंतरिक बढ़िया है। पैरीडेट फैन्डलीन इन्वेल्ट ने १९३८ में समुक्त राष्ट्र कांग्रेस को अपने संदेश में कहा—

“.....विनी भी प्रजानश की स्वतन्त्रता सकट में है यदि जनता व्यक्तिगत शक्ति की बृद्धि की उस सीमा तक जहाँ तक वह स्वयं प्रजानशीय राज्य में अस्तित्वात्मी हो जाते हैं, वे महान घरते हैं।.....” आर्थिक शक्ति का बेन्ड्रोय-करण और उसके प्रत्यस्वरूप अम और पूँजी की वेरारी आधुनिक पूँजीपति प्रजातन्त्रों के लिये अधिक महत्वात्मी है।”

आर्थिक शक्ति के बेन्ड्रोयकरण का प्रभाव न बेबल अभियोग पर ही बिन्तु छोटे छोटे अवसायों पर भी प्रकट है। छोटे अवसायों पर मीटिंग समिति के समाप्ति जैसा ०६० मुरे न इस सम्बन्ध में कहा “छोटे अवसाय बहुत बड़ी से अपने बड़े प्रतिदिनियों के विरुद्ध हारने वाला युद्ध कर रह है। आर्थिक वित्तशण के बेन्ड्रोय-करण में बृद्धि और सर्वाधिकारी अवसायों की बृद्धि अस्तवत्त भयानक हो गई है।”

द्वितीय महायुद्ध और युद्धोत्तर बड़ी में आर्थिक शक्ति का और भी अधिक बेन्ड्रोयकरण हुआ है। पूँजीवाद के पढ़ समुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी अभियोग, छोटे अवसायों एवं समाज की इसक रक्षा करने के लिये बानून बनाने पड़े हैं। और अभियोग के इन घटने हुए हस्तक्षेप का आवश्यक समझते हैं।

पूँजीपतियों और अभियोगों के आर्थिक हितों में न तो नामजन्य है और न कभी हो सकता है। उनके हित स्वभावतः भिन्न हैं और उनमें सधर्य आवश्यकमात्री है। भारिक शक्ति के कल्प्रोयकरण में बृद्धि होने के साथ साथ इस सधर्य का वर्तमान स्वरूप त्रिकोणीय है। इसके तीन पक्ष अभियोग, पूँजीपति, और राज्य हैं। इस त्रिकोणीय सधर्य में राज्य का कर्तव्य स्पष्ट है कि उसे पक्षपात रहित होकर निण्य करना चाहिये। अभियोग का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें बेबल खेल ही मारे रखनी चाहिये जो देश की आर्थिक हितों की देखते हुए उचित ही। उन्हें अपने आर्थिक हितों का दूसरे समुदायों से आर्थिक हितों के समन्वय करना आवश्यक है। बैनन-बृद्धि का प्रभाव समाज के दूसरे समुदायों पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसी हर मात्रा उसके प्रभाव के सम्बन्ध में पूँजी विचार करके ही माननी चाहिये। अभियोग पर पूँजी उत्तरदायित्व है।

आधुनिक प्रजातन्त्रों में अधिकारी अधिक संघों की साम्यवादी विचारों से प्रेरणा मिलती है या वे इसमें प्रति गहानुभूति रखते हैं। साम्यवाद उनको अपने अधिकारों की रक्षा

की प्रेरणा देता है। दूसरे मन्य अभिन्न संघ जो फि इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते उनम—

“वैस संघर्ष की शक्ति नहीं हाती जो कि उसक मानने वालों को साम्यवादी सिद्धात देता है। वे इस बात को महसूस करते हैं कि राजनीति वे सम्पूर्ण दर्जन की कु जी साम्यवाद उनसे देता है। यह उनको आवश्यक शक्ति कार्य के प्रति भक्ति और शोधना की भावना, जो कि व्यवसायी संघों में केवल नाटकीय तनावों ने धरणों में हा होतो है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यहां लक्षण उन संघ नेताओं ने भी प्रदर्शित किये हैं जो फि परीक्षा के पश्चात् व्यक्तिगत शक्ति के निय स्वाव की शक्ति के प्रतिरिक्त गुण नहीं देता और वृद्ध इससे भी खराब निकले।

(नवीन समाज में अधिक संघ पृ० ३७)

अधिक संघ के नेताओं को यह समझना आवश्यक है कि युद्धोत्तर युग की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उनको नवीन रचनात्मकता में भाग लेना है और राज्य के लिये भी आवश्यक है कि तटस्थता और पश्चात्तन की सीनि को रखागकर अभिन्नों के सच्चे हितों की रक्षा करे।

सासदीय प्रजातन्त्र

वहै राजनीतिक सम्बादों को देने के सम्बन्ध में विश्व, इगलैण्ड वा अनुगृहीत है और शामन की सासदीय प्रणाली भी डिटिश दैधानिक विकाम वा परिणाम एवं देन है। डिटेन वा राजनीतिक सम्बादों में से जिन प्रणाली वा वस्तुओं में सबसे प्रधिक अनुकरण हुआ है वह भासदीय प्रणाली ही है। इनको डिटेन में सम्बन्धित एवं प्रभावित सब राष्ट्रों ने मपनाया है।

इसके पूर्व वि भासदीय प्रजातन्त्र के लिये भावधार परिस्थितियों और उनकी प्रहृति के सम्बन्ध में देनी, यह आवश्यक है वि हमें शामन की भासदीय प्रणाली के विद्वान्तों वा ज्ञान होना चाहिये। शामन की इन प्रणाली के तीन मूल मिदान हैं।

(अ) इस प्रणाली में कार्यवारिशी वा निर्माण बहुमत मिदान के आधार पर होता है। वह राजनीतिक दल जो वि व्यवस्थापिका वा बहुमत प्राप्त करने में (व्यवस्थापिका से वहाँ पर हमारा तात्पर्य बेवल निचले नदल में है) सफल होता वही मिदान वा विद्वान् यरेता। बहुमत दल के नेता की राज्य वी प्रमुख कार्यवारिशी, मत्रि मठन बनाने की आज्ञा देती है और तब वह अपने लाभारण्यः प्रमुख कार्यवारिशी के द्वारा स्वीकार नह लिया जाता है। मिदान की भवधि उसी द्वारा तब है जब तब वि उसे सदन के बहुमत वा विकाम प्राप्त रहता है।

(भ) छित्रोप गिदान यह है वि कार्यवारिशी इस शामन प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होयी। शामन की मिदान प्रणाली का जन्म इतिहास के स्टूपट मुग में सुसद के राजा के मतियों की नियंत्रण में बरने वारण हुआ था। १६४८ और १६५८ की राज्य शामन के पहचान डिटेन की नमद की मिदानतः तो यह अधिकार मिल गया विन्नु प्रायः दो फताबिश्यों के प्रबल और नष्टपर्ण में परचात ही वह इमर्की पूर्णरूपेण प्रयोग में ला सकी। व्यवहार में इति प्रधि-

कार का अर्थ है कि अनिंग हाँ में राज्य की शक्ति का व्यवस्थापिका में निवाग है और मत्रिमठल बेवल व्यवस्थापिका को इच्छा को कार्य रूप देने के लिए है। सिद्धान्तत, मत्रिमठल पर सम्पद का पूण मधिकार है। यह मान लिया जाता है कि मत्रिमठल सम्पद के निर्देशों वा उनधन नहीं कर गवता है और न दिन। उचित निर्देशों के हो कोई कार्य कर सकता है। व्यवस्थापिका को कार्य कारिणी के कार्यों में हस्तक्ष प एवं निरीक्षण करने का अधिकार है और यह काम वह प्रश्ना, अविश्वास के प्रस्ताव एवं काम रोका प्रस्तावों प्रादि के द्वारा करती है।

(इ) कार्यकारिणी रा व्यवस्थापिका का प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व से बय है कि व्यवस्थापिका के सदस्य इस सिद्धान्त पर कार्य करते हैं कि वे सब एक हैं और उन से किसी के भी द्वारा की गई शुटि सारे मत्रिमठल की शुटि है। प्रश्ना एवं दोषों के लिए सब समान रूप से उत्तरदायी हैं। नीति निर्धारण करने वाले निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। किन्तु एक बार निर्णय कर लेने वे पश्चात् मत्रिमठल के सब सदस्यों को उस निर्णय से मान्य हाना पड़ेगा और वे उसका किसी भी प्रकार का विरोध उम समय तक नहीं कर सकते जब तक कि वे मत्रिमठल के सदस्य हैं, याहू उन्होंने उस निर्णय के समय विरोध ही बयों न किया हो। यदि वे उस निर्णय से असहमत हैं और उस निर्णय के प्रति अपने उत्तरदायित्व का नहीं चाहते तो वे मत्रिमठल से द्याग पत्र दे सकते हैं किन्तु सदस्य रहत हुए विरोध नहीं कर सकते।

संक्षेप में मत्रिमठल की शासन प्रणाली का मुख्य आधार दलीय व्यवस्था है और प्रो॰ याकर ने अनुसार बेवल द्विदलीय पद्धति पर इसलिए यह आवश्यक है कि सासदीय प्रणाली को समझने लिये दलीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाय। राजनीतिक दल व्यक्तियों वा वह समूह है जो कि समान राजनीतिक सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं पर समान रूप से विचार करते हैं तथा राज्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिये अपने को समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिये राज्य की शक्ति को प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। किन्तु शक्ति को प्राप्त करने के लिये बेवल शान्ति पूर्ण वैषानिक एवं प्रजातन्त्रीय साधन ही अपनाने चाहिए अन्यथा यह राजनीतिक दल न रहकर गुप्त समाज या गुट हो जायेगे। इसलिये राजनीतिक दल स्वभावतः राज्य की शक्ति को प्राप्त करने वा एक प्रजातन्त्रीय अस्त्र है। जिस राष्ट्र में सुसङ्गठित दलीय व्यवस्था होगी, वहाँ पर ही शासन की सासदीय व्यवस्था सफल हो सकेगी। समर्थन दलीय व्यवस्था का भर्त है—छोटी सह्या में बढ़े राजनीतिक

दाव निचें राजन में पर्याप्त स्थान प्राप्त कर सके नाहि मन्त्रमन्त्रन निर्माण करने के लिये प्रावश्यक बहुपत और सामरीय प्रवात इसी दल के द्वारा मनुसन भी प्राप्त हो जाय।

फ्रैंसीसी राजनीतिक व्यवस्था का हमारा प्रभुभव यह निष्ठ करता है कि छाँटे छाँटे दलों के व्यधित महसा में होते के बारम गायग तो सामरीय प्रवाती सम्मता पूर्वक बायं नहीं इसकी है और इसका प्रभाव प्राप्त के राजनीतिक जगत पर प्रस्तुत ही भव्यानन्द है। कान्स में इस छाँटे छाँटे दलों एवं राजनीतिक समूदायों का समूह पात है जिसकी विभिन्न नीतियों एवं भवितव्यों हैं। इसके फलस्वरूप कान्स का प्रथमेवं मन्त्रमन्त्रन विभिन्न टिका वा अस्तित्व सम्मिलित मन्त्रमन्त्रन है और इसलिए कान्सीसी मन्त्रमन्त्रन ग्रन्थाद्य होते हैं। छाँटे छाँटे राजनीतिक दलों के बारम मन्त्रमन्त्रन में न को नीति और न सेंद्रान्तिक आधारों का ही अवतर हो पाता है। ये छाँटे छाँटे दल गायगाय बारायों में ही मन्त्रमन्त्रन का शाग देते हैं और इसके मन्त्रमन्त्रन के बहुपत वा अन्न हा जाता है और मन्त्रमन्त्रन का शाग पन दना पहता है। कुछ गम्भीरों का निर्णय तो प्रधन विशेष आवारिक एवं घोरांसिक हिन्दी की रक्षा के लिये गरजार पर प्रभाव दासने के लिये होता है। कान्स की राजनीतिक व्यवस्था की बायं प्रणाली अच्युतन के फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि सामरीय प्रवातन को मन्त्रमता पूर्वक चलाने के लिये व्यवहार केवल दो परायन एवं संतुलित दोनों की प्रावश्यकता है।

प्रौ० वारंर के अनुमार द्विलोग व्यवस्था ही सामरीय प्रवातन की मन्त्रमता पूर्वक चला सकती है। इसका गिर करने के लिये उन्होंने यह भी बतलाया कि यह द्विसीय व्यवस्था सामरीय प्रवातन की दिन विशेष आवश्यकतायों की पूति करती है। कई प्रथम तो यह मनदानाओं को पम्पद बरने की शक्ति प्रदात करने की नीतिक आवश्यकतायों की पूति करती है। प्रौ० वारंर के अनुमार—

“इनमें से पहला गुण नागरिकों की पम्पद का नीतिक गुण है। नागरिक पूर्ण स्वतन्त्रा से जुनाव करें और उनकी नीतिक इस्था तभी मर्योत्तम प्रवार से बार्यान्वित होंगी जबकि उसे दो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वीच में चुनने का स्पष्ट प्रधिकार हो। प्रत्येक गत देहर आप उसे उच्चान में ढान दो। और इसमें जो प्रधिक यह हो सकता है कि आप उपरे चुनाव प्रधिकार को सीमित कर दोंगे वहांकि एक सामग्री का बायं-प्रम के स्थान पर आप एक विशेष हिस्ते की एक प्रवार की समस्यायों के ऊपर निर्णय देने के लिये बाध्य करते हैं।

सामरीय प्रणाली की द्विनीय पद्धति का द्विनीय मुख्य प्राप्त राजनीतिक मुख्य समस्यायों एवं मिडान पर वाद-विवाद करने का बोडिक बायं बरना है। इस सम्बन्ध में प्रौ० वारंर बहुत है—

"सासदीय प्रजातन्त्र वा दूसरा गुण बाद-विवाद' का बोहिक गुण है। इसके द्वारा नागरिक (प्रगति एवं राज्य के हित के लिये) उच्च राजनीतिक समस्याओं पर बाद-विवाद के बोहिक कार्यों की ओर आकर्षित होता है। नागरिक तभी उचित प्रवार से तब और दूसरों वे तर्कों को अच्छी तरह से समझ सकेंगा जबकि बाद-विवाद बेबल दो ही पक्ष में हो। पक्षों में वृद्धि होने से वे विचारों ने ताने वाने के जाल में फ़ैल जायेंगे और मस्तिष्क को उसभनों में डास देंगे। आप बोहिक कार्यों की माँग में बुद्धि बरते हैं किन्तु उनकी पूर्ति में कमी करते हैं। इसलिए कम बोहिक पल प्राप्त होने क्योंकि मस्तिष्क इन ताने वानों से ऐसी उसभनों में पड़ जाता है कि वह जो उसे उत्पन्न बरना नाहिए, वह उत्पन्न नहीं बरन सकता।"

द्विदलीय व्यवस्था सासदीय प्रणाली में नियन्त्रण एवं सञ्चुलन का कार्य भी करती है प्रो० घाकर के शब्दों में—

"जोरा कि हम देख चुके हैं सञ्चुलन का यह गुण राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है और इसको हम उसम प्रकार से तभी प्राप्त बर सकते हैं जब कि बेबल दो भूत्य दल हो राजनीति के रग मच पर हो। दलों में वृद्धि होने से आपको दो परिणाम प्राप्त होंगे—प्राप्तको ऐसी सरकार प्राप्त होगी जिसका कि आधार दलों का गमिष्ठण है इसलिए वह न तो निविच्छित होगी और न टोम हो और आप ही एक ऐसे विरोधी दल को जन्म देंगे या वही विरोधी दलों को जो कि सरकार के साथ साथ आपस में भी राघवं करेंगे जिसकी अनिविच्छित रचना होगी और असमिति कार्य होंगे। प्रत्येक प्रकार से—
"सञ्चुलन और उसके साथ साथ विवाद और नागरिकों की 'पसान्द' और यह दोनों भी—साम बेबल दो ही के अक्ष साथ है न कि दो से अधिक के साथ।"

इसलिए हम यह बह सकते हैं कि सासदीय प्रजातन्त्र की राफलता दो समितिन दलों की आवश्यकता है और दो से अधिक दल होने पर शासन व्यवस्था का मस्तिष्क सकट में पड़ जायेगा।

सासदीय शासन पढ़ति का मुख्य मिदान्त कार्यकारिणी का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है। रूपरूप से हम यह तड़ राते हैं कि यदि व्यवस्थापिका रकमी है तो कार्यकारिणी रोबद्ध है। किन्तु यह बेबल संदान्तिक रूप से ही गत्य है। म तो व्यवस्थापिकाएँ जनता की इच्छा का प्रतिनिषित्व बरती है और न वे निष्पायिक सम्भाग ही है। शक्ति बहुमत दल के हाथ में होती है और प्राश्चर्य की बात तो यह है कि इस बहुमत दल को भी राष्ट्र के नागरिकों का अल्पमत ही प्राप्त

है। इस प्रकार जुने हुए प्रतिनिधि जनता को इच्छा का वापरविक प्रसादन नहीं कर सकते। यह प्रतिनिधि प्रतिज्ञाओं पर चुनाव लड़ने के लिये दलों के विशेष गणठनों (कौनस) से बंधे हुए हैं। जोया कि विशेष हृषि में आम्नेनिया में और दूसरे देशों में दलों के बाटे अनुग्रामन में दल के बेवज़ु बुद्धि गिराव के नेता ही इन व्यवस्थापिताओं सूखे शामन करते हैं और इनको उन नेताओं पे प्रत्येक प्रसादव का भवर्यन करना पड़ता है। साहस्रीय प्रजातन्त्र का यह सबमें बहा प्रदर्शन है। शामन की इस प्रणाली में कौन विमके प्रति उत्तरदायी है, यह ठीक प्रकार में भभजने के लिये प्रावश्यक है कि हम दल की प्रहृति एव गणठन और दल का अपने मदम्यों पर बाटे नियन्वण का अध्ययन करें।

जनसंघ्या की वृद्धि में भवायिदार में वृद्धि हुई है जिसमें निर्धारित दो दो के आकार में भी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम यह हुए है कि इस व्यवस्थापक दल पौर उत्तरके साधनों पर अपने चुनाव के लिये अपित निमंत्र होते जा रहे हैं। वतंगान परिस्थितियों में माधारण आधिक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिये यह घमम्भव है कि वे दल के माधनों की सहायता के बिना निर्धारित मन्दसो तक पहुँच सकें। चुनाव के व्यवों में धन्यविक वृद्धि हुई है और जनना तक पहुँचाने के माधन इनमें मौजूदे हो गए हैं कि चुनाव लड़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभव नहीं है। जो राखन एक स्वतन्त्र उम्मीदवार के लिए प्रश्नान्व है वह दल के लिये आमानी से प्राप्त है। दल का अपना राष्ट्रीय संगठन है उसमें अपने समाजार पक्ष पौर द्योग्यानाने हैं। उसके अपने स्वयं संवेद एव राजनीतिक वायंकर्ता और लद्दों महत्वपूर्ण वह राष्ट्रीय नेता है जिसका कि जनता में मत्यविक प्रभाव है और जिसकी उपस्थिति से राष्ट्रीय भनदाताओं वह उसमें उम्मीदवार के दश में पर्येष्ठ प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक में व्यक्तिगत का महत्व एव प्रभाव जिसको कि हि आपारण शब्दों में 'विभूतियों की पूजा वा निदान' वह भरते हैं, प्रतातन्त्र का एक महत्व पूर्ण लक्षण है। प्रत्येक इजातन्त्र किसी भीपा तक भीटतन्त्र व्यवस्था है। दलीय संगठन, हित, पक्षान्व, प्रागार्थ एव दूर के द्वाग घन्यमन में समर्थन रहते हुए भी अपने प्रतिनिधियों से चुनाव में सफल होता है। यह राजनीतिक दल प्रायः मनो-विज्ञानिक शोषण के अत्यन्त प्रभावशाली माधनों का मनदाताओं के शोषण के सिये प्रयोग बरते हैं। इन गव बागों ने उस उम्मीदवार के लिये चुना जाना प्रायः घमम्भव हो जाता है किसको कि जिसी मणिन दल की महायना प्राप्त नहीं है। दल के अनुग्रामन का और मदम्यों की दल निर्भयता का मुख्य गुण ज्ञेद यही है और दोनों पर इस निर्भरता में जैसे जैसे जनना तक पहुँचने के माधन उपाय लाने जायें, जैसे वे वे वृद्धि होती जायगी।

किसी भी राजनीतिक दल से निवायन का भर्य होता है राजनीतिक जीवन का अन्त। प्राय ऐसे वहुत बहुत वष व्यक्ति पांचों जिसको कि स्व-सिद्धान्त अपने

राजनीतिक जीवन से अधिक प्रिय हैं और जो अपने गिरावटों की रक्षा के लिए राजनीतिक जीवन को सबट में डालना चाहेंगे इसी बारण से अधिकांश व्यवस्थापक दल का समर्पण करने वाले होते हैं। उन्हें हर मूल्य पर दल की नीति को अपनाना ही होता है। निजी रूप से चाहे वह दल की नीति को भालोचना भी कर सके विन्तु व्यवस्थापिका के सामने और जनता के समक्ष उन्हें दल की नीति की रक्षा करनी ही पड़ती है।

प्र० वाकंर के अनुसार प्रजातन्त्र वा ग्राम्यार वाद-विवाद है। वाद-विवाद का मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष के हिटिकोण को समझने का होता है किन्तु जहाँ तक व्यवस्थापिका सभाओं का सम्बन्ध है इस रूप में वाद-विवाद वही नहीं होता। अधिकांश व्यवस्थापक तो इन वाद-विवादों में भाग लेने के योग्य होते ही नहीं। वे मूर्तियों की तरह शात रंगे रहते हैं और अपने दल के निर्देशों के अनुसार मत प्रदान कर देते हैं। व्यवस्थापिकाओं में बहुत से रादस्य घोषते और सोते मिलते और कुछ तो सुरक्षित भी भरते हैं। हाल ही में मद्रास व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष को यह निःरुप देना पड़ा था कि यद्यपि सदन में सोने के विरुद्ध कोई नियम नहीं है तथापि पुराटी भरना निश्चित रूप से असामीय है। यह घटना यतंमान व्यवस्थापिकों एवं व्यवस्थापिकाओं की सेवजनक स्थिति पर पूर्ण प्रवाण डालती है। हम राष्ट्रारण व्यवस्थापिकाओं से व्यवस्थापन एवं शारान जैसे जटिल कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता नहीं कर सकते। यद्यपि हम जीवन के साधारण कार्यों के सम्बन्ध में भी अत्यधिक सावधानी का प्रयोग करते जहाँ पर तो हानि वा धोत्र देवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है किन्तु हम राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों को ऐसे अज्ञानी एवं अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं जिनकी भूटियों वे दुष्परिणाम से बरोड़ी व्यक्तियों की हानि हो सकती है और उनका भविध्य सबट में पड़ सकता है। विटिश लोक सभा, जो कि विटिश संसद का महत्वपूर्ण भाग है और जिसको तो हम 'संसदों की जननी' कहते हैं, में भी ६४० में से अधिक से अधिक ४० या ५० व्यक्ति वाद-विवाद में भाग लेते हैं। भारतीय लोक सभा में उन्हीं व्यक्तियों की प्रतिदिन गारादीय सूचना में पुनरावृत्ति होती रहती है।

जो थोड़ा बहुत वाद-विवाद होता भी है उसका बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुमत के अधिकांश रादस्य संसद में विरोधी दलों के तर्बों को चाहे वे बितने ही उचित क्षयों न हो, सुनने वा समझने का कदापि प्रयत्न नहीं करते और यह सब तक उन सब मस्तिष्कों को जो कि दलीय-अनुगामी के द्वारा पगु हो चुके हैं, प्रभावित नहीं कर सकते। सद्योप में हम यह कह सकते हैं कि ग्राम्य दल की देवल इच्छा को स्वीकार करने वाली हो गई है।

गारादीय शासन व्यवस्था में जति वे अतिम सौत वा पता है इस प्रवार-

सगा सकते हैं। हर सब दल में नियत गदन का चट्ठमत दल और हर चट्ठमत दल में उस दल के नेताजी के हाथ में शक्ति होती है। तूर्डि वे जेना मन्त्रिमण्डल में होते हैं इसलिए हम वह सकते हैं कि अन्तिम रूप में यह शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास ही होनी है। किंचान्ततः हम भले ही यह दावा बरे कि साहदीय शासन प्रणाली में वायव्याग्रिमी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं किन्तु वास्तव में ठीक इसका बल्टा है। व्यवस्थापिका पर नियमित्य वा अधिनायकत्व पूर्णरूपे निष्ठ तथ्य है।

एक नियित्य और सगठित विरोधी दल वा अभाव प्रजातत्र की इस शासन प्रणाली वे लिए मन्त्राद्विद मंडल चलपत्र कर सकता है। शासक दल ऐसे विरोधी दल के अभाव में अनुत्तरदायी हो जायगा और उसका हापिकोण अपिनायकत्वान्वय हो जायगा। इसकी अपने वार्डों के लिए तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए और जनमन्त्र के अनुशासन चलाने के लिए यह धारण्यक है कि शासक दल को यह दर बना रहना चाहिए कि चूनावों में यह हार भी सकता है। शासक दल को शक्ति के हाथ में नियत जाने का दर वैष्वल उन्हीं प्रजानन्त्रों में हो सकता है जिनमें कि नियित्य विरोधी दल है और जिनमें कि शासक दल को अपने स्थायी रूप से बने रहने का निश्चय न हो। अगर वह जानता है कि उसके भूल चूर के बायं धारामी चुनावों पर प्रभाव ढालें और इस नारण ने राजनीति शक्ति विरोधी दल के हाथ में जली जावेगी तो वह जनमन्त्र को छुड़ाने और विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना से डूढ़ामीन नहीं होगा। विरोधी दली का भी इस प्रणाली में एक नेतृत्व वर्त्तन्य है कि इनकी आलोचना रचनात्मक और जनता की अनाई वे लिए होनी चाहिए। आलोचना दलीय, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राप्त करने वे लिए नहीं होनी चाहिए। संघीय में वेष्यल आलोचना वे लिए ही आलोचना नहीं होनी चाहिए।

पद से हटाये जाने का दर एक दलीय राज्य में नहीं होता और इसनिए ऐसा राज्य अपिनायकत्वान्वय ही जाता है। ऐसे ही हटाए जाने का दर बहुमान भारत जैसे राज्य में नहीं है जहा कि नरकारी दल का पत्यधिक बहुमन है और विरोधी निर्वन, विभाजित एवं अविभित है। इन दोनों प्रकार के विचारों में साहदीय प्रजातत्र सफल नहीं हो सकता।

साहदीय प्रजातत्र में यह मानवर चलना होता कि ममाज के सगठन के लिए मावंभूत महत्व के प्रमाणों पर दिविन्द्र पहली में मम्मीता होगा। और प्रौढ़ वार्डों के गम्भीर में—

“..... भूलभूत विषयों पर एकता होनी चाहिए और नवमे प्रधिक प्रजातत्र और प्रजातत्रीय नीति को दमाये रखने की भूलभूत मानवतापो पर; किन्तु सामान्य प्रदनों पर दिरीघ ३१ हीमा चाहिए— दल लोकों के जो कि दीप्ति

प्रगति और धर्मिक प्रजातन्त्र चाहते हैं और जो कि वह चाहते हैं वे मध्य में
विरोध” (सरकार पर निवन्ध पृ ६२-६३) और आते “...यदि वाद-विवाद
करने वाले पक्षों के बीच में बोई सामान्य आधार न हो तो वाद-विवाद
मसम्भव है। यदि दसों द्वारा निर्मित समस्याएँ सामान्य रूप से अनुहृत होते
हुए भी अगर उनके आधारों में जिन पर वे आगे बढ़ता चाहते हैं, सर्वथा
भिन्न हैं और जिस दशा में उनके उद्देश्य सर्वथा एक दूसरे से अलग हैं तो उन
पर वाद-विवाद नहीं हो सकता और ऐसी समस्याओं पर निर्णय वाद-विवाद
के द्वारा नहीं पाया जा सकता। वहा शक्ति का मार्ग केवल मार्ग है।”

(सरकार पर विचार पृ० ४०)

प्रो० जेनिझ्डा के अनुसार इसलिए सांसदीय प्रजातन्त्र की प्रणाली में “शासन
इच्छा के द्वारा” और “विरोध सहमति के द्वारा” (वैविनेट सरकारे पृ १५-१६) होता
है। मूलभूत विवादों पर एकता इसलिए भी आवश्यक कि राष्ट्रीय नीति में बार बार
दलों में परिवर्तन होने पर भी अविद्यिधत्ता बनी रहे। प्रो० लास्की का मत है कि
इच्छलेन्ड में इस मूलभूत प्रश्नों पर एकता का पन्त हो रहा है—

“दलीय व्यवस्था पूँजीवादी प्रजातन्त्र को तभी तक चला मरती है जब तक
कि जनता पूँजीवाद के विरुद्धामो से सतुष्ट हो। तभी यह जनसत्त की दिशा
को आकार एवं ऐसी दिशा देने योग्य होती है कि ऐसे प्रश्नों को जो कि
पूँजीपति के मुख्य हितों की सुरक्षा को सकट में डालने, उन पर बाबून बनने
की संभावना पहुँचने ही नहीं देती। किन्तु पूँजीवाद की गान्धिता वा राकृचित
दिलिजो के कारण ऐसे प्रश्नों की ठीक बड़ी दशा हुई है। गतता के नए
आधारों का निर्णय करने की योग्यता तथा सांसदीय प्रणाली सरकार के
जीवन के लिए आवश्यक दशा हो जाती है।”

(इच्छलेन्ड में सांसदीय सरकार पृ० ६७)

दूसरे शब्दों में प्रो० लास्की यह कहता चाहते हैं कि शासन की सांसदीय
प्रणाली पूँजीवादी प्रजातन्त्रों में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों वो बनने में
सफल न हो किन्तु यह सम्भवत तक हो। प्रो० बोधराज गर्मा ने भारतीय
राजनीतिशास्त्र समुदाय की सभा के सभापतित्व पद से १९५३ में भाषण देते हुए
भारतीय सांसदीय प्रजातन्त्र पर अपने कुछ विचार प्रकट किए जिसमें कि आपने इस
व्यवस्था की कही प्रालोकना की और भारतीय दशा में इसको अनुपयुक्त बताया।
उन्होंने कहा—

“भारत ने पालनाथ्य प्रणाली का अनुग्रह करने का निश्चय किया है
और यह नास्तिक निरपेक्षता तथा सांसदीय प्रजातन्त्र का इसे अहकार

है जिसको कि प्रधनने वा इयने निर्वय किया है।”“हम यह जानते हैं कि मांसदीय प्रजातन्त्र की मत्पादें विष्व वहें कोरों में जनता को शान्ति एव सुख देने में प्रभकर हुई है प्रीत वह अनन्ती पुढ़ प्रीत दल की निरहुमता के हर से तीन रहित रातें व्यवीन करते हैं।” इय शासन की पदति की कमज़ोरियों प्रो० ग्रामों के ग्रनुमार “निवांवकों पर यह एक धमनव बायं रखती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों का अन्त कर देनी है प्रीत इसमें दस्तीय पन वे वहें ग्रनुमासन में बृद्धि, मरकारी प्रीत विरोधी पक्षों में ग्रमहृदयोग का भावन्वर और राजनीतिकों का आमन पर हानिकारक ग्रनाव है।”

(भारत में समृद्ध—प्रो० इवस्मृ एव मोरिस कोमा प० ४१ से टड़ा) प्रो० मोरिस जोन्स इय इचिकोण की आनोचना करते हुए लिखते हैं—

“इसमें मज़बूत नहीं कि भारत के निए मंसुदीय प्रजातन्त्र की उपर्युक्तता वा प्रभन एक गम्भीर प्रभन है इन्हुं प्राचीय मत्पादों की विवेह रहित प्रानोचना और मध्यवालीन भारत की मन्दाद्वारों के प्रध्यनन पर टीक टीक इस प्रभन का उनका सम्मेव नहीं है। उपरात्र साधनों पर शीघ्रता से प्रयोगों के द्वारा प्रीत उन मत्पादों की ग्रननावे प्रीत कार्यान्वित करने के प्रयन्त्रों में जिनमें इयायुनिक राजनीतिक ग्रनुददों ने अधिकतर भारतीयों को परिवित करा दिया है, ही इकठा उत्तर किमी भीमा तत्त्र दिया जा सकता है प्रीत जैसे कि उत्तर दिया जा रहा है। यह उत्तर कि मंसुद शोउ के ग्रनुमार एक प्राचीय मत्पाद है, इय उत्तर में हि भारत में समृद्ध एक भारतीय मत्पाद हो गई है कम महावृगुण है।”“ मंसुदीय मंसुदाएँ टीक चर में मध्याइतिक ममाडों में ही कायं वर महत्ती हैं प्रीत ऐसी दग्धादों की ग्रनुमियति में नहीं कर महत्ती। प्रभन यह नहीं है कि धर्म के ग्रनुमार विभाजन स्थाई बहुमत एव धमनव का निर्माण करना है प्रीत शान्ति में प्राप्तानी से परिवर्तन नहीं हो सकता जो कि प्रजातन्त्र की एक मुख्य आवश्यकता है प्रीत इसनिए घनेहों मात्रादिक नन्दियों के ताने बाने समृद्ध की देवन एक दिमादट का माध्यन मात्र कर देते। ‘वास्तविक’ शक्ति सप्तर्ण ‘महन के मत दर’ न होकर प्रीत कही होते। समृद्ध का कायं देवन उन प्रीतवारिक परिग्रामों का निर्तय करना होता होता जो कि विनियोग शक्ति सप्तर्णों के मध्यर्थ में बाहर निर्दो तीर पर निर्द जा कुके हैं। यह आनोचना पट्टी बाजी की तरह यह विवाय उत्तम करती है कि सुस्पर्दे अनावस्यक है।”

(भारत में संस्कर प० ४२)

हम इय विवाय पर नहुंचते हैं कि यदृदि भारत ने पश्चिम में मांसुदीय प्रजातन्त्र का अनुकरण किया है इन्हुं दिए गये ग्रन्तार की इय पदति की जड़े भारतीय गव-

नीतिक भूमि मेरे यथेष्ठ रूप से जम चुही हैं और इसकी सफलता या असफलता भारत के मतदाताओं के राजनीतिक विकास और एक शक्तिशाली एवं संगठित विरोधी पक्ष के विकास पर, जिससे कि हमारे सासदीय प्रजातन्त्र को सतुलन प्राप्त होगा, पर निर्भर करता है। महां हम बतला देना आवश्यक समझते हैं कि भारत मेरा शामक दल वाँप्रेस और मुख्य विरोधी दलों एवं साम्यवादियों मेरुलभूत सिद्धान्तों मेरुबोई एवं तान्ही है और ऐसी एकना को स्थापित होना अत्यन्त ही रादेहात्मक है। केवल भविष्य ही यह बतला सकेगा कि हमारी दस्तीय व्यवस्था और सासदीय प्रजातन्त्र का किस प्रकार से विकास होगा ?

वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन करने से तो हम यही जात कर सकते हैं कि भारत मेरा सासदीय प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। पिछले दो आम चुनावों के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध होता है कि एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनता पर प्रभाव जहाँ कम होता जा रहा है वहाँ दूसरी और दिसी एक विरोधी पक्ष का उसी मनुषात मेरुप्रभाव नहीं बढ़ रहा है। व्यवस्थापिकाओं के जो स्थान कांग्रेस हार रही है वह स्थान थोटे थोटे राजनीतिक दलों, पक्षों एवं समूहों मेरुदेंते जा रहे हैं और इस कारणवश एक संगठित विरोधी दल का विकास नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल भारत मेरा इस समय नहीं है जिसका कि राष्ट्र भर मेरा राजनीतिक संगठन एवं प्रभाव हो और जो कि भाने वाले भविष्य मेरुबहुमत प्राप्त करके मत्ता को हस्तगत कर सके। कांग्रेस के द्वितीय भिन्न होने पर और पिछले दम दर्दों के परिणामों में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कांग्रेस का द्वितीय भिन्न होना आवश्यक है। भारत के दूसरा पाकिस्तान या फान्स होने की सम्भावना है। मनेक राजनीतिक समूह जिनमेरुसिद्धान्तों का कोई भेद नहीं और जो केवल व्यक्तित्वों के माध्यर पर बने हैं, भारतीय राजनीतिक दिशि को और भी अधिक प्रस्तावी एवं अध्ययन-स्थित बना रहे हैं।

भारत मेरु मुख्य विरोधी दल, बोटों की सद्दा एवं व्यवस्थापिका के स्थान दोनों के मनुसार, साम्यवादी दल है। यही एक ऐसा विरोधी दल भी है जो कि बैराज राज्य मेरु सफलनायुद्धक राज्य की सरकार को चला चुका है किन्तु निकट भविष्य मेरुयहे कोई समावना प्रतीत नहीं होती कि यह दल बैराज एवं राज्यों मेरु इनके द्वेषनि प्राप्त कर सकेगा या घपने प्रभाव मेरु इतनी वृद्धि कर सकेगा कि यू-देश के शासन को घपने हाय मेरु से ले या हमारे सासदीय प्रजातन्त्र रो सन्तुलन मेरु रुपे गो। इस विरोधी दल के साथ मेरु एक अन्य बटिनाई भी है। इसमेरु और कांग्रेस मेरुसमूह सम्मेलन (१९५८) की अपेक्षा भी, मूलभूत सिद्धान्तों मेरुबोई एवं नहीं है और तरही सकती है।

समाजवादी विरोधी पक्ष स्वयं मेरु ही अधिक विभाजित है। उसके विभिन्न

भाषणों में सिद्धान्तों के कारण उतना भलभेद नहीं है जितना कि व्यक्तिगत स्वाधीन के कारण। निकट परिवर्त्य में इसबीं कोई आशा नहीं है कि प्रजातन्त्रीय समाजवादी पिरोधी पदा अपना संगठन कर सकेगा या शामन के भार वो समाजने में समर्थ होगा। भारत और श्रधिकाश पूर्वी राज्यों के राजनीतिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्मिल्य यह है कि उसमें व्यक्तिगत का सिद्धान्तों से अधिक महत्व है। यह सांसदीय प्रजातन्त्र वो सकन्तु के लिए एक गमीर सहृदय है। राजनीतिज्ञ घण्टे व्यक्तिगत स्वाधीन के लिए निर्वाचक मन्दिर वो दूध समस्याओं पर विभाजित लिए हुए हैं और यह विभाजन हमारे नवीन प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त आवश्यक दिक्षिणीय अवस्था के विवाह में बाधक है। कुछ विरोधी नेता जैसे कि प्रशोक मंहुता ने तो कौशिक को एक विरोधी संघटित दल के निर्माण के परिवर्तन्य के सम्बन्ध में भी ध्यान आवश्यक लिया है किन्तु कौशिक से यह आशा करना अत्यन्त ही अव्याधहारिक होगा कि यह घण्टे इस प्रादर्श वर्ताव्य वो राष्ट्र के प्रति पूरा करेगो। कौशिक भी दल या व्यक्ति जब तक समर्थ हो जाकि का व्याप नहीं करना चाहता है। कौशिक भी ऐसा ही करेगी और इसके लिए उसे हमें दौष नहीं देना चाहिए। यह सब बातें तो राजनीति के सेतु वे नियम हैं ही। हमें विरोधी दलों से उनके अपने हित से एकता की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि एक स्वस्थ एवं मनुषित सामर्दीय प्रजातन्त्र का भारत में भी निर्माण हो जाय किन्तु यह भी अत्यन्त अव्याधहारिक एवं प्रादर्शवादी विचार है।

फाल्स में सामर्दीय प्रजातन्त्र वीर राजनीतिक अव्यवस्था वा कारण दलों के मध्य में विचारणारामों वा भेद नहीं है किन्तु प्रो॰ हरमन पाइनर के मनुमार स्पष्ट शब्दों में राजनीति के कारण है—

“...मन्त्रिमंडल के प्रत्येक परिवर्तन वा यथां यथी एकों का दूरुं परिवर्तन नहीं है, वयोःकि एक या अधिक समूह नये मन्त्रिमंडल में रहते हैं—और कभी-न-भी यह परिवर्तन वेदत प्रधानमन्त्री को ही हटाना होता है। मन्त्रियों का परिवर्तन बास्तव में मन्त्रिमंडल वा पुनर्नेपन मात्र है। इस पुनर्नेपन को ध्योग्यि देना भी बहा गया है-एक मरणे हुए रोगी को ध्योग्यि देना। एक निषेध के हृष में धार्ये और तीन धोयाई ऐं बीच के पुराने मन्त्रिमंडल के सदस्य नये में भी रहते हैं। और यह उन शामन के दोषी वो दम बर देता है जो कि इतने होम्प धार्यितन के द्वारा होते फिर भी इसके परिणाम कुछ धौकड़ों के मूरम अव्ययन से पता चलता है, परेट हृष से तुरे हैं। शांग इन राजनीतिक तथ्यों ने विषान के इस मुद्रावर्त का प्रायः घल कर दिया है कि मन्त्रिमंडल गाम्भीर्य से ढारदायी है। परजित मन्त्रिमंडल वी कभी भी पूरुं हृष से सफाई नहीं हुई। प्रायः निरस्ता ही अकिं त्यागपत्र देते हैं और ऐसे पूरे मन्त्रिमंडल में निरहुर परिवर्तन अ-यथिक विनाशकारी ग्रनीत होते होंगे, किन्तु

वे व्यक्तिगत स्थान पश्च मन्त्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने की प्रपेक्षा दुर्बल बनाते हैं और वे श्राय मन्त्रिमंडल के पतन की तात्कालिक भूमिका होते हैं। डेप्यूटीज को एक बार छून लगना चाहिए ।....."

(प्रायुक्ति करकारे पृ० ६२७)

सम्भवतः कान्स ही ऐसा सासदीय प्रजातन्त्र है जिसमें कि राष्ट्र प्रभी कुछ समय पूर्व एक माह के लिए किसी भी सरकार के बिना रहा है। वहाँ सरकारों का यह अस्यायित्व प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को उलट देते और भविनायकतन्त्र की स्थापना के मार्ग की रचना कर रहा है। मैंने कान्स की राजनीतिक मवास्था का पूर्ण रूप से दिवरण वह सिद्ध करने हेतु दिया है कि यदि हम समझते हैं कि शक्तिशाली विरोधो पक्ष को रचना करने में असफल होते हो तो हमारे सासदीय प्रजातन्त्र का भविष्य भी कान्स को तरह घन्थवारमय हो जायेगा। इस भविष्य को नुष्ठारने का प्रयत्न करना हा राष्ट्र का सबसे भविक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

राजनीतिक दलों का प्रजातन्त्र में महत्व एवं स्थान

प्रदिशीय आधुनिक राजनीतिक गम्भाओं की ही भाँति राजनीतिक दलों को दर्शति भी थे ट्रिंटन में हूँ। त्रिंटन इसी प्रक्षेपण में भगवान्नी भगवान्नी के मध्य में गजा और ममद के मध्ये के फैलवन्त उत्तराम हुए थे। मारा त्रिंटन उम मध्य दो भागों से विभक्त हो गया था। एक तो वह जो कि गजा के पश्च में था, त्रिंटन (Royalists) कहते हैं और दूसरा वह जो कि समद के पश्च में था, त्रिंटन राजन्त्र हैं। १६०० के लगभग ग्रीष्मिकी ने अपना नाम परिवर्तित करके टोरी दल का अपना नाम राजन्त्र हैं ते विग का। १६०३ के लगभग उन्होंने पूर्वः यहाँ नाम में परिवर्तित किया और अब टोरीरों का नाम कल्कारेटिव या अनुदार दल पड़ा और विद्यु का उदार दल पड़ा। यद्यपि यह राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध थे, इनमें आमतौर पर शक्ति के तिरु मध्ये भी था तिर भी दलों मध्य में हूँ। ऐसे भास्त्रात्मक विद्वान्त भी थे जिन्हें हिंदू दीनों महामन भी थे। वे दोनों इस विद्वान्त में पूर्णतया महमन थे कि त्रिंटन में गृह गृह नहीं होना चाहिए। यह दोनों भास्त्र का एक महत्वपूर्ण विद्वान्त है जिसको को “विभिन्नता के तिरु महमन होना चाहिए।” इनमें इनकी महत्वात्मना भी होनी चाहिए जिसे दीनों एक दूसरे को महत कर में और गाय की मूलदून ममध्यांगों पर महूरोंग कर महते।

इसी भी प्रशान्तरीय भास्त्र अद्वान्ता में दल आवश्यक है। दल और ममद एवं दूसरे में सम्बन्धित है विशेषज्ञः भास्त्र की भास्त्रीय पद्धति में। प्रशान्तरीय में इनों दो दूसरे दोनों ममदातांगों को चुनाव का अवसर प्रदान करता है—विभिन्न दम्भीदवारों एवं विभिन्न भास्त्रियों के मध्य में चुनाव। प्रो॰ बार्कर के मतानुसार—

“भास्त्रिय दो ‘चुनाव’ प्रदानन्त्र दो प्राप्तार नहूँ जड़ है। यदि मैं चुन मृक्षा नों चुनाव दो मन्त्रान्त्र होनी चाहिए। एक मन्त्रान्त्र भास्त्र के तिरु प्रो॰

युनाय वी स्वातंत्र्य के लिए मेरे समझ विभिन्न चुनाव होने पाहिए। ये विभिन्न चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे।"

दल निश्चित रूप से चुनाव मतदातामों के समझ रखते हैं, और इससे मतदातामों के लिए चुनाय सरल हो जाता है। यही प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का गुप्त भेद है। प्रजातंत्र आवश्यक रूप से बाद-विवाद द्वारा सञ्चालित जारी है। जो चुनाव मतदातामों के समझ प्रयुक्त हिये जाते हैं उन पर सार्वजनिक बाद-विवाद आवश्यक है ताकि सामर्थ्य मतदाता किसी भी सार्वजनिक समस्या के पक्ष और विषय से पूर्णत परिचित हो जाय। यह सार्वजनिक बाद-विवाद-विभिन्न-दलों द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि उनकी ही मतदातामों को अपने हृष्टिकोण से गहमत कराने में आवश्यक राजनीतिश हित है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र को सञ्चुलन भी प्रदान करते हैं। यदि हम जिस दल के हाथ में राज्य का जारी है उससे उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार चाहते हैं तो एक शक्तिशाली और गुप्तगठित विरोधी दल आवश्यक है।

इसलिए किसी भी प्रजातंत्र में राजनीतिक दल की मुख्य पार्टी बरते हैं। उनका नेतृत्व कार्य है—नागरिकों को चुनाव का अवसर प्रदान करना, उनका बोद्धा कार्य है—राष्ट्रव्यापी बाद-विवाद में सभा मतदातामों को राजनीतिक शिक्षा में भाग लेना और उनका तृतीय कार्य है—सारादीप प्रजातंत्र को सञ्चुलन प्रदान करना।

राजनीतिक दलों का योग्यकरण हम उनकी गुणाव प्रगति से विरुद्धीरोग से प्राप्तार पर कर सकते हैं। वे सब दा जो कि प्रगति की पड़ी को उत्तरांचल चाहते हैं, जो कि विद्युती यहानतामों की प्रशस्ता करते हैं, और जो इतिहास के बीते हुए किसी स्वर्ण युग की तुलना की वस्तुवा करते हैं उन सब को हम प्रतिवियावादी वह सकते हैं। यह दल प्रत्येक नवीन वस्तु का विचार परते हैं और उन सबकी प्रशस्ता करते हैं जो कि परम्परा द्वारा निश्चित है। इसी प्राचीन वस्तु को इतनिए नहीं परावर्द्ध करते कि वह मच्छी है या उसमें कोई मूलभूत गत्यतामें निहित है किन्तु केवल इतनिए कि वे प्राचीन हैं। दूसरे राजनीतिक दल वे हैं जिनमें गुणारों के प्रति विरोधी हृष्टिकोण है। वे नवीन आदर्शों एवं पद्धतियों पर पर्याप्त मही करते हैं। वे न तो भविष्य की ओर बढ़ाना चाहते हैं और न ~~पूर्णरूपी~~ तत्त्व के स्वरूप ही देते हैं। वे जो कुछ हैं और जो होता आया है उसी ~~पूर्णरूपी~~ रूपते हैं और उनी को परते लिए सबसे मुरक्कित भागं समझते हैं। वे प्रत्येक गुणार और नहीं वस्तु को सदेहारणक हृष्टि से देते हैं। ऐसे दलों को हम मनुरूप दल कहो हैं। तृतीय वे राजनीतिक दल हैं जो कि मार्ग बदला चाहते हैं और जो प्रगति से गहानुभूति रखते हैं। वे सब विचारों एवं नवीन संस्थामों का विरोध नहीं करते। वे ~~पूर्णरूपी~~ रहते हैं।

नहीं चलते कि प्रत्येक नवीन वस्तु दुरी है। उनका नवीन वस्तुओं के प्रति हास्टिरोण मावधानों परंपरा परीक्षा वरक्ष ग्रानांते वा है। वे प्रत्येक नवीन विचार का पहले विशेषण वरना चाहते हैं और यदि वह अच्छा है तो उसे प्रयनात है और यदि उसके द्वारा समाज की किसी प्रकार में हानि की पा अध्यवस्था की समाजता होती है तो वे उसे प्रस्तोतार कर देते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को हम उदार-इन नह मानते हैं। उन्हें वे राजनीतिक दल हैं जो कि प्रत्येक प्राचीन एवं परम्परा द्वारा स्वीकृत वस्तुओं का विनाश चाहते हैं। भविष्य के सम्बन्ध में उनके पाम न तो कोई रचनात्मक कार्य-जग ही होता है और न उसको वे आवश्यकता ही ममते हैं। उनका पुणी व्यवस्था का नष्ट करने में अधिक विश्वास है और उनका यह विचार है कि भविष्य प्रयनी विन्यास इष्य घटन याप करेगा। इस राजनीतिक दलों को हम उप्र मुपारवादी दल बहते हैं।

बर्तमान शानाच्छा के प्राचीक वादों न राजनीतिक व सास्थितिक वादों पर पूर्ण-तया वित्त प्राप्त वा है थोर हम उन्हें शानाच्छा के सर्वसे महत्वपूर्ण वाद वह समझते हैं। प्रत्येक ग्रन्थ के लिए यह प्राप्त है कि वह स्वप्र प्राचीक नीतियों की प्रवर्तनापूर्ण यह भी आवश्यक है कि वह इनी सीमा नह आविष्ट द्वितीय में हम्मीदों करे। इसीप्रिये प्राचीक दोनों में राज्य के शासी रो निरन्तर बूढ़ी होती जा रही है। तेजी परिवर्तनियों के स्वामानिक है कि राजनीतिक दलों की सीमा आविष्ट नीतियों प्रयनानी होती थी और उनका वर्णन उन्हें उन्हीं प्राचीक नीतियों के पाठ्यार पर हो हो सकेगा। मुख्य प्राचीक प्राप्त राजनीतिक दलों के मध्य में राज्य व उत्तरादन और विनाश के दोनों की समाप्तियों के सम्बन्ध में मतभेद है।

प्राचीक आवारो न प्रोर दूसरे यमन्त्र आवारों को पुरातन कर दिया है, और प्रधिकार आधुनिक दलों ने यमान्त्रवादी या याम्यवादी वाक्यप्रम दो प्रयनाया है। हम उ। दलों की समाजवादी दल वह मत है जो कि राज्य को उत्तरादन के माध्यन्ते पर स्वामिन्व और ग्राम व द्वारा राष्ट्र के प्राचीक जीवन पर सामाज्य नियवस्तु में विश्वास करते हैं, और याम्यवादी दल उन्हें वह मत है जो कि उत्तरादन एवं विनाश पर राज्य द्वारा पूर्ण नियवस्तु चाहते हैं और जिनी मणिति की याम्य पर प्रत्यधिक प्रतिबन्ध लगाते हैं।

हुद्दे देनों से राष्ट्रीय दल भी होते हैं। यह गल्टीय दल यापारगत: उन देशों में पाए जाते हैं जो कि परन्तु या जिनमें एक से अधिक राष्ट्र है। राष्ट्रीय दल उम मन्य भी उत्तरान्त हो जाते हैं जबकि राष्ट्र वा प्रस्तुति वाल्य आक्रमण के बहुत में होता है और उम मन्य उनका द्वेष्य राष्ट्र की यमन्त्र जनता से राष्ट्र की रक्त हेतु मराठित करना चाहता है। व आविष्ट और राजनीतिक आवारों की परेशानत राष्ट्रीय एवं उनकी आवश्यकता एवं यमन्त्रित दो प्राचीक महत्व देते हैं। ऐसा नी होता पाया

है कि अधिक बात बोतने पर यह दल अपने प्राप्त को राष्ट्र का एक मात्र प्रतिनिधि समझते हैं। उनका हिंटरोए दीय—अधिनायकत्व भी और प्रभाग होता जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास इस सत्य का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

कुछ देशों में धर्म एवं आधार और भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। पश्चिमी योरोप तथा राजनीति। हिंट में पिछड़े हए कई गांटों में ऐसे दल पाए जाते हैं जिनका आधार कैथोलिक धर्म है और जिनका उद्देश्य रोमन कैथोलिक अधिकारों एवं मिदान्तों की रक्षा एवं विस्तार है। उनको हम 'क्लेरिकल दल' कहते हैं और कही कही पर 'मन्टर दल' भी कहते हैं, क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में संतुलन रखते हैं।

पिछड़े हुए राष्ट्रों में किसी विशेष धर्म के विस्तार एवं रक्षा के लिए भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप मुस्लिम लोग या हिन्दू महासभा आदि। ऐसे दल स्वभावत ही प्रतिक्रियावादी होते हैं। यह ग्रात्यधिक विवाद-प्रस्त विषय है कि धर्म और राजनीति का सम्बन्ध हाना चाहिए या नहीं अथवा धार्मिक दल होने चाहिए या नहीं। प्रायः पश्चिमी योरोप के 'क्लेरिकल' और 'सेन्टर' दलों वा अधित्त्व और उपयोग ऐसे दलों के सम्बन्ध में एक तरफ़ हमारे समक्ष रखा जाता है। यहाँ तक कि प्रो० बांकेर का भी यह मत है कि ऐसे दल उपयोगी हैं क्योंकि ये राजनीति को स्थायित्व एवं संतुलन देते हैं। किन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि ऐसे दल स्वभावत ही सभीरं मनोवृत्ति और प्रतिक्रियावादी नीति के होते हैं। वे धर्म के नाम पर बहुत से आबश्यक सुधारों का भी विरोध करते हैं और बहुत से स्थानों पर (जैसे कि भारत) के राजनीति में कटूसता लाते हैं। राजनीति में समुदाय सम्प्रदायवाद को जन्म देते हैं और राष्ट्र की विरोधी धार्मिक समूहों में विभाजित करते हैं। वे राष्ट्र में फूट और धार्मिक सघर्ष को जन्म देते हैं। भारत में हमें ऐसे दलों के दूषित प्रभावों का यथेष्ट अनुभव है और कम से कम कोई भी भारतीय किसी भी प्रजातन्त्रीय समाज के लिए धर्म को राजनीतिक दलों का सही आधार नहीं मान सकता है। राजनीतिक दलों के इन आधारों और कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस स्थिति में भाते हैं कि हम राजनीतिक दलों की परिभाषा करें। कोडेरिक के मतानुसार राजनीतिक दलों की परिभाषा इस प्रकार है—

"मानव अक्तियों का वह समुदाय, जो कि स्थाई रूप से जातन का नियन्त्रण अपने नेताओं के लिए प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए स्थाई रूप से संगठित है और उसका माम उद्देश्य है कि ऐसे नियन्त्रण द्वारा अपने दल के सदस्यों को आदर्श भौतिक लाभ और उनके हित प्रदान किये जायें।"

(संवेदानिक सरकार एवं प्रजातन्त्र पृ० ३०४)

द्रुतम् के मतानुसार राजनीतिक दल को परिभाषा द्रम प्रकार है—

“व्यक्तियों व्यवहा व्यक्ति के समूहों का वह स्वेच्छित् समृद्धि है जिसका कि प्रत्ययिक विशिष्ट कर्त्तव्य अपने कुछ नेताओं को मार्यन्त्रिक पद के लिए मतोनीत करना है और उनको इनके प्राप्त करने के प्रयत्नों में सहयोग देना है। यह गदैव पुण्य सिद्धान्तों एव नीतिश का विशिष्ट समर्थन करता है और उन्हें शामन के मामान्य कार्यन्त्रम् के लिये दूसरों से श्रेष्ठ बताता है और पह मानता है कि इन सिद्धान्तों प्रोटनीतियों को प्राप्त करने के लिए यबसे शीघ्र पद्धति उसके मतोनीत उभीदिवारों का निर्वाचन है।”

(राजनीतिक दल एव निर्वाचन समस्याएँ पृ० १४)

हरपंत फाइनर के मतानुसार—

“राजनीतिक दलों के दायीं के दो मुख्य पक्ष हैं, (१) निर्वाचक समृद्धि वा बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से साझन, (२) प्रतिनिधि और निर्वाचन दोनों के मध्य में भिन्नता और उत्तरदायित्व पूर्ण सम्बन्ध एक निर्वाचन और दूसरे निर्वाचन के बीच में बनाए रखना है। यद् यदान रखने योग्य है कि निर्वाचने प्रच्छेद प्रकार से ये कार्य पूरे होंगे उनका ही राजनीतिक नेताओं प्रोट जनना के बीच में एकीकरण प्राप्त होने के निष्ट होगा।”

(पार्षुतिक शरकारों के सिद्धान्त एव अवहार पृ० २३७)

विनु ये रायं जिनको कि फाइनर इनका महत्वपूर्ण समझता है, कदाचित् ही राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ण किये जाने हैं। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिनिधित्व शामन एक प्रादर्श शामन अवश्य का रूप ले लेगा और तब हमें न तो इन प्रत्यक्ष शामन प्रणाली की जगमत निर्देश एव प्रबल्लिक प्रादि विधियों की प्रयोगना आवश्यक होगा और न १६३६ के सोवियत संविधान के १४२ वें अनुच्छेद के अनुसार प्रतिनिधियों के प्रत्याहान के सम्बन्ध में कोई अनुच्छेद संविधान से रखना आवश्यक होगा।

“प्रत्येक प्रतिनिधि वा यह वर्तीय होता कि वह निर्वाचकों द्वारा प्रपने दाये ही और अमिन प्रतिनिधियों के सोवियत के कायों की सूचना देगा और उसकी हिसी भी समय प्रत्याहान शान्त द्वाग निर्वाचकों के बहुमत के निर्णय के अनुसार निया जा सकता है।”

(१६३६ का सोवियत संविधान, अनुच्छेद १४२)

चाहे हम संदानित्व दृष्टि से राजनीतिक दलों के दायीं और उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुछ भी माना जाए विनु यह बत जो कि उनके अवहारिक कार्यन्त्रम् पद्धति के प्रत्ययन से स्पष्ट रूप में निष्ट होती है कि दलीय-राजनीति और राजनीतिक दलों का उद्देश्य धार्म-कूतायों में राज्य की सत्ता को प्राप्त करना है और उनके समस्त

कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं। उनका सगठन एवं उनके सदस्यों पर नियन्त्रण व अनुशासन में वर्तमान शताव्दियों में वृद्धि हो रही है और अधिकार दलों को हम अत्यधिक सुसंगठित तथा किसी सीमा तक संन्योक्त भी पाते हैं और प्राप्तः असहाय सदस्य दल की कार्य पद्धति प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नहीं के बराबर पाते हैं। दलों के सदस्यों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग में वे सत्रिय कार्यकर्ता और अपना पूर्ण समय देने वाले सदस्य हैं और जब कभी दल निर्वाचन में सफल होता है तब वे ही दल शासन के अधिकाश पक्षों को पाते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या सीमित होती है। ऐसे सदस्यों में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं—नेता और उनके अनुगामी। पदों की प्राप्ति के लिये नेता ही सबसे आगे हैं। दलों का यह भाग अधिकाश देशों में पश्चिम राजनीतिज्ञ जिन्होंने कि राजनीति को अपना व्यवसाय बना लिया होता है, द्वारा भरा हुआ होता है। वे सदा सत्ता को प्राप्त करने के प्रयत्न में रहते हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये वे किसी भी प्रकार के साधनों को प्रयोग में लाने में नहीं हिचकते। ऐसे ही व्यक्तियों के अनैतिक कार्यों ने जनता के मस्तिष्क में 'राजनीति' शब्द को इतना दूषित कर दिया है।

द्वितीय सदस्य वे हैं जो कि दल का चन्दा देते हैं उसकी सभाओं में सम्मिलित होते हैं और साधारणता उसकी नीति और कार्य-क्रम का समर्थन करते हैं। यद्यपि यह निष्ठिय सदस्य हैं जिन्हुंने निर्वाचन के समय पर इनके मतों पर दल निर्भर रह सकता है। यह साधारणता: दल के भीनर क्या हो रहा है, इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते और दल के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। दल के इसी भाग से ठोस सहायता और आधिक साधन प्राप्त होते हैं।

तीसरे सदस्य वे हैं जिनको कि हम दल से सहानुभूति रखने वाले कह सकते हैं। उनकी संख्या और अस्तित्व को हम पूर्णतः निश्चित नहीं कर सकते। उनके मतों पर निर्भर नहीं किया जा सकता किन्तु उन्हीं के मतों द्वारा बहुधा चुनाव का निर्णय होता है। उनको प्रचार के द्वारा सरलता से प्रभावित किया जा सकता है और इसलिये राजनीतिक दलों का अधिकाश कार्य-क्रम ऐस ही मतदाताओं को अपनी ओर करने के उद्देश्य से होता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और मतदाताओं की संख्या में आधुनिक कास में कई गुना वृद्धि हुई है। जनता तक पहुँचने के साधन भी अत्यधिक महंगे हो गए हैं और वे किसी भी साधारण व्यक्ति की पहुँच के भीतर नहीं हैं। यदि कोई साधारण स्थिति का व्यक्ति राजनीतिक जीवन में पदार्पण करना चाहता है, चुनाव में निर्वाचित होना या पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे दल की सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। दल का अपना राष्ट्र व्यक्ति सगठन भनुमती कार्यकर्ता, स्वयं सेवक दल, जनता तक

पूर्वों के माध्यम गैरों कि पुड़ना। इह पार और बुद्ध देखों में तो रेटिंग इयादि होते हैं। इनके पाम में मात्रायान के माध्यम, शारीरिक, यथेष्ट यनरागि—जो कि इसके मदस्यों ने अनेंगे प्रथमा दगांग गहानुभूति गैरों वाले व्यक्तियों एवं गम्भीरों के दान गे और जिनके हिस्सों वी पह रक्षा बरता है, उनके प्रमुदानों से—ऐसे गहायक सापन भी प्राप्त हैं और गर्वने मरण्वपूर्ण दगारा माध्यम इसके राष्ट्रीय नीता है जो जनता वी हृष्टि में यथेष्ट महस्त रखते हैं और जिनका जनाना पार यथेष्ट प्रभाव है पह तय माध्यम उन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाने हैं तो कि इन में गम्भीरतित हो। अर इसके निर्देशों नीतियों एवं कायं-नम पालन करते का तत्पर हो। इन द्वारा मनोनीत मदस्यों के निर्गुणित व्यक्ति में वन त्यय हो गा है और यह जनता वी पागा भी प्रधिक रहती है। दूसरी ओर इनीं भी म्वनन्त्र उम्मादगार की पह मर माध्यम स्वप्न ही प्रवर्ण करना पटका है और पह इसी भी माध्यमिति के व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। इनसिए बहुत गे मदस्यों के गम्भीर या तो राजनीतिक जीवन को त्यागना प्रथमा दल के निर्देशों का पालन बरतने के प्रतिरिक्ष और कोई मार्ग भी नहीं है। इन तथ्य की राजनीतिक दलों के गचालनार्थी पूर्णत गम्भीर है और इससे ये प्रमुदानों पालन कराने में पूर्णत माम बढ़ात है। प्रधिनायक दल परने हृष्टिकांगु एवं सगड़ों में गम्भीरतान्वीष्ट होते हैं। स्वतन्त्र विचार और म्वनन्त्र विश्वेषण की दल के नेता जो तो पक्षन्द ही करते हैं और न ऐसे सदस्यों को व दल म रखने के पक्ष में ही हैं। ऐसा हृष्टिकांगु प्रतावन के लिए प्रत्यक्ष ही हानिकारक है।

यह तथ्य लक्षण फ्रिल्ट पा गम्भीरादि प्रधिनायकतान्वीय दलों में और भी गम्भीर विस्तृत हुए में पाए जाने हैं। फाइनर के मनानुसार—

गम्भीरतान्वीय दलों के हकारों एवं लागों सदस्य दलीय कायं-नम को प्राप्त होते हैं तथा उसको समझते हैं और ऐसा एवं बहुराता पूर्वक चाहते हैं। दलीय सदस्यता में एकत्र और गति बनाए रखने के लिये दो ढंग पाम में साए जाते हैं। प्रथम—तो निरन्तर भावनारम्भ, धीरचारिक और उत्तमों के दण की पद्धतियों तथा प्रस्तावों, जो कि दलीय गदहस्यता के ग्राम महत्व की बृद्धि बरतने के हेतु होते हैं। वे ऐसी भावनामों और व्यापारमक तत्वों को उत्पन्न करते हैं तथा एक महान् गम्भीर हृष्टि गम्भीर वी गदहस्यता की भावतरुक्ति यथा देने हैं और पह तथ विवेदारमक प्राप्तेवा के भाष में होते हैं। एकीकरण प्राप्त करने हेतु दूसरा तत्व यद्यपि पूर्णतः विश्वास हो नहीं है जिन्हें गम्भीरतान्वीय दलों के हाय में गम्भीर पदों एवं सूट (Spoils) के वितरण की व्यक्ति है “““ समस्त पद, समस्त पर्याय, समस्त व्यवसाय और यामात्रिक महस्त के समस्त चिह्न गम्भीरतान्वीय दलों के द्वारा भेद हिये जा सकते हैं और दल

के सदस्य इस वितरण में तथा समाज में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवश्यक रूप से सर्व प्रथम आते हैं।'

(आधुनिक सरकारे ३०६-१०)

अधिनायकतन्त्रीय दलों के यह लक्षण विसी सीमा तक प्रजातन्त्रीय दलों में भी पाए जाते हैं। चुनाव को जीतने और अपने सदस्यों में एकीकरण बनाए रखने के लिए प्रजातन्त्रीय दलों को भी सेव्यीकरण स्थापित करना होता है।

राजनीतिक दल प्रजातन्त्रीय समाज के इतने महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं कि वे दूसरी संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं। प्रत्येक सासदीय प्रजातन्त्र में चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं—दल निर्वाचक मण्डल, संसद और मन्त्री-परिषद्। यह तत्व एक दूसरे को सन्तुलित करते हैं और इनको एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की लालसा का नियन्त्रण करना चाहिए। इन्हें अपने ही क्षेत्र में तथा अपने ही कार्यों को करने में सतुष्ट रहना चाहिए, तभी मासदीय प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य वर सकता है। वर्तमान समय में हम वह पाते हैं कि राजनीतिक दल इन दूसरे तत्वों के कार्यों में साधारणतः हस्तक्षेप वरता है। प्रो॰ बाकर के शब्दों में—

"वह तथ्य जो कि विशेषत दूसरे तत्वों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रलोभन रखता है, दल है। यह सत्य है कि निर्वाचक मण्डल को अपनी सीमाओं के प्रतिक्रियमण्डण का प्रलोभन हो जाय और वह संसद पर आदेशात्मक निर्देश लगाने का प्रयत्न करे। यह भी सत्य है कि संसद को इस बात का प्रलोभन हो कि वह एक और निर्वाचक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करे और दूसरी और कार्यकारिणी पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करे। यह भी सत्य है कि कार्यकारिणी स्वयं भी इस प्रलोभन में आ जाय और संसद की परामर्श दाता, मार्ग प्रदाशक और नेता होने की जगह स्वामी बनने का प्रयत्न करे किन्तु वह तथ्य जो कि विशेषत अन्य तीनों पर आधिपत्य जमा सकता है वह दल का तत्व है!"

राजनीतिक दलों के आकार एवं महत्व में आशचर्यजनक बढ़ि हुई है और इस तथ्य पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। यह प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध भी है। निर्वाचक मण्डल के आकार में बढ़ि और निरग्नता बढ़ती हुई पेशेवर राजनीतिज्ञों की सह्या इन दोनों कारणों के फलस्वरूप दल वा महत्व बढ़ता जाता है। यदि हमें अपनी प्रजातन्त्रीय पद्धति को रक्षा करनी है तो दल के अन्त वी दृढ़ि पर प्रतिक्रिय लगाने होंगे। प्रो॰ बाकर का इस सम्बन्ध में कथन है—

".... दल एक प्रापार वा अपने ग्राम में साध्य हो जाता है—राजनीति का आदि और अन्त हो जाता है। यह हमारे लिए जो कि साधारण नागरिक है

मोर भी अधिक सावश्यक है कि इस प्रवृत्ति वा विरोध परे दस प्रपने आग में साध्य नहीं है। मह सम्मूण्डे रासादीय प्रजातन्त्रीय पद्धति बारक साधन प्रथम यन्त्र है…… “वह व्यक्ति जो कि गांधीय प्रजातन्त्र में विश्वास रखता है, दस का राष्ट्रीय प्रथम होगा वर्योरि दल इस पद्धति के लिये आवश्यक है। इन्तु उसे प्रपने आपको मोर प्रपनी निर्णायिक बुद्धि को पूर्णतः अपने दल के प्राधीन नहीं कर देना चाहिए। उसे चुनाव की स्वतन्त्रता रखनी चाहिए कि दस सम्मूण्डे प्रजातन्त्रीय पद्धति नहीं है, इन्तु उसका वेबल एक घोषाई भाग है।”

प्रजातन्त्र के सफलता पूर्ण वायं करने के लिये एक से अधिक दसों वा होता प्रावश्यक है मोर प्राप्त: यह इसे सहमत है कि दो दल प्रजातन्त्र के लिये आदान स्वरूप है। वेबल एक दल प्रजातन्त्र के लिये उपयुक्त नहीं है मोर न यह प्रजातन्त्रीय सरकारी के बायों को कर सकता है। याकंर गहता है—

“………वेबल एक दल वाद-विवाद द्वारा शासन पद्धति के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। यदि एक ही प्रश्न होगा मोर इस पर एक ही वायं-ज्ञम निर्णयित होगा तो वाद-विवाद वा मन्त्र एवं दस ही जायगा ……दल में प्रपने आप वाद-विवाद वा मन्त्र ही जायगा।”

(शासन पर विचार पृ० ३६)

प्राप्त इस सम्बन्ध में उन्होंने यहा है कि वेबल एक दल—

“……… प्रपने सदस्यों में विसी प्रसार का वाद-विवाद करा सकता इन्तु यह उसके लियान्तों से लीमित होगा मोर उसे द्वारा निर्णयित शतों पर होगा। इन्तु दस राष्ट्रीय वाद-विवाद वा एक गच्छा अस्त नहीं है मोर न यह विसी राष्ट्रीय वाद-विवाद के सामान्य प्रथमध्ययन वा जिसमें कि इसके राष्ट्र-राष्ट्र दूसरे प्रय भी हैं, वा यह प्रय हो सकता है।”

(ई. याकंर शासन पर विचार पृ० २५५)

लीय शासन पद्धति प्रपने समर्त दोषों एवं पूर्णता के संक्षाहृत एक प्रावश्यक दोष है। हम इसके बिना वायं नहीं कर सकते। इसके बिना प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति नहीं संसार्द्ध जा सकती। यह योग्यतीय प्रजातन्त्र को वायं रूप में परिणत करने के लिये एक प्रावश्यकता है। शाइमने प्रजातन्त्र में राजनीतिक दसों की प्रावश्यकता के लिए विचार है—

“विसी ने यह नहीं बताया है कि प्रजातन्त्रीय शासन को उन्हें बिना कैसे बताया जा सकता है।”

(सामुनिक प्रजातन्त्र भाग १ पृ० १३०)

दलीय शासन की अपेक्षा दूसरा चुनाव अधिनायकतम्भीय हो सकता है। इस चुनाव को करने से हमें समस्त प्रजातन्त्रीय चुनावों को छोड़ना होगा। हम इसलिए प्रो० साल्स्की से सहमत हैं कि—

“सत्य तो यह है कि दलीय शासन के स्थान पर दूसरा कोई आधुनिक ग्राम्यकार के किसी भी राज्य में अधिनायकतम्भी के प्रतिरिक्त कोई चुनाव भी नहीं है।”
(इंगलैंड में सांसदीय शासन पृ० ६६)

इस दशा में हमें इस आवश्यक दोष को स्वीकार करना ही होगा। अधिक से अधिक हम यह आशा कर सकते हैं कि एक शिक्षित, और चेतनशील निर्वाचिक मण्डल दलीय शासन के इन दोषों को कम करने का प्रयत्न करेगी। प्रत्येक आधुनिक समाज में विभिन्न आर्थिक हितों वाले विभिन्न समूह होते हैं और यह समूह सरकार से अपने आर्थिक हितों की रक्खा हेतु समर्थन भी होते हैं। यद्यपि इनका समर्थन न तो खुले रूप से होता है और न एक साधारण पर्यवेक्षक को हिटिंगोचर ही होता है। किन्तु फिर भी एक ही प्रकार के हित वाले लोग दबाव डालने वाले समूहों (Pressure groups) में एकत्रित होते हैं। कुशल प्रचारकों की सहायता से वे एक और जनता को अपनी योजनाओं एवं नीतियों के पक्ष में करना चाहते हैं तथा दूसरी ओर वे व्यवस्थापिकाओं एवं राष्ट्रीय संसदों के अपने पक्ष में बरता चाहते हैं। विजियम एसन ने इनके सम्बन्ध में कहा है—

“..... यह हमारी राजनीति की नई लक्षिया जन-भावना को समर्थित, निर्देशित और सम्प्रयात्मक रूप देती है और अमेरिकन राजनीति के बहुत से लेखकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। किन्तु वास्तव में इन नयी शक्तियों ने हमारे राजनीतिक जीवन में प्रायः मूलभूत परिवर्तन किए हैं। संविधान में कांग्रेस को महत्व, किसी सीमा तक कार्यकारिणी और उसके द्वारा न्यायालयों में परिवर्तन जनभत के इन अस्त्रों से अधिक नहीं किया है।”

इन दबाव डालने वाले समूहों की संख्या में गत चालीस या पचास वर्षों में घटेष्ट वृद्धि हुई है। इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रो० के का कथन है—

“इनके द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य की आवश्यकता आशिन रूप से इसलिए पढ़ी वयोंकि अधिक से अधिक सामाजिक विभिन्नता के कारण भौगोलिक प्रतिनिधित्व में अपूर्णता रहती थी। जब तक किसी विशेष कांग्रेस के निर्वाचिक सेत्र की जनता किसी एक ही प्रकार का व्यवसाय करेगी। उदाहरण स्वरूप ऐसी और कृषि से सम्बन्धित घन्थे, तो उस निर्वाचित सेत्र का प्रतिनिधि, उनके हितों का प्रतिनिधित्व वर सकेगा जब उनके निर्वाचित सेत्र के हितों में अत्यधिक भिन्नता आ जायगी तो उसे अस्त्यन्त सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा अन्यथा

उसके प्राप्ति नियोगिता दोष के । जो महत्वपूर्ण भाग से गवाहा उत्पन्न न हो जाय। इसका यह परिणाम होता है कि उसके नियोगिता दोष के महत्वपूर्ण भाग में वीक्षण या राज्य की अवश्यकिता गभा में उचित प्राप्ति ने प्रतिनिधित्व नहीं होगा। हमारे समाज में विजिट्रीकरण की नियत बदल ने एक भोगोत्तिक दोष में चुने हुये पायी को अत्यन्त ही बड़िन बना दिया है। विशेष हितों की गणित होना पढ़ा है जोने । फिर नीति नियां। गवाह, जो आपने याने आदि अन्य हितों के साथों वे ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिये जो कि उनके हितों की सखार और जनता के समक्ष अधिकार पूर्वक रख सकें।"

(जननीतिक दल द्वारा द्वाव दालने याने समूह पृ० २०२)

इन द्वाव दालने याने समूहों के उदय होने से अवश्यकिका समा एवं राजनीतिक दल दोनों पर ही गमान हप से प्रभाव पढ़ा है। इन दोनों को ही उपर ध्यान देना होता है और इनके नियंत्रण उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव दालने वाले समूह अवश्यकात्मकों को प्रभावित करने करने वाले जनिशात्मी समूह (Powerful lobbies) हैं। इनके पास जनता तक पहुँचने के सापन भी होते हैं, विशेषतः प्रेस और समाचार पत्र। उनके पास में येष्ट पन राजि होती है और जिसका उपयोग वे उन दलों नेताओं को समीक्षण करने वाले साते हैं जो । फिरने के लिए तैयार हैं। यद्योपि में यह जननीतिक दलों और अवश्यकात्मकों की नीति को बहुत अधिक मीमा तक नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं।

ये द्वाव दालने वाले समूह या तो अवश्यकिका में अपने विशेष हितों की रक्खा हेतु आवश्यक वानूओं का निर्माण चाहते हैं या अपने हितों को हानि पहुँचाने याते कानूनों व नियमित को गोड़ा चाढ़ते हैं। इनमें से जो अपने हाइटकोल में अनुदार है वे सब उन पानुओं का दिरीध करते हैं एवं उन्हें गोड़ा कानून हैं जो कि वर्गों के विशेष अधिकारों पर आप्रसाद बरतते हैं या जो नवीन गुप्तारों के हेतु होने हैं या जो उनके विशेष हितों को प्रभावित करते हैं। उनमें से जो उदार या उप्र हाइटकोल के होते हैं वे ऐसे प्रत्येक वानून के पढ़ा में होते हैं जो फिर वहों के विशेष अधिकारों एवं हितों का घन्त बरतते हैं। सी० एम० मेलन, जो फि १९१८ में अब हैवन और हाटं फोटं रेलवे कानूनों के आधार से, ने अपने द्वाव दालने वाले समूह के सम्बन्ध में यहा या—

"हम नवीन वानूओं का निर्माण नहीं चाहते हैं.....हम बहुत अच्छी तरह से प्रयत्ना काम करते हैं, यदि हमें अपने आप पर लोट दिया जाय, हम दूसरे के प्रति जो करना चाहते हैं वह इनका आवश्यक नहीं है जिनमा फि दूसरा हमारे प्रति जो करना चाहता है उसको गोड़ा।"

डा० जैलर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि दबाव डालने वाले समूहों का मुख्य उद्देश्य—

“कानूनों के निर्माण की घोषका उनमें वाधा डालना है। सामाजिक कानूनों वो जहाँ तक हो सके स्थगित बरना या निर्वंत बना देना है और इस तरह उद्योगों के लिए जितना घन सभव हो सके उतना बचाना। यद्यपि यह अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता।”

(न्यूयार्क में दबाव राजनीति पृ० ५५)

इसलिए इन दबाव डालने वाले समूहों का मुख्य कार्य नितिक्रिय है और इनका मुख्य उद्देश्य घपने विशिष्ट हितों की प्रत्येक हस्तधेष से रक्षा करना है। इन दबाव डालने वाले समूहों से जनता साधारणता, धूएं करती है व्योकि ये घपने उद्देश्यों की पूति के लिए ग्रनीतिक साधन भी घपनाते हैं। समुक्त राष्ट्र ग्रमरीका में यह दबाव डालने वाले समूह खुले भ्राम कार्य करते हैं और व्यावारियों से सचालित उग्र प्रजातत्र के वे एक मुख्य घण्ठ हैं। हैरिझॉन ने इस सम्बन्ध में कहा है—

“वे खुले रूप से कार्य करते हैं और उनको कुछ भी छिपाना नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें कैसे (घपने उद्देश्य) प्राप्त करने हैं बड़े संगठित गमूह जो कि राजधानी में घपने प्रघान कार्यात्मक इतनी अधिक साधा में रहते हैं वर्तमान की व्यवस्थापिका पर प्रभाव डालने वाले समूह (Lobby) हैं। वे ‘कौप्रेस के तृतीय सदन’ सहायक शासक, और ‘प्रहृष्ट सरकारे हैं।’

(कौप्रेस के हासक्ष समूह प्रतिनिधित्व पृ० ३१)

वास्तव में वे राजनीतिक दलों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। साम्यवाद और दूसरे सर्वाधिकारी राजनीतिक पद्धतियों के उदय होने से प्रजातशीय देशों में भी राजनीतिक दलों के संगठनों पर यथेष्ठ प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक दलों ने ग्रनुडासन बनाये रखने, दलीय सदस्यों के विचार नियन्त्रण, प्रचार की मनोवैज्ञानिक पद्धतियों तथा जनमत पर लकियाली दबाव, भय एवं शातक उत्पन्न करने जनता के ध्यान को आमतरिक समस्याओं से बेदेशिक समस्याओं की ओर धारपित करना, विमी भी प्रकार के प्रति असहिष्णुता यह सब उन्होंने अधिनायकतात्त्वीय ग्रामनों से हीमे हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में कासिस्टवादी नाजी अधिनायकतत्त्व से जानि वी शुद्धता के सिद्धान्त को भी घपनाया है। यह सब प्रजातत्त्व के सिद्धान्तों की विरोधी वस्तुएँ हैं। इन सबसे प्रजातत्त्व के अविद्य की रक्षा करना भावशयक है।

समानता

हम सापारणतः समानता के स्वभाव में गूप्त भूत भास्यम् पारण्याद् पाते हैं। पुरातन काल से सेहर पाज तक राजनीति विज्ञान के इस सिद्धान्त को समझने ये जितने प्रयत्न हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रयत्न यस्ता दिशा की ओर थे। पुरातन समजों में समानता के सम्बन्ध में ऐसी आर्थिक समानता का शनिक रा ज्ञान था। ग्रीक और रोमन विचारकों वा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। सारे ग्रीक व रोमन, जो अपने अतिरिक्त अस्त्र सब सोनों को असम्म एवं जगती पानते थे और इसीलिए ये गवको अपने से नीचा रागमते थे। सप्तहवी व घटारहवी शताब्दी में प्राचीर गवंप्रथम समानता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सोचा जाने लगा। इसका प्रभुत्य पारण्य समान व्यवहार की सर्वध्यारी भाँग और व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व के भूल्यागून के सम्बन्ध में खेतना वा विचास था। इस भाँग को दो विभिन्न गाँवों द्वारा व्यक्त विद्या गया है। एक तो बुद्धिवादी विचारधारा द्वारा, जो कि सब घरों एवं लकड़ी की समान समझती है और द्वितीय रोमान्टिकों द्वारा यह स्वीकार दिया जाना कि सब व्यक्तियों में एक मानवीय तत्त्व समान हा रे प्रावरद्यक है।

बुद्धिवादियों वा एक मुख्य हफ्ते था कि सब व्यक्ति समान है व्योकि वह जन्म के समय सापान थे। वे इस यात का भी दादा करते थे कि इस तथ्य का परीक्षण मनुष्य द्वारा विद्या जा रखता है। इन्हुंने बुद्धिवादियों वा यह तक हमारी सहज बुद्धि को ट्वीकर नहीं है। न तो मनुष्य जन्म लेते समय नमलत ही होते हैं और न वे प्रत्येक रूप से रामान हों हो रहते हैं। ही, यह हम मान रखते हैं कि मनुष्यों में निष्ठते दर्जे के प्रालियों की घेष्ठा कम भिन्नताएँ होती हैं। बुद्धिवादियों का यह गिरान्त प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के द्वारा भी भूष्य सिद्ध हुआ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यह सिद्ध करता है कि मानव जानि में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। इन्हुंने बुद्धिवादियों एवं मनोविज्ञानियों दोनों ने विभिन्नताएँ कि मुख्य हारण याहू विरागियों

मेरे अन्तर होना चाहता है। वे अब भी यह दाया करते हैं कि मनुष्य जन्म के समय समान होता है किन्तु बाद में परिस्थितियों एवं अवसरों की विभिन्नता के कारण विभिन्नता भी जाती है और उनके परिणाम स्वरूप विभिन्नता होती है।

समानता का दूसरा सिद्धान्त यामिक-रोमान्टिक सिद्धान्त है। यह एक भावना-प्रधान सिद्धान्त है। सामान्य व्यक्तियों को यह सिद्धान्त इसलिये रचित है कि यह उसके भूते भभिमान को सुधार करता है और उसकी हीनता की भावना पर विजय पाने में महायक है। यदि सब व्यक्ति चूँकि व्यक्ति है इसलिये वे सब समान होने चाहिये यथा चूँकि मनुष्यों को ईश्वर ने उत्पन्न किया है और सब ईश्वर की हृष्टि में समान हैं, इसलिए आध्यात्मिक रूप से वे सब समान होने ही चाहिए। यह सब केवल भावना मात्र है। चतुर्मान समय में उपरोक्त दोनों में से कोई भी सिद्धान्त महत्व-पूर्ण नहीं माना जाता। कानून के समक्ष अधिकार आधुनिक साविधानिक प्रजातीय राज्यों में समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। इन राज्यों में राजनीतिक समानता भी सबको समान रूप से मत प्रदान करके स्थापित की गई है। किन्तु यह राजनीतिक समानता केवल एक सदेहात्मक वरदान है। मतदाताओं और जनता वीं ग्रामोग्यता के कारण यह राजनीतिक समानता कोई महत्व नहीं रखती। घमों, जातियों एवं विभिन्न रंगों की जनता और विभिन्न लिङ्गों के मध्य समानता को स्थापित करना विश्व की बहुमान अवस्था में बढ़ित प्रतीत होता है।

यह हमारे लिए ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम सम्पूर्ण यात्रिक समानता स्थापित नहीं कर सकते और न ऐसी समानता को स्थापित करना उचित ही होगा। यह समानता न होकर एक हृष्टा होगी तथा यह व्यक्तित्व और सूजन की शक्तियों को कुचल देगी और व्यक्तियों को यत्नवत् बना देगी। या तो हम इस सिद्धान्त में विश्वास रखें कि जन्म के समय सब मनुष्य समान हैं और जो विषमताएँ हम पाते हैं वह बाद की परिस्थितियों में विभिन्नता के कारण हैं। यदि ऐसा है तो परिस्थितियों के बाह्य नियन्त्रण से हमें प्रायः सम्पूर्ण समानता स्थापित करने में सफल हो जाना चाहिये किन्तु ऐसा भव तक नहीं हो पाया है, या हमें इस सिद्धान्त में विश्वास रखना होगा कि ब्रात-परम्परा जैसी कोई वस्तु भी है और इसके कारण जन्म के समय ही विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। किन्तु यदि ब्रात-परम्परा जन्म के समय भी विषमता उत्पन्न करती है तो हम दो भ्राताओं के मध्य में विषम स्वभाव और योग्यताओं को कितन प्रकार समझा सकेंगे। इसलिए यह दोनों सिद्धान्त पूर्णतः सही नहीं हैं। हमें यह मानना चाहते होंगे कि समान व्यक्तियों के मध्य समानता और विषम व्यक्तियों के बीच में विषमता होगी।

समानता को प्राप्त करने के लिए अबसे आवश्यक दशा अवसर वीं समानता है। योग्यतामुक्तार और जाति, धर्म, रण, सम्प्रदाय और लिङ्ग भेद की विषमताओं

की अपेक्षा भी सब को समान घटनार मिलना चाहिए। यद्यपि प्राहृतिक योग्यताओं में भिन्नता होगी तथापि सबको घण्टी योग्यता व पूर्ण विवास का पूर्ण घटनार देना घटनार है। सबको कम से कम जीवन में समान प्रारम्भ तो मिलना हो चाहिए। इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान प्रायिक व सामाजिक दृष्टि में पूर्णतः परिवर्तन करना ही होगा। अवसर की समानता राज्य में द्वारा हताक्षण न करने के मिदान्त का पालन करने से प्राप्त नहीं हो सकती। यद्योऽसि इसमें जन्म के घटनार विषयम प्रारम्भ प्राप्त होगे। वेदत एक सत्रिय राज्य जिसने कि समाजकादी पार्यंशुभ्र
को अपनाया है वे सब साधन दे सकता है जिनके दिना घटनार की समानता वेदत एक प्राणा मात्र रह जायगी। घटनार की समानता वा पूर्ण घटनार की समानता बदावि नहीं है; और न तो यह सम्भव है और न ठीक ही है। प्राहृतिक योग्यताओं में विभिन्नता घटनार होगी और सबको समान प्रारम्भ देने के पश्चात् भी गवनों घन्त समान नहीं हो सकता। यह समानता वा उदारवादी सिद्धान्त है।

कानून के समक्ष समानता होनी ही चाहिए। वर्तमानशाल में अधिकारों के यह स्वीकार कर लिया गया है, घटनार घटनार में इसको प्राप्त करने में अधिक सफलता नहीं मिली है। यह इन्हसेंड में 'कानून के राज्य' का एक प्राणारभूत मिदान्त है। योरोपीय महाद्वीप के देशों, विशेषकर पान्थी में, जहाँ पर कि प्रगातीय कानून का एक महत्वपूर्ण माण है। कानून की समानता अपूर्ण है और घटनार में बहिनता से ही प्राप्त की जा सकती है। इस मिदान्त को कार्य रूप में परिणत करने में सबसे बड़ी वाप्ति शदैव घन रही है। इस दृष्टि में जनता ने युद्ध सुरक्षा के साधनों को गताविद्यों के समर्थ के पश्चात् प्राप्त किया है। उदाहरण स्वरूप, जूरी के द्वारा मुकदमों का निर्णय, बन्दी प्रत्यक्षोकरण (Habeas Corpus), न्यायालयों, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भावित है। इन्तु न्याय प्राप्त करने के साधन, जटिल, सम्बन्धी और अत्यधिक बीमती है कि अधिकार नागरिक इसते सामने नहीं उठा सकते। कानून के समक्ष समानता प्राप्त करने के लिये या ही न्याय शीघ्र, प्रत्यक्ष, और सबकी पृष्ठ के भीतर हो और या प्रायिक विषयता को कम से कम वर दिया जाय।

सिद्धान्तवतः राजनीतिक समानता वा सिद्धान्त घण्टे विश्वृत स्वर में प्रायिक व सामाजिक समानता वा भी है। इन्तु घटनार में इसको हम सार्वभौमिक व्यवहार मनाधिकार और प्रतिनिधि गालने में ही सम्बन्धित करते हैं। सधीय में, हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता वा पूर्ण है कि 'प्रत्येक को एक गिनत जाय और इसी की भी एक में प्रायिक न गिना जाय।' इस सिद्धान्त के गमधंकों का मुख्य तर्क यह है कि यद्यपि व्यक्तियों की राजनीतिक बुद्धि में भिन्नता पाई जाती है और जनता स्वकान्त्र के लिये प्रयोग्य है तथापि सामने होने के मात्रे प्रत्येक व्यक्ति को गालने में भाग मिलना ही चाहिए। बैन्डम के मनुसार व्यक्ति घण्टे का गवोत्तम निर्णयिक

है और वहुगत गदा सही ही होगा । यह भी माना जाता है कि सब मनुष्यों में बम से कम योग्य प्रतिनिधियों को चुनने की निरुद्योग बुद्धि तो होती है । 'विन्तु इस सबके सम्बन्ध में भारी सदेह है । हम यह देखते हैं कि वहुधा यथोर्य व्यवस्थाएँ चुने जाते हैं और जनता को राजनीतिक बक्ता अपने स्वार्थों के लिए बहकाते हैं । जनमन निर्देश, प्रवर्तक, प्रत्याहान आदि प्रत्यय प्रजातन्त्र की सम्पाद्यों के इतिहास में से सहज बुद्धि पर आधारित राजनीतिक समानता के सिद्धान्त में हमारे भविष्यास की ओर अधिक बुद्धि हृदि है । बत्तमान भूकाव विषेषज्ञता भी और है और इसका राजनीतिक समानता के सिद्धान्त से सामजिक स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है । आधिक विषमताएँ एवं आवश्यकताएँ इस तथाकथित राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को नष्ट कर रही हैं । प्राय मत लदान दबाव के द्वारा दिया जाता है, मतों का व्यविकल्प भी होता है ।

सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन के कुलोंत वर्गीय सिद्धान्तों को पूर्णतः द्याएँ । जन्म, घर्म और पद वी मान्यताओं का उन्मूलन करें तथा लिङ्ग, जाति, सम्प्रदाय, घर्म और विभिन्न रहनों के मध्य समानता स्थापित करें तभी सामाजिक समानता प्राप्त हो सकेगी । जहाँ नक लिंग भेद वी समानता का प्रश्न है महिलाओं को प्रधिकार देशों में मताधिकार प्राप्त हो चुका है । इस विद्वास में भी निरन्तर बुद्धि हो रही है कि महिलाएँ और पुरुष समस्त कार्य-क्रम में मूल भूत हृष्टि से समान है और वेवल अवसर वी विषमताओं के बारण ही महिलाओं की बत्तमान हीनावस्था पायी जाती है । किन्तु इस चिन्ह का दूसरा पक्ष भी है । जब तक महिलाएँ आधिक हृष्टि से परन्तु रहेगी तब तक व्यवहार में पुरुषों से गफलता प्राप्त होता कठिन है । पश्चिम में जहाँ पर महिलाओं ने आधिक हृष्टि से स्वतन्त्रता एवं प्रात्म-निर्भरता के सिद्धान्त को अपना लिया है ये पूर्व की महिलाओं ग जो कि अब भी पुरुषों पर आधिक रूप से निर्भर हैं, आधिक स्वतन्त्र हैं ।

विभिन्न जातियों के मध्य में समानता द्यापित करना अत्यन्त ही कठिन है । अमेरिका की नोट्रा, दक्षिणी अफ्रीका का रग विभेद सिद्धान्त और सावारण्णन वाला, पोली और भूरे रग वी जातियों का मकेद जाति वाले राष्ट्रों में स्थान आदि सम्पर्कों को हल करना कठिन कार्य है । जाति-विषमताएँ सम्बद्ध उस समय तक रहेगी जब तब कि एशिया व अफ्रीका के राष्ट्र, राष्ट्र-परिवार में समान स्वान प्राप्त नहीं कर सकेंगे । और यह तब तक समव नहीं है वब तक कि वे आधिक व प्रौद्योगिक दोनों में पिछड़े रहेंगे । आधिक विद्वास उनकी सेनिक य आधिक दाति में बुद्धि वरेगा और इसके परिणामस्वरूप उनके अपने लिए तथा उनके नागरिकों के लिए द्वेष बर्त वाले राष्ट्रों से समानता वा स्थान प्राप्त कर सकेंगे । सर्वश्रेष्ठ जाति या जाति वी विशुद्धता का

सिद्धान्त भर्ते सिद्ध हो जुके हैं। यिन्हुद जातियों का प्रस्तित्य वही नहीं है। जातीय समानता प्राप्तिक मापारों पर निर्भर है न कि जातीय शुद्धता पर।

प्राप्ति की राज्यग्रान्ति ने एक नवीन शक्तिशाली सिद्धान्त को जन्म दिया था। यह सिद्धान्त राष्ट्रों के स्वयं निर्णय के अधिकारों का सिद्धान्त है। १५० यर्डों से सपर्यं वे पश्चात् उस सिद्धान्त की समार के अधिकाश भागों में स्वीकार कर तिया गया है और इस सिद्धान्त के फलस्वरूप राष्ट्रों के मध्य में समानता के सिद्धान्त का भी विवास हुआ है। बिन्दु राष्ट्रों की समानता का सिद्धान्त वास्तविक दोष में ठीक नहीं है। एगिया व अफ्रीका में यह भी प्रोप्रिनेशनवाद के चिह्न पाये जाते हैं और वही पर राष्ट्रों के स्वयं निर्णय का अधिकार जनता की प्राप्ति नहीं है। प्राप्तिक दोष में विश्व के बहुत से ऐसे भाग हैं जैसे कि बेन्द्रीय व दक्षिण प्रभेत्रिया तथा मध्यपूर्वी एगिया प्रादि जहाँ पर कि राष्ट्रों को प्रपत्ति आधिक साधनों के स्वयं उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है। वे प्राप्तिक सामाजिकवाद के विरार हैं और जूँकि विश्व में प्रविकार-निपासा-शक्ति की राजनीति वही सबंध बालबाला है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र या दिव्य में स्थान व प्रभाव उत्तरी शक्ति के आधार पर निश्चित होता है। हम यह निश्चित हूँ ये वह तकते हैं कि राज्यों के बीच में समानता का प्रस्तित्य वही नहीं है। विश्व महाद व स्थोटी शक्तियों, स्वतन्त्र व परतन्त्र राष्ट्रों में विभाजित है और उन्हें मध्य में भी कुछ प्रविक शक्ति-शासी तथा कुछ कम शक्तिशाली एवं कुछ अधिक बड़े व कुछ ऐडे हैं और इनमें भी विषयता पाई जाती है।

'सामाजिक और राजनीतिक समानता' विना 'प्राप्तिक समानता' के कभी भी पूर्ण नहीं हो। मवती और इसी दोष में हम प्रत्यपिक विषयताएँ पाते हैं। समानता का सिद्धान्त भी इसी दोष में प्रविक लाप से प्रस्तुत है। हमारा प्राप्तिक समानता से सार्वत्र वया है? क्या वह समानता वर्तमान घन के समान वितरण या सख्ता समान पारितोषिक देने से स्थापित हो जाएगी? प्रादि प्रस्त्रों का हम गही उत्तर तभी दे सकें जबकि हम समानता ये प्रवृत्ति को उचित प्रबार से निपत्ति में समर्प्य होंगे।

समानता का मध्य अवहार ये समानता कदाचि नहीं है। समान व्यक्तियों के लिए समानता और विषय व्यक्तियों के लिए विषयता अवश्य रहेगी। न तो हम वर्तमान घन का समान वितरण ही कर सकें हैं और न मवती हम समान पारितोषक ही दे सकते हैं। समान घनमत देने से भी समानता कास्तविक अन्य से इस्तीत नहीं हो सकेगी। यांत्रमान पूँजीवादी प्राप्तिक व्यवस्था में समान योगता याले व्यक्तियों की प्राप्ति। समान पारितोषिक दिया जाता है बिन्दु यह अवश्य समानता के लिए वर्तमे महत्यपूर्ण तत्व 'सामानतामो' को बोई महत्व नहीं देती है। जूँकि प्राप्तिक समानता दिन प्रबार की होती है, इसलिए समान पारितोषिक की अवैश्या भी विषयता देने उत्तम ही ही जानी है। यह सम्भव है और प्राप्ति ऐसा होता भी है कि समान

पारितोषिक मिलने वाने दो व्यक्तियों में से एक को एक या दो व्यक्तियों वा ही भरण-नोपण करना पड़े और दूसरे को पौच-सात या घण्ठिक व्यक्तियों का भी । यद्यपि इन दोनों वी प्रायः आय समान ही है तथापि इनमें घायिक विषमता घवश्य होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं में भिन्नता है ।

यदि हम वास्तविक घायिक समानता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें योग्यता के साथ-साथ आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा । इस सम्बन्ध में आवश्यकताएँ घण्ठिक महत्वपूर्ण हैं । समानता के सम्बन्ध में मात्रा का यह सिद्धान्त कि 'प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुगार' एक नवीन समान घायिक घण्ठवस्था को स्थापित करने के लिए सर्वथोष्ठ साधक प्रतीत होता है । योग्याताएँ भिन्न होगी और आवश्यकताएँ भिन्न होगी । इसलिए गमानता को वास्तविक रूप से स्थापित करने के लिए हमें इन दोनों को ध्यान में रखना होगा । पूँजीबाद की हम हृदयहीन बहेंगे, क्योंकि यह मात्रा और पूर्ति के सिद्धान्त में तथा योग्यता के प्रय में विश्वास करता है तथा आवश्यकताओं की ओर तत्त्विक भी ध्यान नहीं देता । समाजबाद आवश्यक रूप से मानवता में विश्वास रखता है । यह मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति का सिद्धान्त है और यह व्यक्ति को एक वस्तु मात्र ही नहीं मानता है । शारीरिक आवश्यकताओं से स्वतन्त्रता, राजनीति व सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । यज तक सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं होगी तब तक प्रजातन्त्र और उसके आदर्श साधारण जनता के लिए कोई मर्यादा नहीं रखेंगे और यह तभी सम्भव है जबकि किसी सीमा तक घायिक समानता स्थापित हो सके । पूर्ण समानता को अभी तक हम कहीं भी व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं कर सके हैं । सोवियत संघ और उसके राष्ट्रीय साम्यवादी राज्य भी घायिक समानता के मानसंवादी आदर्श को स्थापित करने में भव तक असफल ही रहे हैं । यह सत्य है कि ये पश्चिम के पूँजीबादी प्रजातन्त्रीय राज्यों से आवश्यकताओं को घण्ठिक महत्व देते हैं किन्तु वे भी व्यक्तियों को अम वा एक पर्ग मात्र ही समझते हैं । मात्रसंयादी दृष्टिकोण से बड़, वहाँ और कैसे समानता होगी यह बत्तमान में स्पष्ट नहीं है ।

घण्ठिकौश राज्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अत्यधिक घायिक विषमताओं के कारण समाज में भ्रान्ति और सर्वयं घवश्यम्भावी है । भरस्तू का यह सिद्धान्त कि 'अत्यधिक घायिक विषमतायें ब्रान्ति की जननी हैं' यथेष्ट रूप से सत्य है । इसलिये वे ये धनवान और निषंकों के मध्य भी साई को बम करने वा प्रयत्न करते हैं । बत्तमान राज्य-कर लगाने की नीति भी इसी उद्देश्य पर आधारित हैं । आय-कर मृत्यु-कर, धन-कर तथा भैट-कर, घण्ठिक ताभ-कर आदि धन के घण्ठिक मच्छे वितरण के हेतु प्रयत्न हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य उन सोगों से जिनके पास आवश्यकता

से प्रविष्ट है, नेहर उन मीठों को रख्याता। भारी बालों के ढारा देना है जिनके पास आदायकता में इन है। इन्हुंने यह साधन ऐसे ही प्रयोगित की तुल वस्त्र के लिए रोक से इन्हुंने न तो यह प्राप्तिक विवरण की गमनता को हटा ही कर सकते हैं और न यह प्राप्तिक समानता स्पारित ही कर सकते हैं।

इसमें भी हमें भारी गदह होता है कि व्यक्ति वास्तव में प्राप्तिक गमनता प्राप्त है या उसकी इच्छा वरते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में प्राप्ति की गुणात्मक की, भौतिक वात्सुणों का सदृश वरते ही, सामाजिक मीठों में ऊपर चढ़ने की ओर प्रवर्तन प्रवृत्तियों से प्रतिकूलता की गतिशीलता द्वारा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में भौतिक वात्सुणों के सदृश की प्रवृत्ति वास्तव में प्राप्तिक गतिशीली एवं महसूसकूलं प्रवृत्ति है। इसी वास्तव में वहाँ से व्यक्तियों का प्राप्तिक गमनता की आदायकता के बारे में गदह है। जब तब व्यक्ति की स्थित वरने पार भौतिक उल्लंघि की प्राप्ति है तब तब वह गमनता के माध्यम से प्राप्तिक खिला नहीं करता है। जब इस प्राप्ति का मन ही जाता है तभी यह गमनता की गोंद की ओर प्रवृत्त होता है और राम्य ढारा प्राप्तिक दोष में हमतज्ज्ञेय की प्राप्ति वरता है।



स्वतन्त्रता और साम्यवाद

हम १६ वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य द्वारा विशेष हस्तक्षेप या किसी कार्य को बरने के लिए विशेष प्रतिबन्धों की प्रतिवापिति का ही समझते थे। आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न बरने के सिद्धान्त को माना जाता था। जॉन हट्टुथट मिल ने इस पर जोर देते हुए कि 'स्वतन्त्रता न तो प्रसीमित अधिकार है' प्रौर न हो सकता है तथापि स्वतन्त्रता को सामाजिक हित में सीमित एवं नियन्त्रित करना आवश्यक है। उसने व्यक्ति के कार्यों पर दो भागों में विभक्त किया। एक तो वह भाग जो कि स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित है प्रौर दूसरा वह जो कि दूसरों से सम्बन्धित है। स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित भाग में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए विन्तु दूसरों से सम्बन्धित भाग में उसको सामाजिक व राजनीतिक नियन्त्रण वे आधीन होना चाहिए प्रौर इसलिए राज्य व समाज को उस भाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन दोनों क्षेत्रों को वैसे नियन्त्रित किया जाये प्रौर इन के मध्य में कैसे एक सीमा रेखा स्थिर जाय प्रादि समस्याओं वा हल अत्यन्त ही कठिन है। व्यक्ति जब तक कि वह समाज का सदस्य है प्रौर सामाजिक जीवन व्यतीत बरता है उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज में दूसरों पर अवश्य पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं सम्पूर्ण इकाई नहीं है प्रौर न उसका विकास समाज के बाहर ही सम्भव है। इसलिए व्यक्ति को वही अधिकार प्रौर विकास की दशाओं परी मौग करनी चाहिए जो दूसरों के समान व स्वतन्त्र विकास के मार्ग में नहीं प्राएँ। व्यक्ति के बायों का सामाजिक नियंत्रण इसलिए एक आवश्यकता है प्रौर व्यक्ति को यहने ग्रात्म हित में ही इस नियंत्रण को स्वीकार करना चाहिए तथा ऐसा करने में स्वतन्त्रता को कोई धर्ति नहीं पहुँचेगी। स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना तथा व्यक्ति द्वारा उसके उपभोग को वास्तविक पाने के लिये राज्य द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है विन्तु यह हस्तक्षेप वितना ही तथा राज्य के व्यक्ति के बायों का नियन्त्रण

एवं निर्देशन की वया सीमाएँ हो पादि समस्याओं को हम पर तक सही प्रकार से हल नहीं कर पाये हैं।

यह समस्या स्वतन्त्रता वा सत्ता के मध्य गन्तुलन स्थापित करने की पुश्टतन समस्या है। यह घटान में रखना चाहिये कि यह घटनत ही गन्तुलित सम्बुद्धन है जो सरकार से नष्ट हो सकता है। प्रावश्यकता से प्रथिक गत्ता में वृद्धि इवत्त्वता को नष्ट कर देमी पौर इसी प्रकार से जनता की स्वतन्त्रताप्रबोध से प्रथिक वृद्धि अवश्यकता एवं सामाजिक व राजनीतिक व्यवहारों पर विभाग करेगी। इन दोनों में गन्तुलन स्थापित करने की समस्या आमुनिक राजनीति शास्त्र की एक योग्यपूर्ण समस्या है।

१६ वीं शताब्दी के मिल जैसे व्यक्तिगतियों ने, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस समस्या का हल व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करके दिया है। प्रथम तो वह भाग है जिसमें स्वतन्त्रता वा मापियत्व है और द्वितीय वह जिसमें राज्य द्वारा नियन्त्रण। इन्तु यह विभाजन प्रत्येक व्यावहारिक एवं काल्पनिक है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार दो प्रलग भलग भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य का सामाजिक कार्य क्षेत्र एवं जीवन पर प्रभाव घवश्य ही पड़ेगा। मिल ने इम सम्बन्ध में जो उदाहरण दिया है वह स्वयं ही दोपूरण है। मिल का बहन है यदि वृत्तिस वा कोई तिपाही प्रवक्ता वर्तंडय करते समय शराब के नशे में है तो उसे सजा दी जानी चाहिये वयोऽि उसके ऐसा बरने में दूसरे व्यक्तियों की मुरदा और वायो पर प्रभाव पड़ा और इसलिये यह दूसरे सम्बन्धित कार्य होगा। इन्तु यदि वही प्रलिया वा तिपाही अपने गार्वनिक कार्यों को पूरा करके अपने घर पर प्रदक्षाश वे गमय शराब पीता है तो यह एवं उग्रवा अपने में सम्बन्धित काम है और इसलिये उग यह करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि हुग मिल के इग उदाहरण को एक सरारी दृष्टि से दें तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में मता और स्वतन्त्रता वा गन्तुलन उचित ही प्रतीत होगा। इन्तु इसका यदि हम घ्यान पूर्वक परीक्षण करें तो यह उदाहरण दोपूरण प्रतीत होगा। पुत्रियों के उर्यो गिराही के अपने घर पर शराब पीने से भी उसे परिवार के दूसरे सदस्यों, उसके पढ़ोसियों तथा समाज के अन्य सदस्यों पर इमका अनेकिक प्रभाव घवश्य ही पड़ेगा। इसलिए उन्हें इस कार्य को बेवक्तव्यानन्द से गम्बन्धित कार्य नहो वह मरते। इसी प्रकार हम अग्न उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता और सत्ता की मिल द्वारा सीधी गई सीमा रेता सही नहीं है। भोजन वस्त्र ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि बेवक्तव्यक से सम्बन्धित है इन्तु यह कार्य भी एक सीमा के पश्चात दूसरों से सम्बन्धित कार्य हो जाते हैं। प्राप नगे होइर सार्वजनिक घ्यानों पर नहीं पूर्म मरते और इसी प्रकार प्राप ऐसे महान या मुहूर्तों में जिसमें कि शाशाही रहते हैं माह भद्रल नहीं कर सकते।

इसका यह पर्यं कदाचि नहीं है कि बोई ऐसा धेन ही नहीं है जिसमें कि व्यक्ति को स्वतन्त्रता दी जा सके और यह भी सही नहीं है कि व्यक्ति के लिए उसके प्रत्येक कार्य को समाज द्वारा नियन्त्रित और निर्देशित होना चाहिए । व्यक्ति के व्यक्तिगत के मनुष्यता विरास के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है । संन्यीकरण व एकल्पता सत्ता में अत्यधिक बूढ़ि करे और स्वतन्त्रता पर अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाए व्यक्ति को किसी सीमा तक विचाराभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, समुदाय, व्यक्तिगत प्राइवेट और निजी कार्यों में स्वतन्त्रता और विभिन्नता वा अधिकार देना आवश्यक है । इन कार्यों में सीमाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में मिल वा कथन है—

“सामूहिक मत की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में विभिन्न पूर्वक हस्तक्षेप वी एक सीमा है, और उस सीमा का पता लगाना तथा विसमें हस्तक्षेप के विरुद्ध बनाए रखते हुए मानवीय कार्यों को अच्छी दिशा में रखना उतना ही आवश्यक है जितना राजनीतिक निरक्षण से रक्षा ।”

(प्रोन लियर्टी १०६)

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किसी सीमा तक अत्यन्त ही आवश्यक है । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता विचारों एवं उनकी अभिव्यक्ति वी बोद्धिक स्वतन्त्रता है । इसका यह पर्यं कदाचि नहीं है कि आप दूसरों को अपश्वद वह सके या उनकी निन्दा करें किन्तु इसका यह पर्यं परवश्य है कि व्यक्तियों को भिन्नता, विचार एवं अभिव्यक्ति वी स्वतन्त्रता होनी चाहिए । हमारा कम से कम मतभेद के लिये सहमत होना आवश्यक है । बाल्टीयर के गव्डो मे कि—‘मैं आप जो कहते हैं उससे चाहे सहमत न भी होऊँ’ किन्तु आप वे उस कहने के अधिकार के लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ—प्रत्येक समाज के लिए जो कि बोद्धिक विकास तथा विचारों एवं विद्वान्त की प्रगति को महत्व देता है अत्यन्त ही आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मिल का कथन है वि—

“यदि समस्त मानवता एक मत है और वेवल एक व्यक्ति वा विरोधी मत है तो मानवता एवं को व्यक्ति को छोड़कर उस व्यक्ति का मुँह बन्द करने का उतना ही अधिकार नहीं रखती है जितना कि उसे यदि उसके पास गति होनी तो मानवता वा मुँह बन्द करने वा अधिकार होना । यदि मत एक व्यक्तिगत सम्पत्ति होती जिसका कि उसके स्वामी के अतिरिक्त और किसी के लिए मूल्य नहीं है या इसके उपभोग पर वाधामो ने से व्यक्तिगत हानि होती तो इसका प्रभाव यह पड़ता कि ऐसी हानि कुछ व्यक्तियों को हूँई या अधिक सोगो वी । किसी भी मत की अभिव्यक्ति को बन्द करने की विशेष हानि यह है कि इससे मानव

जाति वर्तमान के माने जाती गोकियों को सूट रही है। उन सोगों को जो कि इस पत में शहरता है, इतकी प्रोत्ता जो कि इतके विदेशी है, वहि पत रही है तो उन्होंने के स्थान पर साथ को प्राप्त करने का घबार सो दिया है यदि असत्य है तो सत्य का एक हृष्टियोगर होने चाहा ते (जो कि उन्होंने असत्य से टाराने पर उपर्युक्त होनो घोट दि उतना ही यहाँ माम है) वित्त रह जाते हैं।

(भौत लिप्ती पृ० २३-४)

सत्य का अधिक अच्छा तरह पहलाने पर लिये यह आवश्यक है कि वाद-विवाद व विचारों की प्रभिमानिक वीरत्वन्वता होनी चाहिए तथा राज्य की प्रोत्तरे विचारों की प्रभिमानिक पर कोई वापा या निष्पत्ति नहीं होना चाहिए। मानवीय प्रणति के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि यापुलिक काल में वैसों याहियुना जैसी पीढ़ी में गुरुरात ने विद्व तथा मध्यमासीन योगीयोंके सोगोंने वैवीलियों के विद्व प्रदक्षिण की थी, नहीं है इस्मु किंतु भी व्यक्ति के विचार की यह प्रमूल्य दशा यहूत रो राज्य में नहीं पाई जाती। धर्मनीतिकत्वनीय विचारको एक जानहोंने प्राचीन काल से ही यह दावा किया है कि यस्ता यथा है भी विचारक विचार तथा प्रणति किंग हो जाती है। इसके लिए नैवल एक ही मार्ग है— उनके बाने द्वारा दारा हुए मार्ग व्येदों का दार्शनिक शास्त्र, हमों की सामाज्य इच्छा, हमों की धर्मार्थ इच्छा प्राप्त; वास्तुनिक राज्य, काम वी निरांश वर्तम विचार यह पुरुष ऐसे प्रयत्ने प्रकार के घोड़े मार्ग मानवीय उद्धति तथा भलाई को प्राप्त करने हें हैं। ऐसा ही एक यापुलिकानम गार्ग याकरों के द्वारा भी हमारे रामधा रहा था है।

हिंसी भी रामान में यदि यहूत भी इन प्राप्तार के विग्री प्रयत्ने मार्ग को या राजनीतिक वीरवारारा को अपना ले सके भी उसे उन मार्गों को जानने के लिए प्रयत्नमत को यास्थ करने तथा युद्ध व राज्य का कोई प्रयिकार नहीं है। भित्त के इन गम्भीरे हम पूर्णतया सहस्र हो उठते हैं—

"दूसरे प्रकार ने प्रत्यापारों को तरह ही यहूत का भासायार भी प्राप्तम भी भी यापारारण, यापयों वाला है। यह प्रत्यापार मुरायाः पार्व-जनिक सातामों ने द्वारा वायं का मैं परिणत होता है। रामान प्रयत्ने यादेशों को स्वयं लागू करता है और यदि यही के स्थान पर एक गवत यादेश देता है या उन पश्चुयों ने वास्तव्य में यादेश देता है जिसमे वि इग्नो हस्तादेव मही वरना चाहिए तो यह एक सामाजिक प्रत्यापार करता है जो कि वर्द्ध प्रकार के राजनीतिक प्रत्यापारों से प्रयिक गयावत है। यद्यपि इसमे तीने गजाएं नहीं हैं तो भी इससे वर्षने में मार्ग भी यहूत रम है। यह जीवन की

छोटी छोटी बातों में भी अधिक हस्तक्षेप करता है और यही तरफ़ इन व्यक्ति की आत्मा तक को दाताता भए जाएगी तोता है।"

(श्रीन लिखटी पृ० ७३)

व्यक्ति का प्रयत्न गूल्हा है और जब तक हम इस गूल्हे को उन्नित मान्यता महीं देंगे तथा तक पैदलिक या सामाजिक विसी भी प्रभाव के प्रभाव विरासत को बाहि भी सम्भावना नहीं है। एक हपता और गैरीकरण के पच्चे अनुगरणरक्षा अभिन्न, ऐनिक तथा व्यवस्था व्यक्तियों को भड़े ही उत्पन्न करते विन्तु यह कभी भी प्रभाव व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। मिल वे शब्दों में—

"मानवीय प्रहृति बोई यह नहीं है मिलारो ति विसी दाने के दानार दरक्तेवार किया जा सके और एक लिखित कार्य बरने के मिल लगाया जा सके। विन्तु एक ऐड के समान है जो कि सामाजिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुग्राह प्रयोग गब तरफ़ कहता और विवित होता है और जो कि इसे एक जीवित वस्तु बनानी है।"

(श्रीन लिखटी पृ० ७४)

मिल वे घाँसे देवकिनना के मिल जोखार शम्भो में रहा है—

"विन्तु मन का अस्त्याचार ऐसा है जो कि सततीन बनाता है और दत्तिय इस अस्त्याचार को तमाज्ज बरना अवश्यक है। सततीन यहा अस्त्यविक मात्रा में गाया जाता है जहाँ पर परिवर्त नी है तो वहाँ अपिक रहती है। विसी समाज में सततीन वी गाया उसमें गाय जाने वाने लोगों की प्रतिभा, उनकी शोदिर शक्ति और उनके नैतिक धर्म के अनुग्राह में होती है। गाय गतकी होने की हिम्मत यहुन कम सोग करते हैं और यही इस युग का गवसे बड़ा गङ्गट है।"

(श्रीन लिखटी पृ० ८१)

गम्भीर, मिल की प्रति युग्मा होती यदि उसके युग में अस्त्यविक अधिनायक-तत्त्वीय देवकिनरण होता। गाय के युग में प्रश्न यह नहीं है कि वित्तों गततीन आहते हैं या उनमें होता है विन्तु यह है कि विसी को भी गन्तव्य होन नहीं दिया जाता विशेषकर साम्यवादी राजनीति अवस्था में। ऐसा हटिकोल प्रतिभा और गृजन की शक्तियों की बुधित करता है। गाय हम यह पाने हैं ति विश्व की आपे से अधिक जनस्थान ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रत्यना युक्त है जिनमें देवकिन तथा विष्णुरो की रक्तत्वता वा बोई रक्तान नहीं। साम्यवादी दण्डन विश्व के दत्तिहास में युग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस युग का गुरुत्व सद्गता पूरा नवीन वर्ग में हाथ में राज्य की शक्ति आना है वह वर्ग जो ति भगवित-

गतान्विदयो तथा शोणित और प्राणीय वर्ग इहा और जिसके सम्बन्धमध्ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जाती है। इस वर्ग के पास विस्तीर्ण वो बोई सम्भवत नहीं है ऐसे वल अपने थम की सम्पत्ति मानते हैं।

एक नवीन रामाज वा निर्माण जितमें शमिल या गरीबों पा घटनात् अपने भाग्य वा नियन्त्रण एवं निर्देशन कर सके, साम्यवाद वा मुह्य सद्धारण है। ऐसे समाज के निर्माण के लिए मानवसंवादियों वो उस अल्पमत की नट करना ही होगा जिसके हाथ में आधिक शक्तियों के कारण है राजनीतिक शक्तियाँ हैं। शोणितों की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए शासकों में परिवर्तन करना आवश्यक है। मानवों राज्य को एक शक्ति वा साधन मानता है। इस शक्ति के साधन पर अधिकार जमा कर इसको संखेहारा-वर्ग के लिए वायर में लाना आवश्यक है।

हिसास्मक प्रान्ति तथा राज्य की शक्ति वो प्राप्त कर सकने के पश्चात् संखेहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र की स्थापना होगी। ऐसे इस अधिनायकतन्त्रीय समाज में ऐसल एक ही आधिक वर्ग होगा और इसके सदस्यों के लिए एक ही प्रकार के हित होने इसलिए इसका प्रतिनिधित्व ऐसे संखेहारा वर्ग का दस ही कर सकता है। और यह दस राज्य की शक्ति वा निरंकुण हृष से दो सदस्यों वो प्राप्त करने के लिए काम में लाएगा। एक तो प्रति-प्रान्ति वो दोनों के लिए और दूसरे वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए। मानवसंवादी प्रान्ति वा अंगठन तथा संखेहारा वर्ग के हितों की वृद्धि इस संखेहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र के मुह्य कार्य होगे।

यहा यह अधिनायकतन्त्र सोचने और काय करने की बोई अक्षिणीत रवतन्त्रता या वैयक्तिकता वो प्रोत्साहन देगा; इसका उत्तर नहीं है। जिसी भी प्रकार के रवतन्त्र विचारों की यह वदभवतता, संखेयनायक वा समाज विरोधी विचार यादाएँ मानेगा और उसके लिए दद देगा। यह अधिनायकतन्त्र गुद्ध बास वो विषय में ही रहेगा और इसलिए इसमें जीवन वा तीनीवरण अवश्य होगा। यह एव भले ही सत्य हो, रिन्जु जिन सोये वो इसमें विश्वास है यहा इस थात वो सोचना आवश्यक नहीं है यि गति भी ही सकते हैं और मानवसंवादी मार्ग ही प्रदेश मार्ग नहीं है। प्रत्येक प्रकार के विरोध और विभिन्न प्रकार के मतों के सम्बन्ध में साम्यवादियों वो असहित्याना मध्य गुण वी आधिक असहित्याना भी अधिक है। उनका धरने मार्ग में उतना ही अधिक बहुर विवाद है जितना कि जिसी आधिक दो या पाँचों वो अपने वर्ग के प्रति विवाद होता है। अवश्यक में ये विरोध वो अवश्य ही विवेता पूर्वक दवाते हैं और यह एव इसलिए है कि उनकी यह आवश्यकता यादाएँ है यि उनका असनाया हुमा मार्ग ही गदरे गहरे और मध्य पर एक्षेत्रे पर मार्ग नहीं है।

स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मावरं ने 'कैपीटल' के तीरे भाग में लिखा है—
 "स्वतन्त्रता का सामाज्य वास्तव में वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर
 आवश्यकता और वाह्य कारणों के द्वारा निश्चित अम का अन्त होता है।
 इसलिए यह विशुद्ध भौतिक उत्पादन के द्वेष से बाहर है। जैसे असम्य और
 जंगली मनुष्य को प्रकृति से अपनी आवश्यकताएँ तथा अपने जीवन की रक्षा
 और जीवन की उत्पत्ति के लिये सघर्ष करना होता है उसी प्रकार सम्य
 मनुष्य को भी करना होता है। उसे यह सब प्रकार के समाजों में और
 सब प्रकार की उत्पादन प्रणालियों में करना होता है। जैसे उसका विकास
 होता है यह आवश्यकता के द्वेष की वृद्धि होती है। क्योंकि व्यक्तियों की
 आवश्यकताओं में कुछ होती है किन्तु उसकी उत्पादन की शक्ति जो कि
 आवश्यकताओं को पूरण करती है, में भी साथ ही वृद्धि होती है। इस द्वेष में
 स्वतन्त्रता उसी सीमा तक हो सकती है जिस द्वेष में व्यक्ति समाज में तथा
 सहयोगी उत्पादनकर्ता प्रकृति द्वारा दिये गए भौतिक साधनों को तांत्रिक
 हृष्टि से नियन्त्रित करें। इनको अपने सामाज्य नियन्त्रण में मेले गाएँ और न
 कि इनसे एक अन्य शक्ति मानकर शासित हो। इनका विकास कम से कम
 शक्ति के व्यय के द्वारा और उन परिस्थितियों में जो कि मानवीय प्रकृति के
 योग्य है, किया जाय। किन्तु फिर भी आवश्यकता का द्वेष विस्तृत ही
 रहेगा। इसके घागे मानवीय शक्तियों का विकास जो कि स्वयं अपने आप में
 साध्य है, प्रारम्भ होता है। यह स्वतन्त्रता का वास्तविक द्वेष है। किन्तु
 उसका पूर्ण विकास तभी हो सकता है जबकि उसका माधार आवश्यकता का
 द्वेष हो।"

(कैपीटल भाग ३ पृ० ६५४)

इस सम्बन्ध में मावरं ने शब्दों की आलोचना करते हुए प्रो० लिड्से ने
 कहा—

"स्वतन्त्रता विसी भी राजनीतिक राज्य से जो कि आर्थिक सम्बन्धों को
 विसी सामाज्य उद्देश्य के लिये नियन्त्रित नहीं करता है, प्राप्त नहीं की जा
 सकती। जब तक उनको इस प्रकार नियन्त्रित नहीं किया जायेगा आर्थिक
 सम्बन्ध एक अन्धी शक्ति रहेंगे। और यब तक इस मन्धी शक्ति पर विभय
 न पाई जायगी तब तक राजनीतिक स्वतन्त्रता की यात करना व्यर्थ है।
 आर्थिक शक्तियों वे द्वारा उत्पादित सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्धों
 को विगड़ते हैं और विकृत करते ही रहेंगे।"

(काल मावरं द्वारा कैपीटल पृ० ३७)

यही पर जिस स्वतन्त्रता का उल्लेख है यह विशेषता, पार्थिव स्वतन्त्रता है, मात्रतं तथा उसके अनुपायी वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा नीतिक स्वतन्त्रता से और विशेष सम्बन्ध नहीं रखते।

जब उच्चतर मात्रिकाद इषावित हो जायगा जिसमें सामाजिक मार्क्सों को निष्पत्तिरित करने के लिये 'प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार प्रोट्र प्रत्येक' को उगाई गायत्रवत्तानुसार' का सिद्धान्त अपना लिया जायगा, तभी राज्य अनावश्यक हो जायगा तथा यथार्थ में इस से स्वतन्त्रता का दोष प्रारम्भ होगा। अब, अहीं प्रोट्र पर्सों होगा? इसके विषय में न तो मालवी ने निश्चियत स्व से कुछ वहा है प्रोट्र न हम ही निश्चियत स्व में कुछ वह गढ़ते हैं। प्रोट्र जब तक यह सम्भावना यथार्थ नहीं हो जाती, तब तब हमें गान्तिगूर्वक दृष्टरता होगा प्रोट्र हमारे तमाम दायीं को राज्य के द्वारा नियन्त्रित प्रोट्र निर्देशन करने देना होगा—यह गायत्र मानवीय इतिहास के अन्य सब राज्यों से वही अधिक शक्तिशाली होगा, प्रोट्र इसके पास अक्षियों के जीवन के गम्भीर निर्देशन की जटि होगी अपोदि इसमें राजनीतिक व आयिक शक्ति का प्रत्ययिक केन्द्रीयवर्ग होगा। अधिनायकतम्ब प्रोट्र एक दसीय राज्य वाद-विषयाद की स्वतन्त्रता, मनों की भिन्नता या अमहस्ति प्रवृट्ट करने का प्रयत्नार नहीं दे सकते। ऐसे राज्य में अक्षियन राज्य की प्रत्ययिक शक्ति के समक्ष अपने प्राप्तकों प्रत्यक्ष ही निर्वास पाता है।

यह गायत्र न वेष्ट स्वतन्त्रता का ही पक्ष करता है बिन्दु पीरे-पीरे स्वतन्त्रता की इच्छा व विचार का भी विभाग कर देता है; जो कि नहीं अधिक भयानक बस्तु है। पठोर विचार नियन्त्रण, उम्मुक्त प्रचार, जनता के मनोरंजनानि शोषण तथा राजनीतिक दबाव का प्रयोग करके यह नवोन पीड़ियों में इस बात का बहुर विश्वास उत्पन्न कर देता है जि उनकी अपवस्था ही सर्वोत्तम है प्रोट्र मार्क्सी अर्देस। दार्शनिक है। यह एक नये प्रकार की दासता को जन्म देती है जिसमें समक्ष इतिहास की पुरानी दासताये नमूण हैं। इस दासता में न तो दास को पर्यानी दासता का ज्ञान ही है प्रोट्र न उसे दुग ही है। यह स्वतन्त्रता के लिए प्रत्यन्त ही दुस का युग है। प्रोट्र यदि यही प्रगति हमारे वेदोंमें २५०० वर्षों में थी है तो हमें यह मान सेना होगा कि मानव प्रगति धीर विश्वास युग है ही नहीं।

यही पर यह प्रस्तुत उठ सकता है कि यदि अधिनायकतम्ब भवित रहे विश्वास में लिए इतने हानिकारक हैं तो फिर वयों अक्षियन इन प्रथिनायकतम्बों को अपनाता है तथा उनकी प्रशस्ता करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिनायक-तम्बीय राज्यों के यह नियन्त्रित समाज स्वतन्त्रता के बदले में कई भौतिक लाभों को देते हैं। गम्भीर अपने प्राप्तकों दागता में वेष्टता है जबकि उसे भवित्य अन्यायालय दीखता है या वह वर्तमान में अपने प्राप्तकों परसित अनुभव करता है।

परिवर्तन सथा कठिनाइयों से इस मुग में व्यक्ति की उच्चते यही आवश्यकता एवं इच्छा आणिका गुरुद्धा भी है। प्रयिनायवत्तम्ब इस गुरुद्धा को देने का वचन देते हैं पौर एक वहूत परी कीगा तक देते भी हैं। इनकी आवश्यकताओं के लिये व्यक्ति योद्धिक आवश्यकताओं का विलिदान देते हैं। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की राष्ट्रों यही निश्चलता पह है कि वह व्यक्ति को यह सब लीजे नहीं दे सकते पौर इसलिए व्यक्ति प्रयिनायवत्तम्ब की ओर भुक्ता है। दूसरे यह भी सत्य है कि अब तक प्रयिनायवत्तम्ब उन्हीं देशों में स्थापित हुआ है जहाँ पर अब तक किसी प्रकार की व्यतान्त्रिता न सो थी पौर न उसकी परम्पराएँ ही थीं। प्राप उस वस्तु की प्रनुभविति का अनुभव कभी नहीं करेंगे जो कि प्रापके पास कभी नहीं थी पौर जिसके बारे में घापने वेवल दूसरों से गुना ही था। पूर्वी योष्य, सोवियत सप पौर थीन जहाँ पर जि साम्यवाद आज तक सफल हुआ है वही पर पहले कभी भी प्रजातन्त्रीय या उदार जागन नहीं रहे हैं। वही की जनता निरकुण जागन की प्रभावस्त है। उन्होंने वेवल राजाओं के स्थान पर प्रयिनायकों की घणनाया है पौर ये इस परिवर्तन से संतुष्ट हैं क्योंकि प्रयिनायकों ने पास मे देवी प्रधिकार प्रधवा देवी शक्ति न होने के बारण उन्हें जनता को भौतिक प्रगति पौर सापनों से संतुष्ट रखना नावश्यक होता है। इसलिए हम यह देखते हैं कि ऐसे देशों में भौतिक प्रगति प्रयिन तीव्र गति से होती है। उन देशों में प्रस्तेक पौर यही दिलाई पड़ता है कि उनकी भौतिक प्रगति प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से पहीं परिष्क है। प्रगर हम यह भी मान से कि के हमारी आणिक आवश्यकताओं की गृहि करने के लिए प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से प्रयिन योग्य हैं तो भी व्यक्ति को इस प्रयिन प्रगति का गूल्य चुकाना होता है।

नियन्त्रित समाजों का प्रत्येक उदास्य भौतिक प्रगति के लिए जो भारी गूल्य चुकाता है उसका बहुंन प्रो० जोड ने इस प्रकार किया है—

‘विभिन्नताओं का अन्त बरना पौर एकहस्ता स्थापित बरना प्रयिनायवत्तम्बों की प्रकृति में है। ऐसी नीति भविष्य के लिए विनाशकारी होती है सथा वर्तमान में भय उत्पन्न करती है। यह इस बारण भविष्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि मानव जाति का विकास जीता कि हमे जात है, मुख ध्यतियों की व्यक्तिगत दूरदण्डिता के बारण ही होता है पौर यह एकहस्ता के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं एवं भिन्नताओं को दबाता है। यह वर्तमान बाल में भय उत्पन्न बरता है क्योंकि विभिन्नताओं का अन्त बरने के लिए उन गवरा अन्त बरना आवश्यक है जोकि गमाज को योद्धिक पौर प्राण्यारिक हिट से जीवित रखते हैं। यह तो मायजन्य के स्थान पर एकता स्थापित बरना है, क्योंकि जीसा कि परतू ने बताया है कि प्रकारों की भिन्नता के

विना एकता भले ही समझ हो, विनु रामजरय नहीं हो पाएगा । यह उनके मरितप्क वो काम में साने के लिए ही भगा भही करती, विनु उन सब विश्वासी वो जो कि इसके प्रयने नहीं हैं, भी भगा करती है । सब पर्यवेक्षक इससे सहमत हैं कि प्रधिनायवत्तमाओं में सार्वजनिक जीवन के प्रति उदाहीनता मूल्य सधारा है । यह जानते हुए कि वे भगनी इच्छाओं को आपेहण में परिणत भही कर सकते और यह भी कि उनकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है समस्याओं का निर्णय उनके द्वारा नहीं यहिं उनके सिए होता है और वे बेकल द्विषे हुए तरीकों से पठनाओं के कार्यक्रम में रंग मात्र भी घटतर नहीं सा सकते । इससिए ध्यक्ति राग्य के मापदंडों में पा सो भगनी रुचि यो बैठते हैं या प्रयने सार्वजनिक कर्त्तव्यों की दिलावे के लिए प्रुरा करते हैं या करते ही नहीं ।"

(तिथी दु-डे, १० १६०-६१ तथा १६३)

भौतिक साधनों के लिए हमें इस यात्रा को विशेष रूप ने ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधिकारी जनता के सदस्य इस मूल्य को छुआने के लिए तैयार हैं । उनके लिए पेट वी प्रावश्यकताएँ मरितप्क वी प्रावश्यकताओं से कहीं परिष्क महावपूर्ण हैं ।

उपयोगितावाद्

उपयोगितावाद दिशेषतः धार्म राजनीतिक दर्शन का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को फिलोसोफिकल रैडीकल्स ने अपनाया और फिर उन्होंने वैधानिक आधिक प्रौद्योगिक राजनीतिक सुधारों की एक सम्पूर्ण व्यवस्था हमारे सामने रखी। साथ ही इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त से सम्बन्धित किया। उनका यह विश्वास था कि यह सिद्धान्त सभी वेकारियों और जावंजनिक नोतियों को निर्देशित कर सकेगा। इनका यह भी विश्वास था कि इस सिद्धान्त के द्वारा वे व्यावहारिक राजनीति की प्रत्येक समस्या को सुलझा सकेंगे। इन विचारों में से किसी ने भी, यहाँ तक कि वैन्यम ने भी राजनीतिक दर्शन को कोई मौलिक प्रनुदान नहीं दिया है, प्रौद्योगिक न किसी नवीन दार्शनिक पद्धति एवं व्यवस्था का निर्माण ही किया है। वैन्यम-युग तक वैन्यम, जो कि इनवा सबसे प्रसिद्ध विधारक था केवल वैधानिक सुधारों में ही पूर्णतया रुचि रखता था। उनका यह मत था कि ये सुधार उदार उदार निरकुशलता न कि राजनीतिक उदारता-उदारवाद के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। वह जेम्स मिल का वैन्यम पर प्रभाव था जिसने कि उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह उदारवादी दर्शन को अपनाए वयोःकि जनता के पालियामेन्ट में समुचित प्रतिनिधित्व के बिना इन्हें मेरे वैधानिक सुधार असम्भव थे। वैन्यम ने उदारवादी दर्शन को इसलिए नहीं अपनाया कि यह अधिक से अधिक सोगों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त से तार्किक हृष्टि से सम्बन्धित था बिन्तु इसलिए कि वह इसे वैधानिक सुधारों के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक अस्त्र समझता था।

फिलोसोफिकल रैडीकल्स के आधिक दर्शन इस बात को बताते हैं कि वे स्वतन्त्र आगार (Free Trade) में उदारवादी प्रजातन्त्रीय मिद्दान्तों की अपेक्षा अधिक रुचि रखते थे। जिन्हुंने जब तक वह त्रिटिश सराद से ट्रिट्यून के कुलीन वर्गों को निकालने में सफल नहीं होते तब तक वे आवश्यक आधिक सुधारों पर उन्हें में सफल

मही हुणि और द्वारिष्ठ उन्हें उदारवादी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को मान्यता देनी पढ़ी सभा द्विटिज संसद के प्रत्रातन्त्रीकरण में सहयोग देना पड़ा।

उपर्योगितावाद की सामान्य हम रेरा हमे येन्यम भी सबं प्रथम पुस्तक 'सरकार पर कुछ विचार' (Fragment on Government) में मिलती है। येन्यम के मनुसार सब मानवीय कार्य सुरा और दुःख के द्वारा निर्देशित होते हैं और एक मुश्तक व्यवस्थापक इनके द्वारा मानवीय कार्यों का नियन्त्रण एवं निर्देशन वर सबता है। उसने लिखा—

"प्रहृति ने मानवता को दो तावंशेम प्रभु दुःख और सुख के आधीन रखा है। वेदत वही बतला सकते हैं कि हमें क्या करना होगा और यह निश्चिन कर सकते हैं कि हम क्या कर नहीं हैं। उनके मिहासन के एक और असत्य और सत्य के मापदण्ड और दूसरी ओर कार्य एवं इस कारण की कहिया जुड़ी हुई है।"

इस दर्शन का आधार हीडोनिस्ट (भौतिक मुतावाद) है। येन्यम ने भौतिक मुतावादियों की तरह यह माना कि सुख और दुःख विरोधी भावनाएँ हैं। वे एक दूसरे परोक्षता करती हैं, उनको माना जा सकता है तथा जोड़ा जा सकता है। सुखों को जोड़ने से हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के गमूह के सिए घणिक से ग्राहिक सुख का एक माना सकते हैं। दुःख या सुख को उमंड छारों तथ्यों को ध्यान में रखने से नापा जा सकता है। (अ) तीव्रता (ब) काल (स) कार्य और (द) इसके प्राप्ति वे दीवां का समय कोई भी सुख या दुःख दूसरे को जग्म देगा। और इस सत्य को कोई भी सामाजिक गणना करते हुए ध्यान में रखा जायगा। येन्यम का स्वयं के सुख और दुःख के सिद्धान्त में विवरण नहीं पा। उसके मनुसार यह विचार कि विभिन्न व्यक्तियों के सुखों पर जोड़ा जा सकता है; भूठा विचार है जो कि—

"एक हेगा सिद्धान्त है जिसको माने विना एवं प्रकार के राजनीतिक तर्कों का गन्त हो जायगा।"

सुख और दुःख विरोधी नहीं, किन्तु सहयोगी भावनाएँ हैं। किन्तु विशेष वरित्यतियों में जो बस्तु सुख पहुँचा सकती है वह बस्तु वरित्यतियों में परिवर्तन होने पर दुःख भी पहुँचा सकती है। उदाहरण स्वरूप एक गिरावट छन्दा पानी इसी भी ऐसे व्यक्ति को गमियों में भ्रष्टाचार सुख पहुँचा सकता है किन्तु सदियों में वही दुःख का कारण भी हो सकता है। यही तक कि छन्दे पानी का एक पूट जो सुख देगा वह दूसरे पूट में बदायि नहीं पा सकता। यद्यपि यह पन्तर व्यक्ति को बदायित ही मनुष्यव हो। गमियों में भी व्यक्ति को छन्दे पानी का दूसरा गिरावट पहुँचे की परेशानी कम सुख पहुँचाएगा। और सुख की इस वस्ती का व्यक्ति

को मनुभव भी हांगा । दो बार गिलासो के बाद सुख निरन्तर कम होता चला जायेगा यहाँ तक कि वह दुःख में परिवर्तित हो जाएगा । एक निश्चित तृप्ति के पश्चात सुख दुःख में परिवर्तित हो जाता है । सुख की मनुभूति एवं तृप्ति और व्यक्ति में भिन्न होती है । जो वस्तु एक व्यक्ति को सुख दे सकती है वह दूसरे को कदाचित मुख्य न दे । इसलिए गुख की मात्रा का गणना करना चाहे वह एक व्यक्ति का हो या व्यक्तियों के समूह का हो, प्रत्यन्त ही कठिन कार्य है । वैन्यम का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त को उसके वैधानिक सुधारों के सिद्धान्त का प्राप्तार बनाना था । प्रो० संबादन के शब्दों में—

“अधिक से अधिक सुख का सिद्धान्त, जैसा कि वैन्यम का विश्वास है, एक मुश्ल व्यवस्थापक के हाथ में एक सार्वभौमिक व्यावहारिक वस्त्र दे देना है । इसके द्वारा वह सुख का ढीचा बुद्धि और कानून के हाथों तैयार कर सकता है । यह आधारभूत मानवीय प्रकृति उसकी मान्यताओं एवं उद्देश्यों के सिद्धान्त को देता है जिन्हें वैन्यम सब समयों और स्थानों पर काम में लाने योग्य मानता है । व्यवस्थापक को केवल समय व स्थान की विशेष परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है जिन्होंने उन विशेष मादितों व रूढियों को जन्म दिया था । और तब वह सुख और सजापों को निर्धारित करके व्यवहारों का नियन्त्रण कर सकता है और ऐच्छिक परिणामों को उत्पन्न कर सकता है ।”

(हिन्दू प्राक वौलिटिकल घोरी पृ० ५७०-७१)

वैन्यम १८ वीं शताब्दी के दूसरे दार्शनिकों की तरह मानता था कि मनुष्य एक बोह्दिक प्राणी है । उसका यह गत था कि यदि मनुष्य एक बार एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे तो वे आपस में सहमत होंगे । किन्तु उसने इस तथ्य पर हृष्ट पात नहीं किया कि एक दूसरे के उद्देश्यों को समझ लेने से सहमति के स्थान पर विरोध उत्पन्न होगा । उसे ऐतिहासिक विवास का कोई ज्ञान नहीं था और उसके विचारों में कोई मोसिकता एवं नवीनता नहीं थी ।

उसके मनुसार अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख का सिद्धान्त सत्य और असत्य को नापने के लिए एक मापदण्ड हो सकता था । उसके मनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य सुख की उत्पत्ति है । वह सुख और मानन्द की पर्यायवाची शब्द समझता था या दूसरे शब्दों में मानन्द की दुःख के ऊपर बाहुल्यता को ही वह सुख समझता था । उसके विचार में व्यक्तिगत सुख सामूहिक एवं सामाजिक सुख से सम्बन्धित है । किन्तु वास्तव में व्यक्तिगत सुख और सामूहिक सुख में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं हैं तथा सुख एवं दुःख पूर्ण रूप से व्यक्तिगत भावना है । जो वस्तु मुझे सुख पहुंचा सकती है वह हो सकता है दूसरे अन्य व्यक्ति को दुखदाई हो । हित

एवं भलाई या है ? यह भी एक व्यक्तिगत विचार है । प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु या काय जो हितमूर्छे मानेगा जो कि उसके सामने दो होगी । सब व्यक्तियों में युरा एवं हित या है इस पर समझोता होता समझ नहीं है । यह भी पूर्ण सत्य नहीं है कि सामाजिक हित या सामाजिक सुख समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख या हित जो पूरा कर सकते । युरा एक भावना मात्र है । पौर यह भावना यह वेष्ट एक जीवित ग्राणी में ही पाई जा सकती है । किसी भी वस्तु या वार्य की योग्यता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हो सकते हैं पौर इस सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितकोण से सोचेगा । इस तथ्य को समझने में वैश्वम प्रसकल रहा है । यदि किसी वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिये भिन्न होगी, पौर जैता कि वास्तव में गही है, राज्य के कार्य का उपयोगितावादी सिद्धान्त अध्यायहारिक होगा । इस सम्बन्ध में प्रो० एसल या वचन है—

“व्यक्ति के हितकोण से उपयोगिता तथा समाज के हितकोण से उपयोगिता के सम्बन्ध को समझने में उसकी चरकनता है । उनका यह अभियोग कि प्रत्येक आनवादी अवहारिक रूप से यह मानते हैं कि सत्य और सत्यव्यक्ति के उनका अर्थनुसार घलग-घलग हो सकता है पौर यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिन्हें होता है । वैश्वम का यह तर्क है कि ये सब प्रकार के कानूनों को वंगु यना देता है । योकि यह इस प्रश्न किसी भी वस्तु की उपयोगिता या है; घर्ष-हीन कर देता है । परन्तु या वैश्वम सत्य वा मिदान्त भी इसी परिणाम पर नहीं प्राप्ता । यदि भीरी भलाई का मापदण्ड मेरा प्राप्ता आनन्द है यह मापदण्ड मेरी रुचि पौर इच्छाप्रो के अनुगार होगा सभवतः ऐसी कुछ वस्तुएँ हैं जिनकी गत व्यक्ति इच्छा करते हैं किन्तु सब व्यक्ति उन वस्तुओं को उसी प्रकार से या उसी ग्राम तक नहीं चाहते और सब व्यक्ति दूसरी प्रोग्र मिल वस्तुओं की भी इच्छा करते हैं ।

(तीसरा एन्ड प्रौद्योगिकील आइडियाज घोष की रिकोल्यूशनरी ऐसा पृ० १६१-१६२)

प्रत्येक कानून को योग्यता की वसीटी पर जाचना होगा । इसलिए प्रत्येक कानून की वसीटी होगी कि वह प्राप्ति प्राप्तन्द उत्तमन करता है या नुसा । यदि प्राप्ति तथ्या में यह प्राप्ति प्राप्तन्द देता है तो इसको सागू विया जायगा जिन्हें यदि यह देखदायी है तो इसको रद्द कर दिया जायगा । ऊरो हा से यह एक गीपी पौर गाफ वसीटी मालूम पहली है, किन्तु पह निश्चय करने के लिए कोई भी कानून या राज्य या वार्य युरादाई या दुरादाई है हमारे लिए यह प्राप्तव्यक है कि हम उसके द्वारा उत्पन्न पूर्ण सुख या दुःख या प्राप्त साधारें । किन्तु अध्यायहार में ऐसा करना असम्भव है । पौर इसलिए उपयोगिता वी वसीटी प्राप्तव्यहारिक है ।

जॉन स्ट्रुवर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ‘उपयोगितावाद’ में प्राप्ति से व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के लिदान्त को स्वीकार विया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति के दार्थों

वा उद्देश्य धर्मिक से धर्मिक गुण को प्राप्ति है और यदि धर्मिकाश व्यक्ति धर्मिक से धर्मिक गुण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप मामाजिक गुण निश्चय ही प्राप्त हो जायगा । किन्तु उतने भौतिक सुखवादी सिद्धान्त में एक परिवर्तन भी किया है । सुख और दुःख को नीतिक आधारों पर उसने दो भागों में विभक्त किया है । थोड़ा और निष्ठा । किन्तु मिल ने इन नीतिक आधारों को हमें नहीं बताया । नीतिकता धर्मिकतर रूढ़ियों पर आधारित होती है और जीता कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं—सत्य और अमत्य के सिद्धान्त में समय और काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है । किर सुख स्वयं एक कानून और राज्यों के कायों को जीवने के लिए एक मापदण्ड है । इस मापदण्ड का भी एक मापदण्ड कैसे हो सकता है । इसलिए मिल का उपयोगितावादी सिद्धान्त अताकिंव व भ्रष्टाण् है ।

मिल वैन्यम के धर्मिक से धर्मिक गुण के सिद्धान्त को राज्य के कायं शोत्र में नीतिक आधारों की बोटी पर जाचें बिना मानने को तैयार नहीं है । मिल में अपने उपयोगितावाद को व्यक्तिगत प्रादर्शों पर आधारित किया है । वैन्यम के उपयोगिता के सिद्धान्त वा महत्व श्रोतु इन्हें वे शब्दों में इस प्रकार है—

“वैन्यम और उसका उपयोगितावाद इसको स्पष्ट रूप से मानता है कि राज्य का मुख्य आधार वेवल एक आदत मात्र है—भाजापालन की आदत । उनका बहना है कि राजनीतिक रामाज एक जीवित मनुष्यों वे समूह से जो कि उन छहेश्यों से प्रेरित होता है और जो कि प्रत्येक के साधारण अनुभवों में से धर्मिक या कम कुछ नहीं है । इसरे कायों का निर्णय पिछली पीढ़ियों वे समझोता या गविदाम्भो या वतंमान योद्धी के द्वारा प्रचलित रूप से मान लिए गए हैं । किन्तु दूसरे सब मानवीय कायों की भौति जीवित मनुष्यों के सुख और दुःख के विवारों से निश्चित होते हैं । सब सर्वाएँ, रुद्रिया, रीतिरिवाज और उत्सव वाहे जितने पुराने, महत्वपूर्ण या ऐच्छिक क्यों न हो, वेशार हैं यदि वे प्रश्नदा स्प से तत्काल धर्मिक से धर्मिक व्यक्तियों के धर्मिक से धर्मिक प्रावन्द को उत्पन्न नहीं करते हैं । जब प्रादर्शवादियों के समक्ष प्रश्नदारण, अल्पनाएँ और रहस्यवादों वे स्पान पर यह सरल और जीवित सिद्धान्तों को रखा जाता है तो सुनने वाले सहमनि और स्वीकृति की घबरायम्भावी प्रतिक्रिया होती है ।”

(प्रोतिटिकल ध्योरीज, फ्रॉम इस्टो, दू स्पेन्सर पृ० २४५)

इन्हें के इस उपराहार से बहुत कम व्यक्ति सहमत होगे । उपयोगितावादी सिद्धान्त औद्दिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों पर सुरक्षित है । यह वेवल राजनीतिकशास्त्र को सामान्य ज्ञान के आधार पर यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसको व्यवहार में नहीं साया जा सकता । यद्यपि यह दावा किया गया था कि यह व्यवस्थापिकाओं राजनीतिकों वे व्यावहारिक कायं शोत्र वे लिए एक बोटी का

कायं करेगा । यैन्यम् और उसके उपयोगितावादी शिदान्त भी प्री० ऐसन द्वारा भी गई कही आलोचना से प्रथिकांश विचारक गहमत है ।

“पह यहा जाता है कि यैन्यम् सामान्य मुद्दि का दार्शनिक है किन्तु गैर यह पहुँचा कुम्हे उसमें सामान्य मुद्दि दर्शन के रूप में भेष वदते हुए मिली है और यहा देने वाले वास्तव में, वेशार प्रोग्राम और प्रन्पविश्वास पर प्राप्तारित साम्प मरिषुति तिए हुए हैं जो कि बुद्धन दंदा करते हैं । यह गैर पूरी तरह स्वीकार करता है कि जब यैन्यम् वास्तविक बास्तु वी आलोचना एवं वाद-विवाद करता है तब उसकी सामान्य मुद्दि और उसके मोटिक विश्लेषण के पैने पर तथा उसकी भावा की निश्चितता के कारण उसके जो अप्रेजी विधि के उत्तर्हे हुए शैक्षण में सुपारी का नियोजन वस्तुन्त राफलता के साथ किया है । जब आप उसके व्यावहारिक नियंत्रों पर पहुँचेंगे तब आप उसके समस्त प्रपूर्ण बाहरी परिणाम स्वरूप उत्तम घटाकिक, नीतिक और गतिवैज्ञानिक शिदान्तों की ओइ सहते हैं । और तब आप यह देखते हैं कि उसके बहुत से पनुमान नहीं हैं जो कि सामान्य मुद्दि व्यावहारिक व्यापों में बनाती है । इन सबका वेक्षण भर्यं पह है कि प्रत्येक वस्तु पे विषय में वह यह पूछता है कि इसका उपयोग क्यों है ? हम गब भी यही करते हैं और सदैव करते रहे हैं केवल उस समय ही नहीं करते हैं जबकि हम इस बात को पूछने की कोई व्यावस्थावाला नहीं समझते । हमारा भत्तेद 'उपयोग' व्यावहारिक सम्बन्ध में होता है । यैन्यम् के विचार में बानन्द एक घरेभी सुत व उपयोग भी वस्तु है हूसरों के अनुकूल सानन्द वेक्षण एक पठना मात्र है जिसका घोटा या कोई महत्व नहीं है । हमारे उपयोग के संबंध में विचार हमारी मान्यताओं के ऊपर निर्भर करते हैं और यथार्थ में दोनों वस्तुएँ सामान हैं । हमारा मान्यताओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक भत्तेद है । इन गब की अपेक्षा बहुत जो ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में हम गहमत है । यद्यपि हम उनकी उपयोगिता के अंशों के सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं ।”

(गोपन एण्ड बीसिटिक्स इंडियाज औफ दी टिकोल्यूशनरी ऐरा २० १७३)

व्यक्तिगत न्य गे मैं गांधीजी के प्रथिक सहमत हूं जो कि उपयोगितावादी शिदान्त को हृष्यहीन शिदान्त मानते हैं । हम इसी भी अलापत जाहे वह वितना ही घोटा यसी न हो जिसी भी वहमत से लिए जाहे वह वितना ही बढ़ा ज्यो न हो, बलिदान नहीं कर सकते । उपयोगितावादी प्रशान्तिता से ५६ प्रतिशत वा यसिदान कर देंगे यदि उस विद्यान से ५१ प्रतिशत को प्रशान्त होने की रामभावना होगी । राज्य और समाज के प्रस्तावक का एर मात्र उद्देश्य सब की भवाई है । प्रत्येक राज्य का उद्देश्य मानने वालरियों के लिए थे जीवन प्राप्त करना है । यह राज्य का एक

नीतिक कर्त्तव्य है और राज्य का एक नीतिर मापार भी है। किन्तु उपयोगिता का सिद्धान्त प्रावश्यक रूप से बहुम् । १। सिद्धान्त है और इसके कार्यों की कसीटी बहुमत की भलाई है। इसलिए यह सिद्धान्त हृदयहीन एवं अनेतिक है।

उपयोगितावादी राज्य के कार्यों को धर्मिक से धर्मिक लोगों की मधिर से धर्मिक भलाई के लिए चाहते हैं। सबसे पहले जेसा कि हम ऊपर तक के द्वारा गिड़ कर चुके हैं धर्मिक से धर्मिक भलाई का पना लगाना प्रसन्नभव है वयोकि भलाई एवं प्रसन्नता मादि पूर्णरूप से अक्तिगत वस्तुयें हैं। द्वितीय धर्मिक से धर्मिक लोगों का वया घर्थं हो सकता है। स्पष्ट रूप से धर्मिक से धर्मिक लाया का घर्थं है १००%। ऐसे उपयोगितावादी का विश्वास तब लोगों की भलाई में नहीं है इसलिए वेत्यम के सिद्धान्तों में यह एक उनित परिवर्तन होगा कि हम यह कहे धर्मिकतर लोगों की धर्मिकतर भलाई।

उपयोगितावाद या दृष्टिकोण मुख्यतः भौतिक है। उपयोगितावादियों के अनुसार तो हमें वही कार्य करने चाहिए जिनसे कि हमें धानन्द प्राप्त हो। उपयोगितावादी यह भूल जाते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जिनके करने से हमें प्रत्ययिर कष्ट एवं दुख भी हो सकता है किन्तु किर भी हमें उन कार्यों को करना ही होगा। वयोकि ऐसे कार्यों का करना हमारे लिए परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए, प्राप्त कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रावश्यक है। यदि अक्तिगत कार्यों की एवं मात्र कसीटी उपयोगिता होगी तो समाज स्वार्थी इच्छायों की पूर्ति का एक धोत्र मात्र रह जायगा और हमारी समस्त मादर्श भावनाएँ एवं कार्यों पां पत्त हो जायगा। इसमें गे धर्मिक अक्ति परसे कष्टदायक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे और सामाजिक अधिन में अध्यवस्था पां जायेगी।

जनसत और प्रचार

जनगत और प्रचार की प्रकृति के मध्यमें अधिकत वर्तमान जनान्दी में सामाजिक शास्त्रों के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त मानवशक्ति है। इनका महत्व जनसत्त्वीय राजनीति में इस अवधरण्य के विश्वास से और बहुत से दोनों में अधिनायकत्वीय अवधरण्यों की स्थापना से प्रधिक बढ़ गया है। दुर्मालियवत् प्रचार प्रत्येक राज्य की तीव्रता वी सफलता के लिए एक मानवशक्ति अस्त्र हो गया है। विज्ञान ने हमें जनता का पहुँचने के लिए ऐसे साधन प्रदान कर दिये हैं जिन प्रचार का प्रभाव—धौरे यह अच्छा प्रचार हो या बुरा—अधिक व्यापक हो सकता है और कभी-कभी विज्ञानदारी भी हो सकता है। विश्व के अधिनायकत्वीय शास्त्रों में जनता के मनोविज्ञानिक लोकण के लिए तथा युद्धवास्तु में विश्व के सब राज्यों में और शास्त्रीय जनता के उपायादन एवं प्रयोगण में इन शास्त्रों के महत्व हो हम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। अध्यावहारिक राजनीति के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इन शास्त्रों का यही प्रथम जानना एवं यह समझना कि इनका अध्यावहारिक उपयोग बीरों होता है, अत्यन्त प्रावश्यक है।

जनसत या है? इसके अध्यवस्थ में अधिकारियों के विचार प्रस्ताव एवं अधिकारियत होते हैं। यथार्थ में जनसत बीरों बनता है या जनसत या है यह यताना राम काये नहीं है। बहुत से इनको जनता की राय मानते हैं—राजनीति के जब 'जनता वी राय' शब्दों वा प्रयोग करते हैं तो उनका अध्यं बहुमत वी राय में होता है। कुछ सोग जनसत को एक प्रकार की गामान्य इच्छा मानते हैं जो जि गमान्य में सबके हित के लिए है। इन दोनों में से कोई भी बात ठीक नहीं है और स कभी हो ही सकती है।

प्रजातन्त्र के लिए जनसत के महूत्व के अध्यवस्थ में हम कभी भी अतिरिक्त नहीं कर सकते। प्रजातन्त्र में सरकार निर्वाचियों की इच्छा के प्राप्तार पर बनती है। उनके द्वारा सत् परिवर्तन होने पर आगामी चुनाव में हटाई भी जा सकती है। इसलिए प्रत्येक प्रजातन्त्राम सरकार के लिए प्रावश्यक है जि यह जनसत वा प्रावश्यक

करे, इसे समझे और यदि हो सके तो जनमत को अपने पदा में करने की चेष्टा करे अधिनायकत्वों एवं सर्वाधिकारी राज्यों का आधार ही प्रचार एवं जनमत है और राज्य इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है कि यह जनमत सदा उसके पक्ष में ही बना रहे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त उन सब व्यक्तियों के लिए जो कि समाज और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, जनमत के परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। जोसफ एस० रोसेक के अनुसार—

“समाज शास्त्री जनमत को सामाजिक नियंत्रण का एक साधन मानकर, मनोवैज्ञानिक बातावरण और पिण्ड गुणों का व्यक्तिगत मत के निर्माण में वया स्थान हो, सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रचार का व्यक्ति और समूहों पर वया प्रभाव हो, न्याय शास्त्र के विद्यार्थी जनमत का सार्वजनिक नीति पर प्रभाव, राजनीतिक वैज्ञानिक इसका सरकार पर प्रभाव और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं का इस पर प्रभाव वे, पत्रकार कला के विशेषज्ञ उन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा समाचार पत्र समाचारों के प्रसारण से मत और मनोरजन के साधन वे रूप में जनमत पर प्रभाव डालता है और स्वयं भी जनमत के द्वारा प्रभावित होता है।”

(द्वन्द्विय संचुरी पौलिटिकल थोट पृ० ३५६-३७)

जनमत और प्रचार की परिभाषा करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। जनमत की परिभाषा करने के लिए हमें स्पष्ट रूप से पहले यह समझता होगा कि जन वया है एवं मत वया है। साधारण, जो मत दिया जाता है वह बास्तव में मत नहीं होता, उसको हम विश्वास कह सकते हैं। रोसेक ने मत की परिभाषा इस प्रकार की है—

“मत एक निष्पर्य है या किसी भी समस्या पर एक निर्णय है जिसका निर्माण किसी विचारधारा और तथ्यों के आधार पर जिनको जौच लिया गया है और जिन पर वाद-विवाद किया गया है, निर्माण किया जाता है। धर्मिक से धर्मिक मत हिसों भी हृष्टिकोण का केवल अपरिपुष्ट प्रनिनिधित्व करता है। हृष्टिकोण किसी भी मान्यता या अवस्था या विभिन्न मान्यताओं वे प्रति सक्रिय या निष्क्रिय रूप से कार्य करता है।

(द्वन्द्विय संचुरी पौलिटिकल थोट पृ० ३६०)

हरमैन फाइनर के अनुसार जनमत इन तीनों में से एक बस्तु हो सकती है। या तो वह तथ्यों का एक सप्रह है या यह किसी विश्वास का प्रकाशन है और या वह किसी भी कार्य को करने का इरादा है, जबकि जनमत से हमारा प्रथं इच्छा शक्ति से होता है। फाइनर के शब्दों में—

" १) दत्तों ने राम्रह के हृष में मत का पर्याप्त साधारण वक्तव्य होते हैं जैसे 'रोटी का मूल्य कम हो गया है' या 'मैं जानता हूँ कि रामुक्तराष्ट्र सध है।'

" २) विश्वास के हृष में मत का अर्थ ऐसले तथ्यों का समूह ही नहीं परन् उसके साध-साध भविष्य में होने वाली पठनायों के सम्बन्ध में विद्यय-वाणी भी है। उदाहरण स्वरूप 'रामुक्तराष्ट्र प्रभरीका समाजकारी नहीं होगा' वह तथ्यों को प्रभावशाली जनता है और हिटोंको या निर्माण करता है।"

"(३) इच्छा शक्ति व हृष में जनमत में तथ्य और उन तथ्यों का विश्वास निर्माण करने के लिए मूल्याकन और इसके परचात् वह पोषण या प्रमुक कार्यक्रम का वालन करना लाभदायक होगा : जैसे यि क्षया 'चीन यो ऐसोमोज' के साथ पुढ़ करना चाहिए"—ही या ना ? और या 'क्या अर्णु भेद को सबको बताना चाहिए' ही या ना ?"

(मोठन गवनमेंट पृ० २५)

इसनिए हम यह कह सकते हैं कि मत विसी भी विशेष रामस्या के प्रति एक हिटोंग है जिसको कि विचारधारा पर प्राधारित करके एवं तथ्यों का विस्तैपण करके निर्माण किया गया है। विन्तु हमारी बठिनाई जनता (जन) शब्द वी परिभाषा करने में और भी अधिक है। यह शब्द प्राप्त है और इसका ठीक पर्याप्त जनमत की जानने के लिए प्रावश्यक है। विसी भी समाज में एक से अधिक जनता ही सकती है। यह बताना कि एक स्थाई जनता के बाया लक्षण है या उसकी क्षय परिभाषा है प्रसम्भव नहीं तो बठिन प्रवश्य है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जनता व्यक्तियों का वह समूह है जो कि एक निश्चित भूमि पर रहते हैं जिनके सामने एक ही प्रवार की समस्याएँ हैं और वह उन समस्याओं पर याद-विचार द्वे एक ही प्रवार की विचारधारा के आधार पर करते हैं। प्रत्येक सामाजिक समूह में दो वस्तुएँ होती हैं—(अ) एक से अधिक व्यक्ति, (ब) इन व्यक्तियों के बीच में सम्बन्ध।

"बड़ीबरण का आधार"....."हमारा तत्कालीन चर्देश्य एवं हित है। यदि हम विसी भी सामाजिक समूह के भौगोलिक पदा में शक्ति रखते हैं तो हम उसे ऐसे नाम देते हैं जैसे कि पठोत, रामुदाय, राज्य या राष्ट्र। यदि हमारा हित मुहूर्यत, सामाज्य विचारों, मतों, सिद्धान्तों, यमों या हिक्यों पर प्राधारित है तो हम ऐसे शब्द उपयोग में जाते हैं जैसे कि सम्बन्धाय, दल या जनता। इससिये जनता एक ऐसा रामूह है जो कि विसी भी समस्या पर सक्रिय हृष से या निर्विकार हृष से सोच समझ कर निरुप सेता है एवं बायं करता है।"

(दूदनिटप्प लंकुरी शौलिटिल घोट पृ० ३६२)

डाक्टर चाइल्ड का इस गम्भीर में मत है कि—

“जनमत की बहुत सी परिमापाए वास्तव में इसलिए है कि इनके विद्यार्थियों में इस शब्द को जनमत के किसी एक पथ, जिसमें कि वह विशेष रूप से रुचि रखते हैं, सीमित करने का प्रयत्न किया है।”

(एन इन्ड्रोइवसन टू पब्लिक प्रोप्रीनियन पृ० ५)

इसलिए जनमत शब्द का साधारणत अर्थ है कोई भी विश्वास जो कि साधारण रूप से किसी भी विशेष समूह के सदस्य रखते हैं। साधारणत इनको हम व्यक्तिगत इच्छाओं का साहियकी योग मान सेते हैं। किन्तु यह गलत है। जनमत निर्धारण में समस्त लोगों का मत या बहुमत का मत भी आवश्यक नहीं होता। व्यक्तिगत मत और जनमत दो भिन्न घटनाएँ हैं। व्यक्तिगत मत जनमत का रूप ले सकता है किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि किसी विशेष समूदाय का बहुमत उस मत से सहमत हो जाए। इसलिए अब हम जनमत की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—

“जनमत एक प्रकार का मतीक्य है जो कि किसी भी निश्चित समय या इधान में प्रघलित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के धारार पर निर्मित होता है और यह विरोधी भावनाओं एवं विश्वासों से संबंधित होता है। इसकी जड़े विशेष हितों, परम्परागत पक्षपातों, अपूर्ण समाचारों, तकन्युक्त या तकन्हीन वाद-विवादों तथा ग्रन्थ कोई तत्वों से संबंधित हैं। यह किसी भी समूह के सदस्यों द्वारा प्रदेशान्तर समझाव का चुनाव का प्रकाशन उन समस्याओं के विषय में है। यद्यपि यह वाद-विवाद हो सकता है किन्तु वह सम्पूर्ण समूह से सम्बन्धित है।”

(ट्रिनिटी टैंचुरी पोलिटिकल षीट रोसेक पृ० ३५८)

जनमत के निर्माण के लिए निश्चित समस्याओं का होना आवश्यक है। ऐसी समस्याओं के प्रस्तुति के बिना जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व का काशमीर के सम्बन्ध में कोई राजनीतिक जनमत उस समय तक नहीं या जब तक कि बाशमीर समस्या की उत्पत्ति नहीं हुई थी। प्रायः यह समस्याएँ भूठी समस्याएँ होती हैं और उनको कुछ राजनीतिक दल, या नेता या प्रपने स्वार्थी, हितों के लिए उत्पन्न करते हैं। यह राजनीतिक दल, नेता या पत्रकार या कोई प्रधिकारी प्राप्त स्वार्थी इनको या तो जनता को गुमराह करने के लिए या अपने भाइ वा जनता को हृष्टि में बनाए रखने के लिए या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पन्न करते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह प्रायः कठिन है कि वह एक सच्ची एवं भूठी समस्या के बीच में भेदभाव कर सके। उदाहरण स्वरूप कुछ काल पूर्व कुछ दलों ने अपने स्वार्थी हितों के लिए पूर्वी प्रजाव में एक भाषा की समस्या उत्पन्न कर दी है और यह समस्या कुछ काल के लिए उस प्रदेश के लिए एक भ्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या हो गई है।

जनमन के निर्माण में नेताओं दा भी महत्वपूर्ण योग होता है। ये वह व्यक्ति हैं जो इंद्रांश्चित्र कार्यों में सहि रहते हैं तथा उनमें सहभित्र हैं। उनसे निए यह दृश्यन् प्रावश्यक है जि वे मार्वंश्चित्र ममत्यापों में मध्यग्नित मममन तप्यों एवं औहों का प्रभयन करें। उनका लोक राष्ट्रांप गे समाजर इयानीय तह है। राजनीतिक, सामाजिक, प्रापिक एवं साहित्यिक समस्याओं पर उन्हें दिक्षार एवं प्रभयन करना आवश्यक होता है। इनमें से भी उच्चे महत्वपूर्ण राजनीतिक दबों के नेता, समाजार दबों के गम्भार, प्रवक्ता, अपेक्षक, विश्वविद्यालय के निश्चक तथा समाज बुद्धिमती सूच्य है। राजनीतिक दबों के नेता यद्यपि इस प्रयत्न में रहते हैं जि उनका उनके दब के दब दो व्यक्तिकार कर में। यह यत्र ग्राम्य उनका ग्राम्य का मत होता है। प्रदेश राजनीतिक दब के निए यह आवश्यक है जि वह उनमन को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करे। यदि वह राजनीतिक दब जानि में है तब उपरा यह उद्देश्य होता है जि वह गणकार के दबों को उनका ग्राम्य और डटूलत की यह विश्वाम दिवाने कि उपरकार यों गृह्य का रही है वह उनकी भयाई के निए है और उन परिस्थितियों में जिनमें हि गणकार बाम कर रही है उनके दब ने उन्हें नीति की ही धानाया है। विरोधी दबों का मरेव यह उद्देश्य होता है जि यह गणकार के शिर्ष जनपद निर्माण करे और उनका के अधिकार भाग को इस बात का विश्वाम दिवाने कि गार्भीय समस्याओं के वामदग्ध में दो गुम्भाव ये दे रहे हैं जे गम्भारी नीति में परिक ग्र छे हैं या वे ही टीक गुम्भाव हैं। उनका बायं प्रायः गणकार और उनके दबों की आपोचना करता होता है। यह आपोचना केवल आपोचना भाग ही होती है और इसमें कोई गहर नहीं होता। उनका उद्देश्य एवं विरोधी जनपद उत्पन्न करके आपार्मी चुनाव में गणकार की अतिक्रों को खाने हाथ में लेता होता है।

गम्भार एवं प्रवक्ता प्रायः दिग्गी व दिग्गी दब दा दुर्जीतियों के द्वारा निर्देशित होते हैं और यह निर्देशन उन्हें धारिक कारणों के बागा र्वाहार करता पड़ता है। दिग्गी भी गणकार पक्ष को आधिक सहायता के बिना उनका ग्राम्यकर है। और यह गणक सहायता जो भी देता यह एवं की नीति को प्राप्त यज्ञ में जनपद निर्माण करने के लिए निर्देशित है जिनके बिना। गायत्रां व्यति प्रायः ग्रने गम्भार, प्रवक्ता द्या ग्रन्तेष्वद वी गुरुनः र्वाहार कर देता है। मेलक, बुद्धिमती एवं विश्वविद्यालय के गिराह उत्पन्न निर्माण में उच्चे उम प्रवक्तामात्री व्यक्ति होते हैं। उनका उत्पन्न निर्माण में प्रायः ग्राम्यक सावध्य होता है। गायत्रां वे ग्रना हृष्टिकोल प्राप्त रहते, बुद्धि एवं तर्फ के ग्रापार पर और उन गम्भयों के गृह्य ग्रभयन करने के प्रवक्ता ग्रन्ती गम्भ में ग्राम्यकर करते हैं। इन दक्षार के व्यक्तियों में ये बहुत उम व्यक्ति सत्रिय राजनीति में भाग लेते हैं या वे गायत्रां व्यति के गम्भर में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उत्पात्रग्रु हैं। ग्राम्यकर जै ग्राम्यी, जी दी, एवं काल, विद्वी एवं वैष्ण।

इन नेताओं में गत को जगता तक प्रसारित करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों में बिना ग तो जगता तक ही उनका गत पूर्ण रहता है और ग वे अपने गत को जगत का रह देने में सफल ही हो सकते हैं। यह साधन यह साधन है जिसके द्वारा विसी भी राजनीतिक नेता, सामाजिक वरकार, या मुद्दिजीवी का गत जगता तक प्रसारित होता है और कुछ समय बीतने के पश्चात जगत का रह गे रहता है। ऐसे कुछ गहरायूर्ण साधन रेडियो, सामाजार-पत्र, पुस्तकें आदि हैं।

समिकांश देशों में रेडियो राज्य द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित है इसलिए दाका उपयोग वेतन राज्य के द्वारा साम्यता प्राप्त सामाजारों एवं हिटकोलों के प्रसारण में लिए ही हो सकता है। यह हिटकोल साधारणत उत्तर देश में होते हैं जिसके हाथ में राज्य की वक्ता है। रेडियो का साधन इन देशों में सब पक्षों को प्राप्त नहीं हो सकता विशेषत विरोधी दलों एवं उन युद्धजीवियों को जो कि रारकार की गोति में आत्मोक्त है। भारतवर्ष में भी ऐसी ही स्थिति है। कुछ देशों में जैसे कि रामुराराट्टु मरीका में रेडियो रारकार द्वारा नियन्त्रित नहीं है। यहाँ पर बहुत से नियंत्री रेडियो प्रसारण कर्त्तव्यी है जिसे कि कोई भी व्यक्ति या दल रेडियो साधन लारीद राजता है और अपने हिटकोल को जनता तक प्रसारित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विरोधी दल रेडियो का उपयोग जनता से सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत सकते हैं जिसमें रेडियो को एक व्यापारी राज्य करने में कुछ कठिनाइयों भी है। तथा यह साधन के पार उन व्यक्तियों एवं दलों की पूर्ण में ही रह जायगा जिसके पार रेडियो साधन को लारीदने के लिए आवश्यक पता है। रेडियो के नियन्त्रण की सर्वथेष्ठ प्रणाली संभवतः एक स्वामानित राष्ट्रीयकरण की हुई संस्था जैसी कि इस्लाम में है और जो कि प्रत्येक पक्ष के नेताओं में अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए सामग्रित कर सके तथा जो रेडियो को गवार्य में जनता से संबन्ध स्थापित करने का एक साधन बना सके।

सामाजार पत्र या तो विसी राजनीतिक दल या विसी विशेष हितो द्वारा नियन्त्रित होते हैं। सम्भवतः हम में से कहुतों की इस बात पर आशय हो कि सामाजार पत्रों से कोई साम नहीं होता और प्रायः उनको बनाने में आधिक हानि ही होती है। इसलिए उनको बनाने के लिए बाह्य सामिक सहायता की आवश्यकता होती है। उसकी गोति जहाँ से उसे आधिक सहायता मिलती है वही से नियन्त्रित होती है। सामाजार पत्र इसलिए उन सामाजारों के प्रतानित गही बरते हैं जिनको नि उनको नियन्त्रण करने वाले गोति निर्देश दवाना पाहते हैं। या मे उनको इस प्रशार से प्रकाशित करते हैं जिससे गारारण व्यक्ति जो कि एक गरारी हिट से सामाजार पत्र पढ़ता है ग पढ़ पावे। यहाँ पर हम यह ध्यान रखना है कि सामाजार पत्र को गढ़ने कालों में से समिकांश व्यक्ति संसारी ही गढ़ते हैं। ऐसे सामाजारों को

यह समाधारण मुम पृष्ठ पर नहीं द्याते हैं, उनको वीच के टिकी पृष्ठ पर गाँव में तथा घोटे पश्चारों में द्याते हैं। जिन गमगधारी को यह जनता तक पहुँचाने पाहते हैं, उन्हें वे बहुत ही मोटे पश्चारों में शुम पृष्ठ पर भ्रहणित करते हैं। समाधार पत्तों का वह भाव किनहों कि हम 'पीसड प्रेत' कहते हैं, इससे भी प्रथिक भ्रुष्टित वार्ष फरता है। यह ग्रन्थ समाधार क्षमता, कल्पित तमाचारों का निर्माण करता और समाचारों को मनोवादित रूप देता है। भूटों गमस्थापों के निर्माण में तथा भ्रुष्टिदायीपूर्ण मत के प्रभावन में यह वीजा में भ्रुत्य है। गायारणतः गायारण व्यक्ति एक ही समाधार पत्र पढ़ता है इसलिये उसे समाचारों एवं हस्तिकोणों का बेकम एवं ही पद्धति प्राप्त होता है। उसके गाय न इनके समय है न जति और न उसका इनका मानसिक विचार या वीजना है कि यह हर गमस्था का विस्तारपूर्वक भ्रव्यन न हो, सम्पूर्ण एवं प्राप्तहों को एकत्रित करे और क्षय उनके आधार पर गमना व्यक्तिगत हस्तिकोण निर्माण करे। गायारणतः समाधार पत्र पढ़ना ही उसका प्रवेश वीदिक व्याधाय होता है। यह इसलिये याने तमादक या तवार के भत गर ही निषंदर रहता है जो कि उसके सामने पदार्थ पूर्ण और स्वर्णी गतों को रखते हैं। यहाँ पर हमें यह भी याद रखता है कि ऐसे समाचारण को जि जनता और गायु के प्रति धने उत्तरदायित को मनमते हैं, बहुत योग्य है। प्रथिराज समाधार पत्र ऐसे हैं जो कि या तो विशी पश या स्वार्थी द्वारा निर्मित है इसलिए वे पश्चातरहृत हो ही नहीं रहते या वे वीने प्रेम को घोगी में घाते हैं जिनका कार्य जनता की मादनाधों को उत्तमाना और उनके साम उठाना है।

जहाँ तक पुस्तकें, परिवारे और ऐसे ही जनता तक पहुँचने के साधनों का प्रबन्ध है हमें यह ध्यान रखना होगा कि इनका दोनों गमाधारण की तुलना में अत्यन्त ही सीमित है। यह गायारणतः सामाधय जनता के लिए एक्षियों तथा उच्चे वीदिक स्तर के होते हैं तथा उनकी गमन के बाहर होते हैं। भारत वेरों देश में जहाँ पर कि जनता धरित्वित है जनता में गमव्यय स्थानित करने के इन साधनों का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर प्रथिराज व्यक्ति पढ़ना जानते ही नहीं। ऐसे देशों के सिए मुनने और देसने याने साधन धरिक प्राभदायक हीं जैसे कि रेहियो, मिनेमा मादि। हम तिनेमा को फैलनों के सम्बन्ध में जनता निर्वाचन के रूप में जानते हैं। इस गायन का उपयोग हम जनता को देख भी समस्थापों से गवात पराने के लिए और एवं स्वस्य जनमत निर्माण के लिए नहीं रहते हैं। ऐसी देशों में जनमत निर्माण के लिए गायवंतिक भावलु भी पहुँचपूर्ण यापत हैं। सार्वजनिक गमाधों में हमारे यही व्यक्ति गंदव्या में जनता के एकत्रित होते था एक मुख्य कारण यह भी है कि यही एक ऐसा गायन है जिसके जनता के प्रथिराज ग्रन्थ द्वारा गढ़ते हैं।

चिन्ह एव संवेत भी जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन है। रोकेन
के अनुसार—

“चिन्ह या संवेत वे सरलता से पहचाने जाने वाले वस्तुएँ, आवाजें, कार्य, या
दृश्ये तरीके (शब्द, लेखनी, राष्ट्रीय छवजा, राष्ट्रीय चिन्ह, गीत, सङ्गीत, विदि-
ताएँ एवं मूर्तियाँ) जो कि धर्मने से अधिक और कुछ भी प्रतिनिधित्व करती है
और जो साधारणत भास्त्राजिक महत्व के विचारों, कार्यों या वस्तुओं को
उत्पन्न करती है (पद के विचार, महत्वाकाशाएँ, सिद्धान्त, विचारधाराएँ, प्रेम,
काल्पनिक कथाओं आदि) इसलिए वे सामाजिक नियन्त्रण के प्रभावशाली
तरीके एव प्रयोजक हैं। जो व्यक्ति यह ध्यान में नहीं रख सकता कि मावसे-
वाद का सिद्धान्त क्या है वह भी एक संकेतात्मक नारे के द्वारा जैसा हि ‘विश्व
के मजदूरों एक हो’ प्रभावित होकर कार्य कर सकता है।”

(द्विनियम सेन्चुरी पोलिटिकल थोट पृ० ३६४)

एक ही चिन्ह या संवेत का विभिन्न जनताओं के लिए विभिन्न भर्य हो सकता
है। ‘विश्व के मजदूरों एक हो’ इस नारे की प्रतिक्रिया पूँजीपति एव मजदूरों पर
गिन्न रहोगी।

अमरीका की प्रचार विस्तैरण संस्था ने प्रचार की परिभाषा इस प्रकार
की है—

‘व्यक्तियों या समूहों द्वारा संचेतन रूप से कार्य या मत प्रकाशन व्यक्तियों या
समूहों के कार्यों एव मतों को एक पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए करना है।’

(द्विनियम सेन्चुरी पोलिटिकल थोट पृ० ३७०)

डॉक्टर चाइर्स इस परिभाषा को और स्पष्ट करते हैं—

“प्रचार शब्द का भर्य उन विचारों, सिद्धान्तों एव मतों में है जिनकी किसी
उद्देश्य के लिये प्रसारित किया जाता है।

(एन इन्डोइंडेन हू प्रिलिक थोरीनियन पृ० ८१)

✓ हरमन फाइनर प्रचार की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—

“व्यक्ति या जनता की इच्छा को यह तर्क देकर विचार विनियम की ओर से
शब्द करना या शक्ति शोषित करना कि फिसी भी नीति को पूरा बरने के
लिये केवल एक ही मार्ग है और वही संवर्धने एवं विकास कर सकता है।”

(भोडर्न एवन्मेंट्स पृ० २६०)

राजनीतिक नियन्त्रण के लिये एव जनमत निर्माण के लिए प्रचार एवं अत्यन्त
ही महत्वपूर्ण भूमत्र है। प्रचार की विधियों का ग्रन्थिक विवाद सर्वाधिक राज्यों
ने विशेषतः नास्ती जमंनी ने किया है। प्रचार का भेद एवं हैटिकोण की निरतर

दुनियावृत्ति देखा हुये और वह हाइटोएं को जनता के मामले पूछते हो रहे थे । यह दुनियावृत्ति दम गमय तक हीनी चाहिए जब तक कि जनता का अधिकार नाम द्वारे नियोजित न करते । प्रचार की सत्त्वता रामय के द्वारा जनता के सम्बन्ध अपारित करते हैं यद्यपि मामलों के पूर्ण नियन्त्रण पर नियंत्र छरवों हैं । यह नियन्त्रण जिनका दरा देता जनता ही राख द्वा एक वक्तीय हाइटोएं जनता में हीरार करते में समझा प्राप्त होती है । इसीसे हेतु देखा में जनता और जिसी हाइटोएं ही जानेवी भी नहीं ।

भाल्यों जनवी ने प्रधार की विधियों को पूर्णतः विश्वित किया था । जनसत हर सम्बन्ध अपारित होने के सब मामलों पर वेमे वि गेटियों, ट्रेन, प्रवासन, बाहर में घाने वाने समाचार और सार्वजनिक जापान आदि पर पूर्ण नियन्त्रण समाप्त परे परने हाइटोएं को नियन्त्र जनता के मामले रखने का ली इन ने उन्हें विद्वान्तों के प्रचार में दर्दनाक महत्वता दी थी । सामलों के लिये पूर्ण और इह नियन्त्रण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाना गमनव है कि वे उन एक ही प्रधार की विधान रखता है और सार्वजनिक उपक्षयों का एक ही गुम्भाव है । इससे यह भी समझव है कि मानवीय विचारों को संर्वाइन्ट कर सके । प्रवासन इस मीला तक कभी भी नहीं जा सकते ।

प्रधार के उद्देश्य एक सोम के गमन्य में दो मत हैं । ममने और माटिन मादि बृहद नियम प्रधार को आवश्यक रूप में बुरा गमन्य है और इत्यादिये वे उनकी सार्वजनिक विधा में विश्र मानते हैं । उनका यह मत है कि प्रधार की प्रकृति ही हुगरों की पोरा देना और माने व्यादों की रक्ता करना है । इन्तु बृहद और सेवक देने हि समर्वेग, चार्टन्य और कियर आदि गमने तथा माटिन के मत की एक वक्तीय सम मानते हैं । उनके प्रनुभार प्रधार दृष्ट्या भी ही जनता है तथा जन विधा वा एक गापन भी ही उठता है । इसके द्वारा जनता तक निये विचार पूछताये जा गहनते हैं तथा यह उनके मानविक विधाय वा महावृग्म गानन मी हो । उठता है । उनके प्रनुभार प्रधार मादि प्रधार पूर्ण और स्वार्थी हुवों के निये नहीं है तां विधा वा एक महावृग्म गापन है ।

इन्तु गायारेतुः प्रधार वा उपयोग जनता के मनोवैज्ञानिक गोपानु के निये विधा होता है । इसका उपयोग जनसत के नियंत्रण के निये होता जनता की दृष्ट्या तथा उपयोग की गान्त उत्तर के निये गदर्नीतिक इसी एवं गरकारी द्वारा किया गया है । प्रधार वा जनसत के नियंत्रण-सम्बन्ध के इस में उपयोग आपूर्विक रूप में ही दृष्ट्या है । इन्तु इसका गायर्नीति गायत्र और जनसत के विधायियों के निये महावृग्म इमविए ही गया है कि मनवीयिकारी गायर्नों द्वारा इगरे दुग्धयोग के बागा ही महावृग्म और हानिकारक परिवाम हूवे हैं ।

यदि हम प्रचार का जन मस्तिष्क पर प्रभाव करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रचार की सर्वथोल्ड विधि यह होगी कि जनता के मस्तिष्क में दूसरे पक्ष या राष्ट्र के प्रचार के विरुद्ध जनता के मस्तिष्क में एक भय उत्पन्न करदे। अधिकाश व्यक्तियों के मस्तिष्क में ऐसा भय इस प्रकार के प्रचार के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा और यह प्रतिक्रिया उस ओर से आने वाले तमाम विचारों और समाचारों के विरुद्ध उन व्यक्तियों को अपने मस्तिष्क बन्द कर देने वो बाध्य कर देगी। यह एक मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करेगा कि यदि हम दूसरे पक्ष की सुनेंगे तो हमारा मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक शोषण होगा तथा हम अपने तथा अपने राष्ट्र के हितों को हानि पहुँचादेंगे। अधिकाश प्रचार विशेषज्ञ जनता के अध्य-विश्वासों एवं भयों से साम उठाते हैं और उनको उस बात पर विश्वास करने को जिनमें कि वे उनको विश्वास कराना चाहते हैं बाध्य कर देते हैं। प्रायः ऐसी घटनाएँ या अवस्थाएँ उत्पन्न की जाती हैं जो कि एक विशेष प्रचार की सफलता के लिये धावश्यक परिस्थितियों उत्पन्न करने के उद्देश्य से होती हैं।

प्रचार के तिए ऐसे नागरिक सर्वोत्तम हैं जिनका मस्तिष्क एकदम रिक्त हो या जो अपना कोई मत नहीं रखते हों। १९१४ में अमरीका के नागरिक प्रथम महायुद्ध की समस्या पर ऐसे ही नागरिक थे। वे मिश्र राष्ट्रों तथा जर्मनी दोनों पक्षों के सम्बन्ध में समान रूप से अज्ञानों ये और वे इन दोनों के बीच में चुनाव करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इसलिए ब्रिटेन के प्रचार विशेषज्ञ अमरीकन नागरिकों को अपने पक्ष की नीतिक थोळता का विश्वास दिलाने में सफल हो गए। एटलाटिक समुद्र के टटो को बाट देने से वे जर्मन पक्ष के विचारों को अमरीका तक पहुँचाने से रोकने में सफल होगए। ब्रिटेन का प्रचार प्रायः कल्पना की सीमा तक पहुँच जाता या जिन्तु वह पूर्णतः अमरीकनों द्वारा स्वीकृत हो जाता या क्योंकि उनको न तो योरोपियन पृष्ठभूमि का बोई ज्ञान या और न योरोप की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई पूर्व निश्चित विचार ही था। ब्रिटेन के प्रचार ने जर्मन सौगों को उनके समझ एक असम्भव जनता के रूप में रखा जो कि विसी का आदर नहीं करते हैं और जो कि सम्यता के हर प्रकार प्रतीक को नष्ट करना चाहते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ब्रिटेन द्वारा यह बाल्पनिक और भूता प्रचार किसी सीमा तक अमरीका के प्रथम महायुद्ध में निपुणित होने के लिए तथा उस तर्कंहीन, अन्यायपूर्ण और निर्मम सन्धि जिसके द्वारा मुद्दा का भन्त हुआ, उत्तरदायी था।

शिखित अमरीकन नागरिक भी जिनको हम मानसिक रूप से विशित मान सकते हैं ब्रिटेन के इस प्रचार के सही रूप को समझ न सके। उन्होंने भी जर्मन, बर्बरता और निर्देशता की ऐसी बाल्पनिक व्याख्या को जैसी विविजयम में बढ़ावी दे छिर बाटने की, प्रा-स में महिलाओं वे रतन काटने की, बनाडियन सेनाओं को कीले ठोककर फैसे पर टाप देने, विविध रूप रुदानों ('कृ') बिनाश करने की,

प्रत्यरोक्तीय कानून को पुरुं रुद में लंग करने पादि की कथाओं पर दिना किसी तर्के के विवरण कर चिया। इसमें हम यह कहना कर सकते हैं कि अमिया और सर्वेश के अधिकार राष्ट्रों के नामे और प्रतिक्रिया नामांकों पर हिन्दा अधिक प्रबाद ही सकता है।

राज्य के द्वारा उनमन नियन्त्रण का एक दृष्टिया महावृत्त मापन बाहर से आने वाले समाचारों पर गंभीर लक्षण है। यही प्रधार इसी विचार की नियन्त्रण दृष्टियाँ हैं वही समाचारों पर यह गोह मापन (censorship) उन विचारों की दबावा है यह कहता उत्तुल नहीं है कि भाजान में यानन्द है या हम उम्मीद में अनादित नहीं होने विषयों कि हम नहीं चाहते। राज्य उन समाचारों पर गंभीर साक्षाता है जिनसे यह उनका उच्च दृष्टिने नहीं देना चाहता है। किंतु मीमा तह उनमन नियन्त्रण के लिए समाचारों पर गोह प्रधार से भी अधिक महावृत्त है। समाचारों पर यह रोक बेकार सरकार और उसकी सम्पाद्यों द्वारा नहीं होती। यह नियमी सम्पाद्यों प्रधार नियमी स्वार्थ नीं इन मापन को कान में लाते हैं। जब समाचार पर युक्त रहने के एक विवरण में सरकारी नियमी समाचारों पर गोह होती है। शायद समाचारों पर यह रोक लगाने में समाचार दर्तों को अवश्य नहीं होता। यह रोक समाचारों की रोक से ही नहीं है। या तो समाचारों को हेतु में मना किया जाता है या उनसे इसी विषय उड़े रूप में विद्युत रूप दिया जाता है।

उनमन इमरिए इन तब मत्तों का एक विवरण गमित्रात् है। यह इसी अवधि, देव का या देवाक दापने वाले यजूह का या किसी बाहरी स्वार्थों हितों का मत ही सहना है किन्तु इसका यदि दीइ २ विनियोग दिया जाये हो यह किसी भी दृष्टि से या इसी भी जनका के अधिकार वदन्यों का मत नहीं होता है। यह अविनाश एक भावना है। विषया प्रधार सामृतिक और ऐतिहायिक पृष्ठ भूमि है। सामाजिक और सामृतिक घटिया, प्राप्तात, भव, और आकाएँ हैं और इन पद दर्त्यों का प्रधार विवेषक के द्वारा भावे स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपयोग है। इनका में सम्बन्ध स्पार्ति करने के लक्षितामी गायत्र प्रधार विनेश विन्दु व नारे निर्माण प्रादि के द्वारा यह गम्भीर है कि इस विनी भव्या भी भावने लिए उनमन नियमात् में सहन हो जाए। और वह तब ऐसा ग्रहण कर उठ जनका का मनोवैज्ञानिक गोप्य होना रहेगा और हमारा प्रवानन्व उन सोगों के हाथ में एक सिनीता साक्ष होगा जिनमें इन मापनों की नियन्त्रण उत्तरे दा प्राप्त करने ही लक्ष होती।

कल्याणकारी राज्य की समस्याएँ

राजनीति विज्ञान में समाज कल्याण के विचार का प्रादुर्भाव हाल ही में हुआ है। सन् १९५८ ई० तक सामाजिक विज्ञान के विश्वकोप में कल्याणकारी राज्य शब्द उही नहीं दियाई देते थे। कल्याणकारी राज्य की सज्ञा उस राज्य बो अपनाती है जो अपने सब नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर रखवाने के लिए उत्तरदायी समझे। देश में प्रान्तरिक शान्ति रखने और बाहरी प्राक्रमणों से गुरुदा सम्बन्धी कृत्यों के प्रतिरक्त राज्य के सब कार्य प्रस्तावकारी कार्यों के हो मन्त्रगत आ जाते हैं। यदि प्रकार वी समाज सेवा, गुरुदा, वेकारो को सहायता और के सब प्रार्थिक नीतियों जो घन को समाज में उत्तम कार्य से अधिकाधिक गमनना से बाटने पर प्राप्तरित होती है, समाज कल्याण की गति विधियाँ ही बहलाती हैं।

कुछ ही समय पहले सेवा, निजी प्रथा व्यक्तिगत सूक्ष्म जैसे परिवार, प्रार्थिक सम्पद, दान तथा दयासु नागरिकों आदि पर निर्भर थी। सेन्ट टामस एविनेस दान को शारीरिक का एक ग्रनिकार्य कार्य मानते थे। परन्तु प्राचीन प्रथा मध्यकाल में राज्य द्वारा अधिक समाज सेवा नहीं थी जाती थी। प्राषुनिक युग के सुन्दरात और समाज सामन्ती से छाने से छुटने के साथ राज्य बो नितान्त प्रनाय और निर्धन सोयों के साथ कुछ न कुछ करने को याद्य होना पड़ा। ऐलिज़ाबेथ कालीन इंगलैंड में, वेकारो को काम देने और यूँहे प्राहिजों के लिये शरण गृह तथा बच्चों के धनायात्र स्थायी करने सम्बन्धी निर्धन कानून सागृ करना पड़ा था। लेविन इम प्रकार की समाज सेवा भौतिक प्रान्ति हो जाने के बाद कम करदी गई। सन् १९३४ का इंगलैंड का नियंत्र कानून स्पष्ट है गे यह बताता था कि उसके अन्तर्गत सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाय जो वास्तव में नियंत्र हो और जो सहायता दी जाए वह मजदूरों की सामान्य मजदूरी से कम न हो। यह नियम इमनिये धनाया गया था कि लोगों में प्रातस्य न कैसे और के जो न चुरायें।

उम्रोनदी शताब्दी के अन्त तक राज्य का सम्बन्ध बेवल ऐसो रोबायो के बिचे जाने तक ही स्थापित रहा जो बेवल उसे हिंदूर रखने के लिये आवश्यक थी। यह नम्रभौतों के पालन बिया जाना तक थी। इस समय राज्य की निरेषात्मक या पुलिस राज्य कहा जा सकता है। औदोमिक शान्ति की प्रगति के साथ यह आवश्यक माना जाने लगा कि राज्य की आदिक धोष में अधिकाधिक हस्तक्षेप देना चाहिए बड़ोहि यथा पूर्व रहने देने वाली नीति से दुसो और फ्रीयण तथा सूट खड़ोड घायब रूप से पैल चुकी थी। सामन्ती टौचे तथा परिवार प्रका का छटना और पूँजीवादी समाज में सामाजिक बेनन स्तर स्थापित किया जाना, जिसके द्वारा भ्रष्टेक श्रमिक से अधिकतम वान लिया जा सके और वह जीवन भर अपने को आधिक रूप से अगुरुरधित समझना रहे, जैसी परिवर्गितियों ने व्यक्ति को राज्य की नीतियों से अधिकाधिक नियंत्रण रहना गिरा दिया। इस प्रकार महिला अद्यता कल्याणकारी राज्य कीमती सदी में ऐसान्त ही आवश्यक हो गया।

“यद्यपूर्वं स्थिति” वाली उदारता का सिद्धान्त अन्तिम निष्ठायों को, परिवर्गित परिवर्गितियों पर तथा आदिक और राजनीतिक जीवन की स्वयं मन्तुसित होने वाली शक्तियों के चमत्कारों पर छोड़ देना है। इसनिये उदारतावाद के इस मुग को उद्देश्यों और मूल्यांकनों को सामूहिकता तथा जीवन की मुख्य समस्याओं के प्रति निरेषात्मक नीति रखने वाला कहा जाता है। ‘यद्यपूर्वं स्थिति’ वाली उदारता ने गमनों के महन किये जाने की नीति को निष्पक्षना समझ लिया।”

(इदानीमिति घार अवर टाइम पृ० ६-७ काले भेनरोम का उद्धरण)

इस भूल ने निष्ठय ही मानवता के कष्टों को बहुत बढ़ा दिया और दीसवी शताब्दी में प्रजानन्द के प्रति भयानक प्रतिक्रिया उत्पन्न ही। उन देशों में जहाँ प्रजातीविक परम्पराएँ शक्तिशील थीं और जहाँ अपिनायक जनना को दिव्यासु दिलाने में सफल हो गये कि प्रजानन्द में उनके हुए कभी दूर न हो सकें, वहाँ कामिट और साम्यवादी प्रदान सधेष्य में बहा जाए हो सब प्रकार के संवेदनिभान, एकनन्द राज्य स्थापित हो गये। यदि प्रजानन्द को जीवित रहना है तो उसे बहुत स्थिति के नवेन्द्रों मूल्यांकन करने हीमि और महिला कल्याणकारी राज्य को स्वेच्छा करना हो गया।

मार्ट्रेट कौल ने इस दिशा में दीसवी शताब्दी की विदेष प्रगति को सधेष्य में इस प्रकार दराया है।

“(१) समाजवादी नीतियन अनुराज्य साध द्वारा अपने द्वितीय के आरम्भ में ही शामादिक गुरुद्या व अन्य सामाजिक कानूनों की तहित वो सामूहिकता, जो इस दिशान् धोष के अधिक विद्युत हुए जानी में आहे

जितने ही समय में प्रभावगाली ढग से क्रियाशील हो पाये हो, फिर भी ससार के सुधारकों को इन उदाहरणों को देखने और समझने वा अवसर प्रदान किया ।

"(२) राष्ट्र सघ और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सघ द्वारा अमिको के कार्य करने की अवधि तथा परिस्थितियों आदि की अन्तर्राष्ट्रीय नियमावली का लागू कराया जाना ।

"(३) युद्ध के तुरन्त बाद ही ब्रिटेन के सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र में वेकारी के विरुद्ध अनिवार्य बीमा योजना का चलाया जाना ।

"(४) स्वीडन की सरकार द्वारा विशेष रूप से इस हाप्टिकोए का अपनाया जाना कि आधिक मन्दी के समय सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जनता के घन से वेकारी दूर करने के उपाय होने चाहिये ।

"(५) युद्धों के समय फैन्च सरकार द्वारा इस बात में अधिकाधिक रुचि रखना कि परवारों की सहायता के लिए पारिवारिक मत्ते देवर ही न की जावे वरन् बड़े-बड़े परिवारों के गारकों को यथासम्भव सम्पूर्ण प्रकार की सुविधायें दी जावें ।

"(६) सभवत सबसे बड़ा कारण अमेरिकों राष्ट्र सघ द्वारा यदि राजनीय सहायता के सिद्धान्त को नहीं तो आत्म निभंरता के महान् आवार को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देना । सन् १९२६ के बाद की आधिक मन्दी और उससे छुटकारा पाने के लिये रजवैल्ट को नई कार्यवाही द्वारा जो पग उठाये गये उनके फलस्वरूप एक स्तर निर्दित कर दिया गया कि अमरीकी जीवन स्तर इस सोमा के नीचे नहीं जाने दिया जायगा । यद्यपि बहुत से अमेरिकी नागरिक याज भी इस सध्य को मानने से इन्कार करते हैं कि वे एक कल्याणकारी राज्य में, जैसा कि आजवल ब्रिटेन में है, रहते हैं, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितनों सामाजिक सुविधायें यहाँ उपलब्ध हैं और जितने सोग उनसे लाभ उठाते हैं वह किसी भी देश से अधिक बम नहीं है । "और इन सबके साथ ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार द्वारा सन् १९४५-५१ ई० में बनाये गये बाबूनों की शृङ्खला तथा सन् १९४६ ई० का शिल्प शिक्षा बाबून ब्रिटेन द्वारा राज्य की समस्त मैनेजरी शिक्षा नि.शुल्क कर दी गई, और शामिल कर लेने चाहिये ।

(शोसल बेलफेयर पृ० १३-१६)

मार्पेट कोल द्वारा दी गई सूची में एक महत्वपूर्ण घटना जो रह गई है, वह भारत सरकार द्वारा वैषानिक जनतात्रिक तरीकों से भारत में समाजवादी ढग के

समाज की स्थापना बरते वा निश्चय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनवरी १९५२ में के अपने प्रधानी प्रधिकरण में भारत की आदिक योजना वा उद्देश्य गमाजबादी छग की समाज की स्थापना करना रखा। शांति पूर्ण तथा देवानिक रीति से प्रजातात्रिक समाजबाद भारत के बल्याएकारी राज्य में स्थापित दिया जाइयगा।

संक्षिप्त या बल्याएकारी राज्य स्वभावतः अपनी गतिविधियों का काम देने वहूत अधिक रोगा तक बढ़ा देगा। राज्य द्वारा जितनी सेवाएँ की जायेगी उतना ही राज्य कायों वा विस्तार बढ़ता चला जायगा। इसी कारण राज्य को अधिकाधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। बल्याएकारी राज्य की स्थापना के लिये मपरिमित पन की आवश्यकता होगी और यह बड़े से बड़े धौलोगिक राज्य के लिये भी संभव नहीं हो सकेगा कि वह सम्पूर्ण समाज बल्याएँ का ध्यय बहन कर सके। ब्रिटेन, जो कि बहूत धौलोगिक राष्ट्र माना जाता है अपने यहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वा ध्यय नहीं उठा सका और केवल आसो और दोतों के इसाम की ही अवस्था बरा पाया।

हर राज्य की आधिक धार्य के सांत या तो कर अवस्था से और या राष्ट्रीय उद्योगों से मार्गी अहल पन राशि हुमा करते हैं। परन्तु करो और अहलों की भी एक सीमा होनी है और राष्ट्रीयकरण आवश्यक प्रयं अवस्था बरते का बोई निश्चित मान नहीं है। ब्रिटेन के धनुषवों ने गिर कर दिया है कि राष्ट्रीय उद्योगों की प्रवृत्ति घाटा उठाते रह कर खसने की हुमा करती है। इसलिए या तो हम राज्य में पूर्ण रूप से आधिक नियन्त्रण मारू करें अग्न्या हम पूर्ण रूप से बल्याएकारी राज्य स्थापित करते में समर्पण नहीं हो सकेंगे।

ऐसा राज्य तभी सम्भव है जब उसमें उत्पादन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति की हटिंग से किया जाय, साम्भ उठाने के हटिंगबोए से न दिया जाय। आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु किये गये उत्पादन से उपमोग की वस्तुओं की मांग साज की दृष्टेश संबद्धी युनी वह जावेही और तब हम राज्य से बेकारी को समूल नष्ट कर सकेंगे और जीवन स्तर को भी अधिक ऊँचा उठा सकेंगे। परन्तु उपमोग के लिये हिया गया उत्पादन उसी समाज में संभव है जहाँ केवल उत्पादन पर ही नहीं बरू दितरण पर भी पूर्ण नियन्त्रण की अवस्था हो। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस हम तथ्य को उठा के लिये अस्थीठरह ते नमक लैं कि द्विविद्या के लाल किये जाने वाले नालं कभी सफल नहीं होते। मिसी जुली आधिक अवस्था जैसी बोई वस्तु नहीं होती। या तो हम पूर्ण रूप से समाजबाद को स्वीकार करते अग्न्या बल्याएकारी राज्य के सम्बन्ध में बोई चर्चा करना ही थोड़ा है।

बल्याएकारी राज्य के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है जागरिकों को पूर्ण हम से आधीविक प्रदान बरतों भी होता है। यह तभी संभव है अग्नि राज्य में तब्दी

प्राजीविका प्रदान करने के यथेष्ट साथन उत्पलस्थ हो । हृत्रिम रूप से जीविका प्रदान करने के साधनों की व्यवस्था समस्या का बेवकु भस्यायी हल ही होता है । इस समस्या को मुखभाने के लिये हमें तीव्र ग्रीष्मीयकरण का यहारा सेना होगा और उत्पादन, उपभोग के हृष्टिकोण से ही करना होना जिससे अपरिमित उत्पादन और जीविका प्राप्त हो सके । बेवारी नष्ट हो जाने पर बहुत सी राज्य की कल्याणकारी राज्य का व्यवधारणा भी बहुत शक्ति हो जायगा ।

भारत जैसे ग्रीष्मीयक हृष्टि से पिछड़े या बृद्धिप्रधान राज्य कभी भी कल्याणकारी राज्य की स्वापना में सफल नहीं हो सकते जब तक कि वह ग्रीष्मीयकरण के सिद्धान्त की नीति पर न चलें जिसमें कि उत्पादन और तदनुसार जीविका के साधनों का यहारा सम्भव हो । यह ग्रीष्मीयकरण भी कल्याणकारी राज्य की स्वापना के निश्चित उद्देश्य से विद्या जाना चाहिये और यह सुनिश्चित योजनायों पर सफलता पूर्वक कार्यान्वित करके ही शीघ्रता पूर्वं र स्थापित हो सकेगा । प्रत हमें सुनियोजित प्रजातन्त्र को अपनी योजनावद प्रयत्नि के लिये स्वीकार करना होगा । हमारे निये अपनी जनतान्त्रिक प्रणाली के पुछ गुणों का पुनः मूल्यानन्द करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है । प्रजातन्त्र को जीवित रहने के लिये अपने मूल्यों को फिर से गुणारना संवारना होगा ।

“हमारे प्रजातन्त्र जो यदि जीवित रहना है तो उसे फौजी दण भयनाना होगा
 यह फौजी दण बेवकु सामाजिक परिवर्तनों के लिए सर्वमान्य उचित तरीकों सथा उन आपार भूत गुणों और मूल्यों, जैसे भाई भारा, पारस्परिक सहयोग, विष्टता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, ध्यक्तित्व का सम्मान आदि जो सामाज व्यवस्था को शान्ति पूर्ण दण के खलाते रहने के आवार हैं, जी गुरुका जैसे लिये होगा । नये फौजी अनुशासन वासा प्रजातन्त्र सामाजिक मूल्यों के प्रति नये हृष्टिकोण जो उत्पन्न करेगा । यह पिछले मुग के सापेदिक यथा पूर्वं स्थिति रहने दिये जाने वाले सिद्धान्त से भिन्न होगा, क्योंकि इसमें कुछ उन आपारभूत सामाजिक मूल्यों से सहमत होने वी धारता होगी जो हर ध्यक्ति को स्वीकार होगे जो परिवर्मी सम्यता की परंपराओं में आग लेता है ।”

(बाह्यनैतिक धारा अवधि टाइम कार्ल मैनहोम पृ० ७)

हमें यह निश्चित हृप समझ सेना चाहिये कि बत्तमाने प्रजातन्त्र पद्धति पर्युण है और उसे सम्पूर्ण हृप से संवारने और ठीक करने वी आवश्यकता है । हमें इस राजनैतिक प्रजातन्त्र के साथ जो भी पर्युण हृप से स्थापित है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की स्वापना भी करनी है । वास्तव में सामाजिक और राज-

नविरु प्रजातन्त्र रिना भाषिक प्रजातन्त्र के बेवत बहाना की बरतु यन कर रह जायगा परेर कभी भी उपलब्ध न हो सकेगा। इसलिये भाषिक प्रजातन्त्र की स्थापना इम युग की मद्दत महत्वपूर्ण समस्या है परेर बल्याएुरारी राज्य की स्थापना उसी दिशा मे एक प्रयत्न है। दूसरा प्रयत्न साम्यवादी राज्य की स्थापना भी है।

साम्यवादी राज्य गुनियोजित प्रणति द्वारा नई भाषिक सामाजिक अवस्था की स्थापना मे विस्तार रखता है। यह गुनियोजित प्रणति अनियायम् स्थ गे राज्य को शक्ति का स्रोत बन कर वायं करने तथा परने मे भाषिक परेर सामाजिक शक्तियों को ऐन्डीभूत करने की साधन्यता प्रदान करती है। ऐसे राज्य इग दिशा मे इग कारण घच्छी उपलब्धिये प्राप्त कर सते हैं कि वे इम सम्बन्ध मे गव तत्वों, विसेप स्थ गे जन शक्ति परेर साधन्यक पदायों का गम्भीर महत्व रह सते हैं।

“जीसा कि प्राय लोग सोचा करते हैं, भाषिक वायं राज्यों गे धनेक शायों मे धधिर निषुणता विस उनों धधिक सुध्यविद्यत तथा धन्यापूर्ण प्रचार के बारण ही नहीं हो जाती वरन् उनका इम तथ्य को सुनत ही गमक सेना इमका बारण है कि प्राज का जन समाज पर वे एकान्त मे बैठ कर यनाये गये उन निषमों मे जागित नहीं आया जा सकता जो मशीन युग गे उद्देश के दृष्टव्यमा युआ रे लिए उकित थे। उनकी निषुणता का रीत इम तथ्य मे निहित है कि दन तय प्रणियों मे सामजिक स्थापित करके वे जनता के प्रधिराधिक भाग को अस्त कर सते हैं परेर उन गर वे साम्यता, विश्वास परेर अवहार की प्रणियों साद देते हैं जो जागरिक की मूल प्रहृति से येस नहीं गते।”

(इस्कोसित धारक अवर टाइम कासे बेनहीन पृ० ३)

इन तय नई प्रणियों से साम्यवादी, जन समूहों पर भासना भधिकार अपा सते हैं परेर उनकी शक्ति को नये समाज के ध्यवस्थापन मे प्रयुक्त करते हैं। प्राजातन्त्र मे ऐसा नहीं होगा। भाषिक प्रजातन्त्र परेर बल्याएुरारी राज्य के साम वही अक्ति के नैनिय अक्तिरव वा भी ध्यान रखना पडता है। अक्ति को प्रजातन्त्र मे एक तिश्वित सीमा गे धधिक न हो दकाया जा सकता है परेर न नियन्त्रित किया जा सकता है।

इसलिये ग्रन्तेक प्रजातन्त्रीय राज्य के गामने, जो बल्याएुरारी राज्य भी होना चाहता है, धरनी योदनायों मे शक्ति या समाजवाद की स्वतन्त्रता का स्वतन्त्र हूण से सम्बन्ध पराने वा मुख्य वायं है। इग सम्बन्ध मे ग्रोंगर द० एम० वार पहुते हैं कि—

“राजनैनिय और भाषिक उद्देश्यों को मिलाने तथा प्रजातन्त्र परेर गमाजवाद मे सम्बन्ध स्थापित करने का वही वह वायं है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध गे

पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप के दुन्ह ग्रन्थ घोटे देशों को सामाजिक नीतिया प्रपनाने की ओर प्रेरित किया। राजनीतिक स्वतन्त्रता को समाजवादी योजनाओं के साथ रहने के प्रयत्नों की सम्भावना को दोनों पक्षों द्वारा से चुनीती दी गई है। साम्यवादी यदि निश्चित और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से व्यवहार में इस स्वतन्त्रता के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार वे रुद्धिवादी प्रजातन्त्रवादी भी इसके विरुद्ध हैं जिन्होंने प्रजातन्त्रीय विचारों का आधार, अभी तक मब्र और से त्यागे गये तथा 'पूर्व स्थिति' वाले सिद्धान्त पर है। दूसरी चुनीती को पाजकल की ग्रन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों ने बेकार कर दिया है वयोऽवि वे लोग जो प्रजातन्त्र के साथ नियन्त्रित योजनाओं के चलाये जाने को पसंद नहीं करते, भले ही वे जनहित में हो, इन्हीं योजनाओं को मुद्द की संयारियों के सम्बन्ध में यिनां हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं। समाजवाद साने की योजनाओं के साथ प्रजातन्त्र का सम्बन्ध एक दठिन कार्य है। भले ही यह देर में प्रारम्भ किया गया हो परन्तु यही एक ऐसा कार्य है जिससे ग्रब भी यदि युद्धों को रोका जा सके तो, प्रजातन्त्र को जीवित रखा जा सकेगा।

(न्पू सोसाइटी पृ० ३६)

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि हमारे साथने दूमरा और कोई उगाय नहीं है। हमें नया समाज बनाने को तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए अपने को तैयार करना चाहिये माम्यवादी चुनीती का सामना करने के लिये नया समाज ऐसा होना चाहिये जिसमें सबका कल्याण एक ठोस सामाजिक उत्तरदायित्व मान लिया जाय और जिसमें एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारटी दी जा सके। इस नये समाज के निर्माण का आवश्यक साधन सुनियोजित समाजवाद है।

हम सहमत हो चुके हैं कि सब 'राजनीतिक विचारधाराएं' एक सीमित रूप में ही क्रियान्वित हो सकती हैं और समाज में निरकृश तथा शाश्वत हिति में कभी नहीं रह सकती। स्वतन्त्रता भी निरकृश रूप में नहीं दी जा सकती, उसमें भी आवश्यक नियन्त्रण होना चाहिये ताकि सभी उसवा भाग उठा सकें। इसी प्रकार प्रार्थिक स्वतन्त्रता की भी भीमा होती है। यथा पूर्व स्थिति का सिद्धान्त निश्चित रूप से इसोलिये अनुचित पा कि उसमें प्रार्थिक स्वतन्त्रता को एक निरकृश विचार समझ लिया गया था। राज्य द्वारा सागू किये गए नियन्त्रणों का जन हित में स्वागत किया जाना चाहिये। पर समस्या तो यह है कि यह नियन्त्रण कैसे लागू किये जायें। यदि हम प्रार्थिक आधार को जीवन में प्रार्थिक महत्व देते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिये हम जीवन के ग्रन्थ मूल्यों का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार हम अपने जीनन का सम्पूर्ण नियन्त्रण राज्य के हाथों में दे बैठने हैं ताकि हमें प्रार्थिक सुरक्षा और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। जैसा कि बहुत से

प्रजातन्त्रवादी रोचते हैं, यदि हम पानके कि मन्य सत्त्व भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे नेतृत्व करा, जिसे हम विकल्प भी बनाना करने को संपार नहीं है तो हम राज्य के हाथों से नियन्त्रण की समस्त शक्ति नहीं दे सकते।

विना नियन्त्रण की समस्त शक्ति के दिये हुये एक ऐसे योगनायक गमाज की स्थापना जिसमें सबके सामाजिक वस्त्वाण की गारटी भी जाती है परिक तमय सेवी पौर निश्चित रूप से ऐसे उद्देश्य के प्रति प्रगति बढ़ा। धीरे पौर कठिन हो जायगी। जैसे कि इस नियन्त्र के प्रारम्भ में बताया गया है कल्पाणकारी राज्य की स्थापना में प्रायिक बोझ ग्रामान्य रूप से बढ़ जाता है जिसे इन्हें पौर प्रभेत्ता जैसे प्रौद्योगिक तंत्र में बड़े हुए देश भी पूरी तरह नहीं सहन कर सकते। इसका केवल एक उपाय है पौर वह है उत्पादन का केवल उपग्रह के लिये किया जाना। जिसके लिये राज्य को यहूत प्रधिक प्रायिक नियन्त्रण के अधिकार देने होंगे। परन्तु इस मार्ग के पथनाने में भिन्नक भी या घावशक्ता है ?

प्रजातन्त्रीय गमाज में जहाँ गरजार जासित वर्षों की इच्छा से यहाँ जाती है यह प्रधिकार भी जागित यमं हो देगा पौर उत्तरा प्रयोग भी यैपानिक ढंग से ही जिया जायगा। यदि इन अधिकारों का प्रयोग जनता को पराद नहीं है तो ग्रामों चुनाव में ही सरकार को यदना जा सकता है। राजनीतिक ग्रामों में योड़े गे परिवर्तन के साथ प्रजातन्त्रीय वैष्णविक गूँज द्वारा गमाजवादी प्रोत्ता के ग्रामात् सहन जिया जा सकता है।

इस ग्रहांत कल्पाणकारी राज्य के साथने महत्वपूर्ण प्रायिक तथा समाजवाद की स्वतंत्रता के साथ समन्वय करने की समस्याएँ हैं जिनकी हमने अभी घर्षा भी है। कुछ पौर भी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हमें कल्पाणकारी राज्य में सामना करना पड़ेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या काम करने के लिये वेरणा प्राप्त बने ही होगी। नये गमाज में अमिको से अधिकार उत्पादन कराने को कैसे प्रेरित किया जायगा? अब तक हमारा यह अनुभव रहा है कि लोग राज्य सेवक होकर काम नहीं करते, प्रधिक ग्राम उनमें अस्तित्व इस से दिनचर्या सेने वाला कोई नहीं रहता। नये गमाज में काम कराने को वेरणा क्या होगी यह एक ऐसी समस्या है जिसका हस पासान नहीं। प्र० ८० एवं १० बार का रहना है—

“प्रायिक गमाज से कल्पाणकारी राज्य में परिवर्तन ग्रामी उपभोगे प्रत्युत बर रहा है। कल्पाणकारी राज्य के यातोषणों का बहुता है कि सामाजिक गुवियायां गे प्राप्त गुण और रहन-नारहन वा ऊँचा स्तर अमिक भी मुम्भूक और स्वतंत्रता को कम करेगा। यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसमें सहजाई है। उप्रीगीर्वी गमाजी के उत्थोगपति जिस बात से ढरते थे, वह पह थी कि यहूत प्रधिक गहायता व बहुत प्रधिक गम्यनना अमिक को ग्रोपाहूत प्रधिक

स्वतन्त्र य भारत निर्भर था। देवी और इतीतिये वह उत्तोग के प्रावश्यक घनुषासन मे बग रह पाएगा। भाज यही ढर सापने है। दूसरे विश्व मुद्दे से पहिले यह वहा यथा था कि अमिक सप्तो को जय यह पता लगा कि प्रथम बेकारों की आविक सहायता पहिले की भाँति इन सप्तो की प्रणीति निषिद्ध मे से न होकर सार्वजनिक बोल मे से होगी तो उनके भाव साथ करने के होतो यहूत बड़ गये। बह्याणकारी राज्य मे प्रत्येक व्यक्ति को नाम दिए जाने की गुविधा से अगिक मे यह भावना भर जाती है कि यथा उसे प्रत्येक दण में साम ही खाभ है, हानि की सो बोई सभायना ही नही। ऐसी परिस्थिति मे वेतन दरों को ऊंचा होते जाने वा रास्ता साफ कर देती है तथा ऐसे समय यथा कि सामान्यत, वरतुणों के गूलग रतर ऊंचे उठ रहे हों और रहन-नहन के स्तर पर दयाव बढ़ता जा रहा हो, इस प्रवृत्ति को दीखना असम्भव हो जाता है।"

(वि ध्यू तोताइटी पृ० ४८-४९)

बह्याणकारी राज्य के लिए सप्तमुख मे यह एक गम्भीर खतरा है। ड्रिटेन के घनुभवो ने यह चिद किया है कि सामान्यत, राष्ट्रीय उत्तोग पाटे मे चलते हैं और ऐसे उत्तोगों का राज्यकीय प्रबन्ध काम मे विप्रिलता तथा प्राहुको के प्रति उत्तेष्ठापूर्ण व्यवहार उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक राष्ट्रीय उत्तोग एकाधिपत्य व्यापार होता है और प्राहुक से 'सो खाहे गत सो' वाली झरो नीति अपनाता है। हमे जन साधारण तथा राज्य अधिकारियों वो कल्याणकारी राज्य की इस नई नीति के घनुषार ढासना और गिराना होगा जिससे व्यक्ति की चेतना मे वे बोमल भाव उभरे जिनके द्वारा वह सामाज और राज्य से एकाग्र भाव रख सके और यहने कर्त्त्यों की पूति भी एक नई चेतना के साथ ही परे।

सातार की विद्यही हुई तथा परतम उपनिषेदो के सामाजिक आविक विश्वाम ये विभिन्न घन्तराष्ट्रीय सहाय्यों ने वहा गद्दखूले वायं विद्या है। इनके वायं को 'सामाजिक बह्याण वायं' शीरके वे भागतांत रखा जा सकता है। यीसवी शताब्दी से उत्तरायं से सातार मे घन्तराष्ट्रीय सहाय्यो ढारा सामाजिक बह्याण के वायों के दोन मे वही उन्नति की गई है तथा विश्व के राष्ट्रों ने सामाजिक आविक व्यवस मे भी अभूतपूर्व सहाय्योग प्रदान विद्या है। विश्व रक्तारच्य सप्त तथा राष्ट्र सप की गिरात संस्कृति तथा विज्ञान सरगा मे न बेकल यहने को घन्तराष्ट्रीय अग्निः सप की भाँति तुल्य घन्तराष्ट्रीय द्वारा विवर बरने तक ही सीमित रखा बरन नियामक हृष से बम उत्तरालि राष्ट्रों वो समाज बह्याण के लिये है उत्तिवस्त्र व्यक्ति दिवाने, आर्थिक तथा राज समाज की गुविधाएं दियाने मे वही सहायता की है। यथापि आविक कठिनाइयों से यह 'वायं' तुल्य सीमा तक सीमित हृष मे ही हो पाये हैं किर भी इस राष्ट्रत्व मे उग्होने प्राराभ से ही वहा सराहनीय 'वायं' विद्या है इसमे बोई ग-देह नही।

एक प्यान रखने की बात यह भी है कि समाज वस्त्याएँ वे कार्यों पर जिसी विशेष प्रकार की सरकार या सिद्धान्त विशेष का ही एवं अधिकार नहीं है। यदि एक और समाजवादी सोवियत गृनियन है तो दूसरी ओर जैसा कि हम इस निवन्य के बहिले भाग में ही बता चुके हैं, पूँजीवादी प्रभावी की सफलता है। यह कार्य सम्बन्धित देश की सामान्य धर्य व्यवस्था का विचार जिसे दिया भी जिसे जाते रहे हैं। कहाँचिन् यह जान कर बहुतों को आश्चर्य होगा कि जमीनी भै यह 'प्राइवेट ऑसिटर' की सरकार या ही कार्य वा कि उसने स्पूल राष्ट्र में ध्यापक रूप से सामाजिक दीमा योजना खालूँ कर दी ताकि 'सोशल इंसोफ्ट' भवित्व प्रभाव न बढ़ने पाए। कालिट तामाजाही ने भी नागरिकों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकार द्यीन कर बढ़ाने में उनके लिये बहुत सामाजिक सुविधाएँ वा सूचनाएँ दिया तथा प्रदान की। इसीलिये हम निवन्य रूप से इस विषय पर पहुँचते हैं कि घोलोगिन शान्ति से उत्पन्न कुछ परिस्थितियों के कारण बीतावी जातावी में यह नितान्त प्रावश्यक हो गया कि बहुत से राज्य समाज वस्त्याएँ वी व्यवस्था बरें। यह और यही कारण है कि साज वस्त्याएँ कारी राज्य की स्थापना एक दिपर व्यवस्था में आ जाती है।

सशिय राज्य का विचार हमारे लिये विस्तृत नया है। बहुत से सभी ऐसी पर्यावरण सम्बन्धीय व्यवस्था रुदिवादी भाषी भी इसे प्राप्तने दिमाग में बिठाने में प्रतीक्षा रहे हैं। यही बारण है कि प्रान्त सम्बन्धी राज्य अमेरिका जैसे प्रजातम्भ वस्त्याएँ बारी मध्ये बदल देने में शिक्षित और खोजने रहते हैं। इसके पूर्व कि हम इस निवन्य को समाप्त बरे मह आवश्यक है कि हम उन कारणों और परिस्थितियों को समझ से जितके कारण राज्य के कार्यों में समाज वस्त्याएँ वार्य इतने मुश्वर रूप में जा सका।

सशिय राज्य का भान्डोलन पिछली देव जातावी पूर्व पारम्पर्य हुआ था। टॉम ऐने, रोबट घोवन तथा शुरीग के द्वारा विचारकों ने पहली बार राज्य द्वारा हस्तांत्र करने की आवश्यकता तथा यथा पूर्व स्थिति रहने दिये जाने की व्यक्तिगताएँ और बुराइयों पर प्रवाण दाला। बाद में मानसं और एन्जल्स भी राज्य की इस नवारात्रक तथा तटस्थ रहने की नीति पर जिसे गये आशमणों में सम्मिलित हो गये। वीक्षित दणों की सहायतावार्य दिये गये उनके तर्क निवन्य ही अपिक्ष भानवता और सहानुभूति से ग्रोत्प्रोत है। उनकी मुख्य मौग यह थी कि समाज को वियात्मक रूप से प्रपने सदस्यों की भलाई के लिये हस्तक्षेप करना चाहिये और कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिये। वे लोग सामाजिक व राजनीतिक सम्पादों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत्थ्य समझते थे कि प्रधान जीवन व्यक्ति दिये जाने के लिये आवश्यक साधन जुटाये जाये। लेकिन यह सब दार्शनिक विचार बहरे कानों पर पड़े और उनका फोई अधिक राजनीतिक प्रभाव नहीं हो गया।

उपरीसवी शतवरी की चिकित्सा विज्ञान और विजेष हप से सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी विज्ञान की प्रगति ने भी राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सीमा बढ़ाने तथा दून ग्रामक रोगों को पैलने से रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाये रखने में बहुत कार्य किया। इस प्रगति ने न केवल सफाई सम्बन्धी कानून बनवाने पर मजबूत निया बरन् गव्हर्नर वस्तियों को हटाने और अमिको के कार्य की दशा सुधारने के सम्बन्ध में भी बहुत काम कराया। यह भी पता लगा गया कि सार्वजनिक हप से सफाई रखे जाने के सब कार्य गव्हर्नर हैं जब तक कि गव्हर्नर वस्तियों को नहीं हटाया जाता और कारखानों में होने वाले कार्यों की दशा में सुधार नहीं किये जाते। अत्यधिक घनी गव्हर्नर वस्तियों, हवा और प्रकाण के साधनों से हीन कारखाने, अमिको के कार्य करने की शोभनीय परिस्थितियों ही मुद्रण रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मृत्यु सम्बन्धी तथा धीमारियों के कारण थे। राज्य को इन परिस्थितियों को सुधारने के लिये हस्तक्षेप करने और बानून बनवाने पर मजबूत होना पड़ा। यही कार्य राज्य को समाज कल्याण के मार्ग पर ले आवे और उराका परिवर्तन एक नियेषात्मक राज्य से सक्रिय राज्य में होना धारम्भ हो गया।

ओद्योगिक भ्रान्ति की प्रगति से उद्योगपतियों को विश्वास होगया कि कम से कम अभिक भी उद्योग के अत्यावश्यक साधन हैं और उनकी देख रेख की जानी चाहिये। बीमारी, यकायक दुर्घटना व अम विवाद आदि पूँजीपतियों के लिये भी हानि कारी है क्योंकि इनसे उत्पादन में हानि होती है। वे इसके द्वारा इस ताकिक निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानवता पूर्ण इन इन्सानी साधनों को क्रियानील रखा जाना चाहिये। यह समझ में आजाने पर उद्योगों में कुछ निझी कल्याणकारी सम्पाद्य स्थापित की गई और बाम की दशा में भी कुछ सुधार किये गये। बहुत से उद्योगपतियों ने अपने अमिकों को अवकाश तथा मनोरजन की सुविधाएँ देकर सन्तुष्ट रखना भी अपने हित में छापभा।

प्रजातन्त्र के फलस्वरूप मताधिकार प्रसार से राज्य द्वारा समाज-सेवा के सिद्धान्त की स्थापना होगई। इससे नियेषात्मक राज्य को सक्रिय राज्य में परिवर्तित होने से वही सहायता मिली। मारप्रेट बोल ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“विशुद्ध राजनीतिक हृष्टि से प्रजातन्त्र वा प्रभाव अर्थात् मताधिकार का व्रामणः प्रसार बहुत ही स्पष्ट हुआ है। यद्यपि यह प्रसार धीरे धीरे होने के अतिरिक्त, किसी भ्रान्ति पूर्ण उपल सुधार के कारण नहीं हुआ। कभी कभी तो पूरा प्रभाव अनुभव करने में काफी समय लग गया है। प्रजातन्त्र के विसी भी प्रसार सदा जन साधारण की शिक्षा में बृद्धि की है जैसा कि स्वयं रोवट लो ने सन् १८७० में ग्रिटेन में कहा है कि हमे कम से कम अपने सभी रक्षायियों को अपने पाठ सीखने के लिये। गिर बना चाहिये। समाज

कत्याण के विषय में व्यापक स्वरूप बहुत हपट होगा कि जीते ही नये मताधिकार प्राप्त रागरिक परनी मांगो को प्रभाव शासी दण से अनुभव कराने में समर्थ होगे उन्होंने अपनी रसायारों से शामाजिक गुरुदा, जीवन के अथ एवं व्यापातों से पश्चाद तथा प्रशमित्र स्वरूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिये महायता की मांग की। इसी प्रकार जैसे ही मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई शासी को बृक्ष सोगो के लिये पैन्शन, वाम से प्रपाहिज व्यक्तियों के लिये मुधावजा, वीमारी तथा वेकारी में सहायता, प्रारम्भिक स्तर के पश्चात् गिरा में मदद, उद्योगों में निम्न स्तर के व्यक्तिको तथा नौकरियों के बड़े सोने में ऐसे ही पिंडडे वर्ग की व्यवस्था, बिना किसी उत्तराहृ और व्यक्तिक वर्ग को सिर छड़ाने गम्बन्धी प्रावाजी से वीष करनी पड़ी और इस को उन्होंने इसे एक राजनीतिक प्रावश्यकता मान लिया।¹¹

(सोशल बंसफेयर पृ. २४-२५)

इस प्रकार घनेहों की प्रावश्यकता पूर्ति, उपयित सेवाओं की व्यवस्था, नियेष-रमण राज्य का सक्षिय राज्य में परिवर्तन, यथा पूर्व हिति से तुनियोजित पर्यं व्यवस्था की पीर भुक्ति एवं ऐसी राजनीतिक प्रावश्यकता है जिसे प्रशासकीय राखार टास नहीं सहती। अधिनायकाद तक में इस राजनीतिक प्रावश्यकता को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वे भी जनता की इच्छा से ही टिके रहते हैं भले ही यह इच्छा परोक्ष हो या जक्कि के दबाव से हो।

संघवाद की समस्याएँ

इस नये युग में सधीय विधान का हृष कहूत प्रचलित है। शीघ्रगामी प्रावागमन के गायनों के धार्षण्यजनक प्राविष्टिकारों से यह समार बहुत छोटा सा रह गया है और अब प्रावश्यक हो गया है कि प्रथिक वही राजनीतिक इकाइयों का सूजन हो। यह इतिहास सिद्ध भनुभद है कि विशेष हृष से आवागमन के क्षेत्र में धैर्यानिक प्रणति के बारण राजनीतिक इकाइयों भी वही होती है। जैट और अलु सम्बन्धी प्राविष्टिकारों से यह समय आया है जब कि हमें गम्भीरता पूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना है कि तारे संसार की राजनीतिक हृष में समृक्त व्यवस्था होनी चाहिये। इस गमस्या का हल बेवल सपवाद ही दे सकता है और मार्ग प्रदर्शन कर सकता है।

राजनीतिक सप की स्थापना के लिये यह प्रावश्यक है कि जनता में राजनीतिक चेतना और भनुभद हो। प्राचीन और मध्य कालीन सपों को बेवल नाम की गता दी जा सकती है उनकी सप के स्थान पर राज्य-महल कहना प्रथिक उपयुक्त होगा। प्रायता का कहना है—

“यद्यपि सप गत्वा रेप्राचीन काल में भी थी और प्राचीनतम् सप मराहर इ० पू० छोटी शती में लीगिया में नगरों द्वारा स्थापित की गई थी वरन्तु यह प्राचीन सप छोटे छोटे गले राज्यों के ऐसे मिले हुए दल ये जो आगे गमितित गेनिव दल बनाए रखने के उद्देश्य से गायद ही आगे न बढ़ गके।” इस प्रकार सपवाद वास्तव में विलुप्त नये स्वरूप में हैं।

जब एक से धैर्यक राज्य नई राजनीतिक हराई बनाने को गमितित होने हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में आगे विभिन्न व्यक्तित्व एक इकाई में विलीन कर सकते हैं तो उसे संघ की सज्जा दी जाती है। इसरे लिये मैं जब राज्य की एक ही सीमा में, एक ही जन राष्ट्र हर, दो राज्यों रोपण-राष्ट्र अनिवार्य रहता है तो वे एक दूसरे इकाई

पा निर्माण करती है। यह पाप दूसरी भाँति, यही राजनीतिक दकाइयों से विभाजित हो जाने से भी हो जाता है जिसके उदाहरण भारत और पानाटा है। सप का निर्माण इस प्रकार साधिष्ठ पौर विच्छेद, दोनों प्रकार के कायों से होता है जो सप निर्माण के समय सत्रिय देवीभूत मूल और लक्ष्मी पर निर्भर हाता है। सप निर्माण होने से पहले की परिस्थितियाँ यही महत्वपूर्ण होती हैं और सपीय दकाई के द्वाये पर प्रभाव दालती हैं।

वे राज्य जो सप निर्माण में दिसी सीमा तक अपने व्यक्तित्व को विलीन करते हैं स्वगावत्। इस बात के लिये वहें उत्तुक रहते हैं कि संघ में उनका भावी स्थान व शक्ति गुरुरधित रहे। दूसरी ओर यह राज्य भी जो सप यनने के लिये द्वोटे राज्यों में विभाजित होता है अपने लिये यही चाहता है। इस प्रकार केन्द्रीय और विभाजित राज्यों के भावी गवर्न्य मुस्ख्यतः उन पारणाप्रो पर निर्भर करते हैं जो सप निर्माण के पूर्व लियाशील रहती हैं। विकेन्द्रीयकरण की पारणाप्रो का घर्ये केन्द्र का निर्वाल होना है जिसका पल सप की निर्वालता हुमा करता है जब कि वेन्द्रीकरण की पारणाये एक शक्तिशासी बेन्द्र और फलस्वरूप एक शक्तिशासी संघ का निर्माण करती है। यद्यपि यह स्थिति बाद में जबकि विषयान यनता है, यदस भी जाती है परन्तु यह भविष्यवाणी करना बठिन होता है कि प्रारम्भिक विषारों का ऐसी दशा में प्रया होगा। संघों में विधानों को पवित्र समझोते माना जाता है और प्राप्तः उनमें परिवर्तन करना बठिन होता है। प्रोत्तोर दायती ने ठीक ही लिया है—

“प्रथावाद वा अर्थं राज्य के अधिकारों को अनेक गह्योगी सम्प्राप्ति में जिनका जन्म और नियन्त्रण सविधान के अन्तर्गत होता है, योट देना है।”

संघात्मक और एकात्मक सरकारों में मुख्य अन्तर दो सरकारों की उपस्थिति और सह-स्थितित्व वा होता है। एकात्मक हप में प्रभुसत्ता वेन्द्रित रहा करती है जिन्हें संघात्मक हप में यह बाटी जाती है और विभाजित रहती है। परिषिकारों का यह विभाजन राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के प्राप्तार पर हुमा करता है। प्रत्येक सरकार अपने थोक में प्रभुसत्ता अन्तर्गत होती है जिसके विषय में सविधान में इष्ट निर्देश रहता है।

इस प्राप्त दग देगते हैं कि एक सप राज्य में सविधान का यहूत अधिक और विशेष महत्व होता है। यह विभिन्न सरकारों के द्वित्र की सीमित कर देता है और इसी में राह स्थितित्व के नियम भी रहते हैं। यह संविधान लिखित ही होना चाहिये। एकात्मक सविधान प्रसिद्धि हो सकता है व्योकि इसमें वेन्द्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकारों पर कोई विषाद नहीं उठता। इन्हें जैसे देश में प्रभुसत्ता संसद में निहित है और उत्तरकी यह प्रभुसत्ता बाह्यनी हप ने अनीगित है। सप राज्य में ऐसा नहीं हो सकता।

सविधान को जितना भी सम्भव हो स्पष्ट और अब्यं पूर्ण होना चाहिये। शब्दो, वाक्यों या उपनियमों आदि को अस्पष्टता गभीर विवाद उत्पन्न कर रखती है जिससे व्यायपालिका को, जो सधीय सविधान में सविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखती है, आवश्यक महत्त्व प्राप्त हो जाती है। सधीय सविधान प्रायः अपने निर्माण काल में ही भविष्य की रास समस्याओं को समझने और समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, किर भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ रह जाती हैं जिनको वेवल भविष्य ही गमने लाना है। ऐसी समस्याओं का साधन या तो समाधान में फेर बदल करके अधवा अवशेष अधिकारों के घन्तगंत जो केन्द्रीय अधवा प्रादेशिक सरकारों को प्राप्त होते हैं, कर लिया जाता है।

जैसे कोई भी समझौता बार-बार नहीं बदल सकता उसी प्रकार सधीय सविधान की स्थिति होती है। बार-बार के परिवर्तन सभ की राजनीतिक स्थिरता को नष्ट कर देते हैं और सविधान के प्रति भनादर की मावना उत्पन्न कर देते हैं। इसे तो पवित्रतम दस्तावेज समझाना चाहिए और जहीं तक सम्भव हो इन बार-बार के परिवर्तनों से बचाना चाहिए। किर कोई भी समझौता एक पक्ष की ओर से नहीं बदला जा सकता। न तो सभ सरकार और न प्रादेशिक सरकारें ही सविधान को बदल सकती हैं। इसलिये सविधान में परिवर्तन के लिये एक विशेष प्रक्रिया का निर्माण करना होता है जिसमें केन्द्रीय तथा प्रादेशिक दोनों प्रकार की सरकारों के हटिकोण गुने जा सकें और सहमति प्राप्त की जा सके। इसलिये सभ राज्य में सविधान परिवर्तन की क्रिया सामान्य कानूनों के बनाने की क्रिया होती है। इसी कारण से सधीय सविधान की स्थिति और जटिल रूप का होना आवश्यक है। यह इस तथ्य से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है कि पिछले १६६ वर्षों में समुक्त राज्य प्रमेत्रिका का सविधान आपने आदि काल से अब तक केवल सात बार ही यथार्थ में बदला गया है जब ति इस सम्बन्ध में २१०० से अधिक प्रस्ताव इस हेतु प्रस्तुत किये गये थे।

भूंकि सधवाद में दो सरकारों का सह-प्रस्ताव उन्हीं नागरिकों पर एक ही सभ्य में निहित है इसलिये यह नागरिक दुहरे प्रकार के प्रधिराजियों की मात्रा पालन की तथा दुहरे कानूनों का पालन करने वे बेन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने दुहरे प्रकार के कर देने की योग्य हैं। कुछ सभ राज्यों में जहाँ विरेन्द्रीयरण ढारा सभ की स्थापना हुई है वहाँ दुहरी नागरिकता भी है। यह दो सरकारों वे सह-प्रस्ताव का स्वाभाविक परिणाम है।

इस प्रकार हम श्रीफेस्टर डॉ सी० बिंदूर के शब्दों में सभ सरकार वो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं—

“संघ सरकार की में जो परीक्षा क्रिया वरता है वह इस प्रकार है जि वया विशीर्णी सरकार विशेष में बेन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों में अधिकारों का

स्पष्ट विभाजन है और यह के अपने धोने में एक दूसरे से सहयोग करते हुए भी परस्पर रखते हैं। यदि ऐसा है तो वह गरकार यथा गरकार है। यह समुचित नहीं है कि सधीय सिद्धान्त विशी देव के लियित सविधान में स्पष्ट रूप से दिये गये हो। भले ही इसका महत्व हो परन्तु अवश्य ही इसी दोई गारटी नहीं कि सधीय गरकार की प्रणाली समिय हो ही जाएगी। गरकार में इस समस्या को निश्चित करने वाली ओज इस प्रणाली पा प्रचलित होता है। इसीलिये मैंने सधीय संविधान और सध गरकारों के बीच अतर पाया है। और अब मेरे मैंने उन संविधानों या गरकारों के लिये प्रधक नाम रखता उचित समझा जिनमें सधीय सिद्धान्त यदि पूर्णत रपष्ट नहीं है ही वह महत्व के भी नहीं है, इन्हे मैंने मढ़ सधीय संविधान या मढ़ सधीय गरकारों की संज्ञा दी है।"

(फ्रैंडर गवर्नरेट पृ० ३२-३३)

तामाक्ष्यतः एक ग्रन्थ पूछा जाता है कि सध में प्रभुसत्ता कही निहित रहती है? प्रभुसत्ता के स्थान के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त स्पष्ट हैं से माने गये हैं।

(प्र) सध में सदा जनता की प्रत्यक्ष व परोक्ष स्वीकृति रहा रहती है। यह सध का राष्ट्रवादी सिद्धान्त है।

(द) सध की स्पष्टता से पहले राज्य प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतन्त्र ये और उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता का मुख्य भाग अपने पाररपरिक हितों के लिये स्थाना स्वीकार कर लिया। ये सध में तम तक रहेंगे जब तक उनके लिये उन्होंने संपन्न पा निर्माण किया और उसमें सम्मिलित हुए की रक्षा होती है। यदि विसी समय उनके हितों को हानि पहुँचती है तो ये असंग हो जायेंगे और अपनी प्रभुसत्ता के दिये हुए भाग को बाविस प्राप्त कर लेंगे। इस सिद्धान्त के बारण प्रभुसत्ता राज्यों में निहित है। यह सिद्धान्त राज्य प्रधिकार तात्पर्यी सिद्धान्त कहसाता है। इसके पनुगार प्रादेशिक राज्य संघ से विसी भी समय अलग हो सकते हैं यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय यि एव संघ में बने रहना उनके हितों में नहीं है।

(स) इस सिद्धान्त के प्रदत्तायों का बहुता है कि प्रभुसत्ता परिवर्तन करने वाली शक्ति ने निहित रहती है। इस सिद्धान्त को मानता कठिन है। सब सध राज्यों में कोई उभय पक्षीय परिवर्तन करने के प्रधिकार वाली शक्ति नहीं होती है और इस बारण प्रभुसत्ता विभिन्न सध राज्यों में विभिन्न स्थानों में मानी जाय, यह असंभव है।

प्रामेरिका के समुक्त राज्य में उन्नीसवी शताब्दी में राष्ट्रवादी सिद्धान्त के तथा राज्य प्रधिकार सिद्धान्त के प्रश्नाभासों में एक घटा विवाद उठ गया हुआ। ऐनियस बैमस्टर व जोर्ज सी. वाल्टन में जो व्यक्ति; इन सिद्धान्तों के प्रदत्ता ये अपने सिद्धान्तों के गुणों पर वाद-विवाद हुआ। सेविन घटिय निर्णय दन दोनों पक्षों से तो देवल दूरी गृह शुद्ध दाया ही हाव था। गुप्तामो प्रथा ये ग्रन्थ पर दधिली गयी ने

सघ से प्रपत्ता सम्बन्ध विच्छेद कर तिया और उनके इस कार्य का राष्ट्रवादी मिदान्त के प्रतिपादकों ने जो सघ को घविष्ठा प्रोर घमर मानते थे, विरोध किया। सपवादियों की विजय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने सपवादियों के हृष्टिकोण को शक्ति प्रदान की।

सपवाद वेवल प्रजातात्रिक वायुमंडल में हो पत्त प सकता है। इसमें ग्रल्पमतों के, राष्ट्रीय, सामाजिक, सास्कृतिक और भाषा अधिकारों को जिनसे सधों के स्वल्प को आधार प्राप्त होता है, मान्यता प्रदान की जाती है। सोवियत सघ ने जातिगत, सास्कृतिक, और विभिन्न भाषा भाषी अत्यस्तों को सम्पूर्ण स्वाधिकार देने के लिये एक जटिल सविधान को स्वीकार किया और इस द्वेष में कुछ सफलता प्राप्त भी की है। प्रत्येक सधों सविधान में अधिकारों का विभाजन होता है। अधिकारों का यह विभाजन स्पष्ट रूप से निर्देशित होता चाहिए और जहाँ तक सभव हो उनका कार्य थोक भी विस्तृत रूप से दिया हूँगा होता चाहिए। साधारणतः वे अधिकार जिनका थोक राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण होता है वेन्द्र को दे दिए जाते हैं, जैसे वेदेशिक कार्य, शुरका, परिवहन, मुद्रा, विदेशों से व्यापार आदि। जबकि स्थानीय थोक और महत्व के विषय जैसे शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य सत्याएं, स्वास्थ्य, कृषि, तिथाई आदि प्रादेशिक सरकारों को दे दिए जाते हैं। वरों के क्षेत्र में वेन्द्र को कर सकाने के अप्रत्यक्ष स्रोत दे दिए जाते हैं जब कि प्रादेशिक सरकारों के पास उनके प्रत्यक्ष स्रोत रहते हैं। सविधान को दोनों प्रदार की सरकारों को भनावश्यक न्याय सम्बन्धी विवादों से बचाने के लिए, स्पष्ट रूप से उनके कार्य थोक निर्देश कर देने चाहिए। भविष्य की आवश्यकताएं देखते हुए, भवशेष प्रधिकार सघ बनने की परिस्थितियों के अनुसार वेन्द्र या प्रादेशिक सरकारों को दे दिए जाते हैं।

इतना सावधानी के साथ अधिकार विभाजन करने पर भी कभी-कभी अधिकारों का सघर्ष हो ही जाता है, वेदेशिक विषयों और सन्धि करने के अधिकार प्रायः केन्द्रीय सरकार में निहित रहते हैं। सधि उन विषयों के भन्तीं भी की जा सकती है जो भव वेवल प्रादेशिक सरकारों के ही विषय हों। सन्धि विषयक समझोतों का परिपालन वेन्द्रीय सरकार का भन्तराष्ट्रीय उत्तरदायित्व है जब कि ही सकता है कि उसे ऐसा करने के लिए भवशेष प्रधिकार प्राप्त न हो। इस सम्बन्ध में समुक्त राष्ट्र अमेरिका वा उड़ाहरण देखने पर हमें पता चलता है कि सविधान ने अनुच्छेद ६ के अनुसार सधि करने सम्बन्धी अधिकारों का परिपालन होता है, जिसमें कहा गया है कि—

“सर्युत्त राष्ट्र अमेरिका का यह सविधान और इसके कानून जो इस सम्बन्ध में बनाये जायेंगे, वे सब सन्धियाँ जो समुक्त अमेरिका के अधिकार से की जा सकती हैं और भविष्य में की जायेंगी, इस देश के सर्वोच्च कानून माने जायेंगे और इस सघ के न्यायाधीश सविधान में तथा राज्यों के कानून में चाहे जो कुछ हो उनसे बाध्य होंगे।”

यह नियम इस प्रकार समुक्त राष्ट्र अमेरिका को मेन्ड्रोप गवर्नर को बहुत व्यापक रान्धि विषयक अधिकार देता है। इस अधिकार को रार्बोच्च न्यायालय ने भी सन् १६६६ई० में ठीक होने की मान्यता देयर बनाम हिल्टन में प्रदान की और यही दृष्टिकोण रखा। न्यायालय ने निम्नलिखित दिया कि—

“मन्धि, देश का, पर्यात् समुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यदि राज्यों वा किसी राज्य की संसद वा कोई कानून उसके मार्ग में बाधा बनकर आ जाता है, तर्बोच्च कानून नहीं हो सकती। यदि किसी राज्य का विधान जो उस राज्य वा निश्चिह्न वानून और संसद से ऊँची उक्ति है तथि के सामने पश्चक्त हो जाता है और भुक्त जाता है तो कदा यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस प्रकार एक राज्यीय विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कम उक्ति यासे पानून की इस प्रिया द्वारा समाप्ति नहीं हो जाती है? समुक्त राष्ट्र अमेरिका वो जनता वो यह घोषित इच्छा है कि यह प्रत्येक रान्धि जो यह समुक्त राष्ट्र अपने अधिकार द्वारा किया करता है, प्रादेशिक राज्य के विधान और वानून से ऊँचा माना जायगा और इस सम्बन्ध में ऐसा जनता वो इच्छा ही इसका निम्नलिखित बनने में समर्थ मानी जायगी। यदि ऐसा न हो तो समुक्त राष्ट्र अमेरिका वा एक छोटा भू-भाग सम्मूर्ख राष्ट्र की इच्छा को दबा देगा।”

उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट है से यह देता है कि अधिकारों का समूर्ख विभाजन प्रक्रिये एक ही उपनियम से ही गमाप्त हो सकता है। इसलिये संघ में अधिकारों के विभाजन को अच्छी प्रकार से समझने के सिये सावधानी के साथ प्रध्ययन चाहिए। सापारणता, यह होता है कि एक सरकार के मुख्य अधिकार दूसरी के अधिकारों पर या तो या जाते हैं और या उन्हें समाप्त कर देते हैं। दोनों दसों की उक्ति वा टीक-टीक अनुमान सागाने के लिये यह जानना आवश्यक है कि गवर्नर अधिकार दिये के पास है। इसे अधिकारों की राज्य बहुना उचित ही और सामान्यता परिवर्तन सरकार वो यह प्राप्त होते हैं यह दूसरी से यांगे यह जाती है।

न्याय का यह एक गिरावंत है कि विदादप्रस्त वक्ता न्यायालय का पद नहीं से राजता। वो सरकारों में विवाद पैका होने पर उनमें से कोई भी मेन्ड्रोप या प्रादेशिक अपना पौराणा द्रुष्टवी पर सादने का अधिकार नहीं ले सकती। और न किसी आधित मरणवा सहकारी सत्या या अधिकारीकर्ता को साविधानिक विवादों को तय करने के अधिकार दिये जा याते हैं। संघ में प्राप्त: एक तीसरा दल जो दोनों सरकारों से स्वतन्त्र होता है और अरता अधिकार सीधा संविधान से ही प्राप्त हरता है, नियुक्त दिया जाता है। इसे साप न्यायपालिका बढ़ते हैं। संघ में इसे एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि इसे मुख्य विशेष वार्ष करने होते हैं। यह संविधान के सीरात की हैसियत से वार्ष करती है और मेन्ड्रोप या प्रादेशिक सरकार द्वारा संविधान वो

तोड़ने के कार्यों को सविधान के विशद् घोषित कर देती है और इस प्रकार उनके इस कार्य को समाप्त बर देती है। यह सविधान की व्याख्या भी करती है जबकि विवाद किसी शब्द, वाक्य या नियम के अधीक्षण के सम्बन्ध में उठ रहा होता है।

इन दोनों में से किसी प्रकार की सरकार द्वारा सविधान को किसी भी सम्बन्ध अतिक्रमण से बचाने के लिये इसे न्याय और निगरानी के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कोई कानून या केन्द्रीय अधिकार प्रादेशिक सरकार की धारा यदि न्याय पालिका के सामने रखी जायगी तो वह उसके वैधानिक रूप का विश्लेषण करेगी। न्यायालय इस सम्पूर्ण कानून पर विचार करेगी और उसके उन भागों को जो सविधान के विपरीत लक्षित होते हैं अवैधानिक घोषित करके उनको समाप्त कर देगी। इसके पश्चात् कोई न्यायालय उन नियमों का परिपालन नहीं करा सकेगा। न्यायपालिका इस प्रकार साध के दोनों पक्षों के बीच में एक पच का कार्य करती है।

उन तत्त्वों में जिन्होंने साध की स्थापना और विकास में सहयोग दिया है, भौगोलिक एकता ने बहुत बड़ा कार्य किया है। बेवल वही राज्य प्रायः साध बना सकते हैं जो भौगोलिक रूप से एक हो। ये राज्य जो एक दूसरे से एक लम्बी दूरी पर स्थापित हो, सफलतापूर्वक एक साध में बढ़ नहीं हो सकते। यह भौगोलिक एकता ही है जिसने अमेरिका के तेरह उपनिवेशों और आस्ट्रेलिया के छँटे राज्यों को साध बनाने में योग दिया।

कभी किसी भूक्तिशाली या भ्रत्याचारी पड़ोगी देश या किसी सामाज्य-वादी शक्ति के मान्द्रमण के द्वारा भी सधवाद की स्थापना में योग देते हैं। जितनी बड़ी एक राजनीतिक इकाई होगी उतना ही आज की शक्ति प्रभूत राजनीति में उसके अधिकार जीवित रहने की सम्भावना है। यह बहती हुई जर्मन जल जक्ति का ही प्रभाव या, जिससे आस्ट्रेलिया में सधीय एकता शीघ्र ही हो गई और विरोधियों को सध निर्माण की इस सध योजना से शान्त हो जाना पड़ा।

आर्थिक तथ्य भी इस एकीकरण के बहुत बड़ा कारण है। बड़े राज्य घोटे राज्यों के सामने घोदोगिया और आर्थिक समृद्धि के अधिक उत्तम योजना विकास कर सकते हैं। मुद्रा, नाप के पैमाने, तोल के बाट, और ऐसी ही दूसरी सुविधाओं का एक सा होना, व्यापार और अर्थनीति का विकास करता है। सो-सो भीत जैसी योड़ी-योड़ी सी दूरी पर चुंगो जैसी प्रसुविधाये इन बड़ी राजनीतिक इकाइयों में नहीं होती। मध्य मुग में हैन्सीयाटिव सध के बहुत व्यापारिक कार्यों के लिये बही तथ्य मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

भन्तरांट्रीय विषयों में छोटी राजनीतिक इकाइयाँ हानि में रहती हैं। उनकी आवाज सार की भन्तरांट्रीय गोलियों में प्राय भनसुनी कर दी जाती है और

बही शक्तियाँ उनके प्रधिकारों को बेफिल्म क होरर बुखत ढातती हैं। मैरिप्सो और समुक्तराष्ट्र प्रभेत्रिका में कंठे गमानता ही सतती है यह यात तिथि के ध्यान में नहीं था सतती। यह राजनीतिक तथ्य भी सपों के निर्माण के लिये प्रेरक रहा है।

संघवाद ने जाति, भाषा और सांस्कृति की समस्याओं का भी हस्त कर दिया है। जाति और भाषा विषयक जन समूह संघ का निर्माण करा सकते हैं। इस दोनों में सांखीय राजनीतिक इकाई ने विभिन्न जातियों का जिनमें भाषाई सांस्कृतिक और धार्मिक अन्तर है वा एकीरण किया है वह यथान्त महसूपूर्ण है। इस प्रकार संघवाद ने बनादा में कैच और इन्हलिंग, लिटनरीट भी, जम्न, इटियन और कैच, दिलाली घटीका में हन और इन्हनिंग तथा सोवियत साष में एक दर्जन रो भी प्रधिक भाषाएँ योजने वाली जनता को समृद्ध बर दिया है। ऐसी समस्याओं की गुपमाने के लिये संघवाद के रूप को ही गुफाया जाता है।

प्रोफेगर दायसी तथा कुछ लेखकोंने सांखीय इकाई को एक नियंत्र सरकार माना है। उनके अनुमार इससे प्रभुत्वा वा विभाजन हो जाता है, साउप भक्ति दुहरी हो जाती है और चूंकि यह एक भाषासी समझीते वा परिणाम होता है इसलिये इसको सरकार एकात्मक सरकार की घोषा नियंत्र होती है। प्रोफेगर दायसी ने स्थित सोन्दरबन और घमेत्रिकी घटवाद के उदाहरण दिये हैं। प्रो॰ दायसी संघ गरकार की निम्न नियंत्रताएँ प्रस्तुत करते हैं—

“साप सरकार वा पर्यं एक नियंत्र सरकार होना है संघवाद स्ट्रिवाद पेंडा बरता है संघवाद वा पर्यं धन्त में बानूतवाद होना है अर्थात् सम्बधान में न्याय अवस्था की प्रधानता — सोयो में बानूती भावना वा प्रादुर्भाव हो पाना।”

किन्तु यह स्पष्ट महीं होना यि हम भंप गरकार को नियंत्र प्रकार की सरकार के गे वह सतत है। इसी देश में संघवाद के कारण राजनीतिक अस्थिरता नहीं हो पाई जो यह गिर करती है कि संघवाद एक नियंत्र दण्डन है। प्रभेत्रिकी प्रसवाद बुद्ध तथ्यों के कारण सम्बन्ध हुए जो दण साप के निर्माण के वारम्भ से ही प्रविष्ये थे और तब से संघ सरकार अपने गृह तथा प्रत्यरोक्तीय लेत्रो में हटना से जमी हुई है। सांखीय संविधानों और सरकारों में भी यहन जोध परिवर्तन नहीं हुये है। प्रस्थिर तो एकात्मक सरकारे भी हैं जैसे कि काम्प क्षय सेटिन प्रभेत्रिका के स्पष्ट उदाहरण हैं। संघवाद प्रस्थिरता या नियंत्रता नहीं पेंडा बरता बरन् वह तो प्रस्थिरता जन्य समस्याओं को गुलना देता है, जैसे कि बनादा में कैच और इन्हनिंग भाषों जनता का साप रहना गम्भीर हो गया।

संघवाद का भविष्य गुनिश्चित और जानशार है। सपों की संस्था बढ़ती जा रही है और निर्म भविष्य में यदि वहाँ परिस्थितियों रही तो प्रादेविा व प्रत्यरोक्तीय

गांध बनने सम्भव हो जायेगे । यह समझ लेना महत्वपूर्ण होगा कि प्राज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निकट भवित्व में ऐसे सधों के निर्माण की अधिक आगा नहीं की जा सकती । लोग और संयुक्त राष्ट्रमध्य अद्वंसध भी नहीं कहे जा सकते । वैज्ञानिक प्रगति ने सासार की दूरी को बहुत कम कर दिया है । लेकिन इस दिशा में मनोवैज्ञानिक विकास अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया है । बड़ाचित् अभी कुछ गतान्वितों तक राष्ट्रीयता एक शक्तिशाली शक्ति बनी रहेगी और विश्व सध के निर्माण का प्रश्न सब तक प्रटका रहेगा ।

विश्व सध के निर्माण की दिशा में एक पग तो अभी मन् १६१६ व १६४५ ई० की अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रयाएँ जो प्रदृश सध जैसी स्थिति से किसी गोप्य तक मिलती-जुलती हैं, बनाकर उठा ही लिया गया है । बाली घटायों तक में प्रशाश की थीए रेखा हृप्रा करती है । यह प्रादेशिक सम्प्रयाएँ यद्यपि विश्वशान्ति के लिए भय हैं फिर भी प्रादेशिक नहयोग के लिये आवश्यक, मनोवैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने वे साधन तो हैं ही जिनके बिना विभिन्न प्रदेशों के राष्ट्र शान्ति वाल में अपने सीम्य और प्रार्थिक स्थानों के विलोनीकरण जीवा बदम उठाने में गहायोग नहीं दे सकते ।

भघवाद को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी आन्तरिक समस्याओं वा दूस निकालने और विभिन्न राष्ट्रीयताओं में मल स्वापित करने के लिये भी यथाया जा रहा है । संयुक्त अरब गणराज्य—मिथ और सीरिया वा राजनीतिक विलोनीकरण इसका एक नया उदाहरण है । हमें आगा रखनी चाहिये कि यह दशा बनी रहेगी और एक या दो दशान्वितों के अन्त में हम प्रादेशिक अवधि महाद्वीपीय सधों का निर्माण देख सकेंगे । केवल यही परिवर्तन प्रसन्निधि हृप से विश्व शान्ति स्थापित करने में सहायक हो सकेंगे ।

के लिए नितान्त भावश्यक समझे गए हैं। यह आदर्श उन्मीसवी शताब्दी में बहुत ऐसे देशों में प्राप्त कर लिये गये। प्रो० सौवाइन ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“यह आदर्श, नागरिक स्वतन्त्रता, विचार, मापण व सम्मेलनों की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक मत द्वारा राजनीतिक संस्थाओं का नियन्त्रण में सम्मिलित है। प्रत्येक स्थान पर यह आदर्श लिपात्मक रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं जब कि वैधानिक रूप में सरकारों का निरंय हो, सरकारे कानूनी मर्यादा का उल्लंघन न करे, राजनीतिक सत्ता का केन्द्र सासदीय प्रतिनिधियों में निहित रहे और सरकार वी गव शाखाये देश की जन संस्था के समस्त व्यस्त मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो। यह आदर्श और इस प्रवार की राजनीतिक संस्था जो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निर्मित हो प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर सुरक्षित रखी गई अपनी लड़ों की पूत्रित के लिए निरन्तर बहुती रही और यही उन्मीसवी शताब्दी के उदारवादी उपलब्धियाँ हैं।”

(हिस्ट्री ऑफ गोलिटिकल थ्योरी पृ० ५६२)

आधुनिक उदार विचारधारा का महत्वपूर्ण रूप सरकार निर्माण की क्रिया में भाग लेने में विश्वास रखना है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व के उच्चतम विकास को प्राप्त करने के लिये भावश्यक साधन है। यह विचारधारा नये राजनीतिक सिद्धान्त का इतना परिणाम नहीं थी जितना कि नई परिस्थितियों वा परिणाम थी। पूराने वर्ग भेद और पुरानी संस्थाएँ भौद्योगिक क्रान्ति के आव्रमण को सहन नहीं कर सकी और इसलिये विलड़न की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। उन्मीसवी शताब्दी के वर्ग हितों को, विशेष रूप से उठते हुए नये मध्य वर्ग के हितों को नहीं रोका जा सका। इसलिये मध्यवर्ग को अपने वर्ग हितों को सन्तुष्ट करने के लिये वर्ग गत संस्थाओं से सासदीय सरकार और जन प्रतिनिधियों वे पक्ष में अपने विश्वास को हटाना पड़ा।

जेतना के इस युग के विचारकों ये सोचा कि एक बार यदि स्वतन्त्र व्यापारिक मडियों की स्थापना हो जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता निश्चित हो जायगी। भौद्योगिक क्रान्ति के बाद के समय में यह मान्यता असत्य मिल द्वार्दे। बाटकिन्स लिखता है—

“स्वतन्त्र प्रतियोगिता इस मान्यता पर निभर है कि सब लोग अपनी योग्यता और प्रयत्नों के प्रत्युपात में प्रतियोगी सफलता वे लिये समान अवसर प्राप्त कर सकें। आधिक और भौद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में जब कि सीमित साधनों वाले लोगों ने अपना निजी व्यापार स्थापित करना अपेक्षाकृत मासान समझा, यह मान्यता मध्यवर्ग के हटिकोण से उचित और यथार्थ ही थी। सेइन जैसे-जैसे भौद्योगिक प्रगति द्वारा पूँजी अधिकाधिक मात्रा में एकत्रित होती गई तो कम और मध्यवर्गीय आधिक साधनों वाले व्यक्तियों के लिये

पनी प्रतियोगियों के मुम्भाविते से प्रतियोगिता करके बचना प्रयत्नापित हथिन होता गया। प्रोटोगिक और व्यापारिक एकाधिकारी (मौनेष्वरी) का स्वतन्त्र महिलों के पायंगर नियन्त्रण हो गया। मध्यवर्ग के बहुमत को इस नये ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण मरीचिका भाव बनकर रह गई। व्यापारिक स्पृह में यह स्वतन्त्र महिलों के बल थीं जो पुराने व्यापारियों को छोड़ देते गवको प्रपत्ता आधिक विकास करने के लिये गार्म के रोड बन गई। यांग चामाजिक दलों के प्रतिनिधियों की धरोशा इनके लिये भी यह महिलों पारस्परिक हितों में स्वाभाविक सामजिक स्थापित करने में कम अपेक्षा नहीं रही।"

(पोलिटिकल ट्रॉडीजन आंक व पैस्ट गृ० २४५)

इस वारण मध्य वर्षों को प्रपत्ते प्रायिक हितों की तुरथा के लिये राजनीति में भाव लेने को बाध्य होना पढ़ा। स्वतन्त्र महिलों के इन दोषों को दूर करने के लिये विधान मदलों का हस्तक्षेप करना। प्रायश्चित्त था और उन्नीराषी शताब्दी के मध्य तक मध्यवर्ग का जनतात इसकी माँग करने समा। उग समय के शीघ्रागिक रूप से विद्युत हुए जम्मी लौंग देसों से उद्योगपतियों ने यह गम्भ लिया के तुम्ही स्वतन्त्र मही में नहीं पनर तक इत्तिवेत्तुन्हें जू मी शरी द्वारा प्रपत्ते दो बचाये जाने के लिये गोर करना पारम्भ कर दिया। यांटे उद्योगपतियों ने प्रपत्ते बचाव के सिये थटे उद्योगपतियों द्वारा किये गये लगभग एकाधिकार नियन्त्रण के विषद घरनी प्रावाज उठानी पारम्भ कर दी। पर भी यह उमीं पुराने उदारवादी लिदान्त को माने जा रहे थे कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही वित्ती तामाज के व्योमित प्राप्तार को बनाये रखने के लिये गबोतम है। उम्हें प्रतियोगिता ही गही परिस्थितियों पकाये रखने के लिये राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने प्रीर निश्चित राजनीतिक कार्य न रहे के पथ में भुजना पढ़ा।

गगरों और प्रामों की जनताद्या के प्रायिक हित उन्नीराषी शताब्दी में टकराने पारम्भ हो गये, यदोंकि गगरों के उत्पादक स्वतन्त्र व्यापार पाहुते थे ताकि उन्हें याए गामप्री सहते भावों पर गुलम हो रहे थीर हृषि के हित खुंगी करो द्वारा प्रपत्ते वो बचाना चाहते थे। स्वतन्त्र महिलों घब हितों पा स्वाभाविक सामंजस्य पकाये रखने में गफक न हो सकी। याटिन्स इन सम्बन्ध में लिखता है—

"रिकार्डों, जो कि प्रपत्ते गमय का प्रसिद्ध धर्यंजास्त्री था, इस प्रनुभव से इस परिणाम पर पहुंचा था प्रायिक हितों का सामंजस्य, जो भूमि लौंगे स्वाभाविक एकाधिकार के नियन्त्रण द्वारा घरनी धाय ग्रहण करते हैं, उन लोगों में, तथा ऐसे लोगों में जीं एकाधिकार विहान रापनों से प्रपत्ती जीविता कमाते हैं, नहीं हो सकता। मात्रने का यह समय बाजा लिदान्त ग्रहृत तुद्ध रिकार्डों के इस विश्वेषण वा हो गहणी है। यद्यपि रिकार्डों ने एकाधिकार की प्रतियोगिता प्रणाली को स्वीकार करने की विज्ञाइयों को तामग दो तिया परस्तु उसने

यह नहीं सोचा कि फिर इस सम्बन्ध में वया बिया जाना चाहिये उमने केवल मध्यवर्ग की स्वीकृति के लिये इस तथ्य का रास्ता तो साफ़ कर दिया कि एकाधिकार से हितों के ऐसे विवाद उठ रहे होते हैं जो राजकीय कायों द्वारा ही सुलझाये जा सकते हैं ।"

(पोलिटिकल ट्रॉडीशन आफ व थेस्ट पृष्ठ २४८)

राजनीतिक उदारवाद उन्नीसवीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन या जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप और इंग्लैण्ड जैसे देशों पर भी पड़ा। फास में सो यह संवाइन के विचारों वे अतिरिक्त एक वर्ग के सामाजिक दार्शनिक विचार अधिक थे। संवाइन तो इन्हें जनता के प्रति एक शाही मनोवृत्ति मान मानता है। केवल इंग्लैण्ड में जो उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत बड़ा ग्रीकोग्रीक देश माना जाता था उदारवाद ने राष्ट्रव्यापी दार्शनिकता और राष्ट्रीय नीति का स्थान प्राप्त कर लिया था। इस सम्बन्ध में प्रो॰ संवाइन कहते हैं कि—

"इंग्लैण्ड में, उदारवाद एक प्रभावशाली राजनीतिक आन्दोलन के रूप से ऐसे तत्वों से भरा हुआ था जिन्होंने सिद्धान्तवादी समझौतों पर बल न देकर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग देना सीखा। प्रारंभिक उदारवाद का बीड़िवालीचा तैयार बरने वाले और उसका कार्यग्रम निश्चित करने वाले उपर दार्शनिक ही थे। एक राजनीतिक दल की अपेक्षा उनका दल सदा बुद्धिवादियों का रहा लेकिन उनका प्रभाव उनकी सह्या के हिसाब से कभी महीना था। जैसा कि राजनीति में प्राय हुआ करता है कि बुद्धिवादी लोग विचार प्रदान करते हैं जिन्हे राजनीतिज्ञ परिस्थितियों की प्रावश्यकतानुसार कभी कुछ अश में प्रयोग करते हैं और कभी विलकुल ही नहीं करते ।"

(ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी पृ० ५६५)

जौन स्टुपर्ट मिल रुद्धिवादी उपयोगितावाद से भारम्भ करके इन प्रतिक्रियाओं को उनके प्रभवद्वय परिणाम तक से गया। उसके लिये मनुष्यों पर नीतिक व्यक्तित्व, अधिकतम सह्या की अधिकतम प्रसन्नता से, कही अधिक महत्वपूर्ण था। मपनी दुस और सुख को गणना वे साथ 'हैट्रीवाद' अधिकतम सामाजिक विकास की अपेक्षा व्यक्तिगत आनन्द की और अधिक ध्यान आवर्जित करा रहे। परन्तु नैतिक इटि से जीवन का मुख्य लक्ष्य समस्त मानव व्यक्तियों के विकास में सहायता देता है और इसलिए स्वार्थं परक कायों को परमायित वायों के सामने नीचा स्थान बिलना चाहिए। यहाँ प्रिय मिल प्रारंभिक विचारकों वे समान विचार सुनते थे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तिगत पहल व उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं और उसने मपने 'भाजन लिवर्टी' नामक प्रसिद्ध लेख में व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में बढ़े माधिक और प्रभावपूर्ण तक दिये हैं, लेकिन वह वह भी समझता था विसी व्यक्ति की

स्वतन्त्रता निश्चय ही दूसरे की भी समाज हप से स्वतन्त्रता के साथ गोगित है। मनुष्य व्यक्तिगत प्रयत्न तथा सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम है।

“प्रभावशाली उपयोगितावादी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की हितियत से, मिस, व्यक्तिगत उत्तरदादित्यों की अपेक्षा सामाजिक नियन्त्रणों को सागृ हृषा देताने पर तुम्हा हृषा था। शिदान्त हप में यह वैपानिक और धन्य सामाजिक कार्यों को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का धारार बताने के लिये, स्वीकार करने को तैयार था। बाद के मध्यवर्गीय गंदान्तिक जैते प्रीत और हौबहाउस मध्यने शिदान्त से घलय हुए बिना और भी धर्मिक सामाजिक जिम्मेदारी की तीमा स्वीकार करते को तैयार थे।”

(पोलिटिकल ट्रूटीशन आफ ब ऐंट—बाटिक्स पृ० २५०-५१)

व्यक्ति के व्यक्तिगत का विकास वेतन समाज में ही सम्भव है। मानवशक्तियों के गर्वोंसम विकास के लिये, समाज ही परिस्थितियों में घाटां घनाये रखना समाज का ही उत्तरदायित्व है। इसलिये मिस कुछ तीमा तक सामाजिक पग उठाने में विश्वास रखता था जो व्यक्ति के विकास के हित में थे। प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाएँ भी यावश्यक है क्योंकि वे व्यक्ति की शिक्षा में योगदान करती हैं और सांसदीय सास्थाएँ छोर वैपानिक प्रस्तावों पर मानवोचित हप से विचार विमर्श करने वा मध्य प्रस्तुत करती हैं। संसद में प्रवेश कर व्यक्ति अपनी बुद्धि का योगदान वापंजनिक घमस्थाओं पर कर सकता है और मध्यने साधियों की यावश्यकताओं को पूरी तरह से समझ सकता है। इसलिये साथसे सरकार के नायों में भाग लेने वा धरमर ग्रदान करना चाहिए। पम से पम मतविकार में भाग लेने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। वैपानिक प्रजातन्त्र का आन्दोलन उन्नीसवी शताब्दी तक नगरों के सर्वद्वारा वर्ग तक भी फैल गया। इसका कारण कुछ बड़े हुए पूर्जीवादी देशों में मार्दन की भविष्यवाणी का घटाघल रहना था जहाँ नियंत्रण और धर्मिक नियंत्रण एवं घोर धर्मिक घनी न हो सके।

“उन्नीसवी और प्रारम्भिक योसवी शताब्दी की घटनाएँ घोचित गिड़ परने में घसफल रही। पर्याप्त बढ़े वैपाने पर प्रयत्न और नियन्त्रण शविराम गति से उत्तेजित रहे, नियग (बारांगोरेण), कार्टेल और धन्य बानूनी साधनों ने धर्मिक नियन्त्रण योड़े से व्यक्तियों के हाथों, घन के स्वामित्व वा तुलनात्मक सम्प्रह उत्तम दिये बिना, तीमित रहना सम्भव कर दिया। पवत शातो व शीमा पासिसियों, में इया समाने वाले तथा प्रयत्न रूप से मास भरकर रखने वाले सोग पूर्जीवादी शाधिक रियति गे साम्र के हप में घरने शार्यिक हितों को गुरुद्वारा रखने में समर्प रहे। जो सोग वेतन भोगी घन गये उनका यहाँ भाग धर्मिकों से राष्ट्र घटने की रियहित वर देने में शामर्प

रहा ग्राम्यनिक उद्योग में विश्वेताओं, बलदौ और दूसरे ऐसे रक्षेत्र पोश कार्य करने वालों की बहुत अधिक सह्या^१ स्थान है जो अपनी आधिक अमुरथा की अपेक्षा अपने को जारीरिक थम करने वालों से सामाजिक दोष में अधिक ऊँचा समझे। इस प्रवार मावसं की क्रान्तिकारी आणाये जो सर्वहारा की सीमा से अधिक सह्या बढ़ जाने पर आधारित थीं उन्नीसवी शताब्दी के पूँजीवादी विकास से निराशाओं में बदल गई।

(पोलिटिकल ट्रैडीशन बांक द बैंस्ट—बाटिन्स पृ० २५२-५३)

ग्राम्यनिक क्षेत्र में अधिक बढ़े हुए राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग का विश्वास राजनीतिक सह्याओं, प्रतिनिधि सरकारों तथा अपने वर्ग के आधिक सकट दूर करने के लिये वैधानिक उपचारों में अधिक व्याप्त हो गया। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इंडिलैण्ड का श्रमिक वर्ग राष्ट्र की नीतियों में सातशीय सह्याओं में भाग लेकर, श्रमिक आन्दोलनों व अराजनीतिक हड्डतालों के द्वारा अपना प्रभाव दात सकता था। उसे अपनी माँगें स्वीकृत कराने के लिए क्रान्तिकारी समाजवाद अपनाने की अवस्था तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं थी। इसे इन देशों में श्रमिक आन्दोलन का विकास हुआ जिसने ग्राम्यनिक उदारवाद की बहुत सी आधारभूत विचारधाराएँ अपना ली।

“इस प्रवार ऐडवर्ड बन्सेटीन ने अपनी पुस्तक ‘एवोल्यूशनरी सोशलिजम’ में इतिहास की मावसंवादी क्रान्तिकारी मान्यताओं को प्रत्यक्ष रूप से छुनोती दी है। यह सिद्ध करते कि ग्राम्यनिक पूँजीवाद का विकास मावसं के आधिक विश्वेषण के अनुमार होने से असफल रहा है उसने अपने साथी मावसंवादियों को विश्वास दिलाने की चेष्टा दी है कि वैधानिक सरवार के दर्वाजे में शान्ति-पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया श्रमिकवर्ग के उद्देश्यों की प्राप्ति का आवश्यक साधन है।”

(पोलिटिकल ट्रैडीशन बांक द बैंस्ट—बाटिन्स पृ० २५५)

यह विचारधाराएँ प्रजातात्त्विक, वैधानिक, विकासोन्मुख समाजवाद की प्रगति में सहायक हुई और श्रमिक आन्दोलन को वैधानिक प्रजातन के सिद्धात से तुष्ट करा दिया गया। उम्मीसर्वी शताब्दी की ओट में उदारवाद, एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप हमें स्वीकार्य नहीं है चिन्तु इंगलैंड य अमेरिका जैसे देशों में श्रमिक प्राप्ति^२ व प्रजातात्त्विक समाजवाद द्वारा इसके बहुत से विचारों को अपना लिया गया है। भारत में समाजवादी ढंग की रचना इसी उदार परम्परा के चिन्हों के स्वीकृत करती है। किर भी हमें विश्वास नहीं है कि यह विचारधारा प्रचलित रही नहीं थी या नहीं। बहुत से देशों में उदारपन्थी प्रजातात्त्विक सह्याएँ अपना विश्वासी शीघ्रता से खोती जा रही हैं। हम निश्चित हैं कि यह सकते कि यह प्रदीवार्म की विचारधारा राजनीतिक व आधिक चत्र की एक दशा विशेष है और या जिस उदारवादी विचार-

धारा के तर्कसंगत पतन शम को जारी रखेगी। हम ग्रोपरार सारांश से गहरत हो सकते हैं और भागा करते हैं कि उदारवाद की संदाचिक शमधी ऐसी हालगी और सूखि प्रस्तुत करेंगी जो सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं की भावनाओं को नये रूपों में डास देगी। धर्मिक से धर्मिक हम केवल पाला ही पार सकते हैं कि हमारे मन्दविश्वासों और प्राचीन मानवताओं पर तर्क की विश्व होगी सहयोग व सामाजिक योजनाओं के नये युग का सूक्षण, युद्धोत्तर वास की कठिनाइयों पर कानू पाने के लिये, करना सम्भव होगा।

कालं मैनहीन हमारे प्रजातन्त्र को युद्धोत्तर काल की कठिनाइयों से बचाने के लिये एक नये प्रातिमक अन्यन और नये साथे में दासने का सुभाष देते हैं। बुद्ध धर्म सोग हमारी नीतिक और प्रजातात्प्रिय संरक्षणों के पतन का बारहए नातिक पर्महीनता मानते हैं। इन भालोचरों के अनुसार इतिहास हमें गिराता है कि जब कभी पर्म पतनोन्मुख हुआ है या पर्म विश्व धर्मवा प्रयामिक विचारणाएँ थीं हो गमाज धर्मशय ही पतन की ओर गया है। सोफवाद (सोफिस्ट) मुग का युनानी गमाज और दुर्बोगरण युग का इटली गमाज, गमाज के नीतिक प्राप्तार पर धार्मिक भव्यापार और पतन के विशिष्ट उदाहरण वहे जाते हैं। इस सम्बन्ध में बाटान्म लिखता है—

“पापुनिक उदारवाद के बुद्ध धारोंको के अनुसार धर्महीनता के उदय ने परिवर्मी विश्व की सामाजिक और नीतिक पतन की ऐसी दूसरी युगोंवत में पकेस दिया है। यद्यपि उनीसबी शताब्दी के उदारवादी, युनान के धर्मिक संरीणे सोफवादियों और इटली के मानवतावादियों की तरह, परिवर्मी सम्यता के भूल्यों को धर्महीन मानवतावादियों की तरह, युनिवर्सिट बरना चाहते थे, उनके गिरान्त उनके विचारों की देवल भादत मात्र थे जो प्रथविश्वात के युग से प्रात्मय की शक्ति द्वारा संगठित थे। प्रथने जीवन स्रोत के विभिन्न इन प्रादतों का उत्तरोत्तर निर्यत होते जाना त्वाभाविक ही थी। धर्मविहीन मानवतावाद में राष्ट्रीयता की नीतिक रूप से विनाशकारी शक्ति का गमना करने के लिये प्रथने शापन नहीं थे। पापुनिक पूर्ण—प्रभुत्ववाद (टोटिटेरि-यनिज्म) जिसमें हर संभव उपाय से जक्कि पर विभय प्राप्त करने के प्रसूत साधन एकत्रित कर लिये गये हैं, परम्परागत नीतिशता की प्रामिक निर्देशों की राहायता दिना बनाये रखने के प्रयत्नों मी त्वाभाविक देन है।

(पोलिटिकल फ्रेडोजन ऑफ द बैंट पृ० ३४१-४२)

प्राचीन चीनी सम्यता वा एक उदाहरण है कि ईसाई युग से पूर्व जब उसमें ऐसा ही पतन हप्टियोचर हुआ तो चीनी योद्धी और दार्जनिक, कन्यूगियत और उसके विषय बहुत समय के पश्चात यह गिराव वरने के भागीरथ प्रथाय में गमन हो गये कि परम्परागत युग मनुष्यों की मानवोपित भावस्थवताओं की पूर्ति वरने योग्य हैं। भाज के भारत में गाधीभी और उनके अनुयाइयों ने भी ऐसा ही प्रथला लिया है।

सप्ताह के उदारवादी प्रजातन्त्रों द्वा भौतिकतापूर्ण मानवतावाद के सामने सतुलन स्थापित करने के लिये ऐसे ही प्रयत्न करने होगे ताकि नेतृत्वका के परम्परागत मूल्यों को सुरक्षित रखा जाय और नेतृत्वक पतन की लहर को रोकने के लिये नये नेतृत्व विधारों को विकसित किया जाय। सामाजिक सम्बन्धों के सगठन और स्थिरता के लिये विश्वास आवश्यक तर्फ है। मनुष्य के बल तर्क के सहारे ही जीवित नहीं रह सकता। विश्वास से मेरा अभिन्राय अन्यविश्वास, टोने टोटको पर भरोसा और जीवन के प्रति भाग्यवादी दृष्टिकोण रखना नहीं है। परन्तु सामाजिक स्थिरता लाने के लिये हमें कुछ नेतृत्वक मूल्यों का विकास करना होगा या परम्परागत आश्वत मूल्यों का भौतिकत्व इस प्रकार सिद्ध करना होगा जो तर्क के सहारे स्वीकृत हो सके। घर्म और राजनीति का सम्बन्ध विच्छेद आवश्यक और लाभदायक था परन्तु हमारी बहुत सी कमी और दुरुंण राजनीति से नेतृत्वका को अलग कर कर देने के कारण हो गये हैं। परिवर्तनों के अवानक हो जाने तथा बातारण में उथल पुथल मच जाने से हम अपनी नेतृत्वका रूपी नायर से दूर होकर तूफानी समुद्रों में असुरक्षित होकर फँस गये हैं जहाँ हम दिशा निर्देशन के लिए भटक रहे हैं और इस सधर्य में अपने पांचों को सोडे डाल रहे हैं।

प्रजातन्त्र और उदारवाद का फिर से संवारा सुधारा जाना हमारे युग की प्रमुख आवश्यकता है। यदि हमे अपनी सम्भवता के परम्परागत गुणों की जीवित रखना है तो मानव के अक्तित्व में, प्राकृतिक अधिकारों की आवश्यकता में और प्रजातन्त्रक स्थाप्तों द्वारा सिरे से संबारने सुधारने में हमे नया विश्वास रखना होगा। हम वाटरिन्स के शब्दों में आशा रख सकते हैं कि—

“यद्यपि आधुनिक विश्व घर्मविहीन विज्ञान के प्रति, उत्साह के पहिले भोके में, मानवोचित तर्क के स्पष्टीकरण पर देवी ज्ञान प्रगट होने की निश्चित मान्यता का आरोप भरते हुए आकर्षित हुआ था पर अब मध्यमुग्धीन परम्परा के अधिक सतर्क मानवतावाद की ओर सीढ़ रहा है। यदि यह प्रगति जारी रहती है तो वह आधुनिक उदारवाद के स्थान की सशक्त बना सकेगा।”

(पोलिटिकल ट्रैडोशन एंक व वीट पृ० ३५०)

भारतीय संघीय संविधान

स्वतन्त्र भारत ने अपने सिए एक संघीय संविधान की घोषणा की है। यह संविधान येटर स्पष्ट से सम्बन्ध और लिखित है। इसको जनता द्वारा अपनी हुई सांख्यिक निवारण सभा ने निर्माण किया था और यह २६ जनवरी १९५० से सामूहिक रूप से हो गया है। सापारणतः हमारे संविधान के लिए यहाँ आता है कि हमने उसके मुख्य विचारों को विश्व दे कर्त्ता संघीय संविधानों से लिया है और यह युद्ध तक सार्थक भी है। प्रो॰ अलंबजन ट्रोविजन के मतानुसार—

“भारत का संविधान अनेक अन्य संविधानों से प्रभावित हुआ है। सांख्यीय धारान का हमने इंग्लैंड के सांख्यिक वानून से प्रनुकरण किया है। हमारे संघीय प्रवर्णन धार्मिक स्पष्ट से विवाहित, पाठ्य सिध्यन और प्रमरीकन वानून पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में प्राइवेट रांखियानिक वानून का पर्याप्त हाथ रहा है और पूर्ण अधिकारों का निर्माण प्रमरीकन अधिकार-पत्र (Bill of Rights) जो कि संयुक्त राष्ट्र संविधान के सम्बन्धित संशोधनों में विवित है, का व्येष्ठ प्रभाव पड़ा है।”

(एसटीट्यूनल टेक्स्टमेंट्स इन इंग्लिश पृ० १)

भारत का संघीय संविधान अरथपूर्ण लम्बा, विस्तृत और बठोर है। यह केवल बेन्ड्रीय सरकार का ही नहीं, प्रवितु राज्य-सरकारों का भी संविधान है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। इस संविधान द्वारा संस्थापित भारतीय संघ का अरथपूर्ण बेन्ड्रीकृत स्वरूप है। बेन्ड्र एवं राज्य दोनों रूपों में सांख्यीय जाति की स्थापना हुई है। यद्यपि भारत ने अपनी अधिकारों राजनीतिक संस्थाएँ इंग्लैंड से की हैं और याथ ही याय भारत में भौतिकी जाति की प्रशंसनराष्ट्रों को प्रयोगाया है परं भी उसने युद्ध ऐसी वाहनों भी प्रयोग किए हैं जिनको यह

हम आगले नहीं कह सकते जैसे कि मूल अधिकारों का लिखित स्वरूप राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की न्यायालयों द्वारा ध्यारणा अथवा कानूनों का न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन। ऐसी सावेषानिक नियन्त्रण पद्धतियाँ आगले संविधानिक बड़ीओं को नहीं मालूम हैं और न वे आगले परम्परा के अनुहृष्ट ही हैं। हमने सासदीय प्रजातत्र को समुक्त राष्ट्र संविधान से लिए गए कुछ सधीय स्वरूपों के साथ सम्मिश्रण करने का सफल प्रयत्न किया है। प्रो० भाइवर जैनिङ्गस का इस सम्बन्ध में कथन है—

“साधारणतः भारतीय सम्विधान प्रजातन्त्रीय विचारों को कानूनी मिद्हान्तों का रूप न देकर प्रजातन्त्रीय संस्थाओं वी स्थापना करता है। वास्तव में इसका विस्तार और विलक्षण एक बहुत बड़े धरण में राजनीतिक संस्थाओं को, जो कि आगले परम्परा वाले अन्य देशों में साधारण कानूनों द्वारा नियन्त्रित होती है, स्वयं संविधान से नियन्त्रित करने की तीव्र अभिलाप्ता है। इस प्रसङ्ग में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भसङ्गत हैं।”

(सम कर्टेटस्टिक्स औफ वी इन्डियन कान्सटीट्यूशन पृ० ४)

किसी भी सधीय संविधान को आवश्यक रूप से कठोर होना चाहिए। हम साधारणतः उस संविधान को कठोर बहते हैं जिसमें संशोधन किसी विशेष प्रणाली द्वारा हो। भारतीय संविधान का विस्तार ही उसे कठोरता प्रदान करता है। यह संविधान या तो दोनों सदनों के सम्पूर्ण सदस्यों वे बहुमत द्वारा उपस्थित और मत प्रदान करते हुए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा ही संशोधित हो सकता है। प्रो० जैनिङ्गस ने मतानुसार भारतीय संविधान की कठोरता इसकी संशोधन प्रणाली से भी अधिक इसके लम्बाई व विस्तार के कारण है। यह विश्व में सम्पूर्ण संविधान से अधिक विस्तृत एवं लम्बा है। इसमें बैन्ड और राज्य दोनों के संविधान, बैन्ड और इकाईयों के बीच वे विलक्षण एवं विस्तृत सम्बन्ध, मूल अधिकारों की व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत सूची आदि है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलवर संविधान के विद्यालयों को द्विविधा में डालते हैं। इस विधान में वित्तपय ऐसे प्रबन्धों वा भी समावेश है, जैसे कि न्यायालयों का संगठन, और कुछ ऐसी विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष प्रबन्धों वा जो कि विशिष्ट रूप से भारत में ही पाई जाती है। जैसे कि आगले भारती अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन, राष्ट्रीय भाषा इत्यादि जिनका कि हम साधारण कानूनों के द्वारा भी प्रबन्ध वर सहते थे। इस विधान अधारितिकालीन शक्तियों के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध है। यह सब विस्तार संविधान वो अनावश्यक रूप से बड़ों बनाते हैं। संविधान वह है जिसमें कि कान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सके। यह तभी अधिक सम्भव है जबकि सारी-में वेदस सामाजिक सिद्धांतों वा ही उस्तेज हो। संविधान निर्माण करने वालों वो

इस नियम का पालन करना चाहिए कि राजिकान में उन गवर्नरों का समावेश न हो जो कि सरकार से द्योषी जा सकती है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाष्यरसेन के विषय से लिए गए हैं प्रीर स्वयं भाष्यरसेन ने भी इस विचार को रेपेन के गणतन्त्रीय संविधान से तिथा पा। इसी सौमा तक हम संयुक्त राष्ट्र अधिकारी द्वारा इस्वत्तम्रता के घोषणा-पद द्वारा भी एक ऐसा विशिष्ट देश मान सकते हैं जिसमें कि मूल भूत राजनीतिक सिद्धान्तों का वर्णन हो। इसी प्रकार से मनुष्य व मानविकी के भवित्वारों भी प्रोप्रणा वो, भी जो कि १७८१ में फ्रान्सीसी संविधान वा खाद में एक भाग बन गई थी, ऐसे ही राजनीतिक सिद्धान्तों वा उत्तराधिकार करने वाला मान सकते हैं।

प्रो॰ जैनिझूम वे मतानुसार भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धनी भी दीट्राइस वैद्या से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उनके विचार में ये नीति निर्देशक तत्व पैदिपन समाजदाद को प्रदर्शित करते हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों को न ही न्यायालयी द्वारा सागृ विषय जा सकता है प्रीर न किसी राज्य वा देश की सरकार द्वारा इनको पूरा न करने पर उत्तराधिकारी द्वारा विषय जा सकता है। वालतव में इन नीति निर्देशक तत्वों को निकट भविष्य में पूरा करना इतना सरकार भी नहीं है। इनका उद्देश्य मारत में एक सोक व्यवालुकारों राज्य रथापित करने का है प्रीर ऐसा तभी समझते हैं कि हमारे भावित पुनर्निर्माण ऐसे स्तर को प्राप्त हो जाय कि हम लोक वल्यालुकारी राज्य के सिए भावशक व्यापन जुटा सकें। यामे यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये नीति निर्देशक तत्व भविष्य में धाने वाली सरकारों द्वारा भी मान्य होंगे। सम्बिधान सभा के अन्दर सदस्यों ने इसका समेत भी विषय वा कि यदि भविष्य की सरकारें इन नीति निर्देशक तत्वों से सहमत म हुई प्रीर उन्होंने इसमें शामिल करना चाहा तो यह हमारे गणविधान के लिए बढ़िताइयों उत्तराधिकार मरेगा। प्रो॰ प्रसेक्षन्दरोविज वा इस रागवन्य में वर्णन है—

“ऐसी स्थिति का स्वागत नहीं विषय जा सकेगा यद्योऽपि वह नीति निर्देशक तत्वों के द्वन्द्वितम उद्देश्यों प्रीर उत्तराधिकारी सरकारों में इसी सीमा तक नीति परम्परा बनाए रखने भी भारत द्वारा भवावशक राजनीतिक भीर रावेष्यानिक अमानियों से बचाने सका रथापित्व व उन्नति को प्राप्त करने के सिए हैं।”

कान्सटीट्यूशनल डेवलपमेंट इन हिंदिया पृ० १०७)

यद्यपि नीति निर्देशक तत्व स्वयं न्याय योग्य नहीं हैं पर भी न्यायालय विभेदतः मूल भवित्वारों द्वारा व्यास्त्या एव लागू करने में इनकी भी व्यास्त्या रहने से बच नहीं सकते। यह नीति निर्देशक तत्व हमारे गणविधान द्वारा सामाजिक एव राजिक नीति के योगक हैं प्रीर न्यायालय इनकी गदायता रो ही इनमें गाविष्यता विषयों में सरकार ने

कायों की उपयुक्तता का निर्णय करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रो० ग्रैंडरेविज का कथन है—

“जनहित”, ‘जन उद्देश्य’ अथवा ‘तर्कसंगत प्रतिबन्ध’ क्या है? का निश्चय नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से ही किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ‘भव्य नियेष’ जो कि उत्तीर्णवे अनुच्छेद के मूल अधिकारा, अथवा सौतालितवे अनुच्छेद (भाग चतुर्थ) जो कि दूसरे विषयों में भी नियेष करता है, पर तर्कसंगत प्रतिबन्ध है। उसी प्रकार से ‘सावंजनिक उद्देश्य’ क्या है? अथवा निजी व्यक्तियों के हाथ में घन के बेन्डीबरण को निष्पत्ति करने हेतु स्वामित्वहरण ने नियमों का निर्माण राज्य वैसे करेगा। यह इकट्ठीगवे अनुच्छेद, जो कि उन्तालितवे अनुच्छेद (भाग चतुर्थ) की सहायता से निश्चित बिया जा सकता है, द्वारा निश्चित होगे। वास्तव में भव्य न्यायाधीशों को उननालीयवे अनुच्छेद की सहायता से ही बहुत से मुकदमों, जैसे कि वीक्षनेर राज्य यनाम कामेश्वरसिंह या राजेन्द्रमालाजी राव बनाम मध्य भारत राज्य, में निर्णय करने पड़े हैं।”

(कांसटीट्यूशनल एवेसपमेन्ट इन हाइडिया प० १०६-७)

प्रो० जैनिगा वे मतानुसार हमारे सविधान में दिये गये अधिकार, वास्तव में, अधिकार ही नहीं है केवल वायंकारिणी एवं व्यास्थापिका शक्तियों पर प्रतिबन्ध है। सविधान का मठारहवाँ अनुच्छेद, जो कि पदवियों का उन्मूलन करता है, समता के अधिकार का एक भाग प्रतीत होता है किन्तु समता के सिद्धान्त को राज्य वे द्वारा शेष सावंजनिक सेवाओं की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप दो गई पदवियाँ समता वे सिद्धान्त को भग नहीं परती हैं? यदि पद श्री, या पद विभूषण आदि समता के सिद्धान्त को भग नहीं करती हैं तो राय साहूव अथवा राय बहादुर की पदवियाँ ही कैसे कर सकती हैं।

सविधान के सभीहवे अनुच्छेद के मतानुसार भक्तोदार हुए हैं। वह कोई मूल अधिकार उत्पन्न नहीं कर सकता है किन्तु केवल एक सामाजिक जोषण का मन्त्र करता है। सविधान का तेईसवाँ अनुच्छेद, जो कि मानव प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाता है और सविधान का चौबीसवाँ अनुच्छेद जो कि बालकों ने अम वरने पर प्रतिबन्ध लगाता है देवल नागरिकों पर निजी कर्तव्यों को लागू करते हैं न कि उनको कई मूल अधिकार देते हैं। हमारे मूल अधिकार अधिकार समुक्त राष्ट्र प्रमेरिका के मूल अधिकारों के समान ही हैं। हा० अम्बेडकर के शब्दों में इन दोनों के मध्य में गुह्य अन्तर ‘स्वरूप वा’ न कि ‘तथ्य वा’ है। अमरीकी नागरिक उन मूल अधिकारों के द्वारा सुरक्षित हैं जिनका कि न्यायालयों को पुनरावलोकन की पढ़ति द्वारा परीक्षण हो चुका है; और जिनकी वि समुक्त राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यास्था दी है। नते, हम हा० अम्बेडकर से इस सम्बन्ध में सहमत हो सकते हैं कि—

"इनके परिणामों में कोई अन्तर नहीं है। जो प्रत्यक्ष सूप से करता है वही दूसरा अप्रत्यक्ष सूप से करता है इन दोनों में मूल परिकार पूर्ण नहीं हैं।"

कोई भी सविधान मूल परिकारों को प्राकृतिक परिकारों की भाँति पूर्ण परिकार स्वीकार नहीं पार सकता। इन परिकारों पर पदार्थमेद प्रतिवन्ध होने ही चाहिए और भारतीय सविधान इसीलिए मूल परिकारों पर आवश्यक सीमाएँ व प्रतिवन्ध लगाता ही है। जबता वो मूल भूत स्थतन्त्रताओं को संविधि जनमत मूल परिकारों की घोषणा मध्यवा संविधानिक प्रवन्धों की प्रेषणा कही परिक अच्छी तरह गुणात्मक पार सकता है। इस प्रवन्ध में प्रो॰ जेनिझग वा कथन है—

"साधारणत यद्यपि मूल भूत स्थतन्त्रताओं का नाम के द्वारा न होकर जनमत द्वारा सुरक्षित होती है, अमरीकी प्रधिकार पर की सांविधानिक स्थतन्त्रताएँ अपने नाम के लो हुई हैं। फिटेन में यह {स्थतन्त्रताएँ} सांस्कृतिक नाम द्वारा प्राविस ली जा सकती है जब ति समुक्त राष्ट्र अमरीका में इनको सांविधानिक प्रशोधनो द्वारा ही प्राप्ति लिया जा सकता है। किर भी यह साधारणतः स्वीकार किया जा सकता है मुद्राएँ सूप से सुरक्षित हैं वयोंकि वहीं पर परिक अच्छी प्रकार से यांचित और जक्तिशासी जनमत है। संगुक्त राष्ट्र जैसे विशास देश में जनमत को सांगित करने की कठिनाई को स्वीकार करना होगा। भारत में यह कठिनाई प्रवन्धमेद और भी परिक होगी। जिन्तु यह यह तरफ गगन प्रश्न नहीं होगा कि वो भारत को इस विषय परिकारन्ध से साम की अपेक्षा परिक हानि नहीं होगी।

(तम करेक्टरलिंग भॉक इंडियन कौटटीट्यूशन प० ५३)

भारत के संविधान के संघीय स्वत्व वं सम्बन्ध में योग्य प्रतिवेद है। यहूत से लेतक व विचारक इसकी एक वारतविक संघ नहीं मानते। उनके अनुगार यह स्वत्व ने तो संघीय ही है जिन्तु इसकी प्रवृत्ति एकात्मक है। उनके इस एकात्मक वा प्यानपूर्वक परीक्षण भारतीय संघ के वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए आवश्यक है।

विसी भी संघीय विधान वा स्वभाव प्रत्यधिक मात्रा में इस बात पर निर्भर होता है कि संघ निर्माण के समय परिवर्तियों के लिए वो भी संघीय स्वत्व को निर्धारित करती है। यदि संघ का जन्म संघोन्नतीस प्रवृत्तियों के कारण हुआ है तो वो संघीय गरकार प्रवन्धमेद निर्भल होगी और जापन की शर्तियाँ वा एक प्रति वृहत भाग और परिणाम प्रवृत्तियाँ राज्यों के पास होगी जिन्तु यदि कोई संघ विपटवर्णीय प्रवृत्तियों के कारण जन्म लेता है— जैसे कि

कई एकात्मक राज्य इकाइयों में विभाजित होकर सध का निर्माण होता है—तो केन्द्र प्रावश्यक रूप से शक्तिशाली होगा। और इसके पास शासन की अधिकाग शक्तियों व प्रबलिष्ट शक्तियों भी होंगी। प्रथम प्रकार के मुख्य उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमरीका है जबकि दूसरे प्रकार के कनाडा और भारतवर्ष। इस सामन्य सिद्धान्त के किसी विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ अपवाद भी हैं जैसे कि दक्षिण अमीरा का सध। भारतीय साविधान में एक शक्तिशाली सध है और उसके पास प्रबलिष्ट शक्तियों का होना इसलिए स्वाभाविक ही है।

कुछ भालोचरों का यह भी कथन है कि साविधान की आपत्तिकालीन शक्तियों के कारण केन्द्र और भी शक्तिशाली हो गया है और भारत का साविधान इन आपत्तिकालीन शक्तियों के प्रयोग होने पर एकात्मक विधान की भाँति ही कार्य करेगा। इन्तु ऐसे भालोचर इस तथ्य को भूल जाते हैं कि विधान का आपत्तिकालीन प्रबन्ध विशेष परिस्थितियों के निमित्त ही है और वह सविधान के दिन प्रति दिन का साधारण स्वरूप नहीं है। हम किसी भी साविधान का उसकी अमावारण परिस्थितियों व स्वरूपों से न तो मूल्यांकन कर सकते हैं और न करना ही चाहिए। यदि रादैव हम किसी रोगी व्यक्ति का घट्ययन करें तो हम स्वस्थ व्यक्ति को न पहचान ही सकेंगे और त उसके स्वभाव से परिनित ही हो सकेंगे। इसी प्रकार से असाधारण परिस्थितियों के लिए साविधानिक परिस्थितियों के अध्ययन से पूर्ण सविधान का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे।

शासन में आपत्तिकालीन शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा भारत में अधिनायकत्वन्ध की स्थापना का कुछ भय भ्रावश्यक है। भारत के राष्ट्रपति वो पद नियुक्ति के सम्बन्ध में यथेष्ट शक्तियों हैं और वह उनका दुरुपयोग करके विशिष्ट स्थानों में अपने महायकों की नियुक्त करके तथा आपत्तिकाल को घोषणा करके शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में से सकता है और अधिनायक बन सकता है। जर्मनी के बीमर सविधान के ग्रहतालीसवाँ अनुच्छेद का इतिहास को भारत में पुनरावृत्ति सम्भव है। साविधान सांसदीय शासन प्रणाली स्थापित करता है और स्वभावत राष्ट्रपति से यह भागा की जाती है कि वह अपनी समस्त शक्तियों एवं कायों वा उपयोग मन्त्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करेगा किन्तु सविधान में इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कमी रह गई है। सविधान में केवल यह प्रबन्ध है कि राष्ट्रपति को अपने कायों को करने में मन्त्रिपरिषद् द्वारा परामर्श व सहायता मिलेगी। इन्तु यह स्पष्ट शब्दों में प्रबन्ध नहीं करता कि मन्त्रिपरिषद् द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को स्वीकृत करना ही होगा। सविधान निर्माताओं ने परम्परा और छंडियों पर ऐसी सुरक्षा का प्रबन्ध छोड़ दिया है।

यहाँ पर यह व्यान रखने योग्य है कि भारत में प्रजातन्त्रीय परम्परा अधिक शक्तिशाली नहीं है। यद्यपि हमने वैदेशिक सांसदीय संस्थाओं को अपनाया।

तिनु इस बात का बोई प्राप्तवाप्तन नहीं है कि यह मम्माएँ मारतीय परिवर्तनियों में भारतनामूद्देश बाये कर सकेंगे। मगरीय प्रब्राह्मन की भाषणता हेतु त तो हमारे पाग प्रावशक परम्पराएँ ही हैं पौर न दियी ही। प्रभाग्यवग पूर्वों देखों की जनता की भनोत्तिं, मार्वदनिह नीति पौर गिदालों की तात्त्विक बोटी वर परताने की प्रतेका विवृति आगचना की ओर प्रयिक है। राजतीति में व्यक्तिगत का प्रभाव भारत में विशेषत अधिक शक्तिगाती है और यह मम्मद है कि बोई मार्वदनिह राजतीतिक विमूढि, जो कि विवेक हृष्य भी हा, इन परिवर्तनियों में माम दृश्य कर हमारे सप पौर उत्तरी प्रब्राह्मनीय भाष्याओं का दिनांग वर दे। राष्ट्रीय विषय का एकात्मक सविष्यान में चिन्तन वरने वाला मुख्य लक्षण गार्वपानिह शक्ति-विभाजन है। भारतीय मविष्यान एक विमूढ शक्ति-विभाजन का प्रदर्शन हरता है। सविष्यान में शक्तियों की नीन मूलिया है—केन्द्रीय मूर्ची, गग्य और ममदर्वी मूर्ची। ममदर्वी मूर्ची पर सोशियार व प्रसेवक सेव्य में केन्द्रीय मरकार का सत्ता व्याप्त होगी। अत ममदर्वी मूर्ची की हृष्य केन्द्रीय मूर्ची का प्रमाणण मान महत्व है। इनके माय-माय केन्द्र का विभिन्न और सारतिरानीन शक्तियों भी प्राप्त हैं। भारतीय मविष्यान एक घायिक शक्तिगाती बैठक की व्याप्ता वरना है तिनु एक घायिक प्रशासन गुण जगि विभाजन की प्रतेका भी गग्य मरकारों का घरना व्यवस्था वाय-थोप्र प्राप्त है और उप विभिन्न थोप्र में केन्द्रीय मरकार मविष्यान में संतोषन, मारतिरान की थोपाणा घयवा गग्यों में श्वीकृति निष्ठ विना हृष्टक्षेप नहीं वर महत्वी है। भारत में व्यापाय की हृष्टे गधीय मविष्यानों के समान ही विभिन्न शक्तियों एव पद प्राप्त है। भारत मर्कोच्च व्यापाय का दिनांग की व्याप्ता, गीरकाणु तथा केन्द्रीय और गग्य की घदव्याहिका द्वारा निमित विषयों की पुनरावृत्तोङ्क वरने की शक्ति भी है। घरेक विषय का मविष्यान की बोटी पर परीक्षण करेगा और यदि बोई भारतीय या बायेहारिली के नियम व प्राप्ता को मविष्यान के श्रवणों के प्रतिकूल भयमेंगा तो वह उग्रो प्रभावपानिह थोपित वर देगा। ऐसा वरने पर यह विषय या आज्ञा शक्ति मानी जावेगी और भारत का बोई भी व्यापाय उम्हों सामू नहीं करेगा।

प्रधिकार गपों में भय के इकाईयों की व्यवता के गिदाल की बेन्द्रीय भाग्य के द्वितीय महत्व में गमन प्रतिनिधित्व देवर स्वोहार लिया गया है। यह माता जाता पा कि इकाईयों की भयता का यह गिदाल भय की छोटी इकाईयों के प्रधिकारों की प्रधिक जनसंख्या वाली इकाईयों में तथा बेन्द्रीय गता में प्रतुचित हृष्टक्षेप की रक्ता करेगा। राजतीतिह दोनों एक राष्ट्रीय गतनीयिह विकास के वाराणु इकाईयों की व्यवता का यह गिदाल घब गम्य नहीं रहा है। ग्रामस्त बोई भी यह नहीं मानता है कि इकाईयों के प्रतिनिधि इकाईयों के प्रधिकारों की रक्ता वरेगे। इन इकाईयों के

प्रतिनिधि सधीय सदस्य के दोनों सदनों में दसों में विभाजित हैं और वह दलीय हितों की रक्षा प्रणीत इकाइयों के हितों की रक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। इसी कारण से भारत के सधीय संविधान में इकाइयों की समता के सिद्धान्त को द्वितीय सदन में उनके प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में नहीं प्रणालय गया है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इकाइयों के हितों की सुरक्षा संविधान नहीं करता है। इन इकाइयों के हितों की गुरुत्वा, संगोष्ठन प्रणाली न्यायालय के विधियों के पुनरावलोकन तथा संविधान की व्याख्या के अधिकार स्पष्ट एवं निश्चित क्षेत्र का प्रबन्ध करके की गई है। राज्य परिषद को सधीय इकाइयों की प्रतिनिधित्व सभा के रूप में संविधान के २४६ वें अनुच्छेद में किया गया है जिसके प्रनुभार राज्यों की सूची से कोई भी विषय केन्द्रीय सूची को एक प्रस्ताव द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये हस्तान्तरित किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव राज्य परिषद के दो तिहाई उपस्थिति और मत प्रदान करते हुए सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रस्ताव वी पुनरावृत्ति हा सकती है और इस प्रस्ताव के कारण जो भी विधि निर्माण होगा उसका इस प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के द्वारा पश्चात् प्रगत हो जायगा। हम इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय संविधान वा निश्चित स्वयं से केवल सधीय स्वरूप हो नहीं है किन्तु इसमें किसी सीमा तक सधीय तत्व भी विद्यमान है। सधीय शासन के सब महाव्युत्पाद लक्षण, जैसे कि दो सरकारों का सह-प्रस्ताव, निलिन और कठोर संविधान, सांघर्षानिक शक्ति-विभाजन न्यायालय की विशिष्ट शक्ति आदि भी इसमें विद्यमान हैं। इसलिए हम यह निश्चित स्वयं से वह सकते हैं कि भारतीय संविधान स्वरूप एवं तत्व दोनों में सधीय है और जो कुछ घोड़े से प्रसाधीय लक्षण हम उसमें पाते हैं उनका मुख्य कारण भारतीय विशेष परिस्थितियाँ ही हैं।

साधारणतः साधीय में सामान्य और प्रादेशिक सरकारों के मध्य में शक्ति-विभाजन भी इतना कठोरता से होता है कि प्राय वे एक सधर्य के द्वारा हो जाते हैं। यह सधर्य २० वीं शताब्दी में राज्य के क्षेत्र कल्याण कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण और भी बढ़ गया है। प्रत्येक विधान साधारणतः जिस काल में उसका निर्माण हुआ था उस काल के विचारों एवं परिस्थितियों का द्वारा है। जैसे जैसे सामाजिक व प्रायिक परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे विधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अपरिवर्तनशील व स्थाई विधान जौसी कोई भी वस्तु नहीं होती किन्तु सधीय विधानों के साथ यह कठिनता है कि वे ग्रामों ग्राम को सामाजिक व प्रायिक परिवर्तनों के साथ-साथ समयानुकूल परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक संविधान सामान्य और प्रादेशिक सरकारों के मध्य के सधर्यों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे साधन काम में

साता है जिसे कि सामान्य सरकारें साविधान में परिवर्तन किए बिना सारे देश में सामाजिक व पारिषद् परिवर्तनों के प्रनुदान एकल्पेण प्रगति को शादेशिक सरकारों से मान्य करा सकें।

इन साधनों में से मुख्य साधन संघ की सामान्य सरकारी द्वारा प्रादेशिक सरकारों की विशेष कार्यों के लिए ऐच्छिक सामाजिक व प्रार्थिक सुधारों को घोषनाने के लिए सहायक प्रनुदान देता है। उन सहायक प्रनुदानों में २० वीं शताब्दी में बराबर वृद्धि होती जा रही है। इस मध्यम में प्रो० बंयर वा वयन है—

“उदाहरण स्वरूप १६३६ में संयुक्त राष्ट्र प्रमरीका में राज्यों को सामान्य सरकार वीं भौत से ५८ करोड़ टालर ऐच्छिक सहायक प्रनुदानों के रूप में राज्यों वीं प्राप्त हो रहे थे और यह उनकी भाष्य का १५ प्रतिशत भाग था। इनादा में प्रान्तों वीं दो करोड़ २० लाख टालर या उनकी भाष्य का १० प्रतिशत, आम्दूर्लिया में राज्यों वीं १३ करोड़ रुपयों या उनकी भाष्य का १२ प्रतिशत और स्विटजरलैंड में केन्टनम् को २३ करोड़ १० साल स्विटजरलैंड जो कि उनकी भाष्य का २५ प्रतिशत था, प्राप्त हो रहा था।*** ”यह वयन देखें होगा कि प्रास्ट्रैलिया भौत कनाडा में १६४३ में भाष्य-वर के सम्बन्ध में जो अवस्थाएँ भी गई थीं और नियमों द्वारा प्रदेशों वीं सामान्य सरकारों के द्वारा सतिरूति प्रनुदान के बदले में भाष्य-कर थें तो यहाँ के लिए गहमत रिया गया था, कि यह पर्यंत्रुषा कि प्रास्ट्रैलिया में केन्द्रीय सरकार ने उन ऐच्छिक प्रनुदानों द्वारा राज्यों वीं भाष्य का २५ प्रतिशत भाग और दिया भौत बनादा में भी इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों वीं भाष्य का २५ प्रतिशत भाग और दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमरीका में इतनी प्रार्थिक वृद्धि तो नहीं हुई किर भी १६४६ में प्रनुदान लगभग १४० करोड़ टालर के था और राज्यों की भाष्य से इसका प्रनुदान लगभग १४ प्रतिशत था था।”

(केन्द्रल ब्यन्डेमेंट पृ० ११५-१६)

उपरोक्त प्रश्न को उद्दृत करने वा तात्पर्य यह है कि भाष्य इस महत्वपूर्ण तथ्य का भसी प्रकार समझ से कि सोकल्हयाणकारी राजनीति के कारण सामान्य सरकारें कार्यक्रम में सामान्यातर वृद्धि के लिए भाष्य हो रही है और प्रादेशिक सरकारों से इस केन्द्रीय कार्यक्रम की वृद्धि की मनवाने के लिए सहायक प्रनुदानों में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ी है। भाष्य-विकास सहीय राज्यों में प्रार्थिक और केन्द्रीय सरकारें प्रत्येक मध्य में शक्ति-न्युजन प्रब निश्चय ही केन्द्रीय सरकारों के पास में है और केन्द्र प्रार्थिक शक्ति-क्षमता होते जा रहे हैं।

भारत के साविधान निर्माण इन कठिनाइयों के प्रति यथेष्ट हर से यथेत में और उन्होंने सामाजिक और भार्यिक क्षेत्र में सावधान एवं हेतु प्रगति के लिए एक

दूसरी विधि वाम में लाए हैं। सामाजिक विधि निर्माण कायं उन्होंने समवर्ती सूची में रखे हैं जिस पर कि केन्द्र का पूर्ण भागिपत्य है। सप्तम अनु-सूची के सम्बर्ती सूची के ५३ वें घारा पद के अनुसार 'सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक दीमा, भाजीविका और वेकारी' घारापद २४ के अनुसार 'अमिक बल्याए जैसे कि कायं करने की दशाएँ', भविधि निधि (Provident Fund) स्वामियों वा उत्तर-दायित्व, अमिकों की दक्षता पूर्ति, अपज्ञता और वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन तथा मातृत्व सम्बन्धी विशेषाधिकार' और घारापद २० के अनुसार 'भाविक व सामाजिक नियोजन' हेतु विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह सब शक्तियाँ चूंकि समवर्ती सूची में हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन पर विधि निर्माण करने में कोई कठिनता नहीं पड़ेगी।

भारतीय सम्बिधान की प्रस्तावना (Preamble) के अनुसार हमारे सम्बिधान के प्रमुख उद्देश्य इस सम्बन्ध में ये हैं—

"श्रीर अपने समस्त नागरिकों हेतु सामाजिक, भाविक व राजनीतिक न्याय, पद व प्रशावर की समानता करना है।"

यह उद्देश्य विधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पूरे किए जाने का प्रबन्ध किया गया है। उदाहरणतः विधान के ५३ वा अनुच्छेद के अनुसार—

"राज्य भावश्यक विधियों द्वारा भावश्यक समाजन या किसी और प्रकार से योःय वेतन तथा कायं करने की मद्दत्याएँ, जो कि जीवन के सम्यता पूर्ण रूपर को बनाएँ रखने के लिए तथा भवकाश कर एव सामाजिक व सास्कृतिक अवसारों का अनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।"

भारत के सविधान के नीति निर्देशक तत्वों ने भारत हेतु एक सोक-कल्याण राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सामाजिक विधि निर्माण, तथा सामाजिक सेवाओं के प्रशासन के लिए सम्बिधान के भावश्यक प्रबन्ध यथेष्ट रूप से उचित है।

न्यायालयों के पुनरावलोकन का अधिकार

संघीय समिक्षान दो पक्षों के मध्य में एक गम्भीरता है प्रौर इस तममीने के दोनों पक्ष प्रादेशिक प्रौर प्रैद्वीय गरकारें हैं। प्रत्येक समझोते को भवित्य वी कठि-नाइयों से बचाने के सिए तथा एक निश्चित स्पष्ट देने के लिए निश्चित होना ही चाहिए। प्रत्येक निश्चित समिक्षान चाहे वह वितना ही स्पष्ट व तिरित क्यों न हो किसी न किसी घनुच्छेद या प्रबन्ध पर उसके एक से परिवर्तन पर्यं निराले जा सकते हैं प्रौर तभी पर्यं क्या है इस प्रबन्धमें वादविवाद उठ राढ़ हो गता है। समिक्षान के निर्णय इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि समिक्षान वी भाषा में विसी प्रकार वी कोई सादिगत्या न रह जाय ताकि भवित्य न उसके एक से परिवर्तन पर्यं निराले रहें। विन्तु वितना ही ध्यान क्यों न रखा जाय कोई न कोई भाषा सम्बन्धी सादिगत्या रह ही जाती है प्रौर विसी भी साविंगनिक प्रबन्ध के एक से परिवर्तन पर्यं निराले रहते हैं। सही पर्यं का निरुपय करने के लिए यह आवश्यक है कि एक स्वतन्त्र तंत्रज्ञ जो कि समिक्षान वी व्याख्या कर सके तथा जिसका निरुपय प्रनितम एवं सब पक्षों को माम्य हो। ऐसी संस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होगा प्रौर यह संस्था अपनी शक्तियों को स्वयं समिक्षान से प्राप्त करेगी तथा ऐसा व राज्यों वी सरकारों से पूर्ण-तया स्वतन्त्र होगी।

प्रत्येक संघीय समिक्षान में केन्द्रीय प्रौर प्रादेशिक गरकारों के शीख में शक्ति-विभाजन होता है। संघीय समिक्षान के राफलनापूर्वक कार्य करने के लिए यह प्राप्त रखक है कि केन्द्रीय व प्रादेशिक गरकारों में से कोई भी दूसरे के दोनों हस्तधोपन न रहे प्रौर यदि ऐसा हस्तधोप होता है तो समिक्षान द्वारा निश्चित एक स्वतन्त्र संस्था उसे रोकने के लिए प्रबन्ध हो। यापारणतः संघीय समिक्षानों में समिक्षान वी गरकारा पा यह कार्य न्यायालयों को दीवा जाता है। यह न्यायालयों का एक विशेष प्रधिकार होना है जि वे समिक्षान को विसी भी प्रकार से बंग न होने दे तथा समिक्षान वी सादिगत्यापूर्व भाषा वी विषय एवं वास्तविक व्याख्या रहे।

सविधान की न्यायालयों द्वारा सरकारी वायं विधियों के पुनरावलोकन पढ़ति द्वारा किया जाता है। इसका यह अर्थ यद्यपि नहीं कि न्यायालय विसी भी विधि के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका द्वारा निर्माण होते ही उसकी सर्विधानिकता पर अपना मत प्रकट करेगे। इसका वेक्षण यह अर्थ होता है कि जब कभी कोई नहीं विधि विसी भी बाद में प्रयुक्त होने का अवसर आवेगा तो वह पहले उसकी सर्विधानिकता का परीक्षण करेगे। यदि वह सम्बिधान के अनुकूल है तो उसे प्रयोग किया जायेगा और यदि वह सविधान वे सम्बन्धों के प्रतिकूल है तो जिस अश तक या पूर्ण रूप से प्रतिकूलता होगी वही तक उसको सम्बिधान के प्रतिकूल और रद्द घोषित कर दिया जायेगा। न्यायालयों का विधि के पुनरावलोकन का यह अधिकार सायुक्त राष्ट्र अमरीका तथा भारत में भी है।

न्यायाधीशों को सर्विधानिकता के नाम पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रति-निधियों के द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने मारवारी बनाम मैडीसन में सर्वोच्चता और न्यायालयों के पुनरावलोकन के अधिकार का दावा करते हुए यह बहा—

“जो भी लिखित सविधान का निर्माण करते हैं उनके विचार से निरिचित हप से राष्ट्रों के मूलभूत सर्वोच्च विधियाँ हैं और इसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रत्येक शासन का यह सिद्धान्त होना चाहिए कि व्यवस्थापिका की कोई भी विधि जो भी विधान के प्रतिकूल है रद्द है।

“यह सिद्धान्त आवश्यक हप से लिखित सम्बिधान से साथ जुड़ा हुआ है और इसके पलस्वरूप न्यायालयों द्वारा इसको हमारे समाज का एक मूलभूत सिद्धान्त के हप में मानना होगा। भविष्य में इम विषय पर विचार करते समय हमें भूल न जाना चाहिए।”

(मारवारी भनाम मैडीसन के निर्णय से—हरमन फाइनर—माइन एवनर्मेंट्स से उद्दत पृ० १४२-४३)

उपरोक्त सिद्धान्त आये चलकर मैकवलो बनाम मेरीलेंड के प्रस्ताव मुकदमे में सागू किया गया है। यह मुकदमा न्यायालय के पुनरावलोकन अधिकार के इतिहास में इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सर्वप्रथम ‘निहित जक्तियो’ के सिद्धान्त का उपयोग हुआ था। सयुक्त राष्ट्र वैप्रेस ने १८१६ में एक विधि द्वारा एक बेन्द्रीय बैंक की स्थापना की थी। इस सर्वीय बैंक की शाखा मेरीलेंड राज्य में भी स्थापित की गई। मेरीलेंड राज्य ने ऐसी दस्तावेजों पर जो धन वे लेनदेन से सम्बन्धित थी एक कर साराया और इस कर वो उन्होंने बेन्द्रीय बैंक के दस्तावेजों पर भी सागू किया। मेरीलेंड शाखा ने सहीय बैंक के लाजान्ची ने इम बानून को मानना स्वीकार नहीं किया और इसने प्रत्यक्ष दरे मेरीलेंड राज्य ने १८१८तार र लिया। यद्यपि

संविधान ने सद्गुरीय सत्त्वार को हपट्ट हग से सद्गुरीय वैक स्थापिक करने की ज़कि नहीं दी थी औंकि यह ज़क्ति मुद्रा के विनिमय परिचयन और नियन्त्रण के लिए आवश्यक है इसलिए संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 'निहित ज़क्तियों के सिद्धान्त' के अनुसार यह ज़क्ति उचित ठहराई। भपना निर्णय देते हुए प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने कहा—

"कोई भी समिक्षान भपने समस्त उप-विभागों के विशुद्ध सविस्तार जितको कि इनकी महान शक्तियां स्वीकार करती है और ये राव साधन जिनके द्वारा इनको कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है वे इसको दिती भी विधि सहित के अत्यधिक विस्तार का रूप दे देंगे और उसको मानवीय मत्तिष्ठक कठिनता से बचना पाएंगा। यह सम्भवतः तापारण जनता द्वारा कभी भी नहीं समझी जा सकती। इसको प्रहृति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें वेवल पूहत् रूप-रेखा इसके उद्देश्य और इसके सारों का निश्चय किया जाए और इसके छोटे-छोटे विभाग जो कि उनके उद्देश्यों की मूलत के लिए हैं उनका निर्माण उन उद्देश्यों वी प्रहृति के अनुसार हो जाए..... दिती भी यह तक यह इसके विषद् और न्यायपूर्ण व्याख्या के मार्ग में कोई भी प्रतिबन्ध न समाने के कारण है। इस प्रश्न पर विधार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। यदि उद्देश्य वैधानिक है और संविधान के अतिरिक्त है तो सब साधन जो कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हपट्ट रूप से काम में आए गए हैं और जिन पर कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है और जो विधान के अन्दों एवं भावनानुकूल है वे सब संविधानिक और उचित हैं।"

इस निर्णय के पश्चात् पिछले १५० वर्षों में न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या और विधियों के पुनरावसोक्तन का अधिकार सद्गुरीय संविधान के महत्वपूर्ण सदृशण हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा बट्टसर में न्यायाधीश औदन. जे. रीबटंग ने न्यायालय के पुनरावसोक्तन वी गता वे सम्बन्ध में यह कहा—

"प्रत्येक अनुमान, कार्यस द्वारा मूलभूत नियमों के निर्देशों को निष्पाट पासन के पदा में ही होने चाहिए। किन्तु हमारी जासन प्रणाली में और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि नागरिक का यह दावा गुजा जा सके कि विधि दिती भी दी गई ज़क्ति की शीमाओं का पतिकमण कर रही है..... यदि विधि संविधान के लियत तिदान्तों को भग करती है तो हमें इसी पोषण करनी ही चाहिए।"

न्यायाधीश स्टोन ने इसी मुश्वरमें भपना विरोधी भत देते हुए यह कहा— "न्यायालयों के दिती भी विधि को संविधान में प्रतिकूल गोविता करने का

यह अधिकार उन दो निर्देशक सिद्धांतों के आधीन होना चाहिए और यह (सिद्धान्त) न्यायाधीशों की वेतना से कभी सुप्त नहीं होना चाहिए। प्रथम यह है न्यायालय वेवल विधि निर्माण की शक्तियों से सम्बन्धित है जिसके उनमें निहित बुद्धिमत्ता से। द्वितीय यह है कि जन शासन की कार्यवारिली या अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों के असाधारणिक उपयोग न्यायालय के अधीन हैं तब्दी हमारी अपनी शक्ति के उपयोग पर वेवल आत्म नियन्त्रण की भावना का ही प्रतिबन्ध है। विधि संहिता से अवृद्धिमत्तापूर्ण नियमों को हटाने के सिए प्रजातन्त्रीय शासन में अपील न्यायालयों को न होकर जनता द्वारा मतदान की होनी चाहिए……”)

अल्लादी-कृष्णराम स्वामी अच्युत ने भारतीय संविधान सभा के समझ बोलते हुए इस सम्बन्ध में यह कहा कि न्यायालयों को किसी भी विधि के ऊपर निर्णय देते समय यह मानकर चलना चाहिए कि वे संविधान के अनुकूल ही हैं केवल—

“यदि विधि किसी निश्चित उद्देश्य से हो या विधि निर्माण की सीमा का अतिक्रमण करती हो अथवा निजी कानूनों को भाषा में शक्ति का अपरिवृण्ण उपयोग हो तो न्यायालयों को ऐसे कानूनों को प्रसादित्यानिक और इह घोषित करना चाहिए।”

न्यायालयों के पुनरावलोकन के अधिकार की आलोचना करते हुए प्र० सास्की ने कहा है कि—

“यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असाधारणिक निर्णय की गई विधियों में से भी अधिकारी, वास्तव में, विशुद्ध कानूनी सिद्धान्तों पर ही नहीं की गई हैं किन्तु ताकिक क्या है, इस हटिकोण पर किए गए ताकिकता के तथ्य का निवास स्थान बदलता नहीं है किन्तु इसका निश्चय करने वालों के स्वभाव और सम्बन्ध से पूरणतः निर्मित होता है। कुछ अक्लियों में से तो इनी गमता ही राखती है कि वे अपने सीमित अनुभवों की विशेष परिधि को पार कर अपने आपको बाहर से जा सकें किन्तु अधिकतर उसी में बन्द ही रहते हैं और उन्हें अपने बन्दी रहने का आभास भी नहीं होता…… न्यायाधीश को अधिकारियों की इच्छा को इदूर कर देने की शक्ति देना उसको राज्य में निराधिक सत्त्व बना देना है……” और भी लिखित संविधान जिसमें कि अधिकारियों को इस हड़ता से नियन्त्रित किया गया हो, मेरी समझ में एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि संविधान सदैव अपने समय की प्रचलित गति को प्रतिविधित करता है न्यायाधीश सामान्यतः उसी समय की गतियों से अधिक परिधित होगा और वे विचार जो कि इसमें प्रतिविभित रो होते हैं उन्हीं से योगा होगा, अपेक्षाकृत, उसके पश्चात् वी एवं प्रायुनिक समय वी गतियों से।”

न्यायालय से पुनरायसोवन के अधिकार पा। मृत्यु प्राप्तार यह है पूरि संविधान ने गरकार को जग्न दिया है इसलिए सब चाहा उसके अधीन होनी चाहिए। परन्तु पूर्व के न्यायालय संविधान ने न्यायालय करते हैं इसलिए न्यायालय तथा राष्ट्रपालों से अधिक हैं। प्रधान न्यायाधीश है जो इस सम्बन्ध में क्यन है 'हम सोन एक संविधान के अधीन हैं जिन्हें संविधान बही है जो कि न्यायाधीश उसे बहते हैं'। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है और न कोई मान ही है जिसके द्वारा इन निर्णयों को श्रमापीकरण किया जा सके। विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न समय पर ये विधान वी विभिन्न ध्यास्याएँ भी हैं और न्यायालयों का घाहे जो निर्णय देना वी सब सत्ताओं को उसे मानना होगा। अनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिसकी छीक समझते हैं उसको यह दृष्टि सकते हैं। इनके निर्णय न्यायाधीशों की विशेष प्रकृति उनकी संकलनीयता द्वारा दर्शायी गयी है, उनके राजनीतिक रिद्वानत, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वात्यरात्रि वी परिस्थितियों पर राष्ट्रारणतः निर्भर करते हैं। न्यायालय के इस पुनरायसोवन के अधिकार भी इस प्राप्तार पर आसोचना हुई कि अन्तिम निर्णयालयक वक्ति ए प्रादमियों के हाथ में दे देते हैं, और जिनमें भी पांचवें व्यक्ति के आर निर्णय प्राप्तः निर्भर रहता है। और पूर्व कि इनमें से कोई भी अनता द्वारा निर्वाचित नहीं है और न अनता का प्रतिनिधित्व ही करता है इसलिए यह एक प्रजातान्त्रीय व्यवस्था नहीं है, जिसको हम गापाराणतः 'न्यायाधीशों द्वारा जासन' कहते हैं, जग्न देता है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमोरीदा के संबोधन न्यायालय वी प्राप्तः बांधेस पा सीमारा सदन वहा जाता है। वास्तव में एक यदृत बड़े बग तक यह गत्य भी है। इसके पापात् पुनरायसोवन वी शवितायी हैं जो कि विश्व में किसी भी द्विनीप सदन के बार नहीं होनी। इसने पाप वास्तव में किसी वाकून को स्वीकार प्राप्तीकार कर देने वी सक्ता है। इस सत्ता के कारण इसको एक प्रत्यक्ता शवितासी पुनरायसोवन करने वाला द्विनीप सदन या व्यवस्थाविधा से भी ऊपर एक सत्ता मान जाये है। जिन्हें ऐसा करना प्रजातान्त्रीय पठति के विषद्द होगा और कोई भी जो कि प्राप्ते वी वास्तविक घटों में प्रजातात्र वहता है उसके सिए न्यायाधीशों वी यह देना सम्भव नहीं है।

न्यायाधीशों द्वारा निमित कानून उनकी व्यवितरण सत्तों एवं प्रशापालों पर निर्भर रहेगा और किनी विशेष न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों वी प्रकृति उस न्यायालय के न्यायाधीशों वी प्रकृति पर निर्भर करेगी। कोई भी न्यायालय जिसमें प्रधिकार वानुदार न्यायाधीश है तो वह-व्यवस्थाएँ कानूनों वी राज्य के प्राधिक सेवा में नियन्त्रण वी वृद्धि से प्रधिकारों वे प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई भी न्यायालय जिसमें प्रधिकार न्यायाधीश उप एवं मुख्यारप्तादी विनारप्ताके हैं, प्रतिनियादादी कानूनों वी प्रधीकार वर हैं। न्यायालय के द्वारा पुनरायसोवन वी

पदति न्यायाधीशों को प्रत्यधिक रातर प्रश्नन करती है। और वह पूर्ण सम्भावित बात है कि न्यायाधीश इस सत्ता पा दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यायालयों के निर्णय प्राप्त बहुमत के आधार पर होते हैं और वह वहा गया है कि जब दोनों पक्षों की ओर पारचार न्यायाधीश होते थे और जिस ओर भी पौर्ववाची न्यायाधीश हो जायेगा उसी पक्ष की विजय होगी। दूसरे गटों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी बानूत की स्वीकृति या प्रस्तीकृति किसी एक न्यायाधीश को इच्छा पर निर्भर करेगी और वह अकेला न्यायाधीश रामस्त राजनीतिक संस्थाओं जिसमें कि व्यवस्थापिका भी सम्मिलित है, तो भी भ्रष्टिक शक्ति का भ्रष्टिकारी होगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति, साधारणता, राज्य के प्रमुख के द्वारा होती है और संयुक्त राष्ट्र घरमीदा जैसे देश में जहाँ राज्य के प्रमुख के पास शासन की रामस्त वार्ष कारिणी जूकी भी होती है वही इस बात की व्येष्ट सम्भावना है कि न्यायाधीश की नियुक्ति उनकी बानूनी योग्यता के बनुमार वाम और उनकी दलीय-भूताव एवं सहानुभूतियों के बनुमार भ्रष्टिक हो। यदि एक ही राष्ट्रपति के प्रशासन बात में एह रो भ्रष्टिक सर्वोच्च न्यायालय में पद रिक्त हुए, तो वह राष्ट्रपति भ्रष्टने दल से सहानुभूति रखने वालों से न्यायालय को 'भर सकता है'। ऐसे न्यायालय से हम निष्पक्ष निर्णय की प्राप्ति परे, विशेषतः कौन्हेस द्वारा नियुक्त बानूनों के सम्बन्ध में, तो वह व्यर्थ होगा। राष्ट्रपति के पद में परिवर्तन होने पर और दूसरे दल के प्रशासन बाल भारम्भ होने पर ऐसा न्यायालय स्वभावत भ्रष्टिकाश बानूनों पा जिनको वह पसन्द नहीं करता है विरोध करेगा। रिप्रिविकन दल से सहानुभूति रखने वालों के द्वारा भरा हुआ न्यायालय जिसी भी ऐमोनेट दल के प्रस्ताव पा वहुत ही घ्यानपूर्वक और प्रालोचनात्मक हग से परीक्षण करेगा और ऐसे बानून की घरस्वीकार करने वाला या घराविधानिक घोषित करने का कोई भी व्यवसर नहीं रोएगा। इसी प्राप्ति रो ऐमोनेट दल द्वारा भरा हुआ न्यायालय रिप्रिविकनों के प्रस्तावों के साथ करेगा। न्यायालय को सम्बिलिकन विमलिको द्वारा दिये गये प्रपत्ते उत्तरदायित्वों को पूरा रखने के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक है। विसी रीमा तक वह है भी, इन्हु इस सम्बन्ध में पुढ़ ऐसे भी तथ्य है जिनको हम भूल नहीं सकते। उदाहरण स्वरूप न्यायाधीशों की गिराव और पारिवारिक गृष्ठभूमि, उनकी व्यक्तिगत सन्तान और इच्छाएँ, उनकी राजनीतिक गहनुभूतियों तथा महत्वाकांक्षाएँ, जिसी भी न्यायालय के लिए इस सम्बन्ध में सबसे पच्चा उपाय वह होगा कि वह पृथग घनुमान करके जने कि व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त प्रत्येक बानून विधानानुदूल ही होगा। और तभी वह इन कानूनों का प्रतापान कर सकता है। निर्णय वर सकता है।

न्यायालयों के इस भ्रष्टिकार के विषेष सविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने

का विचार है। सविधान की सर्वोच्चता एवं राष्ट्रीय शासन में प्रत्यधिक महत्वपूर्ण अस्तु है। मह संविधान से प्रबन्धों को भंग होने से सुरक्षित रखती है। यह समस्या एकात्मक राज्यों में नहीं पाई जाती। बिंदेन जो कि एकात्मक राज्य है उसमें सोसद की सर्वोच्चता का सिद्धान्त बना जाता है और वहाँ पर कोई भी न्यायालय संगद द्वारा निर्मित कानूनों का मुनरावलोकन नहीं कर सकता किन्तु समुक्त राष्ट्र प्रभरीका में सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी स्थिता है जो कि परिप्रेस द्वारा निर्मित कानूनों पर रह भी कर सकती है। न्यायाधीशों के द्वारा नक्ति के दुष्प्रयोग का वेतन यही उपचार है कि सविधान में साक्षोषन विधा जाय विन्तु हांपीय बड़ों द्वारा सविधानों में साक्षोषन बरना कोई सख्त काये नहीं है। इस सम्बन्ध में जेम्स हार्ट का मत है—

“सार्वभानिक सत्ता वी कमियों की दूर करने वा प्रभावशासी तरीका द्वेष साक्षोषन योग्य में साक्षोषन करना है।” हमें न्यायाधीशों के मुनरावलोकन का न तो प्रत्यही बरना है और न उस पर अत्यधिक प्रतिबन्ध ही सगाने हैं। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम उपचार यह है कि कांग्रेस की घट्ट और व्यापार की गतियों की मुन. परिभाषा करे ताकि न्यायालय वो इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के स्थान पर प्रत्यती इच्छा को प्रतिस्थापित करने का अवसर न रह जाय।”

(मोइन गवर्नरेंस पृ० १५६ से उद्धृत)

न्यायाधीश वैतिकम, कॉक पाटर ने न्यायालय के इस अधिकार की प्राप्तीका परते हुए यहाँ कि—

“न्यायिक मुनरावलोकन स्वयं ही जनताकीय सरकार पर नियन्त्रण है और हमारी संविधानिक दृष्टि वा एक मूलभूत भाग है। इन्तु हमारी मूलभूत स्वतंत्रतामो का हीरकाण न्यायालय के समान व्यवस्थापिका के अधिकार में भी है यह व्यवस्थापिका के अधिकार के दुष्प्रयोग का, व्यवस्थापिका सभादों और जनसत के समझ विरोध करने से, न वि ऐसे गापदं को न्याय दोनों में हस्तांतरित कर देने से स्वतंत्र जनता के मात्र-विश्वास को प्रभावित करने का कार्य करेगा।”

समुक्त राष्ट्र प्रभरीका के सविधान के अनुबन्ध ६ के द्वितीय उपबन्ध के अनुसार समुक्त राष्ट्र द्वारा की गई समस्त मन्त्रियों द्वारा का सर्वोच्च कानून आनी जावेगी—

“यह सविधान और समुक्त राष्ट्र के कानून जो कि इसके घनतयंत निर्मित होंगे और सद्य समियों जो वि समुक्त राष्ट्र की सत्ता में द्वारा की गई है या वी जावेगी, देने के सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश राज्य के गविधान या कानूनों में द्वारे कोई भी प्रतिक्रिय वी प्रोत्येकानुत भी इसके द्वारा बंधे हुए होंगे।”

यह अनुबन्ध न्यायालयों के पुनरावलोकन की शक्तियों को संनिधि पर भी लागू करता है और उन्हें किसी भी संनिधि के प्रबन्धों की व्याख्या करने वी और अर्थ निकालने की शक्ति देता है। हैमिल्टन इस अधिकार के पक्ष में था और अमेरिकन विधान के निर्माता भी इससे सहमत रहे होंगे जबकि उन्होंने इस अनुबन्ध को सविधान में स्थान दिया है। हैमिल्टन ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का विशिष्ट और सही क्षेत्र है। सविधान वास्तव में, और ऐसा ही इसे न्यायाधीशों द्वारा माना जाना चाहिए, मूलभूत कानून है। इसलिए वह उनका कार्य है कि यह इसके अर्थ को मातृष्य करे और किसी विशेष कानून को जो कि किसी व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित है, अर्थ का भी पता लगावे। यदि इन दोनों के बीच में कोई विरोधी भन्तर है तो जिसके प्रति अधिक कर्तव्य और अधिक मान्यता है उसी को मानना चाहिये। या दूसरे शब्दों में, सविधान को कानूनों से अधिमान देना चाहिए और जनता को इच्छा को जनता के प्रतिनियितों की इच्छा से अधिमान देना चाहिए।”

(फेड्रेसिट, ४० ५०६)

उन्होंने भागे चलकर यह भी कहा था कि जो कानून सविधान के विपरीत ही उन्हें रह कर देना चाहिए और कोई भी न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता है। हैमिल्टन के शब्दों में—

“किसी भी थेष्ट तथा अधीनस्थ सत्ता के हस्तक्षेप परने वाले कार्यों में सम्बन्ध में मौलिक और व्युत्पन्न शक्तियों, उस वस्तु के स्वभाव और तक यह बात बताते हैं कि उसके विपरीत नियम ही पालन करने योग्य है। वे हमें सिखाते हैं कि किसी थेष्ट सत्ता के पहले वाले अधिनियमों को विसी अधीनस्थ या निकृष्ट सत्ता के बाद के अधिनियमों से मान्य होंगे और उसके अनुमार जब कोई विशेष कानून सविधान को भल्ल करता है, तो न्यायालयों वा यह वर्तव्य होगा कि वे सविधान को मानें और ऐसे नियमों को अस्वीकार करे।”

(फेड्रेसिट, ४० ५०७)

न्यायालयों वे इस अधिकार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हैमिल्टन का कथन है—

“इसका कोई महत्व नहीं होगा कि न्यायालय प्रतिकूलता के बहाने अपनी इच्छायों को व्यवस्थापिकाओं की इच्छा के स्थान पर प्रतिस्थापित करे। यह उन विपरीत नियमों के द्वारा भी हो सकता है और यह विसी नियम वे सागू करने में भी हो सकता है। न्यायालयों के लिए विसी भी कानून वे अर्थ की घोषणा करना आवश्यक है और यदि वह ‘निर्णय’ के स्थान पर अपनी इच्छा वा प्रयोग करते हैं, तो उनका परिणाम व्यवस्थापिका संसद्या वे स्थान

पर अपनी दृष्टियांगों के प्रतिरक्षागत वरने के रामान ही होगा । यह यदि कृप
हिंदू करता है तो देवत यह कि उस संस्था से भलग न्यायाधीश होने ही नहीं
पाहिए ।"

(केड़ेजिस्ट पृ० ५०७-८)

न्यायालयों के इस पुनरावसोवन के अधिकार ने विशेषतः शायुषराष्ट्र प्रबोधन
में बैन्डीय सरकार की संविधान की जटिल राशीधन विधि और बठोरता की प्रावश्यक
भौतिकी ही है । न्यायालयों से यह प्राप्ति की जाती है कि यह समय की गति
के अनुसार घले और संविधान की प्रावश्यक सचीलापन देंगे जिससे द्वारा संविधान
परिवर्तित विचारों पर धरण्याधीशों के अनुकूल हो जायगा । राष्ट्रपति र्फॉर्मिन एजेंस्ट
ने अनवरी, १६३७ में शायुष राष्ट्र विधेय को अपने आयए में इस साम्बन्ध में यह—

"मुख्य प्रावश्यकता हमारे मूलभूत बाबून में परिवर्तन वरने की नहीं है बिन्दु
इस सम्बन्ध में अधिक युक्ति प्रकाशित होनी चाही है । ऐसे साधानों
का हमें पढ़ा लगाना ही होता जो कि हमारे बाबूनी ढांगे और अधिक
धरण्याधीशों को विद्य की सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रजातन की वास्तविक वर्तमान
प्रावश्यकताओं के अनुसार हो ।"

(जाइनर, नोडर्न गवर्नमेंट्स, पृ० १५० से अनु०)

इतनी प्रासीधना एवं प्रशासामर्म, भय एवं प्राप्ताधीशों की अपेक्षा भी हम इस
स्थिति में नहीं है कि न्यायालयों द्वे पुनरावसोवन के इस अधिकार का भल्ल वर दे ।
यदि यह दोष है तो हमें अपने आगको इस विचार से सामर्दना देनी होगी कि यह एक
प्रावश्यक दोष है ।

धर्म निरपेक्ष राज्य

राज्य की उत्पत्ति प्रारंभिक काल मे हुई थी। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कव, वही और कौसे उत्पन्न हुआ। यह एक विवादप्रस्त समस्या है। किन्तु यह निश्चित है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रारंभ मे घर्म ने यथेष्ठ रूप से महत्वपूर्ण योग दिया है। ग्रीष्म, रोम, मध्यपूर्व के पुरातन साम्राज्य, अफ़्रीका, भीन तथा भारत आदि देशो के इतिहास को पढ़ने से सिद्ध होता है कि प्रारंभ मे घर्म पौर राजनीति पर्यन्त ही निकट रूप से सम्बन्धित थे और सबसे प्राचीन राजा पुजारी राजा थे। पुरातनकाल के लागे वे लिए घर्म से अलग या घर्म से उदासीन किसी राज्य की बल्दना करना सम्भव नहीं था। विभिन्न घर्मों के मध्य निरपेक्षता की भावना भी असम्भव थी।

प्रोक राजनीतिक दर्शन मे घर्म वा स्थान, नीतिशास्त्र मे मुकरान, अकलानुन और अरस्तू के प्रभाव से ले लिया था। इन विचारको ने राजनीति का अध्ययन नीतिक दृष्टिकोण से किया है। उनका यह विश्वास था कि राज्य स्वयं नीतिवत्ता का प्रचार कर सकता है और एक विशेष प्रकार को गिरानीति थोष्ठ व्यक्तियों का निपाणि कर सकती है। राजनीति और नीतिशास्त्र का यह सम्मिश्रण पुरातन भारतीय राजनीतिक विचरणाराम्भो मे पाया जाता है।

मध्ययुग मे चर्चे और राज्य के सम्बन्ध निर्धारण की समस्या ने एक पर्यन्त ही महत्वपूर्ण रूप पारण कर लिया है। उस काल मे यह माना जाता था कि पर्व राज्य की अपेक्षा एक थोष्ठ सम्पूर्ण था। यह ईश्वर, उच्चावच्चा वौ अभिव्यक्ति करतो है और राज्य को इसके द्वारा निर्देशित होना चाहिए। निरचयन धार्मिक विचारक यहीं के पादिष्ठ जीवन को भविष्य मे पाने वाले स्वर्गीय जीवन के लिए तैयारी बरने वा साधन मात्र मानते हैं। उनके विचार मे भविष्य मे पाने वाला जीवन धार्मिक महत्वपूर्ण है। यहीं का पादिष्ठ जीवन राज्य के नियन्त्रण मे रह सकता है किन्तु भागे भागे याता

जीवन जो कि परिक्रमा पूर्ण है, उसके सिए ठीक संयारी तभी ही पायेगी जबकि चर्च राज्य के कार्यों की देखरेख रखेगा एवं उनका निर्देशन करेगा। प्रो० गंगाधर के शब्दों में :

“चर्च का इतिहास इसलिए घोषस्टाइन के सिए वर्षार्थ में ‘विश्व में ईश्वर की प्रगति है’ जितकी प्रभिष्ठिति को हेगल ने सगर रूप से राज्य के सिए प्रयोग किया है। सारी मानव जाति वास्तव में एक परिवार है जिसके इतनां प्रत्यिपथ भवित्व पूर्वी पर नहीं किन्तु स्थग्न में है। यह मानवीय जीवन ईश्वर की पञ्चार्दि और बिद्वार्ह आरपात्रों की युराई के मध्य एक विस्तर संघर्ष का व्याप्ति है। सारा मानवीय इतिहास देवी मुक्ति की योजना को हृष्टारे सामने पोकता है पौर इस इतिहास में चर्च का प्रकट होना एक निष्ठायिक धारा का प्रतीक है। इसके पश्चात् मानव परी एकता का पर्याप्त है चर्च के नेतृत्व में ईशार्दि पर्मं की एकता। इसी यह तात्त्विक पर्यं निकाला जा सकता है कि राज्य चर्च के बहुत एक पारिक्रमा है।………उहोने यहूत शताविद्यों तक के निए यह निश्चित विचार रखा कि इस नई ध्येयस्था में राज्य ईशार्दि ही होगा पौर यह ऐसे समुदाय को रोड़ा बरेगा जिसमें कि एक ही ईशार्दि पर्मं के पालन करने के कारण एकता हो। एक ऐसे जीवन का पालन कराएगा जिसमें कि आध्यात्मिक हित दूसरे हितों तो थोक्क माने जायेंगे पौर जो कि मानवीय मुक्ति के निए पर्मं की शुद्धता को बनाए रख कर प्रपत्ता प्राप्तिकान होगा।”

(हिन्दू छोक प्रतिटिक्ष घोरी पृ० १७।)

उपरोक्त उद्धरण मध्ययुग में पर्मं पौर राजनीति में सम्बन्ध को समाचार पुरुष के राज्य की प्रगति को दूखेतया स्पष्ट कर देता है, पौर यह सब बेक्ष मध्य युग के निए ही सत्य नहीं है। गवरहवी पौर यठारहवी शताविद्यों में भी ऐसे विचारों का यथेष्ट महत्व था। प्रो० गंगाधर का इस सम्बन्ध में वर्णन है—

“सतरहवी शताव्दी के विचारक के निए इस विचार से नि राज्य समाप्त पारिक्रम विचारों एवं उनसे सम्बन्धित प्रश्नों से अलग रह सकता है, परिक्रमों की बढ़िन विचार नहीं था। उप्तीतवी शताव्दी में भी लेहस्टन पर्मं कर सकता था कि राज्य के एक घनतरात्मा है जो उसे पारिक्रम सत्य पौर प्रतार्थ के मध्य में विभेद करने की योग्यता प्रदान करती है।”

(हिन्दू छोक प्रतिटिक्ष घोरी पृ० १८।)

इसके पहले वि हम आपुनिक युग पौर उपरी विचारणाओं में सम्बन्ध में परीक्षण करें हमारे निए उन कारणों को जानता मावश्यक है जिन कारणों से पर्मं पौर राजनीति के मध्य युरातन समाचार मध्य युग में इसका पविष्ट सम्बन्ध रहा। इतिहास

का मध्ययन करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उस अव्यवस्था और अध्य-राज्य काल में वेवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके राज्य भपनी राजामो का पालन जनता से कराने में सफल नहीं सकता था और न जनता का इतना बीड़िक विकास ही हुआ था कि वह शासन पालन करने की भावश्यकता को समझती। उस समय में सापारण व्यक्ति से कानून मनवाने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें ईश्वरीय भव उत्पन्न कर दिया जावे। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम उस वस्तु से ढरते हैं जिसको हम नहीं जानते या समझते। विज्ञतो, वादतो की गडगडाहट, भूपाल आदि प्राकृतिक घटनाओं को पुरातन या मध्यवलीन व्यक्ति बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता था। इसलिए इन प्राकृतिक घटनाओं को अपने पापों के परिणामस्वरूप ईश्वरीय कोप का प्रतीक मानता था। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने की प्रवृत्ति सम्मूलं विश्व में पाई जाती है। श्रीस के जुगीटर और भारत के इन्द्र की ग्रायः एक ही प्रकृति, शक्ति एवं कार्य हैं। इसलिए धीरे-धीरे एक ऐसे ईश्वर वा विचार व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुया और जिस विचार का पुजारियों ने पोषण रिया जो कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की देखरेख करता है, पाप और पुण्य वा हिंसा व रखता है तथा मृत्यु के पश्चात् पापों के लिए नरक में दण्ड देता है।

भाषुनिक काल के प्रारम्भ में राजायों ने दैवी अधिकारों पे सिद्धान्त भी उत्पत्ति में सहयोग दिया और विश्वास करना भी प्रारम्भ किया। राजायों को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि भाना जाता था इसलिए वे उसी प्रकार से पूज्य थे जैसे कि ईश्वर। राजा की भवज्ञा ईश्वर की भवज्ञा थी और ऐसी भवज्ञा जूँकि पाप थी इसलिए इसके परिणामस्वरूप नारकीय यातनाएँ भोगना निश्चित था। राज्य के दण्ड से बचा भी जा सकता है बिन्तु ईश्वर को पोता देना या ईश्वरीय दण्ड से बचना नितान्त यसम्बन्ध था। ईश्वरीय दण्ड जूँकि वेवल कल्पना पर आधारित था और जूँकि उसके विषय में किसी को भी टीक-ठीक पता न था इसलिए वह राज्य के दण्ड से भी अधिक भय उत्पन्न बरने वाला सिद्ध हुआ। घर्मं ने साधारण व्यक्तियों से राज्य के कानून मनवाने में राज्य भी पूर्ण सहायता की है।

साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि भाषुनिक काल में मेकियाउली प्रथम विचारवा या जिसने कि घर्मं को राजनीति से अलग करने का प्रयत्न किया है, किन्तु ऐसा वास्तव में सत्य नहीं है। मेकियाउली जैसा महान् कूटनीतिज्ञ राजनीति के लिए घर्मं वा महत्व समझता था। उसने न तो घर्मं वा घर्मं करने की ही सलाह दी है और न घर्मं को अलग करने की बिन्तु वेवल घर्मं को राज्य दे भवीनिष्ठ बनाने की। वह घर्मं को राजा के द्वारा राजनीति वा एक उपयोगी भस्त्र बनाना चाहता था। घर्मं के नाम पर जनता से राजाज्ञा पालन कराना और राज्य को व्यक्तिशासी बनाने में सहयोग देना वह आवश्यक समझता था। मेकियाउली वा राजा घर्मं राज्य न तो घर्मंनिरपेक्ष है और न घर्मं विरोधी।

विज्ञान वो प्रगति ने हमको प्राकृतिक शक्तियों को समझने का ज्ञान दिया और एवं नवीन बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक हृष्टिकोण वो जन्म दिया। अब हम यह विश्वास नहीं करते कि विज्ञान का चमत्कार या यादें का गठगणना इन्हें कोप के प्रतीक है। किन्तु अब हम यह जानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनकी हम आमानी से समझ गवते हैं उच्चा दूसरी वो समझा गकते हैं। विज्ञान वी प्रगति ने आनन्दविषयामो मूढ़ी शामिल बल्पनायो देवी शक्तियों और घम्भूतपूर्व घटनायों में हमारे विश्वासी, वो जहो वो हिता दिया। बुद्धिवादी हृष्टिकोण वे विकास से राज्य वी आज्ञा वालन वरने के आधार में भी परिवर्तन हुआ है। अब हम राजा प्राजा का पालन, चेतन इच्छा के द्वारा बानून को आवश्यकना वो ममक वा सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बनाए रखने के लिए तथा सामाज्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब घर्म राजनीतिक हृष्टि से न आवश्यक है और न महत्वपूर्ण ही।

बाले मासमें ने घर्म वा राज्य के कार्यकोष से पूर्णता प्रक्षत बत दिया था। उसके राज्य को हम घर्म विरोधी राज्य बह सकते हैं। वह घर्म वी आसक तथा पूर्जोपति वर्ग के हाथ में शोषण का अस्त्र मानता है। उसके लिए घर्म जनता वी अपील है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको हम अस्तीकार नहीं बत सकते हैं कि राजनीति और घर्म में सर्वेव एक आपवित्र गठबन्धन रहा है और गठबन्धन का उद्देश्य सामाज्य ह्यकित का शोषण और उसकी पददानित अवस्था में रखना रहा है। इस सिद्धान्त ने हमारे सब हुए एवं मात्राएँ आज्ञा ईश्वर के बारण प्रगति में रास्ते में यथे ट बाधा डाली है और शोषणकर्तायों के हाथ में एक अत्यन्त उपयोगी अस्त्र दिया है। इसोलिए शोषणस्टान जैमा विकार क यह बहुता कि एक निर्देशी और उत्पीड़न करन वाल राजा वी आज्ञा जनता वी माननी ही चाहिए दोषोदि ऐसे राजा वो ईश्वर ने जनता के पुराने पासों के लिए दण्ड देने के लिए भेजा है। जनता वो घर्मने सब बष्टों वो गरीबी, उत्पीड़न, शोषण आदि वा उत्तरदायित्व भाग्य पर इन देने की आपत घर्म और राजनीति में इस अविभग गठबन्धन के बारण ही पड़ी। घर्म ने जनता में प्रगति एवं नए विकारों के प्रति आसक्ष्य, प्रशंसि एवं उदासीनता उत्पन्न की।

प्रजातन्त्र और बुद्धिवादिता वे उदय के बारण राजनीति के दोनों से घर्म के महत्व का घन्ट है। गदा और उसका स्वाल एक नवान हृष्टिकोण के लिया जिसको हि हम घर्म निरवेद दृष्टिकाण बह सकते हैं। यह हृष्टिकोण सब घर्मों से प्रति पूर्ण निरपेक्षता का है, और अब हम घर्म वो सारे समाज का एक सामूहिक वार्य न मानकर घटकि का एक निझी वार्य मानते हैं। भासुनिर घटकि घर्म वो घटकि और ईश्वर के मध्य एक निझी सम्बन्ध मानता है। घटकि की यह पूर्ण व्यवस्थना है कि वह इस सम्बन्ध का किस प्रकार से निर्धारण होता विस ईश्वर से बहु घर्मना सम्बन्ध

रहे। राज्य एवं दूसरे व्यक्तियों को इग धोने में हस्तक्षेप करने वा कोई अधिकार महीने है। जब तक यह हिटिकोण नहीं प्रभानाया जाएगा, धर्म निरपेक्ष राज्य स्वाधित न हो सकेगा। यहीं यह समझ लेना आवश्यक है कि धर्म निरपेक्षता का धर्म न तो धर्म-विरोधी हिटिकोण है और न धर्म के प्रति उदासीनता ही है किन्तु विभिन्न धर्मों के मध्य निरपेक्षता या यो मानिये कि धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता है। जब तक हम यह हिटिकोण नहीं प्रभानायेंगे तब तक हमारा सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विकास पूर्णतः सभव नहीं होगा।

धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी राज्य बदापि नहीं है। इसका बेबल यह धर्म है कि राज्य न तो जिसी एक या सब धर्मों पर रोक ही लगायेगा, न धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप ही करेगा और न धर्म विरोधी हिटिकोण या नास्तिकता का प्रचार ही करेगा। इसलिये हम जिसी भी साध्यवादी राज्य को या किसी ऐसे राज्य को जो कि धर्म पर रोक लगाता है, धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं मान सकते। यह सत्य है कि प्रत्येक राज्य वा इसी सीमा तक धार्मिक वार्यों पर नियन्त्रण रखना होगा। ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य जो कि दूसरे धर्मों के मानने वाले की भावनाओं को चोट पहुँचाता है या जो प्रनीतिक है या जो सामाजिक मुशारों में रक्कावट डालता है, या जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलने वा डर हो, ऐसे वार्यों पर राज्य को रोक लगानी आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप भारत में गोवध की समस्या है। हिन्दू धर्मवित्तनी गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं जिसकी न तो हानि पहुँचाई जा सकती है और न इसको मारा जा सकता है जबकि इस उपमहाद्वीप पर रहने वाले मुसलमान गोवध को ज़बाब मानते हैं। यदि ऐसी समस्याओं पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज में एक अव्यवस्था फैलने वा भय है। गोवध पर रोक लगाना धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध महीने है और न मुस्लिम धर्मावलम्बियों के विश्वासों में हस्तक्षेप ही है, किन्तु केवल यह एक धार्मिक कार्य को जनहित में नियन्त्रित करना है।

प्रत्येक धर्म को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक उसका नैतिक भाग और दूसरा आडम्बर वाला भाग। इनमें से नैतिक भाग अधिक मूलभूत और धर्म का वास्तविक आधार है। आडम्बर वाला भाग समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और राज्य को इम भाग में प्राप्त हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा हस्तक्षेप धर्म के मूलभूत लिंगानों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। अधिकांश धार्मिक कार्य प्रन्दाविश्वासों एवं काल्पनिक कथाओं पर प्राधार होते हैं न कि नैतिकता पर। भारत में ब्रिटिश सरकार वो कई बार प्रनीतिक एवं समाज विरोधी धार्मिक कार्यों पर रोक लगानी पड़ी थी, उदाहरण सनी प्रथा, भाल-विद्याह आदि। हमार सबीत मविधान में भी यद्यून प्रथा का पन्त किया गया है। यह सब कार्य नमें तो धर्म अनावश्यक हस्तक्षेप ही हैं और न धर्म विरोधी हिटिकोण के

परिणाम है। धार्मिक प्रादृश्यरो और परम्परागत धार्मिक सुदृढियों को जनहित में निर्देशित करना तथा नियन्त्रण लगाना राज्य का एक मूलविषय कार्य है मान्यता यह धार्मिक सुदृढियों प्रणति के मार्ग में बाधा ढालेंगी।

यमं निरपेक्ष राज्य, यमं और नैतिकता के प्रति उदासीन नहीं होता है। येनहेटो फ्रेस के अनुमार—

“.....विशुद्ध राजनीति नैतिकता को विनष्ट नहीं किन्तु उर्ती उत्पन्न करती है और उसमें यमनी पूरुणता एवं थेष्ट अभिभृति को प्राप्त होती है। वास्तविकता के जगत में राजनीतिक या आधिक कार्यों का कोई ऐसा रूप नहीं है जो कि दूसरों ने अलग प्रकारे प्राप्त स्वतन्त्र रह सके, किन्तु येवल आध्यात्मिक कार्यों की एवं व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था में जो उपयोगी है वह निरतर उसमें परिवर्तित होता है जाकि नैतिक है। राजनीति में नैतिक भावना इसके कार्यों का माध्यार एवं प्रस्तु दोनों है। यह एक शरीर के समान है जिसको कि राजनीति नर्वान मानसामो से भरती है और यमनी इच्छानुमार दिग्गजा देती है। जैसा जब तक राजनीति और आधिक जीवन की स्थापना नहीं हो जाती है नैतिक जीवन स्थापित नहीं हो रहता है जैसा कि पुरातन धर्मिक वहाँ करते थे वहसे 'जीवन' और किर 'थेष्ट जीवन'। दूसरी ओर जीव शरीर के दिना काई पात्या नहीं हो रहती वेंट ही कोई ऐसा नैतिक जीवन नहीं जो कि साथ ही साथ आधिक एवं राजनीतिक जीवन भी न हो।”

(वोलिटिवा एवं मोरस्ता, पृ० २३-२४)

इसीलिए हमें यह एक क्षण ये सिये भी न समझता धाहिर और न सोचता चाहिए कि यमं निरपेक्ष राज्य किसी प्रकार की भ्रमनीक संस्था है या सर्व घमों के प्रति उदासीन महस्या है। नैतिकता के दिना थेष्ट जीवन और सामाजिक अवयवों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और यह माध्यवर्ती और मापदण्ड हमें बेवस नीतिशास्त्र से ही प्राप्त हो सकते हैं या दूनरे शब्दों में घमों के मूलभूत भाग होंगे। यद्य प्रावत्तं ने यमं को जनता की धर्मीय यताया या हो वह बेवस घमं के धार्मवर्त बाने भाग हे सामरण्य में ही सक्य था। यमं वा जो नैतिक भाग है वह जनता को पक्षीम नहीं है वरद ममृत है। उब राज्यों एवं उभयत सामाजिक तमूहों के लिये दिसी न दिसी प्रकार वो नैतिक मान्यताएँ और मापदण्ड अवश्य हैं जिनको कि संक्षेप में गांधी जी ने नैतिक धर्म वा नाम दिया है।

इसीलिए यमं निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो न तो पर्यं विरोधी है और न घमं के प्रति उदासीन है किन्तु जो यद्य घमों के विरुद्ध पूरुणस्वर से निरपेक्ष है। एवं वर्ती राजनीतापात्राधारी का इस राज्यव्याप में व्यवहर है कि—

"यद्य पार पार नहीं या है कि जब भारतीय सविपान के प्रगुणार भारत एक पर्म निरपेक्ष राज्य है तो इसका यह उद्देश्य नहीं या कि राज्य पर्म विरोधी या पर्म को हतोत्तराहित करेगा। बिन्दु इसारा उद्देश्य यह पर्म एवं विश्वासो में निरपेक्षता तथा इस सिद्धान्त की सत्यीकृति भी कि विभिन्न पर्म विभिन्न राज्यों का निर्गण करते हैं। या यह कि राज्य दिल्ली एक पर्म वा दूसरे पर्मों से धारिक राज्य देगा।"

इसलिए पर्म निरपेक्ष राज्य को दिल्ली भी पर्म वे भारतीक यामतो में हताहित करने की गीति नहीं समझानी पाहिये। पर्म निरपेक्ष गद्द वा पर्म यमरीकन, योरोपियन और भारतीय गण्डभों में घटान घलग है। राजगोपालाचारी वे प्रगुणार—

"यमरीकन संविपान के अनुगार यथाविकायोंसे दिल्ली भी पर्म को 'रथापित' करने यासा बालून नहीं यगा सकती है कि दिल्ली भी पर्म में स्वतन्त्र पासन में रोक नहीं थगा सकती है, तो भी यमरीकन सविपान एवं पार्मिक रामान वो मानकर यगाता है। यमरीकन भाषा में 'पर्म निरपेक्ष' वा पर्म है 'राज्यदाय निरपेक्षता' वा कि विरोध या उदासीनता।"

"यमरीका में धारिक जीवन और गीति के धीय में प्राप्तारभुत सम्बन्ध तथा यमरीकन यमाज के धारिक जीवन एवं वायों में दिल्ली भी पर्म को प्रोत्साहित य करने की निश्चिय गीति पर प्राप्तारित नहीं है।

"पर्म निरपेक्ष राज्य में सिद्धान्त वा योग्य में पर्म भिन्न है। यह सिद्धान्त यहीं पर पर्म विरोधी है तथा यह पर्म को एक राजनीतिक हित से आपत्ति वारक बस्तु यमभों है और में धारिक विश्वासो को राजनीतिक एकता एवं रथायी सरकार के सिए हानिकारक यमभों है। दूसरी और धारेकन सिद्धान्त पारिक जीवन के लिये अतुर्स्य युह्य के विस्वास पर प्राप्तारित है।

".....वहा जा सकता है कि 'पर्म निरपेक्ष' राज्य वा भारतीय सिद्धान्त योरोपियन की धरेया धारेकन सिद्धान्त से नहीं अविह निकट है।भारत के सविपान निर्गतायों वा उद्देश्य पर्म के विद्युत सामान्य उदासीनता नहीं भी बिन्दु यद्य पर्म और राज्यदायों के प्रति गहराईता तथा एक दूसरे के पारिक विश्वासो और वायों के प्रति धारक वो भावना व रहा या।"

भारत वा सविपान धरनी प्रस्तावता में प्रत्येक यागरित ~~जो~~ ^{प्रियोग} धर्म, पर्म और पूजा की स्वतन्त्रता देता है। सविपान वा प्रगुण्डेर ~~प्रियोग~~ ^{प्रियोग} धाराना प्रदान करता है और भारत में प्रत्येक यागरित को यह ~~प्रियोग~~ ^{दिल्ली} दिल्ली है कि धारिक वारला ये ~~प्रियोग~~ भेदभाव नहीं होगा। प्रगुण्डेर १५ (६) ^{प्रियोग} वे प्रगुणार भारत वा ~~प्रियोग~~ भी यागरित दिल्ली दुराग, सार्वजनिक जलपान गृह, होटल, सविनियक यामों

प्रमोद के स्थानों पर, कुपो, तालाबों, रनानपहो, मठों तथा सावंजनिक पूजा के स्थानों पर जो कि पूर्णतः या पाशिक रूप से राज्य के द्वारा घसाए जाते हैं या जिनको सावंजनिक उपयोग के लिये बनाया गया है, के प्रयोग से घर्मं जाति, सम्प्रदाय, तिज्जया जन्मस्थान के बारण रोहा नहीं जा सकता। सदिष्ठान का १७ वाँ घनुच्छेद घासून प्रथा का घन्त बरता है। २५ वाँ घनुच्छेद सावंजनिक गान्ति, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के प्रतिरिक्त दम्य मामलों में पूर्णं पार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। २६ वाँ घनुच्छेद सब घर्मों को घपने पार्मिक मामलों तथा पार्मिक स्थानों के घलाने की स्वतन्त्रता देता है। यह सद धर्मिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल धर्मिकार है तथा इनको न्यायालयों द्वारा लागू निया जा सकता है। यह घनुच्छेद भारत में एह धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। इन घनुच्छेदों को सही व्यास्था बरने से यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य का जो सिद्धान्त भारत ने घपनाया है वह धार्मिक काव्यों में हस्तांशेष करने का। निधिवय गिरान्त नहीं है विन्तु सबके हितों की समान रूप से रक्षा तथा उनके मध्य में निरपेक्षता एवं सह-सम्नितता का सक्रिय गिरान्त है।

बीमडी गतान्दी को हम वास्तव में धर्म निरपेक्ष गतान्दी कह सकते हैं। इस गतान्दी में पातिस्तानों गणानन्द वी वरह घर्मं पर धारारित राज्य ऐतिहासिक हट्टि रो एक बीते हुये युग वा प्रतीक है। ऐसे राज्य इसी एह घर्मं को दूषरा दम्य घर्मों की घपना प्रोत्तमान देते हैं। ऐसा हट्टिकोण पशुद्धि एवं पर्वज्ञानिक विचारों वा प्रतीक है। वेदस वही सोग जिन्होंने इतिहास को उचित दृग् से नहीं पढ़ा है या जिनका मानविक विद्वान् प्रपूर्णं रह गया है इस बात में विश्वास बर सकते हैं कि वेदस एक ही वाद, सिद्धान्त या घर्मं पूर्णं रूप से सत्य है और वाकी दूसरे वाद, 'गिरान्त या घर्मं पूर्णतः प्रसाद्य है। ऐसा करने से वे सत्य वी पांत्र से मुख भोजते हैं। ऐसा करने से वे सत्य, प्रगति और नैतिक समस्याओं को ठीक प्रबार से समझने में भक्ति होते हैं। ऐसा हट्टिकोण रूदिवादिता, दृष्टरता और एक ही घर्मं व्योग्य है वहा दूसरे सब घर्मं समत्व है; इन प्राप्तारों पर धार्मिक भविष्यतुता की भावना वो जन्म देता है। घर्मं निरपेक्ष राज्य हमारी इन सब प्रबार वा शब्दों से रक्षा करता है तथा सक्रिय घर्म निरपेक्षता ही वेदस सक्रिय धार्मिक भविष्यतुता तथा धार्मिक गान्ति को जन्म दे सकता है।

इस लेख में 'घर्मं' शब्द का प्रयोग वेदस इतिहासी और एत्यरात्रि घर्मं के लिए ही हुआ है। मुक्ते नैतिकता या नैतिक घर्मं के विशद शुद्ध नहीं कहना है। यह विषय घर्म तक विद्वान्प्रस्त है कि राजनीति एवं नैतिकता को पृष्ठक निया जाये प्रथमा नहीं। बाले मैनहीम तथा बहुत से दूसरे विचारक हमारी वर्तमान गम्भीरा वी रक्षा के लिए नैतिक मापदण्ड को मावश्यक समझते हैं और इनके बिना उन्हें सामाजिक गम्भीरस्था एवं वनन का भय है। वे इवलिए नैतिकता को सामाजिक एवं एवं सम्पूर्णता के लिए आवश्यक समझते हैं।

यहाँ पर हम इस समस्या पर मुन् विचार नहीं करेंगे कि राज्य के द्वारा नीतिकृता की स्थापना हो सकती है अथवा नहीं। इतना कहना यथेष्ट हांगा कि राज्य एक वास्तु कार्यकर्ता होने से नीतिकृता जो कि एक आन्तरिक वस्तु है, स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता। यह बेवल ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न कर सकता है जिनमें कि व्यक्ति नीतिकृत रह गके। किसी भी राज्य को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। घमं निरपेक्षता का अर्थ अनीतिकृता नहीं है। इसलिये किसी भी घमं निरपेक्ष राज्य को अपनी नीतियों वो नीतिकृत पर आपात्ति करते हुए बोई आपत्ति नहीं हो सकती। किसी भी समाज की उपनियाँ के लिए यह आवश्यक है कि उसका नीतिक जीवन थेष्ट हो और यदि ऐसा नहीं है तो नीतिक पुनर्स्थान का प्रयत्न हो। घमं निरपेक्षता के सम्बन्ध में जो योगोपीयन हृष्टिकोण ने नीतिक रिक्तता उत्पन्न कर दी है उसको उदारवादी विचारधारा एवं सम्यात्मक हौसा न तो भर ही पाया है और न वह पश्चिमी समाज को छिप भिप होने से रोक ही सका है। घमं निरपेक्षता वर्तमान युग में एक नीतिक सकट का सामना कर रही है जिसमें कि किसी नवीन नीतिक चेतना तथा मापदण्ड के बिना हमारे समाज का भविष्य अन्धकारमय है।

प्रो० बालं मैनहीम वा कथन है कि—

“अब रो यह जानने के लिए कि बोई भी प्रस्ताव विस प्रकार कार्यान्वित होगा और वया वह इसाई कहलाने योग्य है, हमें यह देखना होगा कि समाज में कार्य किस प्रकार होता है।

“इसाई विचारको के लिए हम कारण यह आवश्यक है कि वह धार्मिक विचारों का समाजशास्त्रीय ज्ञान से अधिक निकटवर्ती सम्मिश्रण करें... मेरे विचार में आदतों और नियमों का पुनर्निर्देशन भविष्य में समाजशास्त्रीय और दूसरे विशेषज्ञों की सलाह से करना होगा। उनका ज्ञान हमें यह बतलाएगा कि नियम अवबोहार में किस प्रकार से कार्यान्वित होते हैं। मापदण्डों का अन्तिम पुनर्गठन घब भी धार्मिक विचारों और दार्शनिकों पर ही ढोड़ देना होगा।”

(आइनोसिस आफ आवर टाइम पृ० ११५)

राष्ट्रमण्डल

उपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) पद की न हो कभी पूर्णस्प से परिभाषा हुई है और न व्याख्या ही, किन्तु साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि इसका अर्थ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के द्वारा स्वतन्त्रता है। इस पद के अधिकार और कर्तव्यों की कभी पूर्ण स्प से व्याख्या नहीं हुई है किन्तु उनका ऐसा और उनके सम्बन्ध में विचारों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है।

१९०१ तक याही पदवियों के साथ मे 'समृद्ध पार के ब्रिटिश अधिराज्य' शब्दों का प्रयोग होता रहा है और उस समय का यह अर्थ था कि अधिराज्य ब्रिटेन के साम्राज्य का एक भाग मात्र है। १९०७ के उपनिवेशिक सम्मेलन में अधिराज्यों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वशासित अधिराज्यों का पद लेने में सफल हुए। इसलिये उपनिवेशिक स्वराज्य की सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण इसीटी पूर्ण प्रान्तरिक स्वतन्त्रता है। १९२१ के साम्राज्य सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हूज ने कहा था—

"अबहार में हमें स्वशासन के बे सब अधिकार हैं किन्तु कि स्वतन्त्र राष्ट्र उपभोग करते हैं। मैं ऐसी कोई शक्ति नहीं जानता हूँ जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के पास है और जनरल समाज के पास नहीं है।"

किन्तु इन अधिराज्यों की बाबूनी और सर्वेषानिक वित्ति तथा तक प्रस्तु ही थी। बाबूनी सीमाएँ और सर्वेषानिक बाधाएँ विशेषतः बनाडा के अधिराज्य के सम्बन्ध में (उदाहरणतः बनाडा का परिराज्यीय सविषयन जो कि बेर्ल ब्रिटिश सम्बद्ध के द्वारा ही हो सकता है तथा उच्चतम बनाडियन न्यायालयों से प्रीवीडोमिन द्वीपिति द्वारा अपील गुनी जा गई थी) सिद्धान्त में आन्तरिक स्वतन्त्रता की लीमित करती है। जब धायरमें जो अधिराज्य पद विला हो इस सम्बन्ध में रपटीवरण की आवश्यकता और भी पर्याप्त हुई। १९२१ के साम्राज्य सम्मेलन ने

साईं बालफोर के समाप्तित्व में 'भारत साम्राज्यीय राष्ट्रबन्धो' से समस्त प्रश्नों को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की । इस समिति की रिपोर्ट में ब्रिटेन और उसके अधिराज्यों के आपसी सम्बन्धों तथा उनके स्थान की परिभाषा पाई जाती है । इस परिभाषा के अनुसार अधिराज्य—

"ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासित समृद्धि है जो कि समान पद बाले तथा एक दूसरे से किसी भी प्रकार अपने भारतीक व वैदेशिक मामलों में अधिसासित नहीं है । यद्यपि वे भाइन के प्रति साम्राज्य भक्ति से सम्बन्धित हैं तथा स्वतन्त्र रूप से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य की हैसियत से सम्बन्धित है ।"

उपरोक्त न तो अधिराज्यों की परिभाषा ही है और न उनके कानूनी पद की व्याख्या ही है । यह अधिराज्यों को वर्तमान पद तथा उनके ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान के सम्बन्ध में घोषणा एव स्पष्टीकरण मात्र है, और इस सम्बन्ध में कोई भी घोलिक बात नहीं थी । किन्तु अब तक के अन्तर्गतीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न साम्राज्य सम्मेलनों ने समय-समय पर जो प्रस्ताव पास लिए थे उनमा सम्भव एव स्पष्टीकरण मात्र है । यह बालफोर घोषणा साम्राज्यवादी ब्रिटेन और इसके स्वशासित उपनिवेशों के बीच में राजनीतिक सम्बन्धों का वर्णन करती है । इस घोषणा को स्टैट्यूट ऑफ वैस्ट मिनिस्टर १९३१ के द्वारा कानूनी रूप दिया गया था । इस विधेयक ने अधिराज्यों को भारतीक स्वतन्त्रता पूर्णत प्रदान की । इसके अनुसार अधिराज्यों की अवधारणिकार्भों को ब्रिटेन की संसद के हारा बनाए किसी कानून को रद्द करने की तथा उससे प्रसरण भविष्य में और नए कानून बनाने की अनुमति दी गई तथा भविष्य में ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून अधिराज्यों की सीमा में उनको इस्ता होने पर ही हो सकेगा, इस बात का भी भाश्वासन दिया । इस विधेयक के अनुसार अधिराज्यों को व्यापारी जहाजी बड़े के सम्बन्ध में नियन्त्रण के कानून बनाने का अधिकार सेना सम्बन्धी दो वासिकार आदि भी दिए गए जो कि इस समय तक केवल ब्रिटिश संसद के पास ही थे ।

१९३१ के वैस्ट मिनिस्टर विधेयक बनने से पूर्व भी अधिराज्यों को ब्रिटेन के साथ समान पद, भारतीक स्वतन्त्रता तथा वैदेशिक संबंधों का स्वयं संचालन करने की शक्तियाँ अवहार में थीं । प्रथम महायुद्ध में अधिराज्यों वे भाग लेने से उनको वैदेशिक नीति के निर्धारण में स्थान मिलने लगा था । अधिराज्यों ने इस अधिकार के विस्तार के लिए बराबर मांग की तथा साम्राज्य की वैदेशिक नीति के निर्धारण में उनके प्रभाव की नियन्त्रण दूर्दि ही थी । सर रीबर्ट बोर्डेन जो कि इस काल में कनाडा के प्रधान मंत्री थे, ने इस अधिकार की मांग बड़े जोरदार गव्हर्नर गवर्नर्मेंट की । उन्होंने कनाडा के लिए समुक्त राष्ट्र अमरीका और योरूप के महान् स्वतन्त्र राज्यों के हमान ही पद

की मांग की । ऐसे शान्ति सम्मेलन में जो विटिंग प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें अधिराज्यों को धरण-धरण स्थान दिया गया था राष्ट्रसभा की स्थापना पर इन अधिराज्यों को स्वतन्त्र राज्यों के समान ही पूर्ण सदस्यता दी थी । शान्ति सभिं पर प्रत्येक प्रधिराज्य के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर दिये थे तथा प्रत्येक प्रधिराज्य की अवस्थानिक समा ने उन अधिराज्यों को पृथक़ फृप से स्वीकार दिया था । बालफोर ने शोषणा इन अधिराज्यों के स्वतन्त्र एक समान पद को केवल कानूनी हस्ति से स्वीकार दिया है जबकि अपहार में इनको यह पद एक भिन्नकार प्रथम महा युद्ध के पश्चात् थे प्राप्त थे । यह सत्य है कि शेंटेजिक मामलों में इन अधिराज्यों की अवधारणा तीमारे थीं और इनकी स्वीकार करते हुए बालफोर पायोग ने कहा है—

"सम्मता प्रीर एकल्पना के लिए उपयुक्त है वायों तक नहीं पहुँचते हैं... उदाहरण स्वरूप रक्षा सम्बन्धी प्रस्तो वो हम करने के लिए हमें एक लघीली सहया आहिए । ऐसी सहया जो कि रामयानुसार विश्व की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार पस लाके ।"

इस एवन वी सहयता को द्वितीय महायुद्ध ने पूर्णतः तिट्ठ कर दिया है । बालफोर शोषणा के प्रतिम याग नितके अनुसार प्रधिराज्य विटिंग राष्ट्रगंडल से स्वेच्छा पूर्णक सदस्य है; प्रधिराज्यों को राष्ट्र मंडल से अलग होने का प्रधिराज्य देता है । १९४२ में भारत के लिए ब्रिटिश प्रताव में भी इस प्रधिराज्यको माना गया था ।

ऐसी साधारण व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन है कि भारत तथा पाकिस्तान जैसे गणतन्त्रीय राष्ट्र, राष्ट्रमंडल के सदस्य विस प्रकार रह सकते हैं और कैसे वे ब्रिटिश प्रावंत के प्रति भक्ति रख सकते हैं । शेंट निनिस्टर विधेयक वी इस सम्बन्ध में दो व्याख्याएँ हो सकती हैं । एक तो यह कि ब्रिटेन का प्रावंत इन सर प्रधिराज्यों का भी प्रावंत होगा । उदाहरणानुसार ब्रिटेन का राजा मध्यवा रानी जो भी किसी प्रधिराज्य के संबन्ध में कोई वायं करेगा तो वह उस प्रधिराज्य के राजा या रानी की हैसियत से न कि ब्रिटेन के राजा या रानी की हैसियत से करेगा । १९३६ में प्रधिराज्यों द्वारा पृथक़ पृथक़ युद्ध शोषणा से तथा १९४५ के पश्चात् धरण प्रथम शान्ति स्वीकृति से यह विभाजित प्रावंत सिद्धान्त को पुष्टि मिलती है । दूसरी व्याख्या यह है कि प्रधिराज्य पूर्णतः स्वतन्त्र राज्य है और उसका विटिंग प्रावंत व एविद्यान से पोई संबन्ध नहीं है । ऐसी व्याख्या करने वाले यह मानते हैं कि इन्हें को प्रधिराज्यों के संघीयानिक धरणस्था में हातदोष करने का पोई प्रधिराज्य नहीं है । मापरसेंट, भारत, पाकिस्तान तथा पाना के गणतन्त्रीय संविधान उत्ती व्याख्या पर आधारित है । शेंट निनिस्टर विधेयक राष्ट्र मंडल संबन्धी धरण विराटी विधेयक में कहीं पर भी ऐसा बोई नियम नहीं है कि सब प्रधिराज्य गणीयानिक होने में एकस्तता ही अपनायेंगे । राष्ट्र मंडल के राजनीतिक और सांघीयानिक विभाग से बैंट निनिस्टर विधेयक सदृ

पहला विषेषक है। १९४६ मेरा राष्ट्र मडल ने एक और गग भागे बड़ागा जब कि ब्रिटिश शास्त्र को हटा दिया गया तथा गणतन्त्रीय अधिराज्यों को सदस्यता दी। यहाँ पर यह भी व्याप्त रखना सावधक होगा कि यह नया गणतन्त्रीय अधिराज्य मानव जाति की उसी शाला का नहीं था जिसके ब्रिटेन और उसके पुराने अधिराज्य पे। ब्रिटेन और उसके पुराने श्वेत अधिराज्यों मे किसी प्रकार का कोई भी जातीय या सामाजिक भेद नहीं था। साप्त ही साप्त यह भी व्याप्त रखना होगा कि इन पुराने श्वेत अधिराज्यों मे तथा नवीन इयाम अधिराज्यों मे इसी प्रकार का भी कोई सामाजिक या जातीय भेद नहीं है। अप्रैल १९४६ की राष्ट्रसभा के प्रधान मन्त्रियों के सदन गम्भेसन की पोषणा ने राष्ट्र सभा से भारतीय गणतन्त्र की राष्ट्र मडल मे हिति को निश्चित किया था। इस पोषणा के अनुसार—

“भारत सरकार ने राष्ट्र मडल की दूसरी सरकारों की भारतीय अनता के इस इरादे की सूचता दी है कि नए सविधान जो कि सामूहिक जाने वाला है के अनुसार भारत एक सांघीय साता सम्पन्न जनतन्त्रीय गणराज्य होगा। भारत सरकार ने तथापि यह पोषणा की है तथा भारत की राष्ट्रमडल की पूर्ण सदस्यता को बनाये रखने की इच्छा प्रवर्त की है और राजा की राष्ट्रमडल के प्रमुख की हिति मे स्वीकार दिया है जो कि बेवज्ह इसमे स्वतन्त्र राष्ट्र राष्ट्रों के समान का प्रतीक है। राष्ट्र मडल ने दूसरे देशों की सरकार जिनकी राष्ट्रमडल की सदस्यता वा भाग्यार मे कोई परिवर्तन नहीं होगा भारत की सदस्यता को इस पोषणा की शर्तों वे अनुसार रूपीकार करते हैं। वे यह पोषणा करते हैं कि वे राष्ट्रमडल के स्वतन्त्र और समान सदस्यों की सरह से एक रहेंगे और जानिं स्वतन्त्रता तथा उल्लंघन की प्राप्ति के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक सहयोग करेंगे।”

बासफोर समिति ने अधिराज्यों से लिये न तो कोई सावेषानिक एवं हाला को उचित ही समझा था और न राय ही दी थी। अन्तर अधिराज्यीय समाज और समझौते के सिए सर्दैव ही सघीसी प्रकार की सत्या वा निर्माण हुया है। पहले सामाजिक गम्भेसन और राष्ट्रमडल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन राष्ट्रमडल के सदस्यों की सामाजिक समस्याओं पर बादिवाद करते हैं और नीतिनिधिरण करते हैं। भूतान मे अधिराज्य कार्यालय और वर्तमान मे राष्ट्र सम्बन्ध कार्यालय राष्ट्रमडल के सदस्यों के सिए एक विशेष प्रकार वा बेदेशी विभाग है। राष्ट्रमडल मे सदस्य ब्रिटेन को और एक दूसरे को हाई कमिशनर ही नियुक्त करते हैं। वे हाई कमिशनर अधिकार मे उन देशों के राष्ट्रदूत ही हैं। समय समय पर प्रधानमन्त्री गम्भेसन राष्ट्रमडल की समस्याओं को गुलझाने मे योग्य राहयोग देते हैं।

सदस्यों की रक्षा रोगार्थों के शरणों में जहाँ तक गम्भीर होता है, एवं सरकार इने वा प्रयत्न लिया जाता है। इन सदस्यों के सभ्य में गृहयोग गांधाराय की रक्षा लिमिट द्वारा होता है। इन्तु यह पूर्णतः गदस्यों की संचया पर ही निर्भर है कि के लिये विकी विकास युद्ध में भाग ने या न से तथा के प्रपनी राष्ट्रीय गेनारेशं वो समिक्षित खेतापतिरक के प्राप्तीन रहे। लिये भी रक्षय पर ब्रिटेन या राष्ट्रमण्डल के लिये दूसरे सदस्य द्वारा इन सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं दाता जाता है।

प्रायिक दोष में भी कम से कम लिदान्त में गदस्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। इन्तु व्यवहार में बुद्ध गदस्यों के बीच में प्रायिक गृहयोग यथेष्टु योग्यता है। प्रायिक गृहयोग के लिए गांधाराय की समिति तथा गांधाराय वा शृणि विभाग प्राप्ति है। इन्तु इस गृहयोग का यह अर्थ करना नहीं है कि राष्ट्रमण्डल का कोई प्रायिक गृह्य है। राष्ट्रमण्डल न तो प्रायिक हॉट में एवं दूसरे इकाई ही है और न इसका व्यवहार एवं दूसरे वर्क ही संभित है। इसके गदस्य प्राप्त दूसरे राष्ट्रों में प्रायिक समझोते एवं उनियाँ करने रहे हैं और वर नहीं हैं। वाचतव में बनारा गमुक्त राष्ट्र घमरोहा प्रायिक दोष में है तथा भारत ने पूर्णतः स्वतन्त्र प्रायिक नीतियों को प्रपनाया है।

श्रावः राष्ट्रमण्डल के सभ्य अन्तर्राष्ट्रीय गम्भीरताओं प्रोत्त भूमियों में लिही प्रभार में भी गृह्य मनोवृति का परिचय नहीं देते हैं। गमुक्त राष्ट्र मण्डल में मनदान का अस्थयत बनने से यह पता सकता है कि न तो राष्ट्रमण्डल में इन सम्बन्ध में एक-स्वता ही है और न वे विक्षय गम्भीरार्थों पर एक दूसरे का विरोध करने में ही गंतव्य करते हैं। न्यूट्रीट्रिट के प्रभान भूमि मिं प्रैजर द्वारा बीटी योग्यता एवं गमुक्त राष्ट्र-सभ्य में अन्तर्राष्ट्रीयों के प्रदेश का जो कहा विरोध दृष्टा या उगते पहुंच से सोनों की सम्भवतः प्राप्ति हो व्योग्य श्रावः प्रायः प्रायिक विषया और न्यूट्रीट्रिट ब्रिटेन के नवगे अधिकार प्रत्युक्तामी अधिकाराय याने जाते हैं। श्रावः प्रायिक गम्भीर गमुक्त राष्ट्रगण में स्वतन्त्र नीति पासन करते हैं। स्वयं भारत ने श्रावः ब्रिटेन और दूसरे गदस्यों का विवर गम्भीरार्थों पर विरोध लिया है।

इन्तु यह भी ऐसी विवरी ही गम्भीरार्थ है जो कि घस्पट है और जिनके स्पष्टीकरण का कभी अवगत ही नहीं आया है। ऐसी एक समस्या राष्ट्रमण्डल के दो सदस्यों के बीच में युद्ध की गम्भीरता है। भारत ये प्रायिकान के प्राप्ती गम्भीर कास्टीर की गम्भीरा के कारण ठीक नहीं है और उनके सभ्य युद्ध की गम्भीरता को हम पूर्णतया युद्ध नहीं कह सकते। राष्ट्रमण्डल के दो सदस्यों के बीच में युद्ध होने पर दूसरे सदस्य या वरेंगे यह तो हम निश्चिह्न नहीं कह सकते पर कम से कम इसकी गम्भीरता अपन्य है कि राष्ट्रमण्डल के दूसरे सदस्य ग्राम्याल्पारी का वहि-व्यार करेंगे।

अश्वेत अधिराज्यों के सम्मिलित हो जाने से राष्ट्रमण्डल यथार्थ रूप में एक भर्तराष्ट्रीय संस्था का रूप ले चुका है। यह सदेव एक ढीले प्रकार का राजनीतिक ऐवं रहा है और १९४६ के पश्चात् इसके लघीलेपन में भी भी बृद्धि हुई है। प्रायः यह प्रगति पूछा जाता है कि इसके सदस्य किसी स्थायी राजनीतिक ऐवं या किसी प्रकार के सघ का क्यों नहीं निर्माण बरते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोई भी पर्याप्त भवितव्य है जिसके द्वारा राजनीतिक ऐवं की सविधान एवं संस्थाओं का निर्माण करने में यथेष्ट कठिन कायं का सामना करना पड़ेगा।

अब लीग और पान-प्रदेशिक सघ के समान ही राष्ट्रमण्डल भी एक प्रादेशिक मण्डल है किन्तु इसके उद्देश्य, आदर्श एवं नीतियाँ समुक्त राष्ट्रसघ के सविधान के भनुच्छेद ५२ (१) के अनुरूप ही हैं। इस भनुच्छेद के अनुसार—

“इस वर्तमान सविधान में, कुछ भी, प्रादेशिक समझौतों या संस्थाओं को जो कि भर्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्रों में कायं वरती है और जो कि प्रादेशिक कायं के उपयुक्त हैं, के प्रस्ताव के विरुद्ध है। वशतें जो समझौते या संस्थाएँ और उनके कायं समुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप ही हो हैं।”

यह किसी भी प्रकार से प्रादेशिक सैनिक संघियों की भाँति विश्व शान्ति में बाधक नहीं है। इसके सदस्यों का सहयोग सामान्य आवश्यकताओं और सामान्य आदर्शों पर आधारित है। यह विश्वशान्ति स्थापित करने के लिए एक ठोस पथ है। कनाइ के प्रधान मन्त्री पिंडित जवाहरलाल ने २६ जनवरी १९४५ को इस सविधान में कहा है कि—

“राष्ट्रमण्डल में अपने सदस्य राष्ट्रों के समान ही पृथक्त्व की भावना नहीं है। किन्तु उसके विपरीत है और इसी में भविष्य के लिए यागा है।”

किन्तु राष्ट्रमण्डल का भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं है। इसके तीन सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध कोई घट्ठी भावना नहीं रखते हैं। भारत व पारिस्तान के सम्बन्ध दक्षिण अफ्रीका से तथा आपस में भी बैरों नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। कोई ऐसा सघर्थ जिसके फलस्वरूप दो सदस्यों में मुद्द हो जाय राष्ट्रमण्डल वी एकता को यथेष्ट हानि पहुँचा सकता है। राष्ट्रमण्डल एक विकसित होतो ही इकाई है। परमी हाल ही में इसके दो नए सदस्य बने हैं। अफ्रीका में घाना और एथिया म गलाया। यह भी आशा की जाती है कि घाने: घाने: अफ्रीका के दूसरे विटिज उपनिवेश एवं अपीनस्थ राज्य स्वशासन प्राप्त करके राष्ट्रमण्डल की सदस्यता निकट भविष्य में ही प्राप्त कर सकें। किन्तु फिर भी इसके भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बहा जा सकता है।

जाति, रंग एवं राजनीति

जाति को समस्या मानवता के पुरातनकाल से है। एक और रोमन सोल द्वारा प्रतिरिक्षित और राज सोनो को भर्यसम्बन्ध एवं जगती मानवे थे तथा उनके पूर्णा करते थे और उनके लिये बेवस प्रजा बन कर ही रहने का अधिकार सम्मुख समझते थे। मारत में भी धार्यों ने ईशाइयों के साथ देशा ही व्यवहार किया था। विचारों ने इस दृष्टिकोण को, कि मुख्य जातियाँ अधिक सम्म और अधिक हैं और मुख्य जातियाँ; अधिक सम्म एवं निहृष्ट हैं, प्रोत्साहन दिया है। यहीं तक कि प्रतस्त्रौ जैसे विचारक ने भी इसको भाना है।

ईसाई पर्यं के प्रारम्भ काल से ही यूदियों के विहृद ईशाइयों का यहाँ विरोध रहा है। यह विरोध ईशाइयों को एक भारतीय धारणा पर आधारित है कि यहूदी ईसामसीह के वर्तन के लिए उत्तरदायी है। ईशाइयों ने इस बात पर कभी व्याप्त नहीं दिया कि ईसामसीह के वर्तन के लिए उच्च समय के जेहतनम के द्वारा यहूदी उत्तरदायी ये न कि उनकी अगणित वीडियो। और यदि रोमन गर्वनर पाइलेट चाहता तो उसे रोक सकता था।

यूदियों के सम्बन्ध में इस धारणा के बारए यहूदी और ईशाइयों के बीच में एक नियन्त्र शान्ति रही। पेटो हथा यूदियों का सब पन्थो और आपारों से अहिन्मार इस शान्ति का प्रतीक है। यह पन्थो एवं आपारो से अहिन्मार होने पर यूदियों ने महाजनी था। पन्था घण्नाया और इस पन्थे के लिए भी खर्च के पादरियों ने उनकी निन्दा की और उनके ईसाई बजेंडारों ने उनके प्रति पूछा। एवं दुर्योदहार किया यहूपि यह पन्था उनको ईशाइयों के कारण ही घण्नाया पड़ा। यूदियों दो सामाज की समस्त नुराइयों एवं समस्यायों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता था। और यही बारण है कि ईशाइयों ने बराबर यूदियों के प्रति दुर्योदहार एवं ईशा का प्रयोग किया है जैसे फ्रान्स में हुंपुण में मामते में तथा योलेन्ट और जर्मनी में तो उनके पूर्ण विनाश का प्रयत्न किया गया है। मुर्द शोस्टिंग वा। इस सम्बन्ध में बधन है यि—

“यहूदियों का विरोध इसलिए प्रारम्भ नहीं हुआ कि मुद्द्य यहूदी या सब यहूदी बुरे थे । इसके प्रारम्भिक कारण धार्मिक थे न कि व्यक्तिगत, सामाजिक, प्राचीक या राजनीतिक । यह माना जाता था कि जो मनुष्य इसाम-सीह को भ्रस्तीकार करते हैं उनको अपने पढ़ीसियों के स्वतन्त्र जीवन में शामिल नहीं किया जा सकता । समय समय पर यहूदियों के धरसहाय समूहों पर हिंसा का प्रयोग उम्मीदप्राप्तात्म के लिये बदला देने वी भावना से किया गया है जिसके लिए कि उनके पूर्वज पुरातन काल में एक दूरवर्ती देश में उत्तरदायी ठहराये जाते हैं । वर्तमान काल में मुद्द्य राज्यों ने इस आसोचना को पूर्णांत्र छोड़ दिया है । अब यहूदी समस्या धार्मिक आधारों पर नहीं है । जर्मनी में उन व्यक्तियों का जिनके पिता, पितामह ईसाई धर्म स्वरूप कर चुके थे और जो कि स्वयं भी चर्च के कट्टर अनुयायी हैं उनके विरुद्ध भी उतना ही भयकर उत्तीर्ण है जिनका कि उनके दूरवर्ती सम्बन्धियों के प्रति जो कि यहूदी धर्म का पालन करते हैं ।

“यहूदियों के विरोध के समूर्ण इतिहास में उन पर आत्मरण की प्रणाली में निरन्तर परिवर्तन हुआ है । जब पश्चिमी विश्व के जीवन में धर्म का महत्व कम हो गया तो यहूदियों के विरुद्ध यह तर्क प्रयोग में लाया गया कि वे बेवल अपने को व्यवहार में ही सीमित रखते हैं तथा धर्म धर्मों (जिनसे शतान्दियों तक बहिर्भूत रहे हैं) के प्रति कोई शक्ति नहीं है ।”

(दो यहूदिय प्रौद्योग, पृ० १३)

वर्तमान काल में जाति की समस्या विशेषतः रण की समस्या है । श्वेत व्यक्ति घड़ विश्वास रखते हैं कि वे पीले, बादामी या श्याम व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अधिक थे और इसी कारण स हम देखते हैं कि धास्ट्रेलिया में बेवल श्वेत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है तथा सारे पश्चिमी गोसाद्वार्द्ध में रण भेद और एशिया और अफ्रीका के निवासियों पर प्रतिबन्ध है । जाति-भेद और सामाजिक बहिर्भूत दक्षिण संयुक्त राष्ट्र अमरीका में एक आम सिद्धान्त है । अरथात् बहिर्भूत एवं विभेद इस सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है । पश्चिमी योरूप के उदार प्रजातान्त्रों में भी श्वेत लोग एशिया और अफ्रीका के निवासियों को अपने से नीचा समझते हैं ।

अगलित शतान्दियों में विश्व को बड़ी-बड़ी जातियों का विवाह संबन्धों एवं स्थानान्तर होने के कारण एक दूसरे में पूर्णांतः सम्मिश्रण हो गया है । जाति की लुढ़ता बेवल एक बल्पना मात्र रह गई है । जिसे भी जाति-विज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञान है वह इसमें विश्वास नहीं कर सकता । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में विश्व में एक नवीन व्यवस्था ने जन्म लिया । भूमध्यसागर से प्रशान्त महासागर तक का समस्त ओपनिवेशिक प्रधाने हुए तथा बाले राष्ट्रों में

रामाञ्जयादी जातियों से रक्षणशता पाने का प्रयत्न शुरू किया गया और इग सम्पूर्ण प्रदेश में विद्वोही राष्ट्रीयता ही ने जग्मना निया। एशिया के निवासी विशेषतः तथा सारे वाले व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने समें और जोर-भोर से उनकी माँग करने समें। जापान जो कि इस शास्त्र में एक महान् जाति का पद प्राप्त कर चुका था, अपने नागरिकों के बहिर्भार तथा उनके साथ दुर्योगहार का विरोध करने समें। राष्ट्रसंघ जाति और रक्षण की समस्याओं को सुलझाने में प्रसफ्ट सूचा यथापि इहाने अल्पसंख्यक धारीयों की स्थानान्तरीकरण की जिसका कार्य बेन्द्रीय और पूर्वी योहप की अल्पसंख्यक जातियों की देशभाल करना था किन्तु ध्यवहार में इसके बोई विशेष राफतता न मिली। राष्ट्रसंघ ऐसी बोई भी सहजा स्थापित करने में राफत नहीं हुआ जो कि अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा कर सके।

हिटलर के उद्योग के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जाति उत्पोहनी की रीबने में प्रसफ्टता और भी अधिक मिल हो गई। हिटलर के अनुसार जर्मनी की अमस्त समस्याओं के लिए यहां की लोग ही पूछतः उत्तरदायी थे। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार का कारण यूद्धियों का देशबोह तथा उनके द्वारा युद्ध के प्रयत्नों के विएद हड्डताले तथा पुर्णी पर आये हुए संनिको में प्रसन्नोपकरणाना प्राप्ति थे। जर्मन नीतिकाल में पतन का मुख्य कारण यूद्धियों की मूलभूत अनेतिकता थी। दोनों महायुद्ध के मध्य के युग में जर्मनी के प्रत्येक सट्ट प्रोटो समस्या के लिए यूद्धियों की उत्तरदायी ठहराया गया और इसनिए सम्पूर्ण यहां की जाति के साथ प्रमानुविध ध्यवहार किया गया। उनमें से घनेकी की मृत्यु दद, गारीरिक उत्तीर्ण तथा देण निकाले का दण्ड मुगलना पड़ा। जर्मन लोगों की प्रपनी जाति शुद्धता रखने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई और उन्हें यह याद दिलाया गया कि वे शुद्ध आयं जाति के होने के नाते दिल विवरण एवं विवर स्वामित्व के लिए योग्य हैं।

यारे विश्व के यूद्धियों ने जर्मनी के सर्वाधिकारी जातियों द्वारा यूद्धियों के प्रति इस ध्यवहार के विएद योग्येष्ठ रूप से आवाज उठाई एवं प्राप्तोलन भी किया किन्तु इसका बोई परिणाम नहीं हुआ। नवीन विश्व संगठन क्रियाने के विषयी हुई और एवं दलित जातियों को ऊपर उठाने के एवं उनकी रक्षा करने के लिये बादा विद्या पा, वह भी जर्मनी के गतिशासी जातियों के प्रमुख बोई भी ठोक पग चढाने का साहस न कर सका। राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय जनसत रामान रूप से जर्मनी के जातियों की इस सम्बन्ध में नीति परिवर्तन कराने में प्रसफ्ट रहे। जर्मन और स्लोवाक का चेतोरत्सोवेकिया और पोलैंड में स्लाव और बल्गारों का हुंगरी में यूद्धियों पा जर्मनी के उत्तीर्ण के सोबोहिसे का भी तामना नहीं करना पड़ा या। परिचयी जनताओं के सम्बन्ध पर यूद्धियों के विएद योग्यता गत्वांवेदा निक विरोधाभास पा उठाने उन्हें यूद्धियों के प्रति इस ध्यवहार के विएद बोई भी ठोक

कदम उठाने के प्रति उनसी दृच्या को पगु दता दिया। उनपे से तुधु लोगों ने तो नाईती लोगों के साथ मिलकर यहूदियों को निन्दा शुरू करदी। विश्व के यहूदियों ने तथा उनकी संस्थामों ने ही मुस्यत जर्मनी द्वारा उत्पीड़ित यहूदियों पो सहायता एवं आशय दिया। जर्मनी द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न का वर्णन सुई गोलदिंग ने इस प्रकार किया है—

"मध्य युग के समान ही एक उपरान्त दूसरे शहर में अपने आपको यहूदियों से रिक्त कर दिया है और यह अपने दरवाजों पर ऐसे सूचना-चिन्ह धमड़ से लगाते हैं कि वे यहूदी रहते हैं। मध्ययुग के समान ही यहूदी अब सार्वजनिक स्नानगृहों में प्रवेश नहीं पा सकते ... सार्वजनिक उद्यानों में उनके लिए पृथक पीले रंग की बैठकें निश्चित हैं और वे दूसरे किसी स्थान पर नहीं बैठ सकते हैं। यहूदी भीर गैर-यहूदी के मध्य कानून द्वारा अन्तर्जालीय विवाह बन्द है और एक विस्तृत नियमों वे शप्रह वा निर्माण किया गया है जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि विस अग्रणीके यहूदी खून वाले से शादी की जा सकती है ... यहूदियों द्वारा सिविल कोई भी पुस्तक किसी वेटो प्रकाशक के अतिरिक्त अब जर्मनी में प्रकाशित नहीं हो सकती और उनको भी उसे गैर यहूदियों को बेचने की आज्ञा नहीं है..... किसी यहूदी समीतश द्वारा निर्मित समीत को बोई भी आर्य सार्वजनिक रूप से नहीं बजा सकता है। समस्त अनायों को सरकार को (१९३८) उस प्रत्येक प्रकार की अपनी समस्त सम्पत्ति बतानी होगी (घर में वाम आने वाले फर्नीचर तथा अक्तिकृत समान भी) जिस सामान की कीमत ४०० पौंड से अधिक है।"

"एक दूसरा नियम सरकार को इतनी गत्ता देता है कि वे तमाम जर्मन प्रजा को (ये शब्द ध्यानपूर्वक यहूदियों को, जो विप्रजा है न कि नागरिक, जामिल करने के लिए चुना गया है) अमिक ट्रुकड़ियों में एक निश्चित वेतन पर भर्ती कर सकते हैं।" ... "यह सदा सोचा जाता था कि फेरो किस प्रकार पुरातन मिथ में ६ लाख यहूदियों को गुलाम बना सका था। यह नवीन नियम उसका विस्तृत उत्तर हमें देता है।"

(बी अम्बाइजन ब्रौबलम पृ० १२१-१२५)

द्वितीय महायुद्ध की ममाप्ति पर द्वीपनिवेशिक साम्राज्यों वा प्रायः अन्त हो गया। यहूत से एशियाई देश स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र संघ के सदस्य हो गये। इन्डोनेशिया से इच, बर्मा, भारत, पाकिस्तान, लक्षा, पाना और मलाया से

ग्रिटेन को निकलना पड़ा। मध्यपूर्वी राष्ट्रों ने अपने राजनीतिक एवं धार्यक शक्ति स्रोतों पर पूर्ण नियन्त्रण करने वा प्रयत्न किया और मनिदांग राष्ट्र इस प्रयत्न में सफल भी हुए। थोन चालीस वर्ष के निम्नतर गृहयुद्ध और घम्बुदस्था के पासात् एवं सगठित और शक्तिशाली राष्ट्र वे रूप में विश्व के सम्मुख इस युग में आया। भारतीय प्रजातंत्र ने, विश्वपरिषदों में अपनी शक्ति और साधनों से उही धर्यक प्रशंसा एवं सफलता पाई विन्तु इस चिन वा एक और रूप भी है। दोनो महायुद्धों में जहाँ योद्धा वो शक्ति वा षष्ठन हुया है, वही अमेरिका की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अपने विश्वान गाधनों और अभूतात्मक घन के द्वारा यह घबेता हो विश्व विजय में सफल हो गया है। युद्धोत्तर युग में यह धीरे-धीरे तारे विश्व पर नियन्त्रण प्राप्त करने के हेतु भागे यह रहा है। मार्शल योजना, ट्रूमैन विद्वान तथा राष्ट्रपति प्राइजनहावर वीर शक्तिय नीति प्रादि इसी दिशा में ठीक कदम है। ग्रिटेन को उसने इरान के विहृद तेल के मामले में, मिथ के विहृद स्वेच्छ नहर के मामले में सहायता दी है। प्रांग वो हिन्द चीन, द्यूनेशिया, मार्क्सो और प्रलौरिया में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी है। इसने कारिया में सायुक्त राष्ट्र तथ के नाम पर दक्षिण अफ्रिया को और फारमोसा में अधिक-काई शेष को, योतपारस के विनारे यह तुक्को को तथा दक्षिण अफ्रीका में जाति विभेद वो यहन एवं प्रोत्ताहित करता है। अपनी शक्ति और साधनोंके द्वारा यह एक नवीन विश्व सगठन वा निर्माण कर सकता है और उनके दुरुपयोग के द्वारा यह अपनी शक्ति का दिलाश भी कर सकता है। अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में भी यह नीप्रो सोगो के उत्तीर्ण को रोकने में असफल रहा है। अमरीका की 'कू कल्क्ष स ब्लान' सश्या नीप्रो सोगो के उत्तीर्ण में जम्मनी के नारी इल म प्रतियोगिता कर सकती है। अमरीका की बाता जातियों के विकास के सिए राष्ट्रीय समुदाय के सिए वार्ष मन्त्री मिं रोय विस्किम्बा इस व्याख्य में लिखते हैं—

"सबसे स्पष्ट और सबसे धर्यक व्यापक भेद जाति और रूप पर प्राप्तार्थित है। धार्यक और सास्कृतिक भेदों की अपेक्षा जाति भेद हमारी राष्ट्रीय व्यस्ति में जब वही नहीं जमाये हुये हैं विन्तु ऐसे नियम एक तिहाई से भी धर्यक राष्ट्रों में बाकून वा रूप बदल कर चुके हैं। 'वेवल एवेत सोगो' के मिये' चिन्ह जो कि पूर्ण प्रदेश की भूमि को विहृत करते हैं, वेवल इस व्यहिकार के वेवल शाह प्रतीक हैं।"

"यही अमरीका में रूप ही मुख्य व्यापट है। जाति भेद की समस्या जो कि अल्प व्यवहक नीप्रो सोगो की अमरीकन समाज की मुख्य यारामो से मनिदार्य रूप से पलव रखने की न तो पूलंतर्या नहीं है। और म जाति भेदों को मन्त करने का संघर्ष ही नहा है। प्राप्त भर्त शताब्दी से बासे सोगो से

विकास के लिए यह राष्ट्रीय समुदाय इन दोपो के विरुद्ध निरन्तर राष्ट्रपं कर रहा है।" (करेन्ट हिस्ट्री, मई १९५७, पृ० २८३)

सोवियत सध और उसके युद्ध के राष्ट्रो, जिसमे कि चीन भी शामिल है, के सम्बन्ध मे राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए चाहे जो भी आलोचना की जाए किन्तु यह सत्य है कि विश्व के इस भाग मे इसी प्रकार की कोई जाति समस्या नहीं है। इस स्वय मे योरुग और एशिया की विभिन्न जातियों रहती हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए इस ने एक अद्भुत सविधान वा निर्माण किया है जो कि संघो का एक ग्रंथ है और जिसने कि भाषा, सम्झौता और जानि की समस्याओं को सुलझाने मे सफलता प्राप्त की है। किन्तु इसके पास भी विश्वाल शक्ति है और चूँकि यह शक्ति एक विशेष प्रकार के दण्डन पर आधारित है जो कि इसके मानने वालों को कठुरता प्रदान करता है। इसलिए यह शक्ति करोड़ो व्यक्तियों को केवल यशवद् बना देने से प्राप्त हुई है। इसकी और अमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों मे कोई विशेष मूलभूत अन्तर नहीं है। केवल यह भिन्न प्रकार का साम्राज्यवाद है। इसका आधार कोई जाति या जीवन का तरीका नहीं है किन्तु एक विशेष दर्शन है जिसको कि उसमे रहने वाली जनता आदर्श एवं पूर्ण सत्य मानती है।

विश्व मे निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं। आज विश्व मे युद्ध का भय चारों ओर छाया हुआ है। राजनीतिक हस्तों मे जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहा है। मध्यपूर्व मे समुक्त भरव गणतन्त्रीय राज्य, लेबनान ऐ विद्रोह, फान्स मे अधिनायकतन्त्र, पाकिस्तान, बर्मा, टर्की और प्रश्याम मे सैनिक राज्य आदि राजनीतिक ग्रव्यवस्था के प्रतीक हैं। किन्तु इससे भी अधिक भयानक इन दो महावृ शक्तियों के मध्य मे युद्ध की आशका है। हम यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते हैं कि भवित्व मे विश्व सगठन किस प्रकार का होगा। या तो अमरीकन प्रकार का और या रूसी ढंग का प्रजातन्त्र और या विश्व विनाश मे से कोनसी बस्तु हमारे लिए भविष्य के गर्त मे द्यिपी हुई है यह बताना हमारे लिए बठिन है। किन्तु यह निश्चित एवं स्पष्ट है कि विश्व को जाति और रंग की समस्या पर भपने हृष्टिकोण मे परिवर्तन करना ही होगा। यह-दियो ने २००० वर्ष के पश्चात् पुनः एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया है और उनकी रक्षा करने के लिए तैस्मबीव मे एक यहूदी सरकार है। अफ्रीका जागृत हो रहा है और इसके आगे बढ़ते हुए सोगो के पेरो की घटनि समुद्र पार तक सुनाई दे रही है। माझो माझो इस घटनि का केवल एक प्रतीक है। भर्लीरिया का विद्रोह, केन्द्रीय अफ्रीका मे असल्तोप और दमिण अफ्रीका मे भारतीयों के साथ मिलकर असहयोग आन्दोलन इसकी जागृत घटनि के कुछ उदाहरण हैं।

दोनों विश्व मगठनों ने जाति के प्रश्नों को यथोच्च महत्व दिया है किन्तु दोनों को इस दोनों मे अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। पिछड़ी हुई जातियों का

सरकार के लिए दूसरे शब्दों में कासी जातियों के लिए क्योंहि स्वेच्छा जातियों नो उनसे श्रेष्ठ बन्धु कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं मान गकते हैं यही तह कि प्रलवानिया को भी नहीं। राष्ट्र समन्वय ने सरकारी अधिकारी (Mandate system) तथा समुक्त राष्ट्र समन्वय ने ज्यासी सरकार अधिकारी (Trusteeship System) स्थापित की है। इन्हुंने यह दोनों अधिकारी अधिकारी राष्ट्रों के विशेष हितों के सम्मुख प्राप्ति प्रशंसनीय है। उदाहरण स्वरूप ऐनियल गतान्त्र पूर्णतः दक्षिण-प्रशिक्षण जप्तीका को दक्षिण-प्रशिक्षण गत में गतिविळ पर सकारा और आमरिक गहृत्व की पाठ में घमरीका प्रशान्त महामायर में गत गतीन, मात्रात्मक गत गतिविळग्नि द्वीपसमूहों को प्राप्ति गत गतिविळ बनाने में गत कल्प हुआ। दक्षिण जप्तीका की जाति विभेद नीतियों के विशेष गतुक राष्ट्र समन्वय न को। ठीक वग महीनी उदाया गत उस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पाता हिए उनसे प्रचलित बरने में यह अप्रकल्प रहा। दक्षिण जप्तीका में जप्तीकी सोनों की दशा के सम्बन्ध में बैलगारिया लिया गया है—

“वह पील (poll) और गृह कर के भार से दबे हुए हैं। उनके वही वेषम उग गामाकिर गोवाओं को छोड़कर जिनके लिए कि ये बंते देते हैं और कोई नहीं है। ये भी रस्तमेद तथा जाति मेद की तीति से अपमान पर द्वोप बरते हैं” । उनकी गिरावट कोई प्रदर्शन नहीं है और उनके बेतन प्रश्नन्त ही कम है। उनके स्वास्थ्य और रहो कोई अवश्यक नहीं है। उनके बच्चों की गत गत्ता की दर अत्यधिक है तथा वयस्तु पुरुषों में बांसारी भगानक रोगों की दर भी अधिक है। यदि दक्षिण जप्तीका दण परिस्थिति वो गम्य रहते नहीं गुप्तारवा है तो इसे अगमी उपेता के लिए भारी गूल्ह चुकाना होगा।”

‘दुर्भाग्यवश जाति विभेद को यह नीति जिताने कि दक्षिण जप्तीका अपनी जाति समस्याओं को गुवाहाने के लिए उत्तरोत्तर अधिक महत्व दे रहा है, जप्तीका के दूसरे दण जिनमें श्रिटिङ उपनिवेश भी हैं जैसे कि रोडेजिया और बैनिया में फैल गई है और उनके द्वारा दूसरे गेर-ज्योरोविध्यन लोगों के लिए भी सातु भी गई है।’ (यो यूनियन आंक तात्त्व जप्तीका पृ० १७-१८)

विश्व इनिहाता के प्रध्ययन से पता चलता है कि गम्य ग्रोजिया के दिभिन्न देशों में भिन्न समय में हुआ था। सिन्हु थाटी, मिथ, बेबीसोन, गुमेह, मेसोपोटामिया, और एय थोन पुरातन समय में विभिन्न सम्प्रतामों के जन्म एवं मृत्यु स्थान रहे हैं। जाति के पुनर्जन्म और एय में सुधार के पश्चात् योराम में राष्ट्रीय राम्य एवं राष्ट्रीय सम्प्रतामों वा उदय हुआ था और इनकी इसी पुरातन सम्प्रतामों से प्रेरणा मिली थी। इन्हुंने इन आपूर्जित सम्प्रतामों एवं नवीन तत्व वा जो कि पुरातन सम्प्रतामों में नहीं था विज्ञान के द्वारा प्रहृति पर विजय पाने में जारए और ग्रोजिया

सम्पत्ता ने जन्म लिया। प्रीर दम कारण से पश्चिमी योग्या वे राष्ट्रों को विश्व में प्रपनी धौरोगिक शक्ति के बारण एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ तथा इनके परिणामस्वरूप योरोपियन लोगों के स्थितिपर में एक बाल्यनिक मनोवैज्ञानिक भावना का उदय हुआ कि वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ योग हैं तथा योरोपियन जातियों सम्पूर्ण विश्व पर राज्य करने के लिए ही जन्मी हैं। वे व्यापार प्रीर खनिज पदार्थों को सौजने योग्य से बाहर निकले प्रीर पूर्व की पतेन सम्पत्तायों को पिछड़ी हुई घबस्था से लाभ उठा कर तथा प्रपीका की तथा पश्चिमी गालाद्वं के नए देशों की विकास की प्रपत्र थे ऐसी की हिति से लाभ उठावर उन्होंने ऐसे धौरनिवेशिक सामाज्यों का निर्माण किया जिनके समान विश्व इतिहास में प्रीर वोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। इम सफलता से मदमत होकर वे इस भूड़ी बल्पना म विश्वास करने लगे जो कि वास्तव में उनकी मानसिक बल्पना की ही उपत्र थी कि उन्होंने विश्व म एक महान् कार्य करता है। उम विचार को हम राष्ट्रपति मंडिले के उन शब्दों में जो कि उन्होंने किलीपाइस्त के सम्बन्ध में लिखे, समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अमरीकन जनना का कर्तव्य है कि वे—

‘किलीपाइन लोगों वा गिलिन वर्ग, ऊर उडावे, सम्य तथा ईगाइ बनावे वयोकि वे भी हमारे समान हो मानद हैं। जिनके लिए ईसामधीह ने प्रपने प्राण गवाएँ थे।’

इन पश्चिमी श्वेत जातियों ने इस विचार को ‘श्वेत व्यक्तियों का भार’ इम मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है। यदि इमको वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह केवल सामाज्यवाद है जिसके पीछे राष्ट्रीयता प्रीर जाति व सामाजिक थेष्टना का विश्वास है। इस जाति भेद के पीछे एक मुख्य कारण श्वेत प्रीर काले लोगों के आधिक स्तर में घन्तर है। इवेत लोगों को यह सन्देह है प्रीर इस सन्देह पर आधारित शब्दुता वो भावना है कि वाने लोगों के कारण वेतन के स्तर वो गिराने तथा प्रपनी थभिव शक्ति वो वस्त्र मूल्य पर बेचने के लिए संयार है प्रीर वह ऐसा इसलिए कर सकते हैं वयोकि उनकी आवश्यकताएँ वस्त्र हैं प्रीर उनके जीवन का स्तर गिरा हुआ है। काले व्यापारियों के प्रति भी इसी प्रसार का सन्देह एवं शब्दुता की भावना है वयोकि वे प्रपनी वस्तुओं को कम लाभ उठाकर वस्त्र मूल्य पर बेच सकते हैं। श्वेत व्यापारी इन काले व्यापारियों से कही शनियोगिता का सामना कर रहे हैं प्रीर उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे इन लोगों को अपने देशों में आने से रोकें। योरोपियन इंटरेस्ट को हम नाटात के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण आपोग की नज़ी इन्टरिय रिपोर्ट जो कि १९५४ में प्रकाशित हुई थी, के इन्होंने में इस व्यक्त कर सकते हैं—

“जिसान प्रीर मज्जुर वर्ग के भारतीय तो एक उत्तोगों कार्य वर रहे हैं इन्हु धनवान वर्ग के भारतीय नाटाल में योरोपीयन सम्पत्ता वे लिए एक सहूट हैं प्रीर ऐसे भारतीयों के लिए धनव जाति, स्थान निश्चित कर देने चाहिए जहाँ

पर कि वह रह सके, व्यापार य घट्टे कर सके, तथा गायारण मानवीय जीवन के समृद्ध दीनिक कार्यों को पूरा कर सके ।"

इनी सम्बन्ध में साढ़े हैते ने लिया है—

"भारतीय प्राची वहूही थोड़े लाभ पर व्यापार करते हैं और इसने व्यापारी प्रतियोगिता को ही नहीं बरबर भारतीयों के विद्वद् भारतीय विरोधी मावना के विकास में महावृणुं योग दिया है तथा जाति भेद की मानि के लिये यह एक बाह्यविक बाराण्य है ।" (एवं प्रकरोक्तम् सत्य, पृ० ३२७)

जाति भेद की यह नीति अद्वैदशर्मी है । यह दधिलं प्रपीका के हित में ही है कि वह अपने नायरिसों के बहुमत को जो ऐत लोगों का है, उन्नु न यनाएँ । बल्तारिया ने इस सम्बन्ध में लिया है—

"व्योक्ति दधिलं प्रपीका धीरोगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है इसनिए इसमें कोई संदेह नहीं कि आगामी कुछ वर्षों में सबसे महावृणुं प्रस्त रण वायामों को सुखभाने का होगा । यहे अपने पर धीरोगी-करण, पान्तरिक वाजारों में प्रत्ययिक गुप्तार के बिना भारतभव होगा और दग्धका भर्ण है कि दधिलं प्रपीका की जन-सम्प्रया धीर साम ऐत वृद्धि में होकर एक करोड़ लोगों की होनी चाहिए । यह सत्ते और अधिक थम की उपलब्धि के बिना सम्भव नहीं होगा । और इसका अर्थ है कि सप की गायार के द्वारा पालन की गई जाति भेद की नीति में पूर्णतः परिवर्तन करना होगा । इस पर भी धीरोगिक विकास की योजना वीर सफलता में संगठेह रहेगा जब तक कि ऐत अग्निको को ऊंचे वेतन दिये जाएंगे ।"

(दो पूर्वियन ग्रांक गायार लक्ष्मीनाथ, पृ० २६-३०)

हमें इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय साधनों के विशासु और परिणाम स्वरूप हमारी राष्ट्रीय वित्तियों का विकास होने पर ही हम ऐत राष्ट्रों को उनकी गतिशील स्वयंसत करने में सक्षम होते और अपने स्वतिकारों वीजाति व्येष्टि की मावना का पन्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे मानवीय परिवारों की गृही यना सेने रो ही जाति गायारता प्राप्त नहीं हो सकती । १९५३ में 'शोतान्नूज' जाति विभेद प्रायोग ने दधिलं प्रपीका की जाति विभेद नीति की वही पालीचना भी है इसने इष्ट स्वयं तो जाति भेद नीति का विश्व मानित के तिए हानिकारक तथा गमुक्त राष्ट्र सप के संविष्टान जिसको कि दधिलं प्रपीका भी मानता है, वे विद्वद् स्वीकार दिया है । इस सम्बन्ध में भारतीय तबी पों पूर्णतः स्वीकार दिया गया था किन्तु दधिलं प्रपीका भव भी उसकी अपनी एक पान्तरिक समस्या मानता है और गमुक्त राष्ट्र सप के द्वारा भारतीय हस्तक्षेप का विरोध करता है । किन्तु ऐसे तक बोई नहीं है । गायार-वादी राष्ट्र पुरातन काल से अपनी साम्याजिक नीति को उचित गिठ बले के तिए इनको काम में लाते रहे हैं ।

राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा

यद्यपि संयुक्तराष्ट्र समठन तथा राष्ट्रसंघ किसी सोमा तक भिन्न है किन्तु वे दोनों एक ही प्रकार के—भर्घं राज्य मडल व्यवस्था हपी समठन हैं। इन दोनों समठनों की उत्पत्ति राष्ट्र समूदाय को सज्जा को कार्यस्थल देने के लिये तथा इनके सदस्यों को सामूहिक सुरक्षा देने के लिये की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सातवें परिच्छेद के भनुमार सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रसंघ की संग्रिहीत सोमा तक नवीन शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त के भनुमार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की यथार्थ तथा सम्भावित आक्रमण के विविध रक्षा राष्ट्र समूदाय के समस्त सदस्यों का वर्त्तन्य है। यदि विश्व शान्ति की स्थापना करनी है और आक्रमणों को यथार्थ मेरोकना है तो हमे राष्ट्रीय आत्म रक्षायता के स्थान पर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त अपनाना होगा। प्रत्यधिक शान्ति के समर्थक राष्ट्र भी अपनी रक्षा देनार्थी का घन्त या उनमें कमी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्र समूदाय उन्हें सामूहिक सुरक्षा का पूर्ण रूप से विश्वास न दिल। सके और ऐसी सुरक्षा की गारन्टी न दे दें। किन्तु ऐसी गारन्टी बेवल राष्ट्र से ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय सज्जा ही दे सकती है जिसके पास स्वयं यथेष्ठ रूप से अतर्राष्ट्रीय सेनाएँ होनी और जो अपनी आज्ञाओं को पासन कराने तथा आक्रमण को रोकने मेर समर्थ होगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ भीर राष्ट्रसंघ जो कि वास्तव मेर धर्मराज्य मडल है न तो ऐसे राष्ट्रों से ऊपर सम्पाएँ ही है और न वास्तव मेर सामूहिक सुरक्षा के लिए पूर्ण गारन्टी ही देने मेर समर्थ है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा के मार्ग मेर सुरक्षा परिवद के स्थाई सदस्यों वी नियंत्रात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिवद द्वारा शान्ति स्थापना वे लिए आवश्यक प्रबंधों को बोर्ड भी स्थाई सदस्य नियंत्रात्मक शक्ति वे द्वारा रोक सकता है।

इसका यह भी अर्थ है कि महान् रथाई शतियों के विशद् प्रत्यर्थीय कानून प्रत्यर्थीय सत्ता वा प्रयोग उनकी स्वेच्छा के बिना नहीं हो सकेगा । थोटे राष्ट्र समुक्त राष्ट्र संघ से गुरुदा की पूर्ण आशा नहीं कर सकते यदि उन पर इन स्थाई शदृशों में से कोई भी आप्रवास करता है । यदि जिसी बड़े राष्ट्र के महत्वपूर्ण हित समूहों में होने तो वह राष्ट्र प्रपनी निषेधात्मक शक्ति वा उपयोग करके राष्ट्र-संघ द्वारा सामूहिक कार्यवाही को घपने या प्रपने विसी मित्र राष्ट्र के विशद् रोक सकेगा ।

यदि यह निषेधात्मक शक्ति न भी होती तो भी समूक्त राष्ट्र संघ इन महान् राष्ट्रों के विशद् सामूहिक गुरुदा प्रब्ययों को सामू नहीं कर सकता वा और न इन थोटे राष्ट्रों को इनके प्राप्तमण्डलीय बचा ही गाता वा व्योकि ऐसा करने के लिए इसको एक विश्व पुढ़ वा गामना करना पड़ता । निषेधात्मक शक्ति वर्तमान घलतर्थीय परिस्थितियों की व्याख्या के स्वीकार करती है । इसलिए हो न हो इसी भी महादृ शक्ति के विशद् उनकी इच्छा के बिना विसी भी प्रत्यर्थीय संघठन के विलुप्त को सामू बरना प्रायः प्रमम्भव सा है । मुरुदा परिषद् और सभा में भले ही यह गृहमत प्राप्त करने में सफल न हो; विन्त पिर भी बिना लें यह घपने विशद् प्रत्यर्थीय संघठनों को कोई भी कार्यवाही नहीं करने देगा । यही बारण वा कि राष्ट्रसंघ परिषद् में भी मतभेद्यता के लिदाल को घपनाया गया वा ।

राष्ट्र संघ के ऊपर समुक्तराष्ट्र संघ में जो एक महत्वपूर्ण गुपार दिया गया वा किन्तु जिनको अवहार में सामू नहीं किया जा गया है वह समुक्तराष्ट्र संघ संविधान के प्रनुच्छेद ४३ के प्रनुपार गुरुदा परिषद् के आधीन राष्ट्रीय सेवाओं वी दुर्घटियों को रखने का प्रस्ताव वा ।

(१) “मनुक्तराष्ट्रसंघ के सब सदस्य प्रत्यर्थीय शान्ति और समृद्धि हो बनाए रखने के लिए गुरुदा परिषद् जो उपरे भीतरे पर पोर एक गमभौति व समझौतों के प्रनुगार सेवाएँ, सहायता एवं गुपियाएँ जिनमें कि रास्ते का अपिसार और जो कि प्रत्यर्थीय शान्ति और गुरुदा वो बनाए रखने के लिए यावश्यक होंगे, देंगे,

(२) “ऐसा गमभौति व समझौते सदस्यों को जैना की प्रतारें, वे दिग्ं भंग तक संपार रहेंगी, उनकी स्थिति, गुपियाएँ य सहायता वी प्रहृति आदि वी निश्चिन बरेंगे ।

(३) “यह समझौता व समझौते गुरुदा परिषद द्वारा दितनी शीघ्र सम्भव होगा, यिए जाएंगे वे गुरुदा परिषद् और सदस्यों वा गुरुदा परिषद् और सदस्यों के समूहों में यिए जाएंगे और उन पर इत्तादार करने वाले राज्य घपने कार्यवानिक प्रबन्धों के अनुगार जाएं बरेंगे ।”

महान् शक्तियों पूर्कि इन सेनाओं वे सम्बन्ध में विस्तृत स्पष्ट से प्रवचयों में सम्बन्ध में सहमत न हो सकी इसलिए यह अनुच्छेद, यथार्थ में कार्यान्वयन न हो सका। २५ जून १९५० को कोरिया में गुरुदा परिषद के द्वारा जो सेनिय बायंवाही का निश्चय किया गया था उनके पीछे दो महत्वपूर्ण बारए थे। एक तो उग दिन गुरुदा परिषद में सोवियत गण की अनुपस्थिति और द्वितीय संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा यावश्यक घन एवं सेनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग का अनुदान। राष्ट्र संघ के मविधान वे अनुच्छेद १६ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ गविधान के परिच्छेद ७ में जो इस सम्बन्ध में प्रयत्न की आज्ञा की गई थी उसको हम बायं स्पष्ट में परिणत नहीं कर सके हैं और गुरुदा परिषद की राष्ट्र संघ परिषद में समान ही केवल सदस्य राष्ट्रों को सेनिक गदायता हेतु प्रायंना कर सकती है। यावश्यकता पहले पर और इस प्रायंना के स्वीकार हो जाने पर घन व सेनिक गदायता के सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में अनुमान निश्चित कर सकती है।

इम शताब्दी में भी १६ वीं शताब्दी की नीति ही महान् शक्तियों द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित करने के धारणे को ध्यवहार में बनाये रखा गया है। यह सत्य है कि महान् शक्तियों वे मतैक्य के बिना सामूहिक गुरुदा स्थापित नहीं हो सकती तथा सामूहिक गुरुदा की ऐसी कोई भी ध्यवस्था उन महान् शक्तियों में स्थाई विभाजन व विरोध होने पर नपस्त नहीं हो सकती। ऐतरात्मक वीच अभाव का काम कर सकता है त कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिंग भीन का। वास्तव में सोवियत संघ ने अभी भी विश्व-शान्ति स्थापित करने की इन आनन्ददायक वर्ल्पनाओं में न तो विश्वास ही किया है और न भरोसा ही रखा है। वे अब भी पहोंची पूजीयति राष्ट्रों से भयभीत एवं उनको गन्देह की हृष्टि से देगते हैं और उनका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित सामूहिक गुरुदा की ध्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। वह यह मानते हैं और किसी सीमा तक यह उचित भी है कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए जकि राजनीति के खेल खेलने ही होगे।

जब तक दूर तक नष्ट परने वाले शस्त्रों का विश्वास नहीं हुआ या और दूरी परिचयी योसाद्वारा को गुरुदा प्रदान कर रही थी तब तब अमरीका ने इस सामूहिक गुरुदा में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की और इसीलिए इसने राष्ट्र संघ और उसकी सामूहिक गुरुदा ध्यवस्था का वहिलार किया था। इन्तु युद्धोत्तर युग में अब अमरीका के लिए पहले बातें हृष्टिकोण से सोचना अपेक्षा गुरुदा भनुभव करना सराम्भ है। गुरुदा वही के सोशो के लिए इस युग में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण समस्या हो गई है। यही यह ध्यान रखना होगा कि अमरीकी और इसी देशमित्र एवं रक्षा नीतियों संदृढ़ राष्ट्र संघ को गुरुदा वे लिए अदृष्टदृढ़ सानंदर ही निश्चित की जाती

है। ऐसे सम्बेद एवं मुख्या से परिपूर्ण वालावरण में जिसी भी प्रकार ने निश्चयीवरण के लिये समझौता भासभव है।

संयुक्त राष्ट्र धरमरीका और सोवियत गंध द्वारा अपनी तमा अपने राष्यियों की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्र की मुख्या हेतु अधिक विश्वास करते हैं। इस घोर मुकाबल संबंधम हमें साम्यवादी गृह में दिलाई देता है जबकि उसके सदस्यों ने द्विपक्षीय सम्झियों द्वारा सुरक्षा की सोज पारम्परी और इन द्विपक्षीय सम्झियों का अन्त एक बहुपक्षी वारस। सम्झिय में हृषा जो कि इस गृह के समस्त सदस्यों को सुरक्षा हेतु सहृदित करता है। पश्चिमी देशों ने इसके उत्तर में शीघ्र ही बहुपक्षी गुरुका समझौते का स्व १६४७ की पन्तर-धर्मरीकी एक दूसरे की सहायता देने की सम्झिय जिस पर कि रायो-डी-जेनेरियो में हस्ताक्षर हुए थे, ने निश्चियत किया है। १६४८ में पश्चिमी योहप में हस्ती प्रकार की दूसरेता सम्झिय दिसने कि बाद में उत्तर पटसाठिक सम्झिय सङ्गठन का स्व बहाए जिया था, मुख्या के लिये की गई। प्रादेशिक संनिह सम्झियों के पक्ष में यह दावा जिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान के भनुच्छेद ५२ पर आधारित है जिन्हु इनका प्रस्तिरव इस बात का दोषक है कि विश्व दम्भाटं भीवस प्रदवा देने कानिसमवो के समय से बितना परिवर्तित हो गया है। इस उत्तर एटलांटिक सङ्गठन के राजनीतिक व शान्तनी प्राप्तार संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बिधान से निरान्त भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ सम्बिधान के ५२ वें भनुच्छेद के भनुमार—

- (१) "इस बर्तन्मान सम्बिधान में कुछ भी प्रादेशिक व्यवस्थाओं या संस्थाओं जो कि पन्तरीप्रीय जानित और मुख्या के प्रादेशिक वायों द्वारा ही स्वापित वी जा सकती है, नहीं है। जिन्हु ऐसे समझौते या संस्थाएं और उनके कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के भनुहप ही होंगे।
- (२) "संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र के उद्देश्य जो कि ऐसे भगवकोतों को करते हैं या ऐसी सारायाओं के सदस्य हैं, स्पानीय संघर्षों को ऐसे प्रादेशिक समझौते द्वारा परिपद के सम्मुग्ल लाने से एहसे सुमझाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।
- (३) "मुख्या परिषद स्थानीय संघर्षों को ऐसे प्रादेशिक समझौते द्वारा ऐसी प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा चाहे सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रवर्तित हो प्रदवा मुख्या परिषद द्वारा निर्देशित हों, जानितपूर्ण समझौते के विवाद से निए ग्रोत्ताहित रहेंगी।
- (४) 'यह भनुच्छेद विस्ती प्रकार भी भनुच्छेद ३४ एवं ३५ के वायरिंद्रा होने में बाया नहीं पहुंचता है।'

ऐसी प्रादेशिक सीनिक समितियों का निर्माण विश्व सभ की सत्ता का स्पष्ट रूप से निरोप है। यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसे प्रादेशिक सीनिक समिति राष्ट्रीय समरीका के विवारकों पौर वत्तामो ने समुक्त राष्ट्रीय सभ सविधान के ५२ वें अनुच्छेद को ग्रन्थिक महत्व देना मारम्भ कर दिया। इस अनुच्छेद की तुलना हम राष्ट्रीय सविधानों के ग्रन्थिकालीन प्रबन्धों से कर सकते हैं। ऐसा भविष्य ही यह बताएगा कि क्या यह अनुच्छेद भी समुक्त राष्ट्रीय सविधान के लिए उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण गिर होगा जितना कि बैशार सविधान का अनुच्छेद ४८ हुआ था।

शक्ति का कानूनी रूप से प्रयोग घब बैवल राष्ट्रीय सभ गुरुदा परिषद द्वारा ही हो सकता है। किन्तु अनुच्छेद ५२ व्यवहार में मुद्रे के घटिकार को पुनः वही महत्व व स्थान प्रदान करता है जो कि उसे समिति ग्रन्तराष्ट्रीय समाज की स्थापना के पूर्व आधुनिक ग्रन्तराष्ट्रीय कानून में प्राप्त था। यह हमें प्रथम महायुद्ध के पूर्व बाले युग की गुट्ठ पौर प्रति गुट्ठ व्यवस्था की याद दिलाता है।

साज समुक्त राष्ट्रीय सभ भी प्राय उन्हीं परिस्थितियों का सम्मान कर रहा है जो कि राष्ट्रीय सभ ने हवोपिया के विछद हैट्सियन आक्रमण को रोकने में घरापल होकर १६३५ में वी थी। अन्तर बैवल यही है कि राष्ट्रीय सभी गैर सदस्यों रो सङ्कट का सामना करना चाहा या पौर वह बाह्य ग्रन्तुओं के आक्रमण द्वारा नष्ट हुया जबकि समुक्त राष्ट्रीय सभ दो विरोधी दलों में विभक्त है। जब तक ग्रन्तराष्ट्रीय समाज ना ढौंचा जैसा है जैसा ही रहेगा तब तक बैवल नवीन सङ्कटनामक ढौंचों को समाने सात्र से ही न तो विश्व राजनीति की समस्याओं का हल ही हो सकता है और न विश्व शान्ति की स्थापना हो सकती है।

इसी अग तक यह सत्य है कि राजनीतिक शायंवाही जो कि प्राय गुप्त रूप से होती है बहुत सी समस्याओं को घटिक ग्रच्छी तरह समझा गवती है व्योकि गुरुदा परिषद में जहाँ पर कि लुले रूप से विवाद होता है वही राष्ट्रों के प्रतिनिधि समझते हैं कि इस नहीं बरबर ग्रन्तराष्ट्रीय जनसत्र को व्याप्त में रख बर तथा प्रचार वे लिए विवाद करते हैं।

जैसे राष्ट्र के भान्दर दस्तीय स्वार्थ राष्ट्रीय स्वार्थों पर विजय पाते हैं वैसे ही राष्ट्र ने बाहर राष्ट्रीय स्वार्थ ग्रन्तराष्ट्रीय स्वार्थों पर विजय पाते हैं। यह असम्भव है कि कोई भी राष्ट्र इसी एक समस्या पर तो सामूहिक गुरुदा दे सिद्धान्त का गुणानन बरे भ्रष्टा उसे धावस्य क समझे तथा दूसरी दिग्गी समस्या में जितायें उसके राष्ट्रीय स्वार्थ निहित हैं, गिरगिट वी तरह रग बदल कर राष्ट्रीय समस्याओं पर साझाज्ञ बृद्धि और राजनीतिक शयांवताओं की दुहाई देखर शक्ति के प्रयोग के प्रयत्न करे।

सायुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत राष्ट्र और उसके साथी राष्ट्र इसाई स्प से भलप्रभत में हैं और इसनिए वे ऐसा कोई भी सास्यात्मक परिवर्तन नहीं आहते हैं जो कि उनके हितों के बिछड़ हो। सोवियत राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद से आम सभा को शक्ति हस्तान्तरित धरने के प्रयत्नों का विरोध करते हुए चार बार निवेदात्मक शक्ति का प्रयोग किया है। पर्योकि ऐसा होने से सोवियत राष्ट्र के सिए आम सभा में जहाँ कि दह राष्ट्रीय स्प से भलप्रभत में हैं अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना प्रसम्भव हो जाता।

सायुक्त राष्ट्र राष्ट्र के द्वारा सामूहिक सुरक्षा सब तक तम्भव नहीं है जब तक कि पह पन्तराष्ट्रीय तनावों और शीत मुद्दों पर मनत करने में सफल नहीं होता है। ऐसी ही हृदय शूटनीति तथा उसे हुए समझौते नीतिक इटिंग से वो सर्वोत्तम हैं जिन्हुंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परायताएँ इस नीतिक सिद्धान्त के सफल होने की राखावनाओं के बिछड़ हैं। सायुक्त राष्ट्र राष्ट्र के युग में गुप्त सम्पर्कीय एवं गुप्त वाताघो का प्रायः प्रभत हो पुरा है और इस युग में साम्नतरिक राजनीति की जनतानीय प्रणालियों की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए विसी भी निरुद्ध पर पहुँचने के लिए पहले मत्तेवय आवश्यक या और यह मत्तेवय परिषद में खुले स्प से बाद-विवाद करने के भतिरिक गुप्त वाताघों एवं रामझौतों वे द्वारा ही सम्भव या पील हीनरी राष्ट्र का इस सम्भव में वर्णन है—

“.....जिनेवा का वातावरण लेक सहसेस के वातावरण से सर्वथा भिन्न था, पह अधिक पूर्व निमित था। समय समय पर कुछ सार्वजनिक बाद-विवाद होते थे जिन्हुंने यह नहीं समझता कि मैं कोई गुप्त भेदों वो लोक रहा हूँ या कोई प्रग्राम वात पह रहा है जबकि मैं यह पहता हूँ कि सार्वजनिक बाद-विवाद जिसमें कि विरोधी मत प्रदर्शित किए जाते थे, उसियारों में सावधानों पूर्वक सेवार किये जाते थे, और वास्तव में वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित पाठ सेवता था और यदि कोई इससे विरुद्ध कार्य करता था तो एकदम एक बहुत बुरा व्यक्ति माना जाता था।”

सार्वजनिक बाद-विवाद और मतदान ऐसल गुप्त शूटनीतिक रामझौतों की विधानिता देने के लिए लिए जाते थे।

कूटनीति का यह कार्य है कि वह राष्ट्रों वो बचाए और विभेदों वो दूर करे। पर्योकि सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सदस्य, विश्व की प्रमुख समस्याओं के सम्बन्ध में वापस में कूटनीतिक वाताघो करते हो उन समस्याओं का गुप्तभना अधिक सीमन हो रहता है। सुरक्षा परिषद और आम सभा में सार्वजनिक बाद-विवाद एवं भावणों का उपयोग प्रायः राजनीतिक और रीढ़ान्तिक प्रचार के लिए किया जाता है। वहाँ पर व्यक्तियों का उद्देश्य प्रचार और विश्व जनमत को प्रभावित करना होता है त कि गमझौतों को प्राप्त करना।

कोई भी राष्ट्र अपनी आन्तरिक या वैदेशिक नीति को समुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण एक निर्देशन में नहीं रखना चाहता है। महान शक्तियों तो अपने संघों को स्वयं मुलझाना चाहती है तथा वे नियेषात्मक शक्ति का प्रयोग अपने राष्ट्रीय तथा महत्व पूर्ण हितों को रखा के लिए करती है। नियेषात्मक शक्ति को अस्तित्व ने नहीं किन्तु इसके प्रयोग ने समुक्त राष्ट्र संघ संविधान द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट किया है। इस सम्बन्ध में महान शक्तियों का हित्तिकोण संयुक्त राष्ट्र घरमरीका के सीनेटर वैडनवर्म के इस कथन से समझा जा सकता है जो १९४५ में समुक्त राष्ट्रसंघ संविधान पर वाद-विवाद करते समय उन्होंने कहा था—

“यह हमारी रक्षा करता है जिसको कि मैं समझता हूँ और जिसकी कि हमारी ‘मनिच्छापूर्ण दारता’ के रूप में कई और से कढ़ी निन्दा होगी यदि हमारी नियेषात्मक शक्ति का अस्तित्व नहीं होता। यह हमारे उन ताकिक भयों का कि हम अपने भविष्य को वैदेशिक निर्देशन के आधीन बर रहे हैं, अपूर्ण उत्तर है।………यह अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य से इस प्रकार हमको चिर स्वतन्त्रता को गारन्टी देता है।”

सीनेटर वर्म नियेषात्मक शक्ति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का रक्षक मानते हैं।

सोवियत संघ भव्यमत में होने के कारण इस भव्यमत के विशेषाधिकार नियेषात्मक शक्ति पर विसी प्रकार वी कोई भी सीमाएँ लगाने के पश्च में नहीं है। यदि सोवियत संघ ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है या सामूहिक सुरक्षा के रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न की हैं तो दूसरे बड़े राष्ट्र भी इस सम्बन्ध में न तो पीछे ही रहे हैं और न तटस्थ हो। सोवियत संघ ने इस शक्ति का प्रयोग ऐसे सदरयों के आगमन का विरोध करते हुए किया है जिनके द्वारा उनके विरुद्ध के बहुमत की सहा और भी अधिक बढ़ने का भय था।

सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्न करने के लिये यह आवश्यक है कि समुक्त राष्ट्र संघ के स्थाई विभाजन का अन्त किया जाए चाहे इसके लिए कृतनीतिश साधनों का ही सहारा लेना पड़े। इस संविधान के ५२ वें घनुच्छेद के नाम पर जो प्रादेशिक संनिक संगठन है उनकी भी तब कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। एवं समुक्त संयुक्तराष्ट्र संघ ही शक्ति और सामूहिक सुरक्षा स्थापित कर सकता है। घनेस्ट बी० हैज तथा एसन एम० विट्लीग के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि—

“विश्व के राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर कोई बहुत अधिक भरोसा नहीं रखते हैं। इस रूप से और भी रपट हो जाता है कि सावंभीमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सामान्यतः पतन ही हुआ है तथा प्रादेशिक राष्ट्रों की ओर कुछ तरफ में निरन्तर झटिं ही हुई है। १९५५ में

संयुक्त राष्ट्र प्रमरीवा चार वट्ठपथी प्रादेशिक सामूहिक आत्मरक्षा रागठों का सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति मौतिक स्वामिभक्ति के पश्चात् प्रादेशिक समझौते और परिवार जो कि आत्म रक्षा भनुच्छेद में है, वे सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिये सही प्रकार की नीति के हृष में प्रशंसा की जाती है। मोरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण धरोहरिका और सबसे धक्षिण धरोहरित संघ तथा इस पर निर्भर रहने वाली इकाइयों ने यही भूमाद दियाई देता है। प्रादेशिक संगठन तीयारियाँ और उत्तरदावित आदि सब स्थानों पर सार्वभौमिक सुरक्षा व्यवस्था से वही परिक विवरित है। संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान की प्रादेशिकता के लिदान्त का आधार मानना उसका सबसे दूरसं कही पर आवारित है—सामूहिक आत्मरक्षा के धरिकार पर। याज सार्वजनिक नेता सार्वभौमिक सुरक्षा के सम्बन्ध में हम से कम वह रहे हैं और इसको धरिकांत देखो के मुख्य व्यक्ति विरोधी प्रादेशिक उम्हों जो सामूहिक सुरक्षा का आधार मान रहे हैं जो कि अब एक विभाजित और प्रत्यक्ष संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के द्वारा सरकार से प्राप्त नहीं हो सकती।”

(इन्डियन इंडियन सरिस्तान पृ० ४६६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में प्रस्तुतिक कमियाँ हैं और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बालाकरण में इसके मफनतापूर्वक वार्त्य वरने की आदा व्यर्थ है। यदि हम बातचल में एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो हमें प्रभुत्वर के लिदान्त को एक नदीन हृष देना होगा। इसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के हृष में सीमित करना होगा तथा राष्ट्रों से ऊपर एक सार्वभौमिक संवेदन्ता सम्पद रागठन स्थापित करना होगा। सापारए एवं मण्डु धस्त्रों का निश्चिकरण करना होगा और इसके साथ ही साथ हमें शान्ति के प्रति राष्ट्रों एवं उन्हें नागरिकों में एक नई मनोभावना उत्पन्न करनी होगी जो कि सामूहिक सुरक्षा के लिदान्त को व्यक्तिगत रक्षा से थोड़ बाने तथा उस पर निर्भर रहने का प्रयत्न है।

याज विष्व में कोई भी इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर धरार्थ में भरोसा नहीं रखता है और इसके परिणाम रवह्य विश्व का प्रत्येक राष्ट्र परनी हृषा प्रक्षेत्र साधियों की गेनिह जक्कि आत्मरक्षा के लिये निर्भर है। इस शावाय में वर्तमान शताब्दी और विगत शताब्दियों में जोई विशेष अन्तर नहीं है।

आन्तर्राष्ट्रीय संरचणात्मक शासन व्यवस्थाएँ

राष्ट्र सभ के अन्तर्गत मैन्डेट व्यवस्था तथा समुक्त राष्ट्र सभ के अन्तर्गत दृष्टी-शिप व्यवस्था को हम विश्व के पिछडे हुए और धर्म विनियित प्रदेशों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के धोने में एक महान प्रयत्नि कह सकते हैं। १६१६ में अन्तर्राष्ट्रीय सरकार एता का सिद्धान्त तथा १६४५ में ऐसे धोनों की सुरक्षा एवं विकास को एक प्रविन्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यासी के रूप में स्वीकार विधा गया था। इन व्यवस्थाओं ने एक दोहरे उद्देश्य को पूर्ण किया है। इन्होंने कमज़ोर और पिछडे हुए राष्ट्रों के हिस्तों की जिसी सीमा तक रक्षा की है तथा दूसरी ओर १६१६ और १६४५ में विजेताओं के मध्य में शान्ति स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की है। इन व्यवस्थाओं ने हारे हुए राष्ट्रों के उपनिवेशों तथा अधीनस्थ देशों की बठिन समस्या को सुलझाया है। प्रथम महायुद्ध के बीच में मिश्र राष्ट्रों वे नेताओं ने ऊंचे भादरों एवं नारों का प्रयोग किया था। इस सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति विलसन का नाम उल्लेखनीय है। इन सिद्धान्तों व प्रादर्शों के प्रनुसार अधीनस्थ राष्ट्रों को भारत निर्णय का अधिकार दिया गया था और यह भी स्वीकार किया गया था कि मानवीय अधिकार तथा मानवीय व्यक्तिगत का महत्व सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार किया जायेगा।

किन्तु यह सब बातें केवल राजनीतिक प्रचार हेतु थीं। विजेताओं ने गुप्त समितियों और समझौतों द्वारा हारे हुए राष्ट्रों के अधीनस्थ देशों और उपनिवेशों को पहले ही आपस में बाट लिया था। उदाहरण स्वरूप १६१६ के गुप्त गाइम्स पिकोट रामझौते के द्वारा मोटोमन साम्राज्य के निकट पूर्व के प्रान्तों को इज़्ज़ालेंड व फ़ारस ने आपस में विभाजित कर लिया था। ऐसे ही दूसरे समझौते के द्वारा अफ़्रीका के जर्मन उपनिवेशों को भी बाट लिया गया था। इसके पश्चात् यह विजेता इन नवीन प्राप्त अधीनस्थ राज्यों में अपने हितों को प्राप्त तथा रक्षित करना चाहते थे। फ़ारस की

जनसम्मान में जूँकि निरन्तर कमी हो रही थी इत्तिए उसे प्रपने को एक महान मत्ता बनाए रखने के लिए इन उपनिवेशों से फोब मर्ती करना आवश्यक था । प्रिटेन ने अपिराज्य इनको दूतरे देशों के व्यापार तथा नागरिकों के प्राकृत वसने पर रोक लगाने के पक्ष में थे ।

जनरल स्मट्ट ने थोस्टो-हुगरी तथा थोटोमन साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में १८ दिसम्बर १८१८ को एक व्यवस्था प्रकाशित की थी । इस व्यवस्था का विकास करके राष्ट्रपति विल्सन ने १० जून १८१६ की ऐरिस शान्ति सम्प्रेलन के समाधा राष्ट्रपति दी संधि को दूसरे प्रस्तोते के एक अन्तर्गत भाग में रूप में रखा था । विल्सन ने इस सिद्धान्त का प्रयोग समस्त हारे हुए देशों के अधीनस्थ राज्यों पर दिया और वह इस सिद्धान्त से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि शान्ति गम्प्रेलन में उसने सिद्धान्त के पक्ष में बहुत हो प्रभावशाली शब्दों में सम्पर्क दिया चिन्तु इस सिद्धान्त के अपनाने के रास्ते में मुख्य कठिनाइयों थीं जैसे कि प्रांत और प्रिटेन के विशेष हित तथा गुप्त समझौते । विल्सन वो इन सब बातों पर प्रपने शास्त्रों से समझौता करना पड़ा और इसके पश्चात् ही यह सिद्धान्त शान्ति सम्प्रेलन द्वारा स्वीकृत हुआ । राष्ट्रीय हित और शक्ति राजनीति की आवश्यकताओं ने एक प्रादर्श बादी सिद्धान्त को नष्ट प्राप्त कर दिया । १८१६ और १८४४ में इम गिद्धान्त को जो सम्बाधक रूप दिया गया था वह वेवल इसकी स्थाया मान था । इसके पहले कि हम इस गिद्धान्त का मालोनवास्तव अध्ययन करें हमारे लिए राष्ट्रपति दी संधि के मनुच्छेद २२ का, जिसमें कि मंगेट व्यवस्था थी, अध्ययन करना आवश्यक है । यह मनुच्छेद इस प्रकार था —

(१) "उन उपनिवेशों और सेशों पर, जो कि विद्युते युद्ध के परिणामस्वरूप उपराज्यों के सार्वभौमत्व में नहीं रह गए हैं, जिनका पहले उन पर शासन था तथा जिनमें ऐसे सोग बसते हैं, जो कि आपुनिक विश्व दी कठिन परिस्थितियों में प्रपने परे पर खटे होने योग्य यह सिद्धान्त सामू किया जाए कि ऐसे सोगों का कल्याण और विकास विकसित देशों का पवित्र कर्त्तव्य है तथा इस कर्त्तव्य के निश्चित रूप से पासन के लिए आवश्यक व्यवस्था इसी संन्धि पक्ष में कर दी जाय ।

(२) इस सिद्धान्त को आवाहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे जागों का सरकारण उन उपनिवेशों को सौंपा जाए जो कि प्रपने साधनों, अपने मनुभव या प्रपनी भौगोलिक स्थिति के बारए इस उत्तरदायित्व को सबसे अच्छी प्रकार पूरा कर सकते हैं तथा जो ये विभिन्नारी प्रपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं तथा वे इस सरकारण अधिकार का उपरोग राष्ट्र रूप की ओर से एक संरक्षक राज्य से रूप बरेंगे ।

- (३) "सम्बन्धित जगता के विहास की प्रवस्था, उनके धोन की भीषणता स्थिति प्रायिक परिस्थितियों और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण इन सरकारी राज्यों का स्वरूप भी विभिन्न होगा ।
- (४) "इससे पूर्व कि तुर्दी साम्राज्य में शामिल कुछ समुदार विहार की ऐसी प्रवस्था तक पहुँच गए हैं कि उनके अस्तित्व को प्रस्तारी रूप से स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है किन्तु काई एक सरकार राज्य इन्हे सब सक प्रशासनीय सलाह सहायता देता रहेगा, जब तक वे प्रपत्ति वेरो पर स्वयं सहे न हो जाएँ । सरकार राज्य का चुनाव करते समय इन समुदायों वी इच्छाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ।
- (५) "अन्य लोग—विशेषर गध्य पक्षीका वे—ऐसी प्रवस्था में हैं कि सरकार राज्य की जिम्मेदारी उनके धोन में ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन करना होनी चाहिए कि उन सोगों के विश्वास और यससे भी स्वतन्त्रता—जिन पर देवल सावंतविक अवस्था और नैतिकता बनाए रखने का ही अन्यत हो—यी गारन्टी प्राप्त हो सके तथा दुष्कार्यों जैसे दाता व्यापार, शरदास्त्र तथा शराब के व्यापार वा नियेष विद्या जा सके एवं किसेवन्दी या भूमीनिक या गोमैनिक भड़े बनाना और पुलिस प्रयोजनों जैसे तथा इन धोनों की रक्षा के मतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए वहाँ के सोगों वो संगिक प्रशिक्षण देना रोका जा सो एवं राष्ट्रग्राम के अन्य सदस्यों को व्यापार और वाणिज्य के लिए समान प्रवतार भी प्राप्त हो सके ।
- (६) "ऐसे भी धोन हैं—जैसे दशिए पश्चिम घफीरा तथा कुछ दशिए प्रशासन महासागर के द्वीप—जो कि बम जनसंस्था होने के कारण या सम्यता के केन्द्रों से दूर पड़ जाने या सरकार राज्य वे धोन से भीगोनिक निरहता अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण, सरकार राज्य के धोन के ही प्रविभाज्य के रूप में सरकार राज्य वी विधियों वे धनुदार ही भलीभीत शारित किए जा सकते हैं किन्तु देशों सोगों के हित की इच्छा से उपरोक्त सावधानियों व मुरक्का प्रबन्ध बढ़ाव जाने चाहिए ।
- (७) "हर सरकार राज्य के सम्बन्ध में, सरकार राज्य उसे सोमे गए धोन के सम्बन्ध में, परिषद को एक प्रायिक रिपोर्ट भेजेगा ।
- (८) "सरकार राज्य वा इस सीमा तक प्रविकार होगा या वह नियन्त्रण व प्रशासन करेगा, इसका नियन्त्रण यदि राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने पहले गे ही नहीं बर दिया हो, तो परिषद हर माससे में वह सीमा राष्ट्र से निश्चित करेगी ।

(६) "मराठा राज्यों की वायिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उनको जीव करने परपरा सरकार फतेंब्यो का पालन करने सम्बन्धी सभी मामलों पर परिषद को परामर्श देने के लिए एक रखाई आयोग भी नियुक्त हो जाएगी।"

जानित सम्मेलन ने घरने पूर्व के समझोतों वो बास्तव में खोकार किया था पौर मैन्टेंट व्यवस्था के मन्त्रमंत्र थे नो दा जो विभाजन हुआ था वह भी इन्हें आधार पर हुआ था। मई १९१६ में प्रशान्त महासागर के द्वीपों का इखलैंड, भास्ट्रेलिया पौर न्यूजीलैंड के बीच विभाजन हो गया। अफीका में दक्षिण पश्चिम अफीका, दक्षिण अफीका के राष्ट्र वो, जम्नन पूर्वी अफीका ब्रिटेन को तथा होमोलैंड पौर केम्ब्रिज ब्रिटेन पौर कानून के बीच में विभाजित किए गए थे। प्रैंस १९२० में टर्की के प्रधीनस्थ राज्यों का पालन पौर ब्रिटेन के बीच में विभाजन हुआ। पालन को सीरिया के सेवनान तथा ब्रिटेन को वैलेस्टाइन, डोनबांड पौर ईरान इस बटवारे में मिले। अमरीका की आरम्भीनिया पर सरकार के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए उसने मना कर दिया। आरम्भीनिया बाद में टर्की पौर सोवियत राष्ट्र के बीच में विभाजित हो गया। बास्तव में यह मैन्टेंट सरकार राज्यों पौर गुप्तीम परिषद के बीच में कानूनी समझोते थे। पौर यही पर इनका अ. ब. ग. वर्गीकरण सीमा सन्धि के अनुच्छेद २२ के ४, ५, ६, अनुच्छेद में किया गया। अ बर्ग के मैन्टेंटम का इनिहाम घन्धा नहीं है। जैसा कि सन्धि में था। वही के रहने वालों वो इच्छाधी का सरकार राज्य के नियुक्त थारे समय ध्यान रखा जायेगा, नहीं हुआ। मेसोपोटामिया में आम बिद्रोह हुआ पौर ब्रिटेन वो हजाज के बादगाह हुमेन के लड़के फैजल वो ईराक का राजा खीरार करना पड़ा। ईराक पौर ब्रिटेन के बीच में १९२२ में एक समिक्षा हुई। इनमें ४ बर्ग के लिए ईराक पौर ब्रिटेन के सम्बन्धों को निश्चित किया। १९२२ में ईराक पूर्णतः स्वतन्त्र राज्य हो गया पौर इसको सीमा वो सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

इन दो बो के जनितम बटवारे में सरकार कांयं व्यवस्था के आदर्श बाहु मिदानों वो प्र० सूर्येन के अनुसार तोड़-परोड़ वर रख दिया गया तथा वे आदर्श में प्रत्यधिक हुर थे। अ बर्ग के मैन्टेंटम में जनता की इच्छा को कोई महरव नहीं दिया गया। वैलस्टाइन पौर सीरिया में भी, जहाँ पर कि जनता की इच्छा का बता सगाया गया था। वहाँ भी इसको कोई महरव नहीं दिया गया। होमोलैंड पौर केम्ब्रिज में कानून को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए वहाँ के सोशो को फौज में भर्ती करने दिया गया। अ बर्ग के मैन्टेंटम में स्वतन्त्र स्वप से व्यापार नियेष, हो गया। अ, बर्ग के मैन्टेंटम की दमा अर्थात् ही सोचनीय थी। उन्हें सरकार राज्य बास्तव में घरने को वा एक भाग मानकर पौर एक जीता हुआ प्रदेश मानकर राज्य करते थे। प्रायः वही दमा

व, वर्ग के मैन्डेटर को थी। अमरराष्ट्रीय सरकार ना यह मदान् प्राइंग शक्ति राजनीति की भूल भुलेयाँ में कंपकर न मालूम कहा सो गया।

ईराक के प्रतिरित अन्य सब मैन्डेटर में स्वतन्त्रता आन्दोलन को और स्वशासन की मौग को निर्देशता पूर्णक दवा दिया गया। सरकार राज्य जुले रूप से इन दो ओर साम्राज्यवादी तीति व शायन को अपनाते थे। पैलस्टाइल में ब्रिटेन और पहुँचियो ने मिलकर विदेशियों को अरब भूमि पर बसाने का एक पड़यन किया जिसको कि पिछड़े हुए गरीब अरब किसी भी दशा में रोक नहीं सके थे।

प्रत्येक सरकार राज्य की यह नीति होती थी कि वह प्रत्येक मैन्डेट के बजट को स्थानीय आय द्वारा ही संतुलित रखे। उम्होने स्थानीय आय से अधिक ध्यय करने में इन्वार कर दिया। इन पिछड़े हुए और अविरसित दो ओरों की उन्नति के लिए यह आवश्यक था कि सरकार राज्य स्थानीय आय से कहीं अधिक अपने पास से ध्यय करते हैं। इन राज्यों की जनता को पुराने साम्राज्यवादी शासन तथा इस तरीन अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में बोई विशेष अन्तर मही मालूम नहीं। यह केवल एक मूढ़ा आडम्बर था।

किन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय गरकाण का विचार बास्तव में एक रोद्धान्तिक प्रणति है। राष्ट्र सभ राज्य के अनुच्छेद २२ के उप अनुच्छेद ६ के अनुसार एक स्थायी मैन्डेट प्रायोग को स्थापना हुई जो कि सोग परियद को इस सम्बन्ध में परामर्श देता। प्रारम्भ में इसमें ६ सदस्य थे और इनमें गैर सरकार राज्यों का बहुमत था। १९२७ में इनकी गम्भा १० कर दी गई ताकि जर्मन प्रतिनिधि को भी इसमें लिया जा सके। १९२६ में अन्तर्राष्ट्रीय थमिन संगठन का एक प्रतिनिधि भी एक परामर्शदाता के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

इस प्रायोग का कार्य केवल परामर्श देने का था किन्तु बास्तव में इसने सोग परियद के एजेंट का रूप धारण कर लिया। सरकार राज्य अपने क्षेत्रों की कार्यिक रिपोर्ट इस प्रायोग के सम्भा रखते हैं। इसके मूलना प्राप्त करने के अःय साधन सरकार राज्यों के द्वारा आई हुई जनता की अजिर्या और सरकार राज्यों से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर थे। न तो यह स्वयं मैन्डेट में जाकर निष्पक्ष जाति व देश रेख कर सकता था और न ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त ही कर सकता था। इसको अपनी सभी मूलना के लिए गरकार राज्य सरकारों पर ही पूर्णतः निर्भर रहना। यहता था। ऐसी परिस्थितियों में राज्य अपने रहने वाले लोगों की जिहायतों का स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से मुना जाना प्राय अमरम्भ था। यह प्रायोग केवल सरकार राज्यों से मूलना प्राप्त करने और उन्हें राष्ट्र सभ विदेश तक पहुँचाने का साधन मात्र था। राष्ट्र सभ के अन्त होते ही इस व्यवस्था का भी अन्त हो गया।

संयुक्त राष्ट्र गण संगठन ने इन घटवन्दा के स्थान पर नवीन धनतर्फ्टीय व्यवस्था स्थापित की—द्रुस्टीगिर व्यवस्था। इन दोनों के बीच में बोई विशेष अन्तर नहीं था। यालटा सम्मेलन में निश्चित हुआ था कि पुराने ऐंट्रेट प्रदेशों को इस नवीन व्यवस्था के प्रभावीत कर दिया जायेगा। तथा उन दो दोनों को भी जो कि द्वितीय महायुद्ध के फल-स्वरूप शत्रु राष्ट्रों से धीन लिए जायेंगे तथा ऐसा कोई भी राज्य जो कि अपने आपको स्वयं धनतर्फ्टीय गरण्डाएं में रखता चाहे तो उसे भी ऐसी नई व्यवस्था में प्रभावीत रहा जायगा। समझाने की शक्ति के मनुसार न्यासी शक्तियों को निश्चित करना एवं व्याख्यित करने वा वार्ष नामाजिक महात्मा के दोनों में मनुच्छेद दृष्टि के मनुसार मुरदा परिषद् की भाग सभा दो दिया गया था। किंतु भी द्रुस्ट प्रदेश वा समूर्ण या एक विशेष भाग सामरिक महात्मा क्षेत्र योगित दिया जा सकता है। ऐसे दोनों के प्रशासन में प्रशासनीय गत्ता का गुरुदायापरिषद के प्रति धनतर्फ्टीय गति, गुरुदा बनाए रखने के लिए मनुच्छेद द४ के भनुसार एक धनतर्फ्टीय उत्तरदायित्व है।

स्थायी मैनेट भ्रायोग वे स्थान पर द्रुस्टीगिर परिषद की स्थापना हुई। इसके सदस्य वे सब राष्ट्र थे जो जि न्यायी शक्ति की हैतियत से कार्य कर रहे थे तथा गुरुदा परिषद के स्थायी सदस्यों में से वे सदस्य थे जो न्यासी नहीं थे और इन दोनों के गमन ही गत्ता में प्राप्त गभा द्वारा इ वर्ष को भूने गये सदस्य थे। इनकी न्यासी शक्तियों द्वारा रिपोर्ट्स को प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने की गता है तथा ये प्रशासनीय गत्ता की समाह से इन प्रदेशों की जनता द्वारा की गई शक्तियों को भी स्वीकार कर गत्ती तथा परोक्षण कर गत्ती है। यह द्रुस्ट दोनों वा निरोक्षण भी पर रखती है। परिषद मनुक राष्ट्र संघ के संविधान में मनुच्छेद द४ के मनुसार एक राजनीतिक, भाषापार, नामाजिक और विद्या गत्तव्यों द्वारा द्रुस्ट दोनों की प्रणति की जानकारी के सिये एक प्रश्न मूल्यी तंत्यार करेगी और उसको न्यायी शक्तियों प्राप्तेः भरेगी। यह न्यासी समझौता के साप ही साप संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को जो भी अपीनाप राम्यों पर शायगन कर रहे हैं, चाहे वे न्यासी व्यवस्था में हो गए हों, यह सामान्य निर्देश दिया गया था कि ये—

“इस सिद्धान्त की स्वीकार करें कि इन दोनों में रहने वाले सोनों के हित ही मुख्य है और इसनिए उप्रति, न्याय, स्वतंत्रता, स्वशानन, भाषित गुरुदा, विद्या, भ्रायोग, सहयोग और अंड वडीगिर धार्दि की प्राप्ति के लिए।”

(फ्रेंचिस एस शूमेन)

और वे सम्बन्धित भावही की महासचिव को सम्प्रित करेंगे।

प्र प्रोत्य वर्ग के मैनेट्स में राजनीय विवेदन्दों पर फोरें भर्ती करने की मनाही थी और न्यासार के लिए एक द्वार रखने वा निर्देश था। किन्तु इस सब वालों पर संयुक्त राष्ट्र उप संविधान पुर है। इसलिए हम यह बहु तरह हैं कि इस गम्भीर में

यह एक पीछे हटने वाला था है। किन्तु न्यासी परिवद मैंडेट प्रायोग को तुलना में एक निश्चित प्रगति है। इस सम्बन्ध में जो प्रगति है उसकी मुहूर वाले इस प्रकार है—

- (अ) न्यासी परिवद गरकारों के प्रतिनिधित्व को एक सत्या है जो कि आपनी गरकारों के नाम पर बोल सकती है और इस प्रकार न्यासी शक्तियों को बाध भरती है। जबकि मैंडेट प्रायोग स्वतन्त्र विशेषज्ञों वी मस्मया थी और वे ऐसा नहीं कर सकते थे।
- (ब) यह न्यासी थोको वा निरीक्षण कर सकते थे जबकि मैंडेट प्रायोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी।
- (स) यह सीधे प्रायंता दब्रे ले राता या धोर इत्यादि दोनों पक्षों वा गुनने के पश्चात् एक स्वतन्त्र और निरोक्त जीव कर सकता था। मैंडेट प्रायोग ऐसा करने में असमर्थ था।

यह यह प्रगतियाँ वेवल साधारण थोको व सम्बन्ध में ही हुई हैं। जहाँ तक राष्ट्रिक महत्व के थोको वा प्रश्न है प्रो॰ शुभेन ने टीक ही बहा है कि—

“महत्व के थोको वे सम्बन्ध में परिवद की शक्तियाँ इतनी भयिक समिति धोर प्रष्टव्य हैं कि वे अर्थहीन हैं।

यह परिवर्तन इतने थोड़े और ऊपरी है कि इनके द्वारा धोपनिवेशिक जनताओं को न तो बेरोगा ही मिली है और न उन्हें समुक्त राष्ट्र सम की गतिशाला पढ़ति वी उपयोगिता में विश्वास हो दृष्टा है। नीरा के यतिरिक्त कोई भी थोक न्यासी पद्धति के अन्तर्गत स्वेच्छा से नहीं रागा गया है। यह भाष्म सभा के द्वारा एक अस्थायी समिति धोपनिवेशिक शक्तियों के बड़े विरोध की प्रेरणा भी धोपनिवेशिक शासन और न्यासी थोको के शासन सम्बन्धी महासचिव वी रिपोर्ट की जीव करने के लिए नियुक्त थी। इस समिति वी १९४७ में घोषित व वित्तमंत्र में बैठक हुई, किन्तु यह पिछो हुई जनताओं के सम्बन्ध में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न कर सकी।

समुक्त राष्ट्र सम के स्थापित होने के पूर्व ही राष्ट्र सम द्वारा स्थापित य वर्ग के गुरुद्या राज्य स्वतन्त्र हो चुके थे। वेलियम और काग ने टॉगानिवा, रोपांडी-उफांडी, टोगोलंड और कैमेरून आदि व वर्ग के मैंडेन्ट सरकार राज्यों के सम्बन्ध में न्यासी समझौते दे दिए थे तथा मास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मई गियरी और पश्चिमी सेमोआ तथा इङ्लैंड और मास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नीरा के प्रगासन के लिए १९४७ में एक सम्मति समझौता पैग विया था कि दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर जो कि ता वर्ग वा गुरुद्या राज्य था, भाष्म सभा ने निर्देश और विश्व न्यायालय के परामर्शदात्री यत के घोषणा भी न्यासी व्यवस्था वे अधीन नहीं किया। उसने पूर्णतः उसे अपने राज्य में वित्ता लिया।

शोत युद्ध प्रौर गृह-प्रतियोगिता में न्यासी परिषद में भी अपना प्रभाव जमा रखा है। प्रारम्भ में सोवियत यव ने इसका बहुतार इता कारण किया कि न्यासी दोनों के रहने वालों की इच्छाओं जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था।

प्रशान्त महासागर के केरोनीत और मरियाना ट्री-समूह जो कि गयुक्त राष्ट्र अमरीका ने युद्ध के समय जापान से जीत लिए थे, उनकी उससे शयुक्तराष्ट्र सुरक्षा-परिषद के पार्टीन् सामरिक महत्व के न्यासी क्षेत्र के हाथ में ही स्वीकार किया। इन ट्रीय-समूहों के सम्बन्ध में, उनकी के सम्बन्ध में अमरीका ने सुरक्षा-परिषद को यह घमणी तक दी कि यदि ये शतों स्वीकार नहीं थीं तो यह न्यासी समझीते के लिए जाएंगे और इन समझीतों से पूर्व की भौति हीं उनका प्रशासन किया जायगा। इन निर्देशित समझीतों के ग्रनुगार अमरीका को अपने कानून के विवेदनी करने, कोई अहुं कायम करना, स्थानीय सेना की मर्ती करना, इन दोनों को विदेशी व्यापार के लिए बन्द करने तथा राय दोनों से जो कि सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, शयुक्त राष्ट्र यव के निरीक्षण को भी बन्द करने वीं शक्ति मिल गयी।

यह इतिहास का एक निर्देश ध्यय है कि गयुक्तराष्ट्र अमरीका जो कि यव तक गुले ढार, औपनिवेशिक जनताओं के लिए स्वयं निरंतर, अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण एवं सारदाण भावि वा तबसे बड़ा समर्थक था उसी ने स्वयं इनसे पूर्ण विरोधी वस्तुओं की माँग थी। वास्तव में १९१६ के गयुक्तराज्य अमरीका और १९४५ के तायुक्तराज्य अमरीका महादृष्टि अन्तर था।

इस निवन्ध को हम ग्रो० शूर्मन ने इस कथन से भग्न कर सकते हैं—

“गदोप में, गयुक्तराष्ट्र अमरीका, जो कि बहुत दिनों से हर स्वातं पर ‘तुने ढार’ का सबसे बड़ा समर्थक था अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण, निःशस्त्रीकरण और प्रतिम रूप से स्थानीय दोनों के स्वयंसेवन आदि के लिए प्रकार का देवदूत था उसने यहीं पर सफलता पूर्वक ‘बदद्दार’ (यानी अमरीकी नागरिकों के लिए पथापातपूर्ण अधिकारिक व्यवहार) पूर्ण नियन्त्रण, संत्वीकरण और विगुद औपनिवेशिक प्रशासन की दोनों के लिए माँग की जिनके लिए वह न्यासी था। और इसी भी न्यासी को न्यासी पद्धति को पुराने प्रकार की जीत के साथ एस्ट्रल्युटा स्थापित करने का इतना माहम ही न था। यहीं पर भी सदैक की भौति दुर्जुणों ने गुणों को पापान्ड स्वयं में कर दिया। यह समझीता स्वयं ही इस थात वा यथेष्ठ टीका है कि जिस सीमा तक गयुक्तराष्ट्र न्यासी पद्धति पुरानी औपनिवेशिक में घर्ष पूर्ण परिवर्तन कर सकेगी।”

(इन्टरनेशनल पोलिटिकल, वायरल संस्करण, पृ० ३५२)

निश्चस्त्रीकरण

मन्तराधीय गान्ति और युद्ध का राष्ट्रीय नीति के एक प्रावश्यक ग्रन्थ के रूप में स्थान के पूर्व निश्चलीकरण आवश्यक है। इस युद्धोत्तर भण्डु युग में इसकी प्रावश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी अतिक्रमोक्ति उचित है। एफ० ए० ई० कू. के अनुसार—

“किन्तु इस शताब्दी में वे उन सब भौतिक बाधाओं जो कि राष्ट्रों को विभाजित करती थीं, पर विजय पाली गई है, पर घटनाएँ जो कि विश्व के कोने में होती हैं अब सम्पूर्ण विश्व की मानव जनसभ्या को प्रभावित करती हैं। युद्ध विश्व-युद्ध हो गए हैं। किन्तु साध हो साय उन यात्रिक विकास के जिनके द्वारा ये वस्तुएँ उत्पन्न हुई हैं ये भी सम्भव कर दिया है कि स्वतंत्र राज्यों का एक स्वेच्छित समुदाय को उत्पत्ति जिसमें से सामाजिक स्तरों का अन्त कर दिया गया है, अन्यथा मानव जाति वापिस अत्यन्त ही कष्ट से बदरता में हूब जायगी और यह प्रत्येक का कर्त्तव्य हो जाता है कि यथा सम्भव प्रत्येक कायं जो कि युद्ध को रोके, करे और इसका अधिकतम ध्यान रखें कि इसके द्वीय बच्चों के मस्तिष्क में न बोए जाये।”

(मरठ भैं वेज बार, पृ० ३८)

राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का यत्नान सिद्धान्त का प्रायार राष्ट्र को एक शक्ति की इकाई मानने का सिद्धान्त है पर यह शक्ति उसके शास्त्रों द्वारा निश्चित होती है। उसको मन्तराधीय समुदाय में स्थिति और महत्व उसकी संनिक शक्ति पर निर्भर है। उसके शक्ति के लाभिकरण की लंगिह शक्ति पर। उन्होंनी सम्प्रसरण का मिठान्त केवल मिथ्या कानूनों सिद्धान्त मानते हैं। मन्तराधीय दोनों स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की तथा उसकी भूमि की बाहरी प्राक्तमण से रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्र को पूर्णरूप से प्रयत्ने आपको शास्त्रों से सुसज्जित करना होता

है तथा उसका यह प्रयत्न रहता है कि उगाची संघ-शक्ति विद्य के पन्थ गय राष्ट्रों नी गम्भीर गंभीर से भी अधिक हो जाए जो कि नितान्त भगवान्त है। इसका वह प्रयत्न है कि शक्ति राष्ट्र सामियो की लोक करता है, गुट बनाता है, और इसका विरोधी किंवद्दन वही व्याख्या प्रात्म-रक्षा के नाम पर करता है तथा एक प्रतिगृह का निर्माण करता है। गुट और प्रति-गुट इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक-दूसरे के समान राष्ट्र बाए जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के चाहे वह साम्राज्यवादी हो या न हो युद्ध महत्वपूर्ण हित है जिनकी रक्षा करने के सिए वह हर प्रकार का सदूष मोस सेने के लिए सेयार रहता है। यह महत्वपूर्ण हित प्रायः प्रस्पष्ट होते हैं और इनकी विश्वय करने का वायं उस राष्ट्र के राजनीतिक्षणों पर है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी रक्षा को न हो करना चाहता है और न दूसरे के अधीन। यह अपने सभी महारों का स्वयं निर्णय करना चाहता है तथा वह अपने प्रहस्त्यपूर्ण हितों का निर्णायक स्वयं होता है। पहले यह अन्तर्राष्ट्रीय होते में भीषण भाराजवता जनसम्म करते हैं।

राज्य की शक्ति उसकी विभिन्न सेवाएँ हैं पाहे वह विश्व स्थायास्थ या विश्व सम्बन्ध के नाम पर नैतिक सिद्धान्तों का निर्माण करे या प्रचार करें किन्तु घनिष्ठ रूप में यह बेबल अपनी संघ-शक्ति पर ही विश्वास रखता है। प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिक्षण सर्व यह दावा करते आए हैं, करते हैं और वहते रहेंगे कि उनका राष्ट्र शान्तिपूर्ण है और उनका विरोधी राष्ट्र भास्त्रमण्डली एवं उनकी नीति युद्धिष्ठित है। तथा राष्ट्र भास्त्र-रक्षा के नाम पर ही युद्ध शुरू करते हैं। बेसीम साधित को स्पष्ट रूप से भास्त्र-रक्षा को राष्ट्र की श्रूमि की रक्षा गाना है किन्तु किंवद्दन भी अवहार में इसका अर्थ सदैव महत्वपूर्ण हितों की रक्षा, अपने राष्ट्रीय प्रभाव के दोनों की रक्षा या अपने विशेष प्रार्थिक हितों की रक्षा रहा है। १५८८ के हेनिल जहाजी वेटे के भास्त्रमण्ड के प्रशात् कभी भी ऐसा अवसर इतिहास में मही प्रायः जबविं इज्जतेंद की राष्ट्रीय सीमाओं को विभी विदेशी भास्त्रमण्ड का सबट उत्पन्न हुआ हो और वही राष्ट्र राष्ट्र अपरीक्षा के सिए भी सत्प है। किन्तु किंवद्दन भी इव राष्ट्रों ने प्रत्येक विश्वव्यापी युद्ध में भाग लिया है। सीमहन सिद्धान्त जितने द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार विद्या गया था कि भास्त्रमण्ड के द्वारा प्राप्त वीर्य मूलि को वैष रक्षाकरण गहीं विद्या जापाना, कभी वास्तव में जागू नहीं दिया गया और न वह चीजें से भास्त्रमण्डकरी हो होताने में ही सफल हुआ।

सुरक्षा और निश्चयीरण भी जुहायी रामस्वामी १६१६ में विश्व-सम्बन्ध की स्थापना के समय से विश्व राजनीतिक्षणों के विश्वव्यापी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये इस यात्र को समझते हैं और इसे सहमत भी है कि विश्व शान्ति और युद्ध गंभीरों के निर्णय के लिए एक यात्र के रूप में त्याग के लिए निश्चयीकरण भावस्था है और १६३८ लिए प्रति-राष्ट्रीय राष्ट्र द्वारा दृष्टिकृत गुणों की दृष्टिकृती द्वारा दर्शायक

दौचा भावन्त भ्रावश्यक है जिसके बिना निशस्त्रीकरण की आशा एक बल्पना मात्र होगी। निशस्त्रीकरण की मूलभूत समस्या राष्ट्रों के बीच में सन्देह का पूरा निराकरण है। इस क्षेत्रों में सफलता की उस समय तक कोई आशा नहीं है जब तक कि पूर्ण रूप से सामूहिक सुरक्षा स्थापित हो जाती। यह सामूहिक सुरक्षा शक्ति द्वारा स्थापित की गई रोमन शान्ति की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए किन्तु किसी अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घठन द्वारा स्थापित की गई यथार्थ शान्ति होनी चाहिए। डॉ० डब्ल्यू० अर्नोल्ड फास्टर के मनुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह—

- (म) “जो कि आक्रमण की सोचे उनके विषद् यथेष्ट निरोधात्मक सत्ता का कार्य करे।
- (ब) “जिन पर आक्रमण हो सकता है उनके लिए एक विश्वास पूर्ण गारंटी का कार्य करे।
- (स) “जिनको इस प्रकार के शक्ति प्रबन्धों में हिस्सा लेना पड़ेगा उनके लिए यह सहन करने योग्य भार हो।”

(की इन्टर्लीजेंट बैंग्स वे टू ब्रीकेंट वार प० ३८४)

ऐसे प्रबन्धों के बिना निशस्त्रीकरण सम्भव नहीं है और न राष्ट्रों में सुरक्षा की भावना ही उत्पन्न हो सकेगी।

निशस्त्रीकरण की समस्या यद्यपि सदैव रही है किन्तु उसको सुलझाने के लिए प्रयत्नों को हम दो स्पष्ट युगों में विभाजित बर सकते हैं पहली राष्ट्र सघ के प्रन्तगत द्विगत शस्त्रों की। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी का निशस्त्रीकरण करते समय मिश्र राष्ट्रों ने एक ग्रस्पष्ट विश्वास दिया था कि वे स्वयं भी भविष्य में निशस्त्रीकरण करेंगे। नौसेनिक शस्त्रों को होड को बन्द करने के लिए १६२१-२२ में वाशिंगटन नौसेनिक सम्मेलन चुनाया गया था। इसको नौसेनिक शस्त्रों को भाविक रूप से सीमित करने में सफलता भी मिली थी। ब्रिटेन, अमरीका और जापान को युद्ध के बड़े सामरिक जहाजों के सिए १० : १० : ६ का अनुपात निश्चित हुआ था तथा खोटे जहाजों में समानता दी गई थी। कान्स और इटली वो ३ , ५ का बड़े जहाजों में अनुपात दिया गया था। किन्तु इस सम्मेलन और इसके द्वारा किए गए समझौते को हम निशस्त्रीकरण की ओर कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं मान सकते। यह शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में नौसेनिक प्रतियोगिता का घन्त करने के लिए तथा उन पर सीमाएँ लगाने के लिए हुआ था। १६२६ का नौसेनिक सम्मेलन पूर्णरूप से भ्रसफल रहा जबकि १६३० के संदर्भ नौसेनिक सम्मेलन ने उपरोक्त निश्चित राष्ट्रों के मध्य में १० : १० : ७ : ६ : ६ का अनुपात रखायित किया था। १६३६ से १६३२ तक निशस्त्रीकरण सम्मेलन

राष्ट्रों के मध्य में भीपहुंच राष्ट्रेहारणक प्रवृत्तियों के बारहा पूर्णरूप से अवश्यक रहे। फ़ास्स ने प्रत्येक समय पर निश्चालीकरण या धन्त्र सीमित करने से इस समय तक के लिए इच्छार पिया जब तक कि सामूहिक गुरुदा भी कोई विश्वासनीय व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है।

१९७० की हार के पश्चात् फ़ास्स और जर्मनी में घटु प्रतियोगिता और भीपहुंच जारी हुआ। जर्मन फ़ास्स के भ्रष्टपित्र भय और भास्त्र धिक ग्रामान के स्मरण ने फ़ास्स को गुट बनाने और पूर्णरूप से निश्चालीकरण करने के लिए बाध्य किया था। वह किसी भी दशा में निश्चालीकरण के लिए तत्पर नहीं था अब तक कि विटेन दिशेष रूप से और दूसरे राष्ट्र सामान्यतः उसकी गुरुदा भी गारन्टी नहीं कर देते हैं। जब १९१८ के पश्चात् जर्मनी का पूर्ण निश्चालीकरण कर दिया गया और वह विश्वास दिया गया कि भिन्नराष्ट्र भी शोध ही निश्चालीकरण की ओर कदम उठायें तो जर्मनी ने १९२७ में राष्ट्रग्रन्थ की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् इस बात की निरन्तर मांग की कि तब राष्ट्र निश्चालीकरण को अपनाएँ। १९३२ के निश्चालीकरण सम्मेलन में सोवियत दूत लिटीविनोव ने सम्भवतः अत्यधिक निश्चालीकरण की योजना को सम्मेलन के समय रखा था और पश्चिमी राष्ट्रों को एक छुनौती दी कि यदि वे इह योजना को स्वीकार करें तो सोवियत संघ भी पूर्ण निश्चालीकरण की नीति को प्रयनाएगा। पश्चिमी राष्ट्र इस छुनौती को स्वीकार करने से ढरते थे क्षीरि निश्चालीकरण द्वारा सेनिक शक्ति का अन्त होने पर उसका प्रस्तित्व साम्यवादी दलों के दृष्टीय विवर रूप की दशा पर निर्भर रह जाता। सोवियत संघ की इस योजना की स्वीकृति से महत्वपूर्ण साम होता और इस योजना के पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा दृढ़-राए जाने पर महत्वपूर्ण राजनीतिक एकूटनीतिक साम हुआ ही। पन्तरराष्ट्रीय ने जो कि सोवियत संघ की इस योजना में निहित उहैश्यों की समाजने के लिए प्रयोग था पश्चिमी राष्ट्रों और उनके निश्चालीकरण को न प्रयनाने की नीति भी बही प्राप्तोद्धता भी। हिटलर के उदय ने उस निश्चालीकरण सम्मेलन और समय निश्चालीकरण प्रयत्नों का द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक के लिए प्रकृत कर दिया।

निश्चालीकरण के यांत्र दूसरी पहल्यपूर्ण थापा प्रत्ययात्मकी है। विन शस्त्रों से रक्षा जाए और विन शस्त्रों पर निरेप संग्राम जाए यह इस पर निर्भय करता है कि धारा विनकी रक्षा और विनको धारामण के शस्त्र मानव है और भी इन दोनों मध्य में सीमा निश्चित नहीं कर सकता है। किर पह शास्त्र सम्बन्धी प्रस्तो वा निर्णय करने के लिए सेनिक ध्यतियों को नियुक्त किया गया था और विसी ने यह ढोक ही १९३२ का निश्चालीकरण सम्मेलन का बर्णन करते हुए कहा है कि यह शास्त्रों का शास्त्राहारी भोजन भी दायत थी। इस सम्मेलन में पांच ही प्रतिनिधि वा विश्वास था वि ई और अन्तुद्दिया रक्षा वि हिं आदर्श रक्षा ही यह कि

ब्रिटेन के प्रतिनिधि इनको आक्रमणकारी शस्त्र ममफले थे। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन हजर्वैट के अनुसार सामरिक हवाई जहाज, बड़ी, लोगें, टैक और जहरीली गैस आक्रमणकारी शस्त्र थे और अन्य सब रक्षा के लिए आवश्यक थे। विशेषज्ञों की यह वहस कितनी हास्यास्पद थी यह तो इससे प्रतीत होगा कि किसी भी शस्त्र का आक्रमण व रक्षा के लिए उचित होना उस शब्द पर नहीं बल्कि उसके शस्त्र को प्रयोग करने वालों पर होता है। यदि यह मान लिया जाय कि चाकुओं के अतिरिक्त और सब शस्त्र नियेष भी हो जाएं तो भी चाकु आक्रमण एवं प्रात्यर रक्षा दोनों के लिए समान रूप से दुष्योग में आएंगे। समस्या यह नहीं है कि हम शस्त्रों की प्रतिदृष्टिता को रोकें या सीमित करें न यहो है कि हम आक्रमण और रक्षा के शस्त्रों की सोज उत्पादन और उपयोग को नियेष विवाद ही करें किन्तु विनाशकारी शस्त्रों के सम्बन्ध में बेवल सेहानिक वाद-करने की है और यह सामूहिक विनाश के शस्त्रों के सम्बन्ध में और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। आविष्कारकों और वैज्ञानिकों का इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक ऐसा कानून का इस सम्बन्ध में वाधन है कि—

“वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में लाने से जो युद्ध के शस्त्रों की शक्तियों में बढ़ि हो रही है इसको वैज्ञानिक ज्ञानते हैं और उन्हें उनकी सामाजिक उत्तर-दायित्व की भावना के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान के इस दुष्योग का विरोध करना चाहिए।”

(मस्ट बेन बेज बार, पृ० ६२)

तत्पश्चात् निश्चिकरण-निरीक्षण थी समस्या है। वर्तमान सन्देहात् मान अवस्थायें तथा प्रभुसत्ता के अस्तित्व के कारण निश्चिकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं है। नोमेनिक दोष में यह फिर भी सरल है और समय-समय पर यह निश्चय भी लिए गए हैं कि बेवल निश्चित ठन भार के ही जहाज बन सकेंगे और उन पर किस माप की तोड़े लगाई जावेंगी किन्तु भूमि और हवाई सेना के निश्चिकरण के क्षेत्र में ऐसा करना कठिन है। १६३२ के निश्चिकरण सम्मेलन में ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित योजना में हवाई निश्चिकरण के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध थे—

(अ) “सामरिक और नोमेनिक हवाई जहाजों का पूर्ण रूप से नियंत्रण और जो कि नागरिक हवाई जहाजों के सेनिक कार्यों के लिए दुष्योग को रोकने के लिए उचित निरीक्षण पर निर्भर करता है।

(ब) “यदि ऐसा उचित निरीक्षण को प्राप्त करना असमर्थ मिछ हो तो इस बात का निश्चय करना कि प्रत्येक समझौते वे पक्ष को दिनने हवाई जहाजों की जहरत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्तरदायित्व और प्रत्येक परिस्थितियों दो घ्यान में रखते हुए होगी।

प्रत्येक आमुनिंव राज्य के पास यहूत यही सत्य में साधारण हथाई जहाज होते हैं जिनको याज सरलतापूर्वक संनिक पार्थ के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इन पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण का प्रबन्ध करना प्रायः असम्भव है। राष्ट्र द्विपदी पा यहूपदी इस सम्बन्ध में समझौते लो बरते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध द्वारा कोई सामान्य समझौता नहीं करते। १९३५ में हिटलर के शक्ति में घाने के पश्चात् डिटेन द्वारा वसायी सीमित भी शर्तों के विद्वान् भी जमीनी द्वारा डिटेन की नोमेनिक शक्ति का ३५ प्रतिशत भाग तथा पाहुमिद्वयों में समानता का घणितार देना पड़ा था।

निशस्त्रीकरण मामेसनो द्वी प्रगपलता का इतिहास वा अन्त राष्ट्रसंघ के राष्ट्र ही हो जाता है। समुक्त राष्ट्र संघ के सामने भी समस्या है और यह भी याज कक अगु या परम्परागत शास्त्रों की सीमित बरते में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। २४ जनवरी १९४६ द्वी समुक्त राष्ट्र संघ की भाग सभा ने समुक्त राष्ट्र संघ के अलू शक्ति भायोग वी हथापना की जो कि अलूशक्ति वी समस्यामो द्वो इस बरने का प्रयत्न बरेगा। इसका पार्थ क्षेत्र निम्न प्रकार था—

- (प) "सब राष्ट्रों के भव्य में भूलभूत वैज्ञानिक सूचनामो का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों में लिए चालान-प्रदान वा विकास।"
- (व) "उस सीमा तक अलू-शक्ति वा नियन्त्रण जो कि इसको शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाय में लाने के लिए प्रावध्यक है।"
- (स) "राष्ट्रीय भरभों में से अलू-प्रसव और वे सब छोड़ प्रसव जिनको कि सामुनिंव विवाह के लिए उपयोग किया जा सकता है, अन्त करना।"
- (द) "निरीक्षण तथा दूसरे साप्तो द्वारा जो राष्ट्र इन प्रबन्धों द्वी स्वीकार करे उनके इन शर्तों के मान बरने के विद्व शुरवा।"

समुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत निशस्त्रीकरण प्रयत्नों के पाहुते युग में १९४६ में १९१८ तक अलूशक्तियों द्वी नियन्त्रित करने का समुक्तराष्ट्र भरभोका के प्रस्ताव के आधार पर एक प्रयत्न दिया गया था। अलूशक्ति भायोग वी प्रधम बैठक १४ जून, १९४६ में समुक्त राज्य भरभोका वी सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय अगु विवाह कर्ता वी उत्पत्ति के लिए जो कि अगु शक्ति के विवाह एव उपयोग के विभिन्न रूपों से सम्बन्धी होने के लिए एक योजना रखी। जिसको भाग तीर से अहं-योजना वहा जाना है जो राष्ट्र इन गत्ता के अधिकारी द्वी भव बरें उनको सरकार दन्द देने के महस्व पर और दिया गया और समुक्त राज्य भरभोका के प्रतिनिधि वी बर्नाड बर्ल्स ने यह घोषणा वी कि—

"उनकी रक्षा में लिए दियेपायिकार वी शक्ति नहीं होनी चाहिए जिहेने ति

मध्यनी भ्रण्युशक्ति को इन आविष्कारों को विनाशकारी उद्देश्यों के लिए विकास या उपयोग में न साने के समझोते को भग बिया है।"

पाँच दिन पदचात् तोविषयत सम ने अभिक योजना रटी जिसमें भ्रनुसार भ्रणु-शस्त्रों के उपयोग और उत्पादन को एक अन्तर्राष्ट्रीय समझोते के द्वारा बन्द किया जाना था। इसके भ्रनुसार योजना के प्रारम्भ होने से ३ माह के अन्दर सब भ्रणु शस्त्रों का विनाश होना था।

समुक्तराज्य अमरीका ने भ्रण्युशक्ति से सम्बन्धित घटनी वैज्ञानिक जानकारी को विश्व के दूसरे राष्ट्रों को बताने से उस समय तक के लिए इन्वार बिया जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण के लिए कोई उचित ध्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। दूसरी ओर सोवियत सम पहले सब भ्रणु शस्त्रों का विनाश चाहता था और तब अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण एवं निरीक्षण के लिए ध्यवस्था। सोवियत सम अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के विरुद्ध या तथा अमरीका भ्रण्युशस्त्रों के विनाश के विरुद्ध। समुक्तराज्य अमरीका का इस अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता को भ्रणु सम्बन्धी सूचना देने के बारे में यह शब्द भी थे 'सोवियत प्रबन्धों के भ्रनुसार।' वास्तव में इमका प्रथम यह हुमां ने समुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा रायुक्त राज्य अमरीका की बायेंसे पैसा भ्रणु उन्नित सम्बन्धी सूचना को देने या न देने की अनिम सत्ता होती। यह भ्रण्युशक्ति घायोग योजना और उनमें परिवर्तनों पर १९५० तक सफलता पूर्वक बाद-विवाद परता रहा। इस घायोग को १९५० में कुछ बास के लिए स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार नियन्त्रणकरण के दोनों में रान्देह से एक बार किर बुद्धि पर विजय पाई।

करवरी १९४७ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम्परागत शस्त्रों के नियन्त्रण के लिए भी एक घायोग स्थापित किया था। सितम्बर १९४९ में सोवियत सम ने यह प्रस्ताव रखा कि गुरदा परिषद के स्थापी सदस्य प्रारम्भ में एक वर्ष में अन्दर घटनी बत्तमान स्थल, जल और वायु सेनाओं में एक तिहाई कमी कर दें, जिन्हे परिचमी राष्ट्रों को सोवियत सम ने अविश्वास हीने के बारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। भ्रण्युशक्ति के उदय के बाद परम्परागत शस्त्र येकर हो गए हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस मुद्दोत्तर विश्व में यह किसी एक राष्ट्र की गति और साधनों के बाहर है कि वह घण्टे को एक गुड़ के लिए गुसाजित कर गये। यह तो ऐसा एक राष्ट्रों पे गृह द्वारा ही सम्भव है। इस गृह के छोटे सदस्य घावश्वर सनिज पदार्थ और यहे सदस्य वैज्ञानिक जानकारी तथा घन की ध्यवस्था करते हैं और उन दोनों के सहयोग से ही भ्रण्युशस्त्रों की उत्पत्ति सम्भव है। बत्तमान शीतलुद्ध के बाताइरण में दोनों पक्षों की ओर से यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि भ्रण्युशक्ति ने नियन्त्रण के लिए या जनैः जनैः नियन्त्रीकरण में लिए किसी भी प्रकार का समझोता सम्भव है। इस सम्बन्ध में केवलीन सौराहेत सिखती है—

"मैं यह नहीं कहती वि यह जानें: जानें: वाली प्रणाली निराशाजनक है या इसकी ईशानदारी से यदि पूरा किया जाय तो सफल नहीं होगी। किन्तु मुझे जो निराशाजनक प्रतीत होता है यह यह है कि इसकी शक्ति राजनीति के साथ-साथ अपनाने का प्रयत्न तथा जानवूभवकर बर्मन और जापान में पुनः शहरीवरण को प्रोत्साहित करने की नीति तथा महान शक्तियों की ओर से धर्म परीकालों को बदल करने और एक शत्रु-विराम संघि का प्रयत्न करने की धारा से धर्मिता और सबसे धार्घिक रूपों में सैनिक प्रशिद्धाण और विचारधारा को यना रखना, सेनाओं के द्वारा तथा सापारण्णलः प्रचार के राज राजनीति द्वारा, यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है और इसी भी महावृ शक्ति के पास में इस अवृद्धि का छेका नहीं है।"

(इज् षोस पोसिडिन शू० १०५)

युद्धोत्तर निश्चालीकरण का दूसरा युग १९४६-५२ तक चा है। इस युग में कोई भी टोक बार्य नहीं हुआ। दिसंबर १९५१ में एक नये निश्चालीकरण प्रायोग यी स्थापना हुई जिसने कि धर्मशक्ति प्रायोग के रखने पर बायं शुल किया। यह भी अपने बायं में पृष्ठंत, भ्रसफल रहा। यहीं पर यह बात ध्यान में रखनी है कि इस युद्धोत्तर युग में धर्मिक जोर शरनों से रामूहिक उपयोग तथा उनके सीमित करने पर है न कि उनके पूर्ण रूप से विनाश करने में। १६ मार्च १९५१ को अंतर्राष्ट्रीय ने सोवियत गण की नीति को विश्व तानावों को बदल करने के उद्देश्य से शान्ति की राह प्रनाली। इसके फलस्वरूप बैलोरियन जीटिन जो कि तायुबत राष्ट्र की राजनीतिक समिति पर सोवियत प्रतिनिधि थे, एक प्रस्ताव रखा और इसके अनुसार निश्चाली-वरण प्रायोग को 'एकदम उत्तम ध्यावहारिक प्रबन्धों' का धर्मदान करने के लिए पहली गया जिसने कि शरनों को पढ़ाने का बायं हो सकता है। इस प्रस्ताव के गुरुत्वा परिपद के स्थायी सदस्यों को इस बात पर सहमत होने के लिए बहा कि, धर्मशक्ति, बैलोरियन और दूसरे रामूहिक विभागों की शरनों पर पूर्णता से प्रतिवर्ष्य सत्ता दे तथा वहाँ धन्तार्याद्यों नियन्त्रण इनकी साथू हरने के लिए स्थापित करने को बहा। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रायोग को तायुबत राष्ट्र सभा की प्रपनी रिपोर्ट १ जुलाई १९५३ तक देना प्रायदर्श ही। १९५३ से १९५५ तक युद्धोत्तर निश्चाली-वरण का तो सदा युग रहा है। सोवियत राजनीति में धर्मदान सा जाने से तथा धर्मदेव युग के प्रारम्भ में सोवियत नीति एकदम परिवर्ती राष्ट्रों के प्रति बड़ी हो गई और इस युग में निश्चालीवरण प्रायोग को प्राप्त: कोई महत्व नहीं दिया गया।

१९५५ से १९५७ के मध्य तक जब कि सोवियत संघ ने उपग्रह का विमर्श किया था; को हम युद्धोत्तर निश्चालीवरण का चोपा युग नहीं रखते हैं। जुलाई १९५९ में संयुक्तराष्ट्र निश्चालीवरण प्रायोग की बैठक में परिवर्त तथा सोवियत दृष्टिकोणों में

भास्मजस्य न हो सका। राष्ट्रपति आइजनहावर और सोवियत प्रधान मंत्री मार्गेल बुलगानिन के मध्य में एक लम्बा पत्र-व्यवहार जून १९५६ से जनवरी १९५७ तक चला किन्तु इस पत्र व्यवहार का भी कोई ठोस परिणाम न हुआ। संयुक्तराष्ट्र सर्व की प्राप्त सभा ने एक मत से अपने ११ वें अधिवेशन में निश्चलीकरण आयोग को यह निर्देश दिया कि वह अपनी लम्दन उपसमिति का शीघ्र ही मम्मेलन करे ताकि यह शपनी रिपोर्ट निश्चलीकरण आयोग को पहली अगस्त १९५७ तक दे हो दे।

यह लम्दन उप समिति १८ मार्च १९५७ को बैठी और यह अपना सोविचार मई के मध्य तक करती रही। किन्तु यह भी विशी निर्णय पर न पहुँच सकी। इस समिति से निम्नलिखित बातों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था—

(प्र) राष्ट्रपति आइजनहावर की 'खुले प्राकाश' की योजना अर्थात् हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण कद्दों की सोवियत योजना।

(ब) स्वतं निरीक्षण कद्दों की सोवियत योजना।

(स) कनाडा, जापान और नार्वे की यह प्रारंभना कि अणुग्राह के परीक्षणों की स्वतं राष्ट्र सर्व को पूर्व सूचना दी जाय।

(द) अमरीका की यह प्रारंभना कि मन्त्र भारतीय निर्देशित भौतिक भी भविष्य में निश्चलीकरण अथवा शस्त्रनियन्त्रण योजना में सम्मिलित करना।

यद्यपि इसे सर्वप्रथम सोवियत सरकार ने हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण की योजना को अपना लिया था और द्वितीय सरकार ने भी अणुग्राह के निरीक्षण को पहले से संयुक्त राष्ट्र सर्व के पास सूचना देने पर जोर दिया था, किन्तु किर भी लदन मम्मेलन पूर्ण या आणिक निश्चलीकरण के दोष से कोई भी सफलता प्राप्त न कर सका।

खुशेव द्वारा मार्गेल बुलगानिन को विस्थापित किये जाने पर वर्तमान मुदोत्तर निश्चलीकरण इतिहास का आरम्भ होता है। ३१ मार्च १९५८ को मि० खुशेव के प्रधान मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद सोवियत विदेश मंत्री मि० ग्रिभिको ने मुद्रीम सोवियत के सम्मिलित अधिवेशन में भागणा देते हुए कहा—

"मार्गी परियोग यह प्रस्ताव करती है कि सबसे पहला पर सोवियत सर्व का एकपक्षीय सब प्रकार अणुग्राह के परीक्षण को बन्द करना इस आशा से होगा कि द्विटेन और अमरीका भी जामिल हो जायें।

"..... अणु विस्फोटो का भन्त करने के पक्ष में हृष्ट हृष्ट से घोषणा करते हैं कि हम इसको अपना मूल्य उद्देश्य समझते हैं कि दूसरी शक्तियों के साथ एक समझौते को करना कि सब प्रकार के अणु और उद्जन शहरों को विनाश करने के आधार पर उनका उत्पादन तथा वर्तमान भवित्वों का पूर्ण विनाश और साथ-साथ आवश्यक नियन्त्रण।"

यह एक साहम पूर्ण पग निश्चलीपारण के दोष में था । १ प्रब्रैन १६५८
पो गंगुक राज्य प्रभारीदा वे राज्य मन्त्री श्री इसेंग ने सोविष्यत दिदेश मन्त्री के
यत्तत्त्व को रेखा प्रधार घोर शूटनोटिक कदम कहकर आसोचना थी । उन्होंने यह
भी कहा था कि गंगुक राज्य इसका अनुकारण करके अगु परीक्षण बन्द नहीं कर
सकता क्योंकि—

“यह मावश्यक है कि स्थित्यन्व राष्ट्री पो अपने भाक्रमण से रथा के सिए जो
मावश्यक योग्यता है उसका प्रयत्न करना था उसे काम में न करना ऐसा
सोविष्यत इरादो वी धोपणा पर विश्वास करके जिसके राम्यन्ध में पता करने
को एक व्यवस्था नहीं है जिसका युद्ध स्वयं से लोटा भी जा सकता तथा
जिसमें इच्छानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

यह यत्तत्त्व और प्रतिन्यतम्य स्पष्ट स्वयं से गिर्द करते हैं कि विष्व की इन
दोनों महान् शक्तियों के मध्य में जिसका अधिक सम्बद्ध है । जब तक यह सम्बद्ध रहेगा
तथा यही इष्टिकोण अपनाया जायगा तब तक गंगुश्लोकों वो सोमित गया उन्होंने
निश्चित करने वी कोई विशेष आशा नहीं है । हमने यह विस्तार में देता है कि
निश्चलीकरण भी समस्या यत्तमान गम्य में किसी प्रकार से उसभी हुई है । इससिए
हम नह गर्ना है कि गंगुक राष्ट्र सव का भविष्य और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की
स्थापना के सिए प्रक्रमता रखने में है ।

विश्व शान्ति की समस्याएँ

विश्व शान्ति की समस्याओं को समझने के लिए यह ध्यावध्यक है कि सब प्रथम हम राष्ट्रीय प्रभुत्वा के अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर प्रभाव की देखें। इसका बर्तमान सिद्धान्त विश्व शान्ति की राह में सबसे महिंगा बाधक है।

शान्ति के पुनर्जन्म द्वारा प्रेरित होकर तथा चर्च में सुधार के द्वारा सामन्तवाद की राज्य पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। एक वही राजनीतिक इकाई का अध्यकालीन सिद्धान्त जिसमें कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं का समावेश होता था, का स्थान एक राष्ट्रीय राज्य ने से लिया और प्रभुत्वा के सिद्धान्त ने भी राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त से साध्य स्थापित किया। प्रायः स्वशासित विभिन्न इकाइयों वे स्थान पर प्रधुतिरूप बाल में एक वेन्ड्रीय राजनीतिक गता वा प्रारम्भ हुए जिसने कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता का हृष्ट लिया। इसके सम्बन्ध में सबसे पहले निझोली नेत्रियावली ने निराप है तथा श्रीहिन, बोदो और हाम्स ने इसकी परिभाषा की है। प्रभुत्वा वो इसके भनुतार अविभाज्य, पदेय तथा राज्य में सर्वोच्च सत्ता माना गया है।

राष्ट्रीयता के युग के प्रथम चरण में इस प्रभुत्वा को राजा के व्यक्तित्व में निहित किया गया था जो कि दैरी भविकारों के भनुतार भासन करता था। इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राजाओं के अन्तर्राष्ट्रीय सूप एवं भम्भेन्नों के द्वारा पूँजि निए जाते थे और राष्ट्रकुलों के हितों द्वारा निर्देशित होते थे तथा व्यावहारिक सम्बन्धों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सचालित होती थी। इस युग की प्रभुत्वा को हम सुझ १४ वे के शट्टों में इस प्रकार कह सकते हैं 'मैं ही राज्य हूँ'। इसके प्रारंभिक भाग को यालिजवाद (Mercantilism) ने प्रभावित तथा निर्देशित किया था। इसी चरण मध्यकालीन भावार की सर्वीलं तीमाएँ टूट गई और इसने राष्ट्र को एक पारित इकाई बना दिया था। इस काल में व्यावारिक युद्ध राष्ट्रीय नीति के व्यवहार पर गया गए थे जैसा कि बोलदाटे ने कहा है—

"ध्यापार धन का सोत है और धन मुद्रे के लिए महत्वपूर्ण मायु है।"

(६० एकः हितचर—महेन्द्रादित्यम् २, १७)

नेपालियन व उथल-युद्धव के पश्चात् राष्ट्रीयता के मुगे के द्वितीय घरणे वा जन्म होता है। हसा जो कि ग्राम्यनिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का निर्माता था, न राजनीतों की मतुदाता के सिद्धान्त वा प्रस्तोकार विद्या तथा राष्ट्र का जनता के साथ समीक्षण दिया। इस मुगे म (१८१५-१८१६) राजनीति और ग्राम्यक शक्ति के बीच में स्वतन्त्र ध्यापार और अस्तुदोष की नीति के बारण भेद हो गया। इन्हें न इस मुगे म विषय की ग्राम्यक नीति का निर्देशित विद्या तथा सोमवार्द मासे ने एक घटनाराष्ट्रीय ग्राम्य संगठन का रूप पारण दिया। (गल्टर बैगहाट, ग्लोमबार्ड स्ट्रीट) राजनीति व धोके में राष्ट्र वा प्रजातन्त्रीयवरण ने राष्ट्रीय प्रमुखता के मिट्टान्त एवं घघिरारों को ग्राम्यक ग्रनियन्ति बनाने में सहयोग दिया।

ग्रीडान व पश्चात् जयंती के उदय होने के पारण ग्रिटिंग नीर्वातिक और ध्यापारिक मर्दोंचता का एक बड़ा ननोगी उत्पन्न हो गई और यिटेन की घन्तराष्ट्रीय ग्राम्यक निर्देशिता का प्रथम महायुद्ध न घन्त दर दिया। इस महायुद्ध के राष्ट्रीयता के होगे चरण को जन्म दिया जिसमें कि राष्ट्रीय ग्राम्य निर्णय के घघिकार ने विश्व का ६० से ग्राम्य प्रभुना माध्यन राष्ट्रीय राज्यों में विभाजित कर दिया। उन्नामवी जनार्दन की प्रबातन्द्रीय राष्ट्रीयता का स्थान २० वी शताब्दी की ग्राम्यक राष्ट्रीयता ने ते लिया और इसने नोइक्स्यउण्डारी राज्य के सिद्धान्त वा जन्म दिया तथा इस सिद्धान्त द्वारा निर्दिष्ट ते समिय राज्य को और यरिकतेन भी प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय राज्य के बाये राजनीतिक व ग्राम्यक दोनों हो गए तथा विश्व की ग्राम्यक एकता नष्ट होनेर और इसके स्थान पर विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों ने जन्म निया। घन्तर महायुद्धीय दूस मे (१८१६-१८) जो सपर्द यादा जाता था और जिसने इसे घन्त मे एक विश्व युद्ध का रूप पारण दिया राष्ट्र के समाजीकरण, विष्य के विभाजन और जिगको प्रो० ६० एच० कार ने "ग्राम्यक नीति का राष्ट्रीयता" भरा है, वरिष्ठाम था। इस जनार्दन के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय नीति मे एक नए तत्व का समावेश होना है और गृह तत्व समाजवाद है और इसके वरिष्ठाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रमुखता के मान्वारिक कार्यों मे किर तो सबै जनार्दनारी दृष्टिकोण का उदय हुआ। पूर्ण युद्ध के इस मुगे मे प्रध्येक राष्ट्र को आहे उपरा राजनीतिक संगठन विग्री भी प्रकार का हो बस से बस युद्ध बाल मे सर्वाधिकारी व्यवस्था अपनानी ही होगी, राष्ट्र सामे पूर्ण रूप मे सेनिर निविर बत जाने है तथा व्यक्ति प्रश्यन्त ही नगच्छ हो जाता है। भद्र १८४० मे गगद द्वारा ग्रिटिंग सरकार को यह ग्राम्यकार दिया गया कि वह भाषा द्वारा भाव व्यक्ति घाने हो, यानी सेवायों को और घघनी सम्पत्ति को संग्राम को इस्ता पर गमरित कर देने हो वाप्त कर नकही है। यह ग्राम्यकार युद्ध का समाजा

पुर्व गणनात् परने के लिए दिया गया था। गंभीर राजीव शासनियों ने इतन्हीं विवाहातांग को भी ऐसे अवृद्धिकारी नियम बनाने पर ध्याय कर दिया था। यह राजीवता तथा दण्डवत्ता के सम्बन्धमें का प्रश्नाम है।

दिन गणगता का यह ता परोन जो कि विद्यार्थी द्वारा संभित हुआ
ता राष्ट्रीय प्रभूगता की चढ़नी पर त टक्कर टक्कर दृट रहा। राष्ट्रीय व्यतिगत राष्ट्री
यीर धातराष्ट्रीय व्यवस्था त गध गालवाद स्थापित करने त धमाय रहा। त तो
इने गांग धातराष्ट्रीय मत्ता भी और त यह धातराष्ट्रीय युविमार्ग का ती कार्य कर
पाता था। युद्ध राष्ट्रीय नीति का एक गहलपूर्ण घटन यह रहा और राष्ट्र ने गहल-
पूर्ण हित जो कि यथात ही गहलपूर्ण थे लिए इसका प्रयोग हुआ। धातराष्ट्रीय
गांमित रथापित करने, धातराष्ट्रीय गप्पों को नियमने। युद्ध द्वारा बदल तो आएने
मेर तिश्वरीकरण यथात यावश्यक है। राष्ट्र गधे प्रारम्भिक युग मेर १६२१-२२
मेर नार्विकाटन नीमित गांमित को नीमित छत्ता था। धार्मिक इष्ट से धीमित करने
मेर बुद्ध धर्मता तो गिरी विज्ञु इग्न नियात के तिश्वरीकरण गम्भीरों वी राष्ट्रीय
पुराका की गमत्या और राष्ट्रीय गध गधह त कारण बोई गमता न मिल गवी।
बोई भी राष्ट्र तथ निश्वरीकरण प्रारम्भ नहीं बरना चाहता था अवरि यह दूरसों रो
निश्वरीकरण वी खाला रखता था। इसी सापार तर १६१८ न विजेताओं न जानी
और उनक गांमित वा युद्ध तिश्वरीकरण तथा यहें एव धर्मपूर यादा भी
निया कि वे रथ भी भीष्म ही तिश्वरीकरण न रहे। कामन प्रथमेक धर्मपूर पर निश-
वरीकरण थीर गांमित गालगा भी चार्ट मेर उस गमय तक मेर तिए भाष्ट निन ते
इन्होंने जय तक कि दिटेन विजेता दूरे राष्ट्र गालगयत, उसी रक्षा गारही
मही देने हैं और एक दुर्गमित उद्देश्य गमय पर तही निया। जब उद्देश्य निया ग्री
तो बहु देर हो चुकी थी।

इस राष्ट्रीय प्रभुता के सिद्धान्तों ने प्रस्तुत राष्ट्र को इस बात वाध्य किया है कि यह भारतीय जनता के गुणविकास का उद्देश्य और उपर्युक्त राष्ट्रों के सम्मिलित गुरुकायते में स्वयं भी व्यापिक अस्तित्वाभी हो जाए। यह भारतीय गता को भीगित करने का विरोध न रखता है। यहाँ गंधीजी का स्वयं निष्प्रियक होना चाहिता है तथा भारतीय भावरूपों द्वितीय का रसाक होना चाहिता है। यह भारतराष्ट्रीय दोनों में स्वयं व्यवस्थाएँ नहीं आना है जबकि राष्ट्रीय दोनों में यह व्यवस्थाएँ पर छोर देना है और उन्हें बनाए रखता है।

प्रत्येक राष्ट्र मानवता के गमन सारणी के अधिकार को एक सावधान अधिकार मानता है। यह सारणी का विवर राष्ट्र की भौगोलिक गीयांशों का इसके अधीनस्थ हास्यों का ही भौगोलिक हास्य है। इसके द्वारा अनुमानित प्रभाव धन्ति, एकात्म पादिक शब्दों और विशेषज्ञानी सार्वजनिक हितों का भी गैरीगी हुई है। पारंपरिक

काल में विटेन और अमेरीका ने जितने भी युद्धों में भाग लिया है उनमें से किसी में भी उनकी राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राप्तमण नहीं हुआ। इन युद्धों में भाग लेने वा मुद्द्य कारण उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित या उनकी राष्ट्रीय प्रभवता पा। प्राप्तमण को रोकने के लिए जितने भी प्रबन्ध किए गए हैं वे सब राष्ट्रीय हितों के समक्ष असमर्थ रहे हैं, जैसे कि स्टिन्सन सिद्धान्त, नव-शक्ति-संधि (Nine-Power Treaty), सोसानों रामझोते तथा फैसोग सन्धि आदि।

सामूहिक सुरक्षा की जो धरवस्था राष्ट्र सम के संविधान द्वारा की गई थी वह ध्यदहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्तियों के विचार प्रतिलिपि नहीं की जा सकती थी। राष्ट्र सम के पोर्टेंट और लियुप्रानिया तथा ग्रीष्म और बलगारिया के मध्य से समर्पण करने में मुद्द्य मफलता प्राप्त की थी। किन्तु यह ईयोरिया पर इटनी के प्राप्तमण को तथा चीन पर जापान के प्राप्तमण को रोकने में सफल रही। इसका एक मुद्द्य पर यह था कि शक्तिगानी राष्ट्रों ने मन्तरराष्ट्रीय हितों के स्थान पर प्रयत्ने राष्ट्रीय हितों को या अपने राष्ट्रीय सम्मान को गंदंव अधिक महत्व दिया और इमीलिए लकाल इटनी को ईयोरिया वेच सका तथा मुसोलिनी जर्मनी द्वारा प्राप्तिया सीप गवा और जंगरलेन वेसोस्लोवाकिया द्वारा घमडा कर प्राप्त विनाश के लिए वास्त्य कर दिए। वेन्ट्रीय योरुप के द्वाटे घोटे राज्य इस प्राप्तमणशारी जर्मन राष्ट्रीयता की बाद के समय प्रयत्ने को पूर्णतः प्राप्तमण पा रहे थे किन्तु किर भी उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के लिए खोई विशेष प्रयत्न न किया। राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्राप्तियों विशिष्ट के समान रण बदलते हैं और किसी भी नीति में ऐसी सरकता से परिवर्तन कर लेते हैं जैसे कि हम पुराने कपड़े को उतार कर कोह देते हैं। इसका एक प्रमुख चदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा पाने के उद्देश्य से फार्मा की साम्यवादी रूप से मित्रता स्थापित करना थी। यद्यपि मन्तर महायुद्धीय पुण में खुली भूटनीति एवं तुकी संग्रियों को प्रयत्नने वा मिदान्त राष्ट्रों न उपर से मान लिया था किन्तु किर वे निलंउत्ता पूर्वक प्रयत्ने राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए प्राप्तमण में भूमि और भागी वा प्रदल बदल करते रहे। सामूहिक सुरक्षा के वे सब प्रयत्न अपर्यं सिद्ध हुए जो कि राष्ट्रीय हितों के विचार पर या जिनम सहयोग देने से रिसी युद्ध में उलझने की सम्भावना पी। जैसे कि जापान के विचार निटन प्राप्तों पर वायंवाही तथा मुसोलिनी के विचार प्राप्तिक प्रतिवन्ध कायंवाही।

मुख राष्ट्रों में प्राप्तमणकता से अधिक जनसंख्या है तथा उनके राष्ट्रीय सापन इस जनसंख्या के लिए प्रयोग नहीं इसलिए वे प्रयत्ने राष्ट्र के नागरिकों के मिए द्वारे राष्ट्रों में जा जाने और वहीं पर प्राकृतिक सापनों का डामोग करने के अधिकार वी पीयं करते हैं। परन्तु राष्ट्रीय प्रभवता तथा राष्ट्रीयता वा सिद्धान्त ऐसे राष्ट्रों दे नागरिकों के विचार द्वार घन्द देता कर है। इससे मन्तरराष्ट्रीय समर्पण उत्पन्न होता है जिसका

परिणाम कभी-कभी युद्ध भी होता है। जमनी २१ सेप्टेंबर सेंग (Leben Raum) तथा जापान का मह ममृदि योजना का विरासत, बढ़ती हुई जमने वा जापानी जनसंख्या को भूमि और प्राकृतिक साधन प्राप्त करने के लिए ही घटनाने वाले थे। इन देशों के नागरिकों के लिए उन देशों के द्वारा जिनके पास प्रावश्यकता तो अधिक भूमि एवं प्राकृतिक साधन थे, बन्द थे।

यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं सङ्घठन में विसी भी राज्य का स्थान उस अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घठन के उत्तरदायित्वों को पूरा करने को लक्षि के मनुष्यार्थ ही होता चाहिए। राष्ट्र संघ ऐ मनेय सिद्धान्त वी व्यवकलता का एक कारण यह भी था कि छोटे छोटे राज्य प्रमुख राष्ट्रायित्वपूर्ण व्यवहार दर रखते थे। सबुत राष्ट्र संघ का नियंत्रण मत का सिद्धान्त (Veto) इसी मनुष्यान् पर आधारित है कि कि विसी भी महान् लक्षि वी घोषित इच्छा के कोई भी वायंवाही घटना उनके विष्ट विसी भी नियंत्रण को तात्पुरता सम्भवत भ्रात्यभ्रव होगा। सिद्धान्त में यद्यपि सब राज्य समान है किन्तु व्यवहार में समान राज्यों के मध्य समानता और विषय राज्यों के मध्य विषयमता वा ही राज्य है। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का विदान प्रस्तेक राष्ट्रीय राज्य को अपने सम्मान वी रथा हेतु इस पर वाद्य करता है कि वह से वह सिद्धान्त में वह अपने को विसी वन्द राज्य का अधीनस्थ न माने तथा समान रत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। विदान और व्यवहार में इस प्रकृति के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है और जो वभान्कमी युद्ध वा हप भी पारण कर लेता है।

१९१४ से विद्रोही राष्ट्रीयता भ्रव और एशियाई विद्य पर था गई; डिलीय महायुद्ध के अन्त होते २ अधिनियेशिक साम्भाज्यों का प्रायः ग्रन्त हो गया। इहो-नेशिया से डेढ़ यर्दी, भारत, पाकिस्तान, लद्दाख, पाना और मलाया से विटेन तथा और मिश्र से भी विटेन के प्रभाव का अन्त होता; पाना का हिन्द चीन तथा उत्तरी अफ़्रीका से बलपूर्वक निकाला जाना और मध्य यूरोप देशों का अपनी आधिक और राजनीतिक लक्षि पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना इसी विद्रोही राष्ट्रीयता के प्रतीक है। यह नए स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को एक प्रमूल्य वस्तु गम-भते हैं और वे किसी ऐसी विद्य व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे जिससे कि उनकी प्रभु-सत्ता को एक बहुत बड़े घंग में सीमित बारते का प्रबन्ध हो। अयोगि वे पश्चिम को संदेहामर इटि से देते हैं और वे ऐसे प्रबन्ध को उत्तरो किर से दाग लगाने के किए पश्चिमी राष्ट्रों को एक चाल लगाएंगे। लक्षि राजनीति की वर्तमान मवस्था को देखते हुए वे ग्रस्त ही नहीं हैं।

ग्रस्त युग के प्रारम्भ हो जाने से राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के मिदान में परिवर्तन घवश्यम्भावी है। सामरिक महत्व वी सीमाएँ जो कि पहले राष्ट्रों के मध्य में मुद्रा का एक बहुत यदा करण थी प्रब व्यर्थ एवं घर्य हीन है। निर्वित भारत, तथा ग्रस्त एवं

उद्वन वमो के लिए कोई गोपा नहीं है। परमाराष्ट्र जस्ते जो कि प्राचिक राष्ट्र से प्रत्येक राष्ट्र की पर्ति व भीतर ऐ अब अधिक हो गए हैं। राष्ट्रीयता ने एक नया रूप पारण किया है जिसको हम प्रादेशिकता वह बताते हैं। समूलं प्रदेश अब अपनी रक्षा के लिए अपने सापनों एवं अक्षियों को समिलित कर रहे हैं। उनसी सेनाओं को एक ही सेनाभूति की घटीनता में रखना तथा उनकी रक्षा के लिए समिलित प्रयत्न इस दिग्ंा की ओर ठोस पग है। इसी कारण त प्रोलप में हम उत्तर-एटलाटिक सम्प्रदान, मध्य पूर्व में यूरोप दक्षिण, प्रशान्त महासागर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सम्प्रदान जिसको कि साधारणतः गनीला सम्प्रदान जाता है तथा प्राचीन (A N Z U S) ओर प्रन्त में अरब समूह तथा पैन-प्रमरीदन स्पृष्ट में पाते हैं।

बोई भी राष्ट्र वह चाहे कितना ही पवनान एवं सापन समझ दें न हो प्रवेता अपने वा प्राण युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार नहीं कर सकता है। शक्तिशाली से शक्तिशाली राष्ट्रों को भी थोटे राष्ट्रों से खनिज पदार्थों को प्राप्तशक्ता है और वह थोटे राष्ट्र इस सहायता के बदने में प्राण जस्तों के विद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यथार्थ में आज विद्व द्वा महान शक्तियां प्रमरीका और इस के बीच में विभाजित हैं। यथा सब राष्ट्र इन दोनों शक्तियों के समक्ष अत्यन्त ही निवंत और प्रसाहाय है और वह भवेते या समिलित रूप में भी इनसे युद्ध करने वा साहस नहीं कर सकते हैं। उनमें से अधिकारी राष्ट्रों ने इन दोनों ये से एक के गुद में समिलित होना स्वीकार कर लिया है। जो इन राष्ट्रों से दूरी पर रिष्ट है, यह कभी कभी अपनी स्वतंत्रता की प्रापणा किया करते हैं, जिन्होंने राजनीति के वात्सविक जगत में इनका बोई विशेष महत्व नहीं है। १६ वीं शताब्दी में थोटे राष्ट्रों के लिये हटाय रहना तथा युद्ध तो बच जाना सम्भव था, जिन्होंने बहुतमान वाल में रेसा करना असम्भव है। उन्हें अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये अपनी स्वतंत्रता वा शक्तिदान करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में बाल्टर लिप्यन्त वा वर्णन है—

“महान् राज्य युद्धा प्रदान करते हैं जो कि आधुनिक युद्ध की प्रोपनिवेशिक प्रवृत्ति है—उसके पारण बोई भी थोटा राज्य अपने लिये त्वयं नहीं कर सकता। थोटा राज्य इसके बदने में सामरिक महत्व की दें सुविधाएं जो कि समिलित रक्षा के लिये आवश्यक है, देता है और वह अपनी राजदमोज साता वा अपने महान पहोची को प्रन्तरीप्तीय जागूही एवं यद्यन्त्र से रक्षा करने के लिए उपयोग करता है.....”

(पृ० एस० बार एस० वृ० ८५)

माम्यदाद की बदती हुई याद से बचने के लिए बहुत रो थोटे-थोटे राष्ट्र ने अपने आपको दूर्भीमन मिलाते हैं समझा सम्प्रित वर दिया है। युद्धोत्तर युग वा अन्तर्राष्ट्रीय रूपर्यं

विशेषत: विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों का सधर्य भी है। १६ वीं शताब्दी और इसी अवश्यकता तक २० वीं शताब्दी के आरम्भ में भी यह सधर्य जाति के काल्पनिक सिद्धान्तों पर आधारित हुआ करता था और अब यही राजनीतिक विचारणाराष्ट्रों पर आधारित है। इसमें सिद्धान्त जो कि स्वतन्त्रता और जीवन वीं प्रजातन्त्रीय प्रणाली की रक्षा के हेतु साम्यवाद का एक अन्तर्राष्ट्रीय धेरा ढाले हुए है जबकि साम्यवादी दलों का अन्तर्राष्ट्रीय सङ्ह कॉमिन्टर्न (Comintern) का उद्देश्य उस स्वतन्त्र और जीवन की प्रजातन्त्रीय पद्धति के द्वारा उत्पन्न हुए समस्त दोषों का निराकरण करने के लिए एक सजीवनी बूटी के समान है।

युद्धोत्तर युग वा एक महत्वपूर्ण तथ्य विश्व के समस्त राजनीतिज्ञों द्वारा विश्व शान्ति के सम्बन्ध में निरन्तर धोरणा है। हमको यह कही भी युद्ध की प्रशंसा या युद्ध की राष्ट्रीय नीति के लिए आवश्यकता की पोषणा मुनाई नहीं देती। प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हुआ करते हैं और राजनीतिज्ञ यह सिद्ध करने का यथेष्टु प्रयत्न करते हैं कि उनके उद्देश्य शान्तिपूर्ण हैं और वे वास्तव में शान्ति चाहते हैं। या तो वे केवल विश्व को स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के लिए रक्षा करना चाहते या वे विश्व को पूँजीवादी दोषों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। यहीं पह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस युद्धोत्तर युग में इतिहास में पहली बार क्रान्तिकाल में राष्ट्रीय सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सेनापतित्व के आधीन रखने का प्रबन्ध किया है और यह प्रबन्ध सिद्ध करता है कि राष्ट्र अब शक्ति की इकाई नहीं रहा है। इसे अपना स्थान प्रदेश को और गुट्ट को देना पड़ा है। सम्यता वे इनिहास पर हप्टिपात करने से यह तथ्य पूर्ण सिद्ध हो जायगा कि औद्योगिक परिवर्तनों के साथ ही साथ राजनीतिक समुदायों के आकार में भी अवश्यम्भावी परिवर्तन हुआ हैं। ई० प० १७ वीं शताब्दी में केन्द्रीय एशिया के निवासियों द्वारा घोड़े को पालतू बना लेने से गांवों ने बड़े नगर-राज्य एवं पुरातन साम्राज्यों का रूप ले लिया और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईसा की १५ वीं शताब्दी में सामूहिक जहाजों के आविकार से राष्ट्रीय राज्यों तथा अन्तरमहाद्वीपी साम्राज्यों की स्थापना हुई। जैट और अणु युग में विश्व राज्य से छोटा राज्य सम्भव ही नहीं है। किन्तु सबसे बड़ी बाधा इस मार्ग में यह है कि हमारी मनो-दशाओं ने इस शोभ्रता से परिवर्तित औद्योगिक दण्डाओं का साथ मही दिया है।

पदाकदा हम यह सुनते रहे हैं कि भारत एक तृतीय गुट का निर्माण करेगा तथा इन दोनों महान् शक्तियों के मध्य, यह तृतीय गुट एक प्रकार का सन्तुष्टन स्थापित करने की चेष्टा करेगा और यह गुट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय तटस्थिता का सिद्धान्त अपनायेगा। किन्तु जो सोग ऐसा भोचते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीय राजनीति वीं भाँति ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बल्यना और आदर्श-वाद के स्थान पर दण्डाद्दा ही उपचित् है। यह सत्य है कि प्रत्येक राष्ट्र का

प्रत्यारोद्धीय दोनों ये स्थान व प्रभाव उमड़ी शक्ति पर निर्भर है। और यही कारण है कि राष्ट्र को इस सम्बन्ध में अपनी निर्बंधता वा जब प्राप्ति हुआ तो उसने प्रदेशों और गुटों में अपनी नीतिक एवं प्रादिक शक्ति का सम्मिलित मंगठन किया है ताकि वह इस सम्मिलित शक्ति द्वारा अपनी रक्षा कर सके।

यदि हम यथार्थ में देखें तो हमें यह मानना होगा कि वर्तमान विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित है। इन गुटों में योग्यता इस में शान्ति एवं सुरक्षा है। इन गुटों के मध्यमें जहाँ तक सम्भव हो सका है राष्ट्रीय प्रभुमत्ता के गिरावळ को परिवर्तित करने का एवं प्रभुमत्ता का सीमित वर्णन का प्रयत्न किया गया है तथा राष्ट्रों के बीच में माध्यमिक उद्देश्यों के लिए गठयोग प्राप्त करने में भी सफलता मिली है। निकट भविष्य की सर्वमें महत्वपूर्ण समस्या इन दोनों गुटों के मध्य में सहयोग है। इस गुट सम्पर्क में हस्त पा मयुक्त राज्य अमरीका दोनों में से विस्तीर्ण विजय होनी उमड़ा वेबल अनुमान ही सायाया जा सकता है जिसका यह सत्य है कि वर्तमान में ऐसा कोई आपार दिग्गज नहीं देना। जिसके प्रभुमार इन दोनों के मध्य में समझौता हो जाए तथा जिसके द्वारा मध्यमें वा स्थान मामलनस्य से सरे भी विरोध के स्थान पर महयोग प्राप्त हो जाय और वे अपनी प्रादेशिक भी गुट गत्ता वो एक अन्तर्राष्ट्रीय मंगठन की गता के अधीन करदें या मिलाएं। मयुक्त राष्ट्र सभ भी अपने इस घोड़े से इतिहास में इसी प्रवार अपनपाल रहा है जैसे कि इसने पहले राष्ट्र सभ रहा था। इसके पाप भी इसी महान् जक्ति की नियतिन बरने की योग्यता नहीं है तथा यह भी राष्ट्र सभ भी भाँति ही छोटे छोटे राष्ट्रों के मामले में आंशिक या पूर्णस्वरूप से सफल रहा है। भले ही इन्होंनेतिया या फिलिस्तीन में जो हो चुका है उग पर अपनी स्वीकृति की छाप देदेया अमरकल रूप से काल्पीर, दक्षिण अमेरिका या दक्षिणाफ्रिया की समस्या पर अपना मत प्रदान करे या जक्ति-राजनीति की आवश्यकताओं से प्रभावित होकर बोरिपा में हस्तक्षेप करे जिन्हुंने मुख्य मुख्य समस्याओं पर अनिवार्य चम रहा है और उस समय तक रहेगा जब तक जि निश्चयीकरण की समस्या हम नहीं हो जाती या जब तक गुट की सत्ता को इस अन्तर्राष्ट्रीय मंगठन की सत्ता के अधीन नहीं कर देते।

हीरोतिमा और नागामार्दी के द्वंद्व होने के पश्चात् धरुणस्त्रों की रोना में प्रत्ययिक प्रणति हुई है। पिछले १३ वर्षों में प्रत्ययिक शक्तिशाली द्वारा एवं उद्भव वर्ष, निर्देशित वस्त्र और प्रत्यरमहादीयी शस्त्रों का प्रत्ययिक विवाह हुआ है। वर्तमान वाल में निकलस्थीकरण की समस्या 'विशेषतः प्रणु जक्ति माध्योग' राष्ट्रों के मध्य में सम्बन्धात्मक घातात्वरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय दक्षु शक्ति के निरीक्षण के लिए समुचित व्यवस्था पर मनेवय प्राप्ति न होने के कारण फूर्गत, अपनपाल रहा। मयुक्त राज्य अपरेश्वा ने इस दक्षु दक्षों का जो उत्तरार्थ ददार इन गति रथों के समेत ५५ जित किया है

वह भी इस सन्देहात्मक वातावरण में अगु शस्त्रो के निश्चिकरण में एक महत्वपूर्ण वाधा बन गया है। संयुक्त राज्य अमरीका न तो इनको नष्ट करने के लिए ही प्रोटन इनको अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए देने वो तैयार है। संयुक्त राज्य अमरीका अगु व्यक्ति वे भेदों को राष्ट्रीय नीति के एक अस्त्र के रूप में उपयोग करता रहा है। दिसम्बर १९५१ में इस आयोग को फिर से अलुशस्त्रो के निश्चिकरण का कार्य सौंपा गया किन्तु यह उसे करने में पूर्णतः असफल रहा। अगु शस्त्रो की प्रतिरुद्धिता जो कि परम्परागत शास्त्रो की तुलना में कही अधिक महेंगी और विनाशकारी है, पूर्ववत जारी है। यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रादेशिकता चाहे कितनी ही अच्छी या बुरी बस्तु क्यों न हो अभी पूर्णरूप से स्थापित नहीं हुई है तथा निराण अवस्था में है और इसीलिए आधिक आपत्तियों के होते हुए भी ब्रिटेन को उस प्रतिरुद्धिता में भाग लेना पड़ा है जिससे गुट्ट के मामलों में ब्रिटेन के मत एवं नीति को अधिक महत्व मिलने लगे।

अगु शस्त्रो के निश्चिकरण की तिकट भविष्य में कोई सम्भावना हृष्टगोचर नहीं होती है और हम अगुशस्त्रो के राष्ट्रीय या गुट्ट मत्ता के हित में उपयोग से पूर्णतः निश्चित भी नहीं हो सकते। १९५० में संयुक्त राज्य के बड़े सैनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति को कोरिया में चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अगु शस्त्रो के उपयोग की सलाह ही दी थी।

यद्यपि विश्व, राष्ट्र से प्रदेश और प्रदेश से गुट्ट की ओर प्रग्रसर हो रहा है किन्तु फिर भी युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय संघठन की ओर प्रग्रसर होने के लिए कुछ विशेष सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक होगा जिनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित है—

- (अ) व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार मानना आवश्यक है।
- (ब) यूचनाओं वा स्वतन्त्र रूप में प्रसारण हो।
- (स) युद्ध और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में मनोविज्ञानिक परिवर्तन हो।
- (द) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य विश्व का सामान्य हित होना। चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का आधार व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की एक महत्वपूर्ण इकाई मानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको उन नीतियों एवं उद्देश्यों को अपनाना चाहिए जो कि विश्व भर के सामान्य व्यक्तियों की हितकारी और सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था वे प्रति व्यक्तियों की मनोदशा में परिवर्तन हो विदेशियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों को सन्देह और धूला का भाव कम तथा नियन्त्रित किया जा सकेगा। इतिहास के प्रारम्भ से विदेशों के प्रति सन्देह एवं धूला की समस्या किसी न किसी रूप में रद्द रही है। प्रीक और रोमन दूसरे लोगों लोगों को प्रसम्य मानते थे और इनको बेदल प्रजा होने योग्य ही मानते थे। मध्य युग में योद्धा को

धार्मिक कारणों से बुद्ध दिवों के लिए बिगी सीमा तक इय समस्या से छुटकारा प्रिय गया था। बिन्तु राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने ही यह समस्या मुन् हो गई है। यद्यपि युद्ध जीतने के लिए भगवान् वे विश्व भूषा प्रचार वरना एक संनिवेशाधारणता है तथापि इस प्रकार मेरे भूषे प्रचार ने अन्तर्राष्ट्रीयता को अत्यन्त हानि पहुँचाई है तथा इस प्रकार के प्रचार ने प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों के सामाज्य एक दूसरे के प्रति पूला घृणा और सन्देह के भाव कूटकूट कर भर दिए हैं। उदाहरण स्वरूप अधिकारी अमरीकन नागरिक हसियों को अमर्य एवं शब्द समझते हैं और इसका ठीक उस्टा हसी नागरिकों के लिए भी सत्य है। पहले राष्ट्र और अब शब्द अपने महत्वपूर्ण हितों की विचारपात्रा की पाढ़ में रखा करने के लिए एक दूसरे के विश्व प्रत्यक्त ही खूंडा और दिरोधी प्रचार करते हैं। साधारणतः साधारण व्यक्ति जो कि मतदाता भी है इस प्रचार से प्रभावित होकर अपने राज्य की विदेशियों के विश्व पूर्णांश महायना देगा है और इन विद्वानों को अपनाना है ति 'मेरा देश, सही हो या असह, मेरा देश है' वह न यह जानता है, और उसकी मनोदशा प्रचार द्वारा इतनों विश्व हो गई है कि वह यह जानने योग्य नहीं रह जाता ति दूसरे देशों के साधारण व्यक्ति भी उसी के ममान नैतिक, मानवीय और जातिपूर्ण हैं। परिवर्तन के इस मुग्ध में हमें साधारण व्यक्ति यो विदेशियों के सशुण्णों वा ज्ञान कराना होगा और यह हमें उनको सिखाना होया कि उसके हित तथा राष्ट्रीय सीमाओं के उस पार रहने वाले साधारण व्यक्ति के हितों में कोई अन्तर्विरोध नहीं है और यथार्थ में वे एक ही है। वेवल इसी प्रकार शिक्षित और ज्ञानदान साधारण व्यक्ति ही एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन का आधार हो सकता है।

राष्ट्र गम ने ज्ञान के स्वतन्त्र प्रसारण के लिए सरकारों का प्रयत्न किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग के लिए, बौद्धिक अन्वेषण सरिषट, बौद्धिक जिज्ञासा सघ आदि ही स्थापना की थी जोकि बौद्धिक सहयोग समिति के प्रार्थीत करते थे। इस समिति का एक मुख्य वार्य बौद्धिक सूचनाप्रयोग का प्रसारण था। बौद्धिक सहयोग संस्था, वैद्यनिक और विज्ञेय ज्ञान के विविध व्यक्ति का प्रयत्न करती थी। समुक्त राष्ट्र गम ने इसी उद्देश्य से समुक्त राष्ट्र जिज्ञासा, वैज्ञानिक और साहस्रनिक गत्या वी स्थापना की है। बिन्तु इन सदस्यीय प्रयोगी सीमाएँ रही हैं और इन कारणों से उन्होंने कभी साधारण व्यक्ति के विदेशों के प्रति अज्ञान हो दूर करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। राष्ट्रीय बुद्धिमोक्षियों का यह एक प्रमुख वर्तमान है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की मात्रा का साधारण व्यक्तियों में उदय हो रे और दूसरे देशों की जनताओं के माध्यम से यात्र वेवल गत्ये के प्रसारण से गहायना हो। विदेशियों की राष्ट्रीय प्राचारादा और जीवन परिवर्तनियों के सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति को ठीक-ठीक बताना व्यक्ति रखने के लिए निम्न संदेश और दूर। वी मात्राओं को दूर करने का प्रयत्न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण और विचार के लिए एक आवश्यक तथ्य सही प्रकार की मनोदृशा की स्थापना है। जिन देशों में जननमन्त्रीय पढ़नि है वहाँ पर मत के हप में व्यक्ति के हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र है जिसके द्वारा वह अपनी राष्ट्रीय सरकार को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के दोषों से नियन्त्रित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने तथा उसके लिए समुचित पा उठाने को बाध्य कर सकता है। प्रतिम हप में यदि देश जाय कि सापारण व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर एक स्थायी और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। किन्तु इसके लिए उसके विचारों में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। यही हमारे युग की महत्वपूर्ण समस्या है। प्रो० मैक्सोगल का इस सम्बन्ध में मत है कि --

“हमारी सम्यता का सन्तुलन पुनः स्थापित करने के लिए तथा हमारे सामाजिक, धार्यिक और राजनीतिक जीवन में भीतिक विज्ञान ने जो प्रत्यक्ष या प्रप्रस्थक रूप से आकस्मिक परिवर्तन विए, उसके पुनः स्थापित करने के लिए हमें मानवी प्रकृति और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में जितना है उससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता है।”

जीवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि उठाने की प्रवृत्ति न तो आवश्यक है और न प्राहृतिक और युद्ध जनगमन्या को सीमित करने का एक उचित धारा नहीं है। यदि हम यह भी मान लें कि संघर्ष एक आवश्यक मानवीय प्रकृति है तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि हप उसे व्यक्ति के जीवन में स्थान प्रदान करें हो। यह एक समाज विरोधी प्रवृत्ति है और व्यक्ति को एक सामाजिक प्रणाली के नाते समाज में ही दूगरे व्यक्तियों के गहयोग से अकरा जीवन व्यतीत करना है और इसलिए उसे इस प्रवृत्ति को तब एव बुढ़ि के द्वारा नियन्त्रित करना आवश्यक है। निर्देशित घटकों द्वारा सदा गया यह आमुनिश्च युग बीमा व साहस के गुणों को भी व्यक्ति में उत्पन्न नहीं कर सकता है।

शान्ति के लिए मनोदृशा उत्पन्न करने में शिक्षा का महत्व एव स्थान हमें नहीं भूलना चाहिए। अमरीकन बैडेजिक नीति नमूदाद के मध्यादि डा० जेम्स मैक्सो-नाहड ने १९३३ में घपने एक भाषण में विश्वशानि के लिए शिक्षा का महत्व बतलाने हुए यह कहा है कि—

“परिवर्तित होतो हुए विश्व व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहाय्यों के निर्माण की समस्या के लिए प्रतिद्वादी शिक्षा के पास क्या हूल है? जब तक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उक्त सम्बन्ध उत्पन्न नहीं कर सकते

जो कि उनके विरोधी प्राचिक और विभिन्न राजनीतिक हितों के समर्थन पैदा करेंगे तब तक यातारिक सुधार हर स्थान पर वेदव रथायी हो जाएंगे। विज्ञान ने दूरी एवं समय को बग करके गव राष्ट्रों को एक समुदाय वा संसद्य बना दिया है। यह बुद्धि का परिवर्तन और विवास के अवसरों को पुला रथवे हुए बाहून और व्यवस्था को समुदाय के प्रमाण रथायित बरता ही होगा, घन्यव्यावास को सम्भालना है। यदि हम शान्ति रथायित नहीं कर सकते तो हम समस्त नामिक और सांस्कृतिक साध एवं प्रवार के मुख्य, महिलाएँ और बच्चों को विज्ञान द्वारा सम्भव पूर्णतः विनाश के लिए संयार करें।

और उन्होंने घरों घरस्वर मह भी यहां कि शिक्षा—

- (म) मानवता की आवश्यक एवं ता के विद्वान्तों को प्रतिवादित करेंगी।
- (ब) सब जनता को हित की अन्तनिर्भरता को लिखाएंगी।
- (स) इतिहास को राष्ट्रीय पश्चपात वा आवार नहीं देनी तथा युद्ध की व्यावर्ता में सम्बन्ध छोड़ताएँगी और हमी जिता विश्व व्यवस्था और विश्व शान्ति के लिए मापने आवश्यक वर्तमय को पूरा करेंगी।

राष्ट्र सम्पद और संयुक्त राष्ट्र सम्पद ने आवारण व्यक्ति के उत्थान और सामाज्य हित को प्राप्त करने के लिए बुद्धि विशेष सम्भागों की रथायना भी है। इनमें से मुख्य पिंड रथास्थ समग्र तथा साध और इष्टि संगठन है विन्तु इनमा यद्यसे बहुत दुर्मिल है कि इनमें भी गुट भनोवृत्ति का समायेष हो गया है। इनमें कायं बरते के लिए जिन विशेषज्ञों वाँ आवश्यकता है वे वेदव औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के पास हैं और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्पद के द्वारा सबसे बड़ा भनुदान संकुक राज्य भवेतिका वा है। विश्व-स्वास्थ्य समग्र ने मनोरिया टी० बी० यादि बीमारियों के नियन्त्रण के लिए तथा इष्टि और आद एवं उठान ने विश्व की राज्य समस्या को सुलभाने के लिए यथेष्ट रूप से सराहनीय कार्य किया है। विन्तु गुट भनोवृत्ति के बारए तथा इनमें भी भीतयुद्ध वा वातावरण रथायित हो जाने के बारए यह समग्र भी रूप से उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में बाल्टर सिपरिन के ये शब्द पूर्णतः सत्य हैं कि—

“इन विश्व ममाज के रथायकों के मध्य में युद्ध को विश्व समाज के नियमों एवं प्रवर्णनों द्वारा नहीं रोका जा सकता। विश्व समग्र युसियरिन के उपर पूर्वित वा वार्ष मही वर राहता।” (पृ० ४८० वा० ४८० पृ० १११)

निवाट भविष्य में इस समर्थ्या का बोई हस दियाई मही देता है और न हम युद्ध को गुट को कहा जे लिए अस्त्र में रूप से उपयोग की सामायका को ही जानते

या शब्द कर सकते हैं। इन दोनों गुटों की विवारणाराएँ एक दूसरे में सर्वपा भिन्न हैं और उनके मध्य में समझौते की आशा तभी हो सकती थी जब कि उन दोनों के सिद्धान्तों में तथा उन सिद्धान्तों को मानने में पूर्णरूप से यथायंता हो। इन सिद्धान्तों की प्राप्ति में अपने राष्ट्रीय या गुट हितों का सरक्षण एवं प्रतिपादन होता है। गुटों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनके सदस्यों में से एक राष्ट्र की प्रभुता और दूसरे को किसी सीमा तक उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। यह भी सभव है कि तृतीय विश्व युद्ध के द्वारा सारे विश्व पर इनमें से किसी एक गुट की सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाय। किन्तु यह भले ही विश्व में एक प्रकार की रोमान शान्ति स्थापित कर दें, किन्तु यह एक सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार कदाचि नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय प्रभुता के सिद्धान्त पर नियन्त्रण करने का एक सच्चा आधार यह सिद्धान्त हो सकता है कि प्रत्येक मानव समुदाय को जिस प्रकार वा वह जीवन चाहे और जिस प्रकार के आन्तरिक राजनीतिक संगठन को प्रावश्यक समझें, अपनाने व स्थापित करने का अधिकार हो। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय होत्र में इन समुदायों के समस्त विश्व में उन कार्यों के लिए जो कि समस्त मानवता से गम्भीर हैं और जो कि समस्त विश्व में एक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, वा प्रथल करें। यह तभी ही सकता है जबकि हम सब समुदायों के लिए उनके राग और राज-मैतिक सिद्धान्तों को भूलकर दिश्व के प्राकृतिक साधनों का समान रूप से वितरण करें। यहाँ हमें यह प्यान रखना है कि इन सदकों प्राप्त करने के लिए सबसे महत्व-पूर्ण तत्व मनोवैज्ञानिक तत्व है। शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितत्व के लिए मनोवृत्ति का जब तक निर्माण एवं विकास नहीं होगा जब तक शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितत्व वीर्यायं रूप में स्थापना नहीं हो सकती। हमारे समझ एक सेंद्रान्तिक रूप से भिन्नजित विश्व है जिसको या तो सह-प्रस्तितत्व के लिए और या राह-विकास के लिए सहमत होना ही होगा। शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितत्व के असफल होने पर विश्व विनाश अवश्यम्भावी है और सह-प्रस्तितत्व की मनोवृत्ति के विकास के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के बर्तमान मापदण्डों में परिवर्तन करना होगा।

बर्तमान युग में विश्वशान्ति की समस्या वा हल पाना अत्यन्त ही बठिन प्रतीत होता है। इस समय हम इतिहास के चौराहे पर खटे हैं और जिस विसी मार्ग को अपनायेंगे वह माने वानी यसस्य वीदिशों को पूर्णतः शभावित करेगा। इसलिए शान्ति के लिए प्रथल तथा शान्ति के लिए इच्छा वा विकास हमारा प्रस्तितव एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है।

विश्व संघ की समस्याएँ

प्रो० मानोल्ड, जे० टोपनबी के अनुसार विसी भी राजनीतिक समुदाय का आकार यातायात के साधनों की गति के बीचे अनुपात में होता है। दूसरे शब्दों में यातायात के साधनों की गति में पृष्ठि होने से राजनीतिक समुदाय के आकार में भी पृष्ठि होने की सम्भावना रहती है एवं होती है। यातायात के साधनों की गति जितनी ही तीव्र होगी राजनीतिक समुदाय का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। इस पूर्व १७ वीं शताब्दी में घोड़े को पास्तू पशु बना सेने से मगर राज्यों और पुरातन साम्राज्यों का युग प्रारम्भ होता है। तथा इसी की १५ वीं शताब्दी में राष्ट्रिक जटाओं के बन जाने से अन्तमहादीपीव साम्राज्यों का युग शुरू होता है। जेट और धारु शक्ति तथा शब्द से भी शोभ जाने वाले इस युग में बेकल एक विश्व ताप ही बाढ़नीय है।

अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी घाघा निरंहुए राष्ट्रीय प्रभुत्वता का गिरावत है। राष्ट्रों के मध्य में सनिज पदार्थ और जनसंस्था के बारए प्रत्ययिक विषमताएँ हैं। जो राज्य साधन राखने एवं वाम जनसंस्था बाले हैं वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि वे अपने साधनों का उपयोग नियंत्रण और प्रयिक जनसंस्था बाले राष्ट्रों के साथ करें। ऐसा करने से उनका धार्यिक हतर घवरय नीचे गिरेगा और इसके साथ ही जाति और राष्ट्र की समस्या है। विश्व में ऐसे सोग अस्पत में हैं और विसी भी विश्व राष्ट्र में वह एक स्थायी अस्पत ही रहेंगे। इन बुद्ध बाधाओं के बारए ऐसे राष्ट्र कभी भी राष्ट्रीय प्रभुत्वता का गिरावत घोटकर विश्व ताप का गिरावत नहीं अपनाएँगे।

विश्व संघ की स्थापना के प्रथम बत्तमान वास हो जए नहीं है। विद्यासी जात शताव्दियों से इसके निए घोड़नाएँ बराबर बनती रही हैं। १८ वीं शताब्दी में अबे-द-खात-नीरे और हसी ने एक स्थायी जाति की घोड़ना का निर्माण किया था। १८१८ में रोबर्ट ओवल ने पोषण की गरकारों की जो वि १० साल लौंग हो गया

तामोनन गे औ कि प्रत्येक धर्मिक यो एक गमानारण्य धोटीविष धमिर से है।
एक वेतन पाने वाले से धर्मिक बनने में गहायता होते हैं।"

पिरय सध वी स्यापना एक गरल गमस्या नहीं है। यह यदुत गे तर्थों पर निमंर करती है और उनमें से नवगे प्रथिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रभुत्वाके प्रिदानों में परिवर्तन है प्रो इवत दाय ही राष्ट्रों त हिटोए में एक मनोरंजनिक परिवर्तन है। इसके पहले फि हम एक नवीन धरार्थात्मीय मतान की स्यापना करें जो फि एक नवीन मनोरूपति पर प्राप्तारित है। हम राष्ट्रीय प्रो धरार्थात्मीय दायं दे लिए हुए मापदण्डों वा निर्माण करने के लिए नवस प्राप्तारित वस्तु शिक्षा की ध्वनिया में प्राप्तुल परिवर्तन बरना हाया। नागरिक वो विद्य नागरिक बनने वो शिक्षा देनी हो हीनी और यह शिक्षा एक नवीन शिक्षा शायासी ही दे सकती है। यह परिवर्तन नवगे प्रथिक इतिहास व धर्म य प्राप्तारित है। प्रब तक इतिहास मर्दव राष्ट्रीय हिटोए लिमा धया है त्रिमप फि याने राष्ट्र भी इतना प्रो दूसरे राष्ट्रों भी दुर्गाई एक प्रमुख हिटोए रहा है। इतिहास रो एक राष्ट्रीय हिटोए ते पश्चाते के कारण प्रत्येक वीरी म विदियों के प्रति उपायों पूछा, मदेह प्राप्त वो भावनाएँ उत्तम हो जाती है और उनम एक भूठा विश्वास उत्तम होता है फि जो दुष्ट हम रखते हैं तो वह है और जो पुष्ट दूसरे वर रह है तो वह है। अनिय रूप मे पक्षीविचार 'वेग देग, गही पा गलत, मेरा देश है' त एवं परिवर्तन हो जाता है तदा देश वी जकि एक भूठा दोन वीटा जाता है।

यह पपते राष्ट्र की प्रश्ना थी कि आने राष्ट्रीय हिंदूओं को मर्दीव उभित दृष्टिकोण की बनायुक्त भूमि प्रवाह को जन्म देती है जो वि राष्ट्री में महायोग थोर एक दूसरे वांग गमने के पाये में एक वाया बन जानी है हम गीता में उन पार न सो जानो ही थोर जानवा ही पाहते हैं और हम वांग कुम्ह हमारी गरकार वही है या वाही है उनमें विश्वास कर सकते हैं। इसको रोतन के लिए गूचना थीर हिंदूर्णि के प्राचीन-प्रदान में पूलुंगः स्वतन्त्रता हीनी चाहिए। प्रत्यक्ष नववाह का नहीं यथ और देवत यथ ही होना चाहिए। गमाधारों पर गोह, भूमि गमाधारों का निर्माण, हिंदूर्णि वांग विद्युत इन दका यादि वांग को गरकार को बढ़ा करना चाहिए। निश्चको द्वारा इनिहाया का ठोक प्रवाह ते निश्चल तथा कवरारों द्वारा ठीक प्रवाह ते गमाधारों का प्रवाह अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना और मही प्रवाह ते अन्तर्राष्ट्रीय गमभौति न यदेष्ट महायना वर तरना है। हिंदूर्णि पश्चात रहित हीने चाहिए तथा भासीधना वे वक्ष मात्रोभना वे लिए ही नहीं हीनी चाहिए और न वर्मी भवस्त्रों और वुराई के स्वर वह उत्तर यानी चाहिए। लियी भी राष्ट्र के नेताओं वे लिए अपवाहन का प्रयोग करने से तथा उस देश की धार्यिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं की

धारोचना करने से कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व सहू की धनोद्धुति उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रत्येक देश के पौत्र प्रेस को नियंत्रित करना चाहिए तथा दबाना चाहिए और ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ स्थापित होनी चाहिए जो कि समाचारों, इन्डिकेशनों और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रामों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सके।

हम अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर गेर राजनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग की वृद्धि करके बढ़ कर सकते हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्र। सास्कृतिक महानों को एक दूसरे देशों में भेजना चाहिए ताकि प्रत्येक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से मिलने का अवसर मिले और उनके साथ अपनो सामाजिक समस्याओं को समझें अथवा समझावें। हर स्थान पर साधारण व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा शान्ति और समृद्धि चाहता है। यह तो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं जो कि उसे घोड़े में रखते हैं तथा सुदैव तनाव और युद्ध का बातावरण बनाये रखते हैं। ऐसे लोगों से साधारण व्यक्ति की रक्षा होगी चाहिए तथा युद्ध की मार्ग करना एक निश्चित अपराध माना जाना चाहिए जिसका कि एक युद्ध अपराधी की भाँति ही किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ही निर्णय हो, क्योंकि युद्ध में किए गए अपराधों पर दण्ड दिया जाने लगा है इसलिए युद्ध की मार्ग करने वालों को भी दण्ड मिलना ही चाहिए।

मन्तराष्ट्रीय समर्थन के सम्बन्ध में सोचने से पहले हमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के सम्बन्ध में सोचना जरूरी है वे दोनों भमस्याएँ इतनी अधिक एक दूसरे से सम्बन्धित हैं कि उनको बलग घलग करना सम्भव नहीं है। शान्ति के द्वारा ही व्यवस्था और सहयोग उत्पन्न होगे और इन्हीं के प्रायावर पर अन्त में एक सच्ची विश्व सत्ता की स्थापना होगी। प्रजातन्त्र सबसे अधिक आतिपूर्ण ढग की सरकार है। यह सत्य है कि प्रजातन्त्र प्रायः युद्ध के लिए ठीक प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जनता के प्रतिनिधि उस समय तक युद्ध की बात करने का साहस नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने घृणा को उत्पन्न नहीं कर सिया है, किन्तु यह केवल विकसित और औद्योगिक प्रजातन्त्रों के लिए ही सत्य है। पूर्व के अधिकारी प्रजातन्त्रों में कोई भी सरकार अपनी जनता को धर्म अथवा देश-भक्ति के नाम पर युद्ध के लिए भड़का सकती है अधिनायकतन्त्रों के लिए युद्ध तो एक आवश्यकता है। भरस्तू के समय से यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त रहा है कि आन्तरिक उत्पीड़न के बदले में राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विजय और साम्राज्य प्राप्त करना ही होगा। इसलिए अधिनायकतन्त्र आन्तरिक स्वतन्त्रता के बदले में एक उप्रयोगिक नीति का प्राप्तन करते हैं और वह अपनी जनता का प्रयान आन्तरिक समस्याओं से हटाकर आत्म-निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अधिनायकतन्त्रों का अस्तित्व ही घृणा और युद्ध पर है। परिवहन वास्तव में कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं

स्थापना भी करे जिसे राज्यों दी ममानेता का सिद्धान्त प्रभावाया जायगा, उसमें भी ऐत राज्य स्थायी गहनतम में रहेगे। ऐत योग जो कि पिछले ५०० वर्षों से विश्व में सदैव प्राचीन्य पाते रहे हैं तथा जिनको इसकी शादत हो गई है वह ऐसी तंत्राद नभी स्वीकार गई रहेग। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम एक निष्पक्ष गतव वा निर्गत वर सबे। ऐसी समसद वा चुनाव एक विषय चुनाव प्रायोग ने द्वारा हाता चाहए। निष्पक्ष चुनावों द्वारा गठने प्रतिनिधित्व के लिए यह गावरण्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र में चुनाव आधिकारी दूसरे राष्ट्रों के हों। यह गावरण्यक गतव उन सब विषयों पर जिनमें वि राष्ट्रों में घन्तगिरी रहता है, वानुत निर्गत रहेगी। शान्ति भवान् रहने वा इष्टका विशेष उत्तरदायित्व होगा। इसे गतवर्णीय कानून की सहतित बरना हाया और जिन विषयों पर इसकी गता रहेगी उन पर द्वा नवीन गतर्णीय कानूनों वा निर्गत कर्णा होगा।

इस विश्व गत की मध्यनी निजी प्रणामनीय सदाएँ होगी। यह प्रणामनीय सेवाये वाय राष्ट्रीय इकाइयों वा नागरिकों के लिये खुती होगी और इसमें स्थान याने वा आपार वेकाय यायना, निर्गत पता चाहने के लिये एक विश्व प्रतियोगिता होगी। इस विश्व सेवा की दुर्दियों प्रत्यक्ष राष्ट्र में रहेगी। एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों की सेविक दुर्दियों रही जायगी।

एक गतर्णीय भाषा भी हाती चाहिये जिसका वि विश्व व प्रत्येक स्कूल में एक द्वितीय भाषा वा स्थान एक गहन्तव दिया जाय। विश्व वी 'मुल पुस्तक' एक गतुताम्यान फल इस गतर्णीय भाषा म गतुवादित दिया जायगा। राष्ट्रीय रेडियो व्यवस्थायों वा गत कार दिया जायगा और मेवत एक विश्व रेडियो वी स्थापना होगी जिसमें कोई भी राष्ट्र रेडियो द्वारा दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध घुणा व भूड़ वा प्रचार न कर सके। सारे विश्व के लिए एक मुद्रा होगी। व्यापार पर कही भी कोई, जिसी प्रकार के प्रतियाय नहीं होगे। साम्राज्य सामूहिक और वायु स्थान विश्व गतवार की सत्ता के पाधीन होगे और सब राष्ट्र उनका स्वतन्त्र रूप से उपयोग वर सकेंगे। यात्रा वे हवाई जहाज, हवाई मट्टे, रेतवे, गतर्णीय, सड़क, ट्राक व तार, सामूहिक मेवत तथा येत-तार के तार, भार और गापदण्ड, गिरफ्ते, रथा, गतर्णीय कानून व सामूहिक गतवार, गतर्णीय व्याय चावि प्रत्यावित विश्व सभ राज्य वी बुद्ध प्रमुख दतियों होगी। इस विश्व गतवार की भाग्ये भाग्य भाव वे लोक दिये जाने चाहिये। इसको ऐसे सप्रत्यक्ष कर जीते वि गावकारी याय-कर प्रावि गारे विश्व के दे देने चाहिये।

सभ वी उपरोक्त लाय-रेता वो बहुत गे व्यक्ति गादशेवादी वर्णनासम्ब एवं गव्यावहारिक समझवार गतवीकार करेंगे। वी एवं भी इसमें सहमत है। विन्यु इसको

अस्वीकार करने के बहने हुये एवं याण ठहरवर यह गोचना भावशयक है कि ऐसी लिंगी संयोग व्यवस्था के बिना न सो दधार्य में विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है और न वह सरकार भपने बत्तेव्यों सो सफलतापूर्वक पूरा ही कर सकती है। राष्ट्र गप पौर संयुक्त राष्ट्र सम के हमारे भद्रुमय यह स्पष्ट है कि तिढ़ बतते हैं कि दोई भी अन्तर्राष्ट्रीय समठन निवेदन विद्यम तब्दील सम्प्रभु राष्ट्र है अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने में कभी भी पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। ऐसे एक यथार्थ विश्व समठन ही यथार्थ में एक विश्व सरकार की स्थापना कर सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बतंमान में यह सम्भव नहीं है और सम्भवतः यह शताभ्दियों तक भी सम्भव न हो किन्तु कभी न कभी यह सम्भव होगा ही, यथाया मानव जीवन असम्भव हो जायगा।

तेल कूटनीति

इस ध्रोगिक शीरकी शताव्दी में तेल के महत्व के सम्बन्ध में अतिगतिक प्रभावभव है। इस शताब्दी में भोटरों और दूसरे यन्त्रों की सृजना में प्रश्नयित्र वृद्धि तथा रेल के इजन और जहाजों में बोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग होने के कारण तेल की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी आवश्यकता यान्त्रों को विकास करने के लिए (Lubrication) इस ध्रोगिक सम्भवा में और भी प्रधिक है। इस सम्बन्ध में तेल के स्थान पर विस्तृत वास्तु का प्रयोग प्रायः प्रसभद है। यह हम मान सकते हैं कि तेल के स्थान पर शक्ति के लिए प्राकृतिक गेस, कोयला, सकड़ी, पानी द्वारा उत्पादित विभिन्नीय अणुशक्ति पूर्णतः इस सम्भवा को खलाने में सफल हो सकती है। बत्तमान वाल में यदि तेल की प्रगति एक दाल के लिए भी रह जाय तो सम्पूर्ण ध्रोगिक सम्भवा वही वही सही रह जायगी। ध्रोगिक विकास के लिए हमें तीन मूल वस्तुओं की आवश्यकता है। (म) शक्तिस्रोत (ब) परिचय पदार्थ तथा (स) चाजार। प्रब तक तेल प्रमुख शक्ति का साधन रहा है और इसीलिए विश्व का वह प्रत्येक राष्ट्र जो कि ध्रोगिक शक्ति का विकास चाहता है, अपने निजी एवं सुरक्षित तेल के स्रोतों के सिए प्रथत बरता है।

विश्व के तेल उत्पन्न करने वाले दोन उत्तरी प्रभारीका में समुक्त राष्ट्र प्रभारीका तथा कनाडा, कैरोबियन दोन में ऐनेजुला, धोलम्बिया तथा द्रिनिडाइ, दक्षिण प्रभारीका में मैक्रिस्टो, घर्जेन्टाइना, पेरु, ब्योटोर, चाइस और बोलीविया, मध्यपूर्व एशिया में बैठटा, सऊदी अरेबिया, दराक, ईरान, बावतार, मिश्र, टर्की तथा इजराइल दक्षिण और सुदूरपूर्वी एशिया में, इन्डोनेशिया, ब्रिटिश बोनियो, भारत, बेस्ट न्यूगिनी तथा जापान। पश्चिमी योहप में जम्बनी, आस्ट्रिया, फान्स और नीदरलैंडम, इटली तथा यूगोस्लिविया; उत्तर प्रभारीका में मोरक्को; योहप में सोवियत संघ, हगरी, रूमानिया, भर्बानिया, बहगारिया, पोलैण्ड तथा ऐकोस्लोवाकिया हैं। १९५७ में सम्पूर्ण उत्पादन

में से उत्तरी भवरीहा में ४५८८ प्रतिशत, मध्यपूर्वी एगिया में २०१ प्रतिशत, केंद्रोविषयन द्वीप में १६७ प्रतिशत तथा पूर्वी योरा में ११४ प्रतिशत हुआ था। इन भारों को हम विश्व के प्रमुख उत्पादन करने वाले द्वीप यह गाहते हैं।

१९५५ में मध्यपूर्व एगिया के तेस कारबाहो में गंगाध्यवादी विश्व के मध्यपूर्व तेल उत्पादन का २३ प्रतिशत तेल उत्पादन दिया था और यह उत्पादन मध्यस्थ-राज्य भवरीहा, गोविगत तथा और खेनेजुसा के उत्पादन के बराबर था। जुसाई, १९५७ में यह हिमाय समाया गया है कि विश्व के मध्यपूर्व तेस भण्डार का ७५ प्रतिशत देवल मध्यपूर्वी एगिया में ही रिप्ट है। यह पौर्णे इस बात को पूर्णतः गिर कर देते हैं कि बंतमान गमय में मध्यपूर्वी एगिया विश्व की तेस कूटनीति का गढ़ते महत्वपूर्ण सदृश है।

भौद्योगिक उत्पत्ति की प्रगति के प्रनुपात में गनिज विश्वों की दोज पर तेस उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजिन विद्युत है तथा बाजारों की दोज यद्यपी जाती है। भौद्योगिक व्यापार के विस्तार चरणों में पूर्वी में यद्युत घण्टिक मात्रा में एक वित हो जाती है और इस पूर्वी को पूर्वीयत उन देशों में समाना बाहते हैं जिसमें विश्व के अम घण्टा द्वारे गापन गरमतापूर्वक उपस्थित हो तथा सम्भव हो; याप ही इस पूर्वी से घण्टिक व्याप उद्योग जा सके। पूर्वी के इस विषयी के कारण गिरें हुए देशों के प्राकृतिक गापनों का गोपण होता है और उन राष्ट्रों के प्राविह जीवन पर भौद्योगिक हण से विस्तारित राष्ट्रों का नियन्त्रण हो जाता है। एक राष्ट्र द्वारा द्वारे राष्ट्र का इस प्रदार के गोपण की हम प्राप्तिक राजनीति गाम्यदारी में 'डाक्टर कूटनीति' तथा 'प्राविक गाम्यवाद' बहते हैं। जब इसका उद्देश्य तेस से होता है तब हम उसे 'तेस कूटनीति' बहते हैं। इन सब प्रदार की कूटनीतियों के उद्देश्य और विद्यानु एवं ही प्रकार के हैं।

दोनों विश्व मुद्दों में मध्य में रूमानिया की तेल व्यवनियों का स्वामित्र एवं नियन्त्रण विटेन के नामकरियों के पास या और कम्पनियन तेस को ग्राह्त करना नासी जमेनी की विदेशिक नीति का महत्वपूर्व उद्देश्य था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस तेस का उपयोग गाम्यदारी विश्व कर रहा है। ईरान में राष्ट्रीयता के उदय के पश्चात विटेन को बद्दों के तेल का स्वामित्र भी छोड़ा गया और ऐस्ट्रो-इरानियन तेस कमेनी को गापना आवार बाहर बरना पड़ा। खेनेजुसा गदेश इस तेस के कारण विदेशी पद्धतियों का विश्व कर रहा है और १९०२ में विटेन, जमेनी और ईरान ने तेल-कूटनीति के उद्देश्यों को गुरा करने के लिए खेनेजुसा का समुद्रिक घेरा बासा था और यह तेस के बहु भूमि राष्ट्रों का मध्यपूर्व व्याप एवं कूटनीति इस गमय मध्यपूर्वी एगिया पर बेन्द्रित है।

यह मध्यपूर्वी एगिया का दुर्माल्य है कि उनके पास न तो घावस्थर पूर्वी ही है, न गुरियाएँ और भौद्योगिक जानकारी ही है जो कि तेस के उत्पादन

और उसको विश्व के बाजारों में पहुँचाने के लिए आवश्यक है। १९५० से तेल उत्थोग में ७ अरब डालर का पूँजी विनियोग हुआ है तथा नये तेल के क्षेत्रों की खोज में प्रति वर्ष ७५ करोड़ डालर खर्च किए गए हैं। इस प्रकार तेल में पूँजी का विनियोग ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है। १९५७ में केवल मध्यपूर्वी एशिया में ६ अरब डालर तेल के उत्थोग में लगे हुए थे और इसी प्रकार तेल का उपभोग भी उस वर्ष से बढ़ता जा रहा है। १९५० से केवल सयुक्तराष्ट्र अमरीका में तेल के उपभोग में ५२ प्रतिशत प्रतिवर्ष और शेष विश्व में ११ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। १९५६ में योरुप में १४ प्रतिशत, जापान में ३० प्रतिशत तथा पश्चिम जर्मनी में २४ प्रतिशत तेल के उपभोग में वृद्धि हुई। योरुप को रवेज नहर के द्वारा मध्यपूर्वी एशिया से उसकी आवश्यकता का ६५ प्रतिशत तेल मिलता है। रवेज नहर के बन्द हो जाने का योरुप की आर्थिक व्यवस्था पर यथोष्ठ प्रभाव पड़ा था। इज्जलैंड के अर्थ मन्त्री ने १९५७ की आर्थिक रिपोर्ट देते हुए यह कहा था कि—

“रवेज नहर के बन्द होने के कुछ सप्ताह के अन्दर ही तेल की कमी हो गई किन्तु उसके द्वारा विशेष रूप से प्रशारित केवल मेट्रो जलोंग ही हुआ था। तेल की यह कमी किसी भी प्रारम्भिक उत्पादन करने वाले देशों पर मध्यपूर्व के देशों को छोड़कर कोई विशेष प्रभाव नहीं आता रही है। रवेज नहर के बन्द होते ही कुछ बहुतओं के दाम बढ़े किन्तु बाद में गिर गए। तेल की कमी के सामान्य प्रभाव इस देश में इतने अधिक नहीं हुए जितना कि डर था यद्यपि बेरोजगारी में उससे अधिक वृद्धि हुई है जितने कि वर्षे के इस समय पर साधारणतः होती रही है।”

अर्थमन्त्री का यह कथन तेल की समस्या के सम्बन्ध में घोड़ा पक्षपातपूर्ण है और उनके द्वारा सरकार की इस सम्बन्ध में मदुरदर्शी नीति को छिपाने का भी प्रयत्न किया गया है। बास्तव में इज्जलैंड में भी तेल की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई थी और पूँजी में विनियोग की हानि हुई थी तथा इन कारणों से इंग्लैंड और फ्रांस में विदेशी मुद्रा की स्थिति भी गम्भीर हो गई थी। इस उदाहरण से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि तेल के बन्द हो जाने या उसमें कमी होने से आर्थिक आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल होगा? आज से १० वर्ष पश्चात् तेल की स्थिति मत्यत ही गम्भीर होगी। १९५६ के बीच मैनेहटन और द्वारा इस समस्या पर जो अनुसन्धान किया गया है उसके मनुसार दस वर्ष बाद सयुक्तराष्ट्र अमरीका में ३२ प्रतिशत और शेष देशों में ११२ प्रतिशत तेल के उपभोग में वृद्धि होती और तेल के उपभोग में इस अभूतपूर्ण वृद्धि को पूरा करने के लिए १९६५ तक तेल-उद्योग में १४५ अरब डालर का विनियोग आवश्यक होगा और इसके लिए प्रतिवर्ष ११। अरब लोलर इस देश में लगाने होंगे। यह आविष्कृत इस वर्षे है कि यैं विसी भी मध्य-

पूर्व एशिया के राष्ट्रों के लिए सम्भव है कि वह इतनी पूँजी का विनियोग कर सके तथा यहने राष्ट्रीय तेल-साधनों का पूर्ण उपयोग कर सके तथा मात्र ही साथ यह भी सिद्ध करते हैं कि विश्व के ज्ञेय राष्ट्रों वा मध्यपूर्वी के तेल में किसी भविष्य हवाँ ऐसा हित निहित है। तेल की आवश्यकता को समझते हुए प्रगतिशील देशों के पूँजी-पति तेल की कम्पनियों एवं तेल-उद्योगों ने अपनी पूँजी लगा रहे हैं और इस पूँजी का भविष्य उतना ही सुरक्षित है क्योंकि तेल वा भविष्य सुरक्षित है।

मध्यपूर्वी देशों की आर्थिक व्यवस्था का तेल एक महत्वपूर्ण भाग है और उनके दूभाग्य में भी इसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। वे राजनीतिक वा प्रार्थिक हृषि से पिछड़े हुए राष्ट्र हैं और तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में उनके समझ पे प्रगति आधार है—

- (अ) उनके पास यहने तेल वे साधनों वा उपभोग परने के लिए प्रावश्यक साधन नहीं हैं।
- (ब) तेल को खोजने, निकासने और शुद्ध करने के लिए जिस धीर्घोगिक ज्ञान की आवश्यकता है वह उनके पास नहीं है।
- (स) उनके बादरणाहों से विश्व के बाजारों तक तेल से जाने के लिए प्रावश्यक जहाजी येदा नहीं है।
- (द) तेल को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रावश्यक वितरण-व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त कारणों से वे प्रशंसनीय हैं और उन्हें यहने तेल के साधनों वा विदेशी द्वारा कोपण की प्रत्युमति देनी ही होती। इस पथन को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर ईरान वा उदाहरण दे सकते हैं। जब इंट्रेन ने प्रायस ईरानी तेल कम्पनियों से यहने धीर्घोगिक विशेषज्ञों को बापिस युसा लिया तो यह ईरान के लिए प्रायः प्रत्यम हो गया है कि वे प्रयादान में तेल शुद्ध करने के कारबानों को वा दृष्टिगतिशील ईरान के तेल के कुओं को चला रहे। जो शुद्ध तेल वा उत्पादन पद्धति शुद्धि वर्ते में वे सफल हुए यह भी वही एक वित्त ही गया क्योंकि उनके पास न को प्रावश्यक जहाजी येदा वा और न यितरण व्यवस्था ही जिसके द्वारा वे इस तेल को उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते। जर्मन, इटलीयन और जापानी सहायता के प्रयोक्ताशृत भी वे यहने साधनों के पूर्ण उपभोग में आसाफ़ रहे और यदेष्ट आर्थिक हानि उठानी पड़ी जिसके फलस्वरूप ईरान में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उन्हें याद में १५ वर्ष के लिए एक समझौता करना पड़ा जो कि १९७८ तक चलेगा और जिसके द्वारा एक घातराटीय तेल-कम्पनी ईरानियन चाइन वार्टीसिपेन्ट्रा ईरान के तेल को उपभोक्ताओं तक पहुँचावेगे व उत्पादन में सहायता देंगे।

मध्यपूर्वी तेल के क्षेत्रों से ब्रिटेन के प्रस्ताव के पश्चात् अमरीकी पूँजीविनियोग को मध्यपूर्वी में अपनी विनियोग कार्यवाही का अवसर मिला। स्टैनडैं प्राइल कम्पनी जो कि स्वयं कम्पनियोग की एक कम्पनी है और जिसका सम्पूर्ण विश्व के तेल के महत्वपूर्ण भाग पर नियन्त्रण है, ने मध्यपूर्वी तेल पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की। भरेविया तेल कम्पनी में स्टैनडैं प्राइल कम्पनी का संगमण ६० प्रतिशत भाग है। ईरानियन आइल पार्टीसिपेन्ट्स के द्वारा अब स्टैनडैं प्राइल कम्पनी और उसके साथी कम्पनियोग ने ईरान की खाड़ी और ईरान के तेल पर संगमण अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १९५५ में मध्यपूर्वी तेल के पूँजीविनियोग में अमरीका का ५८.४ प्रतिशत हिस्सा था तथा ब्रिटेन का इस क्षेत्र में पूँजीविनियोग ४६.६ प्रतिशत थे २१.४ प्रतिशत तक गिर गया। हालैंड ६.१ के ७ प्रतिशत बढ़ा है जबकि फ़ारा का ६.१ से ५.३ प्रतिशत सक घट गया। यह आईकॉड बताते हैं कि जब १९४५ में ब्रिटेन का मध्यपूर्वी तेल विनियोग में महत्वपूर्ण स्थान था विन्तु १९५५ में समुक्तराज्य अमरीका ने ब्रिटेन को पूर्ण रूप से स्थानान्तर कर दिया था। तेल के कुपो, पाइपलाइन और तेल शुद्धि के कारखाने की रक्षा के तिए पूँजीपति यह आवश्यक समझते हैं कि उनकी अपनी सरकारें विर्द्धि देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करें। इस समय अमरीकन पूँजीपतियों के यह हित में है कि यहाँ पर अमरीकन पक्ष की ही सरकारें स्थापित हो और इसीलिए सउदूदी भरेविया को उदारतापूर्वक सैनिक सहायता दी गई तथा अमरीकन सरकार की ओर से ईराक और जोड़न को पूर्णतः अपनी ओर करने का प्रयत्न किया गया। यदि सोवियत सघ इस क्षेत्र को पूर्णतः अपने पड़ोने में कर सके तो सफल होता है तो शोषण घने हुए विश्व के पौँजीपति देशों में एक भीषण तेल संकूट उत्पन्न हो जायगा और बहुत से देशों में उत्तोगो एवं कारखानों को बन्द करना पड़ेगा। तेल के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामरिक, बौद्धिक महत्व भी हैं। भेकेंडर और होस्पाफर के अनुसार जो कोई भी एशिया के केन्द्र का ओर योग्य के किनारों को नियन्त्रण करेगा वह विश्वद्वीप का नियन्त्रण करेगा और जो विश्वद्वीप का नियन्त्रण करेगा वह विश्व का नियन्त्रण करेगा।

अब तक हमने खाति में तेल का महत्व के बताने का प्रयत्न किया है। पुढ़ में तेल का महत्व और भी अधिक है। किसी भी आधुनिक युद्ध को यथेष्ठ तेल के साधनों एवं संपूर्ण बिना लड़ना असम्भव है। तेल की अनुरस्त्यति में जास्ती के उत्पादन से सेनाधों की गति तक सब कुछ रुक जायेगा। इसलिये प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिये यथेष्ठ तेल यानियों को प्राप्त वरना चाहता है। समुक्त राज्य अमरीका भी ज़िम्मे के पास तेल से अपने स्वतंत्र साधन हैं, मध्य पूर्व से तेल का आयात बरता है। समुक्तराज्य अमरीका में युद्ध के पूर्व से युग से आज दुगुनी रास्ता में भोटरें हैं। यह अनुमान दिया जाता है कि इस समय समुक्तराज्य अमरीका की सटीकों पर ५६० लाख भोटरें हैं और इनकी रास्ता में निरतर बृद्धि होती जा रही है। हवाई जहाजों दे लिये भी बहुत

धर्मिक मात्रा में तेल की भावश्यकता पड़ती है और हवाई जहाज और निर्देशित रोटेरी घरों के सिए बहुत ही उच्चवोटि के पेट्रोल की भावश्यकता है। इस प्रकार के पेट्रोल की प्राप्त करने के लिये बहुत धर्मिक मात्रा में रानिज तेलों की भावश्यकता होती है।

तेल को स्थानापन वेष्ट दी ही शक्ति द्वारा सहते हैं—जसविषुत और अणु शक्ति। ड्रिटेन, जिसका कि मध्यपूर्वी एशिया के तेल पर नियन्त्रण या गत हो गया, उसने इपर कुछ वर्षों में अणु शक्ति के सान्तिपूर्ण उपयोगों के विकास पर अधिकारिक ध्यान दिया है और वह विश्व का सबसे पहसु अणु शक्ति के द्वारा विजयी उत्पादन केन्द्र वाण्डवेल को स्थापित करने से सफल हुआ है। उसने विश्व का सभी पहला मनुष्यकृत बालमूर्य 'जीटा' वा निर्माण दिया है जोकि समुद्र के पानी से प्राप्त हुये हाइड्रोजन अणुओं से विशाल अणु शक्ति को उत्पन्न करेगा। ऐसे कुछ अणु शक्ति केन्द्र ड्रिटेन को घोटोगिक और गृह शक्ति की भावश्यकताओं को दूर फरने में सफल होगे। यह एवं महान् गतियों के सिए आवश्यक है कि वह शक्ति के अन्य साधनों वा समुचित विकास करें। क्योंकि यह प्रतुमान साधाया जाता है कि तेल बत्तमान उपभोग घर्वाद करने की गति से विश्व से सचित तेल के राष्ट्रन १०० वर्षों तक घम सकेंगे। इसी समय में दूसरे जनित के साधनों का विकास घोटोगिक सम्भवता के परिस्तित्व के लिये आवश्यक है। जापान ने अणु जनित से चलने वाले जहाज और गोवियत सम्पर्क ने अणु जनित द्वारा उसने दासी पन्नट्टी बेडों को तैयार कर दिया है। अपुरुत राज्य अमरीका उपने समस्त जहाजों बेडों को अणु जनित द्वारा उसने ही योजना पर विचार कर रहा है तथा भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने तेल के स्थान पर सूर्य की शक्ति को एकत्रित करने के उपयोग के लिये आवश्यक अन्वेषण करने प्रारम्भ कर दिये हैं। जिन्तु इस तरक इन सब प्रयोगों में पूर्णतः सफलता नहीं जित जाती तब तक तेल विश्व का प्रधान जनित राष्ट्रन रहेगा और इसके पश्चात् भी लिकनाटूट (Lubrication) का प्रमुख राष्ट्रन रहेगा। इसीलिये यह विश्व के प्रमुख देशों के बीच में एक प्रतिविनिता वा गुरा आपार यना हुआ है।

मध्यपूर्व वा आईजनहावर लिंडात और बगदाद राष्ट्र के पीछे पास अमरीकी गृह वह प्रमुख गूटनीतिक उद्देश्य है कि शोधित राष्ट्र के मध्यपूर्व में बहती हुए प्रभाव को रोका जाय। स्वेज संघट के पश्चात् बाले युग में नीरिया और जोड़न वा महत्व बढ़ गया है क्योंकि भूमि द्वारा जाने दासी तेल की पाइप साइरों वा महत्व बढ़ गया है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जोड़न को सेनिह और सार्विक सहायता के सामने द्वारा अमरीका ने उपने पश्च में कर दिया है। उसने आईजनहावर लिंडात की स्वीकार भी बर लिया है जिन्तु नीरिया गंयुस्त गणतान्त्र भरव में समिनित हो गया है और इसलिए आईजनहावर लिंडात और मध्यपूर्व में अमरीका वे द्रमांग की बृद्धि

का विरोधी । जब टर्की ने अंग्रेज ग्रमरीकी गुट्ट के पक्ष में रने के उद्देश्य से सीरिया को भय दिलाया तो सोवियत संघ ने एक अत्यन्त ही गम्भीर चेतावनी टर्की को दी थी । संयुक्त अरब गणतन्त्र का सोवियत संघ की ओर भूकाब देखकर ग्रमरीकन आगल कम्पनियों ने इजरायल और टर्की के रास्ते एक नवीन पाइप लाइन का निर्माण किया है । यद्यपि सऊदी अरेबिया सयुक्त अरब गणतन्त्र से व्यवेष्ट सहानुभूति रखता है किर भी यह ग्रमरीकी तेल हितो का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि इसकी राजकीय आय का एक मुख्य भाग तेल कर है । इसने तेल कम्पनियों से इसी का लाभ उठा कर कुछ और गते स्वीकार कराते हैं । १९५० में सऊदी अरेबिया और ग्रमरीका के मध्य में एक समझौते द्वारा तेल कम्पनी ने यह स्वीकार किया कि वह अपना कर मुक्त पद का अन्त कर देगी और तेल-कर के अतिरिक्त भी कम्पनी की आय के आधे भाग पर कर लगाने का अधिकार सऊदी अरब सरकार को होगा । यह समझौता सऊदी अरेबिया को ग्रमरीकी प्रभाव के क्षेत्र में रखने के लिए एक प्रबार की रिश्वत थी । शाह सऊद सेल के कारण ही विश्व का एक अत्यन्त ही घनाढ़य पुरुष माना जाता है । आर्थिक हिट से ये राष्ट्र अत्यन्त ही प्रदिक्षित एवं निर्बन्ध है । इसका अधिकांश भाग माधारणत रेगिस्तान है और यह बहुत योड़ा या नहीं के बशावर उत्पादन करते हैं । उनका को काम मिलने का कोई धार्यिक साधन नहीं है । तेल कम्पनियों ने उनको कार्य दिया है और इसके साथ ही साथ साधारण बृद्धि को समृद्धि भी । प्रो० कोस्टानिक इस मध्यस्थ में लिखते हैं कि :

'पेट्रोलियम मध्यपूर्व के बहुत मेरे थोड़ो मेरे एक नए प्रकार का जीवन लाने के अत्यन्त ही उत्तरदायी है । यह रेगिस्तान के लासको पर लादे गए घर्म और विलास की सामग्री के अनावा है । इसका एक दूरदर्जी परिणाम यह है कि बहुत दिनों से सम्पत्ता से दूर थोड़ो को सड़को, रेलो और हवाई जहाजों से पातायात द्वारा सम्बन्धित किया गया है । साथ ही साथ बन्दरगाह और हवाई घट्ट भी खोले गये हैं । दूसरा अनुदान हजारों व्यक्तियों वा कुण्डल और अध-कुण्डल स्थितियों के लिए प्रशिक्षण है । यद्यपि कुछ कम्पनियाँ ऐसे लोगों का स्थानीय सरकारों की ओर लेने जाने की निरन्तर समस्या उनके सामने है । यान्त्रिक कारोगरों को प्रशिक्षण देना तथा अरेबिक तथा इसकी भाषाओं का पठन और लिखने की शिक्षा देने लिए बहुत से स्कूल भी खोले गये हैं ।'

(करेन्ट, हिस्ट्री नवम्बर १९५७, पृ० २०१)

यहाँ पर हमें इस बाल वा ध्यान रखना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रो० कोस्टानिक के द्वारा बताये गए ये सब लाभ एवं विकासों का बहुत एक लाभ सर्वश्रेष्ठम् ग्रमरीकी तेल कम्पनियों के लिए है और मध्यपूर्व के साधारण व्यक्तियों को

तो इससे सामने वेवल आवश्यिक है। ताप ही ताप हमे पहचान रखना होगा कि इस सब समृद्धि के कारण मध्यपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति के शतरन्ज पर एक मोहरा बन गया है और पहले एक प्रथमत महस्तपूर्ण मोहरा है। किन्तु मध्यपूर्व की खायारण जनता आर्थिक साम्राज्यवाद की नीतियों को न तो समझती ही है और न समझता ही चाहती है। सरकार और जनता दोनों इस तेल द्वारा पाई गई समृद्धि से प्रसन्न हैं और वे दोनों इस बात को समझते हैं कि इस तेल का उपभोग स्वयं बरने में असमर्थ है इसलिए उन्हें विदेशियों वा सहारा लेना ही होगा।

मध्यपूर्व में भव भी सामन्तवादी युग चल रहा है। प्रजातन्त्र को वही पूर्णत भाने में समय लयेगा। यह राजनीतिक हॉटिंग से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहीं के राजा और जनता सीधे आर्थिक साम्राज्य से भी भविष्य साम्यवाद से ढारते हैं और उनका यह विश्वास है कि साम्यवाद की जीत वा अपर्याप्तता दिनांक है। अपनी जान बचाने के लिए वे अमरीकी पूँजीपतियों से मैत्री-भाव रखना चाहते हैं। और वे इस सभ्य को तब तक कायम रखेंगे तब तक कि अमरीका उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने की गारंटी देगा। प्रजातन्त्रीय अमरीका मध्यपूर्व में सामन्तवाद की सहायता ही नहीं करता, किन्तु उसको प्रोतोगाहन भी देता है। मिथ और सीरिया आदि शिंदे देशों में अपने सामन्तवादी युग वा अन्त कर दिया है उन्हें सोवियत सघ या साम्यवाद से ढारने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वे अमरीका की पूँजी-वादी व साम्राज्यवादी नीति को पूर्णतः समझते हैं। किन्तु जो देश आर्थिक व राजनीतिक हॉटिंग से भव भी मध्यपूर्व में हैं वे आइजनहावर सिद्धान्त में अपने लिए दुहरी दाल का आभास पाते हैं। वे गमनते हैं कि यह सिद्धान्त एक और साम्यवाद से और दूसरी और अपने देश के जनतन्त्रीय आन्दोलनों से उनकी रक्षा करेगा। मध्यपूर्व की तेल पूर्नोत्ति को पूर्णतः समझने के लिये इस ध्येय से सोचना आवश्यक होगा। वहीं से शासक अपने अपने प्राकृतिक साधनों पर विदेशों में इसी जाति पर वेचते हैं जि उसके बदने में वे विना भव के निरकुश शासन कर सके और विदेशी सरकारें उनको इस निरकुश शासन में सहयोग दें। द्वितीय महायुद्ध के पहले दिनेन इस कार्य को दिया गयता था। किन्तु जब मध्यपूर्व के राष्ट्रों को यह विश्वास हो गया कि विटेन भव सोवियत संघ से पूर्णतः रक्षा नहीं कर सकता है तो उनका भ्रुवाद अमरीका और यह गया।

मध्यपूर्वी राजनीति में सोवियत सघ को एक महत्वपूर्ण कठिनाई वा सामना बरना पड़ रहा है। एक समाजवादी राष्ट्र होने के बारण यह अपने आपको सामन्तवाद के पक्ष में नहीं रख सकता है और न सामन्तवाद की गुरुत्वा ही कर सकता है। ऐसा कार्य सम्पूर्ण विकास में इसके लिए हातिशारक होगा। यह वेष्ट समुक्त घरन गणतन्त्र जैसे राष्ट्रों को सहयोग दे सकता है और दे रहा है।

प्रजातन्त्र के विकास होने के कारण शनैः शनैः मध्यपूर्व की सामन्तवादी व्यवस्था का विकास हो जायगा। सामन्तवादी व्यवस्था पर जनतन्त्रीय शक्तियों के विजय पाने पर मध्यपूर्व भ्रमनी आधिक जीवों को तोह देगा और तेल मूटनीति का अन्त हो जायगा। ट्यूनिशिया, मिश्र, सीरिया और ईराक में ऐसा हो चुका है और वह समय अब दूर नहीं है जबकि मध्यपूर्व के दूसरे राष्ट्र भी इसी मार्ग को भ्रमनाएँगे।

फायज ६० सलेग के घनुसार—

“सोवियत प्रभाव, साम्यवादी सिद्धान्त को भ्रमने, भौपलिवेशिक तथा यहू-दियो द्वारा निए गए भ्रमानों को सहन करने तथा एक पिछड़ी हुई दशा को स्वीकार करने के विशद गतिशील राष्ट्रीयता अपने रचनात्मक सुधारों और सक्रिय तटस्थिता के दोनों हितों के द्वारा अधिक प्रभावशाली होगी। यह इन उद्देश्यों की पूति के लिए सन्धियों से, इकतरफा गुरुखा के सिद्धान्तों से शतों पर माधारित सहायता की योजनाओं से तथा बदले बी नीति से जिनको कि पश्चिम ने अब तक मध्यपूर्व में राष्ट्रीयता की चुनीती और सम्प्रवाद की पमकी के उत्तरस्वरूप भ्रमनाया है, कही अधिर थोग्य होगी।”

(कर्नेट हिस्ट्री, नवम्बर १९५७ पृ० २८७)

यह मध्यपूर्व की समस्या का एक अत्यन्त ही स्पष्ट विश्लेषण है। जिस तेलक था यह उद्दरण है वह अरब राज्यों के दूतावास वार्यात्मक के प्रस्ताव निर्देशक है और इनकी मध्यपूर्व देशों के सम्बन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत व्यक्तिगत अनुभव है।

— — —

आर्थिक साम्राज्यवाद

उपराष्ट्रवादी देशभक्त ग्रन्तराष्ट्रीय प्राप्तिक साक्षर्त्वों को सदैव राष्ट्रीय राष्ट्रिकोण से देखते हैं। ये पपने राष्ट्र की गम्भीर दूसरों के मूल्य पर चाहते हैं, और ये अपनी सरकार से ऐसी नीतियों एवं शक्ति के उपयोग व्या आजा करते हैं जिनसे कि उनके प्राप्तिक उद्देश्य पूरे हो जाएँ। एवं राष्ट्र की शक्ति राष्ट्रीय प्राप्तिक हितों को पुरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और यही यह प्यान रखता है कि यह राष्ट्रीय प्राप्तिक हित प्राप्ति स्वार्थी है, तथा इन्हीं को राष्ट्र महत्वपूर्ण समझता है, तो हम इस नीति की प्राप्तिक साम्राज्यवाद बहुते हैं। जिन्तु यह प्राप्तिक ग्रन्तनिमंत्रता पा उद्देश्य सब राष्ट्रों की गम्भीर और बहुमाण होना चाहिये न कि कुछ धोटे से बड़े राष्ट्रों के हाथ में एक शक्ति पा ग्रन्तमान हो।

उत्तादनों एवं उपभोक्ताओं दोनों में प्राप्तिक साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण हित ग्रन्तनिहित है। ये दोनों उप स्वार्थी प्राप्तिक राष्ट्रीयता के पदा में होते हैं। किन्तु प्राप्तिक साम उपभोक्ता वेतनभोक्ता कर्मचारी है और उनका उत्तादन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। उनका हित कम कीमतों, सस्ते मास, सस्ते महान और प्रत्यपिक मास एवं उप प्रकार की रोकायें में है जाहे यह उन्हें राष्ट्र के अधिकार से या किसी भी से ही क्षयों न आए हों। जिन सोंगों वा हित साम में है जो कि कीमतों पर निमंत्र करता है और कीमतें मात्र और गुण के नियम द्वारा नियन्त्रित होती है, ये ये सोंग है जो कि उत्पादन का नियन्त्रण करते हैं और उद्देश्य उद्योगपति है। यदि विदेशी मास की आवेदी रोका जा यावे, या उस पर प्रत्यपिक कर सकाया जा सके, यदि राष्ट्रीय उष्ठोगों को उत्पादण दिया जा सके तो राष्ट्रीय उत्पादक राष्ट्रीय बाजार पर एक प्राप्तिकार बन्धन कर सकता है और साम में गुण के लिए कीमतों में भी बढ़िया कर सकता है। सरकार तथा राष्ट्र की ओर से इसे जाने वाली प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष महायना के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गृहि उत्पादक प्राप्तिक ट्रिटि से ॥ जिसमी है उत्पादक राजनीतिक प्रमाण और

दबाव भी यथेष्ट होना है और वे सरकार की नीति और हिंटकोण को अपने हिन में करने में सफल हो जाते हैं। देश भक्ति राष्ट्रीय आत्म निर्भरता आदि के नाम पर वे अपने हिनो की रक्षा करने वाली नीतियों का प्रतिपादन करते हैं। देश भक्त और मुनाफाखोर दोनों साथ ही साथ इस सम्बन्ध में कार्य करते हैं।

आधुनिक धौर्योगिक सम्यता लूपी शरीर के लिए खनिज पदार्थ रीढ़ की हड्डी के समान है। राजनीतिज्ञों, नागरिकों और आधिक राष्ट्रवादियों के विवारो में उनको समान रूप से महत्व दिया जाता है। धौर्योगिक शक्ति के पूर्व प्रत्येक राज्य प्राप्त आत्मनिर्भर था। किन्तु मशीनों और बाधर शक्ति के आविष्कार के पश्चात् एक नवीन आधिक व्यवस्था का जन्म हुया जिसकी मूल आवश्यकताएँ बहुत बड़ी मात्रा में कोयला और लोहा थी। जिन राष्ट्रों ने पास यह मूल खनिज पदार्थ थे जैसे—चिट्ठेन, जम्बनी और अमरीका, वे विद्व के महान् धौर्योगिक राष्ट्र हो गये। इन यात्रिक दिकामो के कारण वह राज्य पुराने कृषि व्यवस्था पर आधारित राज्यों की शक्ति और साधनों में हराने में सफल हो गये। किन्तु धौर्योगिक विकास के साथ ही साथ राष्ट्र की सीमाओं के बाहर उपलब्ध खनिज पदार्थों की प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। कृषि प्रबान राज्यों ने अपने धौर्योगिकोकरण के लिए यथेष्ट राजनीतिक और सैनिक कारणों से भी उत्तीर्णी ही कोशिश की जितनी अपने नागरिकों के लिये अधिक समृद्धि और उच्चतर आधिक स्तर प्राप्त करने के लिए की। इन मूल खनिज पदार्थों के लिये अत्यन्त ही कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और राज्यों की नीति सदैव ऐसे खनिज पदार्थों के नियन्त्रण द्वारा आधिक से अधिक राजनीतिक व आधिक लाभ उठाने की रही है।

ये मूल खनिज पदार्थ विश्व के कुछ भागों में पाये जाते हैं और वह भी सीमित भावा में हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और विभिन्न पातुएँ विश्व के कुछ भागों में हैं और इनके उपलब्ध होने की भी निश्चित सीमा नहीं है। महत्वपूर्ण कृषि से प्राप्त होने वाले साधन जैसे कि रेवर, रुई, चोनी, गेहूं आदि का यथापि उत्पादन निरन्तर चल भक्ता है किन्तु ये भी विश्व के केवल उन्हीं प्रदेशों में हो सकते हैं जहाँ की मिट्टी और जलवायु इनके लिए उपयुक्त है।

बड़े-बड़े पूँजीपति आधिक साम की सोज में और अत्यधिक उपभोक्ता सस्ते माल की सोज में अपनी सरकार से सहायता व हस्तक्षेप की आवश्यकता करते हैं। राष्ट्रीय सरकारें ऐसी सहायता देने के लिए सदैव रहती हैं क्योंकि ऐसे खनिज पदार्थों का नियन्त्रण और उसके परिणामस्वरूप धौर्योगिक एवं सैनिक शक्ति उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बद्धि करने में सहायक होती है। वे जहाँ तक सम्भव हो, इन सनिज पदार्थों के स्रोतों का स्वतन्त्र रूप से नियन्त्रण करना चाहते हैं ताकि इनकी उपलब्धि मुद्रकाल में सुरक्षित रहे और दूसरी सरकारें या दूसरे राष्ट्रों के उत्पादक एक बीमतें निर्धारित

न कर सके। इन सद्वकारी परिणामस्थल्य राष्ट्र के भीतर एकाधिकारी वर्गविधों की कम्पनियों आदि का निर्गाल प्रारम्भ हुआ और यह काढ़े हस्त प्रत्यारप्तीय वीमतों से निर्धारित करते हैं। ऐसी राष्ट्रीय पार्षिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसे हूठवीत तथा तेज साम्राज्यवाद आदि गद्दावली का जन्म हुआ है और इन गद्दावली के उद्देश्य है सम्पूर्ण विश्व के गृह राजिक पदाधी पर एक ही राष्ट्र का एकाधिकारी नियन्त्रण ही।

मध्यपूर्व के लिए ऐसे एक पर्वतियाप बना हुआ है। कई महान् राष्ट्रों ने इस थीव में हस्तांश पर बरसे और दो गूँज राजिक पदाधी को घटने राष्ट्रीय नियन्त्रण में सामें के लिये प्रयत्न किये हैं। ग्रिटेन साम्राज्य ने साम्राज्यवादी कर और दूसरे देशों के सिये बद्द द्वारा की नीति अपनाई थी। इसी भारत से समुक्त राष्ट्र पर्वतीरा ने पिछले १०० वर्षों में तुले द्वारा की नीति के लिये आम्दोत्तन किया था। ग्रिटेन ने समानिया के गुट में हस्तांश पर करके उसके तेत के साथनों पर नियन्त्रण प्राप्त किया था और १६१४ से पूर्व ग्रिटेन तथा जर्मनी मध्य-पूर्वी रोम के लिए एक दूसरे से उस प्रतिद्वन्द्विता पर रहे थे। यही दूसरे राजिक पदाधी के लिये भी यहाँ जा सकता है।

राजिक पदाधी के पश्चात् घटना मात्र देवने के लिये बाजार की आवश्यकता नहीं प्रतिद्वन्द्विता प्राप्त होती है। ग्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक लिए घटना बाजार प्राप्त करने की विष्टा करता है। दूसरे देशों के बाजार पर पूर्ण नियन्त्रण दूजीवति और राष्ट्रीय सरकार दोनों वे लिये साम्राज्यक हैं। पूजीवति के लिये इनका घर्य होगा—प्रधिर उत्तापन तथा अधिक साम्राज्य, और राज्यों के लिये इसका घर्य होगा—पार्षिक, राजिक व्यापारों में वृद्धि। १७वीं व १८वीं शताब्दी में बालिज्यवादी घर्य-व्यापियों की विचार-घारा के घनुगार गरकार के लिए राष्ट्रीय पत्र और समूद्रिय में वृद्धि के उद्देश्य से व्यापार का नियन्त्रण करना आवश्यक था। उस काल में रोमनों को ही यह माना जाता था और बाहर में अधिक से अधिक हर प्रकार को सहायता देती थीं और आपात को रोमनों वे लिए या नियन्त्रणहित करने के लिए कर आदि लगाती थीं। उपनिवेश और उनके मानूदेशों के बीच में व्यापार केवल भारतेश के नागरिक ही कर सकते थे व्योकि उम गमय यह समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीय पत्र में वृद्धि होगी। ग्रिटेन और स्पेन ने एकाधिकारी व्यापिवेतिक व्यापार के लिए कई गुड मढ़े थे।

बालिज्यवादी पार्षिक सिद्धान्त तकनीक नहीं है। नियन्त्रित हमी उत्तमव तद्विक उग्रों गाय-वाय आयात भी हो और यदि ग्रत्येक राष्ट्र देवने नियन्त्रित कर्ता ही ग्रत्येक वरेणा और आवात को रोमनों वा कम परने वाले ग्रत्येक वरेणा तो पीछे-वीरे समस्त प्रत्यारप्तीय व्यापार बद्द हो जायगा व्योकि आयात बरने वाले राष्ट्रों के पास उम आयात के लिए पत्र नहीं रहेगा। १६ शताब्दी में व्यतीर्ण व्यापार और पार्षिक

दोनों में राज्य के हस्तक्षेप न करने की नीति के सिद्धान्तों पर अन्धम हुआ। मध्यम वर्गीय प्रथंशास्त्रियों ने भी राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया वयोकि यह भन्तराष्ट्रीय व्यापार में रुकावट डालता है। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रीयता के स्थान पर आर्थिक व्यक्तिवाद को अपनाया। १८४६ में ब्रिटेन ने अपने कानून लौं का अन्त कर दिया और स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपना लिया। संयुक्त राज्य मरमीका ने भी १८३०-४० तक विदेशी माल पर करों में यथेष्ठ कमी बढ़ दी। जर्मनी ने १९ वीं शताब्दी के मध्य में प्रायः विदेशी व्यापार के ऊपर करों का अन्त कर दिया। इस नवीन सिद्धान्त के प्रभाव से भन्तराष्ट्रीय व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप प्रत्यन्त हो सीमित हो गया। किन्तु १८७० के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में इस सिद्धान्त के प्रति एह विनिक्रिया हुई और विश्व की सरकारों ने पुनः आर्थिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को अपनाया। विदेशी माल को रोकने के लिए करों में बृद्धि की ओर फिर से स्वनिज पदार्थों व वाज़रों की घोल प्रभावभव की सधेष्ठ में, उन्होंने पुनः राष्ट्रीय, आर्थिक प्रात्मनिभंगता के सिद्धान्त को अपनाया। विदेशी माल पर अधिक कर लगाने से राष्ट्रीय उत्पादक अपने राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह शोषण कर सकता है। वह एकाधिकारी कीमते उपभोक्ताओं से वसूल न दर सरता है और उसे इन कार्यों । विदेशी उत्पादकों से प्रतिवेगिता न होगी। इसके द्वारा युरोपी रीतियों से उत्पादन करना सम्भव होगा और अयोग्य उत्पादकों को भी यह उत्पादन दोनों में सुरक्षित रखता है वयोकि इसके द्वारा उसे विदेशी प्रतिवेगिता से शरण मिल जाती है। यद्यपि इन कारणों से सम्पूर्ण राष्ट्र को आर्थिक हानि ही होती है किन्तु फिर भी राज्य को राजनीतिक लाभ होता है और राष्ट्र के उस वर्ग को जोकि राष्ट्रीय सरकारों की नीति को नियन्त्रित एवं प्रभावित करता है, आर्थिक लाभ होता है।

यह पूर्जीति अपने अतिरिक्त माल को राष्ट्र के बाहर देखना चाहते हैं और इसमें यह राष्ट्रीय सरकारों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय व्यापार में बृद्धि करने के लिए सरकारें रेत तथा जहाज के द्वारा माल ले जाने के किराये में कमी करने तथा उन स्वनिज पदार्थों पर, जिनको कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं पर हा देने के पश्चात् पुनः नियंत्रित किया जायगा, कर वापिस सौंठा देती है।

इन नीतियों का तर्क-संगत भन्त यह होता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए राष्ट्र के बाहर नियन्त्रित होई भी वस्तु खरीदना असम्भव कर देती है अपनी सम्पूर्ण शक्ति विना बाहर से लरीदे हुए, अपना माल बाहर देखने के लिए उपयोग में लाती है। इस नीति के कारण भन्तराष्ट्रीय व्यापार में यथेष्ठ रुप से बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और प्रत्येक राष्ट्र विना आयान इसे हुए नियन्त्रित के इन प्रयत्नों को दूसरे सब राष्ट्र भी अपने यहाँ पूर्ण शक्ति से विरोध करने लगते हैं। प्रायः इस भन्तराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिरोध को सुनकाने के लिए व्यापारिक संघियाँ, भन्तराष्ट्रीय व्यापार कर समझौतों आयात और नियंत्रित अभ्यन्त तथा अप्राइविक विश्व

व्यापार नियन्त्रण एवं पूर्ण सरकारी नियंत्रण के द्वारा भाग सोजने का प्रयत्न निया जाता है। १६३० में पश्चात् के इस नवीन वाणिज्यकारी सिद्धान्त में अन्तर्गत्वोद्य व्यापार पा अप्राप्तिक रूप से पला घोट कर एक विश्व व्यापिक माट उत्पन्न कर दिया है।

व्यापिक गाम्भाज्यवाद पा। हुनीय और अन्तिम घरण पूँजी के नियंत्रण के साथ प्रारम्भ होता है। औद्योगिक आन्तरिक के प्रथम भाग में रानिज पदार्थ, द्वितीय भाग में व्याजार और अन्तिम भाग में पूँजी का नियंत्रण होता है। प्रथम राष्ट्र के औद्योगिक विवाद में एक समय ऐसा अवश्य पाता है जबकि पूँजी का नियंत्रण मास के नियंत्रण से अधिक लाभदायक लिख होता है। विदेश द्वारा दोनों में पूँजी के नियंत्रण से अधिक साध पी मम्भावना है यद्योऽपि यहाँ पर यच्चना गत्वा और अब अधिक सत्ता है और इसातए उत्पादन में व्यापक व्यय होता है और व्याजार भी उत्पादन वेन्डों के विकट में ही स्थित है। यह पूँजी का नियंत्रण, विनियोग राजनीति को जन्म देता है।

द्वितीय विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र पा जिसने कि सर्वप्रथम पूँजीवाद के तृतीय घरण में प्रवेश किया और पूँजी का नियंत्रण किया। १६११ तक द्वितीय दो विदेशों में विनियोग की हड्डी पूँजी १६ परव ५० करोड़ डालर थी और इस विनियोग में १ परव डालर प्रति वर्ष वीर्य की वृद्धि हो रही थी। जर्मनी के विदेशों में ६ परव ७० करोड़ डालर उद्योगों में लगे हुए थे और इसके विनियोग में २५ करोड़ डालर प्रति वर्ष वीर्य की वृद्धि हो रही थी। काम्प का इस समय विदेशी विनियोग व परव डालर का या और उगमे ५० करोड़ डालर परति वर्ष वृद्धि हो रही थी। प्रायः योरोपियन पूँजी का ५० करोड़ डालर प्रतिवर्ष गयुक्त राज्य अमरीका में विनियोग का जबकि गयुक्त राष्ट्र अमरीका ने इव्य बनादा, योरप और कंरादियन लोन में १६१४ तक २ परव ५० करोड़ डालर की पूँजी नियंत्रण की थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध ने विदेशी पूँजी को रिहति में एकदम परिवर्तन कर। गयुक्त राज्य अमरीका जोकि उत्तर समय तक अहरी देश का प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विश्व का गदके बड़ा महाजन राष्ट्र हो गया। योरप में अमरीका के अहण और विनियोग में ७५ करोड़ डालर से वृद्धि होकर ५ परव ५० करोड़ डालर हो गए। बनादा में ६५ करोड़ डालर से ४ परव ५० करोड़ हो गए तथा दक्षिण अमरीका में १० करोड़ डालर से ३ परव डालर हो गए। अमरीका से पूँजी का यह नियंत्रण इनी प्रथित मात्रा में हुआ था १६११ तक सरकार के द्वारा अल्ल दिए गए धन के अनिरिक्त प्रथितीयी पूँजीपतियों के १८ परव डालर विदेश जा चुके हैं और १६१४ से १६२६ तक युद्ध से परोगियन राष्ट्रों का वंदेनिव विनियोग की इसी मनुगात्र से बढ़ी हो गई।

यह स्वाभाविक ही है। विनियोग करने वाले राष्ट्र तथा जिन राष्ट्र में विनियोग होता है उन दोनों के हृत विरोधी और विभिन्न होते हैं। वैदेशिक राष्ट्रीय गति

का एक महत्वपूर्ण प्रार्थिक शस्त्र गाना जाता है और इसे द्वारा पूँजीगति राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे प्रभाव एवं शक्ति वी पुढ़ि बरते हैं। इन राष्ट्रों की सरकारें पूटनीति और परोदा वल प्रयोग के द्वारा भी श्रेदिक विनियोग की रक्षा करती है। यह रक्षा पेशल उग श्रेदिक विनियोग को प्राप्त नहीं होती है जिसको कि राष्ट्र की सरकार राष्ट्र के लिए के विरुद्ध गमकती है और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारे प्रश्रयक स्प से पूँजी के श्रेदिक विनियोग पर विचलण करने में सफल होती है। यदि इस श्रेदिक विनियोग का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रार्थिक कल्याण होता हो तो राष्ट्रीय सरकार कपट, घैसानी भावित को बाद बरते पे लिए उचित इसको प्राप्ति और उनके द्वारा अलग लेने वाले यह देने वाले को उचित गरक्षण प्राप्त होता। इन्हुं पूँजी का यह श्रेदिक विनियोग सामाज्यकांद के शारण कुप्रभाव और भी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार ये द्वारा इस श्रेदिक विनियोग के नियन्त्रण के विष्व चार मुख्य राजनीतिक हिंड से आलोचनाएँ की गई हैं और ये इस प्रकार है—

(अ) श्रेदिक अलग प्राप्ति, घपने भिन्न राष्ट्रों का वलवान् बनाने के लिए दिए जाते हैं।

(ब) घपने गन्तुओं को नियन्त्रण रखने के लिए इन श्रेदिक अलगों को रोका जाता है।

(ग) इन राष्ट्रों वे द्वारा पूँजीगति राष्ट्रों की सरकारे नियन्त्रण के हप में किया जाता है और इनके द्वारा नियन्त्रण घोर विद्वदे हुए राष्ट्रों की गत्तारों से राजनीतिक, प्रार्थिक एवं वित्त सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

(द) इन अलगों वे द्वारा पूँजीगति राष्ट्रों की सरकारे नियन्त्रण हुए और नियन्त्रण राष्ट्रों की प्रार्थिक और राजनीतिक सत्ता पर घपना नियन्त्रण प्राप्त गती है और उन पर घपनी प्रश्रयक स्पष्टता स्थापित करती है।

माली जमनी, पार्सिएट इटली सुधा साम्यवादी इसे प्रधिनायतन्त्रीय सरकारे राजनीतिशी वो वीमते नियन्त्रित करने, वेतन नियन्त्रित करने, उत्तादन अम्यशी वी योग्यना बनाने, प्रागात ए नियाति, घग और सामान के नियन्त्रण करना, ध्यापारिक प्रतियोगिता वो दद्याने प्रार्थिक दोन में एकाधिकारी मनोवृत्त वी पूँदि बरते और साम्पूर्ण राष्ट्र वी एक प्रार्थिक द्वारा वी भावित भावित बरते वे प्रधिकार देती हैं। ध्यापार और वित्त सम्बन्धी इस पूँदि नियन्त्रण का उद्देश्य है—इनको राजनीतिक और सीनियर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाना। प्रधिनायकतन्त्रीय राज्य जोकि श्रेदिक विनियोग का नियन्त्रण करते हैं और प्रस्तराष्ट्रीय ध्यापार वो प्रदूष-वदल वे प्राप्ति पर चलते हैं, घपने ध्यापारियों को इस यात पर धार्य कर देते हैं वि वह मांग और पर्ति के प्राइविक विनियमानुसार न लारीदें व देचे किन्तु राष्ट्रीय नीति की

अपनाना पड़ा तथा प्रपत्ति प्रसिद्धि के लिए अमरीका भानों पर आधिक सहायता स्वीकार करनी पड़ी ।

(द) इस महायुद्ध से विश्व के आधिक देशों में अमरीका का पूर्ण आविष्ट्य स्थापित हो गया है । इस काल में संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रपत्ति उत्पादन, को प्राप्ति दुगना कर लिया और अपने वैदेशिक व्यापार में अत्यधिक बढ़ि की । अपने आधिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठा लिया । युद्धकालीन नियन्त्रण का अन्त वर दिया । 'खुने हुए बाजारों' की नीतियाँ प्रपत्ताई और उसे १६४८ में एक ऐसे विश्व का गमना करना करना पड़ा जोकि अमरीकन उद्योगों और सेनों को इस नियन्त्रण वदते हुए उत्पादन के खरीदने में असमर्थ था और अपना माल बेचने के लिए अमरीका को डालर सहायता इन देशों वो देनी पड़ी ।

द्वितीय महायुद्ध ने परिवर्मो यारोपीय राष्ट्रों की आधिक व्यवस्था को प्राप्ति विनष्ट कर दिया था । राष्ट्र के द्वारा अपनाए हुए प्रयत्न प्रवर्ध्यों के द्वारा इस स्थिति पे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । लाल सामग्री और बच्चे माल को खरीदने के लिए न उमके पास उत्पादन यक्ति ही बच्ची थी और न उमको बेचने के लिए बाजार ही थे । युद्धोत्तर युग में इस प्रकार एक आश्वयंपूर्ण स्थिति का विकास हुआ । योहप जूँकि कच्चे माल और लाल पदार्थों के आवाहन की कीमत नहीं चुका सकता था इसलिए योहप में करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हो गए और भूखे मरने लगे । दूसरी ओर अमरीकी आधिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह योरोपियन बाजारों के लिए निर्यात करे जोकि इसके बिना उद्योगों के बन्द हो जाने का भय था । और इन उद्योगों के बन्द होने पर बेरोजगारी में बढ़ि और उमके पक्षस्वरूप अमरीकी जीवन स्तर के नीचे गिरने का भय था ।

इस जटिल समस्या का संयुक्त राज्य अमरीका ने १६४५-४६ के बाल में योहप को योग्य माल दान में बेकर किया । अमरीकन उत्पादकों को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार क्षण या नोट छापकर कीमत चुकाती रही और योहप में उपभोक्ताओं ने अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में प्राप्त की हुई सामग्री के लिए कीमतें चुकाई परन्तु योरोपीय राष्ट्र न तो अमरीकन बाजारों को अपना माल निर्यात करके ही डालर प्राप्त कर सकते थे न वे निजी अमरीकन सेनों से क्षण से सहते थे और उनके पास अमरीकन सरकार द्वारा दिए गए माल की डालर मुद्रा में कीमत चुकाने का कोई साधन नहीं था । अन्तिम रूप में इस काल की कीमत को अमरीकी राष्ट्र को ही चुकाना पड़ा । इस अभूतपूर्व और आश्वयंजनक व्यवस्था से युद्धोत्तर युग के सबसे सकटपूर्ण काल में योहप को जीवन रक्षा गया और इसके द्वारा साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमरीका में भी पूर्ण उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार कायम रखा गया । इस युग में अम-

रोडा में १६ घरव दातर प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्णय दिया गया और इसके वैदेशिक व्यापार में इमको १ घरव दातर प्रति माह की प्राप्त हुई। इम वैदेशिक निर्णय को बताए रखने के लिए तथा विश्वव्यापी रक्षा-संगठन को स्थापित करने के लिए घर-भरी करकार की राष्ट्रीय करों में निरन्तर बृद्धि करती रही और इस कारण से वस्तुओं की कीमतों में भी निरन्तर बढ़ि हुई। इन कीमतों की बढ़ि से दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रथम तो, घरभीकी उत्पादन की एक घरानतिक बढ़ि हुई तथा साथ ही माप दूसरी ओर, इन्हें उत्तमोत्तमाधी की व्याख्या में भी यथेष्ठ कभी की गयी और इस ओर कारण घरभीका के विभाजन उद्योगों के अभूतपूर्व उत्पादन के लिए बाजारों को निरन्तर बढ़ी पहने सकी।

योरोपियन घारोग्य व्यवस्था (European Recovery Programme) जो कि मध्यकराज्य घरभीका के द्वारा मांगने योजना के रूप में प्रारंभित हुई थी और इसको कि विद्रोह साम्यवाद की प्रगति को बोर्डने लिए तथा क्रेमिन की नीतियों के विवर प्रतियोजनों के रूप में प्रारंभित दिया गया था। यथार्थ में योहर की प्रारंभिक व्यवस्था, शान्ति व पूर्व परिवर्तन के प्रारंभिक व्यापार पर किसी प्रकार की भी घरानतिक सहायता के प्रतिशोध अविकल्प थायारित है। योरोपियन परिवर्तनी योहर तथा कृषि-प्रशान्ति पूर्वी योहर प्रारंभिक हट्टि से एक दूसरे नी पूर्ति करते हैं तथा दोनों एक दूसरे के लिए प्रावधारक हैं। गुट्टन्डी ने योहर को विभाजित कर दिया; उनके बीच घरानतिक प्रतिशन्य एवं सम्बन्धों को स्थापित दिया; जिनके कारण दोनों ओर के योहर का प्रारंभिक मन्त्रुसन नष्ट हो गया और घरानतिक प्रावधारक कार्य उठाना पड़ा। किंतु यह घरभीका महायता निस्तार्थ नहीं थी। इम महायता के साथ एक घावशक गति यह थी कि इन राष्ट्रों को साम्यवाद के विवर घरभीकी धारोंका विवर-नुस्खे में शामिल होना पड़ेगा। घरभीकी धारोंका न इम महायता के प्राप्त करने वाले राष्ट्रों पर ऐसी घरानतिक शर्त समाई जिनकी विकासी भी स्वामिमानी राष्ट्र सहज स्थिर से स्वीकार नहीं कर सकता था और जिनके कारण साम्यवादी राष्ट्रों की घरभीका के विवर प्रबार करने का एक उत्तम एवं दृढ़ घावार प्राप्त हुआ।

पृथक्का वी इन जातों के घरानतिक महायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को घरभीकी स्थानीय मुद्रा में एवं पृथक् गाँवों में प्राप्त वी हुई महायता के बराबर ही वित्त जमा करना होगा। यह एवं घरभीका के राष्ट्रपति के नियन्त्रण में रहेगा और इसका व्यय घरभीकी गरवार के नियन्त्रण के घनुमार होगा। इन राष्ट्रों को प्राप्त वी हुई महायता को दूलं प्रदान करना होगा ताकि उनके नागरिक और वस्तुएं विवर वी घरभीकी वा उदारता ज्ञान हो जाय। महायता में प्राप्त हुई वस्तुओं का घरभीका वी आज्ञा के द्वारा निर्णय नहीं बर सहते थे। इम दिग्गेय साले के पन के वितरण में तथा इस महायता के वितरण में घरभीकी धर्मिकारियों द्वारा निरीशण उन राष्ट्रों वी

स्वीकार करना होगा । अन्त में अमरीका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि उपरोक्त शर्तों से कोई भी शर्त भग हो तो वह ऐसी सहायता को बंद करदे । इन शर्तों का अध्ययन करने से हम इन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपने आर्थिक क्षेत्र में अमरीकी प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ा तथा उनको इस कारण से अपमानजनक स्थिति में इस सहायता ने पहुँचा दिया था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान स्वतंत्र विश्व पर अमरीका का आर्थिक आधिपत्य छाया हुआ है । यह उन बहुत से राष्ट्रों की नीति के एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के नियन्त्रण करने का प्रयत्न कर रहा है जिन्होंने इससे आर्थिक सहायता प्राप्त की है । यह एक नवीन प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद है और इसके मुख्य उद्देश्य अमरीकी सुरक्षा योजना को दृढ़ बनाना तथा अमरीका की विशाल गौद्योगिक व्यवस्था को चलाने के लिए कच्चा माल, बाजार और अग्रिकल्चर का प्राप्त करना है तथा इनके द्वारा सोवियत संघ से अवश्यम्भावी युद्ध को जीतना है । यदि व्यानपूर्वक दस्ता जाप तो अमरीका के इस युद्धोत्तर आर्थिक साम्राज्यवाद में और इस शराबदी के पहले दशमाश के केन्द्रीय और दक्षिण अमेरिका में डालर कूटनीति और 'ओंकी साम्राज्यवाद' में कोई विशेष अन्तर नहीं है । केवल उद्देश्यों में ही परिवर्तन हुआ है यह सम्पूर्ण विश्व पर प्राप्तिक नियन्त्रण के उद्देश्य से है ।

संयुक्त राज्य अमरीका की वैदेशिक नीति

संयुक्त राज्य अमरीका की वैदेशिक नीति के मूलाधार १६२३ से प्रारम्भ होते हैं जो कि इस सम्बन्ध में एक भव्यता ही महत्वपूर्ण थर्ड है। इस थर्ड से अमरीकी वैदेशिक नीति का एक नया युग प्रारम्भ होता है। इस थर्ड में राष्ट्रपति मुनरो ने अमरीका के द्वारा सम्पूर्ण पश्चिमी गोलांड़ की सुरक्षा की गारंटी की थी तथा इस निश्चित नीति की घोषणा की थी कि वह परिवर्मी गोलांड़ में योग्य या किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तांते को तहम नहीं करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के द्वारा भी ऐसे हस्तांते पा विरोध करेगा। यह प्रारंभिक विनारोध समझे या दालिक आवेदन में नहीं की गई थी। राष्ट्रपति मुनरो ने भूतपूर्व राष्ट्रपति मैटिशन तथा जैफरान से विचार-विमान के करने पश्चात् तथा ग्रिटेन यन्त्री जांज कैनिङ्ग के अमरीकी राष्ट्र-दूत रिपोर्ट के यह प्राप्तान्त्र दे देने के पश्चात् कि ग्रिटेन वी नौसेना पश्चिमी गोलांड़ के विद्यु योरोपियन ताप्राप्तवाद के घाव्रमण होते पर अमरीका की राहायता करेगी, के पश्चात् यह घोषणा की गई थी।

नेपोलियन द्वारा स्पेन की विजय के पश्चात् जब योएल में और स्वर्ण स्पेन में खूले राजनीतिक प्रव्यवस्था और प्रारजता उत्तम हो गई थी, तब आम में दक्षिण अमरीका में स्थित स्पेन के उपनिवेशों ने एक समस्य विद्रोह के द्वारा प्रवर्तन कर लिया था। संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विमान को यह भय पा कि स्पेन परिवर्तनात्मक वाले देशों की राहायता गे इस विद्रोही उपनिवेशी पर युनः प्रविशार स्थापित करने की चेष्टा करेगा और इसीलिए मुनरो गिरावत की रक्षा हुई थी। इन अमरीकी उपनिवेशों पर स्पेन का युनः प्रविशार ग्रिटेन के हित में भी विद्यु या व्योकि ऐसा होने से योएल का ग्राहित-यान्त्रुक्त विवरन-तापिक वाले राष्ट्रों के पश्च में हो जाता और इससे ग्रिटेन की वैदेशिक नीति में मूल गिरावत—योएल में गतिशालुत्तम की हानि पहुंचती। दक्षिण अमरीका पर योरोपीय राष्ट्रों का प्रभुत्व और आधिक

हितो को भी गम्भीर हानि होती। समुक्तराज्य भगवीना को विवसित होती हुई शार्थिक व्यवस्था को अधिक बच्चे गाल और माजारों की आवश्यकता थी जो कि उसे केवल पश्चिमी गोलांड़ और एशिया के उन प्रदेशों में प्राप्त हो सकते जिनमें विस्तीर्णी भी योरोपीय राष्ट्रों का प्रभुत्व नहीं था।

भगवीनी और दक्षिण-अमेरिकन राष्ट्रों के नेताओं को ब्रिटेन के द्वारा जो सैनिक रक्षा सम्बान्ध महात्मा गूरुंत शात था। डेवस्टर परिवर्त्तन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दक्षिण भगवीना के नेताओं की हाइट—

“सहायता के लिए समुद्रों की मल्का पर थी जो कि उत्तर के नवयुद्धक गणतन्त्र पर………… और जब सदृश निश्चित रूप से टल गया था तब इन सभी अधिकारों ने यह पूरुंतः स्वीकार किया कि ब्रिटेन का हितकोण ही वास्तव में निष्ठावान था। यथापि उन्होंने समुक्त राज्य भगवीना के इस सम्बन्ध में पार्थी वीरहेताना नहीं बी थी। यह आविधार अधिकारी भगवीनी में काल भगवीनी पूरुंत होगा यदि हज़ १८२५ में अपरिष्कृत भगवीनी प्रजातन्त्र की उस शक्ति वे, जिनका सम्बान्ध और जिनकी शक्ति नेपोलियन वी बाटरसू वी हार के द्वारा पराया जाना वाली व्यापक अधिक प्रभावशाली थी, के मुहावरे में अधिक महत्व दें।”

(हैंड्स आफ ए हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटेन)

समुक्त राज्य भगवीना की जनता वभी भी ब्रिटेन द्वे जो सैनिक सरकार तथा मुनरो तिदान्त के नियमान् पौर यनाए रखने में जो सहयोग दिया था उसके महत्व को सम्पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने में असमर्प रही। यथार्थ में मुनरो तिदान्त पर ब्रिटेन भगवीना का यह समझोता पृष्ठ तथा असिरिया का भी भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिटेन के लिए समरासीन योरोपीय राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वे स्पष्टरूप से दक्षिण भगवीनी गणतन्त्रों वी स्वतन्त्रता को मान्यता नहीं दे सकता था। इसीलिए भगवीना के विदेशमन्त्री जौन विल्सनी एडम्स ने इस गुप्त समझोते का विरोध करते हुए कहा था कि ब्रिटेन यह भी—

“अपनी नीति को बताने और भीमिक दोनों के विभाजन और वितरण के समूरूप करने के लिए स्वतन्त्र होगा जो कि विद्युती जाताधी रो समस्त योरोपियन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अन्तिम निर्णय का तिदान्त रहा है।”

इन बारणों से मुनरो तिदान्त को भगवीना के एक-तरफा तिदान्त दे रूप में घोषित किया था। ब्रिटेन द्वारा कोई भी स्पष्ट भवा लिखित समझोता न होने से बारण

योरोपीय राष्ट्रों द्वारा इसके भगवानें गों गमधारना सदैव रही है। इसको बनाए रखने में दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक हित ही इसके प्रस्तुत्य के लिए प्रयत्न्यासुं गारंटी ये प्रोर इस प्रत्यक्षता का कुछ वर्षों पश्चात् अत्यन्त ही गमधीर परिणाम हुआ। १८६३ में नेपोलियन तृतीय ने मुनरो सिदान्त को भगव बरते भैंशिकों से कानून का एक व्यापुतली साम्राज्य स्थापित किया था। यदि नेपोलियन द्वा इस कार्य में सफलता निश्चाती तो विश्वमी गोलाढ़ में इसके प्रत्यन्त हो गमधीर परिणाम होते। फान्स ने साह जॉन रसेन तथा स्पेन से स्पष्ट ब लियिन समझोते की प्रत्यक्षिति में इस साम्राज्य की स्थापना के लिए स्वीकृति सेने में सफल हो गया। गमधीरा स्वयं इस गमधय गृहमुद्देश ये वीड़िन या प्रोर इसनिए मुनरो सिदान्त को भगव होने से रोकने में अगमर्य था।

यद्यपि नेपोलियन ने साम्राज्य स्थापित करते का यह प्रयत्न प्रान्ता वी परेतू यमस्यापों तथा कुछ समय पश्चात् ग्रिटेन की गहायना न रहने पे बारात् प्रसफत रहा जिन्तु किर इसके गमधीरी राजनीतिको पा घायन, मुनरो सिदान्त को इस बमी एवं नियंत्रणा की प्रोर पूर्ण स्व से आकृपित किया। गमधीरा गमधीरा भैंशिकों को फ्रान्सीसी औजाओं से सासी सम्भवत, न करा पाता जिन्तु किर भी इस प्रत्युभव यो गमुक्त राज्य गमधीरा के नेताओं ने तथा जनता ने पूरी तरह से नहीं हीमा। उग्छोने कभी भी मुनरो सिदान्त के निर्माण में बनाए रखने में ग्रिटेन सामुद्रिक शक्ति के द्वाग एवं प्रतुदान के प्रत्यक्ष को पूर्णतः नहीं समझा। ग्रिटेन के गाथ इस प्रदात वी प्रस्तर्ष स्थिति से गमधीरी जनता के ग्रामविश्वास वी खड़ा गमना और होई भी राष्ट्रपति ऐसी गमना ह देने का गाहग नहीं कर सकता था। गवर्नर घास्तर्य वी बात सो यह है कि गमधीरी वी देविति नीति के मूल गिदान्तों का इनका प्रस्तर्य मूल्यानन करते हुए भी गमधीरा ने थीरे-थीरे मुनरो सिदान्त की विस्तृत गीमापों से भी बाहर प्रगते उत्तरादायित्व में निरन्तर वृद्धि थी। १८५४ में वैसेत वशीग ने एक समिति द्वारा घीन से कुछ बन्दरगाहों में व्यापार करने सिए कुछ विशेष घणितार घान वर लिया। १८५३ में बमाहोर वीरी ने बगाथा वी गमिति के द्वारा जागान को गमधीरी व्यापार में लिए गोंपों में गमधीरी रही तथा गमधीरा वी सामरिक गीमा व्याप-व्यापति तह पूर्ण गई। १८५८ में गीमोद्या में गीमो-गीमो नामक स्थान पर व्यापारी जहाजों के लिए एक बोर्डे का गठन होमा गया। १८६८ में हवाना टीप-न पूर्ण व्यापा विस्तारण पर गमधीरा ने गमना घावित्य जमाया। इस गमय गमधीरी सामरिक गीमाएँ ग्राम्यूटिन में वित्ता वी मिथ्ये होई गूर्दे गीमोद्या द्वाग एवं विद्युत व्याप-व्यापार

जिन्तु हवने पर भी गमधीरा को गोंपों न हुआ और ग्राम्यूटिन सापर में गमधीरी गोंपों में ग्राम्यूटिन होमी रही तथा गमधीरा वी सामरिक गीमा व्याप-व्यापति तह पूर्ण गई। १८७८ में गीमोद्या में गीमो-गीमो नामक स्थान पर व्यापारी जहाजों के लिए एक बोर्डे का गठन होमा गया। १८८८ में हवाना टीप-न पूर्ण व्यापा विस्तारण पर गमधीरा ने गमना घावित्य जमाया। इस गमय गमधीरी सामरिक गीमाएँ ग्राम्यूटिन में वित्ता वी मिथ्ये होई गूर्दे गीमोद्या द्वाग एवं विद्युत व्याप-व्यापार

हा ऐ पश्चात् गहायामर में १५०० घीत तरं औरी हुई थी । शिलीपाइन के १२४४
भी भारीका पर विषेश उत्तरदायित्व था पड़े । गतीका २) के एवं गतहर एवं एक
प्रोलाई स्त्रीवा जाय हो १५०० घीत के अन्तर्गत में जायात २) प्रोलाई विषय,
मृगों कोरिया, घीत की अधिकांश भाग, एवं क्लीसी हिन्द नीत, गतागत तथा बन्धान
एवं तेजिया के बोल इस गोलाई में आ सकते हैं । शिलीपाइन पर भवित्वात् स्थानित
शर्ते के पश्चात् भारीका से याते भागों पूर्वी एशिया के सामाजिके भौपोलिक
के एवं तथा गातागत की रेखाओं के सामरिक खोटाहो पर विषय कर दिया गया ।
गत भारीका की बुरी एवं यावते विस्तृत दृष्टि या और इस कारण ३ जुलाई १६००
को, जान हो ने गह इहा कि "संग्रह राज्य सम्पादन वी गह तीति है कि कह एवं ऐसा
हत खोबते का प्रमत्य करे" जो कि दूसरे नामुओं में याव "चीत वी भौपिक और
प्रशासनीय इकाई को बताए रहे" दूसरे शब्दों में, भारतवा में इस विनाक से वहों
कोषण की जन सामाजिकवादी शक्तियों दे दियात वे तिए बाध्य कर दिया जो कि वह
भाग्य घीत को यानी सामाजिक विषया का एवं बनाए हुए भी और यही बाज बहुत
मात्री में भाज भी रात्य है ।

गह गहत्वार्थ विनाक यवर्ती राज्यपाति गेकवितो के शब्दों ग भारीका
जनता पर बह यदेशों की जनता को द्वितीय बताते शिवित्स एवं राज्य जनते के लिए
दैश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व या विस्तु यथाये ग तथा व्यक्त जनते से गह गुलों चिन्हात
का ही विनाक था । गुलों चिन्हात को भारी रूप देने के लिए तथा गोलापिण्ठ शतियों
को विचारी गोलाई से द्वा रहते के लिए भारीका ने पश्चात् गहायामर ग भानी
भीपायो का विनाक दिया एवं गायिक गहन न दीको १) यात दिया । यद्यपि
इन यदेशों गहत्वार्थों उद्देश्य लेना कि हा बना यहे है भारीका की चलाइत
मत्ति और विनाक होनी हुई भायिक भवाना व लिए भाकानों की लोक भी । गह
विनाक उत्तरदायित्व १६१८ तरं भारीका ने याते यारे तिए व और एवं गहायामर
पश्चात् ग भानों में इन उत्तरदायित्वों ने गुलों चिन्हात गह एशिया दे राजित्या के
विद्यान जो लोह दिया था । विस्तु भारीका की वैदिक नीति व की नभी जनते
उत्तरदायित्वों के भार को वहत बरते योग्य मती रही और भारीका ने कभी भी इस
भान का गुण प्रस्तुत मती दिया कि यह याते उत्तरदायित्वों और यानी भवि है जो विनेत

भारीकी उत्तरदायित्वों को गुरा एवं यहोंके लिए राज्यपाति यातोदोर द्वारा देने
प्रतागत अहर के निष्ठान पर और दिया जावि भारीकी तो याता गहायामर ना यहोंके पर
एवं लोकिक और पश्चात् गहायामर की भीताना है एहुन यहे । विस्तु इसी नीति के
मुतारे पश्चात् भी हुए विनाके कारण गहायामर द्वारा देने वाली है जो विनेत

से निकट संबंध स्थापित करने पढ़े थे तथा चोन में घमगोकी हित और निती सप्तर्ण के बारए कभी भी खिटेन और घमरीका में सम्बन्ध विच्छेद का घवतार न घाने पावे, इसका प्रयत्न करना पड़ा । इसके कारण समुक्त राज्य के राष्ट्रपति वो १६०५-६ में घोरकी समस्या में र्भ घ्रता से हस्तक्षेप करना पड़ा जोकि राष्ट्रपति यह स्पष्टतः समझते थे कि एक योरोपीय महायुद्ध होने की दशा में घमरीका और उसके विशाल उत्तरदायित्व वो योरोपीय शक्तियों से रक्षा नहीं हो पाएगी ।

विन्तु घमरीकन वेंडेजिक नीति का यह यथावंशादी हिटकांगु बाद में घाने वाले राष्ट्रपतियों ने नहीं प्रयत्नाया । घमरीकन जनता संघ और गुटो के हस्तेश विद्वद रही है और उनका जो विचार था कि राष्ट्र निर्माताओं में मिटान्तों के अनुसार पह विरोधी ही है । १८२३-१८३ तक ७० संघ में मुनरो सिदान्त का ठीक प्रकार पालन इसी बारए हो सका कि उसने पालन करने में खिटेन और घमरीका दोनों का हित या और इस सबप में एक स्पष्ट समझौता था । घमरीकनों की सहायक संघियों के प्रति विरोध भी आवना के दो मुख्य आपार १७६६ में वाशिंगटन का विदाई-भाषण तथा १८०१ में जैफरन का उद्याटन भाषण है । वाशिंगटन ने इस सबप में कहा था कि :

“योरप के प्रयत्ने कुछ मूल स्वार्थ है जिनका कि हमसे नोई सबप नहीं है या बहुत दूर के सबप है और इसोनिए हमार लिए यह घुडिपूलं होगा कि प्रशाहित सबपों द्वारा हम प्रयत्ने आपको उसकी राजनीति का सामान्य दोयों में नामिल करें या उसके सामान्य मित्रों और अनुभों के गुटों तथा गपयों में भाग लें ।”

वाशिंगटन ने यह गम्भ उस समय कहे थे जबकि पान्ति की राज्य-काँति घमरीकी जनता की गहानुभूति वो इक्सेंड और पान्ति के समर्थकों में विमाजत कर रही थी । वह घमरीका की प्राप्ति के गम्पुण्ड गुटों में जापिल नहीं करना चाहता था और इसनिए उसने यह स्पष्ट गम्पों में घोपणा की कि प्राप्ति के साप १७७३ की सहायता-सन्धि पूर्ण हुआ से एक प्रस्तावी सन्धि थी । विन्तु इसका यह प्रयं नहीं है कि वह मैटान्निक हिट से नव प्रकार की सहायक-सन्धियों में विद्वद था । इसका बेवस यह प्रयं है कि समय और परिस्थिति में पनुगार जब घमरीका के हितों की रक्षा के मिए सहायता-सन्धि वो प्रावश्यकता हो तो उसे करना चाहिए और जब ऐसा करने से हानि की गमाहना हो तब नहीं करना चाहिए ।

यह सत्य है कि वाशिंगटन राज्यी सहायता संघियों के विद्वद था विन्तु साप ही साप यह भी सत्य है कि वाशिंगटन और जैफरन खब प्रहार की सहायता-संघियों के विद्वद नहीं थे और उन्होंने सबप आवश्यकता पढ़ने पर उपयुक्त सहायता की सोज की थी तथा सहायता-सन्धि की घमरीका के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझा था । रवप जैफरन ने राष्ट्रपति मुनरो की खिटेन से गमभोता करने के मिए गमाहदी थी जो

कि उसकी राय में विषय में ब्रिटेन ही ऐसा राष्ट्र था जो कि अमरीका तथा अमरीकी हितों को हानि पहुँचा सकता था । रण और कैनिंग हारा किया गया अव्यक्त समझौता बहुत दिनों तक चला किन्तु इस समझौते का आधार कोई लिमिट सहायता-समिति नहीं थी ।

विस्मार्क ने १८७१ में कहा था :

"हमारा यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि अमरीका में कही भी हम स्थान प्राप्त करें और हम उस सारे महाद्वीप में अमरीका के प्रभाव के महत्व वो स्वीकार करते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक ही है और उसका हमारे हितों से पूर्ण समर्जन है ।"

किन्तु १८०२-३ तक जर्मनी के हिट्कोण में परिवर्तन हो चुका था । जर्मनी ने पश्चिमी योलाद्द में अमरीकन प्रभाव को छुनौती देना प्रारम्भ कर दिया था और साथ ही पाव ब्रिटेन की नी सेनिक शक्ति से भी कड़ी प्रतिवेदिता प्रारम्भ की थी । १८०० से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन तत्व का जन्म होता है और वह यह है—जर्मन नी सेना और उसके परिणाम रूप स्वरूप नवीन जर्मन साम्राज्यवाद का उदय । मुनरो सिद्धान्त का यह आपार छि एटलाइक में ब्रिटेन का सदैव पूर्ण प्रभुत्व रहेगा, अब सत्य नहीं था । अमरीका वे प्रमुख उत्तर-दायित्व प्रशासन महासागर में थे और इसलिये अब अमरीका वे लिये यह अत्यन्त प्रावश्यक हो गया था कि वह घब एटलाइक महासागर की ओर में आग्रहण गे रक्षा करने के लिये एक नवीन नी सेना का निर्माण करे । किन्तु घब भी अमरीकी जनता और नेता उसी पुरानी वैदेशिक नीति को जिसको कि साधारणत हम प्रथरत्व की नीति बहुत है और जिसको वाल्टर लिपमैन ने दिवालियेपन की नीति कहा है, नहीं थोड़ा ।

अमरीका ने १८१४ से १६ तथा सितम्बर १८३६ से जून १८५० तक जापान की ही भाँति ब्रिटेन वो भी निशास्त्र करने की नीति अपनाई और अमरीकी रैरेशर नीति इतनी अधिक इस काल में बन्धी थी कि उसे ब्रिटेन या जर्मनी की नीति में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता था । राष्ट्रपति विल्सन का राष्ट्र सधे ने द्वारा गाम्हिंगुराथा आदेशों में भी महायता संघियों के विरोध में वृद्धि ही । यदि अमरीका राष्ट्रगत म होता तो यह व्यवहार में ब्रिटेन तथा फ्रान्स के साथ में एक पक्का वा मुख्या ने लिये समझौता होता । कम में कम जापान और जर्मनी के पुनर्जीवीकरण ने गाम्हेने ब्रिटेन और अमरीका एक दूसरे के निशास्त्रीकरण का प्रयत्न तो नहीं करते । राष्ट्रगत के अमरीकी विशेषी यह जापते थे कि राष्ट्रमंड में समनित होने वा खर्च है ब्रिटेन और अमरीका में एक पक्का वा महायता संघि जिसका कि राष्ट्र ने राष्ट्रपति मुनरो वे समय से विरोध किया था । वास्टर लिपमैन वे मनुसार अमरीकी आलोचना ने राष्ट्र-

संघ को एक छिपी हुई शक्ति राजनीति की समिति भी बताया है तथा यह वात्सल्यका प्रादर्श भी।

विस्मय तो यह है कि विलमन ने बिना सहायक समिति के ही सामूहिक गुरुदा स्थापित करने का प्रयत्न किया। एक प्रकार से वह अपनी की रथाग कर आमलेट प्राप्त करता था। विलमन की असफलता अमरीकी जनता द्वारा अपनी विदेश कीति की मूल आवश्यकताओं को न समझने का तबसे बड़ा प्रमाण है। १६ वीं शताब्दी का प्रवयत्व सिद्धान्त २० वीं शताब्दी में भी उल्लंघन करता रहा। और अमरीकी जनता यह भावही रही कि अमरीका ने कभी भी विसी से भी सहायक समिति नहीं की है। उन्हे मुनरो द्वारा स्थापित अध्यक्ष समझीति के महत्व का समझने का प्रयत्न नहीं किया गया। १९६६ से १९४१ तक अमरीका ने कीन बड़े पूँछों में जाग लिया बिन्दु यथार्थ में एक भी सच्ची वैदेशिक नीति का निर्माण किया।

इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही अमरीका की नीति बैन्डीय अमेरिका के रूप से विशेष रूप से तथा अपूर्ण दक्षिण अमरीका में सापारण्तः वैदेशिक नीति का प्राप्तार ढालर बूटनीति था। इसने क्लोसमियों में यात्रा नहर निर्माण के लिये हस्तक्षेप किया। निकारा गुप्ता, कौस्टारीका गालबोरे में सैनिक घट्टे स्थापित करने तथा सानिज पदार्थों पर आधिपत्य जमाने के लिये अपने प्रभाव को बास गे साया। इस प्रसार बूटनीति के द्वारा बैरीविधन क्षेत्र में अमरीकी प्रभाव में अस्थिर बढ़ि हुई थी। इस नीति के कारण अमरीकी व्यापारियों को अस्थिर साम हुआ और उसने अमरीका को दक्षिण व बैन्डीय अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों के लिये एक भय भी बतु बना दिया।

ढालर बूटनीति पर आपारित इस वैदेशिक नीति का प्रयम महायुद्ध के पश्चात् अन्त हो गया और पश्चिमी गोलांदं के देशों में निष्ठवर्ती सम्बन्धों की स्थापना ही यह तथा पैन अमेरिकन तथा भी स्थापना हुई। १९६६ में इस पैन अमेरिकन सम का विकास हुआ जबकि २१ अमरीकी राज्यों का एक सम्मेलन हुआ और इसने सामूहिक गुरुदा के लिये १९३५ की लोमा पोपला, १९४० का हवाना एक्ट, १९४५ का चिपल्टेपक एक्ट तथा १९४७ का रायोहोजनेरियो एक्ट के द्वारा मुनरो लिदान्त का एक पक्षीय से बहुपक्षीय पोपला का रूप दे दिया। १९४७ का रायोहोजनेरियो एक्ट ने अमरीकन राज्यों को विदेशी एवं एक दूसरे के प्रति गुरुदा का पूर्ण आधारन दिया। निरन्तर होने वाली क्रान्तियाँ तथा सीमा गणपों के कारण और इसी साथ उठाने में लिये अमरीकी हस्तक्षेपों को रोकने के लिये इन एक्टों भी आवश्यकता पड़ी। प्रजेन्टाइना तथा चाइन का अमरीकी राज्यों के द्वामनों से बूटनीतिक सम्बन्ध होठने के सिद्धान्त का विरोप के पारण भी शायक राज्य और दूसरे अमरीका राज्यों को सामूहिक गुरुदा के लिये निष्ठवर्ती सम्बन्ध स्थापित करने पड़े। इन राज्यों में धुरी जलियों के राजदूतों की गुप्तवर कार्यकारियों अमरीका के गुरुदा प्रणालन को लिये प्रहायुद में अस्थन ही बढ़िता का वायना करना पड़ा गा विशेषकर उनकी

इस सम्बन्ध में चिन्ता जमंत रोनाओं के द्वाकार पर आधिपत्य जमा लेने वे पश्चात् जो इ ब्राह्मील से निवट था काफी बढ़ गई थी। १६२६ तक विजय और डालर कूटनीति के द्वारा अमरीकी साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार २ लाख वर्गमील वे क्षेत्र में हो चुका था तथा २ करोड़ २० लाख जनसंख्या पर उनका राज्य था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस प्रभाव में अस्थिरित वृद्धि हुई और आज इसका विस्तार १४ लाख वर्गमील तथा ७० करोड़ जनसंख्या पर पैला हुआ है। अमरीका का सामरिक प्रभाव और क्षेत्र शोषण, दक्षिण अमेरिका, भूमध्य सागर, केन्द्रीय तथा उत्तरी अफ्रीका, निवट पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया तथा विश्व के और कई भागों में फैला हुआ है। अब पुर्तगाल के अधिनायक सलाजार से टर्नर बार्टलेज ने साक्षात्कार में यह प्रश्न पूछा कि पुर्तगाल किस और है? तो उसने यह उत्तर दिया था कि पुर्तगाल निश्चित रूप से अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में है। यह उत्तर मिथ्क करता है कि अमरीकी प्रभाव क्षेत्र वित्तना विस्तृत है।

युद्धोत्तर युग की अमरीकी वैदेशिक नीति जिसका मुख्याधार द्रूमैन सिद्धान्त तथा उसके आवहारिक रूप मार्शल योजन है और पाइन्ट ४ है, ने पुरानी प्रथकर्त्ता की नीतियों दो बहुत पीछे छोड़ दिया है तथा अमरीका प्रब सम्पूर्ण साम्यवादी विश्व पर गुनरो लिद्दान्त का लागू कर रहा है। साम्यवाद को रोकने के लिए एक विश्व सामरिक योजना द्रूमैन सिद्धान्त के द्वारा लागू की गई है वह यह रिद्ध करती है कि द्रूमैन सिद्धान्त गुनरो लिद्दान्त का ही विस्तृत रूप है। यह भी पूर्णतः सत्य है कि मार्शल योजना और पाइन्ट ४ में विश्व का प्रजातन्त्र के लिए बचाने का उद्देश्य तथा आधिक राष्ट्रीयता के स्वार्थ दोनों समान रूप से सतुरित हैं।

योहप के पूर्व और पश्चिम के विभाजन के बारह उसका आधिक सत्रुतम बिगड़ गया है। युद्ध के पूर्व कृपि प्रधान पूर्वी योहप तथा प्रोटोगिक पश्चिमी योहप एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति बरते थे और इससे दोनों की आधिक साम्राज्य था तथा योहप में इस कारण से आधिक सत्रुतम बना हुआ था। अब पूर्वी योहप की अपने प्रोटोगिक आवश्यकता की बस्तुएँ सोवियत सघ से मिल जाती हैं परन्तु पश्चिमी योहप की खाद्य सामग्री तथा बच्चे माल के लिए अधिक ही कठिनता का सामना करता पड़ रहा है। पश्चिमी योहप की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मार्शल योजना का निर्माण हुआ। युद्ध के पश्चात् विश्व के इसी भी राष्ट्र ने पास न इतना सोना था न बच्चा माल और न सेवायों के साधन जिनके द्वारा वे अमरीका के किसान उत्पादन को स्थिर बनाते। और अमरीका स्वयं इस कारण से बड़ी आधिक कठिनाई में पड़ गया था। इसके सामने दो ही मार्ग थे—या तो यह अपने उद्योगों को बदल करके बेरोजगार व आधिक स्तरों के पतन की समरणा का सामना बरता या वह अपने अतिरिक्त उत्पादन को उन देशों को दान देता जिनमें कि उनकी अत्याधिक आवश्यकता थी। इन्तु जिनके पास उसे खरीदने के लिए आधिक सामान नहीं थे। मार्शल

योजना में अमरीका की दावर यूटनीति ने एक नवीन स्थाने में जग्ग मिया है और विश्व की राजपानियों को भयभीत करता हुआ साम्यवाद का भूत इस नवीन दावर यूटनीति का सबसे बड़ा सहायक है।

युद्धात्मक साम्राज्य अमरीका के पास १ घरेव दावर प्रति माह की माप थी। और यदि सम्भूलुं राष्ट्रीय यैदेशिक प्राप्त का हिसाब संगता जाप तो यह १६ घरेव दावर प्रतिवर्ष में भी आधिक रहती थी। इसमें से प्रथिकांश भाग अमरीका ने योष्टप का पुन अपन पौव पर रखे होने के लिए प्रनुदान मिया बिन्तु वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद को राखना और अमरीका के सिमे राष्ट्रिक महत्व में पहुँच दाग्त प्राप्त करना था। यह बात यदि हम इन सहायता योजनाओं को व्याप्त पूर्वद देखें तो पूर्णत यिद ढा जानी है क्योंकि इन योजनाओं में राष्ट्रिक साम्राज्य प्राप्तिक व्याप्त योजना याम्प्रा में कही प्रधिक प्रत्युत्तम में है। मार्शल योजना का प्रणालीन एव गति भी इसी दिशा वो और संकेत करती है। इन योजना में गहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक राष्ट्र १। गहायता में प्राप्त हुए माल की विमत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में विशेष साते में जमा य रनी आवश्यक थी और इस विशेष साते का प्रणालीन प्रमरीका के राष्ट्रपति के प्रधिकार में था। मिठ० एवरेल हीरीमेन ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैतियत में इन विशेष गारा १। याद के देशों में प्रणालीन किया था और उनके अधीनस्थ प्रधिकारी इन योजना के वितरण का भी निरीक्षण कर सकते थे। यह भी आवश्यक था कि गायान पर स्पष्ट स्पष्ट से यह सेविल संगता जाप कि यह अमरीका तो गहायता स्पष्ट में या दान स्पष्ट में प्राप्त हुआ है। इन प्राप्तार से अमरीका ने मार्शल योजना के द्वारा अपना अनिरिक्षण माल भी वेच मिया और गाय ही गाय उन राष्ट्रों की जिन्होंने कि इन योजना के प्रनामेत गहायता प्राप्त की थी, प्राप्तिक व्यवस्था पर अपना प्राधिकार भी जमा लिया है। इन राष्ट्रों को हम सम्बन्ध में अपमानजनक गते भी स्वीकार करनी पड़ी थी। इसी बारए से यद्यपि पहले द्रिटेन ने इस योजना का विरोप पिया तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त की जाने वासी सहायता का घरत किया।

१६१७ में बिन्म संपाद १६४०-४१ में स्प्लियर्स्ट यह स्पष्ट स्पष्ट से गमने पे कि पश्चिमी पालन तथा इगर्नेट अमरीकी गुरुदा के लिए प्राप्ति आवश्यक है तथा इन नवीन योरोपीय साम्राज्यवादों से अमरीका की रक्षा करने के लिए प्राप्ति आवश्यक है। अमरीकी गुरुदा भीमा न तो यैनप्राप्तिको में है और न अमरीका के प्रटस्टाटिक गमुद तट पर ही बिन्तु यह ही थव बसिन, वियना, रोम और टोहियो में स्थित है। पालन में यह गव न्यी गाड़ाज्यवाद से रक्षा प्राप्त करने के लिए है। अमरीका को अपने गृहात्म के गिरावन को छोड़ना पड़ा है और गम्भूलुं विश्व में इनी प्रधिक साम्राज्य में यह रा व्यय करना पड़ा है। इन गव योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अमरीका गुरुदा की प्राप्ति है न कि जैसा कि अमरीकन साधारणतः कहते हैं विश्व के नामार्थों को स्प्लियर्स्ट द्वारा यताए गए चार स्वतन्त्राओं को प्राप्त करनी है।

१६५८ से टमेन सिद्धान्त को एक नया रूप प्रदान किया गया है तब तक यह मुनरो सिद्धान्त के समान ही एक रक्षात्मक सिद्धान्त था। राष्ट्रपति आइजनहावर ने २ फरवरी १६५३ पो अपना वैष्णव को राज्य की दणा वा सदेश देते हुये एक नवीन प्रीति वैदेशिक नीति वी रूप रेखा सामने रखी जिसने कि टमेन सिद्धान्त के चरित्र को ही बदल दिया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि—

“हम यह सीख चुके हैं कि स्वतन्त्र विश्व प्रनिश्चित रूप से अपने तत्त्वावधी स्थिति में नहीं रह सकता है और न सदैव ही आश्रमणारी वो समय, स्थान व साधन चुनने दे सकता है जिसके द्वारा वह कम तो कम वीमत पर हमें अधिक से अधिक हानि पहुँचाने में सफल हो।”

साधारण भाषा में इसका अर्थ होगा कि यह नवीन प्रशासन की वैदेशिक नीति अब उपर्युक्त नीतियों तथा विश्व भर में पूर्ण तैयारी वा प्रयत्न करेगी और यह नीति राष्ट्रपति के शब्दों में ‘आश्रमणारी साम्यवाद’ के बहुते हुये दबाव वे विहद्ध होगी।

इस नवीन नीति के परिणाम स्वरूप समुक्तराज्य की ७ वीं नौ सेना जो कि घीन और कारमोसा वे दीधे वे समुद्र में पुढ़ रोकने वे लिये पहरा दे रही थी, हटा ली गई है तथा च्यांग काई जेल को अमरीकी घन और शब्दों वो राजायता है जोन पर पुन आश्रमण करने की स्वतन्त्रता दी गई। यह स्वतन्त्रता राष्ट्रपति के नवीन सिद्धान्त में एकियाई लोगों वो एकियाई लोगों में ही पुढ़ करना पाइये वे अनुरूप ही है। जर्मन और जापानी पूर्वजम्बीकरण इसी उपर्युक्त नीति वे नार्किक परिणाम है। टमेन सिद्धान्त में यह परिवर्तन रूप की इता नीति वे प्रति सम्मुद्रन में दिया गया था फि वह अमरीकन शक्ति को अपने पुट्टे के आधीनस्थ राष्ट्रों से पुढ़ करने में ही निरर्थक अवध कराना चाहता था। १६५०-५३ तक नौरिया में अमरीकन फौजें समुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर उत्तरो ओरिया और छोन वी फौजों से निरन्तर लड़ती रही और इस पुढ़ में जबकि रूप ७ वे बेकल शहरों वो ही हानि ही रही थी अमरीका को गस्त्रो और सेनिको दोनों वी हानि हुई। दूसरे यदि अमरीका को हन खेतों में उलझाया रखा जा सके तो उसे परिचमी योद्धा और निकट पूर्व के सामरिक रथा थंगों पर पूर्ण ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा।

अपने सम्पूर्ण इतिहास में समुक्तराज्य पहली बार अपनी सीमाओं से बाहर निकल बर समूर्ण विश्व में शान्ति-काल में आया हुआ है। नये अवारा संघ, बगदाद संघ, मनीला संघ आजसे संघियों के द्वारा तथा हिन्द-नील, दक्षिण कोरिया, किनी-पीन, कारमोसा तथा जापान वे सामरिक महत्वदर्शी वे में अमरीकी संनिवेश हड्डे विश्व भर में सदैव अमरीकी गुरुका में तलार हैं। मुनरो सिद्धान्त का विस्तार उत्तरा निर्माण करने वालों वी अमरिक बल्यनाम्भों वे दोनों से भी बाहर होगया है। इन्हुं अब भी प्रथमत्व की नीति के पक्ष में बभी-कभी आधाज मुनाई पड़ती है। सीनेटर नोसेंड का

एक पक्षीय वायं करने का सिद्धान्त इस विश्व मुनरो सिद्धान्त को बेवल प्रमरीका द्वारा ही लागू करने की नाति धृतवाना चाहता है। प्रमरीका ने १९२३ से १९५३ तक वास्तव में इस क्षेत्र में आइचर्यजनक दिस्तार किया है।

१९७६ में रवेज समस्या पर एशियामी शक्तियों के अपमान के दबावात् राष्ट्रपति प्राइजनहावर ने मध्यपूर्व में शक्ति की रिक्तता के नष्टीन सिद्धान्त को जग्म दिया और उन्होंने यह कहा कि या ही स्वतन्त्र विश्व दृश्य रिक्तता की शक्तिपूर्ति करे अथवा सोवियन गण द्वारा की पूर्ति करेगा। ५ जनवरी, १९५७ को प्रमरीकी काँपि स की अपने शायदा में उन्होंने प्राइजनहावर सिद्धान्त की हप-रेखा समझाई तथा इस सम्बन्ध में कहा—

“यह आवश्यक हो गया है कि सायुक्त राज्य राष्ट्रपति और बाह्रेस की समियनित वायंदाही के द्वारा मध्यपूर्व क्षेत्रों के उन राष्ट्रों को जो कि सहायता चाहते हैं, सहायता देने का निश्चय प्रदाशित करे। (एक महान् संबट पर समय दान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के लिये)

उन्होंने इस सम्बन्ध में ३ तथ्यों को घ्यान में रखने के लिये बहा बयोकि इनके द्वारा मध्यपूर्व की साम्यवाद से रक्षा सम्भव है—

“(अ) मध्य-पूर्व जिसको कि सदैव हस्त ने चाहा है प्राज अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिये और भी अधिक एजिक बस्तु है।

“(ब) रोमियत ग्राम्य निरन्तर यह प्रवेशित करते हैं कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दिसी प्रकार के साधनों के प्रयोग में नहीं हिचकता।

“(स) मध्य-पूर्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये आधिक शक्ति की आवश्यकता है और घटूत कुछ ये चाहते भी हैं।”

इस मिदान्त की तुलना दूसरे सिद्धान्त से की गई है। यह दूसरे सिद्धान्त के समान आवश्यक है। इसका दोष प्रत्यन्त ही सीमित है। यह मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में प्रमरीकी बैंडेशिक नीति को सायुक्त राष्ट्र सम से स्वतन्त्र और एकपक्षी बनाता है। द्वितीय, यह यथार्थ गवर्न को दूर नहीं करता जो कि प्रमरीकी हविट्कोए से सोवियत प्रचार और इन दोंओं में साम्यवाद का प्रवेश है। यह सिद्धान्त बेवल नीतिक सोवियन आक्रमण के विरुद्ध ही प्रयोग में आवश्यक है। तृतीय, यह मध्य-पूर्व में बेवल उन देशों के लिये है जो कि प्रमरीकी संनिक और आधिक चाहते हैं; संघों में, दणदाद राष्ट्रि वाले राष्ट्रों में लिये। यहाँ पर यह बहा जा सकता है कि प्रमरीका मध्य-पूर्व को भूल रो दूगरा एशियम प्रमरीका समान रहा है।

यह समझना चोटा बठिन है कि प्राइजनहावर सिद्धान्त मध्य-पूर्व में किस प्रकार गान्ति स्थापित करने में हस्त की प्रयत्नि को बिना एक विश्व-भुद के बोहने में सफल होगा। मध्यपूर्व में जो बत्तेमान राजनीतिक पटनाएँ हुई हैं वे प्रमरीका के पक्ष

में नहीं हैं। मध्यपूर्व इस समय दो शहर भागों में विभाजित है और इन भागों में कभी भी समर्थ हो सकता है। सबुत अरब गणतन्त्र आइजनहावर मिछान्त को अस्वीकार करता है तथा उमको अमरीका के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है अमरीका द्वारा निश्चित ईराक ब्रोडेंस गढ़ का हाज ही में अंत हो गया है। ईराक के निकल जाने के पश्चात् बगदाद संघी की उपयोगिता वो ध्येष्ट घबका पहुंचा है। इसलिए हम यह निश्चित रूप से वह सकते हैं कि जहाँ तक मध्यपूर्व का सम्बन्ध है, अमरीका की वैदेशिक नीति तथा आइजनहावर मिछान्त पूर्ण से असफल रहा है। अमरीका की इस विश्व व्यापी सुरक्षा-नीति ने उसे विश्व का एक साम्राज्यवादी व शोषक राष्ट्र बना दिया है और विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की उसके प्रति सहानुभूति में सन्देह किया जा सकता है।

१९५५ से १९५६ तक वे बाल में भी ऐसा अब प्रतीत होने लगा है कि गयुक्त-राज्य अमेरिका की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का आमास १९५७ में मोवियत रूप के स्पूतनिक युग को आरम्भ करने के पश्चात् और अधिक स्पष्ट होता है। अमेरिका रूप की तरह ही अब युद्ध को अपनी राष्ट्रीय नीति का मुख्य अङ्ग मानने में हिचकता है। राष्ट्रपति आइजनहावर की ऐशियायाचा तथा शिखर-सम्मेलन के लिए परिवर्तनी राष्ट्रों का निश्चय इस नवीन परिवर्तन की ओर इङ्गित करते हैं। यह अभी निश्चित रूप से नहीं बहा जा सकता कि भविष्य में यह परिवर्तन शान्ति स्थापित करने में कहाँ तक सफल होगा। किन्तु इस शिखर सम्मेलन के असफल हो जाने से अब स्थिति खराब हो गई है।

ब्रिटेन की वैदेशिक नीति

द्वितीय महायुद्ध के अन्त होने पर ब्रिटेन, इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य जिस पर कि कभी सूर्य धस्त नहीं होता था, विश्व के भाग्य का। निपटारा उन्हें बाले के स्थान से पतित होकर वह राजनीतिक हाष्ठ से नगण्य तथा तृतीय थंगी की शक्ति माना जाने लगा।

ब्रिटेन की परम्परागत वैदेशिक नीति दो प्रकार के स्वार्थों से सदैव प्रभावित हुई है—उसके योरोपीय महाद्वीप के हित तथा उनके समुद्र पार के साम्राज्य के हित। योरोपीय महाद्वीप में उम्बा उद्देश्य सर्दैव शक्ति-संतुलन को बनाए रखना था। इस सिद्धान्त का अर्थ है कि ब्रिटेन सर्दैव इस बात का ध्यान रहता था कि कोई भी योरुप की शक्ति योरुप में सर्वोच्च रथान प्राप्त न करते ताकि महाद्वीप पर शक्ति-संतुलन ही नष्ट हो जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रायः उन से सहायता देता रहता था तथा कभी-कभी उसे सैनिक हस्तधेप करना पड़ा था। द्वीप होने के कारण तथा सभी समुद्र और यह महाद्वीपों पर किन्तु हुए साम्राज्य के कारण उसे अपनी नौसेनिक सर्वोच्चता बनाए रखनो पड़ती थी। और इसी नौसेनिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने परम्परागत मित्र जर्मनी के विरुद्ध १८१४ के पूर्व नौसेनिक प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था और इसी कारण से उसने अपनी सपूर्ण शूटनीनि और शक्ति का प्रयोग रूप के भूमध्यसागर की ओर विकास का सर्दैव विरोध करता पड़ा था। रूप का भूमध्यसागर तक पहुँचने का अर्थ होता—ब्रिटेन के लिए एक गम्भीर नौसेनिक प्रतियोगिता। इसी कारण से ब्रिटिश युद्ध तथा पूर्खी प्रश्न का जन्म हुआ और १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन की वैदेशिक नीति सर्दैव रूप के विरुद्ध रही।

दोनों महायुद्धों के मध्य में ब्रिटेन ने महाद्वीप से हटकर किर अपने पृथक्कर की नीति अपनाई। यद्यपि उसने राष्ट्रसंघ और विश्व न्यायालय और सामूहिक सुरक्षा-योजना को स्वीकार लिया तथा उनमें भाग लिया किर भी उसने सर्दैव फार्म थी।

मीमांसो के लिए एकतरका गारन्टी देने या फ्रान्स के साथ रक्षा-मन्त्रिकारण करने के लिए हक्कार दिया। उसका विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय मङ्गठन और वह मुरक्खा ध्यवस्था जिसका कि उसके द्वारा निर्माण हुआ है, शान्ति स्थापित करने के लिए यथेष्ठ है। नात्मी जर्मनी के उदय के पश्चात् भी उसने एक अत्यन्त ही दुर्बल और जिम्मेदारी विदेशिक नीति अपनाई। न तो इस बाल म उसने आक्रमणकारियों का हठ विरोध ही किया और न अपनी पूरी शक्ति सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही उपयोग मे लाई।

१९१८ मे जर्मनी पर विजय प्राप्त वरके महाद्वीप पर पुन शक्ति-सत्तुलन स्थापित हो गया। पश्चिमी यात्रण मे फ्रान्स का प्रभाव एव महत्व जिसको कि ब्रिटेन ने स्वयं प्राप्तसाहन दिया था, उभी भी ब्रिटेन के हितों के लिए हानिकारक मही माना गया। यह ब्रिटेन की परम्परागत नीति है कि अब तक योरूप मे शक्ति सत्तुलन बना रहे तब तक वह महाद्वीप के मामलों से पृथक रहता था। जर्मनी और इटली में आक्रमणकारियों के प्रति शक्ति और समझौते वी जो नीति अपनाई गई थी उसका भी एक कारण है। यह आगा वी जाती थी कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस महाद्वीप पर एक दूसरे की सत्तुलिन न कर लेंगे। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के कूटनीतिज्ञों को यह पूर्ण आगा थी कि यदि युद्ध हुआ भी तो जर्मन आक्रमण पूर्व की ओर होगा और इसी प्रकार एक ही पथर स दो पक्षी भारे जाएंगे। यह न बेबत नात्मी जर्मनी, फ्रासिस्ट इटली वरन् साम्यवादी देशों को भी नष्ट कर देगा जिसको फ्री पश्चिमी राष्ट्र सबसे बड़ा दोष मानते थे। समझौते नीति के यह राजनीतिक कारण थे, पौर इस नीति के लिए जनस्वीकृति शान्ति के नाम पर प्रगति की गई थी किन्तु यह नीति असफल रही और ब्रिटेन को अपने सम्पूर्ण इतिहास मे सबसे बड़े सबृद्ध का सामना करना पड़ा और अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करना पड़ा। इस सम्बन्ध मे प्रौ० शूर्मन का कथन है कि—

“शक्ति-राजनीति के लेन मे किसी भी नीति की कमीटी इरादे व आशाएँ” नहीं किन्तु परिणाम है। बाल्डीवन, चेप्परलैन, साइमन हैलिफेवस और होर की १९३० के तश्चात् के युग वी नीतियों के परिणामस्वरूप तृतीय जर्मन राज्य योरूप को जीतने और ब्रिटेन के लिए नामन विजय के ममय से अब तक राष्ट्रीय प्रस्तित्व के लिए सबसे महान् सङ्कूट का सामना करना पड़ा। उस सङ्कूट को सम्भवत टासा जा सकता था यदि पुरी शक्तियों को रोकने के लिए वह से एक सचिव करते जाएं किन्तु यह कार्य बुझुए अनुदार नेताएँ कभी भी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार सोवियत शक्ति का विस्तार ब्रिटेन के लिए जर्मन शक्ति के विस्तार से कही मधिक सङ्कूटपूर्ण था। और यह इटली दूरदर्शी नीति के कारण संघान्तिक हृप मे ठीक भी

या। फिल्मु निष्ट भवित्व में हमका परिणाम हुआ जमंती पोर हस का सौदा तथा एक ऐसा युद्ध जिसने कि प्रिटेन वो जमंत प्राप्तमण का रातरा पैदा कर दिया प्रीत जिसके बन्त में प्रविकान योग्य पर व्यस का धारिपत्र हो गया।"

(इन्टरनेशनल प्राइटिव्स, पार्थिवी संहकरण, पृ० ४७५)

प्रिटेन के राजनीतिज्ञ हुए हृष्टिकोण में, कि जमंती गोवियत सद्गु वी अकि तथा साम्यवाद वो नष्ट पर देगा, इतना प्रथिक विश्वास रखते थे कि उस युग के अधिकांश लेपत्रों को कुतियों में यही हृष्टिकोण पाया जाता है। १९३४ में मि० एस० लैनामुन ने फोर्टनाइट्सी रिव्यू में लिखा कि—

"जबकि पहले बाले बर्डन राजनीतिज्ञ पूर्व प्रीत परिचय होनो पोर देखते हैं हृष्टिलर बत्तमान में बेवस पूर्व वो प्रीत ही देखता है……जो कोई भी पूर्वी योग्य पर नवशो का सम्बन्ध फरेगा वह इसमें गम्भीर नहीं वर तात्पात्र कि जमंत तथा पोलैंड का दूसरों वी प्रीत पर समझोते वी साध्यपिक गम्भीरता है। पूर्वोन वी प्रियमी योग्योग्य-व्यवस्था में सम्मिलित करने प्रीत वो पूर्व वी प्रीत हृष्टाने का विचार निरचय ही सालचप्पाएँ है।"

मि० एस० एग० ऐमरी ने १९३५ में फारबंड रिव्यू में लिखा है कि—

"प्राज योरोपियन आन्ति वी पहसी शतं यह स्पष्ट स्वीकृति है कि जमंत का गम्भीरतानु बेवन उसका प्रपना मामला है प्रीत बिसी का नहीं……इसमें हमारा कोई गम्भीर नहीं है…… ति हम पूर्वी साइबेरिया जे जापानी-विस्तार को रोकें।"

मारकिवत याक लदनटैरी ने एक बदम आगे यहकर स्पष्ट गम्भीर में बहा है कि—

"हमारा वेदेशिक विभाग फाल्स के माय हमारे सद्योग में द्वारा साम्यवाद प्रीत बोल्गेविकवाद से सम्बन्धों को धारा करता है, जबकि वह जमंती, इटली प्रीत जापान को इस रवव्य हृष्टिकोण पर कोई व्यान नहीं देता कि वह साम्य वाद प्रीत बोल्गेविकवाद की पूर्ण हृदय से निन्दा करते हैं। बोल्गेविकवाद के विश्वव्यापी सिदान्त है जिसका उद्देश्य सब धार्षनिक सरकारी व्यवस्था में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न करना प्रीत जिसका अन्तिम उद्देश्य है—विश्व-आन्ति करना। जमंती, इटली तथा जापान जिस मानसिक हृष्टिकोण से बोल्गेविकवाद की निन्दा करते हैं उसे इस देश में उचित प्रकार से समझने का प्रयत्न नहीं दिया जाता………मेरी समझ में यह नहीं सावा कि हम वों जमंती के माय साम्यवाद के विरोप में बिसी न किसी प्रवार के गामान्य प्राथारों का निर्भास नहीं कर सकते। साम्यवाद विरोधी ग्राहार वा प्रीत यह भी गम्भीर है।" (ग्राहरसोत्वत एण्ड जमंती १९३८, पृ० २१-२२, १२८)

(उपर दिये गए उदारण शूर्मन को इंटरव्हेनेशनल प्रावितिका, पांचवे सत्रारण
पृ० ४७४, ७५ मे से उद्भूत है।

उपरोक्त यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि उमभीते की नीति का बास्तविक
उद्देश्य यथा यथा। मन्त्रिम थाण तक ब्रिटेन के अनुभवी गूठनीतिज्ञ यह प्राप्ता करते रहे
कि प्रावितिकाद और साम्यवाद विरोधी है इसकिए इसका आशमण पूर्व की ओर
होगा और पश्चिमी द्वजात्मनीय देश गुरुक्षित रहेगे। उन्होने जब यह समझा कि
प्रावितिकाद साम्यवाद विरोधी के साथ-गाथ प्रायात्-न विरोधी भी है तब यहूत देर
हो चुकी थी। बिन्टन चौकिस की महानता को स्वीकार करते हुए यह बहना ही होगा
कि उसने इस तथ्य को यहूत पहले ही समझ लिया था और उसने अपने देशवासियों को
इस घाने वाले राष्ट्र के खिल्ड पार-बार चेतावनी दी थी। उसने राष्ट्र दा नेतृत्व उस
समय अपने हाथ में लिया जबकि युद्ध अपनी पूर्ण गति में था और ब्रिटेन को उसके
नेतृत्व में अपने अस्तित्व के लिए यहूत बड़ी बीमत युरानी बढ़ी। चौकिस मे १९४० मे
यह चेतावनी दी थी कि—

“इस यात्रा पर मूर्यु और दुख ही हमारे साथी होंगे रठिनताएँ ही हमारे
कपड़े होंगे। बोरता तथा बम्पता ही हमारी डाल होगी, हमे पुनः सगठित होना
है, हमे थाहरपूर्ण होना है, हमे अस्त्यन्त ही इ दोना है। हमारे युलो और
कार्यों को यात्रा पर छाए हुए इस अधिकार में अमरता होगा जब तक कि वे
उसकी मुक्ति के लिए प्रवाश पूँज नहीं बन जाते।”

इस विजय की बीमत ब्रिटेन के निए यास्तव में अधिक थी। ब्रिटेन को युद्ध
के कारण इतना अधिक घबरा जाना था कि युद्धोत्तर युग मे जो देश १९१४ से पूर्व
विश्व के लिए एक महाजन था, वह अब बास्तव में दिवालिया हो गया था। यद्यपि
इसकी दशा फान्स और इटली से दुख प्रस्त्री पी और यह अपने प्रान्तरिक द्यय को
दरो के द्वारा पूरा कर सकता था और उसकी प्रायिक अवधारणा पूर्णहरा से अध्यक्षतिपत
नहीं हैं थीं किंतु भी इसके नियंत तथा प्रायात्-नियंत अन्तर था और इसके
बारण डास्ट बहुण बहुत जा रहा था तथा इसकी पुढ़ा स्टलिङ्ग पर भार बहुत जा
रहा था।

युद्धोत्तर ब्रिटेन के समझ देवस दो ही मार्ग थे। या तो यह अपनी राष्ट्र को
करो, अपने प्रान्तरिक उपभोग को बम रहे तथा अधिक निर्यात करे और इस प्राप्तार
यह अपने प्रायात्-नियंत के मध्य के अन्तर को दूर करे और महान् द्यय करके
अध्यापार के सत्त्वतन को अपने पथ मे बरे। दूसरा मार्ग बैदेशिक दान को स्वीकार
करना था। बिशेषतः प्रमरीका के ओर इसके द्वारा याने प्रायात्-नियंत के अन्तर को
पूरा करने युद्ध के द्वारा अध्यक्षतिपत प्रायिक अवधारणा को ठीक करना था। एक तीसरा
और भी मार्ग हो सकता था। जिसमे जि जिसी सोमा तक यह दानो मार्ग अवताएँ करते

थे। किन्तु अध्यवहार में इनमें से किसी वा भी गालन बरना प्रत्यक्ष ही बठिन था। मार्शल-साहायता-योजना ने इन प्राचिक बठिनाओं को हम निया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रिटेन को १ प्रबद्ध डाक्टर प्रति वर्ष दान में रूप में दिए और बाद में यही एहायता स्फूर्तु सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा दी गई। यद्यपि प्रिटेन की अमिक्स सरकार ने साहाय्यपूर्ण उपरोक्त सब मायं अपनाये और राष्ट्रीय उपभोग में प्रत्यक्ष ही कमी की किन्तु किर भी प्रिटेन को अपनी मुद्रा पाठण स्टलिङ्ग का १६ सितम्बर, १९४६ में ३०% प्रदिव्यत गूल्ह घटाना पढ़ा। किन्तु प्राचिक दोनों में इनमें प्राचिक राज्य की प्रपेक्षा भी प्रिटेन को आधिक सम्पन्नता प्राप्त नहीं हुई थी। अमिक्स सरकार ने और भी प्राचिक को प्रतियोग इस सवाल में दिए। १९४६ में वैक ग्रॉक इगलेंड का राष्ट्रीयकरण किया गया तथावत् कोषता, यात्रात, हवाई जहाज, रेलवे, घरों, लोहा, तथा स्पात के बारक्सानों आदि वा भी राष्ट्रीयकरण पर निया। प्रजातन्त्रीय समाजवाद ने प्रिटेन में किसी सीमा तक प्राचिक विमतामों को दूर किया तथा एक सीमित सोक बत्त्याण-कारी राज्य की स्थापना की।

* पुराने जर्मीनियाँ और घनवान हुद्दे मुख्य व्यक्तियों के द्वारा समाजवाद की प्राकोचना थी गई। किन्तु इसका साधारणतः निम्न वर्ग के लोगों द्वारा स्वागत हुए त्रिसांसों कि इससे काफी सामने पहुंचा। किन्तु प्रिटेन प्राचिक व्यवस्था की पह काट्टपूर्ण द्विविधा जो कि इसके बाह्य विद्व के सम्बन्धों के सम्बन्ध में थी, को पर पर समाजवाद या पूर्जीवाद से नहीं गुममाया जा सकता था। इसके लिए प्राकश्यकताएँ थीं कि सरकार द्वारा विनियम नियन्त्रण हो, राष्ट्र के साधनों और थम का विनरण हो, शीमतें निश्चित थी जाएँ, नियति का राज-नियम हो, प्रायात प्रतिक्रिय सागर जाएँ और राज्य की ओर से 'प्राचिक नियोजन' हो। चाहे हाउस ग्रॉक वामपाल के बहुमत थी हुद्दे भी विचारणारा पथवा वर्ग-हित ही।"

(इंटरनेशनल प्रालिंग्विस, शूमेन, पौज्यवी तत्त्वरण, २० ४७७)

प्राचिक परिस्थितियों ने उदार अमिक्स व प्रमुदार दोनों प्रकार को प्रिटेन सरकारों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे अपनी बंदेशिक नीति अमरीका के कथनानुसार ही चलाएँ। उनके सामने और कोई मार्ग भी नहीं था। प्रापुनिक इतिहास में पहली बार प्रिटेन को नेता से अनुयायी होना पढ़ा और यह प्रिटेन के सामाजिकमान को एही खोट पहुंचाता है। वही पर अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिटेन के सामाजिक के दिनों में सम्मने देखा व रहते हैं और यही बारण है कि प्रिटेन में अमरीका के प्रति इष्टी हुई विशेष भी भावना पाई जाती है जो कि साधारण यात्रीत एवं बभी-बभी सार्वजनिक वस्त्रध्यों में भी प्रदानित हो जाती है और इसी बारण से हुद्दे समय पूर्व उद्भवनवेष्ये विरुद्ध सार्वजनिक भावदोस्त भी हुआ था।

सोविद्यत सभ के साथ इसी प्रकार भी भी नवि अमरीका के अधिकारी विटिंग नामांकितों के लिये अधिष्ठ थी। मुद्द के बात में चैचिल ने एक ऐसी सेनिक-सभिय के उपरोक्त के लिये इहा या जो कि सोविद्यत आमाव दो पूर्वी योरु तरह ही सीमित हर दे। जब वह भानने उम प्रयत्न में अवश्य हो गया तो वह मास्को से संघ इतना चाहना या इन्हु वालिंगटन ने ऐसी संघ का कहा विरोध किया। १६४२ में इहन और शोलोटोव ने २० वर्ष तक जर्मनी के विरुद्ध एक दूसरे को सहायता देने के लिए एक संघ पर हस्ताक्षर किये। दोनों मुद्दोत्तर दुग में जर्मनी या उसके साथियों द्वारा आक्रमण होने पर सहायता देंगे। उन्होंने इस संघ के द्वारा यह भी स्थीकार किया कि वे न हो एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और न भौतिक विस्तार का प्रयत्न ही करेंगे। दोई इसी संघियों आदवा राज्य के गुटों में सम्मिलित नहीं होये जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। इस सभि की तर्ते स्पष्ट रूप से इन दोनों राष्ट्रों में यातिगृण सह-प्रस्तित्व कायम करती है इन्हु पूर्वी योरु में सोविद्यत नीति तथा सोविद्यत यूनियन से किसी प्रकार के भी सम्बन्धों को अमरीका द्वारा कहा प्रतिरोध करके इस सभि को नष्ट कर दिया। १६४६ में पुल्टन में आयण देते हुये चैचिल ने सोविद्यत सभ के अधिनायक और आक्रमणारी बनाते हुये निर्णय की तथा स्वतन्त्रता और शबानन्न की रक्षा के लिये एक आगल अमरीकन सभि की घोग दी। इसके पश्चात्तर हृष्ट-सिद्धान्त, यांत्रंत-योजना, डॉक्क तथा दूसर्स-संघ और अन्त में उत्तर-एटलाटिक संघ-संगठन की स्थापना हुई।

इस प्रकार ब्रिटेन अमरीका के साम्यवाद का विरोध करने के लिये विश्व-भ्यापी संगठन में एक अनुयायी साथी होगया। इसने केवल समुक्तराष्ट्र और पश्चिमी योरुप के देशों से ही सोविद्यत आक्रमण को रोकने के लिये संघ नहीं कि इन्हु यह सारे विश्व के सोविद्यत विरोधी संघियों का सदस्य होगया। अमरीकी विदेश नीति के साथ देने के बारण ब्रिटेन को अमरीकी अनुदान और प्रायिक द्विप्ल-भिन्नता से मुरझा आप्त होगई। इन्हु ब्रिटेन ने शक्ति के द्वारा जानित की इस नीति को घड़मन में घपनाया था। नाटो और इसके दूसरे उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए इस आक्रान्त की सेना और सेनिक शक्ति की आवश्यकता थी वह ब्रिटेन के लिये प्रायिक हृष्ट से अत्यन्त ही कठिन थी। १६४४ में सेनिक समस्याओं पर जो योजना हारेस आफ कामन्त्र वे सामने रखी गई थी उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जूर्क ब्रिटेन विश्व में फैले हुये अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये सेनिक हृष्ट से असमर्थ है इसलिये इसको ऐसे शहरों के विकास का प्रयत्न बरता चाहिये जो कि निरचयपूर्वक और शीघ्रता से शत्रु का विनाश कर सकें। इस नये सिद्धान्त को 'अमर-तोड़ पुढ़-नीति' कहते हैं।

यह अमेरिक अमरीकी मिशना न ही अत्यंत ही गहरी है और न इसके आधार ही इक्क टोक है। इन दोनों राष्ट्रों वे वर्च में नई दियों पर मतभेद है। ब्रिटेन

के बहुत से नेता प्रीत साम्यवाद ध्यक्ति द्विटेन तथा पश्चिमी योरप के, विशेषतः पश्चिमी जमंनी के पुनः ग्रस्त्रीकरण की नीति में विश्वास नहीं करते हैं। और न वे इस विद्वान्त को ही ठीक मानते हैं कि पश्चिमी योरप की सुरक्षा के लिए पूर्वी योरप का साम्यवाद से उदार करना एक सामरिक संनिक आवश्यकता है; न वे यह चाहते हैं कि उनका देश प्राणुग्रस्त्रों के भ्रष्टे के रूप में काम में जाया जाय और न वे यह चाहते हैं कि अमरीकन वम वर्पंक हवाई जहाज भ्राण्ड वम विशेषतः उद्जन वम का लेकर उनके देश के ऊपर जान्ति के समय में पहरा दें।

सम्पूर्ण १६ वीं शताब्दी में तथा द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन ने अमरीका की योरोपीय साम्यवाद से रक्षा की है तथा इसकी शक्तिशाली नो-सेना अमरीका के लिये एक ढाल का काम करती रही है। ब्रिटेन के द्वारा मुरक्खत अमरीका पृथक्कर वी नीति तब प्रयत्ना सकता था किन्तु इस पुढ़ोत्तर युग में यद्य अमरीका की सुरक्षा वी यह यार्नटी नहीं रही है और इसीलिये यह अमरीका फार्मा से भी अधिक सुरक्षा के लिये चेतन घोर प्रपनी सुरक्षा के लिये पृथक्कर वी नीति को छोड़कर यारे विद्व में उप सुरक्षा नीति को प्रयत्ना रहा है। इसने प्रपनी सामरिक सीमाओं को योरप और एशिया तक विस्तृत कर रखा है। शूर्पेन के अनुमार इसकी सुरक्षा-सीमाएँ राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत धारे बढ़कर यद्य वर्तिन विद्वना, रोम घोर टीरियों में स्थित है। पश्चिमी जमंनी तथा जापान वा पुनः ग्रस्त्रीकरण घोर साम्यवादी स्थ के चारों घोर प्रादेशिक सीनिक प्रान्त-रांगाणों वा एक ऐसा अमरीका वे इस सुरक्षा चेतना के प्रतीक है। ब्रिटेन अनता अमरीका के वास्तविक उद्देश्यों की समझती है और जानती है कि अमरीकी गेनिर घोर आधिक सहायता ब्रिटेन के साम के लिये नहीं किन्तु अमरीका की प्रपनी सुरक्षा पे हेतु है।

ब्रिटेन अमरीका की प्रपेक्षा सोवियत राष्ट्र से अधिक निर्णय है। इसमिए यह सोवियत संघ के प्रति उस नीति का अनुमोदन नहीं कर रखता क्योंकि युद्ध होने पर इसका विनाश अवश्यम्भावी है। द्वीप होने के बारण यह भ्राण्ड-ग्रस्त्रों के लिये एक अच्छा सदृश्य है और यह सोवियत वम-वर्पंक हवाई जहाजों के द्वारा सरक्ता से पहुँचा जा सकता है। प्रपने अस्तित्व के लिये ब्रिटेन वो सोवियत सप के प्रति समझते ही नीति अपनाना आवश्यक है और इन्हीं वारणों से पुढ़ोत्तर ब्रिटेन ने उभी भी सोवियत सप के विरुद्ध उप नीति नहीं प्रपनार्द्द है। सोवियत सप के पास प्रतः महाराष्ट्रीय निर्देशित शस्त्र होने के बारण अमरीका को सोवियत भूमि पर स्थिति से ही नष्ट करना सम्भव है। किन्तु अमरीका वे पास क्योंकि वेदत अन्तर प्रादेशिक निर्देशित शस्त्र है घोर जिनकी जक्ति वेदत १५०० मील तक जाने भी है, ऐसा करना अस्थव नहीं है। सोवियत सप में प्रपनी रक्षा करने हेतु तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे नष्ट करने के लिये अमरीका सोवियत भूमि वे चारों ओर १५०० मील की दूरी में

हकाई रहने स्थानित वरगा एक सामाजिक शास्त्रीयता है। ब्रिटेन और पश्चिमी योग्य के राष्ट्र द्वारा प्रकार के रहने स्थानित करने के लिए इत्यन्त ही प्रयुक्त है किस्मु जहाँ पैसे रहने स्थानित होंगे उन राष्ट्रों को गोविधत प्राणुसम्बों के द्वारा विनाश की संभायगा वा गवट मीन लेगा होगा उन देशों की जनता द्वारा प्रकार के गवट को गहृत्यपूर्ण हप रो समझती है। इसीलिए ब्रिटेन ऐसे राष्ट्रों के पक्ष में नहीं है और इसी कारण ऐसी शास्त्रीयी कारबाहों पे रपष्ट वा गवट तनाव राग्य राग्य पर दिलाई पड़ते हैं।

१७ सितम्बर १९४७ को प्रो॰ एन॰ एफ॰ मीट, विट्ठा याणु गौतिक शास्त्री ने इस सम्बाध कहा है—

‘भागरीका के गाय औंत्री के कारण यदि युद्ध कभी ऐसी शक्ति के विकल्प प्रारंभ होपा जो कि लैनल बन्दरगाहों को प्राप्त कर रखती है और जिसके पास गलु-बग हैं वह वह देश कुछ भी करे हमें नष्ट कर देती...इस प्रचार के ५० लक्ष बीन्डू लास्त्रों द्वारा स्थेके गए वर्तमान विद्युत की विधियों से सन्दर्भ वीजनांस्थरा पे एवं खोलाई भाग को मार रखते हैं तभी जहार रहने योग्य नहीं रहेगा।’

(हाटरनेश्वर गांतिडिबा, सूर्यन, पू. १७द रो उडुक्की)

१९४७ में जो बात राष्ट्र थी वह १९५० में गोरे भी राष्ट्रिक राष्ट्र है यदोकि दो वीथ अल्प-शत्रों के विराज में भयकर प्रगति हुई है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अनियंत्रित धैर्यता-प्रेरण इजरायली गोमो द्वारा गिरायी थी। यह १९४६ में याकरण के रूप में थी। गिरायी ब्रिटेन के साम्राज्य नामिक वो यह चिठ्ठा बर दिया कि ऐतिहासिक हिटों से औन बुत ना युग शदैव के लिए बीत चुका है। इस प्रादूरदर्शीय याकरण के पारण हृदय का राजनीतिक जीवन गापात होगया और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सम्मान को एक बड़ी खोट पूछी गिरायी गाय ही साथ इसने गध्यपूर्व भी सीति के राष्ट्रस्थ में धौमा-धगरीकी भेदो वो भी स्वप्न बर दिया। याकरणवारियों ने लिए राष्ट्रों वर्षीय प्रणालीतत्त्वक बात तो यह यह भी कि उन्हें गोवियत गधे हो द्वारा चेतायकी दिए जाने पर गीके हटना पड़ा। गिरायी गुद में हार ब्रिटेन के सम्मान के गतन की पराकारिता का प्रतीक है।

बिटेन ने राजनीतिक यथा)प्रैत्तियों को स्वीकार कर लेता ही चाहिए। इनको
यह भी स्वीकार कर लेंगा चाहिए वि यह परिवर्ती गुट वा ऐसा उही एह उक्ता
पीर उसे प्राप्त भवितव्य में तिए यामीनी वैदिकिक नीति का अनुगामी हाता ही
पड़ेगा। यह गल्प है कि बिटेन ने यामीनी नीतियों के लिए उनकोई विशेष रागाव ही
है और उन प्रशंसन के भाव ही है। बिटेन हर गूल्म पर भीर प्रादार राग करके भी
उपने खोए हुए मौतृष्य को उन प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह इस बात से

सिद्ध होता है कि भीषण भाष्यिक कठिनाइयों की अवेदा भी उसने परने को प्रमरीका तथा सोवियत सप से प्रण-शक्ति के विकास में ग्राहक ही निष्ठ रहा है। प्रमरीका और सोवियत सप के बाद विश्व का केवल यह देश है जिसके पास परने उद्जन बम है। इस लेख को हम प्रो० शूमेन के इन शब्दों से समाप्त कर सकते हैं—

“मध्य शताब्दी के ब्रिटेन के पास सोवियत भारताद्यु के बिच्छ भ्रमरीका की सहायता करने की अवेदा कोई वारा नहीं है। यदोकि या तो उसे शम्पूण विनाश या निश्चित दिवाला या दोनों का सामना करना पड़ता। किन्तु मध्य शताब्दी का ब्रिटेन विसी प्रकार भी, राष्ट्रीय हितों की कोई भी बोलिक परिभाषा के अनुसार जनदूङ्क कर प्रमरीका की उन नीतियों को जो कि पूर्व पश्चिम के व्यापार को बहु कर रही थी, जो कि पश्चिमी योद्धा और राष्ट्र-मंडल को सर्वद के लिए भ्रमरीका सहायता पर निर्भर कर रही थी और जो कि इस भाग्ना और इस गति का पुनः शस्त्रीकरण पर जोर दे रही थी जिनके कारण उन जनताओं की जिनवी कि इनके द्वारा रक्षा करने की प्रत्यन्त ही भाष्यिक कठिनता का सामना करना पड़ता और जिसके कारण तमीप और मध्यशूर्य ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को हार्नि पहुँच रही थी…… मंहादोप पर भ्रमरीका के जमनी के पुनः शस्त्रीकरण की अवेदा भी शक्ति-मनुकतन का रादेव के लिए ग्रन्त होगया या और ब्रिटेन के लिए मुरदा और समृद्धि तभी समव थी जबकि भ्रमरीका और हस के मध्य में एक ऐसा विश्व रागेतन हो जो कि शृंगीय महायुद्ध की समावना का ग्रन्त करदे।”

(इंटरनेशनल पारिटिशन, पौवर्ड संस्करण, पृ० ४८०)

ऐसा विश्व सन्तुलन स्थापित करने की समस्या या हस प्राप्त करना सरम पायं नहीं है। ब्रिटेन की वर्तमान धर्देशिक नीति ऐसे सन्तुलन को स्थापित करने पायं नहीं है।

सोवियत संघ की वेदेशिका नीति

साम्प्रदादी शासन की शासना तक सोवियत संघ की परम्परागत तौरी गृहीत गृहीत तथा कभी कभी पारचालीकरण के प्रयत्नों की रही है। १९ वीं व १९ भी शताब्दी में रूप के शासकों के ब्राह्मिक प्रधान भूगणसामग्रे वार्तामाली वर्तवरणात् प्रयत्न करते के लिए निरन्तर प्रयत्न किया है। १९ वीं शताब्दी में इनी प्रयत्नों के प्रतिक्रिया रूपण प्रोलेट का विभाजन एवं विनाश हुआ तथा १९ वीं शताब्दी में इसी कारण ये इतिहास की गूर्वी समस्या का जन्म हुआ। १९१७ में रूपण में एक साम्प्रदादी सोवियत सरकार की शासना हुई। इस सरकार का शासन गान्धी व लैनिन के साम्प्रदादी सिद्धान्त से शीर इसने सर्वत्राचारी के गविनायकत्वीय अवस्था को शपथाया शाश्वत शाश्वत कर्मभारो ते इस शरकार के प्रमुख उद्देश्यों की घोषणा करते हुए कहा कि गत सरकार विष्व साम्प्रदादी शासन, पूँजीवाद का निराश, साम्प्रदादी निर्भी शासन का प्रत तथा एकवक्षत व शीर्णिवेशिक राष्ट्रों का बढ़ावा करते वा प्रयत्न करेंगी।

इसके गूर्व कि हम सोवियत वेदेशिक नीति के मूल प्रियान्तो का गम्भयन करे हमार लिए गए शावक्षमक है कि हम इसके गूर्व इतिहास का ज्ञान प्राप्त करे। सोवियत अन्तर्गत शासन गूर्व इतिहास से निरकृष्ण शासन की शादी रही है शीर गत निरकृष्ण शासन नहुए वर्ते की गामिक शश्वत्याकृता के शाश्वत गे सम्मिलित रहा है। इसनियत इस जनेना के लिए सर्वत्राचारी वर्ती के गविनायकत्वा को रवीकार कर लेना कोई शाश्वते की वात नहीं थी। इनको शश्वत्यता के शश्वत गे न कुछ ग्राजुए थां शीर न कोई अतियंगत शासन था। इसीलिए इस तरीन निरकृष्ण राज्य के प्रति किसी प्रकार भी भी गहरवाही गतिविधि नहीं हुई।

रूपण शासन साम्प्रदादी इतिहास गे गविनायी गोरुण गे पृथक रहा है। शोम और शेनाएँ कभी इस तक नहीं पहुँच पाई शीर इतिहास इन पर शोमन संस्करणों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शासन व शुक्रज्योति द्वारा इन्हें शुभार व द्वारा जो गतियाँ गोरुण

प्रो मध्य मुग से दाकुनिक युग में परिवर्तित हुआ था उसने भी इस प्रदेश को पछता ही छोड़ दिया। कर्नल की राज्य-प्राप्ति का भी इस प्रदेश पर खोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। परिवर्ती सम्यता और परम्परा से इस सर्वथा प्रसार रहा। इसी स्थिरों में इस कारण एक सोसाइटिक हीनता की भावना की उत्पत्ति हुई और इसी कारण से स्त्री सेवनों एवं विचारकों की वृत्तियों में हमें या तो पाश्चात्य सम्यता एवं सरकारों के लिए प्रत्ययिक प्रशंसा का भाव प्रथमा प्रत्ययिक निन्दा का भाव दृष्टिगोचर होता है। यत्मान शताब्दी के प्रारम्भ में इस राजनीतिक और सास्कृतिक दृष्टि से ही केवल पिछड़ा हुआ नहीं था किन्तु प्रार्थिक और घोषणाकारी दृष्टि के भी मध्य मुग में था। इस के पिछड़े होने के कारण उसकी सेवनिक-शक्ति भी सदैव द्वितीय थे ऐसे में रही और १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में उसकी निरन्तर सेवनिक हारे इस सत्य का प्रतीक हैं। स्टालिन ने भी इस तथ्य को १९२१ में स्वीकार किया था जबकि उसने यह तिथा कि—

“उसने इस के इतिहास का एक कारण मह था कि उसे अपने पिछड़े होने के कारण सभा विद्व से पोछे रह जाने के कारण निरन्तर हार छहन करनी पड़ी थी। उसको मंगोल सानो ने हराया, उसे तुर्कों सरदारों ने हराया, उसे पोतिश और लियोवानिय सभान्तों एवं मुसोन सोगो ने हराया। उसे कास और बिटेन के पूर्वीपक्षियों ने हराया, उसे जापानी बैरन्स ने हराया। सबने उसे उसके पिछड़ आने के कारण सेवनिक पिछड़ापन, सास्कृतिक पिछड़ापन के कारण हराया।”

(सेवनिक्षम, सेवेन्ड राइटिंग, पृ० २००)

यद्यपि प्रारम्भ में दोनोंविक सरकार ने जार के सामाज्यवादी निन्दा और राष्ट्रीय भारत-निर्णय के सिद्धान्त को अपनाया किन्तु थाए में उन्होंने इस नीति में परिवर्तन किया और जार नहीं हुए थीं सामाज्यवादी परम्परा को सेवनिक हृषि ने पुनः अपनाया।

सेवनिक वैदेशिक नीति को ठीक प्रबार से समझने के लिए यह धारास्थक है कि हम उहके सार्वनिक भाग्यारों की समझने वी पेट्रा बरे। सेवनिक वास्तवों का यह विश्वास रहा है कि साम्यवाद एवं पूर्वीवाद में साधने अवश्यम्भावी है और पूर्वीवाद अपने ही द्वारा उत्पन्न लिए हुए बुराएँ गोंद-धिम-धिम एवं बिनष्ट होता। सेवनिक और न स्टालिन इन दोनों अवधारणों के जागितपूर्ण सह-सहितात्म में विश्वास रखते थे। पूर्वीवाद वी प्राक्तिक समर्थाओं के साधने में सम्बन्ध में स्टालिन ने १९२५ में निया है कि—

“पूर्वीवादी गिरिर में हितों का खोई साम्य नहीं है; न खोई ऐसी बेनिट गिरिही है जो कि एक वरण स्थापित कर सके। पूर्वीवादी पैम्ब में हितों का साधन

तथा विश्व-भिन्न होने की प्रवृत्ति है। विजेता एवं जीते हुए मेरुद है। विजेताओं मेर समर्थन है और सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य मेर समर्थन है... 'नाभ के लिए.....पूंजीवादी शिविर मेर समर्थन और अव्यवस्था सर्वव्याप्त है।'

(लेनिनिज्म, पृ० ३७०)

वी० मार्ड० लेनिन ने इस सम्बन्ध मेर कहा था—

"हम केवल एक राज्य मेर नहीं रहते किन्तु राज्यों की एक अव्यवस्था मेर रहते हैं। और सोवियत गणतन्त्र वा साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ अस्तित्व बहुत काल तक अविचारणीय है। अन्त मेर या तो एक अपवा दूसरे की विजय होगी और जब तक वह अन्त नहीं आता तर तक सोवियत गणतन्त्र और मध्यमवर्गीय राज्यों मेर एक के बाद एक भीषण टक्करे अवश्यम्भावी है।" और आगे १९२१ मेर लेनिन ने चेतावनी दी है—"अन्तर्राष्ट्रीय मध्यम वर्ग सोवियत रूस के विरुद्ध खुले युद्ध लड़ने की सम्भावना से रहित होकर उस धरण की प्रतीक्षा कर रहा है जबकि परिस्थितियाँ इस युद्ध को पुनः प्रारम्भ करने की प्रारुपति देगी।"

इसलिए हम कह सकते हैं कि सोवियत साम्यवादी नेता पूंजीवाद और राष्ट्रवाद के मध्य मेर समर्थन अवश्यम्भावी मानते रहे हैं। सोवियत वैदेशिक नीति की प्रवृत्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सोवियत सविधान, सरकार और उनकी घरेलू राजनीति को भी समझें। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सोवियत सघ मेर राज्य और दल के बीच मेर कोई भेद नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध मेर स्टासिन ने लिखा था कि—

"यही सोवियत राज्य मेर.....कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक या संस्थानिक प्रश्न हमारे सोवियत और दूसरे जन संगठनों अधिका दल के निदेशो के बिना निरंय नहीं किया जाता है।"

(प्रौद्योगिकी और सेनिनिज्म, प० ३४)

और लेनिन ने १९२० की नवी दस्तीय कांग्रेस को अपने भाषण मेर कहा था कि—

"पोलिटबूरो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति के सब प्रश्नों का निर्णय करता है।"

सोवियत वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त प्रात्म-विकसित तथा एक-पक्षीय है। प्रात्म विकास का धर्य है साम्यवादी सिद्धान्तों का दार्शनिक प्रचार या नियोजित क्रान्ति के द्वारा विश्व के दूसरे राष्ट्रों मेर विस्तार। इसका यह भी धर्य है कि इस विश्व-द्वाति के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगा। कौमिन्टन और कौमिन्टनीम वास्तव मेर

सोवियत वेदेशिक नीति के महत्वपूर्ण प्रस्त्र हैं। योकि इस को विश्व प्रान्ति का प्रार्थना होना है इसलिए विष्व-प्रान्ति की सफलता इसमें रामाजयाद की सफलता एवं शक्ति पर निर्भर होगी। जोसेफ रस्टालिन के अनुत्तार यह आत्म विदारा धावश्यक थोराप्प ही राम इग की वेदेशिक नीति का एक महत्वपूर्ण सदृश्य है। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है कि—

“विश्वप्रान्ति का विदारा” “ तभी अधिक शोध प्रोर अधिक पूर्ण होगा जब कि रामाजयाद के द्वारा जीते हुए इस दोनों में वे प्रपने को अधिक असिंचाली बना सकेंगे। जितनी शीघ्रता से यह देण अपने वो विश्वप्रान्ति के विस्तार के लिए एक प्रादेश के रूप में परिवर्तित कर सकता है तथा गाम्भाजयाद को विद्वन्न-भिन्न करने के लिए एक आनंद का वापस दे सकता है...” “विश्वप्रान्ति का विदारा उतना ही प्रधिक शोध प्रोर पूर्ण होगा जितनी अधिक प्रोर प्रभाव-गाली सहायता यह सर्वप्रथम रामाजयादी देश द्वारे राष्ट्रों के असिंचालों को देने में सफल होगा। इग सहायता का प्रशासन किया प्रबाह होना चाहिए, इगका प्रशासन सर्वप्रथम इग विजयी राष्ट्र में एक राष्ट्र में अधिक रो अधिक प्राप्ति के लिए जिसके द्वारा सहायता घोर जान्ति का जावरण सब देशों में हो गये”...” (सेनिन)। द्वितीय दमडा प्रकाशन होना चाहिए कि “इग सर्वप्रथम देश वो विजयी सर्वदारा बर्दे” (सेनिन) प्रपने समाजवादी उत्तादन को गण-ठिक करने के पश्चात् वे हुए पूँजीवादी विश्व के विशद विरोध में राहा है। अपने घोर दूसरे देशों के उत्तरीठित वर्गों को आकर्षित बरे तथा उन देशों में पूँजीवादियों के विशद व्यान्ति बराए घोर प्रावश्यराता पहने पर जोपक वर्गों प्रोर उनकी सरकारों के विशद भस्त्र लेकर विरोध करे।”

सोवियत वेदेशिक नीति की एक पर्यायता का यिदारा का द्वितीय परिणाम यह है कि सोवियत गग प्रपने इसी भी राष्ट्र को प्रत्यर्पितीय न्यायालय या वर्षों के द्वारा नहीं गुलभाना चाहता है। सोवियत गग यह मानकर चलता है कि रामाजयादी घोर पूँजीवादी राष्ट्रों के मध्य में इसी भी गपर्यं पर विषद न्याय हो ही नहीं चाहता। उनका विदारा है कि रामात प्रत्यर्पितीय रागठन पूँजीवादी राज्यों के द्वारा प्रधिकृत है घोर इसलिए रामाजयादी द्वितीये के विशद है। वे समुक्त राष्ट्र गग द्वारा स्थापित न्यायी पद्धति को प्रोपनिवेशिक गारान बनाए रखने के लिए एक प्रख मानते हैं तथा प्रोपनिवेशिक घोर अधिक गित दीवाओं के लिए जो सहायता-योजनायें हैं उनको प्रतिरिक्ष पूँजी के नियन्ति का गस्त मानते हैं। सोवियत संघ का एक पर्यायता का प्रयागत इसमें पूँजीवादी राज्यों के गम्भय तो ही देख गिठ नहीं होता। विन्यु द्वारे साम्यवादी राज्यों में भी इसके ऐसे ही गम्भय है। सोवियत नेता यह मानकर चलते हैं कि साम्यवाद के गम्भय में हो का तेव्र संघ द्वारे साम्यवादी राज्यों को शिखा

उसके बाद कान्स तथा चेहोस्लेषाक्रिया से सोवियत भी की थी। सोवियत तप और पश्चिम थे बीच में यह समझीते जर्मनी, इटली तथा जापान की फासिस्ट शक्ति की वज्रती हुई शक्ति के भय के बारण हुए थे। स्वयं सोवियत सभ जर्मनी और जापान की वज्रती हुई शक्ति के कारण भयभीत था तथा उसने प्रतिनिधि तिटिदिनोब के द्वारा उसने सामूहिक सुरक्षा के लिए आरपिक प्रयत्न किया तथा साम्यवादियों और उदार दलों के मिसेज़ुले जनतन्त्रीय विरोधी का एक दलों की फासिस्टवाद के विरोधों के लिये पूर्णस्पृष्ठ से प्रारंभात्ति किया। १९३५-३६ के वास में पश्चिमी शक्तियों ने समझीते वी नीति की अपनाया और उन्हें रादेव यह पाशा रही कि फासिस्टवादी और साम्यवादी शक्तियों में समर्पण साक्षयमादी है और जिसे बारण भन्त में दोनों वा विनाश हो जायगा। सोवियत सभ के साम्यवादी दल ने १६ वीं काप्रेत में भाषण देते हुये स्टालिन के १० मार्च १९३६ को कहा था कि—

"पाश्चमण विरोधी राष्ट्रों वा बहुमत विदेषपत् इस्त्रैंड और पान्स ने सामूहिक गुरुत्वा की नीति को तथा पाश्चमणशास्त्रियों के सामूहिक विरोप वी नीति वी घस्तीकार कर दिया है और उन्होंने बहुस्तुतेप तथा सटस्यता की हिति को अपनाया है। हम्सतज्ञोप वी नीति यह बताती है कि पाश्चमणशास्त्रियों वो उन्हें पृष्ठित राष्ट्र में बाया न देने वी इच्छा या आवांशा जापान को धीन के गाय पुढ़ करने देने में न रोकना था। उससे भी अच्छा हो यदि वे सोवियत सभ से युद्ध में फैंग जाय। जर्मनी को यांरोपियन मामलों में दौसने से या सोवियत युद्ध में फैंग जाय जर्मनी को यांरोपियन मामलों में फैंगने से या सोवियत सभ से युद्ध करने से न रोकना"....."तथा जर्मनों को पूर्व वी और यहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें गरम वित्रय की आका दिलाना तथा इस प्रकार प्रोटोहित करना कि बोल्शेविकों के विषद वेवस युद्ध पारम्पर बरदो और सब अपने घाय ठीक हो जायगा।"

प्रयत्न १९३६ में मास्को ने प्रारंभ सोवियत सन्धि के लिए मार्ग वी जिसने कि समृद्धने घस्तीकार कर दिया और इस बारण नामीनोवियत सन्धि का प्रारंभ हुआ। पश्चिमी राष्ट्रोंने इस्त्रैंड तथा प्रारंभ के गाय गुरुत्वा सविं और की मोक्षोटोव वी दानों को घस्तीकार कर दिया। यहो १९३६ में मोक्षोटोव ने पश्चिमी शक्तियों के गाय सन्धि की गतों को रखा था और जिन्हें घस्तीकार कर दिया गया था यह शर्त थी—

(म) एक मैत्री सन्धि।

(व) उन समस्त देशों द्वारा जो कि सोवियत सभ वी गीमाप्टो पर हैं गम्मिसित गारन्टी।

(स) इन गारन्टी देने वाले राज्यों का पाश्चमणशास्त्रियों द्वारा हमला होने पर गुरुत्वा और घटायता के लिए एक निवियत समझौता। पश्चिमी

शक्तियों के साथ अनिन्द्र प्राप्त करने में सोवियत संघ की असफलता के कारण सोवियत कूटनीति में एक गम्भीर परिवर्तन हुआ। तथा इस रारण से सोवियत संघ जर्मनी की ओर मुका। २३ अगस्त १९३६ को जर्मनी के विदेश मन्त्री वान रौविनद्रोप तथा मोस्तोव ने एक गुप्त समझौते के द्वारा यह स्वीकार किया कि—

“बाल्टिक राज्यों (फिनलैंड, अस्टोनिया, लैटिविया और लिथोयानिया) के द्वारा मेरी भी प्रकार के भीतिक या राजनीतिक पुर्णगठन की दशा में लिखोयानिया की जल्दी सीमा जर्मन तथा सोवियत संघ के प्रभाव द्वारा की सीमा होगी। पोलिश राज्य के द्वारा के पुर्णगठन की दशा में जर्मनी तथा सोवियत संघ के प्रभाव द्वारा की सीमा तेव विस्तृला और सात नदियों की सीमा से प्राय सीमित होगी ॥” इकलूपनिचमी योष्ट के सम्बन्ध में सोवियत पक्ष की ओर से उसके वेसरविया में हिनों की ओर ध्यान दिलाया आता है ।”

(ए रोसी—दी रसी जनरल एलाइन, १९३६-४१, पृ० ४०-४१)

इस प्रकार सोवियत संघ ने बिना युद्ध लड़े ही जारिस्ट इस की सीमाओं तक अपना विस्तार कर लिया। नाजी-सोवियत-गणि का आधार पूंजीवादी विश्व के प्रति गहन सन्देह था। सोवियत संघ की नीति युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् पूर्ण तटस्थिता की थी। और यह तटस्थिता उमन हिटलर द्वारा इस मूल्य पर बेबी जिसके द्वारा सोवियत संघ करने की शक्ति में बूढ़ि हो जाय। २८ सितम्बर १९३६ को सोवियत संघ ने पोलैंड को जर्मनी के साथ विभाजित कर लिया। इसका अलग कदम बाल्टिक राज्यों पर अपना सरकार स्थापित करना था और जर्मनी इससे सहमत था। इसके पश्चात् सोवियत संघ ने शान्ति का प्रचार प्रारम्भ किया और सारे विश्व के साम्यवादियों ने प्राप्ति के बाहर युद्ध को एक साम्याजिकवादी युद्ध कहकर निन्दा की। १९३८ में मास्को ने फिनलैंड को धमका कर भूमि लेने का प्रयत्न किया ताकि लेनिनग्राड को आक्रमण के विरुद्ध मुरक्कित किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप एक युद्ध हुआ जिसमें फिनलैंड को सोवियत संघ अत्यन्त ही कठिनाई से हरा सका। इस समय तक मास्को और नात्सी जर्मनी में गध्यं प्रारम्भ हो गया था और १९४० के अन्त में यह स्पष्ट था कि इन दोनों के मध्य में गध्यं अवश्यम्भावी है। सध्यं का कारण बल्कान प्रायद्वीप था। जून १९४१ में फासिस्टवादी योष्ट ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सोवियत संघ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दिजिय के लिए सोवियत संघ को एक भारी मूल्य चुकाना पड़ा। बिन्तु सोवियत संघ ने अपनी विजय के द्वारा विश्व के समक्ष यह मिठ्ठ कर दिया कि सोवियत राजनीतिक व आर्थिक अवस्था दूसरी चिसी भी प्रकार की अवस्था से अधिक भारी उत्तरदायित्वों की पूरा कर सकती है।

युद्ध प्रारम्भ होते ही चविन ने सोवियत संघ को दिल्ली का मित्र एवं गांधी योगित पर दिया क्योंकि चविन वे ग्रन्तुगार दिल्ली के जात्र वा एवं स्वभावतः दिल्ली का मित्र हैं पौर इस कारण से यह १९४२ में भास्त्रन्मोर्धिपत मिथि हुई। नवम्बर १९४२ में घरमीठा ने सोवियत संघ को सैडलोज सहायता योजना के घटनामें एक घरव दातार दिये और यह गहायता उत्तरां अत्यन्त ही सबटकालीन स्थिति में मिली थी। परिनम वी इस उदार गहायता तथा सोवियत योजना के इह निश्चय के बारण युद्ध जीता गया। बिन्दु इस महायुद्ध के परिणाम सोवियत संघ के लिये प्रत्यन्त ही विनाशकारी हुए। इसमें २० लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा ८० लाख से अधिक व्यक्ति दी जानें वी जनता वा घन्त करने की नीति तथा युद्ध के द्वारे परिणामों के कारण मृत्यु हुई। यह ग्रन्तुगार लगाया जाता है कि यापूर्ण शक्ति की हाति ५७६ घरव एवल्स हुई थी। प्राय १ लाख मकान, १७०० नगर तथा ७० हजार से अधिक गौवों का पूर्णरूपेण विनाश हो गया था। ३१ हजार बारायाने, १ लाख ३० हजार युद्ध पौर लगभग ४० हजार मील रेनवे लाइन भी नष्ट हो गई। सोवियत आदिक घरवस्या ने भवती शक्ति युद्ध बाल में ही प्रदर्शित नहीं वी वरन् युद्धोत्तर युद्ध में आदिक युग निर्माण के द्वेष में भी समान रूप से थी।

१९४३ में पहिली शक्तियों की शान्त करने के लिए भास्त्रा ने प्रत्यर्थीय साम्यवादी संघ का घन्त कर दिया किन्तु वीमिनपालमें के रूप में इसका १९४७ में युक्तंम ही गया। तेहरान, याह्ता और पोटेस्टम सम्मेलनों में इसने पूर्वी योरोपीय राष्ट्रों में प्रजातंत्र द्वारा प्रतिवर्तन के लिए सहमति प्रबट वी बिन्दु इस युद्ध के पश्चात् सोवियत संघ ने वही पर साम्यवादी गरदारी की स्थापना की। युद्धोत्तर युद्ध में सोवियत संघ ने अपना ३६ करोड़ ८० लाख वर्गमील के द्वेष में विस्तार दिया। युद्ध के समाप्त होते ही शीत युद्ध का युग प्रारम्भ हुआ। अप्रृथक् १९४७ में वीमिनपालमें के निर्माण के पश्चात् सोवियत नीति ने उपर अप याराह किया। यह वह काल या अचि उम्मने घरमीठा के हवाई जहाजों पर प्रावधारण किया तथा चैकोस्सोवाकिया पर यहना अधिकार जमाया एवं परिचयी शक्तियों की विजिन के लिए शास्त्रान को हवाई जहाजों से भेजने के लिए बाध्य किया। इस दूसरे भीन में भी सोवियत नीति विरन्तर घरमीठो विरोधी नीति होनी चली गई। सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादियों ने यहने वामपक्षी दलों में सहयोग की पहले बाती नीति वा घन्त कर दिया तथा भारत, ब्रह्म, गंगाया, इन्डोनेशिया, ट्रिन्ड-चीन और किलीपाइन में प्रातरदादी नीति प्रपनाई। १९४० से १९ तक सोवियत नीति में एक परिवर्तन हुआ क्योंकि १९४६ में इसने अप्पु दम का प्राविन्दार वर मिया पौर इस कारण इसे यहने घर्तु और रकामादिक साधनों में प्राप्त ही गई थी पौर इसी कारण इसे यहने घर्तु और रकामादिक साधनों में प्राप्त ही गई थी। १९४१ में इन उपर नीतियों को छोड़कर शान्तिपूर्ण प्रचार को किर से घपना किया

विशेषतः भारत, बर्मा, लका तथा इंडोनेशिया में। १९५३ में सोवियत बैदेशिक नीति के मुख्य मिदान्त इस प्रकार थे—

(अ) भारत-येरिंग मित्रता को शक्तिशाली बनाना।

(ब) अमरीका के शक्ति और प्रभाव को दूर करना, उसके मैनिंग अड्डे तथा प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था के विषद् प्रचार करना।

(स) मुख्य एशियाई राष्ट्रों में व्यवस्था को प्रोत्ताहित करना, जैस कि जापान भारत आदि।

(द) संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिद्वन्द्विता में बैदेशिक सहायता-योजना का निर्माण करना जिसके अन्तर्गत विदेशी सहायता एवं और हां दिए जा सकें।

१९५७ तक सोवियत सघ ने बैदेशिक सहायता के क्षेत्र में ही केवल संयुक्त-राज्य अमरीका को नहीं हराया था अपिनु अण्णशस्त्रो के बैज्ञानिक विकास में भी उद्जनन-बम अन्तर्महाद्वीपीय निर्देशित शस्त्रो के निर्माण और स्वतन्त्र युग को प्रारम्भ करके विजय प्राप्त की। मध्यपूर्ण में भी बगदाद-सन्धि के उत्तर में सोवियत सघ ने संयुक्त अरब गणतन्त्र को यथेष्ठ सहायता दी।

सोवियत सघ अपने सक्षिप्त इतिहास में प्रारम्भ से ही १९५७ तक संदेश रक्षात्मक नीति अपनाता रहा है। इसको सदैव अपने अस्तित्व का ही भय रहा और इसे भवेद् यह सन्देह रहा कि पूजीबाद राष्ट्र भवसर मिलते ही इस पर मात्रमण चरोंगे और इसका विनाश कर देंगे। इसको विश्वद्वान्ति, एक पक्षीयना तथा विस्तार करने की नीतियों का एकमात्र उद्देश्य सोवियत सघ के अस्तित्व को बनाये रखना था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पहली बार इसको अपनी शक्ति और साधनों में अपनी रक्षा करने के लिए यथेष्ठ विश्वास उत्पन्न हुआ, यह विश्वास क्षणिक था। अण्ण-बम ने इस विश्वास को नष्ट कर दिया और इसको अपने अस्तित्व के लिए भय उत्पन्न होगया। इस भय से पूजीबादी शक्तियाँ अण्ण-शस्त्रो को सम्भवत इसके विनाश के लिए उपयोग करेगी, इसको फिर से रक्षात्मक नीति और धीर-युद्ध के लिए बाध्य किया। १९४८ में इसने भी अण्णबम बना लिया और इसके साथ ही इसका अपनी रक्षा करने के लिये प्रारम्भविश्वास लौट आया। १९४८-५२ तक इसकी नीति में उपर्या वी बर्मी होगई किन्तु अमरीका द्वारा उद्जनन-बम के निर्माण से इसके आत्म-विश्वास का फिर से गम्भ होगया। १९५२-५५ तक इसने फिर से रक्षात्मक नीति को अपनाया किन्तु १९५५ में इसके पास उद्जनन-बम तथा अन्य प्रकार के निर्देशित शस्त्र भी हो चले थे। १९५७ के आखिरी माह में इसने अमरीका दर नीतान्त्रिक विकास एवं अण्णशस्त्रों के द्वेष से स्थूलत्रिक युग प्रारम्भ करके एक निश्चयात्मक विजय प्राप्त की। इसके पास इस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली अण्ण पनुद्वी नी-सेना है। अपने इतिहास में इसको अब यह विश्वास हुआ कि यह अकेला ही पश्चिमी शक्तियों से निपटने के लिये यथेष्ठ रूप से

शक्तिशासी है और इसका यह विश्वात उन प्रोपणामो एवं योशामो में पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है जो कि इसने निःसंबीकरण और शिवार सम्मेलनों के सम्बन्ध में ही है। यह भाषा वी जाती है कि अपनी वैज्ञानिक विजय के पश्चात् भी सोवियत संघ युद्ध प्रारम्भ नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से हमको कोई लाभ की भाषा नहीं है तथा हानि की ही भाषा है। इसकी नीति शान्तिपूर्ण विस्तार की है और यह इस नीति में उम समय तक सफल होगा जब तक कि विश्व में परिवर्तित क्षेत्र रहेंगे। इतिहास में सबं प्रथम चुनाव के द्वारा एक साम्यवादी सरकार का १९५३ में भारत में निर्वाण हुआ है और यह भी समझव है कि १९६१ में इसी प्रकार से साम्यवाद चुनाव के द्वारा ही भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते।

१९५८ में परिचयी पूर्जीपति राष्ट्रो को तुसना में सोवियत संघ की स्थिति निश्चय रूप से घोष्ठ है। यू. २ जहाज को नीचे गिरा कर वैज्ञानिक प्रगति में इसने सकार में अमरीका से भीर भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यह यव प्रायः विश्व द्वीप का नियन्त्रण करता है। इसके पास धर्मिक जनशक्ति तथा वैज्ञानिक धोषना है। तटस्थ राष्ट्रो में इसके प्रति सहानुभूति है और इसने पूर्जीवादी राष्ट्रो को उनके सबमें महत्वपूर्ण परम्परा धैरेण्य सहायता के क्षेत्र में भी हुरा दिया है। सोवियत धैरेण्य नीति की सफलता ने परिचय के अनुभवी छूटनीतिकों को भी उल्लङ्घन में डाल दिया है और इसने वही कूटनीतिक विजय प्राप्त की है। इसकी वर्तमान धैरेण्य नीति में सोवियत शक्ति तथा परिचयी राष्ट्रो से धैर्यता तथा धारण-विश्वास प्रतिबिम्बित होता है।

भारतीय वैदेशिक नीति

भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पूर्व ही विश्व, साम्यवादी और पूँजीवादी दो विरोधी गुटों में विभाजित हो चुका था। मार्च, १९४९ में राष्ट्रपति दूर्लीन ने घमरीकी कौशिकों को अमरीका की सरकार के इस निश्चय की घोषणा की थी कि—

“उन स्वतन्त्र जनताओं की सहायता करेंगे जो कि शस्त्रो द्वारा घल्यमतो या बाहरी व्यक्तियों द्वारा भाष्यपत्त्य जमाने के प्रश्नों का विरोध कर रही हैं।”

अक्टूबर, १९४७ में जबकि भारतीय स्वतन्त्रता को प्राप्ति डेढ़ महीना ही हुआ था साम्यवादी गुट ने कोमिनफौसं के रूप में एक नवीन संघिका जन्म दिया। इसके घोषणा-पत्र में यह कहा गया था कि—

“इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी विरोधी प्रजातन्त्रीय कैम्प को शपनो शक्ति का संगठन करना है, खड़े होना है तथा एक सामान्य योजना से सहमत होना है जो कि उन साधनों को निश्चय करेगी जिनके द्वारा साम्राज्यवादी कैम्प की मुख्य शक्तियों का विरोध करना होगा।”

भारत का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कठिन समय में जन्म हुआ था और इसके प्रारम्भ से ही दोनों गुटों के प्रमाण का विरोध करना पड़ा था। दिसम्बर, १९४७ में प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि—

“हमने किसी भी गुट में शामिल न होकर वैदेशिक उल्लंघनों से अलग रहने का प्रयत्न किया है और इसका प्राकृतिक परिणाम यह हुआ है कि इनमें से कोई भी गुट हमारे पास नहीं है।”

भारत को इसीलिए प्रारम्भ में ही एसी वैदेशिक नीति चुनने की समस्या का सामना करना पड़ा जो कि इसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके तथा साथ ही साथ इन गुटों या उल्लंघनों से इसको बचा सके। भारत वा यह दुर्भाग्य है कि उसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक रियलिटी के कारण स्वभावतः दोनों ही गुट उसमें फूल रखते हैं—

“भ्रूगोत एक महत्वपूर्ण तथा है। पौर भीगोलिक हस्ति से यह ऐसी रिपति में है जो कि पश्चिम पौर उत्तर तथा पूर्वी पौर दक्षिण-पूर्वी एशिया आ-प्रिस्टन-विन्दु है।”
(नेहरू)

तिथ्यत पर चीन के आधिपत्य के पश्चात् शास्त्रज्ञादी चीन के साथ इसकी अलं सोमा एक दूसरी समस्या है। भारत का १५०० मील सम्भा सामुद्रिक घट है। आश्मीर में इसकी सोमा गोवियत गण की सोमा के धरयन्त ही निकट है पौर यह दुष्य महत्वपूर्ण भीगोलिक तथ्य है जिन्होंने कि हमारी नीति निर्धारण को निर्देशित किया है।

राष्ट्रीय संघर्ष के काल में कांग्रेस ने बिदेश नीति के मूल तिदानो का विवाद तार लिया था। यह सिद्धान्त भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् तथा कांग्रेस दस द्वारा गायन व्यवस्था खाने के बारण प्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो गए है। कांग्रेस दल के मुख्य सिद्धान्त उपनिवेशवाद का विरोप संघर्ष गायांज्यवाद, उपनिवेशवाद की ग्रामेक स्थान पर विरोप बरने की नीति तथा उत्तीर्ण और ओपनिवेशिक जनताओं के साथ प्रत्येक स्थान पर गहरोग भारतीयों के लिए विशेषतः तथा एशियाई और शास्त्रीयों के लिए साधारणतः जाति समानता प्राप्त करना तथा एशिया की नीति के बारण विश्व शान्ति के लिए ग्रन्थन और ग्रन्थवाद पर उपनिवेश संघियों का विरोप कांग्रेस ने गदेव गवाँधियाई संघर्ष गविनायक्त्वात्मीय-गरकारों-का-विरोप-हिया है पौर उग्री फागिस्टवाद तथा कागिटवादी गरकारों के प्रति विरोप की भावना सर्वदिन है। उसने ईशोपिया पर इटली के आक्रमण को, ऐन में आहमतादेव वी नीति को, चीन में जापान के आक्रमण को फागिस्टवादी गविनायर्दों के प्रत्यन्त वी नीति को तथा एशियन गविन्य की निन्दा की है। इसका गदेव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रहा है और उसको कभी भी शास्त्रज्ञादी गुरु भी पौर से आक्रमण का सब नहीं है।

१९४७ से ४८ के मूल में भारत गरकार को राष्ट्र के विभाजन के बारण व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा था तथा इस विभाजन के परिणामस्वरूप प्रागरिक अध्यवस्था और बरोड़ी व्यक्तियों के व्यानापन होने वी समस्या को भी मुक्तभाना पड़ा था। इस काल में इसकी मुख्य भागतरिक समस्याएँ थीं—ज्ञानित पौर सुरक्षा की स्थापना, बरोड़ी विधायितों का सुनर्यागन, एक नवीन प्रशासनीय व्यवस्था का निर्माण, प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण तथा गैरिकों भारतीय राज्यों को एकत्र के गूठ में बीधना। इसकी पाविरत्तान के साथ आश्मीर के भगवें, जूनागढ़ वी पटना, गविभाजित सामान पौर इसके साथ ही इस नवीन राज्य से सामाज्य विरोप की भावना के बारण को उपमहाद्वीपीय तनाव उत्पन्न हुआ था उग्रों गुस्ताना था। सेतगाना में गायवादी आतंकवादियों को दबाना और इस प्रशासन भारत को एक दूसरा गवाया, यार्मा, ग्रामवा हिन्द चीन होने से रोकना भी इसकी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। आश्मीर

सप्तर्ण और इगलेंड तथा अन्य कुछ राष्ट्रमण्डल के देशों की पाकिस्तान के प्रति भुक्ताव की प्रयेक्षा भी इसके राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रति अत्यन्त ही निकट और गंभीरण सम्बन्ध रहे। १९४६ में इसने राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना स्वीकार किया और इसके गणतन्त्रीय सविधान को स्वीकार कर लेने के कारण राष्ट्रमण्डल के वैधानिक नियमों में आवश्यक परिवर्तन भी हुआ।

इस युग में भारत की समस्याओं और नीति के सम्बन्ध में प्रघात मन्त्री नेहरू ने कहा है कि—

“हमे हमारे वैदेशिक सम्बन्धों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का समय नहीं मिला। पिछले वर्ष के बीच में हम भास्तरिक समर्थों और अव्यवस्था के मध्य में रह रहे थे जिसने कि हमारी सारी शक्ति को खींच लिया और हमें दूर रामलो को गुलझाने का शक्तिर नहीं दिया ... और निम्नेह हमारी वैदेशिक नीति को इस रूप में प्रभावित किया है कि हमने ज्येष्ठ समय वा शक्ति नहीं दी है।”

भारतीय वैदेशिक नीति के दूसरे चरण में १९४६-४७ तक इसकी भास्तरिक उपमहाद्वीप समस्याओं से किसी सीमा तक सास मिल गई थी। भास्तरी में युद्ध का घ्रान्त हो गया था। इसने विद्यापितों की समस्या को किसी सीमा तक हूँल बर लिया था और अपने सैकड़ों देशी-राज्यों का एकीकरण करके भास्तरिक समस्याओं पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित बर लिया था। इसने राफलतापूर्वक प्रशासनीय शान्ति और गुरुका की समस्या को भी हूँल लिया और इस प्रकार स्थायित्व के लिए ध्याति प्राप्त वी। यहीं पर यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि भारत का राजनीतिक स्थायित्व एशिया में नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रों में एक अद्भुत वस्तु थी। जैसे ही भारत भाषनी भास्तरिक समस्याओं एवं चिन्ताओं से स्वतन्त्र हुआ वैसे ही उसे चारों ओर देखकर अपनी वैदेशिक नीति का विवाह करना आवश्यक हुआ? इस युग में अप्रत्यक्ष रूप से शीतपुद्ध और गुट्ट-संघर्ष के कारण उस पर भी यथेष्ट प्रभाव पहा यद्यपि उसने ध्यानी तटस्थिता के हिटकोण को बनाए रखा किर भी इसका कुछ भुक्ताव परिणामी गृह वी ओर रहा। क्योंकि उसके साथ इसके निकट आधिक सम्बन्ध थे और त्रिसकी गहायता वी इसबो-संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान से अपने भगड़े को निपटाने के लिए आवश्यकता थी। भारत रटसिङ्ह गृह वा एक सदस्य या ओर इस कारण इसकी आधिक ‘ध्यवरेया’ इस गृह से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा अप्रत्यक्ष रूप से डालर पर निर्भर करती है। इस तथ्य को १९४६ में पाउण्ड के अवमूल्यन के साथ ही साथ भारत वी मुद्रा का भी अवमूल्यन होने की आवश्यकता पूर्णरूप से गिर करती है। भारत वी विश्व में इस युग में स्थिति वी हम प्रघात मन्त्री नेहरू के शब्दों में इस प्रकार इस सकते हैं—

"जब मैं यह कहता हूँ कि हमें तिमी जाकि गुरु वे साथ गयि नहीं करनी चाहिए तो स्वरूपतः इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्हें कुछ राष्ट्रों वे साथ दूसरों की परेशा निकट सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए । यह सर्वपा कुछ प्राप्तार्थों पर निर्भर करता है विशेषतः प्राप्तिर, राजनीतिक और बहुत से दूसरे प्राप्तार्थ ।"

उम्म पुग के भाग के लिए यह प्राप्तिरः सत्य है । इन तथ्यों के बारण इसके इ गतेऽप्त और राज्यमन्दन से कुछ राष्ट्रों से अन्य राष्ट्रों की परेशा प्राप्तिक निकट सम्बन्ध थे । इन्हुं इसका यह अर्थ कहापि नहीं है कि भारत ने अपने प्राप्तको परिवर्ती गुरु में सम्मिलित कर लिया ही ।

चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होते ही भारत की सीमा पर प्रत्यार्थीय साम्यवाद की सीमाएँ पा गई । इसलिए उसके लिए यह प्राप्तिरः हो गया हि वह साम्यवादी गुरु के प्रति ठोक नीति का निर्णायक करे । भारत स्वाभाविक हाट से अपने पहोचियों के राजनीतिक स्थापित्व में, जो कि चीन के भी पहोची पे विशेषतः नेत्रात् और वर्ण, एवं रक्तात् है । वह यह नहीं चाहता था कि चीन इन देशों के साम्यवादी देशों को सहायता दे या उनके आन्तरिक मामलों में इसी प्रकार से भी हस्तांतरण करे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उम्मे लिए प्राप्तिरः पा कि वह चीन के साथ कोई निरिचत समझौता करे और इसी भारण से भारतीय विदेशिक नीति का विस्तार शिदान शान्तिरत्नं सह-प्रभित्वात् लिदात् जिसको कि हम साधारणतया पचलीन के नाम से पुकारते हैं, का जग्म हुए ।

८५ हमारी विदेशिक नीति के द्वे मुख्य उद्देश्य हैं । प्रथम तो हमारा प्राप्तिरः प्राप्तिक विकास और इसारे राष्ट्र का प्रोत्योगीकरण तथा द्वितीय हमारी कठिनता में प्राप्ति की हुई स्वतन्त्रता को रखा । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने सब देशों में सहायता स्वीकार की है तथा पूर्वी और एशियों देशों और के राष्ट्रों से हमें प्राप्तिरः सहायता प्राप्त हुई है । गाय ही साथ हमने शक्ति-राजनीति को गुरुवरिद्धियों से भी भारत को सर्वदा अवग रखा है तथा विदेशिक देशों में हमने अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्तिरः से अधिक प्राप्ति भाग में बनाए रखने का प्रयत्न किया है ।

भारत यदायां में तृतीय महायुद में दरता है और उसका मुख्य उद्देश्य भूत-राष्ट्रीय शान्ति के लिए साथ उत्तरा है जिससे यदि सामव हो तो युद्ध के अपने ही दर दिया जाय । यदि युद्ध हुआ भी हो भारत का यह प्रयत्न होया कि वह इस युद्ध में जहाँ तक सम्भव हो भाग न मे । उपने प्राप्तिरः संविह समझौता का निर्भत विरोप इसीलिए लिया है कि वह उत्तो तृतीय महायुद का एक प्राप्तिरः कारण मानता है । यह एक शान्ति का दोष अपनी सीमाघों के खारों और बनाए रखना चाहता है और इसी भारण से उपने प्रमर्गेन्द्र द्वारा प्राप्तिरः की गैनिरः सहायता पा विरोप किया जा । उपने शायित्र विकास को पूर्ण रखने के लिए विकास शान्ति

भारत के लिए साधारण है। उसी अविवाहित और जिन्होंने हुई प्राप्ति भवत्ता के लिये विवेचित गहायता प्राप्ति ही साधारण है और यह गहायता विवाह लाभित युग में हो प्राप्त हो सकती है। यह निश्चय है कि वोई भी युग जहाँ उसमें भारत समिक्षित हो प्राप्ति उसके अधिक प्रुणिमाण में लिए जाएँगे। इस सम्बन्ध में प्राप्ति गत्ती लेहूल में कहा गया है—

“यह एक साध्यता ही गहान दुष्टिय होगा यदि हमें गती घोजनाओं में दूसरों के भगवाँ और लठिन पायी के गारण रक्तां पड़े गा मे अन्ह हो जाएँ।”

गति और गृथनात्म की गहायत्रा उन देखो के लिए जिन्होंने कि गती रवत्तनाक लठिनता ये प्राप्ति की है, उपने प्रारम्भिक युग में तो यह है और गृहनीतिक विवाह के विषय ही। वायिटन और बैफरतन में भी नवजात भवतीत राष्ट्र के लिए ऐसी ही गतियों का निर्वारण किया गा और उसे भी उग्होने गोदा के संगती से प्रथम रहने का परामर्श दिया गा।

शोरिया, हिन्दू-रीत और विश्व में भारत ने इतिहास राष्ट्र लोगों का गतुण्डिन किया कि इसके द्वारा युद्ध की थाए वो गतिय ही रहा जा गोगा। किन्तु उसने संयुक्त राष्ट्र की जीजो द्वारा इन वीं रामानन्दर रेता वो पार करने की गति वा विरोग किया गयी थी उसे उसे युद्ध थोभ के विरुद्ध होने वा भय दा। भारत और विश्व में उसके विविध कार्य तथा गतित युद्ध तद्द विरितरा वा गामान् उद्देश विष्व-गति है। यह उसकी दृष्टिय गहायुद्ध वो रोकने की शीघ्र इच्छा को गिर करते हैं। दृष्टिय गहायुद्ध जो रोकना उसके लिए वित्त गहायुल्लं ही गह भी लेहूल के इस करने के लिए इच्छा हो जायगा—

“अथ और कभी विवाह_माएँ तो यह_ग्राम्यसंविष्ट_तो_प्रभावित_तरेण्ट_हृष्टान्_पहारा_प्रवल्ल_इस_विवाह_को_होने_से_रोकना_है।_यदि_ऐसा_वरणा_हृष्टारी_शक्ति_के_बाहर_हो_तो_होने_कियी_भी_हातात_मे_इस_विवाह_से_विष्वना_या_ऐसी_स्थिति_प्राप्त_करता_है_जिसमे_वि_यदि_यह_विवाह_साए_तो_जही_तक_साधन_हो_इसके_परिणामो_नो_इस_साधना_कर_गए_।”

भारत गती रवत्तनाकी रक्ता में लिए साधारण ही भेदन है। यह गतीयी युद्ध का गतुण्डिनी तरीं होना चाहता है। यह गतीयी को भी गतीयी भी गाम के लिए गती रवत्तनाक गही होना पाहता है और इस गारण से उसने विविध तद्देश्यता की गति वो भवनाया है। यह गति एक ऐसे रवत्तन राष्ट्र की गतिय है जिसमे वि_साधन-विष्वना है और जो वि_रवत्तन रक्ते वे लिए हुक_गतीयी है। विविध तद्देश्यता का प्राप्त है प्रत्येक समर्था वो उत्तरी विष्वक्षता से जीवना और वि_विधि गतीतिका वा गतीयक विवोटियों पर। इस गति को प्राप्ति द्वारे राष्ट्रों में ठों प्रदारे से उभयों-

वा प्रयत्न नहीं रिया है। भारत को प्रायः पश्चात्यादी वहा गया और उग पर यह भारोप समाया है कि यह दोनों पदों से इस नीति के बारण साम उदासा चाहता है। जिन्तु विशेषतः यह नीति विशी भी यूट में न शामिल होने वी नीति है और इसका उद्देश्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता को बनाये रखना है। यी गेहूँ ने इस सम्बन्ध में कहा है—

“यूट में शामिल होने वा यथा पर्यंत है ? पञ्चतोपात्रवा इसका ऐदत एक पर्यंत हो सकता है, किंगी भी विशेष प्रश्न के प्रति प्राप्त प्रपने हाइटिकोल को छोड़ दें तथा उग प्रश्न पर दूधरे पद को प्राप्त करने और उसके द्वारा राहायता प्राप्त करने के लिए उसका हाइटिकोल प्रपना लें ।”

यह नीति विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के प्रति नीतिक हाइटिकोल पर आधारित है और यह वास्तव में एक नवीन वस्तु है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय द्वयाधारों के प्राप्तार पर न कि विद्वान्तों के प्राप्तार पर खालने वा विश्व प्रादी है। बृद्ध धारोंक यह भी कहते हैं कि हमें इस नीति से बड़ी हानि हो रही है तथा इह नीति के बारण समूहें राष्ट्र-परिवार में हमारा कोई भी मित्र नहीं है। कोई भी महान् शक्ति हमें समय पहने पर पूर्ण राहायता देने के लिए प्राप्त तंत्यार न हो। बृद्ध यह भी कहते हैं कि योग्या और काश्मीर समस्याओं के हस में हमारी यह नीति मुख्य रूप से वापक है जिन्हुंने पहा पर यह प्रश्न पूछता उचित होगा कि यथा हव वास्तव में ऐसी राहायता की प्रादृश्यता है या हम ऐसी राहायता को बिना लिंगी को प्राप्तन लिए हुए प्राप्त कर सकते हैं ?

इन एव धारोंकों को, हम यह उत्तर दे सकते हैं कि हम नीतिक हाइटिकोल को भ्रमनाने का गाहग तथा दूसरों पर वीचड उदासने वा वाप्तं इसनिए कर सकते हैं कि हम स्वयं भीते के महान् में नहीं रहते हैं। हम न तो धीरनिवेत्तिवता, साम्राज्यवाद तथा नियंत्रण राष्ट्रों वा धारिक लोकग करने में विश्वाष राते हैं भी न हम ऐसी बोई वस्तु चाहते हैं जो कि हमारी धरणी न हो। यदि इस नीति ने हमें शक्तिशाली मित्र नहीं दिये हैं तो इसने हमारे लिए शक्तिशाली शमूरों को भी उत्पत्ति नहीं वी है और इस वर्तमान विभाजित तथा सर्वर्थ से परिशुद्ध विश्व । यह भी एक प्रश्नना महान् वाप्तं है। काश्मीर योग्या वी समस्या वा जहाँ तक प्रश्न है हमारी विशेषज्ञ नीति वी प्रयोगा और भी कई बारण हैं। इन दो थों का गामिक महत्व है और इसी बारण महान् शक्तिशों वा उनमें हित निहित है। यह विशेषतः काश्मीर के सम्बन्ध में सत्य है। हम उनमें से बृद्ध राष्ट्रों वी राहायता से भले ही काश्मीर को प्राप्त कर से जिन्तु हमें बड़ी पर मट्टे स्वाप्ति करने वी भ्रमनिति देवर उगे वागिव लोना पड़ेगा। ऐदत यहाँ नहीं हमें भी अधिक हानि इस शर्त में होगी कि तब हम विशी भी भविष्य में होने वाते मुद्दे से नहीं यथा गवेंगे। इस नीति के द्वारा जो हानियाँ होंगी वह विषट भविष्य में होने वाले सामों से वही अभिक होगी। वहाँ तक राहायता वा प्रश्न

है हमने किसी भी राष्ट्र की सहायता को ठुकराया नहीं है। यदि इस सहायता को लेने में हमें किसी प्रकार से अपनी स्वतन्त्रता का भ्रष्ट नहीं करना चाहता है। प्रधान मंत्री नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“हमारे साथनों और हम जो करना चाहते हैं उनके बीच में बड़ा भ्रष्ट है। यह याई ज़रूर के स्पष्ट में वैदेशिक सहायता से या आन्तरिक स्पष्ट से भगवा जा सकती है। हम इस प्रवार से वैदेशिक प्रदायता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और यस्तपूर्ण भी हैं किन्तु हमने यह पूर्ण स्पष्ट कर दिया है कि इससे हमारी आन्तरिक अपेक्षा राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता।”

एशिया के अधिकतर राष्ट्रों की वैदेशिक नीतियों की मुह्य समस्या साम्यवाद व पूँजीवाद का ढार नहीं है— और यह भारत के लिए भी सत्य है—किन्तु अपने देश के विकास के लिए एक तीव्र इच्छा है। एस० के० रोतिगार के शब्दों में—

“इसको सिद्ध करने के लिए यसेष्ट प्रभारण है कि अधिकांश एशियाई दोनों के लिए मुह्य समस्या मास्को या बांग्लादेश अपेक्षा पूँजीवाद या साम्यवाद नहीं है किन्तु राष्ट्रीयता है तथा जनता ये सरकार में यथार्थ में भाग देना है तथा आधिक प्रियदर्शन है।”

(इंडिया एन्ड प्य० एस०, प० १४६)

इन विचारों वे स्वर्ण के प्रति भारत का टटिकोए पूर्ण तटस्थला का है और अयोध्या के प्रायः यही हिटिकोए नदीन स्वतन्त्रता प्राप्त लिए हुए अधिकांश एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों वा है इसलिए भारत ने स्वभावत ही इस सीरारे गुट के नेतृत्व को ग्राहक कर लिया है। भारत को निवट अविष्य में इन दोनों गुटों में से इसी से भी भय नहीं है और इसका मुह्य बारण उसकी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था—

“विश्व के ह० प्रतिशत देशों से भी अधिक भारत गुरुशित है। अपनी गैंगिक शक्ति के प्राप्तार पर नहीं किन्तु बतेमान अवस्था को देखते हुए निर्दट अविष्य में भारत को लंतरा अधिक शक्तिशाली और विराजित राष्ट्रों से यही कम है।”

भारत में न भय और न धूला की मतोऽवृत्ति है और इसीलिए उसे गैंगिक नीति के पालन करने की बोई धारणता नहीं है। भारतीय वैदेशिक नीति के मुह्य उद्देश्यों ऐसे सदृश्यों को हम सदृश्य में प्रधानमंत्री के इन शब्दों में बह सतत हैं—

“राष्ट्रों वे दो शक्तिशाली गुट एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और प्रत्येक दूमरे पर प्राप्तिपद्य जमाने का प्रयत्न कर रहा है। जो इन दोनों गुटों में से इसी में भी सम्मिलन नहीं हो रहे हैं उनकी अवधिकारी वह दो प्राप्तोंना ही रही

है जैसे कि वेवल दो विरोधी स्थान ही हो सकते हैं। हमारी नीति निश्चे में भी साध सम्मिलित न होने की ओर सब देशों के साध मैथ्री-भाव रखने की है। हमने ऐसा इसलिए हो नहीं किया है कि हम शान्ति को प्रत्ययिक घाटते। किन्तु इसलिए भी वि हम प्रपनो राष्ट्रीय पृष्ठगूमि ओर उन सिद्धान्तों में जिनका हमने प्रतिपादन किया है, वे प्रति भूठे नहीं हो सकते। हमारा यह विस्वास है कि यत्तमान की समस्याएँ शान्तिपूर्ण उपायों से मुक्तमार्फ जा सकती हैं और प्रत्येक राष्ट्र विना हूसरों पर प्राप्तिपद्धति जमाएँ जिस प्रकार चाहे प्रपनो जीवन अप्रतीत बर सकता है। हमने प्रजातन्त्रीय विकास ओर अपने सदृशों को प्रपने बनाए हुए सविधान में रखा है। हम यह सोचने का दावा नहीं करते हैं कि हमारी नीतियों से या जो कोई भी कदम उठायेगे उसमें विश्व की महान् समस्याओं में कोई गंभीर घन्तर हो जाएगा। किन्तु समझते हम कभी शान्ति का पलड़ा भारी भर सकें, और यदि यह समझता है तो इसके लिए प्रत्येक प्रयत्न उचित है। शान्ति वा धर्य केवल गुट वी प्रनुपस्थिति नहीं है यह स्थितिभक्ति की एक अवस्था भी है। यत्तमान शीत-युद्ध से परिपूर्ण विश्व में स्थितिभक्ति की यह प्रवरणा पूर्णतः प्रनुपस्थित है। हमने यह प्रयत्न किया है कि हम इस युद्ध ओर युद्ध के बातावरण से प्रभावित न हो जायें और प्रपनी समस्याओं तथा विश्व की समस्याओं को जितना भी समझ हो, निष्पत्ति से सोचें। हमने यह आभास किया है कि विश्व में कोई भीप्रणा दुर्घटना हो भी जाय तो विश्व के उम भाग को जहाँ तक तो भव्य है उससे घलग रखना आवश्यक है। इसीलिए हमने यह प्रोपर्टा भी है कि भारत युद्ध में भाग नहीं लेंगा और हमने यह आशा भी है कि एजिया के दूसरे देश भी इसी प्रकार इससे दूर रहेंगे और इस प्रकार एक शान्ति क्षेत्र वा निमिण बरेंगे। जितना ही प्रयित यह क्षेत्र होगा उनना ही युद्ध विश्व दूर होता जायगा। यदि सम्पूर्ण विश्व दो ओर और विरोधी दोनों में विभक्त है तब युद्ध प्रदर्श्यन्नार्थी हो जाता है और विश्व के स्थितित्य में लिए कोई आशा नहीं रहती।"

भारत की इस स्वतन्त्र विदेशिक नीति को विदेशों में गतत समझा गया है, विशेषकर प्रमरीका में। १९४६ में जौन पास्टर डेलग, जो कि प्रमरीका के तहारासीन विदेश मंत्री थे और उस तमस्य समुक्त राष्ट्र अमरीका के समुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महसूस के सदरम्य थे, कहा था—

"भारत में खोयियत साम्यवाद प्रनतरिम हिन्दू सरकार के द्वारा प्रत्ययिक प्रभावशाली है।"

अमरीकन लोगों के लिए साम्यवाद एक प्रत्यक्ष ही भयानक बहतु है। उनका यह विश्वास है कि साम्यवादी युद्ध का बाज़ वे हुए गयार पर आक्रमण करवे जीत

लेने का हक निश्चय है और भारतीयवादी निश्च यदि विसी प्रकार से भी जोहरी से पायी करेगा तो तोविषय संघ और उसके साथी साम्यवादी राष्ट्र इस गतावयाती से साम्भ उठाकर विश्व भर में साम्यवाद स्थापित कर लेंगे। भारत इस हितकोए सहमति नहीं है। किंग से किंग वह इतना गहरा नहीं है कि उस भौत भी भारत को कोई सहाय है। हमें साविषय संघ और उसके साथी देख जैव कि वार्तेंड, अनात्मायाकिया और रुमानिया यादि से आधिक सहायता मिली है। हम युग्मास्ताविषया से भी उचित सहायता मिली है। साम्यवादी चीत व साथ नी हमारे गंभीर सबव है और हमने ऐसी वा समुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नित गहरायता भी दी थी। भारत इसीलिए प्रशिद्धमें साम्यवादा विरापी हालटवार्ण सहमति नहीं है। हमें काश्मीर का गमस्था पर युद्धापालन में गतावयत मप से विषय सहायता मिली है। हम परिचयी सेनिक सहायता से भी सहमति नहीं है बराकिं व युद्ध एवं युद्ध की गतोद्धर्ता उत्तरान करते हैं तथा विष्व को युद्ध के पर्माण रो जाते हैं। हम गति ये द्वारा गति की प्रशिक्षणी नीति से भी सहमति नहीं है। हमने बगवाद और गतीता प्रतिष्यो का तथा पाकिस्तान की गतिक गहरायता वा इमानिए विराप विषय है कि इन्हें द्वारा जीत युद्ध भारत की सीमा तक आ पहुँचेगा और भारत के विष्व युद्ध से उलगने की सम्भावना से वृद्धि होगी।

भारत गतीकी सम्बन्धी में जो तत्त्व पर्मी व भी दिलाई देता है उग्रवा युद्ध कारण भारत के सम्बन्ध में गतीकी जनता वा विश्वास गतान है व्यापक हम गतीका और गोविषय संघ दोनों से गतीकी रक्तता चाहते हैं इसलिए हम साम्यवाद गतीका ए गवत गमना जाता है क्योंकि एक गापारात्र गतीका ऐसी गमनता को सम्भने में असमर्थ है। उन्हें ग्रनुसार गोविषय संघ वा प्रत्येक मित्र साम्यवादी ही ही गतता है और इसलिए वह प्रजातन्त्र और प्रशिद्ध वा विशेषी होता। गतीका और इन्हीं ने काश्मीर गमस्था पर पाकिस्तान की सहायता की है। गतीका की पाकिस्तान को सेनिक और आधिक गहरायता के कारण इन सम्बन्धों में और भी तत्त्वाव उत्तरान हुआ है। जाति भेद में सम्बन्ध में विषेषत विश्वास गतीका में भारतीयों के साथ व्यवहार तथा गतीनिवेशिक गमस्थायी पर भारत और गतीका की नीति में प्रत्यय गम्य नहीं है किन्तु किर भी गतीका भारत को पूरी तरह से खोना नहीं चाहता है। वह यदि सम्भव हो तो मेहूँ की गतीकी ओर करना चाहता है या विशेष प्रवार से ऐसा गमभीता बरना चाहता है जिसके द्वारा भारत बहुत हुए साम्यवाद को रोकने में गतीका की सहायता वरे। प्रधाराण गतीका विज्ञान और गतीनीतिक इसलिए भारत को गहरायता देता। पक्ष यह है कि एशिया का यही रक्तायी प्रत्यावर्त है और यही भी प्रजातन्त्र वा गत एशिया में साम्यवाद की सबते वही विषय होगा। याल्टर लिमेन व ग्रनुसार —

"तब वही हम साधियों की ओर करेंगे जबकि राष्ट्रदादी चीन, नीदरलैंड्स तथा फ्रान्स एशिया में वह कार्य करने के लिए असमर्थ हैं जिसकी इसे उन्होंने आज्ञा दी। मेरी समझ में वह एक मूलभूत समस्या है जिसका इस एशिया के प्रति अमरीकन नीति के निर्माण के लिए आवश्यक है " मेरी समझ में हमारे लिए यह पच्छा होगा कि हम नेहरू के साथ घपने चीन प्रोट इन्डोनेशिया की नीति को निर्णायक करने के लिए यताह करे ।"

(न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून १० जनवरी १९४६ इंडियन फारेन पासिस्टी—डा० जे० सी० मुन्डा पृ० १७ से उद्धृत)

इसलिए हम यह यह सबते हैं कि अमरीका भारत के सम्बन्ध में घपनी नीति निर्धारित करने के लिए सोच में पटा हुआ है ।

इस खेत का अन्त हम डा० जे० मुन्डा के इन शब्दों से कर सकते हैं—
 "अन्त में, यह भी कहना होगा कि भारतीय दंडेशिक नीति पृथक्कर्तवादी या तटस्थवादी इन शब्दों के सापारण पर्याय में न दी । यास्तव में वह एक युद्ध विरोधी नीति वा पालन पूर रहा था । उसकी नीति इस पूरे समय में यह थी कि यदि एक विश्व युद्ध घारम हो तो उससे बाहर रहना है तथापि उसने घपने को जो कुछ विश्व में हो रहा है उससे असंग नहीं रखा । भारत ने पूर्ण शक्ति से प्रत्येक समस्या को उसके गुणों वाली नीति वा पालन किया है प्रोट प्रत्येक समस्या पर एक यादृमर पक्ष के विरुद्ध घपने विचार प्रबट किए हैं । ऐसी नीति के साथ बढ़िता यह है कि यह एक बेवल नीतिक नीति रह जाती है जब तक कि राष्ट्र इसकी इमारी तात्परि मीमा तक से जाने वा प्रयत्न नहीं हरता—राज्यों तो वीच में सवालों को शक्ति के उपयोग द्वारा—गुणों पर लिए गए हृष्टिकोण से बोलिया की रामस्या को ही सीजिए । भारत ने यह माना नि वही पर आवश्यक हुआ है उसने 'गुणों' पर यह निरंय किया कि उत्तर कोरिया आक्रमणकारी है । इन्तु क्या वह हम आक्रमण की एशिया की शक्ति द्वारा महने के लिए तैयार था तथा वह उत्तर कोरिया से जिसको कि साम्यवादी गुण पूर्णतः टीक मममता था, युद्ध पर यताता था ? ऐसा माने इवभावतः भारत की विसी प्रोट मुम्मिलित न होने प्रोट मुद्द विरोधी नीति के विरुद्ध था ।"

(इंडियन फारेन पासिस्टी पृ० २२४)

हम इस बात पर डा० मुन्डा से पूर्णतः महमत ही महने हैं कि हमने घपनी विदेशनीति के मूल गिरावत का पूर्णतः पालन नहीं किया है । यदि हम जानित तथा

राष्ट्रों के बीच में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था तथा धन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में कानून का राज्य स्वापित करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि कानून को तोड़ने वाले और मानने वाले के मध्य में तथा आक्रमणकारी और उसके शिकार के बीच में भेद करे। विश्व में हमारी स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा भारतीय वैदेशिक नीति यथार्थ में शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है कि हमें केवल एक नीतिक दार्शनिक की तरह से नीतिक सिद्धान्तों से आधार पर निर्णय दे देने से ही सतोष नहीं कर लेना चाहिए किन्तु आक्रमण का विरोध करने के लिये तथा कानून न मानने वाले राष्ट्रों का विरोध करने के लिए अपनी सपूर्ण शक्ति से तथा अपने सपूर्ण साथनो—नीतिक व शारीरिक से सदैव तत्पर रहना चाहिए।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व

मुद्रांतर वानि पूर्ण गह-प्रतिष्ठान की गमन्या ने घटयन्त ही महत्वपूर्ण रूप घारलू पर लिया है। वास्तव में इस गमन्या का प्रादुर्भाव १६१७ में लोकियत संघ की स्थापना के गमय ग ही हुआ है। विश्व के इतिहास में गर्वप्रयत्न एवं प्रमुख राज्य में एक भिन्न प्रसार की प्रादिव, गामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। इस राज्य ने यह घोषणा की कि वालं माझं की राजनीतिक विचारपारा वो कायं रूप देना और उने रामपूर्ण विश्व में फैलाना इमराएक प्रमुख उद्देश्य होगा। और इस घमरी वो पूरा करने के लिए इसने विश्व के साम्यवादी दलों में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इस राज्य के प्रति जन्म रो हो गदेह और सविष्ठाम वो भावना रही और दूसरे राज्यों न बहुत गमय तक इसकी साम्यता नहीं दी। एक राज्य विचारा स्पष्ट उद्देश्य दूसरे राज्यों वे आन्तरिक दोनों में हस्तक्षेप करता है और जो हस्तक्षेप द्वारा सम्भवस्था, भराजना केलाना चाहता है और इसरे पक्षस्वार एक साम्यवादी संघिनायतन्त्र की स्थापना करना चाहता है तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रगुण निकालों वो भंग करता है, ऐसे राज्य वो अन्तर्राष्ट्रीय सभाज के लिए एक घटयन्त ही सफर की वस्तु माना गया था। महान् शक्तियों में गमुक्त राज्य प्रमरीका ने ही इसे १६१० के प्रन्त में उत्तम मान्यता प्रदान की थी और यह भी तद लिया था जब कि इसने साम्यवादी दलों के तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ का विषट्टन का दिया था तथा एक विश्व समाजवादी द्वानि के उद्देश्य और प्रादर्श वो योग्य देन की स्पष्ट घोषणा की थी तथा हमें राज्य प्रमरीका की मरकार थी। यह स्पष्ट बादा लिया कि उस राज्य में सविष्ठान द्वारा स्थापित गर्वार का पक्षने के उद्देश्य या इगदा रसने वाले किसी राजनीतिक दल, भूमूद या गुट की लिंगभी विचारपारागणे हिंगारमण है, कभी भी सहायता नहीं देगा।

द्वाटस्थी दवा स्टालिन की जल्ति के लिए प्रतिष्ठानिका का निर्णय १६२८ में स्टालिन के पक्ष में हुआ और तद गोवियन गमय ने राजनीतिक इटि से यह उचित

समझा कि वह विश्वव्राति के उद्देश्य को छोड़ दे । स्टालिन ने एक देश में समाजवादी की स्थापना और निर्माण को सम्भव समझा तथा इसे एक अस्पष्ट और अव्यावहारिक विश्वव्राति के आदर्श से अधिक महत्वपूर्ण समझा । स्टालिन ने इस सिद्धान्त का प्रनिपादन किया कि पूजीपति राज्यों के विश्व में समाजवादी राज्य का भी प्रस्तितव हो सकता है । एक राष्ट्र में समाजवाद के विचार के पीछे पूजीपति राष्ट्रों के साथ सह-प्रस्तितव का विश्वास छिपा हुआ था और तब से विश्व में इस राज्य के प्रति यद्यपि तनाव कुछ कम हो गया किन्तु फिर भी इसमें और विश्व के दूसरे राज्यों में सन्देह और अविश्वास का पूर्ण अन्त नहीं हुआ । यह पूजीपति राज्यों के इसके प्रति सन्देह और अविश्वास के हित्रिला का कारण है । यद्यपि सोवियत सघ में उनके प्रति प्रान्ति के लिए कोई महायक एवं सत्तानुभूति रखने वाले नहीं थे तथा मोवियत मध्य के तथा समाजवाद के बहुत से सर्गठन और प्रभावशाली सहायक उनकी सीमा के भीतर थे विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्र में सुरागठित साम्यवादी दला वी उपस्थिति उनके लिए चिन्ता का विषय थी । यह भी पूरा विदित है कि यह साम्यवादी दल इसके अन्तर्राष्ट्रीय सघ के विघटन के पश्चात् भी मोवियत राष्ट्र से निर्देश और सहायता की जागा रखते हैं एवं प्राप्त करते हैं । प्रत्येक पूजीवादी राज्य में इस प्रकार उसकी जनता का एक भाग सोवियत सघ का प्रशसक था एवं और उसकी स्वामिभक्ति तथा देशभक्ति पर यह पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकते थे ।

इज्जलैण्ड और कास की प्रजातन्त्रीय सरकारों ने जर्मनी और इटली के फासिस्ट-वादी अधिनायकतन्त्रों को इस अर्थ मान्या में कि वे किसी समय पर इस साम्यवादी राज्य और इसकी विचारधारा को माट कर देंगे सहमत नहीं वरन् प्रोत्साहित किया और जब पश्चिम के प्रजातन्त्रों न यह समझा कि फासिस्टवाद के बहुत साम्यवाद विरोधी ही नहीं वरन् प्रजातन्त्र विरोधी भी है बहुत देर तक थी । इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी नीति में एक एक विवरनंत करना पड़ा और अपने अस्तित्व के लिए उन्हें द्वितीय महायुद्ध के बीच में इस पुणित राज्य से सहयोग करना पड़ा । अब तब यह युद्धवाल ही इन दोनों अवस्थाओं के बीच मुक्ति सह-प्रस्तितव का बाल रहा है ।

युद्ध के पश्चात् विजित तथा नष्टप्राय सोवियत सघ के स्थान पर एक विस्तृत और शक्तिशाली सोवियत सघ विश्व के समक्ष माया । यह अपने प्रवार का केवल एक ही राज्य नहीं था बिन्तु अब इसके साम्यवादी राज्यों का एक गुट था जिसमें कि सम्पूर्ण पूर्वी योहप और चीन सम्मिलित थे । इस गुट के सदस्य एक सामान्य विचारधारा द्वारा सम्बन्धित हैं । तथा राष्ट्रीय राजनीति में यह विचारों द्वारा एकत्र एक प्राधुनिक तथ्य है और यह साधारण राजनीतिक तथा धरेलू संघियों से अधिक शक्तिशाली एवं अधिक स्थायी है । यह धार्मिक सन्धि की तरह कठूरता पर आधारित है ।

आज अन्तर्राष्ट्रीय दोनों पूजीवादी और समाजवादी विचारधाराएँ पूर्ण रूप

से जक्कि गे सुसविजत एक दूसरे के विरोध के लिए तत्पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो विश्व के राजनीतिज्ञों ने अपने ऐतिहासिक पाठ भूला दिए हैं या इतिहास का अत्यन्त ही अपूर्ण अध्ययन किया है। यह एक इतिहास द्वा महत्वपूर्ण पाठ है। विचारों को वभी भी जक्कि के द्वारा नष्ट या दबाया नहीं जा सकता। इस सत्य को हम जितनी भी घटता रो हम जान लेंगे उतना ही मानवता के हित में होगा। किसी भी विचारघारा को दबाना प्रसंभव है, परी यही दात सम्पदादी विचारघारा के लिए भी सत्य है। दर्शन का उत्तर केवल दर्शन के द्वारा ही दिया जा सकता है। दर्शन के सप्तों का निष्ठाग्र युद्ध के भौदान में विद्यापि नहीं हो सकता। यह अत्यन्त प्राचरण-जनक यात है कि वे लोग जो कि विश्व के भाग्य एवं भविष्य को निर्देशित करते हैं इस साधारण तथ्य को समझने में असमर्थ हैं। तकों का उत्तर गोलियों प्रोर घमडी से तथा उसको एक सक्रामक रोग मानना और फैलने से रोकने के लिए चारों प्रोर एक नियंत्र-रेता खीचना अत्यधिक भताकिक, हास्यारपद प्रोर वास्तव में अपनी हार को स्वीकार करना है। साम्यवाद न है और न इन पूँजीदादी राज्यों के लिए एक राक्ष रहेगा यदि वे अपनी कमियों पर ध्यान दे और यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि इसकी प्रगति के मुहूर्य कारण वया हैं। हमें उन परिस्थितियों में सुधार करना चाहिए जिनके कारण करोड़ों साम्यवाद की प्रोर भुकते हैं।

यदोकि यह विचारघारे समझोते के लिए कोई रार्डमान्य प्राधार का निर्माण करने में अमर्दा है और यह एक दूसरे का जक्कि के द्वारा विनाश भी नहीं कर सकती जब तक कि साथ ही साथ यह सम्पूर्ण विश्व एवं सम्यता का विनाश न करते हों तो यह अतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक मधिक उचित रूपिकोण न होगा कि इनके बीच गह-प्रस्तितव का प्रयत्न दिया। इतिहासकार नेहरू ने इतिहास के इस तथ्य को समझा है और उसने इसे शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव के सिद्धान्त के रूप में जितको कि १९५४ की नेहरू-चाऊ घोषणा में एक निश्चित रूप दिया गया था और जितको साधारणतया हम पक्षीज बहते हैं।

इन पेचोदे चिदान्तों का अध्ययन करने से यह पूर्णतः तिक्क हो जायगा कि शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव का मूल प्राधार सहिष्णुता है—विभिन्न प्राचिक, राजनीतिक, पार्मिक और सात्त्विक धर्मस्थायों के बीच सहिष्णुता। पन्तराष्ट्रीय दोनों में इस सहिष्णुता को हम एक दिन में उत्पन्न नहीं कर सकते। यह सत्य है कि जक्कि के कारण पर्मठ उत्पन्न होता है और कायदे के कारण असहिष्णुता। जब तक कि विश्व की प्रमुख शक्तियों उद्भव बम प्रोर महादीपीय निर्देशित शक्ति पर विश्वास करेंगी तब तक सहिष्णुता का प्रस्त नहीं उठता। एन्ड्रू रोमस्टोन का यह मत है कि एक नवीन धर्मस्था यो स्थापित करने के लिए तथा शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव के युग को प्रारम्भ करने के लिए—

"सर्वंशयम इन दोनो राज्यो द्वारा (झोर यह कान्ति, प्रमेरिका तथा सोवियत) सभ के सम्बन्धो के लिए भी समान रूप से ठीक है, यह घोषणा जिसके करने में अस्थन्त देर हो गई है कि वे आती युद्ध वालीन सम्बन्धो के सिद्धान्तो पर अस्थन्त शीघ्र ही बायं करेंगे बिटेन के समठन में २६ मई १९४२ की आगल-सोवियत सधि वे तृतीय अनुच्छेद ने दोनो देशो द्वारा दूसरे समान डिट कोण वाले राष्ट्रों के साथ युद्धोत्तर शान्ति युग में स्थापित करने प्रोर अनुसान वो रोकने के लिए समान कायं करने के प्रस्तावो को मानने के लिए एक होता चाहिये और यह बायदा बीचबैं अनुच्छेद में प्रोर याये विस्तृत किया था जबकि दोनो पक्ष इससे सहमत थे कि वे योधप की आधिक समृद्धि और सुरक्षा वे समठन के लिए शान्ति के पुन स्थापन के पश्चात । निकट झोर मौजूदाण सहयोग एव कायं करेंगे ।"

"शान्तिपूर्ण मह-प्रस्तितव के लिए आवश्यक दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रभु-सत्ता और भौमिक सपूर्णता वा भादर है । इसवा अर्थ है कि वह समय आ गया है जबकि इस घमड से भरी हुई झोर बीघ उत्तम करने वाली 'उद्धार' बात वा अन्त किया जाय जो कि सर्व जनरलो झोर राजनीतिज्ञो में उनकी सरकारी द्वारा घस्तीकार बिए हुए चलती रहती है । यदि सीमाओं और दोनों के सम्बन्ध में सधर्य है तो अब समय आ गया है कि हम गम्भीरता पूर्वक तथा व्यापारिक रूप से जोचे झोर देखें कि उनमें से पयों कोई इस योग्य है जिसका प्रस्तुतने के लिए विश्व युद्ध आवश्यक हो यदि नहीं तो स्पष्ट रूप से वह समय आ गया है कि इस जिससे बास्तव में सहमत हैं उनको लितिन रूप दे तथा उस कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो जाए ।

"तृतीय, १९४२ की सम्बन्ध के सातबैं अनुच्छेद के अनुसार बिटेन झोर सोवियत सभ ने जिन विरोधी सम्बन्धो तथा गुटों वे विद्ध अपने आपको बीघा वा उनवा अन्त कर दिया जाय । इसका यह अर्थ नहीं है कि आवश्यक रूप से सब बर्तमान सबध विच्छेद बिए जाएं... समस्या देवल यह है कि उनको इस प्रकार परिवर्तिन किया जाय ताकि अन्तर्राष्ट्रीय भय मे कमी हो, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मे वृद्धि हो ।

"इसके पश्चात् एक दूसरे के मात्रिक मामलो मे अहस्तक्षेप की नीति आती है—जिसका यह अर्थ नहीं है कि अपने भौतिक, सास्त्रितिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उपराजियो वा प्रवाशन न किया जाय ।.... अहस्तक्षेप वा अर्थ दूसरे देशो की आन्तरिक राजनीति पर आधिक और वित सम्बन्धी दबाव वा अन्त कर देना है—जिसके कि युद्ध के पश्चात बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

“शान्ति पूर्ण सह-प्रसिद्धत्व का गोनबो मुक्त लक्षण है समता के घाघार पर व्यापार। एक द्वारे के विश्व विसी प्रशार का भेटभाव इए बिना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रावश्यक स्पष्ट गामधी जैसे फि गत्वा और गोना दाखल के अनिरिक्ष और किसी पर प्रतिरक्ष न करना।

‘शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व के लिए एह प्रावश्यक छठा गिरावंत गरारारे द्वारा वैज्ञानिक और सार्थक अनुभवों के दोनों देशों के बीच में विनियम के लिए प्रत्ययिक सहायता।’

स्टालिन न प्रपत्ती पुस्तक ‘समाजवाद की प्राचिक गमस्याएँ’ में लिखा है कि राजनीतिक विभाजन के बाब्बा विश्व में दो विरोधी विश्व यात्रा प्रादि प्राचिक रूप में भी विभाजन पर रह है। २२ मार्च १९५४ को बोइंग्राफ ट्रेन के प्रध्यक्ष न भा बहा था—

“यदि विश्व को दो घल्ले घाये गातों में विभाजित हर दिया जाय तो यह व्यापार के लिए प्रत्ययिक रूप से विश्व होता।”

गङ्गा, राष्ट्रस्तीन न इस सम्बन्ध में बहा है फि—

‘विश्व के यातारगत ने इन गिरावंतों की घोषणा तथा उनको व्यवहार में साने प सिए पढ़ते पर द्वारा प्रारम्भ भी बहुत यहा परिवर्तन कर देगा। किन्तु गमान रूप से निरावंत प्रावश्यक विश्व की मुश्क गमर्पं गमस्याओं पर गमभीते की धावश्वता है। इन दोनों राज्यों के समूदों में ...’।

(बीकुल को एम्जिसटेना पृ० १५३)

शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व के हमारा यह बदाहि गमर्पं नहीं है फि कोई एक पदा द्वारे पर या की राजनीतिक, प्राचिक और गामाजिक विभागाराओं से पूर्णतः सहमत हो जाय। सह-प्रसिद्धत्व का गमर्पं गमर्पति बदाहि नहीं है किन्तु वैवल जीवित रहो और दूसरी जीवित रहने दो, की गमोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ब्रिटेन के अमिक दल की प्रावश्यक हाँ। एडिप समरसिम में ११ दिसंबर, १९५४ को रेडियो पर भाषण देते हुए इस सम्बन्ध में बहा—

“शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व का गमर्पं द्वारा गांदु की गमार के गिरावंतों में पूर्णतः गमर्पति प्रावश्यक रूप ने नहीं है किन्तु एगरा गमर्पं गमदेवारमह गुद न करते की नीनि विचारों फि प्रावश्यक शान्ति रहते हैं से बर्ती परिष्ठ है। हमे गमर्पं इस विचार ने उटवारा या गेना चाहिए फि जबकि धारा विश्व भूमा है तब इस प्रगति पर गमते हैं।

यदि हम शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व के गिरावंत में गमबन्ध में सब रान्हों से गमर्पति प्राप्त हर गमर्पं तो हम भवित्व में शान्ति की धारा भर सकते हैं। ऐसी

परिवित्यतियों में युद्ध की सम्भावना का अन्त हो जायगा और इस युद्धोत्तर युद्ध में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम तृतीय महायुद्ध की सम्भावना का अन्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करें। शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव यदि नहीं होगा तो हमें तृतीय महायुद्ध के द्वारा सार्वभौमिक विनाश का भय रहेगा। अणुशस्त्रों के भयन्तर विनाशकारी परिणाम को हम सब जानते हैं। हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम शान्ति की मनोवृत्ति का विकास करें। अन्यथा सम्पूर्ण पृथ्वी की हमारी मान्यताओं और सम्पत्ति का और पिछली १५ शताब्दियों की सम्पूर्ण उन्नति के पूर्ण विनाश की सम्भावना का हम शान्तिपूर्वक सामना भही कर सकते।

मानवता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में हमें येष्ट परिवर्तन करना होगा तभी सहिष्णुता और शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव की स्थापना हो सकेगी। हमें पड़ोसी और पड़ोसी के मध्य एक सामाजिक समूह और दूसरे सामाजिक समूह के बीच के विभिन्न घरों के मध्य में, विभिन्न सास्कृतिक समूहों के मध्य में शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव की स्थापना करनी होगी और तभी हम शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव के लिए आवश्यक तथा राष्ट्रीय समूहों वे बीच में सहिष्णुता के लिए आधार-स्वरूप एक स्वस्थ मनोवृत्ति उत्पन्न करने में सफल होंगे।

शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव के सिद्धान्त को ठोस रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि धूएं का प्रचार बन्द कर दिया जाए और राष्ट्रों के मध्य में यप्राकृतिक प्रतिबन्धों को नष्ट कर दिया जाय। लोहे, रेशम या बाल के परदे नहीं होने चाहिए और एक दूसरे को जानने के लिए यथार्थ में प्रयत्न करना आवश्यक होगा। यह सत्य है कि हम उनसे धूएं करते हैं जिनको कि हम नहीं जानते, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे हम धूएं करते हैं। और इस प्रकार धूएं एवं अज्ञान का यह दूषित बातावरण कटुता, तनाद तथा असहिष्णुता उत्पन्न करता रहता है तथा शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तितव के मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोध है। सर नार्मल एनिजल्स ने शान्ति के लिए आवश्यक शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक तर्खों के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि न तो मानव प्रकृति स्थायी है और न सध्यमय है मानव प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, तथा परिवर्तन किया जा सकता है। इन कारणों से हम सरलतापूर्वक शान्ति के लिए मनोवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि साधारणतः सामाज्य व्यक्तियों में शान्ति की मनोवृत्ति पाई जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों गुटों के साधारण व्यक्ति एक दूसरे के सम्बन्ध में ग्राहिक से ग्राहिक ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन गुटों के बीच में समाचारों, इटिकों, यातायात के साधनों आदि पर किसी प्रवार का नोई प्रतिबन्ध न हो। जनता वो एक दूसरे के सम्बन्ध में यदि धर्यार्थता वां जानते वा अवमर दिया जायगा तो यह निश्चित है कि वे एक दूसरे के भेदों

के प्रति सहिष्णु होगे तो उनमें गहानुभूति का विद्वान् होगा । यद्यपि यह नहीं होता तब तक शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व वेवस एक राजनीतिक नीति का यज्ञस्थ मात्र रहेगा ।

शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व से सत्रिय सहयोग का यथा सब राष्ट्र भवने पाए में लेंगे, यदि उन्होंने शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व का सिद्धान्त घण्टा लिया है तथा शान्ति के लिये मनोवृत्ति का निर्माण हो चुका है । सहयोग का एक महत्वपूर्ण दोनों हैं इन दोनों गुटों के दीच में सोधे व्यापारिक सम्बन्ध तथा गम्भीर आर्थिक दीच में सहयोग । योरप की प्रथ्यक्षित प्रार्थिक दशा में सरलता से गुपार हो सकता है यदि पूर्व पश्चिम के व्यापार को किर से प्रारम्भ कर दिया जाय । पूर्वी इण्डि-प्रथान योरप पश्चिमी ग्रीष्मी-ग्रीष्मी-प्रथान योरप की आर्थिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही प्रावश्यक है । संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रकाशित भाकड़ी का यह भनुमान है कि ग्रीष्मी-पश्चिमी योरप १४५ करोड़ डालर सांगत का सामान पूर्वी योरप को निर्यात कर सकता है किन्तु इन प्रतिबन्धों के कारण वेवस ४७ करोड़ डालर की सांगत का सामान निर्यात कर रहा है । इसी प्रकार से योरप २ परव डालर सांगत का सामान पश्चिमी योरप को निर्यात कर सकता है, किन्तु इस समय वेवस ५८ करोड़ डालर सांगत का सामान ही निर्यात कर रहा है । यह सब उन अशाहृति प्रतिबन्धों के कारण है जो कि पश्चिम के प्रारूपित व्यापार का अवरोध कर रहे हैं तथा योरप की प्रार्थिक व्यवस्था को अत्यन्तु-लिठ कर रहे हैं । यह प्राकड़े पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि इन अशाहृति प्रतिबन्धों द्वारा ग्रीष्म-मुद्रा के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की हानि हो रही है । प्रार्थिक सहयोग अत्यन्त ही प्रावश्यक है और विश्व के राजनीतिकों को इसकी प्रावश्यकता गम्भीर सेतो चाहिए धन्यवाद । यह अशाहृति पदवस्थायों के कारण विश्व में एक प्रार्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है और यह संकट पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थायों को सम्बन्धितः नष्ट भी कर देगा । इस कार्य को जलाने के लिए अशाहृति प्रार्थिक सहायताएँ प्रार्थिक दिनों तक उपयोगी नहीं हो सकती । जस्तो वी यह दोइ जो विश्व व्यापार में प्रत्यक्षिक खड़ि वा रही है प्रारूपित आर्थिक सन्तुमन अशाहृति भी कुछ बास वे सिए न कर सकेंगी ।

विश्व के प्रारूपित व्यापकों के उपयोग के दो त्रै में ग्रीष्मी-पूर्व आर्थिक विकास की प्रगति से लिए तथा अन्त में श्रेणी-विभिन्न के शान्ति पूर्ण उपयोगों से लिए यह अत्यन्त ही प्रावश्यक है कि दोनों गुट सह-प्रसिद्धत्व और तक्रिय सहयोग के दिवार को घपनाले । इस सत्रिय सहयोग के आपारों के सम्बन्ध में एन्ड्रु रोयस्टीन ने किया है—

“यदि शान्तिपूर्ण सह-प्रसिद्धत्व का धन्य वस्तुओं के साथ यह धर्य भी इवीकार कर लिया जाय यि यापत धोटे धोटे व यहे राष्ट्रों की गण्डीय प्रभुमता के प्रति आदर हीं तो यह समाजवादी य पूँजीवादी राष्ट्रों के बीच सहयोग के एक

विशाल दोनों को सोलना सभव होगा— और वह सहायता, जहाँ तक शीघ्र सामने का सावध है, नि स्वार्थ होगी विन्तु फिर भी यदि उसको एक अधिक समृद्धिशाली विश्व के भाग के रूप में देखा जाय तो सहायता देने वाले देशों के हित में होगी ।

'निर्बल राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता आधिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण रहेगी । यह इसका एक मावश्यक लक्षण होगा । जैसे कि आवश्यक सामग्री यांत्रिक औद्योगिक सहायता और दूसरी सेवाएँ हन सम्बन्धित देशों को देखी जानी चाहिए और वे उसे सरलतम् सभव शर्तों पर जो कि उनके बतमान कठिनाई को पूर्णतः ध्यान में रख कर निश्चित की गई है, वापस चुकाए त कि पूजी के विनियोगों के रूप में और उसके साथ सदैव के लिय या कुछ वर्षों की अवधि तक आधिक सामने के अधिकार के लिए हो ।'

(पीसफुल को-एग्जिसटेन्स, पृ० १७५)

यह आधिक सहयोग तभी स्थापित हो सकता है जबकि आधिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः अन्त हो जाए । विन्तु ऐसा होने की बतमान को कोई सामान्या प्रतीत नहीं होता है । जब तक पूजीवादी राष्ट्र रहेंगे तब तक वे स्वनियन पदार्थ और मार्केटों के लिए सुरक्षित साधनों की लोज में रहेंगे । पूजीवादी देश पूजीवाद की अधिक विकसित दशा में हैं पूजी के विनियोग का भी प्रयत्न करेंगे । इसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र पर आधिक और प्राय उनके सामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहेगा । इस कारण से ही कान्स जो कि देशों में हर कीमत पर अपने उपनिवेशों को बनाए रखने की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है । ऐसा आधिक आधिकार्य विश्वसान्ति के लिए भहितकर है तथा शान्ति पूर्ण सह-स्थितित्व की भावना के विकास के मार्ग में आधिक है । जब तक आधिक साम्राज्यवाद रहेगा तब तक प्रतिद्वन्द्विता की भावना रहेगी । हमें एड्यूकेशन का यह प्रस्ताव मान सेना चाहिए कि जो कुछ पिछड़े हुए राष्ट्रों को सहायता दी जाय वह नि-स्वार्थ हो और ऐवल सहायता की भावना से ही दी जाय । आज जो अधिकाश सहायता दी जा रही है वह इस भावना से बदायि नहीं है । उसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप आधिक साम्राज्यवाद है ।

इसलिए शान्तिपूर्ण सह-स्थितित्व तभी सभव होगा जब कि हम शान्ति की मनोवृत्ति का विकास कर लेंगे । विरोधी और प्रादेशिक समझोतों का अन्त कर देंगे तथा सैनिक गुट और प्रतिगृह, दूर्भीन तिदान्त या आइजनहावर तिदान्त जैसी उम्र व तनाव उत्पन्न करने वाली नीतियों को छोड़ देंगे और उपनिवेशवाद, आतिवाद तथा आधिक साम्राज्यवाद वा अ.त. वर देंगे । हम यह भी निश्चय पूर्वक वह सन्तु ते हैं कि

हमरे गामते शान्तिगूणं गट-प्रसिद्धता ते प्रनिवित्त और बोई गारं है भी नहीं । यह एक आवश्यकता है। शान्तिगूणं मह-प्रनिवित्त के प्रनिवित्त जो गारं है उसमें प्रसिद्धता गमय नहीं है। यह बेदन राजनीतिक आवश्यकता या त्रुतिय विश्वपृष्ठ में बनने के लिए ही आवश्यक नहीं है इन्हुंने यह पांचिंह धारापार एवं मानवता को अमृद के लिए चरणन्त आवश्यक है।

इसी भी नीति की सफलता के लिए, विश्व की परिस्थितियाँ, हमरे राष्ट्रों के स्वार्थ और प्रभन्नराष्ट्रीय राजनीतिक आवश्यकतायें आदि भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन ही में भारत-चीनी गीका विवाद तथा मध्यवर्ती इस गिरावळ तथा इसी ग्रनावश्यकता या अग्रजता नहीं पिछ बरता है, बरन् यह इसीने बरता है कि विना इस गिरावळ के मह-प्रसिद्धता गमय हो जायेगा।

— — — —

आधुनिक राज्य में नौकरशाही का स्थान

नौकरशाही आधुनिक राज्य का एक आवश्यक तत्व है यह केवल शासन में सुधार के लिए आवश्यक है किन्तु इसकी अनुपस्थिति से शासन स्वयं असम्भव होगा। यह सरकार द्वारा राज्य से वेतन प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारियों का एक समूह है जिनको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षण मिलता है, जिनकी नौकरियाँ स्थायी हैं और जिन पर राजनीतिक परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार के पदाधिकारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि राज्य के कार्य-क्षेत्र के अनुपात में है। राज्य के द्वारा कोई भी नया कार्य या कोई नया विभाग इनकी संख्या में वृद्धि करता है। अमरीका के रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का दसाश तथा ब्रिटेन, फ्रान्स और जर्मनी का पंचमाश इन सार्वजनिक कर्मचारियों का है। इनकी संख्या में पिछले १०० वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इङ्लॅण्ड में १८२१ में १७ हजार सार्वजनिक कर्मचारी थे जबकि उनकी संख्या १८४६ में ३ लाख के ऊपर पहुँच गई तथा अमरीका में इसी काल में ६६ हजार से बढ़कर १४६ हजार हो गई।

समस्त राजनीतिक संस्थाएँ, उनके चलाने वाले व्यक्तियों वी प्रकृति, गुण तथा कार्यकृतालता के अनुसार कार्य करती है। हरमैन फाइनर का कथन है—

“...संस्थाएँ व्यक्तियों से ग्राफिक और कम कुछ नहीं। कोई भी संस्था उसके ग्राविल्कारक और चलाने वाले व्यक्तियों के गुणों से ऊपर नहीं उठ सकती। सरकार की समस्याओं के हल करने की ग्रन्तिम रूप से सम्भावना है उन पुरुषों और महिलाओं की प्रकृति में है जो कि उस संस्था के भाग है। प्लेटो ने जब अपने सरकारों के प्रशिक्षण में ग्राफिक ध्यान दिया था तो वह गलत नहीं था और उसके समय से अधिकाश राजनीतिक विचार उसके उच्चतम अन्तर्दृष्टि के पुनः खोज हैं।”

यह बेवल सार्वजनिक सेवाओं का ही उत्तरदायित्व है कि राजनीतिक शक्ति को विभिन्न विषयों में एक व्यक्ति से समाकार सारी जनसभ्या पर फैसे सागृ करना और यह कायं बेवल सार्वजनिक वर्मचारी ही कर सकते हैं। जबता, अवध्यातिका सभा पा मुख्य सार्वजनिकों कोई भी कानूनों को विभिन्न गामसों में या सर्वाधिक परिस्थितियों में तागू नहीं बरता है। इसी भी राज्य में नीकरणाही या महत्व इन दो तत्वों पर निर्भर करेगा—

(अ) राज्य का कायं-कानून, और

(ब) प्रशासक और राजनीतिज्ञ पा राज्य के घटाने में घनुदान पा घनुपात।

प्रापुनिक राज्य का प्रमुख सदाचाल विस्तृत स्पष्ट में सत्रिय कायं है। इसी सत्रिय और सोर कल्पाणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रवार वे कायं करने वाले हैं। भविष्य में भी राज्य के नियन्त्रण करने की शक्ति में भी निरन्तर वृद्धि होगी। प्रापुनिक राज्य मानवीय कायों को इतने प्रतिक विभिन्न दो तरों में निर्देशित करता है कि इसकी हम सम्बन्ध में हम पुराना पर्मे राज्यों से तुलना कर सकते हैं। यह नवीन कायों के नितिक और भौतिक पर्मो के प्रत्येक विभाग को पूर्ण करता है। राज्य हमारे पालने से लगावर जनसान तक की सभी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विसी न विसी प्रवार से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में हरमैन फाइनर का दर्शन है—

“इमरा लेसा, सद्दो गटरो, भवनो पर निरा हुमा है और यह घटाया है कि राज्य ने बधा दिया है ताकि समाज में योहो मात्रा में युद्ध तथा व्यक्ति की अपराधी और यत्रवालित गाँठियों में सुरक्षा तथा आर्थिक दुःख और जहरीले वीटालुओं के विरुद्ध बातावरण और व्यक्तिगत रक्षा दे सके। प्रत्येक वर्ष हजारों नियम और माझाएँ हम प्रापुनिक राज्यों की विस्तृत और यत्तमान कायों की योजना यह यताती है कि राज्य फैसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता है। तथा इसने प्रस्तुति में उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति को बरोहो घालों में बुनता ऐठता है। इनके कोई भी दाल अप्रविष्ट नहीं है और प्रत्येक दाल होने वाली कई पटनाओं के लिए भी पूर्व निश्चिपत और टीका कामं या वार्षितय है।”

(भाइर्न गवर्नरेंट द्वा० ७१)

प्रापुनिक राज्य को पुरानन या अध्यकासीन राज्यों से सार्वजनिक वदायिं-दातियों को अपनी आळाओं को करने के लिए इतनी बड़ी सश्या में नीकर रहना ही भेद करता है।

प्रापुनिक नीकरणाही परिचयी औद्योगिक सम्यता भी देन है जैसे कि जेप और सब प्रकार की प्रापुनिक राजनीतिक संस्थायें। १६ वीं शताब्दी के अन्त में यह पता सगाना कि राज्य के निरन्तर बढ़ता हुमा दाव का कायं पुरानी नीकर गाही त्रिसारा प्राप्तार कुनवापरती, ज़म हथा पद था और जो इस वारण से प्राप्त-

अधिकारित तथा अयोग्य थी का ग्रन्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर कुशल योग्य और प्रशिक्षित पदाधिकारियों को रखा जाय जो कि राष्ट्र के सर्वथेष्ठ व्यक्ति हो और उनके चुनाव में सामाजिक स्थिति, धार्मिक विश्वास व दलीय सम्बन्धों का ध्यान न रखा जाय। दूसरा यह ठीक समझा गया कि थम विभाजन कार्यों की विशेषता भादि के सिद्धान्त प्रशासकीय सेवाओं में भी लागू किए जाएँ।

इनका इतना अधिक आधुनिक राज्य में महत्व तथा आवश्यकता होने पर भी अपेक्षाकृत उन्हे हम आधुनिक राज्य का मुख्य भाग नहीं कह सकते।

“व्यावसायिक, वैज्ञानिक, प्रशासकीय और धार्मिक विशेषज्ञों तथा उनके दक्ष सहायकों को यह बड़ी भारी सेना के द्वारा एक विशाल और अत्यन्त आवश्यक सेवा की जाती है। वे लोग विशेष विशेषज्ञता देते हैं। उनको तथ्य मालूम है। वे उस समय तक निरतर कार्य करते रहते हैं जब तक कि जिस कार्य को करना है उसकीबीड़िक योजना की आवश्यकता है न कि चुनाव की अवधि की अप्राकृतिज्ञ सीमाओं के भीतर। जबकि राजनीतिक जो कि उनका निर्देशन करता है, सार्वजनिक इच्छाओं, अभिलाषाओं का अस्वमान है। सार्वजनिक पदाधिकारी प्राकृतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक तथ्य को देता है जो कि यह निश्चय करते हैं कि इच्छा को किस प्रकार पूरा किया जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। ये उन भागों को बताया है कि जिसके द्वारा इच्छा या अभिलाषा की पूर्ति कम से कम बलिदान के द्वारा जो कि नागरिकों को सहन करना होगा यदि कानूनों को पूरा करना है। मुझे विशेषज्ञ की प्रशंसा में और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है यद्यपि विशेषज्ञ—जिसके द्वारा हमारी सम्भवता जीवित है—की सीमाओं के सम्बन्ध में जो प्रयत्न लिए गए हैं इस हृष्टिकोण से यह ठीक ही होगे।”

(माइनर गवर्नरमेंट्स-फाइबर, पृ० ७१३-१४)

आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं द्वारा की गई सेवाओं में किसी मात्रा तक आवश्यकता है और यह आवश्यकता इस कारण है कि हम उच्चतर जीवन स्तर की अभिलाषा करते हैं। हम यह भी आशा करते हैं कि राज्य को आगे बढ़कर हमारी उन सम्पूर्ण अभिलाषाओं का जो कि व्यक्ति और दूसरों सामाजिक सम्बन्धों जिसमें असफल रही हैं, का भार अपने कर्त्त्व पर ले ले। इसलिए राज्य को एक उच्चतर जीवन स्तर का करने के लिए हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, आर्किटेक्चर दुर्घटनाओं तथा अनिश्चित भविष्य के विरुद्ध सुरक्षा के लिए इन सब कार्यों को अपने हाथ में लेना पड़ता है जोकि निजी सम्बन्धों उन्हे पूरा नहीं कर सकती और राज्य उसको अच्छे प्रकार से पूरा कर सकता है। ये सेवाएं व्यक्तियों को

निरन्तर तथा सुव्यवस्थित हृषि में प्राप्त होनी चाहिए और यह कार्य वेदत एक विशेषता तथा स्थाई सार्वजनिक सेवाएँ ही कर सकती हैं ।

मामूलिक प्रशासन प्रधिकार रूप में अप्राप्य और वास्त्री प्रशासन है। प्रत्येक रामस्या का दूर से ही हृषि नियंता जाता है तथा इस हृषि वो नियंत्रक रामस्या एक वास्त्री विवरण के द्वारा ही प्राप्त विद्या जाता है। बिन्दु यह मामूलिक मात्रापत्र के लोग्गतर साधनों के द्वारा ही सम्भव है। राज्य का प्रधिकार वार्षिक वेदन्तव्यहृत है।

“देवद्वीपवरण की विनिया किसी लीमा तक प्राप्त हो और वीमतों और परिणामों के विलक्षण विवास के द्वारा वस हो गई है। इससिए रूपानीय विरी-दाव, वैन्द्र वो रिपोर्ट और आकड़े भेज सकता है, जिनमा कि वेद्र में भी वही स्पष्ट अर्थ होगा जो कि दूर स्थिति मार्गी ने है। फिर भी विकायत करने वाले उपमोत्ता का व्यक्तिगत सम्बन्ध भावश्वरूप है। प्रधिकारं सार्वजनिक सेवा का कार्य यद्य भी व्यक्तिगत है।”

(माइन गवर्नरेट्‌स—फाइनर, पृ० ७१५)

राज्य के द्वारा की गई सेवाएँ पूर्णतः एकाधिकारी होती हैं। अपने कार्य के प्रधिकार दो तो में राज्य को किसी और सहयोगिता नहीं करनी होती है। यह प्रत्यने गद्य प्राहृतों को समान रूप से अध्यवहार करता है और इसकी प्रधिकारं सेवायें न तो साम और न हानि के प्राप्तार पर हैं। इसका उद्देश्य है गद्य प्रावृत्तिक सेवायों न प्रबन्ध करना। जबसेवा में साम का उद्देश्य नहीं होता है। अपनी एकाधिकारी प्रकृति के द्वारण राज्य के द्वारा की गई सेवायें एक विशेष स्थिति में हैं। नागरिक न तो जिसी प्रतिकूली ने पास ही जा सकता है और न वीमत पर बाद-विवाद ही कर सकता है। यह सेवायें मांग और पूर्ति के नियम द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा व्यय विए हुये रूपये और इसके परिणाम स्वरूप वार्ष का ठीक-ठीक प्रबार से सम्बन्ध निखास सकें। प्रधिकारं प्रशासनीय सरकारी नीबूर इस बात की प्रधिक विनता तभी करते हैं कि राज्य का एव्यय विस्त प्रबार व्यय हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रबार के व्यय में उनका अवलिङ्गत कोई सम्बन्ध नहीं है तथा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा विये गये बाधों में उनका कोई साम नहीं है और उनसे परिणाम स्वरूप यहाँ प्रधिक मात्रा में रूपया व्यय में व्यय होता है। इस व्यय व्यय को हम करने के लिये हमें सार्वजनिक पदाधिकारों के पुनाद में और भी प्रधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें केवल उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो कि राज्यसे प्रधिक योग्य हैं ताकि निर्णय के पारण जो व्यय व्यय होता है वह रिसी लीमा तक वस जाए। हमें केवल ऐसे व्यक्ति चुनने चाहिए तथा उनकी पदोन्नति करनी चाहिए जो कि राज्य-

जनिक घन के व्यव में व्यक्तिगत हृति लें तथा सार्वजनिक सेवाओं में हचिपूर्वक कार्य करें। अनुशासन के नियम, पदान्वति तथा नीकरी के नियम इस प्रकार निमित्त हूने चाहिये जो कि सार्वजनिक पदाधिकारी का अपने कर्तव्य के लिये अधिक चेतनशील तथा ईमानदार बनाएँ।

सार्वजनिक सेवाएँ साम दे लिये नहीं हैं किन्तु उन होतो के लिये हैं जहाँ पर कि अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिये इसमें पक्षपात या विषमता का बोई प्रश्न नहीं उठता। सार्वजनिक पदाधिकारियों को सबके प्रति पक्षपात रहित होना चाहिये तथा किसी के प्रति विषम व्यवहार नहीं करना चाहिये। उनके लिये सब समान हैं। और पहले उन लोगों पर ध्यान देना चाहिये जिनको कि उनको सेवाओं की अधिक आवश्यकता है तथा उन सबके प्रति करना चाहिये जो भी व्यवस्थापिका द्वारा निमित्त नियमों के अन्तर्गत आते हैं। वैमार सविधान के १०६ अनुच्छेद ने इस बात पर बल दिया था कि—

“कानून के समक्ष सब जर्मन समान हैं……सार्वजनिक विशेषाधिकार पद एव स्थान की विषमताओं का अन्त किया जाता है।”

फान्स में जहाँ कि प्रशासकीय कानून है सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा समान व्यवहार के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

“सब व्यक्ति जो कि निश्चित दलालों को पूर्ण करते हैं, जो कि सामान्य और अवैयक्तिक प्रकार से सेवाओं के मूलभूत नियम (कानून, नियम तथा सामान्य नियोगन) को उन सेवाओं को मौग करने की कानूनी शक्ति है जोकि सार्वजनिक सेवाओं का उद्देश्य है। यह व्यक्तियों की समानता का सार्वजनिक प्रशासन के सम्बन्ध में सिद्धान्त है।”

जेडो—लैस प्रिन्सीपिल्स जनरेक्स डी ड्रापट एडमिनिस्ट्रेटिव का तृतीय भाग, पृ० २० माइर्न गवर्नमेंट्स—फाइनर—पृ० ७१८ से उद्धृत)

इसलैं और समस्त कानून के राज्य वाले राष्ट्रों में जिन्होंने कि इतिहास कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक सम्पदों को अपनाया है, कानून के समक्ष समानता सब नागरिकों को मुरादित है। इसका अर्थ है कि राज्य और उसके कर्मचारियों द्वारा सब के प्रति समान व्यवहार किया जायगा। इसलिये राजकीय कर्मचारी अपने कार्यों में पक्षपात नहीं कर सकते।

राजकीय कर्मचारियों का कार्य-दोष सीमित है। उन्हें कानून विधेयको और उन नियमों, जोकि उनके कार्य तथा नियोगन के लिये निर्दिष्ट किये रखे हैं, की सीमाओं में कार्य करना होता है। उनकी व्यक्तिगत दबिव व अदबिव का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विशेष नियम को न चाहे या उसे अदाकिक समझे किन्तु फिर भी उसे खालू करना ही होगा। प्रजातन्त्र में वह अपने प्रत्येक

कार्य के निये जनता के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष उत्तरदायित है। इन्हुंने इसके कारण उन्हें प्रत्यक्ष सावधान रहना पड़ता है और जहाँ तक गगड़ हो यह परने कार्य में त्रुटियाँ नहीं कर सकते। उनकी प्रत्येक कार्यवाही जनता के समझ होती है और वे अपनी प्रत्येक वटि के लिए उत्तरदायी हैं। त्रुटियों के प्रति प्रत्यक्ष सावधानी के कारण ये अपने कार्यों को धीरे-धीरे तथा ध्यानित रूप से करने के आदी हो जाता है और इस कारण इसे लाल फीता कहा जाता है। प्रशासनीय प्रधिकारी अपने कार्यों की प्रहृति के कारण अनुदार प्रबृत्ति के हो जाते हैं और वे सधीनता के विरोधी होते हैं। ये नियमों का पालन करना ध्यानित रूप में ही कार्य करते हैं, जाहे उनमें रितनी ही देरी क्यों न हो। धीरे-धीरे उनमें नये विशारों और गुणारों को पहला करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। इसी कारण से जीते-जीते नीतरणाही वी जक्तियाँ और महत्व में बढ़तमान जाताही में वृद्धि हुई है ये ही क्यों नीतकरणाही की सालोंमा में भी वृद्धि हुई है—

“त्रिटिन नीतरणाही पर प्राय प्रयिष्ठ्य प्राप्त करने का प्रारोग समाया जाता है। और प्रायः उगी प्रवार से बहुत तो लोगों का यहना है कि प्रधिकारी अपनी तत्त्वाघोषा का अनुत्तरदायी पूर्ण प्रयोग करते हैं जबकि अन्य यह जिहा-यत करते हैं कि वह कर्मचारी कामचोर है। तथा ये अपने कार्यों को करने से लिए प्रत्यक्ष ढरपाक हैं।

(दी निवित सवित इन फ्रिटेन - जी० ए० छेष्यंस ७० ६)

पापुतिक राज्य में प्रशासनीय प्रधिकारी राज्य की नीति निष्पत्ति पर अपने अनुपात से कही प्रथिक प्रभाव दातते हैं और यह प्रभाव का अनुपात यदि मन्त्री नीतिसिये हैं तो और भी प्रधिक हो जाता है। गाथारण्यतः नीति-निष्पत्ति का कार्य-पारिणीति के राजनीतिक विभाग का है। इन्हुंने प्रायः नीति-निष्पत्ति के लिए विशेष ज्ञान य अनुभव की सावधानता प्रवर्ती है जो कि राजनीतिक कार्य-पारिणीति के लाल नहीं होता है और तब इसे स्थायी प्रधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। किमी भी विभाग के राजनीतिक अध्ययन के लिए उग विभाग को समझ्यामों वा विशेष द्वेषी आवश्यक नहीं है। प्रायः उसके प्रति वह उदामीन होता है और उसमें बहुत कम या नहीं वे वरावर प्रशासनीय पोषणता होती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रायः उसके प्रधिकारों का अहत्व यह जाता है और उनकी उमाह वी अस्थन ही ध्यान पूर्वांगुला जाता है।

“मन्त्रीगण्डल द्वारा विसी भी प्रस्ताव पर उम समय तक वादविवाद संभव नहीं है जब तक ति गवर्निंग विभागों के उच्च प्रधिकारियों पर उगे पूर्णस्था रो परीक्षण करने का तथा अपने मंत्रियों द्वारा राय प्रकाशित करने का प्रवारर नहीं मिला है और उसकारे बादे वह किमी भी राजनीतिक दल की क्यों न हों,

इन अधिकारियों को सलाह को बिना सोचे-नामके प्रलग नहीं हटा देती है। जहाँ तक रामव है नीकरणाही की सलाह पूर्णस्वप से पक्षपात रहित होती है और बदूत से योग्य अधिकारियों के सामूहिक ज्ञान पर आधारित है जिनको कि उनके बीच से प्रशासन के प्रत्येक पहलू का लम्बा मनुभव है।”

(दी तिविल साइट इन मिटेन—जी० ए० कैम्पबेल पृ० १०)

यह मन्त्रियों का कत्तेव्य है कि प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक प्रबन्ध के राजनीतिक पहलुओं का परीक्षण करे। उन्हें यह ज्ञान होना चाहिये कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं? यह उन प्रशासकीय अधिकारियों जो कि परम्परा और हडियों के बंधे हुए हैं, जो योग्यता और शक्ति के बाहर हैं कि वह जनता की आकांक्षा को जाने तथा उनके प्रतुसार ही प्रबन्ध का नियमित करे।

वर्तमान शताब्दी में व्यवस्थापिका ने द्वायों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण प्रदत्त अधिकारों की प्रवृत्ति में निरन्तर युद्ध हो रही है। सप्तद ग्राम्य कानून द्वारा ग्रामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित करती है तथा उसके विस्तार को प्रशासकीय अधिकारियों पर छोड़ देती है। इस कारण से नीकरणाही की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और प्रशासकीय अधिकारियों दो कानून नियमित प्रक्रिया भी मिल गई है। व्यवस्थापिका के पास न तो इनका समय ही है और न इतनी योग्यताएँ ही हैं कि वे विस्तार के नियमों पा नियमित करें क्योंकि ऐसा करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

“जितनी अधिक विस्तृत तथा घोत-घोत मानवीय कायों पा सरकार द्वारा नियमित जितना अधिक विस्तृत घोत-घोत करने वाला होगा उतनी ही शक्तिशाली यह शक्ति हो जायगी।”

(माझे गवर्नरमेन्ट से—फाइर, पृ० ५२५)

प्रदत्त शक्तियों में वृद्धि राज्य के कार्यशाला में वृद्धि के भनुपात रो ही होगी। यहीं पर विशेष बात यह ध्यान में रखने योग्य है कि नियमों का निर्धारण स्थायी प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा होता है जिनको कि हम किसी भीति भी जनता का प्रतिनिधि नहीं कह सकते। इन नियमों को जनता द्वारा उसी प्रकार मानना होता है जैसा कि व्यवस्थापिका द्वारा नियमित कानूनों का। इस सबध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। प्रथम, तो यह नियम कि कानून का नियमित जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए, भग होता है। यह प्रकाशकीय अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियाँ देता है और वे अधिकत की स्वतन्त्रता में हस्तांत्र कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिवन्ध लगा सकते हैं जो कि स्वेच्छाचारी हो। यह सत्य है कि अधिकारियों की जाति है किन्तु यह समस्या इतनी बड़ी है, कि इन तमाम नियमों का सावधानीपूर्वक परीक्षण भस्त्र भव है।

द्विनीय इस कारण से कानून के दायर के लिदान वा पतन होता है प्रौर इसके परिणामस्वरूप प्रशासनीय परिषिकारियों द्वारा कानून के समान तमान वर्तव करने के लिदान वा भी प्रशासनीय परिषिकारी उपरोक्त वहीं परिषिक शक्तियों वा प्रयोग वर रहे हैं जितकी कि एक प्रशासनीय व्यवस्था में उनके लिए उचित है। फाइनर ने इस सम्बन्ध में गत्य ही वहाँ है कि—

“तारकार की प्रतिदिन वी कार्यवाही वा नियन्त्रण करने की समस्या सम्बन्धीन जासन को मुख्य समस्या है।”

(माइन गवर्नरमेंट्‌स, पृ० ४२६)

प्रापुनिक प्रशासनीय सेवायों को सोटे हुए से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग तो यह है जिसके द्वारा साधारण प्रतिदिन वा कार्य किया जाता है। जहाँ तक नीतरक्षाही वा जासन में प्रभाव वा प्रश्न है यह भाग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिन्हें एक दूसरा भाग है जो कि मंत्रिमण्डल के समान्वयार्थ वा व्यवस्थापति की सफलता या असफलता के लिए प्रत्यक्ष महत्व रखता है। इस भाग के द्वारा छोटे से छोटी वृत्ति का भी तारकार के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। अमरोका के मुठ-विभाग वे एक अधिकारी की छोटी सी वृत्ति जिसने पत्ते हावंड बन्दरगाह को चेतावनी वा तार साधारण तार-साधनों द्वारा भेजकर समुक्त राज्य प्रबोलिका वी सरकार को घटयिक हानि पहुँचाई थी। राज्य वा राज्यालय उम्मीदार पर परिषिक निर्भर है जिसको कि मैंकासे ने प्रशासन वा वौदिक भाग वहाँ वा प्रौर उसके द्वारा दियी भी वृत्ति के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, यह वौदिक भाग—

“नीति के एक महत्वपूर्ण तत्व वा अनुदान करता है तथा इसे व्यावहारिक पूर्णता के लिए सहायता करता है। यह छोटी पर से आजायो वा निर्माण करता घयदा देता है।”

(माइन गवर्नरमेंट्‌स—फाइनर, पृ० ७२०)

नीतरक्षाही वा प्रापुनिक राज्य में देखाने के इस ध्ययन को हम फाइनर के इन छम्दों द्वारा प्रत कर सकते हैं—

“नीतरक्षाही वी समस्या देवल सांवेदनिक पदों वी हो समस्या नहीं है, इसमें राज्य के लोन तत्व सम्बन्धित है। प्रशासनीय विभाग, व्यवस्थाविका तथा जनता। प्रत्येक वो अपना आवश्यक अनुदान इसमें करना है प्रौर दो के द्वारा किए गए अनुदान तीसरे की अनुपस्थिति से व्यवहार हो सकता है। व्यवस्थाविका वो संबंधित वाक्यानीपूर्वक कानून वा निर्माण करना है ताकि उत्तरदायित्व स्पष्ट हो तथा वार्य निश्चित हों। इसको अपनी जगीरीय प्रौर प्रणालियों वा २० वी दशान्दी का अभिनवीकरण करना होगा ताकि यह

करोड़ो सार्वजनिक उत्पादकों के फायदों को पूर्णतः शान्तिपूर्वक, विचारपूर्वक अध्ययन कर गके और सबसे अधिक इसका राष्ट्र के प्रति यह निष्पत्ति उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक अधिकारियों को औसतन व्यापारी मनुष्य एवं महिलाएँ समझे जो कि अपने रोजगार के लिए सार्वजनिक व्यापार में कार्य कर रहे हैं…… जनता के भी अपने कर्तव्य है। इसको यह स्वीकार करना चाहिए कि उपभोक्ता से भी कभी कभी गलती होती है। इसकी अद्योग्यता को क्षमा नहीं करना चाहिए, इसकी शिकायते करनी चाहिए किन्तु जलन और हँसी उडाने की प्रवृत्ति पर आत्म-सम्यम करना इसका कर्तव्य है। और हँसी दोनों पक्षों को सुननी चाहिए…… शासन से धूला करना बचपना है क्योंकि शासन आवश्यक है। सुरक्षा और व्यक्तियों को तोकरी में रखने का क्या अत्यधिक महत्व है। सार्वजनिक सेवाओं की कुशलता के लिए एक प्रकार से प्रकाश का पुन्ज है। यदि सही प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं तो वे सब बातों को जानने और करने के योग्य हैं जिनको करने के लिए अन्यथा लम्बी छौड़ी और जटिल व्यवस्थाओं को अपनाना होगा। .. सार्वजनिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति है। इच्छा और मस्तिष्क सर्वप्रथम है। वे नीति-निर्धारण करते हैं तथा समस्त स्थाएँ कायदों के अन्तर्गत हैं।

(माझने गवर्नरमेट्र सू. ७ २-२३)

जैसे-जैसे आधुनिक राज्य का पुलिस से सोक-कल्याणकारी, निष्क्रिय से सक्रिय प्रकृति में परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे प्रशासकीय सेवाओं की प्रकृति और स्थान में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इससे भी अधिक आवश्यक जनता का इन प्रशासकीय अधिकारियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन है। इनको अब हमें विरोधी या विदेशी तत्व नहीं मानना चाहिए, किन्तु उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना आवश्यक है। वास्तव में प्रजातन्त्रीय सार्वधानिक राज्य में नौकरशाही का सच्चा स्थान जनता के मित्र, निर्देशक और कलाकार का है।

आधुनिक सर्वाधिकारी राज्य

उदारवादी अक्षितावाद के थेट्ट जीवन के साधनों के देने में यागफलता तथा अ-हस्तक्षेप वी नीति वो अपनाने के पारण आधिक शोष में अध्ययस्पा के पारण प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास में कमी हुई है। सर्वाधिकारी राज्यों तथा सर्वाधिकारीवाद वी ब्राह्मण वा मुख्य कारण इन यागफलता और अध्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया है। इस सम्बन्ध में बाटिभ्या वा रथन है—

“सर्वाधिकारीवाद का उदय राष्ट्रीयता के उदय के यथान ही आधुनिक उदारवाद के गिरावट और अवक्षार वी आन्तरिक कमजोरियों को प्रतिविघ्यित करता है।.....सर्वाधिकारी विचारपाठा इतनी विस्तृत है कि हम उसको परिचय वी परम्परा दे लिए विदेशी या एक आक्रियक विषयन नहीं मान सकते। इसके सांत वरिचयी राज्यता वी जहो गे है।”

(श्री पातिटिकल ट्रूडोज़न बाफ दी बाट, २० ३०३-४)

उदार प्रजातन्त्र के विष्ट इस प्रतिक्रिया वा प्रारम्भ १६ वी शताब्दी से हुआ था। प्रजातन्त्री अयोग्यता के विश्वास में वृद्धि का मुख्य कारण प्रजातन्त्रीय सरकारी वी आधिक शोष में विस्तृत शोषण को रोबने में यागफलता है। इसके विष्ट दार्शनिक प्रतिक्रिया हीनम, नीत्म, मामगं तथा एन्जल्स वी कृतियों में रूपरूप से दिखाई देती है। २० वी शताब्दी वी पामिस्टवादी एवं सम्यवादी अधिनायकताव के प्रजातन्त्र के विष्ट १६ वी शताब्दी के इस दार्शनिक प्रतिक्रिया के पूर्व परिणाम है। प्रजातन्त्र की अयोग्यता वी पूजा तथा सापारण प्रजानी अक्तियो द्वारा शारान जो कि शासन विशान से संबंध अनभिग है, के रूप में आत्मोपना वी जाती थी।

प्रथम महायुद के पश्चात् ऐन्ड्रीय और पूर्वी योएग में नदीन स्वतन्त्रता प्राप्त के वी ने साम्राज्यों दे स्थान पर अधिनायकताव का अपनाया। इस प्रकार इसमी में मुसोलिनी ने शक्ति प्राप्त कर फारिस्ट अधिनायकताव वी रणाता वी जरकि शोधियत

सध मे सर्वहारा वर्ग का सबसे पहला अधिनायकत्व स्थापित हुआ । केन्द्रीय और पूर्वी योहण ३ छाटे छाटे राज्यो मे जैसे कि यूपांडिया हमरी, रूपानिधा, आस्ट्रिया अल्बानिया, पोलैंड और यहाँ तक प्रीस मे भी नाम-नाम वो भी प्रजातन्त्र नहीं था । और इस प्रकार इस विश्वयुद्ध ने जो कि प्रजातन्त्र की रक्षा मे लड़ा गया था और जो कि प्रजातन्त्र के आदर्शों को विश्व भर मे फैलाना चाहता था, साम्राज्यवाद से उद्धार किए हुए योहण के किसी भी क्षेत्र म प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं कर सका । निरकुश साम्राज्यवादी गरकारो के स्थान पर कासिस्टवादी यः साम्यवादी सर्वाधिकारी शासनो की स्थापना हुई ।

इन नए अधिनायकतन्त्रो ने अपने आपको अधिक योग्य, अधिक जन प्रिय और नागरिको को श्रेष्ठ जीवन के साथन देने के लिए अधिक उचित घोषित किया है और यह सब केवल वोरा घमड मान हो न था । जहाँ तक नागरिको को भौतिक आवश्यकताओ का प्रश्न है, इन राज्यो ने थोड़े समय मे पुराने प्रजातन्त्रीय राज्यो को हरा दिना । इस प्रकार के शासक के अन्तर्गत इटली ने केवल दस वर्ष मे एक महान् शक्ति का स्थान प्राप्त कर लिया । इसके पास प्रभावित बरने वाली सैनिक शक्ति, योहण की सर्वथोष्ठ सड़के, पूर्ण रोडगार तथा किसी अश तक खोये हुये रोमन सम्मान को भी इसने पुनः प्राप्त कर लिया । सोवियत सध ने एक पिछड़े हुए कृपि प्रधान देश से जो कि सामाजिक साकृतिक और औद्योगिक हॉल्ड से मध्ययुग मे था १९३६ तक विश्व की एक महान् औद्योगिक शक्ति का रूप पारण कर लिया तथा इसकी सर्वथोष्ठ शक्तियो मे गएना होने लगी, आपने ४१ वर्ष के अम्बित्स्व मे सर्वहारावर्ग के अधिनायकतन्त्रो ने यथार्थ मे आपचार्यजनक प्रगति की है । इसने एक पिछड़े हुए कृपि प्रधान राज्य को एक महिनार्ली औद्योगिक राज्य मे परिवर्तित कर दिया जो कि एक अति महान् पद को प्राप्त कर सका है और सम्पूर्ण विश्व से बैज्ञानिक विकास मे आगे बढ़ गया है । नात्सी जर्मनी ने इ वर्षो के भीतर ही जर्मन आर्थिक व्यवस्था वा पुनः संगठन, वर्षांप की सन्धि के प्रतिवर्त्यो का अन्त तथा इतना सैनिक विकास किया कि अब तक इतिहास मे लडे गये समस्त पुद्दो से अधिक महगा, खूनो और विनाशकारी युद्ध संपूर्ण विश्व से लड़ सका । इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आधुनिक सर्वाधिकारी शासनो का, जहाँ तक राष्ट्र के भौतिक विकास का प्रश्न है, काव्य अत्यन्त ही प्रभावित करने वाला है । दूसरी और इसी युग मे इ गलैड और कात्स के पुराने प्रजातन्त्रो की शक्ति एव साधनो मे समान रूप से परिवर्तन हुआ । उन्होने अपनी आन्तरिक एव वैदेशिक नीति मे अनिश्चितता और अपनी आन्तरिक कामजोरियो को प्रदर्शित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ मे वे इस युद्ध के लिए सर्वया अयोग्य थे और उनको एक दूसरे सर्वाधिकारी राज्य सोवियत सध ने बचाया । आधुनिक सर्वाधिकारीवाद की सफलता का भैर तथा यह

ध्यक्तियों के घोड़ जीवन के लिये भावश्चर मापन विष प्रकार दे सकता है इन प्रक्षेत्रों का उत्तर देने के लिये इन दोनों मुख्य सर्वाधिकारीवादी—फासिस्टवाद पौर साम्पदवाद—के पादारों द्वारा जान लेना प्रावधक है।

इटली के फासिस्टवादियों के अनुसार ध्यक्ति को राज्य के पूर्णतया आधीन रहना चाहिए, और अपीनता ध्यक्ति के अपूर्ण ध्यतिरिक्त की अपीनता है। न मुख्य राज्य के बाहर, न मुख्य राज्य के बिट्ट निम्न प्रत्येक वस्तु राज्य के प्रधीन होनी चाहिये। उन्होंने विरोप वा अन्त बरने के लिये जागीरिक व सरकार की शक्तियों, प्रधार, समाचारों पर नियन्त्रण, भय एवं घमविद्यों वा प्रयोग किया था। फासिस्टवाद वा न कोई दर्शन है और न कोई गोदानिक प्राप्तार ही। मुतोतिनी का इस तबान्य में बयन है—

“फासिस्ट वास्तविकता दे प्राप्तार पर स्थित है, बोल्शेविज्म सिद्धान्त पर आधारित है। हम निश्चयात्मक तथा प्राप्तार्थवादी होना चाहते हैं; हम सिद्धान्तों तथा विचार-विद्याओं के सदिगप एवं प्रनिश्चित बातावरण से बाहर निकलना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम... बाबं है—कोरी बातें करना नहीं।”

(प्रापुनिक राजनीतिक चिन्तन—कोकर—पृ० ५००-५०१,
यादवेन्नु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

इस तबान्य में एक्टिं रोको का कायन है—

“यह काय है कि फासिस्ट कार्य तथा भावना है और वह ऐसा ही बना रहेगा यदि और कोई बात दूर्द तो पह पानी विश्व-प्रेरक शक्ति जो कि इसके पास है और जिसे द्वारा वह पुनर्निर्माण कर सकता है, नहीं कार्यम रख सकता। और तब वह मुख्य चुने हुए ध्यक्तियों के एकान्त में मनन करने योग्य बस्तु रह जायगा।” (वी पसिटोक्स डाक्ट्रिन प्राक फासिस्ट, पृ० १०

रीमेन्ट वालिटीक्स थॉट—कोकर, पृ० ४७३ से उद्धृत)

मुख्यतः वह कार्य का सिद्धान्त है किर भी इसने अनुभव के धापार पर मुख्य सिद्धान्तों का निर्माण किया है। इसके सिए ध्यक्ति बेबल सापन है तथा रामान याम्प। सामाजिक सम्पूर्णता प्रयोग स्थितिगत सदस्यों को प्रस्त्र के रूप में कार्य में सहायी है यहीं तक कि उनका बलिदान भी कार सहायी है। कासिस्ट स्थितवता, समानता और भावूत्स के प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता है। प्रजातन्त्र से इन तीन प्रादलों के स्थान पर वह उत्तरदायित्व, अनुभावन और थैरीट्रट सागठन के सिद्धान्तों को स्थापित करता है। इसका विश्वास है कि अपूर्ण जनता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो वह जिसमें कि आज्ञा देने की क्षमता है—चुना हुआ नेता। “प्रधान जो कि अनुगामी होने योग्य ही है—अपूर्ण सापारण ध्यक्तियों दो जो ने साम्राज्य की समानता के सिद्धान्त में कभी विश्वास नहीं हो सकता। मुतोतिनी ने कहा-

"राष्ट्र समस्त सदस्यों या किसी सदस्य से ग्राहिक महत्वपूर्ण है और किसी भी व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित का प्राधान्य होना चाहिए—यह आधारभूत विचार शासन के सगठन तथा उसकी नीति के फासिस्ट सिद्धान्तों का निर्धारण करते हैं। राजसत्ता कुलीनतन्त्रीय तथा ऐतेतन्त्रीय होनी चाहिए। उसे व्यक्तियों का नहीं बरन् राष्ट्र के अन्तर्गत आवश्यक समुदायों का प्रतिघित्व करना चाहिए और उसे अपने सगठन में केन्द्रीयभूत और अपने कार्य में अदम्य होना चाहिए।"

(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन कोकर, पृ० ५०५ यादवेन्द्र तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

फासिजम इसनिए प्रजातन्त्र विरोधी है। यह जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन में विश्वास नहीं करता तथा उसके स्थान पर नेताओं का, नेताओं के द्वारा, नेताओं के लिए शासन को स्थापित करता है। यह जानिं विरोधी भी है। युद्ध एवं हिसा को वह राष्ट्रीय नीति का आवश्यक अस्त्र समझता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा महत्वपूर्ण हितों वी सुरक्षा के लिए वह अतराष्ट्रीय द्वा त्र में हिसा का उपयोग आवश्यक समझता है। इसलिए फासिजम साम्राज्यवादी एवं सेनिक वादी है तथा युद्ध में विश्वास रखता है। नात्सीवाद फासिजम का जर्मन स्वरूप है, और इसलिए इसमें इसके सब गुण तथा एक विशुद्ध सर्वथोष्ठ जातीयता का सिद्धान्त भी है। नात्सी नेता एवं विचारक प्रजातन्त्र की कमज़ोरी एवं अयोग्यता, युद्ध और हिसा की आवश्यकता, चुने हुए सोगो द्वारा शासन तथा युद्ध को राष्ट्रीय नीति का एक आवश्यक अल्प मानते थे। इन दोनों प्रकार के अधिनायक तत्त्वों के लिए प्रो० पोकर के निम्नलिखित शब्द समान रूप से लागू हो सकते हैं—

"वस-प्रयोग तथा भव उन लोगों के लिए सत्ता के वास्तविक आधार है जो फासिस्टों की भौति राष्ट्रीय गौरव तथा सत्ता को ही स्वयं द्येय और न्यायपूर्ण राज्य की अपेक्षा शक्तिशाली राज्य को ही शोष्ठ मानते हैं; समूचे फासिस्ट साहित्य में प्रादि से अन्त तक मौकियावली के शब्दों में दुर्बलता, अनिश्चय तथा भावुकता की राष्ट्र के सबसे महान् दुर्गुण मानकर नियम के कानून का अपूरुद्ध वह नियम है, सारा ये योग्यतम की विजय का 'आकृतिक कानून'। अन् फासिजम उस 'अनुभव भूलक' 'यथाधिवादी' भावना की सबोत्तम अभिव्यक्ति है जो आज के राजनीतिक वाद-विवाद में व्यापक रूप से परिव्याप्त है। यह कहा जाता है कि मानव विवेक तथा शुभेच्छा से शासन के लिए प्रपने नाशकियों या दूसरे शासनों के साथ अवहार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना सकता। एक राष्ट्रीय सरकार को सदा वर्तमान स्थिति वी वास्तविकताओं का सामना

करना चाहिए और गृह संघ विदेशी नीति का निर्पारण भवगतवादिता के प्राप्तार पर होना चाहिए। वार्तालाला तथा सम्मेलन, भावना संघ मिट्टान्त के स्थान पर सबसे पुरुषों द्वा युगल वार्ष होना चाहिये।”

(प्रापुनिक राजनीतिक सिन्हन — कोकर, पृ० ५२०-२१ यादेवनु संघ मेंहना द्वारा अनुवादित)

इस प्रवार कासिज्म प्रजातन्त्रीय समाजों और गिटान्तों की घयोग्यता तथा निरर्थक आदर्शवाद के बिरुद् एक विद्रोह है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र इस मनुष्यान पर आपारित है कि अ-हस्तधोर की नीति प्राप्तिक शोषण वा तिदान्त है तथा यह एक ऐसे नवीन गामाजिक व प्राप्तिक व्यवस्था को स्थापित करेगी जिसमें ‘प्रत्येक से घण्टी योग्यता के भवुगार तथा प्रत्येक को घण्टी प्राप्तिकता में भवुगार’ के मिट्टान्त पी स्थापना हो।

पासिस्ट और गाम्यवादी अधिनायकतन्त्र दोनों एक दक्षीय राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं। दोनों विचारों और व्यवहारों की एकसमता स्थापित करता चाहते हैं। दोनों अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और दोनों इन नवीन गामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताओं में व्यक्ति वा अधिक से अधिक विद्वान् स्थापित करना चाहते हैं। संदान्तिक दृष्टि से दोनों तमान हर ते अधिनायकतन्त्रीय, निरखुश्वादी, सर्वंतापारी हैं तथा इन दोनों व्यवस्थाओं में व्यक्ति को एक गोण स्थान तथा गोण महत्व दिया जाता है। व्यक्ति के बल घस्तमान है। व्यक्ति को भीतिक सापनों को प्राप्त करने विए इन प्रापुनिक राज्यविदारी राज्यों को जो कीमत पुरानी पढ़ती है वह बहुत अधिक है। उसे घण्टी घाटा तथा घण्टी आध्यात्मिक और नैतिक स्वतन्त्रता को बेचना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उसके व्यक्तित्व वा स्वतन्त्र विकास प्रगम्भव हो जाता है।

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र की परिभाषा करना भत्यन्त ही कठिन वार्य है। कार्यपालं के भवुगार सर्वहारा वर्ग में ये सोग हैं जिनके पाग घण्टा कहने को घण्टे शारीरिक व्यम के अतिरिक्त और वोई सम्पत्ति या गोतिक साधन नहीं है। विशाल तथा निचली धेली के मध्यवर्ग के सोग भी इस परिभाषा के भवुगार सर्वहारा वर्ग में मही आते हैं। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र में नैवल घोषित अधिक होगे जिनमें कि अत्यधिक राज्यनीतिक खेतना वा विकास हो पुका है; इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र को हो मुहय करने होगे—

(अ) प्रान्ति का गणठन और उत्तरी प्रति-प्रान्ति के विरुद्ध रक्षा।

(ब) सब प्रवार के शोषण का घन्त तथा ऐसे उच्चतर गाम्यवाद की स्थापना के सिए प्रयत्न जिसमें वर्गविहीन व राज्यविहीन तमाज होगा तथा जिसका मुख्य गिटान्त ‘प्रत्येक से घण्टी योग्यता के घवुगार तथा प्रत्येक घण्टी घाटा घाटा में घवुगार’ होगा।

मावरों और तेजिन दोनों का यह विश्वास था कि गर्वहारा वर्ग का यह ऐतिहासिक कार्य है कि वह पूजीवाद का विनाश करेगा तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतत्त्व का शासन प्रारम्भ करेगा और एक वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज की स्थापना करेगा। सर्वहारा वर्ग का यह अधिनायकतत्त्व एक दल का अधिनायकतत्त्व होगा। साम्यवादियों के अनुसार यह एक दलीय अधिनायकतत्त्व इसलिए उचित है कि साम्यवादी राज्य का वेवरा एक ही वर्ग होगा और सर्वहारा-वर्ग के हितों की रक्षा वेवरा साम्यवादी दल ही कर सकता है।

यह अधिनायकतत्त्व वर्ग-संघर्ष एवं शूला का उपदेश देता है। किसी भी बहुमत के लिए चाहे वह कितना ही क्षयों न हो किसी भी भल्पमत का अन्त कर देना मौतिक हृष्टि से गलत है। यह आधुनिक सर्वाधिकारी राज्य चाहे वह फारिस्ट हो या साम्यवादी, विभिन्नता तथा भासहमति की सहन नहीं कर सकते। वे अधिक से अधिक एकल्पता चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। यह एकल्पता मानवीय व्यक्तित्व का अन्त करती है तथा जीवन को पूर्णतः नीरा बनाती है। मानवी व्यक्तित्व के विकास में जीवन का रौम्यीकरण तथा विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिवर्ण्य अत्यन्त आधक है।

विज्ञान की सहायता से विचार नियन्त्रण तथा जनता तक पहुँचने के शक्ति-शाली राष्ट्रों ने इन अधिनायकतत्त्वों शासनों में रह वाली जनता के लिए मानसिक दासता का एक नवीन युग प्रारम्भ किया है। ऐतिहास की पूर्व दासताओं से मह दासता अधिक पूर्ण एवं भयानक है क्योंकि इसमें दास को अपने बचनों की चेतना नहीं। वह अपनी इस दासता में प्रशान्त है। यदि यह सर्वाधिकारी शासन सम्पूर्ण विश्व पर आधिपत्य जमा लेने में सफल हो जाता है तो हम फिर से एक अन्यकारमय युग में प्रवेश करेंगे।

अवमूल्यन और आर्थिक-राजनीतिक परिणाम

एक समय या जब राजनीति बेवल शासन तक ही सीमित थी। राज्य के कार्यों में उन तीन बताए गए थे—माहरी प्राप्तमणों से रखा, भान्तरिक शान्ति और न्याय। वही राज्य अच्छा समझा जाता था जो ध्यक्ति के कार्यों में गूँठ से घूँट हस्तांटीप करे। राज्य के कार्यों की इस प्रकार की व्याख्या ध्यक्तिवादियों ने की। पीरे-पीरे यह विचार बढ़ावा और राज्य को अनेकानेक कार्यों की बात वही जाने सकी। कुछ परिस्थितियों ने भी प्रभाव ढाला। सम्यता के विवाद के बारण गामाजिद जीवन भी बढ़िया बना और ऐसी दशा में राज्य वही हस्तांटीप उपित्त समझा गया। यहीं तक कि राज्य ध्यक्ति को राजनीतिक, धार्यिक, सामाजिक, पारिषद आदि सभी क्षेत्रों में राहायता प्रदान करने सका। यापन ही नमात्रवादी विचारधारा के उदय ने और राजनीतिक शासन को और स्वतन्त्रता को धार्यिक स्वतन्त्रता का समानता के अभाव में हैरान ठहराया। लोगों की धार्यिक हीनता का अनुचित साम शासक और उनके उहौयोगी उठाने के थे। दिजान के धारिद्वार जनगुविया और गोक्ष्य के लिए आए थे जिन्होंने उन पर भी कुछ स्वार्थी जनों का धारिद्वार हो गया और वे जनता का गोषणा करने सके। स्वार्थी सम्यता और जनता के सुझ के लिए धार्यिक समानता को भावशक्त बताया गया। यह भी वहा गया कि इसके प्रभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता एक मस्तूल है। इस विषय में श्री सी० ई० एम० जोड़ ने लिखा है—

‘सम्यता के लिए शान्ति और सुरक्षा भावशक्त है, पर यही पर्याप्त नहीं। यदि प्राप्तके पास परद्दी भली भावशक्त भीजों का प्रभाव है तो भीजों के रखने का धर्यिद्वार वया महरव रखता है ? स्वतन्त्रता भी सम्यता के लिए भावशक्त है। पर हस्तांट होने से ही क्या, जो प्राप्तके पास राजनीति के ही समुचित यापन नहीं। पहले भोजन, वसन और गकान की भावशक्त है और ये भीजों परंतु से प्राप्त होती है।

यदि आपके पास धन मही है और उसकी प्राप्ति के लिए आप घोर परिश्रम करते हैं तो राजनीतिक न्याय बेकार है। और अपने जीवन में आप कोई आनन्द नहीं उठा सकते।...” “ग्राजकल ससार में राजनीतिक न्याय तो दिया गया है और अनेक देशों में ऐसा किया गया है पर आधिक न्याय बढ़ा बम है। आधिक न्याय से युक्त समाज वह होगा जहाँ प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति को उचित धन दिया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय से युक्त समाज में कानून की निगाह में सभी समाज होते हैं और उन्हें हिंमा से सुरक्षा प्राप्त होती है। पर जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने कठोरतम शारीरिक परिश्रम किया है वे सदैव दीन रहे हैं और जो रईस रहे हैं उन्होंने बहुत कम या कुछ काम नहीं किया। राजनीतिक न्याय और आधिक न्याय परस्पर सम्बद्ध हैं। यदि आप या आपके दोस्त सरकार में ग्रांकि हवियाफे हुए हैं तो आप अपनी हच्छानुसार कानून बनवा सकते हैं। ऐसे बानून आपको और आपके दोस्त को सामान्वित करेंगे। ऐसे कानून आपको अपौर और सबको गरीब रखने की बोशिश करेंगे। यह अन्याय की दशा है और इसके विरुद्ध अनेक बार जनता उठी है और विद्रोह किया है ताकि राष्ट्र के धन वो अधिक समाज आधार पर वितरित किया जासके। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में फ्रेंच राज्य क्रान्ति और सन् १६१७ की हसीं क्रान्ति का यही उद्देश्य रहा।”

इस प्रकार धन वा समाज वितरण और जनता की सुख-मुविधा राज्य का कार्य होता गया। ग्राज क्स के राज्य अधिकाधिक कार्य करते हैं क्योंकि वे जनता के लघावित राज्य हैं। तब, आधिक नीति राज्य की एक अति आवश्यक नीति बन जाती है क्योंकि अर्थ के ग्रामाव में किसी भी प्रकार की जन मुविधा प्रदान करने में राज्य असमर्थ रहेगा।

ग्राजकल राज्यों को आधिक नीतियों के निर्धारण में वही समझ से काम लेना पड़ता है। विदेशी अधिकार, आपात, नियांत, रूपये वा मान आदि भी अवस्था के लिए मन्त्रालय कार्य करते हैं। वित्त मन्त्रालय देश की वित्तीयता पर नियन्त्रण रखता है। इपए के उन्मूल्यन और अवमूल्यन को बरना है। इपए के मूल्य को बढ़ाना उन्मूल्यन और मूल्य को घटाना अवमूल्यन बहलाता है अर्थात् किसी मुद्रा का मूल्य सोने या अन्य मुद्राओं के अनुपात में कम स्थिराकर कर लेना ही अवमूल्यन है। अवमूल्यन देश के बिंदेह हुए भुगतान वो, सतुलन वो पुनःस्थापित करने का एक निश्चित साधन माना जाता है। सन् १६३८ के ग्रास-पाम अनेक देशों ने मुद्रा वर अवमूल्यन वर अपनी अर्थनीति को दृढ़ बनाया था। फ्रेंच सरकार की फ्रेंच मुद्रा का अनेक बार अवमूल्यन हुआ है। १६४६ में फ्रिटिश सरकार को भी अवमूल्यन का महारा लेना पड़ा था। पोर्ट के अधीन जितने भी देशों के विवेदे ये उन सबने उमीं अनुपात री अपने सिवके वा अवमूल्यन किया था। इगलेंड के पोर्ट सिवके साथ वेदे होने के कारण भारत, लका, पाविस्तान इत्यादि देशों वो भी अपने इपए वा अवमूल्यन बरना

पढ़ा पा । इराका परिणाम यह हुमा कि भ्रमीकावा एक डास्टर जहाँ पहले समझ दावा-दीन रूपए के बराबर था वही वह पीने पाच रूपए का हो गया ।

भारत सरकार ने ६ जून रात् १९६६ को जो अवमूल्यन विधा वह सन् १९६६ की तरह विटिश पीड़ के गिरके के अवमूल्यन के बारण नहीं किया बरत् प्रधनी भाष्यिक नीति के बारण किया गया है । यह निएंय भारतीय मत्रीमडस की थेठक में रावंसम्मति से किया गया । इसके अनुसार तोने की हटिं ऐ तो अवमूल्यन ३६.५ प्रतिशत हुमा किंतु व्यावहारिक रूप से ४७.६ प्रतिशत का हुमा है । अब पौष्ट दावा तेरह के बजाय एक साथ इक्कीत रूपए का हो गया है पौर डास्टर पीने पाच रूपए के बजाय साढ़े सात रूपए का हो गया है । पर बाजार में वह दस रूपए का खत रहा है ।

भारतीय वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र घोषरी ने अवमूल्यन के पठा का विभिन्न प्रकार महसूल ये किया है । उनका वर्णन है भाष्यिक ही नहीं राजनीतिक हटिं ये भी वह भावशयक पा । उनका विचार है कि बरंमान दशाओं में देश की भवाई की हटिं से एक यही उपाय था भले ही इसमें कुछ लाभियां क्यों न हो । रामियों को दूर करने के लिए उन्होंने अन्य उपाय सद्द को गुजाए । अवमूल्यन के संदर्भ में सरकार की तीन मुख्य दसीलें रही—

१—हमारे रूपए की पीमत विदेशी बाजार में दबतः गिर चुकी थी । सरकार ने इस को स्वीकार किया है ।

२—विदेशी राहायता माप्त करने के लिए यही एक तरीका रह गया पा ।

३—पायात और नियति की दशा विषद गुच्छी थी ।

विश्व थेक द्वारा भेजे गए वेल मिशन ने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करके उसे यथार्थवादी विनियम दर पर सहा बरने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने वेल मिशन की रिपोर्टिं पर तत्काल अप्रत करने से तो इनकार किया सेतिन दापी गोप-विषार के पाद वह फैसला किया गया कि विदेशी मुद्रा कोप की गिरती रिपति, मुग्तान में भारी असलुभन पौर विदेशी राहायता में टकावट के बारण रूपए पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे कम करने के लिए अवमूल्यन ही एकमान राहारा है । अनुसार रूपए का अवमूल्यन किया गया ।

वित्तमंत्री ने आशा प्रगट की कि रूपए के अवमूल्यन ने भारत का नियति व्यापार बढ़ेगा और आयात नग होगा । विदेशी व्यापार में जो कई प्रकार वी अनिय-मितताएं चलती हैं, वे कम हो जाएंगी और तत्कारी रामाप्त हो जाएंगी । विदेशी मुद्रा अनियत करने की तमाकनाएं बढ़ेंगी । देश के भीतर छोटे और मध्यम शेषों के उद्योगों को प्रत्यक्षे वा मोदा मिलेगा और विदेशी दूँजी को भारत आने वी भाष्यिक प्रेरणा

मिलेगी। अबमूल्यन का असर सिंह रुपए पर पड़ेगा। रुपयों में तो विदेशी झूलों की भ्रातायगी, व्याज आदि का बोझ कुछ बढ़ जाएगा; किन्तु अन्य हाइटिंगों से इसका कोई प्रसर नहीं पड़ेगा। जो पूँजीगत माल विदेशों से जिस भाव पर अबमूल्यन से पहले माता पा, वह अबमूल्यन ने बाद भी उतनों ही कीमत में आएगा। निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को रोकने के लिए सरकार को अब ऐसे बदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिन्हें 'भेदमूलक' कहा जा सके। अबमूल्यन वा ऐलान करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चालू सभी योजनाएँ बापस ले ली गई हैं। इसमें राष्ट्रीय कोष पर पड़ने वाला दबाव कम होगा, वयोंकि अब तक सरकार कई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता देती थी। अबमूल्यन के परिणाम स्वरूप बेंद्र की आय-व्यय सबधी स्थिति में भी सुधार होगा। विदेशी सहायता का रास्ता साफ हो जाने से रुपए को नया बल मिलेगा वयोंकि अबमूल्यन से पूर्व तक भारत के विदेशी सहायताओं को यह शिकायत थी कि पौण्ड स्टर्लिंग के सबध में रुपए की विनिमय दर १६२५ से और डालर के प्रसर में १६४४ से स्थिर है; किन्तु भारत में मुद्रा स्फीतिक कारणों से रुपए की कीमत काफी घट गई है। रुपए की डालर में सरकारी विनिमय दर पौने पाँच रुपए होने पर भी खुले बाजार में रुपए की विनिमय दर फी डालर सात-पाठ रुपए है। इस अन्तर के कारण ही १६६३-६४ में हुए ७६३ करोड़ रुपए के निर्यात में से सरकार को ६० करोड़ रुपए वे बराबर विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी।

रुपए के अबमूल्यन से देश की आम आर्थिक हालत सुधरेगी सरकार को ऐसी आशा है, किन्तु इस कदम में जो सतरे निहित हैं, उनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। देखने पोर्य बात यह है कि यदि भारत का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ा तो उसके लिए रुपए की पिछवी विनिमय दर कहीं तक जिम्मेदार है? १६६५ में ८०८ करोड़ रुपए का माल बाहर भेजा गया। इसमें से ६६७ करोड़ रुपए के मूल्य वा माल ऐसा या जिसकी विक्री के लिए सरकार वो विसी प्रकार की सहायता नहीं देनी पड़ी। कुल निर्यात वाले माल का ८०-८२ पीसदी भाग ऐसा है जो कीमत ची हाइट से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में होड़ से सकता है। बाकी १८-२० पीसदी के लिए विसी प्रकार की सहायता दी आवश्यकता रहती है। भारत के कुल निर्यात का अठारह पीसदी भाग पूर्वी योरोप के देशों को जाता है। उसको अबमूल्यन द्वारा कीमतें घटा कर विसी तरह कर बल देने की आवश्यकता नहीं। चाय, काशी, तम्माङू तेल आदि के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सीमित है। अबमूल्यन से इन वस्तुओं की सीमित बाजारों में भी आ जाने का मौका तो मिलेगा; लेकिन लतरा यह है कि एशिया और अफ्रीका के आय देश भी, जो इन चीजों का नियंत्रण करते हैं, अब अपनी मुद्रा वा अबमूल्यन करने की बात सोच राखते हैं। ऐसा होने पर रुपए वा अबमूल्यन करने से मिलने वाला

साम घाटे में बदल सकता है। भारतीय निर्णायक व्यापार न बढ़ने का एह कारण यह है कि योरोपीय देशों ने आयात पर तट पर और छुंगी की दरें काफी ऊँची कर दी हैं। अफ्रीकी देशों की इठिनाइ यह है कि वे उन देशों से व्यापार करता रखने का एह फरते हैं, जो उनका माल सरीद रखते हैं। यदि पश्चिमी योरोप के देश अपने राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा के लिए खण्ड वा घबराहल्यन हो जाने के बाद तटवर और छुंगी की दरे और बढ़ा देते हैं, तो घबराहल्यन से होने वाले सभावित साम पर हमताल किर सकती है। जहाँ तक अफ्रीकी देशों से व्यापार बढ़ाने का तास्तुक है, वह तब तक समय नहीं जब तक भारत उनसे प्रधिक माल राखीदाने की स्थिति में नहीं हो जाता।

एप्रैल के घबराहल्यन से आयात जहर कम होगा, जिन्हे देखने की जात यह है कि भारत के आयात वा ७५ फीसदी भाग पूँजीगत माल और उद्योगों के साम जाने वाला बच्चा माल होता है। याको २५ फीसदी में से २१ फीसदी घन्न तथा द्रूपरे पाठ्य पदार्थ होते हैं। यिन्हें चार फीसदी भाग में द्रूपरी बर्तुएँ शामिल हैं। एप्रैल के हिनाय से यदि आयात वा मूल्य बढ़ जाता है, तो इसका प्रशंसन दिवास तथा उत्पादन बढ़ाने की प्रतिविधियों पर पट रखता है। जहाँ तक विदेशी पूँजी का सबध है, घबराहल्यन से उसकी स्थिति में तो गुपार होगा, सेतिन इससे गरमार और देशी उद्योगपतियों की परेशानियाँ बढ़ेंगी। भारत सरकार ने विदेशी उद्योगपतियों को 'आशय पत्र' देने वा जो फैसला दिया है उसे, भारतीय उद्योगपतियों ने गमन्द नहीं किया। घबराहल्यन के बाद विदेशों के निजी उद्योगपतियों से समानता में व्यापार पर पहल्योग करने को इच्छुक भारतीय उद्योगपतियों की इठिनाइयाँ यह सकती हैं।

वित्त मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि घबराहल्यन से देश के भौतिक कीमत बढ़ जाएंगी। सबाल उठ राखता है कि आयातित माल मंहगा हो जाने से यदि उत्पादन गर्व बढ़ा और भारतीय उत्पादन मेंहो हो जाये तो सरकार ये इस कदम से कून मिलाकर क्या साम होगा? यह जात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय घर्यंतर्मव की घनेक इठिनाइयों का कारण यह है कि उसके सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हुआ। घबराहल्यन उस घर्यंतर्मव की समस्याओं को हल करने में सहायक होगा है, जहाँ स्वतंत्र व्यापार वा सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। ऐसे कि भारत ने मिश्रित और नियोजित घर्यंतर्मव का राखता घरनाया है भत; उसे प्रायगिकताप्रे, रोक और नियमण का तरीका बुद्ध हुद तक घरनाया ही होगा। यदि घबराहल्यन व्यापार और उद्योग के दोनों में तुले और स्वतंत्र बाजार वा सिद्धान्त घरनाने की दिशा में पहला कदम है, तब तो इसमें साम की माला की जा सकती है, घर्याणा गरणार को मंहगाई, उत्पादन में गिरावट आदि की गमस्थायों का सामना बरना पड़ेगा और किलहाल ऐसा ही हो रहा है।'

'राष्ट्र का मूल्य घटाने का समर्थन दो कारणों से किया जाता रहा है। एक तो नियति वड जायेगा और दूसरे प्रायात कम हो जायगा। मूल्य घटने से विदेशी व्यापारी उनके ही घन से प्रथिक भारतीय सामान प्रायात करेंगे। भारतीय कम प्रायात करेंगे वयोंकि विदेशी सामान यहाँ मौहगा पड़ेगा। वित्तमन्त्री ने प्रपत्रे वक्तव्य में इस दलील की पुष्टि की। लेकिन यह उतना भरल नहीं जितना कि दीख पड़ता है। हमारा प्रथिकतर प्रायात प्रायमिक उत्पादों था है। इनकी माँग और सम्भरण इनके सीमित हैं कि राष्ट्र का मूल्य घटने से भी उनके नियति में विशेष परिवर्तन नहीं आ सकता।

यह सत्य है कि वित्त मन्त्री ने प्रायात पर कठोर नियमण उठाने का निश्चय किया ताकि वह सभी सामान और मशीनें उपलब्ध करा सकें जिनके कारण द्विदोषिक विकास में शिथिसता आती है। पर प्रायात एक तरफ तो बहुत मौहगा पड़ेगा, दूसरी ओर इसके कम करने की गुजाइश नहीं है। यदि हमे भारिक उन्नति की गति बढ़ानी है तो प्रायात को बढ़ाना ही होगा।

इस दण में प्रायात का मूल्य वड जाने से उत्पादन शुल्क निश्चय ही बड़ेगा और देश की सभी चीजों की दीमतें बढ़ जाएंगी (जैसा कि हमारी भी है) नियति वा मूल्य घट जाने से भी कोई लाभ नहीं जिनकी विदेशों में माँग और हमारे देश में सपत्र घटने-बढ़ने वाली नहीं है।

वित्तमन्त्री का विचार है कि राष्ट्र के भवमूल्यन से देश की अर्थ व्यवस्था गृह्ण हो जायेगी तथा विकास की ओर हम अधिक बढ़ सकेंगे। यह उद्देश्य तो केवल स्वप्न मात्र ही रह जाएगा जब तक वह सभी उपाय प्रयोग में नहीं लायेंगे जिससे हमारा नियति बढ़े और प्रायात कम हो। भारत जैसे विकासशील देश को व्यापार के अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में विस्तृत देशों से प्राप्त प्रह्लाद पर निर्भर रहना पड़ता है। दिसम्बर १९६५ तक इस प्रश्न के ३८२४ करोड़ रुपये के अलए का अधिकार दिया गया था जो विदेशी मुद्रा में लौटाये जाने हैं जिसमें से २६५५ करोड़ रुपये लंबे किये जा चुके हैं और पिछले वर्ष के अनुमान से १२१३ करोड़ रुपये के आड़ेर दिये जा चुके हैं। व्याज और मूल्यन की विश्लोकी योजना भी विदेशी मुद्रा में बरनी है और वह हमें नियति से प्राप्त होने वाले धन से से देना होगा। इसलिये हमे उतनी ही राशि कमाने के लिये अधिक मात्रा में नियति करना पड़ेगा। अलए पर व्याज भी उसी हिसाब से अधिक बढ़ जायेगा। यह निश्चिन्त है कि विकास के समय जो अलए दिये गये, उन्हें लौटाने के लिये हमें दुगना परिवर्तन करना पड़ेगा।

चौथी योजना का निर्माण करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि हमें ४००० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यावस्थवता है पर रुपये के भवमूल्यन करने

रे कही धर्मिक मुद्रा को प्रावश्यकता पढ़ेगी। योजनाबद्द विकास की सांगत वड जाना अनिवार्य हा गया हे। यवमूल्यन का सीधा सम्बन्ध मूल्यों के साथ है। इसमें दो राय मही हो सकती कि यवमूल्यन वा जनसाधारण पर और भी मधिक योग्या पढ़ेगा।

वित्तमंत्री ने तो पोरणा कर दो कि मूल्य मे विधरता साने के लिए कोष और मुद्रा सम्बन्धी वडे यठोर उपायों के साथ कृपि तथा श्रीयोगिक उत्पादन संपा उत्पादकता पर भी प्रधिक जार देना होगा। खोटे-खोटे उच्चीयों को वे सभी मुद्रिपाएँ प्राप्त कराई जायेंगी जिनका उत्पादन वडे। मिट्टी का तेल तथा कच्चे सूत का इतना आयात हा सर्वगा। जिसमें उपभोक्ता को आवश्यक यस्तुएँ प्राप्त राखेंगी, पर यह निश्चय है कि हमार उत्पादन वा मूल्य वड जाने से जनसाधारण को उन सभी आवश्यक वस्तुओं की पधिक बोमत चुकानी होगी। सरकार की यह दस्ती सही नहीं हानी कि यवमूल्यन से महाराई पर वित्ती प्रकार वा भारत नहीं पढ़ेगा। गरजार वीयट दबोल भी मिथ्या बान्नूम होनी है कि यवमूल्यन के बारण कर नीति मे इस प्रकार वे गुगर किये जा सकते हैं कि वह मूल्यों मे विधरता साने मे गहाया हो राके। भारत मूल्य इस प्रकार ही बढ़ते गए जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं तो विकास के सभी साम गमाप्त हो जायेंगे। वित्तमंत्री को भारतीय एव्ये को इह बनाने के सभी उपायों पर विचार करना चाहिए। इस समय जहरत इस बात की है कि मूल्यों को विक्तुन न बढ़ने दिया जाय। यदि भारत सरकार यसने गधों पर वित्ती प्रकार वा भी नियन्त्रण वर नके तो इस समस्या का रामायन पुरुष हुद तक हो सकता है। कोई भी सोनतन्त्री सरकार इस प्रकार की वेष्टीदा समस्या की उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि सरकार यह भी यसनी योजनायी मे इस प्रकार के सुधार नहीं करती तो हो गाना है कि वित्तमंत्री को इसी आवार पर रुपये वा यवमूल्यन किर करना पड़े। इस बारण सरकार को यसनी श्रीयोगिक कर तथा मुद्रा नीतियों मे महत्वपूर्ण, जबोनामन लाना प्रावश्यक हो गया है। भारत एव्ये की प्रतिष्ठा को नहीं बचाया गया हो योजना वा बोई महत्व नहीं होगा।

राजनीतिक हिट से यवमूल्यन से देश की प्रतिष्ठा गिरती है। देश वा दिवालियोपन प्रवट होता है और विश्व मे उसके गिरके भी गाल गिर जाती है। संगम मे यवमूल्यन पर वही गरमावरम घहम हुई है। प्रायः सभी विरोधी दस्तों ने इसकी एक स्वर से मानोनना की है। सरकार यवमूल्यन करने से पूर्व बराबर वहाँ रही और सरकार मदस्यों वो भी आवासन देती रही कि एव्ये का यवमूल्यन नहीं दिया जायगा पर एक गाय यसानक ही ऐसा निर्णय मे लिया गया। इसलिए सरकार पर यह भी पारोग सगाया जाना है कि भारत सरकार पर इस विषय मे यमरीका भी गरजार वा दबाव पड़ा है। उसने साफ बता दिया वा कि यवमूल्यन

किए विना भारत को आधिक सहायता नहीं दी जायगी । पर भारत सरकार इस बात का बार-बार खण्डन कर चुकी है । उमड़ा कहता है कि ग्रवमूल्यन किसी के दबाव में आकर नहीं किया गया अपितु विदेशी मुद्रा का सतुर्जन बनाए रखने के लिए किया है । भारत के गभी विरोधी दल इसको सरकार के विशद प्रचार का एक प्रमुख साधन बना रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप बाजार में महगाई भी आई है जो इसका प्रमाण देती है और सरकार की आलोचना और विरोध को और भी तीव्र कर देती है । अनेक प्रदर्शन और आन्दोलन भी हो चुके हैं ।

सर्वोदय

विश्व के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न समयों पर विभिन्न विचारधाराएँ प्रगट हुई थीं और उनके अनुमार शासक और शासित प्रभावित भी हुए परन्तु ये विचारधाराएँ प्रपने कुछ विशुद्ध एकाधी माधारों को लेकर सामने पाई। अक्तिवाद ने अक्ति रवात्मक का सर्वोपरि मान कर सबको उठाफर ताक पर रख दिया। समाजवादी विचारधारा ने समाज को अक्ति के ऊपर साद दिया और इस भक्ति में अक्ति की स्वतन्त्रता एक खिलोता बन कर रह गई। इसी प्रकार अन्य विचारधाराएँ भी प्रपने एकाधीषत के कारण साम्राज्यिक बन बर रह गई। किसी ने 'अधिक स अधिक जनों के अधिक स अधिक लाभ' की बात नहीं। विसी न कुछ सास लोगों को जासन के लिए जन्मता हुआ माना। इन सभी बातों के भागे गांधीजी ने यिन। किसी भेद-भाव के आधार पर कुछ को नहीं सबके उदय की बात कही। इसी सबके उदय, सबकी उन्नति, सबके सुरक्षा के विचार को 'सर्वोदय' कहा गया।

गांधीजी ने सासार के रहने वासों को पथ बतलाया। उन्होंने सर्वोदय के द्वारा मनुष्य जाति परे एक नई सम्पत्ता तथा सहस्रता का पावन संदेश दिया। इस संदेश के मूलाधार सत्य और प्रहिता रहे। दास्तव में सर्वोदय सबके उदय की कामना करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जो भारतीय प्रादर्शों पर ही आपारित है और साम्यवाद वा एक जवाब है। यह दर्जन साध्यात्मिकता, नैतिकता, भौतिकता, प्राचिकता, वैज्ञानिकता यादि वा एक ऐसा समन्वय है जिसमें अक्तिगत स्वतन्त्रता का पूर्ण ध्यान रखते हुए सामाजिक उत्थान तथा शान्ति की योजना भी गई है।

गांधीजी विसी बाद को जलाना नहीं पाहते थे। ये तो प्रपने अनुभव और प्राचीन प्रनुभूत प्रथोगों से लाभ उठाना पाहते थे। यमं, राजनीति, समाजनीति और सब जनहितवारी तथ्यों से सम्बन्धित जो विचार उन्होंने अक्ति विए उनके निधार्यं वो 'सर्वोदय' कहा जाने लगा। गांधीजी जिस रामराज्य की स्थापना चाहते थे, उसी की

स्थापना का मार्ग सर्वोदय कहा जाता है। इसे सर्वोदयवाद या गांधीवाद भी कह दिया जाता है। वास्तविक रूप में वाद को गांधीजी कभी भी प्रसन्न नहीं करते थे। उन्होंने मार्च १९१६ में सांबली में गांधी-सेवा संघ के सदस्यों के सामने भाषण करते हुए कहा—

"गांधीवाद नाम को कोई भी चीज़ नहीं है और न ही अपने पीछे में कोई ऐसा सम्प्रदाय छोड़ना चाहता है। मैं कदापि यह नहीं देखा करता कि मैंने किन्हीं नए सिद्धान्तों को जन्म दिया है। मैंने तो अपने निजी तरीकों से शाश्वत मूल्यों को दैनिक जीवन और डस्की समस्याओं..... पर सामूह करने का प्रयास मात्र किया है.... मैंने तो व्यापक आधार पर सत्य और अहिंसा पर परीक्षण किया है.... मेरा दर्शन जिसे आपने गांधीवाद का नाम दिया है सत्य और अहिंसा में निहित है। आप इसे गांधीवाद के नाम से न पुकारें, क्योंकि इसमें कोई भेरी निजी बात तो है नहीं।"

इस प्रकार सर्वोदय की बात जनता की अपनी और पुरानी बात है। वास्तव में यह ग्राह्यात्मक बात है जो सौक्षिकता में उतारी गई है। इसे वाद कहना ठीक भी नहीं। श्री जैनेन्द्र ने शब्दों में "मेरे लिए सर्वोदय या गांधीवाद शब्द मिथ्या है। जहाँ वाद है वहाँ विवाद यथव्य है। वाद का अर्थ है कि प्रतिवाद को विवाद द्वारा खटित करे और इस तरह अपने को प्रचलित करे। गांधीजी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गांधी को वाद द्वारा ग्रहण करना सफल नहीं होगा। गांधी न कोई सूत्रबद्ध मन्तव्य प्रसारित नहीं किया है जिसमा रेखाबद्ध मन्तव्य वाद होता है। गांधी तो अपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रूप में देखते हैं।" परन्तु फिर भी श्री किशोरीलाल मथूराला के शब्दों में 'अगर वाद के मानी ये हो कि एक तिरिचन ढाँचे में तेमार किया हुआ जीवन का पूरा-पूरा नवशा, तो गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर वाद के मानी ये भी हो कि ऐसी एक पूर्ण साज़ जिसे देखकर जीवन सम्बन्धी किमी भी मामले का जबाब हासिल कर सिया जाय तो भी कहना होगा होगी कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर 'वाद' के मानी हो जीवन तथा व्यवहार के लिए कुछ भी नेतृत्व किया जाय तो भी मानना होगा कि गांधीवाद नाम की एक चीज़ और एक व्यवहार कायं उत्पन्न हो चुका है। अगर उनके लिए कोई सूचक नाम देना हो तो कमशः उन्हे सर्वोदयवाद और सत्यापह मार्ग कह सकते हैं।"

सर्वोदय समाज से एक ऐसे समाज का आशय है जिसमें सभी सुखी, सम्पन्न तथा समान हो और जिसका सचालन सत्य एवं अहिंसा के आधार पर हो। वैयक्तिक स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित का स्थान रखा जाय और ऐहिं उन्नति के स्थान पारलोकिक कल्याण की साथना हो। सर्वोदय समाज ही एक ऐसा समाज होगा जिसमें सभी समवेत स्वर ते कह सकेंगे—

सर्वे भवन्तु गुणिनः, सर्वे सन्तु निरागयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु गा कश्चिद् दुष्काम्भयेत् ॥

पर्यात् सभी मुग्धी तथा नीरोग हों, सभी कल्याण वा माधात्कार करें, होई भी दुःख वा भागी न हो । यही विश्व कल्याण कामना सबोदय और गौणी दर्शन का धर्मीष्ट है ।

सबोदय का उद्देश्य है—गृह्य और अहिंगा के आपार पर एक समाज स्थापित करने का प्रयास करना जिसमें जाति-जाति न हो, जिसमें किसी को शोषण करने का मौद्रा न मिले और जिसमें समूह पौर धर्मिता दोनों को पूरा-पूरा विवास करने का मौका मिले । इस उद्देश्य की गूति के लिए निष्ठनिष्ठित ताथनों को काम में साया जाता है—

‘साम्प्रदायिर एता, भस्तृश्यता निवारण, जाति भेद निराकरण, नगावन्दी, पादी और दूसरे प्रामोदोग, गौव की सफाई, नई गिरा, स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान अधिकार, प्रारोग्य और स्वल्भता, देव की मापाप्रो का विकास, प्रान्तीय गतीयता वा निवारण, गायिक गमनन्ता, खेती की तरकीबी, मजदूर गमठन, घासिम जातियों की सेवा, दिवार्यों गमठन, कुण्ड-रोगियों की सेवा, सबट निवारण और दुखियों की सेवा, गो-सेवा, प्राहृतिक-चिकित्सा, तथा इसी तरह के दूसरे काम ।’

यदि गौणी जी ने कहा है कि उनके राम राज्य में राजा, जमीदार, धनियों और गरीब गव गुरु पूर्वक रहेंगे तो इसका यह मननद नहीं कि उनके अभिन्न सादर्श समाज में एक और राजा बगेरह भाराम और प्राप्तस्य में रहने वाले मनुष्यों वा और दूसरी और निश्चिकत और सदृश परियमी मनुष्यों का रहना आवश्यक है, यक्ति जिस भूमिका पर भाज के हिन्दुस्तान का मानव समाज लड़ा है उसमें पगर हम पहिना द्वारा सबोदय की प्रोट भाजा आहते हैं तो उसके लिए प्रथम उद्देश्य प्रादर्श यही हो सकता है कि भाज को प्रत्यन्त दरिद्र है उग्हे शोधातिशीघ्र पेटभर प्रद, शरीर भर कपड़ा, प्रारोग्यवर मवान और उद्योग पूर्ण देहात प्राप्त करने का कार्यक्रम सोचें । यह कार्य कोई कम नहीं । भले ही सब तक पुरुष मोग देरों सम्पत्ति के स्वामी बने रहें । पर इसके मानो यह गिन नहीं है कि राजा, जमीदार और धनियों को एकाधिकार पूर्ण रास्पाएं बनाये रखने का यह सिद्धान्त है । प्रातिर में तो सबोदय का ग्रन्थ यही हो सकता है कि सबको प्राप्ताभव समान बनाया जाय । पर भ्रह्मका परिवर्तन में यह तरीका नहीं होता कि सबके समान करने के लिए ऊपर मकानों को ऊपरने में गुहात की जाय, यक्ति यह कि यहूत से थोटेन्थोटे नए मजदूर मकान बनाना प्रारंभ कर दिया जाय ।

उच्च पूर्वा पाय तो सबोदय वा यह सिद्धान्त मना नहीं है । गौणी जी ने होई ऐसा नीतिवर्त ईजाद नहीं किया जिसका दूनिया में कभी किसी को परिवर्य न था ।

प्रत्यक्ष पार्श्वीन दाय से इन वेतिं गिराएंगे पर गारुद-ज्ञाति का भीतिं और प्राचीनिक उत्तर्पं है। और उसे पहले गवेन घार भी रहा है। प्रत्येक जगामें संकटों स्त्री-मुक्ति यात्रों गिरी जीवन में उन पर खतों की विशिष्ट करते था रहे हैं। गीर्धीजी ने जो निशेषता बनाई है वह यह है कि गामाज और राम्युग्म जीवन में भी बड़े दैयाने पर उन गिराएंगों का अमल लिया जाता चाहिए और लिया जा रहता है। लेखानिशों का काम है कि गुरुत्वाकृत्येतत् दा लिया गारार को गहो-गहत गूढ़त में दिया। इसका यह अपने गहीं कि गूढ़त में दिया। इसका यह अपने गहीं कि गूढ़त में ही यह। पठत गुरुत्वाकृत्येतत् की लिंग का और उसके प्रयोग के लियाएं का लियाएं लिया। गुरुत्वाकृत्येतत् का लियम सो गूढ़त में यहाँ भी गारार में गीर्धा पा और ऐसा उसे लिया जात, लिया जाता गार व्यवहार में लाये, उसमें लाग उठाते थे। किन्तु ऐसों बो उगा। लियिवत् जान न था और लियत न थे थे। गूढ़त में इन लियाएं का दाना लाया और उसे दुर्लिङ्गी को लायायाम। इसी प्रकार गत्य, प्रहिता और गेवा को गारी जी का आविष्कार नहे तो यह भी इसी तरह हां पारता है। यह गूढ़ा सो गारार में लायि जाता है रहे हैं। जान लावजाये उत्तरा प्रयोग भी होता रहा है। गीर्धी जी ने इसका व्यापक प्रयोग पर गवीर्य का घासार इहीं गूढ़ों को बना दिया।

गवरे गूढ़ को लेकर जित गवरिय की खाते गारी जी ने कही उसके कार्यक्रम पर भी हाइट्यात वर देना चाहिए। उस्को गवरिय में लाय जी प्राप्ति ने लिए गत्य, प्रहिता, गेवा, गत्यापद घारि न गारी को लायाया है। इसका गृह्णन् गृष्णन् अपने भी लायक लिया जाता चाहिए।

'गरिया'—इसका भार्य होता है हर प्रकार के प्रयोग का—गीर्धीजी की जाता है कहे तो—गूढ़त से गही लियि घासावता को दियोप करता। गरिया कोई लियिय घासावता के गत्योद्युति नहीं है यहिं कह प्रवाह लियद खतों की लियालयन और भावना प्रभाव युक्ति है। दुर्लिङ्गी में द्विता का प्रयोग प्राचीनकाल से होता था रहा है और युक्ति तथा लियान जी गहायता से उत्तरी प्रक्रिया को पूरीता तक गृह्णायी और द्विता का एक लाग लेयार करते, प्रयत्न गदियों से खा रहे हैं। इसके गरिये नहीं हो पाई। भा. पर्दिता प्रेष गारी रखने के बहुत दूरारे को जीतना ही लीर गई।

'गेवा'—यह गत्य और प्रहिता के गरियित प्रयोग का गार है। गरियहूँ इसके कार्यक्रम हैं, गेवाकामी १३ खातों से छोगा—

१—गत्य, २—प्रहिता, ३—घट्टापार्य, ४—घासार, ५—प्रत्येप, ६—घरियहूँ, ७—गत्युत्पत्ता लियारण, ८—तीपार, ९—गारीरिक घग, १० गवे घार लायभाव ११—लखेधी।

प्रहिंसा पर आपारिन सत्याप्रह को उन्होंने साधन कहा था । सत्याप्रह सिद्धान्त के माध्यी जी ने यह तथ्य कहे हैं—

- १—सत्याप्रह के कारण न्यायोचित और सच्चे होने चाहिए ।
- २—सत्याप्रह के पूर्व शान्तिपूर्ण भरपूर प्रयत्न कर लेने चाहिए ।
- ३—विरोधी को अपनी भूल मुशारने का पूरा-भूरा प्रबल देना ।
- ४—तथ्य तथा ईश्वर पर पूरा-पूरा भरोसा व प्रहिंसा का पान ।
- ५—प्रमाणता से वट्ट सहना ।

थी मार० पार० दिवाकर ने सत्याप्रह को यह विधियाँ बताई है :—

- १—हड्डान, २—उपवास, ३—प्रार्थना, ४—प्रतिशा, ५—प्रतहयोग, ६—करवन्दी, ७—परता, ८—सविनय प्रवज्ञा, ९—प्रामाण्य अनुमन, १०—परारारी सीमा तोड़ना ।

इस प्रकार गाधी जी न सर्वोदय का पापार सत्य, प्रहिंसा, सेवा, सत्याप्रह को बताया ।

सर्वोदय म सर्वोदय एव समन्वयात्मक विचार है । यानी गारे विचारों को एक इरने की शक्ति सर्वोदय के विचार म है । भारत की सम्झौति ही ऐसी है कि समन्वय उसके राष्ट्र-रोप म दिया हुआ है । जिस प्रकार गण गणोंनी से निकलतर पहाड़ों मे जाहूरी, मण्डाकिनी घोर प्रतानकन्दा, मैदानों मे यमुना, गोशवरी, वृहापुर, नदियों को प्रत्येक मे प्रियकर भी ज्यों की रथों पदिष्ठ है । उसी प्रकार प्रार्थ, आदेत इतिहास के समन्वय से भी भारतीय सम्झौति ज्यों की रथों है । यह समन्वय की बात ही भारतीय मस्तूनि की जीवित रहे है । मोहेन्जोदहो से महारामायापी तक यह इसी आधार को बनाए रखे रही है ।

सर्वोदय के बीच स्पष्टीकरण के लिए गोपीवाद या सर्वोदय का समाजवाद से मन्तर भी देखना पड़ेगा । सर्वोदय के वार्यक्रम को देखकर यह कहा जा सकता है कि गाधी जी समाजवादी वार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते थे । इस वारण भी दोनों मे तुलना करना यावश्यक हो जाता है ।

'यदि सर्वोदयवाद घोर समाजवाद की तुलना करनी हो तो मैं यह कहूँगा कि समाजवाद का ध्येय है शान्ति यानी गुरुमण्डनों पर दरिद्रों का शासनाधिकार घोर सर्वोदय का । ध्येय है दृढ़प विरक्तन यानी गुरुमण्डनों द्वारा दौरदों की सेवा । समाजवाद मे मानवनेता को मिथि के लिए दरिद्र सेवा (वल्लि दरिद्र सम्पर्क) एक साधन है । सर्वोदय मे मानवनेता को मिथि के लिए शान्ति यानी शासनाधिकार की प्राप्ति एव साधन को हो रखना है । समाजवाद को परवाह नहीं कि जिस शान्ति देवी का यह यही शदा के साथ मारायन करता है, उसकी प्राप्ति प्रहिंसा द्वारा हो या रक्तमात द्वारा । सर्वोदय मे हिंसा के लिए गुरुजाइय नहीं क्योंकि उसमे परिवार न्याय है ।

समाजवाद में इतनी ही प्रतिज्ञा है कि सब मानव समान है। सर्वोदय में यह प्रतिज्ञा तो है ही, साथ ही यह भी है कि पूर्ण अंहिसा हो।"

सर्वोदय और समाजवाद के अन्तर तथा सम्बन्ध के लिए दोनों के ग्रादण्ड तथा कार्यक्रमों को समझना चाहिए। 'गांधी जी का' कहना है कि सारी दुनिया का मूल जो कि सत्य है, दुनिया के अणु-प्रणु में इन भिन्न-भिन्न रूपों और आकार-प्रकारों में यही सत्य पिरोया हुआ है। इसको यह अर्थ हुआ कि हम सब जीवमात्र, मनुष्य मात्र एक ही सत्य के अश हैं, असल में एक रूप हैं, हम सबका नाता आत्मीयता का है। जब हम मनुष्य ही नहीं जीव मात्र, भूतमात्र आत्मीय हैं, तो किर हमारा पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम का, सहयोग का, सहिष्णुता का और उदारता का ही हो सकता है; न कि द्वेष का, झगड़े का, मारखाट का, या चढ़ा ऊपरी का। ये दो गांधीवाद के घूँव सत्य हैं। जिन्हे गांधीजी ज्ञमण सत्य और अंहिसा कहा करते थे। यही गांधी-वादके पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त हैं जिन्हे मिलकर गांधी जी ने एक सुन्दर और तेजस्वी नाम दे दिया, सत्याग्रह। वैसे यह नाम घर्मं या वृत्ति सूचक प्रतीत होता है परन्तु इसका अर्थ है—सत्य की शोध के लिए सत्य का आग्रह। अंहिसा इसमें दूध वी सर्केदी की तरह मिली या छिपी हुई है। क्योंकि सब अपने-अपने सत्य का आग्रह तभी अच्छी तरह रख सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सहनशील बन कर रहे और इसी का नाम अंहिसा है।'

'सत्य और अंहिसा के बल पर समाज रचना समाज व्यवस्था इस तरह की हो कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य, स्त्री या पुरुष, बालव वालिशा, युवा बृद्ध सबके समान रूप से उत्कर्ष की पूरी सुविधा हो। उसमें न झंच-नीच का, न छोटे बड़े का, जात-पात का, न अमीर-गरीब का, कोई भेद या लिहाज रहे। समान सुविधा और समान अवसर खुले रहने के बाद अपनी योग्यता, गुण, सेवा आदि के द्वारा कोई व्यक्ति यदि अपने आप आदरास्पद हो जाना है और लोग शेर्दा से उसे बड़ा मानने लगें तो यह दूसरी बात है। परन्तु समाज व्यवस्था में ऐसी कोई बात न होगी जिसके कारण किसी के सर्वांगीण विकास में झकाबट हो।

परन्तु यह सो गोलमाल बात हुई। सर्वोदय में मनुष्य के विकास के लिए यह बातें आवश्यक हैं—

- १—स्वास्थ्यकर और पुष्टिवर्धक थेएट भोजन।
- २—चाफ और खुली हवा।
- ३—तिर्मल और नीरोग पानी।
- ४—जारीर रक्षा के लिए आवश्यक व्यपदे।
- ५—खुला, हवादार और आरोग्यवर्धक महान।
- ६—मनोरजन और ज्ञानवृद्धि के साधन।

७—इस तरह के समाज व्यवस्था के नियम में कोई किसी को घनुचित हम से दबा सके, न कोई वेकार रह सके, न कोई बिना मेहनत यत शप्रह कर सके। स्वस्थ, तेजस्वी, स्वावलम्बी, परस्पर सहयोग, अमशील, निर्भय और प्रसन्न मानव-समाज का नियमण, सर्वोदय का हेतु है। यदि समाज कभी बना तो इसमें किसी प्रकार की सरकार की दण्ड-भय से नियन्त्रण करने वाली किसी शासन संस्था की जरूरत न होगी। भ्रष्टिक से भ्रष्टिक एक व्यवस्थापक मण्डल होगा जो समाज पर हँडूमत नहीं करेगा वल्कि समाज की प्रावश्यकतामो की पूर्ति करता रहेगा। इसमें वायं की दृष्टि से कुछ विभाग हो सकते हैं पर वे ऐसी न होगी यह तो वार्षकर्त्तामो का समूह होगा।

अब हमें समाजवादियों के आदर्श को समझना चाहिए। वे उसे 'वर्णहीन' समाज कहते हैं। माज समाज में उनी और गरीब, एक अमज्जीवी दूसरा परोपजीवी, एक पीडित, दूसरा पीड़क, एक शोषक, दूसरा शोषित—ऐसे ही बर्ग विवरित हवायें रखने वाले बन गए हैं। वह न रहें, सिफ़ एक ही वाम करने वालों का समाज बन जाय। समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसे कोई किसी का शोषण न कर सके और जिसमें कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती, मारकाट यानी हिंसा न कर सके। ऐसे समाज के लिए स्वभावतः ही किसी शासन संस्था की जरूरत न रहेगी।

मानव समाज के इस प्रादर्श में, दोनों की भाषामो में भले ही अन्तर हो, पर यात दोनों की एक है। समाजवाद एकदम शोषण बन्द करने पर विश्वास रखता है—सर्वोदय समन्वय या सामजिक्य पर। सर्वोदय को यह भी सोचना और देखना पड़ता है कि शोषण तो जहर मिटे पर घासीयता वो घटका न संगे। हाय यदि तड़ गया है तो "जोर से काट डासिए, किन्तु यह तो देख लीजिए कि वही बीमार या प्राण न निवास जाय या इतना यहरा न पहुँचे कि आग्न आग भी नाकाम हो जाय।" गांधीवाद शान्ति से सभी कायं चाहता है, समाजवाद यूनी शान्ति से। एक या याधन रापिकाल है, दूसरे या ग्रान्तिकाल। एक है गम्भीर, दूसरा है भोगवादी। एक वर्गभेद, बर्ग-संघर्ष चाहता है दूसरा द्राटीगिर। एक ईश्वर विश्वासी है दूसरा वेवल मानव-विश्वासी। एक धर्म चाहता है दूसरा वेवल भौतिकता। इस प्रकार दोनों में साध्य के साधन में बहान अन्तर है।

दोनों की तुलना या सार निवासने पर प्रतीत होता है कि गम्भीरवादी कायं-धर्म कुछ विशेष निश्चित स्वल्प या है क्योंकि उसकी सारी योजना सैनिक डग पर की हुई है। इसकी गम्भीर वेवल मजदूर बर्ग, किसान बर्ग घरवा दसित दर्ये तक रहती है जबकि सर्वोदय सबथी चाहती है, तथवा पर्स्याण चाहता है। इसलिए गम्भीरी ने राजाओं, अमीदागे और पूर्वोत्तिशी में १८१०-१८१२ दृष्टिगति की

मोहर लगा दी है। यह दीनों और वने रह मर सास लाभ नहीं से पाते। उनको कहीं तक इसमें सफलता मिली है, कहा नहीं जा सकता, क्या वह या उनका कोई अनुयायी यह बताएगा कि सब और मिल-मालिकों के सघर्ष के दरम्यान इस तरह के हृदय परिवर्तन वा कोई लक्षण दीख पड़ता है? क्या यह ठीक नहीं है कि ये मिल-मालिक जब कभी भुके हैं, तो सगठन की शांति के ढर से, आम हड्डताल से? गांधीजी के समझोतों को तो उसने चार-बार तोड़ा है। यद्यपि इन समझोतों की शर्त ऐसी नहीं रही है कि मिल-मालिकों को कोई ध्याय पठना पड़े।'

श्री एम० एन० राय ने लिखा है कि 'एक तरफ तो आप समन्वय ऐसों का आहते हैं जो हो ही नहीं सकता और दूसरी ओर शक्तिशाली और सम्पत्ति शून्य के बीच समानता होने का दावा करते हैं। मैं बहना हूँ कि आप तक से काम नहीं जै रहे हैं।.....पारिभाषिक हृष्टि से गांधीवाद और साम्यवाद के धार्यिक कार्यक्रम के विरोधाभास के कार्यक्रम को संक्षेप में यो रखा जा सकता है कि समाजवाद का कहना है कि जनसाधारण का धार्यिक कल्याण प्राचुर्य में हो सकता है। गांधीवाद कहता है कि सांबंद्धिक कल्याण साधनी के बातावरण में ही ही सकता है। समाजवाद प्रचुरता का दर्शन है, गांधीवाद दीनता का दर्शन है। गांधीवाद और समाजवाद में सामर्जस्य नहीं है। धार्यिक के सामर्जस्य को गम्भीरता से देखें तो मेल नहीं खाता। गांधीजी समाजवादी नहीं है।'

इम गालोचनात्मक व्याख्या के बावजूद भी यह बहा जा सकता है कि गांधीजी ने सासारिकों के लिए पथ बताया पर अब सासारिकों वा बत्तंध्य है कि उनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा करने से सासारिकों वा भला अवश्य होगा। गांधीजी के सिद्धान्त ममर हैं और युगो तक भमर रहेंगे। उन्होंने जीवन भर मानवता की जिम छग से सेवा की, वह सर्वोदय का ढग था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वोदय द्वारा धार्यिक व उन्नत समाज का नव-निर्माण होगा और उसमें नव चेतना के दर्शन होगे।

भारत तथा एशियाई देश

योरोप के वास्तविक सम्पर्क में भारत देश उग्र समय आया जबकि सन् १४-६२ ई० में यात्रोदिग्मामा न उत्तमाशा प्रन्तरीप का चक्रवर संग्रहर अन्त में भारत की परती २१ सालं बिया। तभी से भारत ही या एशियाई देशों में योरोप यात्रों का आना शुरू होया। योरोप वाले थ्याकार, शहर, घर्म प्रचार, शूटनीति प्रादि के सापनों को लेकर चले थे। या यों पहा जाय कि हमारी प्राचीन साम, दाम, दण्ड, भेद की नीतियों से इन्होंने काम लिया और किसी न दिसी प्रकार प्रपना उल्लू गीपा रिया। येन वेन प्रकारेण ये प्रपना प्रभूत्व तथा आधिपत्य खादते थे। इनको इन कार्यों में पर्याप्त सफलता भी मिली। बहुत से एशियाई देश प्रपनी आजादी स्थो घंडे योरोपीय देशों की साम्राज्यवादिता, प्रोत्तिवेतिक नीतियों और आधिक शोपण ने एशियाई देशों को ऐसे दुर्दिन दियताएँ ति उन पर पांगू बहाने आमा कोई न रहा। उनकी गम्यता पौर गद्दृति पर भी आशात होने लगे और ईसाइयत का प्रचार प्रोत्ति प्रगार होने लगा।

सन् १६०५ ई० में जापान ने रूप जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया और इस प्रकार योरोप के मुँह पर एक समाचा समा दिया। इस हार से योरोप वालों को मानविक टम समी। उनमे उच्चता का जो उच्चाद था वह मानो भुम्या गया। किर भी आय एशियाई देशों की दशा ज्यो भी स्थो बनी रही। जापान ने भी कोरिया, मक्कूरिया, चीन आदि के प्रदेशों में प्रपने गाम्माज्य की रथापना का प्रयत्न किया।

दूसरे महायुद तक एशियाई देशों की ऐसी ही दशा बनी रही। परन्तु मुद्द की गमाप्ति पर मुख परिवर्तन हुआ। गाय ही की गाक ग्राक नेशन्स के स्थान पर गम्यक राष्ट्र सम भी स्थापना हुई। इससे योरोप की साम्राज्यवादी आदता पर भी आज आई। इंगलैण्ड और फ्रान्स दुर्योग होयए। इषर संयुक्त राष्ट्र प्रमोरिका प्रोत्ति विषयत

हस शक्तिशाली बनते गए। दूसरे महायुद्ध का एक यह भी परिणाम निकला कि एशियाई देशों में नव जागरण आया। ये देश एक-एक करके स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे। जापान के साम्राज्य की भी समाप्ति होने लगी। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा, संका, हिन्दूशिया, मलाया, सिंगापुर, हिन्दूचीन आदि देश जो कि एशियाई देश हैं, स्वतंत्र होने लगे। उधर चीन, कोरिया, मन्दूरिया, मणोलिया आदि उत्तरी-पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवादी (समाज वादी) शासन प्रणालियों की स्थापना हुई। ये साम्यवादी देश विशेषज्ञ चीन, दक्षिण पूर्वी और मध्य दक्षिणी एशिया में साम्यवाद को फैलाने तथा अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। उधर ईरान, सीरिया, लौबनान आदि दक्षिण-पश्चिमी एशियाई देशों में भी योरोपीय प्रभाव प्राप्ति समाप्त हो चला है। जहाँ स्वतंत्र सरकारें नहीं थीं वहाँ स्वतंत्र सरकारे बनने लगी हैं। अरब देशों में भी नवीन चेतना जगी है पर दक्षिणी-पश्चिमी देशों में साम्यवादी प्रभाव बना रहा है। हस के साम्यवादी सम्बे हाय इन के ऊपर भी बढ़ते आरहे हैं। कुछ इन देशों की परिस्थिति भी साम्यवाद को आमत्रित कर रही है।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् एशियाई देशों ने एक बर्वट ली है। उनमें नव चेतना का सचार हुआ है। स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के भाव उनमें जगे हैं। पर इन सभी नव जाग्रत देशों में परामर्श मधुर सबन्ध स्थापित नहीं हो सके हैं। इनमें तनाव बना है और कभी कभी सघर्ष भी हो जाता है।

इन समस्त एशियाई देशों से भारत का कौसा और क्या सम्बन्ध है इस पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि इन देशों से स्वनन्ध भारत अपना सम्बन्ध प्रति निकट का करना चाहता है। यह बात नई नहीं है। प्राचीन समय में भी भारत के इनसे निकटतम सबध रहे हैं गुहमारी सम्पत्ति और सस्कृति, धार्मिक परम्पराओं और विचारधाराओं ने हमारे पड़ोसी देशों की प्रभावित निया। प्राचीन भारत (गुहमारी विजय वाहिनियों ने अफगानिस्तान, चीन, हिन्दूशिया आदि की ओर कूच भी किया) पर कही भी साम्राज्य स्थापना का स्वप्न नहीं देखा। हमारे धार्मिक, साहित्यिक, सास्कृतिक, व्यापारिक तथा आर्थिक सबध प्राप्ति सभी पड़ोसी एशियाई देशों से रहे। उस समय का भारत बृहत्तर भारत था। परन्तु उस आधार पर हमने कभी यह नहीं कहा कि इन देशों की जमीन हमें मिलनी चाहिए। आज चीन देश अपने यह नहीं कहा कि इन देशों की जमीन हमें मिलनी चाहिए। आज चीन देश अपने यह नहीं कहा कि भारत की भूमि पर कहजा चाहता है। उस समय के अपुष्ट तकों के आधार पर ही भारत की भूमि पर कहजा चाहता है। वर्तमान भारत वर्तमान लाका, बृहत्तर भारत में मध्य एशिया के देश, अफगानिस्तान, वर्तमान भारत वर्तमान लाका, वर्तमान बर्मा, वर्तमान स्याम, वर्तमान वियतनाम, लापोस और वर्त्योदिया सम्मिलित थे। आज ये देश सन् १९४७ के परवर्ती भारत के बाहर हैं। इतना ही नहीं अपने ये। आज ये देश सन् १९४७ के परवर्ती भारत के बाहर हैं। इन उपनिवेशों को स्थापना कुछ उपनिवेश भी थे। जैसे—जावा, सुमात्रा इत्यादि। इन उपनिवेशों को स्थापना

साम्राज्य प्रसार न पा। यह धार्यिक और धार्मिक प्रसार था जिसमें वस्त्राल की मावना भी थी।

प्राचीन भारत में योरोपीय देशों से भी हमारा सम्पर्क था। 'हम केवल यह कह सकते हैं कि भारत तथा हेलेनिक उत्तर में सर्वदा सम्पर्क रहा था जिसकी मध्यस्थिता प्रथमतः एकीमिनिड साम्राज्य ने, तत्पश्चात् सिसुसिष्टो ने और पन्त में रोमन साम्राज्य के प्रभतर्गत भारतीय महासागर के ध्यापारियों ने थी थी। इसाई पर्म वा प्रचार तथा दृष्टि जब यह सम्पर्क घनिष्ठतम था। हम को जात है कि भारतीय योनी कभी-नभी पाश्चात्य देशों में जाते थे और भारतीय ध्यापारियों वा एक उपनिषदेश ग्रन्थकज्ञदरिया में था।'" (—ए० एस० यादम 'भारत जो एक उपनिषदेश ग्रन्थ ४८६)

मध्यवास में भी अरब, फारस, मध्य एशिया, निश्च पादि देशों से हमारा व्यापारिक एव राजनीतिक सम्बन्ध बना रहा किन्तु श्रिटिश काल में इस सम्पर्क में भूनक्ता पा गई किन्तु स्वाधीन भारत ने प्रपने पढ़ोसी एशियाई देशों, योरोपीय देशों और प्रमरीकी देशों से सभी प्रकार के सम्बन्ध पुनः स्पारित किए हैं। इनमें से एशियाई देशों के साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं उनका बहुत यह! किया जाता है।

भारत तथा चीन

अस्युत्तम् ही प्राचीन चीन से भारत वा चीन से सम्बन्ध रहा है। यह सब प्राप्तः प्रामिक समझा जाता है पर यह राजनीतिक तथा धार्यिक भी था। भारत के द्वीप मिशनों ने चीन की परती तक प्रपना सांस्कृतिक प्रचार किया था। चीनी यात्री मी भारत प्राप्ते जाते रहे थे। यानचांग और फाहियान नामक चीनी यात्रियों की घटना इतिहास में आज भी इह दात का प्रमाण दे रही है। कनिष्ठ ने चीनियों को परास्त भी किया था। यह भी यहा जाता है कि कनिष्ठ चीनी सभाट के दो पुत्रों को बन्धक रूप में यहाँ से भाया था। हर्यं वर्षन का राजदूत चीनी दरवार में गया था। भारत के व्यापार तथा भारत वी वसा वा भी चीनी व्यापार तथा चीनी वसा पर प्रभाव पड़ा।

स्वतन्त्र भारत में पाकर भी पहले चीन से बढ़े मधुर सम्बन्धों की स्थापना हुई। जीने प्रधानमन्त्री चाऊ एन साइ तथा मारतीय प्रधानमन्त्री ए० पाण्डित जवाहर लाल नेहरू ने वाण्डुग सम्मेलन में चीनी स्थापना की। 'चीनी हिन्दी भाई-भाई' के नारी को गुजाया गया और चीनी प्रधानमन्त्री ने भारत पाकर दीस्ती का इजहार किया। परन्तु यह तब एक योता था। इसके दीखे चीन की विस्तारवादी सीति थी। गण्डूदर १९६२ में चीन ने हमारे देश पर व्याक्रमण कर दिया और तभी से हमारे और चीन देश में चीन बढ़ता स्थापित हो रहा है। अब भी उसकी रोनाएँ

सीमा से भाँक रही हैं और किसी समय भी अपनी नापाक नजरों वो आक्रमण में बदल सकती हैं। चीनी यह भूल गये हैं कि प्राचीन भारत में उन्होंने भारत से पर्यायक्या सीखा था। वे शायद यह भी भूल गये हैं कि डा० कोटनीस कोई व्यक्तिया कि नहीं जिसने युद्धकाल में चीनी सेमा और जनता की अपनी जान वी बाजी लगाकर सेवा की थी। भारत ने ही चीन को सद्युक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाने की बाकालत की थी। पर इन सभी सबधों को उसने दूर फँक दिया है। अभी हाल में ही (प्रगस्त-सितम्बर १९६५ में) जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब चीन ने पाकिस्तान का छुला समर्थन किया और हमको तीन दिन का आतितमेत्यम् (अल्टीमेटम) दिया। यद्यपि उसने अपनी इस घमगों को कार्यान्वित नहीं किया किन्तु स्थिति को और भी गमीर बर दिया। यद्य भी आये दिन चीन वोई न कोई वारदात सीमा पर करता ही रहता है। वह हमारा कुछ इलाका भी दबाये बैठा है।

भारत तथा पाकिस्तान

पाकिस्तान की स्थापना ही एक दुखद घटना थी। इसकी स्थापना भारत को टुकड़ा करके सन् १९४७ में की गई थी। यह तभी से भारत की मित्रता को ठुकराता रहा है। भारत को हृष्टपने की बचकाना बात कहनह कर पाकिस्तानी प्रशिक्षिकारी अपनी जनता को शान्त करते रहे हैं और अपनी गही को सुरक्षित करते रहे हैं। पाकिस्तान की स्थापना का मुख्य थ्रेय मिस्टर जिन्ना को या जिन्होंने साम्राज्यिक भाष्यार पर इसको माँगा था। ब्रिटिश सरकार यह चाहती ही थी कि इस बड़े देश को पूट का शिकार बना दिया जाय। पाकिस्तान ने यद्य तक अपनी विरोप भरी भावनाओं से प्रेरित होकर भारत पर तीन बार आक्रमण किया है—

(१) १९४७ में कश्मीर पर आक्रमण।

(२) १९६५ में कच्चे पर आक्रमण।

(३) पुनः अगस्त १९६५ में कश्मीर पर आक्रमण।

५ अगस्त १९६५। भा० ८५४। दृ० ८५४/५६

भारत ने प्रायः पाकिस्तान को सन्तुष्ट करने की नीति अपनाई है और सदैव यह प्रयास किया है दोनों पड़ोसी घरेलू मिश्रों की तरह रह कर जनता की खण्डहाली का प्रयास करें तदा युद्ध में व्यर्थ घन न गवाएँ। पर पाकिस्तान का सदैव यह नारा रहा है कि “हम के लिया है पाकिस्तान। खड़ के लिये हैं दिनुम्तान।”

भारत एक घर्म निरदेश राज्य है जहाँ सभी वो तरह मुख्लमानों को भी समान अधिकार प्राप्त है। पर पाकिस्तान में धार्मिक एवं अधिनायकवादी सरकार

है। यदि पारिस्तान ने भारत पर प्राप्तमात्र दिया तो सभी वगों पौर सम्बन्ध के सोनो ने एह ग्रावांड से सहकार का साप दिया और परिलाम स्वस्त्र पारिस्तान को मुहूर्ही साती पढ़ी। पर यदि भी पारिस्तान हे इरादे नापार है पौर यह युद्ध की घटहियों दे रहा है। वह भारत विरोधी जीव में अपनी सौठनाड़ बर रहा है। यनवरी सन् १९११ में तादाकन्द में रुस के प्रधानमन्त्री कोसीगिन के प्राप्तमात्र पर भारत के प्रधानमन्त्री राज० थी साम यहां दूर जानी साप वारिस्तान के प्रैसीडेंट अमूर मिते थे पौर तादाकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर दिये थे। इसके अनुसार भारत पौर पारिस्तान की हेताएँ प्रयत्ने प्रयत्ने थे तो वो वो वास्तु जोड़ पाई है पर तादाकन्द भावना के दले रहने के सन्देह है। सीमा पूर सम्बन्धी यह रही है।

भारत साप हिन्देशिया (इन्डोनेशिया)

दधिल-मूर्छों एहियो में नवीनीति देगा हिन्देशिया है। इसके साप भी हमारे सम्बन्ध ग्रावीन कान से ही रहे हैं। विसी समय यहीं पर गंव मृत का प्रचार था। इसके प्रबोध यहीं के वासी द्वीप के विद्यालियों के घासिया विद्यालियों में ग्राव भी विद्यालिया है। इसके बाद यहीं जोड़ पर्यं का प्रचार हुआ। पर योग्यहीं गवाही में यहीं के घटियाहा निवासी मुमतमान बन गए हैं। किंतु भी यहीं की ग्रापा तथा सास्त्रिय पर भाउतोप सत्त्वति का प्रभाव बना हुआ है। हिन्देशिया की घावाह करने के तिए भारत ने मुख्य राष्ट्र साप में मासक प्रयन्त्र दिया था पौर परिलाम स्वस्त्र यह द्वीप समूह घावाह भी हो गया। हिन्देशिया में जीवन भर के तिए राष्ट्रपति गुरुरां हैं जो यहीं के प्रभावितासों नेता हैं पर के घरिनायरकाहों की पौर पत रहे हैं। हान में ही घारत यहीं पर अमूलिय विरोधी प्रतेर घटान हुए हैं पौर विद्यालियों ने भरवाह को विद्यान करने का अनुबन्धितों को सभी पदों से हटा दिया है। इन समय जनरल मुहातों प्रभावितासी बन गए हैं पौर पर वह प्रत्याह भी रह दर दिया गया है कि यह दाँ मुख्य जीवनपर्यंत राष्ट्रपति रहें। दाँ मुख्य देश में नेतृत्व में मत्येशिया के साप भी इस देश के बटु सबूप में। जीवन तथा पारिस्तान का परा स्वीकार कर इस देश ने भारत के सबपो पर भी दानी पेर दिया था। यहीं तक कि जीवन के वर्ष में क्षेत्रकर संकुच राष्ट्र साप से भी सामन्य हिन्देश कर लिए। पर यदि दाँ मुख्य अमूर है पौर यदि युद्ध मुख्य राष्ट्र विष की सदरमता दाने की पेशकश की था रही है। मस्तेशिया से भी शांति वार्ता हो चुकी है जिसके मुख्य परिलाम निहसने की आमा है। भारत के दोष सम्बन्ध घाव भी इस देश से बने हुए हैं पौर नदे नेतृत्व में इन सम्बन्धों के पौर भी मुख्य हो ग्रामा है।

भारत तथा हिन्द-जीवन

हिन्द जीवन के प्रमाणित विद्यालिय (उत्तरी विद्यालिय तथा दक्षिण विद्यालिय) अमूरहिया, सामोअ घावि हिष्ठि है। इस भू द्वीप के घापियों जिवासी जोड़ पर्यं

को मानने वाले हैं। यही पर पाली भाषा का प्रचार है। यही की भाषामो और नामो पर भी पाली तथा सस्कृत का प्रभाव है। उदाहरण के लिए कम्बोडिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ का नाम तरोतम सिंहानुक है। यही पर पहले फ्रान्स वालों ने अपना अधिकार जमा लिया था पर दूसरे महायुद्ध के समय फ्रांसीसी अधिकारी जापानियों के अधीन हो गए। पर युद्ध की समाप्ति पर पुनः फ्रान्सीसियों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पर यह प्रमुख रह न सका और इस भू-क्षेत्र ने स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रयास किया। जेनेवा सम्मेलन के फलस्वरूप इस भू-भाग को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। इसका दोषफल २ लाख वर्ग मील है और जनसंख्या ३ करोड़ है।

कम्बोडिया का प्राचीन नाम कम्बोज है। इसकी स्थापना भारतवासियों ने ही की थी। यही की प्राचीन राजधानी अग्रकोरवाट में एक विशाल हिन्दू मन्दिर के भास्त्रावलोप अब तक विद्यमान हैं। इस मन्दिर में विश्वामित्र की मूर्ति हैं तथा मन्दिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की विथाएँ छुट्टी हैं। एक और मन्दिर यही पर है जिसका नाम वैजयन्ता है। यह विशाल शिव मन्दिर है। कम्बोडिया की विदेश नीति भी तटस्थनापरक है पर इन पर चीनी प्रभाव है। इसका कारण चीन का प्रति निकट होना है।

वियतनाम तथा लाओस से साम्यवादी प्रभाव के कारण गृह युद्ध होता रहा है। आज भी (१९६६) उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में युद्ध चल रहा है। दक्षिणी वियतनाम पर घरमरीकी प्रभाव है। उत्तरी वियतनाम के सर्वेमर्जी होची-मिन्ह चीन और लूस के इशारे पर है। आजकल घरमरीकी जहाज उत्तरी वियतनाम पर घोर बमगारी कर रहे हैं। भारत ने इसे रोकने की बात कही है। अभी भारतीय प्रधानमन्त्री थोमसी इन्दिरा गांधी ने जेनेवा सम्मेलन करने का सुझाव रखता है जिसे रूस, चीन, उत्तरी वियतनाम मादि ने ठुकरा दिया है। वे पहले बिना शतं बमगारी बन्द करने और घरमरीकी फौजों को दक्षिणी वियतनाम से हट जाने की बात चाहते हैं। लाओस में रान् १९६८ में गृह युद्ध समाप्त हो गया था और तब से तटस्थ मिसी-जुली सरकार काम कर रही है।

भारत तथा मलेशिया

मलेशिया की स्थापना ६ जून १९६३ सन् १९६३ को हुई। इसमें तेल सम्पद बूनी का राज्य शामिल नहीं हुआ। मलेशिया समें मलाया, सिंगापुर, सारावाक और त्रिटिश उत्तरी बोनियो शामिल हुए। हाल ही में सिंगापुर इस समूह से किर घलग हो गया है। इस समूह में सम्प्रभु १०० लाख निवासी थे और भू-भाग का दोषफल १३०,८१८ वर्ग मील था। इस गणना में सिंगापुर भी शामिल था। १९६५ में सिंगापुर इस समूह से बाहर हुआ है। मलेशिया में भी भारतीय सस्कृति का प्राचीन काल से ही प्रचार रहा है।

मलाया मे १४ वीं शताब्दी से इस्लाम पर्वं भारता पर यहाँ की ऐतिरिवाजों पर प्रव
भी भारताय प्रभाव वित्तमान है। भारता न मलेशियासुप्रभा मान्यता प्रदान की और
हमीराइस्माईलीय मधुर सम्बन्ध थने भा रहे हैं। जब चीन ने भारत पर प्रभावमण
किया था तब मलेशिया के प्रधानमन्त्री तु कु मधुस रहमान ने उत्तर चीनी भारतमण
की निन्दा की। इसी प्रकार १६५२ के पाकिस्तानी भारतमण के समय तिगातुर ने
सुलदर भारत का साथ दिया। मलेशिया के प्रतिनिधि श्री राष्ट्रावृष्ण रमाणी ने
मुख्या परिषद मे भारत का प्रभावगालो समर्थन किया।

भारत और थाईलैण्ड

थाईलैण्ड मलाया और हिन्द चीन के मध्य स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया पा
देश है। इस पर कान्स अधिका इगलैण्ड न घटना प्रचिकार नहीं जमाया। किसी
योरोपीय देश ने इसको घटने प्रबोन नहीं लिया। इस प्रकार यह एकमात्र स्वतन्त्र देश
रहा। यही स्वतन्त्रा तो रही पर इस देश पर अप्रेजो का प्रभाव रहा। इस समय यह
प्रभेरिका के प्रभाव मे है। इस देश मे भी प्राचीन काल से ही भारतीय भाषा, पर्व,
साहकति का प्रभाव रहा है। इस देश को स्वाम भी रहा जाता है। यहाँ की भाषा की
लिपि ग्राही पर आधारित है। यहाँ की भाषा मे पाली और सस्तृत के शब्दों का
वाहूल्य है। इस देश का प्रमुख पर्व बोढ़ है और यहाँ पाली के बडे उच्च स्तरीय
विद्वान पाए जाते हैं। इस देश से भी भारत का दोत्य सम्बन्ध है। यहाँ के नाम भी
सस्तृत भाषा के शब्दों से मिलते हैं। नरेशों के नाम राम प्रथम, पुष्टिमि पतिष्ठ
इत्यादि रहे हैं।

भारत और वर्मा

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों मे वर्मा भी है जिसके साथ भारत का दोत्य सम्बन्ध
है और प्राचीन काल से ही इस देश के साथ भारत के सम्बन्ध रहे हैं। प्राचीन काल
मे इसे सुवर्ण भूमि यहा जाता था। भारत के पर्वं प्रधारक यही होकर दक्षिण-पूर्वी
एशिया को जाया वरते थे। योदृ पर्वं का वर्मा मे सर्वाधिक प्रचार हुआ। भाज भी
यही बोढ़ वाले हैं। विश्व भर का प्रविष्ट स्वसुं-पैगोदा (बोढ़ मन्दिर) रम्यत मे ही है।
प्राचीन काल मे भारतीय राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर यस गए।
गन् १८८६ मे अप्रेजो ने वर्मा पर आधिकार्य जमा लिया और इसे भारत से सबद
पर दिया। गन् १९३७ मे इसे भारत से पृथक कर दिया गया और ४ जनवरी १९४८
वो वह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। गन् १९४२ से ४४ तक यह देश जापानियो के प्रमुख मे
भी रहा था। वर्मा मे भारतीय और चीनी सस्तृति का मिलन होता रहा है। भाज
भी वर्मा के सम्बन्ध चीन और भारत दोनों से हैं। चीन से वर्मा वो भी भय है।
भावधन जनरल नेविन बही वे प्रधान हैं जो संतिक जानिके परम्परा था।
साम्यवादियों ने वर्मा मे सम्बन्ध कैलाने का प्रयास किया था। वर्मा ने हाल ही मे

भारतीयों वा निकायां बिला था । इस प्रात यह दोनों देशों में प्रभाव देताएँ हैं तितकर इन्होंना हमारा निकाया भीर प्रबंध भी दोनों में प्रभुर राष्ट्रवाद विचारां हैं ।

भारत और जापान

प्रभुर पूर्व में निम्न देश जापान की भी प्राचीन कानून में शोषणमें का प्रभाव हुआ था । यहाँ के भी शोषण की शोषण के लिए भारत भाषा व ग्रन्थ में (हास्ती लेकर प्राचीन पाण्डुलिङ्गियों जापान में शोषित रही) । जापान की शोषणता और गंरहति पर भारतीय शोषण भीर गंरहति का प्रभाव रहा । जापान रक्षाल सभा धर्मग्रन्थों की देख है । इसने भाषालीन उच्चति की है । जिन्होंने विश्व युद्ध के बाबजूद इसे ऐतिहासिक गुभायणांश योग का ग्राम देकर भारत का जाजाद कराने का प्रयाग बिला था । जाजाद हिन्दू राष्ट्रवाद को इसने शोषणता दी थी । पर इस विश्व युद्ध का विवरण जापान के लिए प्रातक गिज़द हुआ । यह यह देश भिर तरकी पर है और धर्मग्रन्थों के गहरांग में जागे थड़ रहा है । भारत के ग्राम इसका व्यापारिक सभा कूटनालिक शोषण है । भारत-जापान युद्ध में इसने भी भारत का पक्ष लिया था ।

भारत द्वारा जापान

यह देश भारत में उत्तर में हिमाण्य की ऊर्ध्ववाः में स्थित है । विश्व का एक ग्राम लियू राष्ट्रवादी है । यहाँ की भाषा, संस्कृत, धर्म, दीनियों शाही शाही कुल हिन्दू परिषाली का है । यह देश पूर्णतः भारतीयता का देश है । यहाँ का दरेण परिवार भी भारतीय ही है । जिन्हाँने ग्राम भारत के प्रभुर राष्ट्रवाद है । यहाँ में वर्तमान गहरांग गहरांग तथा राष्ट्री राष्ट्र भारत की गान्धी पर चाहे ही रहते हैं । भीन-भारत और भारत-पारितृत्वन लियर्स के ग्राम यह देश यहाँ रहा । यहाँ पर प्रभायनी व्यवस्था राष्ट्र की गई है । भारत के गहरांग में लेकर विलाप कार्य इस देश में चल रहे हैं । भारत के ग्राम इसकी पूरी गहरांगति है । युद्ध कारणों से यह भीत ही भी शार्तनित है । पर इसके उपरोक्त ग्राम विवरण कहे जाते हैं ।

भारत द्वारा इरान

इरान के निवाली भी ग्राम जाति के हैं । इसका दूरांग ग्राम भाग भी है । प्राचीन ग्राम में हुआरे तथा इरान के ग्राम रहे हैं । हिमाण्यतान ग्राम का ग्राम राष्ट्र भारत ही है जो ग्राम तथा वा राष्ट्रवाद भारत है । हुआरे जहांरे में इस देश के निवालियों को ग्रामीर रहा गया है । प्राचीन ग्राम में भी इरान के ग्राम हुआरे ग्राम रहे हैं । भारतीयों ने इरान के दीनिक प्रभावत बिला था । इसनियों से भारतवालियों के विवाह ग्राम भी हैं । जिन्हाँने एक निवाल में ग्रामीर राष्ट्रवाद को रक्षाल बिला था । दीनिक भारत के ग्राम ग्रामेयी और इरान के ग्राम ग्रामेये में ग्राम दीन ग्राम रहे हैं । जब ग्राम में इरान का प्रभाव हुआ तो यहाँ में लेकर ग्रामीर

धर्मविलम्बी भारत पाए और स्वतन्त्रता से अपना पर्मालन करते रहे। पाज भी अनेक पारसी भारत में है। इनके दक्षिण ग्रन्थ जिन्द घोषिता प्रोर हमारे फ़ाइदे की भाषा में बाकी समानता है।

जब भारत में मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ तो दोनों का राजनीतिक सबंध प्रोर भी घनिष्ठ हो गया। पारसी भारत की राजभाषा दवी। मुसलमान तथा हिन्दू दोनों ने इस भाषा में प्रबोधना प्राप्त की। जिस प्रकार प्राचीन ईरानी भवन-निर्माण कला, चित्ररसा प्रादि पर भारतीय प्रभाव था उसी प्रकार मुगलशासीन भारतीय कला पर ईरानी प्रभाव के लकड़ा स्पष्ट हृष्टिगोचर होते हैं। भारत प्रोर ईरान की सम्पत्ता, मम्हति प्रोर इतिहास में बाकी समानता है। यद्यपि भारत प्रोर ईरान के राजनीतिक सबंध ठीक है पर १६६१ के पाकिस्तान युद्ध के समय ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और तेजिह सहायता देने का भी विचार किया। ये पाकिस्तानी प्रेयोगणे का प्रभाव था।

ईराक, सीरिया, गऊदी अरब और मिथ

इन देशों वे साथ भी भारत के भूति प्राचीन वाल से सबंध रहे हैं। पाज भी इन देशों वे भारत ने ग्रामाञ्चिक, सारकृतिक तथा कूटनीतिक सबंध हैं। तान् १६६२ में बीनी साक्षरता के समय गम्पुक प्रब्रह्म गणराज्य वे नेता नासिर ने भारत के प्रति सहानुभूति दिलाई पर पाकिस्तानी युद्ध के समय वे देशठीक यात न नह रहे। गोप्रा पर जब भारत वा प्रभियान हुआ तब मिथ ने भारत वा पूर्ण समर्थन किया था। भारत ने स्वेच नहर की समस्या के मुनज्जते में मिथ का साथ दिया था। प्रभी हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय एक जहाज पाकिस्तान को गोला चाहद सेवर भारहा था उसे भारत की प्रार्थना पर २६-३० सितम्बर १६६५ को स्वेच नहर मे रोक दिया गया था पर वाट मे शीघ्र इसे छोड दिया गया। इपर जोहंन वा रस भारत के विपरीत रहा है। उसने मुख्या परियद मे भी पाकिस्तान की यकातत की।

भारत तथा अफगानिस्तान

अफगानिस्तान से भी प्राचीनकाल में भारत वे भले सम्बन्ध रहे हैं प्रोर पाज भी इस देश के साथ भारत के मधुर सम्बन्ध हैं। महाभारत मे गापार (वन्यहार) प्रोर काचोज (कावुल) की चर्चा है। दुर्योगन की माता गांघारी थी। प्रामे पत कर यही बोद्ध धर्म वा प्रचार हुआ। यही की भाषा प्रस्तो है। इसका संस्कृत से यही सम्बन्ध है जो हिन्दी, मराठी प्रादि वा है। कावुस विश्वविद्यालय मे प्रस्तो के विद्यार्थियों को गर्हन अनिवार्यरेण पढ़नी पड़ती है। भारत प्रोर पाकिस्तान के युद्ध के समय यह देश तटम्भ रहा। अफगानिस्तान ने ईरान की दृश्यने देश मे होकर सहायता सामग्री से जाने की आज्ञा नहीं दी प्रोर इस प्रकार भारत की मित्रता को

गुप्त भिया । यहाँ वी प्रावासी समाज १२० साल है और दोनों २,५०,००० वर्ष भीग है । यहाँ पर कई प्रकार के गेड़ पैदा होते हैं जैसे प्रावासी, प्राकृत पारि । प्रावूर भी यहाँ होते हैं और गेड़ भी । विदेशी को तथा भारत को भी यहाँ से फल और गेड़ पाते हैं ।

गुरुत श्रीर मणि ।

यह द्वीप भारत से है । इसका प्राचीन नाम गिहल द्वीप है । यहाँ वी राजधानी कानप्रया है । इस देश की प्राचीन ७५ साल है और दोनों २,५०,००० वर्ष भीग है । गाय, गारियत, रबड़ और भावल यहाँ सूख होता है । प्राचीनताम से ही भारत और अंतरा के गम्बन्ध रहे हैं । यहाँ वी भाषा घनार्थ भाषा है । गिहली के अविरिक्त तामिल भी यहाँ वी भाषा है । तुच्छ दिनों से यहाँ पर प्रवासी भारतीयों वी गम्बन्ध आयते रही हैं जो विसी गीया तक भी मालबहादुर शास्त्री और श्रीमती भैषजराजायके से गम्बन्धिते से हृष्ट हो गई है । भारत-पारितान गुद के गम्बन्ध खका तटस्थ रहा पर इन्होंनेशिया के जहाज जो पारितान वो रीतिव सामग्री से घाना चाहते थे उनको घग्न घावाश पर ग गुजरन वी इजाजत नहीं दी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में सभी एवियाई देशों ग दोष गम्बन्ध है । केवल भीग, पारितान तथा इन्होंनेशिया से गम्बन्ध उनके रवेते के बारम्बादों में कुछ बदला या गई है । पर इसी भी देश से दोष गम्बन्ध नहीं दूटे हैं । पारितान के गम्बन्ध दिनों तक दोष गम्बन्ध गम्बन्ध स्थगित रहे थे ।



धर्म और राजनीति

प्राचीनकाल में धर्म और राजनीति के ममनित हृषि से साम उठाया जाता था। राजा प्राय, प्राचिक प्रथाएँ भी होते थे। धर्म के नियमों के आधार पर ही न्याय प्रदान किया जाता था। धर्म की स्थायी ही स्वदेश रक्षा की जाती थी। पीरें-पीरे विज्ञान के प्रभाव के कारण पर्म पर ग्रन्थ आस्था समाप्त होती गई और पर्म को भी वैज्ञानिक हृषिकोण से देखा जाने लगा। साप ही पर्म का नामाद्य फायदा सोगो ने उठाया और अनाचार तक अरायाचार बड़ गए। इन कारणों से प्राज पी दुनिया में आवार धर्म को राजनीति से प्रलग रखकर शासन करने का नारा मुस्कद विद्या गया है। समाजवादियों ने तो धर्म और ईश्वर को ताक में ही उठाकर रख दिया है। सेनिन ने 'धर्म को असीम' की मत्ता से प्रभिद्वित कर इसे एक नये की ओज दहा है। फिर भी धर्म और राजनीति की मिसाने पर मुद्द विषारक जोर दे रहे हैं। इन्होंने धर्म का एक गुप्तराहा हृषि रूप लिया है। इस मरने को और आगे देतने से पूर्व धर्म और राजनीति की शाविद्वक और तात्त्विक व्याप्ति कर सेना धर्मिक उपयुक्त रहेगा। पहले हम धर्म पर हृषिपात करेंगे।

संसार की प्रत्येक गम्भीरति में धर्म का स्थान हृषिगोचर होता है। बदाचित पोई भी समाज धर्म रहित नहीं। प्राचीनकाल में तो समाज में धर्म का यहां ही महत्वार्थ स्थान था। धर्म सरकार की जगह प्रयुक्त होता था। सोग धर्म के नियमों को प्राज के सरकारी कानूनों से भी ज्यादा मानते थे। धर्म समाज पर नियन्त्रण रखता था।

इस प्राइतिक मंतार का हम धर्मी विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा धनुभव बरते हैं। हम विसी वस्तु को देते हैं, दृष्टे हैं, घरते हैं, गौणते हैं और तब उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रवार इन्द्रियों के द्वारा इस प्राइतिक संसार का ज्ञान प्राप्त पाते हैं। परन्तु पदि सोचा जाय हो पता चलता है कि हमारी इन इन्द्रियों को

चलाने वाली भी कोई शक्ति है। इस शक्ति का मनुभव वरते इसके साथ किसी भी प्रकार का मानवी सम्बन्ध स्थापित करना धर्म कहलाता है। इस सम्बन्ध स्थापन के लिए मनेक प्रकार के विधानों कल्पना की जाती है। उस शक्ति को सासार के परे मानकर पारलोकिक कह दिया जाता है।

कुछ विद्वान् धर्म को नियमों का समूह मानते हैं। गांधिंदक ट्रिटी से धर्म का अर्थ धारण करते से है। जिन नियमों को मनुष्य धारण करके भपने जीवन को ढाल लेता है उन नियमों की भाववाचक मता धर्म है। कोई विद्वान् धर्म का धर्म कर्त्तव्य समझते हैं। कोई विद्वान् सम्प्रदायवाद को धर्म से जोड़ते हैं। कोई मानव धर्म की बात करते हैं। इस प्रकार धर्म को व्याख्या विभिन्न प्रकार से को गई है। यही हम कुछ परिभाषाएँ धर्म का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने की ट्रिटी से दे रहे हैं।

१—मेरिट—‘गांधीजीन मानव की दार्शनिक वत्पत्ताओं का नाम धर्म है।’

२—टायलर—“ग्राह्यार्थ सत्ताओं में विश्वास का नाम धर्म है। ये देवोय तथा राजमीय दोनों प्रकार की हो सकती है।”

३—भेलिनीवस्की—“धर्म के अन्तर्गत मनुष्य का वह समस्त अवहार या जाता है जिससे वह भपने देनिक जीवन की अनिश्चितता को दूर कर देना चाहता है और भनपेशिन तथा मनात से मनुष्य को जो भय बना रहता है उसे पार कर लेता है। धर्म जब पहले-पहल उत्पन्न हुआ तब यह मनुष्य की मानवी तथा मानविकीयों का परिणाम न होकर उसे जो सदा भय लगा रहता था, उसका परिणाम है।”

४—गिस्टवर्ट—“वह गतिशील विश्वास तथा ईश्वर या मनेक ईश्वर मे प्रात्म-समर्पण धर्म की सज्जा अद्वैत करता है जिस पर मनुष्य निर्भर रहने लगता है।”

५—ब्यूबर—“धर्म स्तर्कृति से पिरा हुआ अवहार प्रतिमान होता है जो कि (१) पवित्र विश्वास (२) विश्वासो के साथ सवेगात्मक भावनाएँ तथा (३) मनुमान से विश्वासो तथा भावनाओं के उपकरण के रूप मे प्रकट प्राचरण मे घनता है।”

६—डासन—“जब कभी और जहाँ वही मनुष्य को बाह्य शक्तियों पर निर्भरता के भ्राव उत्पन्न होते हैं, जो कि रहस्य के समान गुप्त रहती है तथा स्वयं मनुष्य से ऊँची रहती है, धर्म होता है और भय वी भावना तथा स्वयं को नीचे गिराने की भावना जिससे कि मनुष्य उन शक्तियों की उपस्थिति मे भरा रहता है, मावस्यक रूप से धार्मिक सवेग है, पूजा तथा प्रार्थना का पथ है।”

इन परिभाषायों से प्राप्त निष्ठर्य को हम इस प्रकार रख सकते हैं :—

१—धर्म किसी ग्रमानवीय तथा सर्वोच्च शक्ति में विश्वास है।

२—यह सर्वोच्च शक्ति गुप्त तथा ग्रलोकिक होती है।

३—मनुष्य इस शक्ति पर स्वयं को भी निभेंट करता है ।

४—मनुष्य इस शक्ति से भय भी खाता है ।

५—इस शक्ति के प्रति वह भावों तथा व्यवहारों के प्रणाली बरण की एक पद्धति बना लेता है । (मन्दिर, महाजिद, गिरजा पर भाष्टि)

अन्त में विजिन एण्ड विजिन की धर्म सद्वर्णी समाजशास्त्रीय परिभाषा हम भी दे रहे हैं—

“समाजशास्त्रीय हृष्टि ने धर्म में दिसो एव सामाजिक समूह में प्रसिद्धि देवी शक्ति के प्रति सबैजात्मक विश्वासो वा सपादेष्ट होता है तथा प्रणट व्यवहार भौतिक सद्य एव ऐसे विश्वासों से सम्बन्धित प्रतीकों वा थोग होता है ।”

इस प्रवार धर्म वास्तव में एक विशेष प्रवार के विश्वासो वा ही नाम है ।

व्यवहारों की जो शैली होती है वह धार्मिक गत्या वहसाती है ।

धर्म की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धान्त प्रणट किए गए हैं । धर्म के लिए किंवी पारस्परिक शक्ति में विश्वास होना आवश्यक है । पारस्परिक शक्ति को मनुष्य बड़ी सोबतीन के बाद मानता है । मनुष्य धर्मनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की तृप्ति के हेतु भिन्न मार्गं पठाए करता है । यही मार्गं धार्मिक व्यवस्था को जन्म देते हैं । मनुष्य मुख्या वी हृष्टि से दूसरो वा गहरोग ग्राह करता है प्रीर सामाजिक संगठन बनाता है । ये संगठन राजनीतिक व्यवस्था को जग देते हैं । मनुष्य योन मुख तथा गन्तानोत्पत्ति चाहता है । यह बात परिवार को जन्म देती है । इस प्रवार मनुष्य धर्मनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु इन सहायाओं तथा संगठनों को जन्म देता है । परन्तु मनुष्य में ऐसी कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं दीरती जो धर्म को जन्म देती है । इसीलिए धर्म की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं ।

हरबर्ट टेलर का कथन है कि पूर्वजों की पूजा तथा उनके प्रति धदा का भाव ही धर्म को जन्म देता है । प्रत्येक परिवार के सोग घरने भाटि पूर्वजों की पूजा करना चाहते हैं । उनकी पूजा करते करते कालान्तर में ये पूर्वज ही परमेश्वर वा रूप बन जाते हैं और उत्तियों द्वारा पूजे जाने लगते हैं । इनकी पूजा वे विदिप विधान उत्पन्न हो जाते हैं । इस सिद्धान्त को पूर्वजों की पूजा का सिद्धान्त भी बहा जाता है ।

टायलर ने विस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया उसे जीववादी सिद्धान्त पहा जाता है । टेलर का कथन है कि स्वप्न में समय मनुष्य को मनुभव होता है कि वह शरीर से बाहर चला गया । स्वप्न भाष्टि के सापार पर ही मनुष्य ने यह वत्सना की होगी कि शरीर भ्रत्य है प्रीर भ्रत्या भ्रत्य है । जैसे मेरा शरीर प्रीर

मेरी आत्मा अलग-अलग है उसी प्रकार दूरों का शरीर और दूसरों की आत्मा भी अलग होने चाहिए। जो लोग मर जाते हैं उनका आत्मा जड़ जगत की ओर से जाकर निवास करता है। इसी आत्मा के प्रति श्रद्धा श्रवण भय की भावना ने धर्म को पैदा कर दिया। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति आत्मा को शरीर से अलग मानने के विचार के कारण हुई। जब यह माना जाने लगा कि आत्मा इन जड़ वस्तुओं से जाकर निवास करता है जो जड़ वस्तुओं को पूजा होने लगी। पूजा वास्तव में जड़ वस्तु की नहीं अपितु उसमें बौठी यह आत्मा की जाती है। जड़ से बौठी यह आत्मा अपना कोई पूर्वज ही है। इस प्रकार जीववाद भी पूर्वज पूजा वा ही दूसरा है। इन आत्माओं की पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। ये आत्माएँ अतेक हैं। इसी से 'बहुदेवतावाद' चलता है और जब इनमें से किसी एक देवता की ही पूजा विशेष रूप से चल पड़ती है तो 'एकदेवतावाद' विशिष्ट हो जाता है।

मैरिट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को 'जीवित सत्तावाद' या कोडरिंगटन द्वारा प्रतिपादित 'मैना' या पारलौकिकता का सिद्धान्त भी कहते हैं। मैरिट का कथन है कि आदिवासियों में जड़ तथा वेनन पदार्थों को जीवित सत्ता युक्त माना जाता है। एक अभीतिक सत्ता में भी विश्वास किया जाता है। इसी को वे अलौकिक, अविजित तथा दैवीय मानते हैं। इसे वे सर्व व्यापक भी मानते हैं। यह सभी में होती है। टायलर तो इसे सब में अलग-अलग मानता है परन्तु मैरिट इस एक सत्य को ही सर्व व्यापक मानता है। इस सर्व व्यापक सत्ता को मानना ही धर्म है।

कोडरिंगटन ने पहले-न्यूल पता लगाया कि दधिणी तटवासी जातियों में धर्म का विचार एक विशेष महत्व रखता है। ये जन जातियाँ एक ऐसी शक्ति में विश्वास करती हैं जो सर्वोच्च तथा अवैयक्तिक होती है। मैलिनेशिया की जन-जातियों में इसे 'मैना' कहा जाता है। इसी शक्ति की भव्य जन जातियाँ भव्य नामों से भी पुकारती हैं। जैसे - ओरेन्डा, बरन आदि। इस प्रकार मैरिट तथा कोडरिंगटन का विश्वास है कि इस पारलौकिक शक्ति को मानना ही धर्म की उत्पत्ति कर देता है।

दुर्खाम वा सिद्धान्त समाजशास्त्रीय सिद्धान्त भी कहा जाता है।^५ दुर्खाम वा सिद्धान्त भी कहा जाता है।^६ दुर्खाम वा वृत्ति का वर्णन है कि आदि कालीन मानवों की जीवन के प्रकार से व्यतीत होता था। एक तो वैयक्तिक जीवन और दूसरा सामाजिक जीवन या सामूहिक जीवन। वैयक्तिक जीवन सूना-सूना सा लगता था। सामूहिक जीवन में उसे संसार और मानन्द प्रतीत होता था। सामूहिक जीवन के यह एक छढ़ी उत्तेजना महसूस करता था। इस उत्तेजना ने, जो उसे सामूहिक जीवन से प्राप्त होती था, धर्म को जन्म दे दिया। आदिवासियों का धर्म तो इस सामूहिक

उत्तेजना के परिणाम वे यिद्याय मुख्य नहीं। इस प्रारंभमें वी उत्पत्ति सामूहिकता का परिणाम है।

हाउर ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसे रहस्यवाद भी कहा जाता है। हाउर या कथन है यिसी भी मानव-समुदाय में एक ऐसा दर्शन घटन्य होता है। जिसे रहस्यमय तथा असौनिक ग्रनुमव हुआ करते हैं। इन ग्रनुमयों का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यिसी को दिन में घनीय-घनीव शब्दों दियाई देती है, जिसी को कोई साक्षात् गुनाई पढ़ती है। इन ग्रनुमयों को अन्य जन भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी से घर्म की उत्पत्ति हो जाती है।

कुछ विद्वानों का वचन है कि भादि मानव के हृदय में हर समय प्रहृति वी ओर से एक भय बना रहता था कि कही कोई सापत्ति न टूट पड़े। इस भय की भावना ने ही घर्म की उत्पत्ति बढ़ दी। हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि सबटी से हमारी रक्षा हो। यह भय की भावना घर्म भाव को जग्म देती है।

कुछ सोगों का वचन है कि जब ग्रनुमय ग्रसार से दुरी हो जाता है और उसे जीवन से निराशा मिलती है तो वह इस जीवन का भरोसा छोड़ देता है और दूसरी ओजों में विश्वास कर देता है। इस प्रकार दूसरी ओजों में विश्वासों की भावना घर्म को जग्म देती है। जिस ध्यक्ति वो जिस प्रोर शान्ति प्राप्त होती है उसी द्वी वह पूजा करने सकता है। इस प्रकार मामारिं दुर्मों से वैराग्य के भाव ने भी घर्म को जग्म दिया।

घर्म के कुछ सामान्य प्रतिमान भी होते हैं। यह प्रतिमान कुछ इस प्रकार है—

घर्म में एक दैर्योशक्ति में विश्वास होता है। इस शक्ति के प्रति प्रत्येक समाज में विश्वास पाया जाता है। यह विश्वास दो रूपों में मिलते हैं— एवेश्वरवाद तथा अनेदेश्वरवाद।

घर्म के कारण कुछ समान तथा सामूहिक क्रियाएँ पल पड़ती हैं। यह क्रियाएँ दो प्रकार होती हैं अस्त्यात्मक तथा नियेधात्मक। जिन कार्यों के करने की ग्रनुमति दी जाती है उन्हें अस्त्यात्मक कहा जाता है और जिनके करने की ग्रनुमति नहीं दी जाती उन्हें नियेधात्मक कहते हैं। इनके अलावा यामिन क्रियायों को गम्भीर करने की कुछ विधियाँ भी होती हैं, जैसे पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, यज्ञि आदि।

यिसी एक घर्म में ही कई विद्वान्त ग्रन्तग-घर्मग घाषारों पर बन जाते हैं। ग्रनुमय इनमें से यिसी एक पर भ्रायविष भक्ति एवं व्रद्धा करने सकता है और दूसरे विद्वान्तों को कहा जाता है। एह ३५२ रुद्रधायों का थी ३५३ हो जाता है। हिंदू

तथा इसाई धर्मो में अनेक सम्प्रदाय पाए जाते हैं। यह सम्प्रदाय सधर्म को भी जन्म देते हैं।

धर्मो में एक आचार सहिता भी पाई जाती है। यह सहिताएँ मानव व्यवहार को नियन्त्रित करती रहती हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण भी यह सहिताएँ करती हैं। इन आचरण की सहिताओं में भिन्नता पाई जाती है। जो आचरण एक धर्म में उचित माना जाता है वही आचरण दूसरे धर्म में अनुचित माना जा सकता है। जैसे हिन्दू धर्म में विघ्ना विवाह पाप पूर्ण समझा जाता है जबकि मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं है। इस प्रकार अनेक बातें जो एक धर्म में स्वीकार की जाती हैं, दूसरे धर्म में अस्वीकृत होती हैं।

जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है उस धर्म में हड़ विश्वास करने लगता है। अपने-प्रपने धर्म पर लोग गर्व करने लगते हैं। वैसे धर्मभिमान धार्मिक धार्थ्या को बढ़ाता है।

प्रत्येक धर्म में धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने को कुछ निश्चित पद्धतियाँ होती हैं। यह पद्धतियाँ प्रगट आचरणों की शृङ्खलाएँ होती हैं। हृष्टदेव को प्रगटा करने के लिए कुछ निश्चित आचरण पाए जाते हैं।

अब हम धर्म के महत्व पर विचार करते हैं। प्रत्येक समाज में धर्म का बड़ा महत्व होता है। धर्म मनुष्य की समस्याओं को भी हल करता है। यह व्यक्ति पा समाजीकरण करता है। धर्म के कारण ही व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से अभिभूत होकर धर्मशाला, विघ्नाधर्म, चिकित्सालय, विद्यालय, आदि खुलावाहर परोपकार की ओर बढ़ता है। इतना ही नहीं धर्म नैतिक उपदेशों के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण भी करता है। धर्म के महत्व पर प्रकाश ढासते हुए डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है—“मानव की प्रकृति ईश्वर में ही अपनी पूर्ण सतुर्पिट पाती है।” डिमाण्ट ने लिखा —“वह प्रवृत्ति जो कि सम्यता को बनाती है, आध्यात्मिक देवनी की एक प्रकार है जो उत्कृष्टा को सतुर्प करने के लिए जीवन के ढाँचे का निर्माण करती है।” गिस्टवं लिखता है—“धर्म के विशेष सामाजिक कार्य जैसे ईश्वर के यश तथा प्रेम के लिए मानव का प्रेम तथा सेवा सर्व प्रसारित शक्ति है जो कि बहुगुणात्मक तरीकों से प्रभावित करता है।” गिलिन एण्ड गिलिन ने लिखा है—“राजनीति तथा प्रशासनिक कानूनों की हथापना के बहुत पहले ही, धर्म ने प्रयासों को पवित्र किया जिसने कि सामाजिक समूह की समता को बनाए रखा।” इस प्रकार धर्म वा प्रत्येक समाज में अद्वितीय स्थान रहता है। परन्तु आजकल धर्म पा महत्व कुछ कम होता जा रहा है।

आजकल विभिन्न धर्मों में एकता साने की खातिर इनमें समानताएँ स्तोत्री गई हैं। कुछ समानताएँ इस प्रकार हैं—

- १—सभी पर्म ईश्वर की सत्ता में नियमी हृष में विरकास करते हैं।
- २—सभी धर्म प्रेम की गिराव देते हैं।
- ३—सभी धर्म मानव में नेत्रिक सदगुणों की स्थापना चाहते हैं।
- ४—सभी धर्म मानव मात्र का वस्त्याण चाहते हैं।
- ५—सभी धर्म पवित्र एवं संतोष पर्य जीवन ध्यतीत करने की बात कहते हैं।

इन सभी बातों से पता चलता है कि सभी धर्मों के मूल में एकता है। हिन्दी में क्वीर कहते हैं—“मोक्ष कही दूँढ़ तू बन्दे, मैं तो सेरे पास मैं। ना मन्दिर में ना मस्जिद में ना बाबा फैलाते मैं।” टास्टाय कहते हैं—‘ईश्वर की रक्षा हमारे हाथ में ही है।’ उद्धू के दिसी शायर ने भी यही कहा है कि ‘दिस के प्राइने में है तस्वीरेयार। जब जरा धर्म भूकाई देस ली।’ इस प्रकार सभी धर्मों में अनेक ऐसे विचार पाए जाते हैं जो एकता के छोलक हैं। इन एक से विचारों वे आधार पर सामाजिक तथा वैज्ञानिक वस्त्याण का मार्यं प्रवर्तन दिया जा सकता है। धर्म का प्रयोग विद्यवस्त्याण के लिए हो सकता है। इन्हीं विचारों के प्रभाव हृष पर्म मानव धर्म की बातें कही जाने लगी हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में धर्म का महत्व मुख्य रूप हो गया है। विज्ञान ने भीतिहता तथा तकं को बढ़ावा देकर पार्मिक प्रारथा को गम्भीर चोट पहुँचाई है। प्रब धर्मान्वया तथा धर्म हृदियों समाप्त होती जा रही है। प्राप्ति रूप मनुष्य हर चीज की सत्यता को निरोक्षण-परीक्षण के आधार पर रखता चाहता है। विज्ञान ने वस्त्यानारक बातों को मिटाने में सहयोग करके धर्मका प्रभाव रूप दिया है अनेक धर्म प्रकार ही सत्याएं भी धर्म के कायों को घपने हाथ में लेती जा रही हैं। इन सभी बातों ने धार्मिक संस्थापों के मूल रूप को विहृत कर दिया है। स्त्रियों के बाराण धर्म परिवर्तन-शील समय के प्रवृत्ति अवधार परिवर्तित नहीं हो पाया है। कुछ धर्म के छोलारों ने भृष्टाचार, पापाचार तथा धनाचार के दण्डीभूत ऐसे-ऐसे कुहृत्य दिए हैं कि सोंगो की धर्म पर से धदा रूप होती जा रही है। साथ ही आज विज्ञान ने मनुष्य को इतनी तात्पत प्रदान कर दी है कि वह उसके बम पर प्रहृति है अनेक रहस्यों का पता सागाने क्षमा है। जो रहस्य धर्म तक धर्म वा रूप पारए दिए हुए थे, वे धर्म रूपष्ट हो गए हैं और इस प्रकार अनेक पर्माहित्वरों दो पोल सुल गई हैं। इस प्रकार सहुचित धर्म समाप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रब इन धर्मों के स्थान पर समान धर्म उदित होता जा रहा है। प्राज मानव धर्म की बातें पोर पकड़ रही हैं। मानवतावादी विचारों का प्रचार बढ़ रहा है और इस प्रकार एक सामान्य धर्म की नीदे पड़ रही है जिसे सार्व भीमिक धर्म कहा जाने लगा है। इस धर्म के प्रचार तथा प्रसार में महात्मागांधी, रामानुजण, बर्दुशंश रघुनं वा प्रभाव पड़ रहा है।

धर्म के विषयेषण और व्याध्या के पश्चात् भव राजनीति को भी समझना है। राजनीति में सामान्य धर्म की हाइट से शासन यन्त्र को चलाने के दण आते हैं। शासन जिन धाराओं और सिद्धान्तों पर कायं करता है और जिन सदियों को निर्धारित करता है, वे भी राजनीति के अध्ययन के मन्त्रांगत द्वा जाते हैं।

राजनीति शब्द (पालिटिक्स) यूनानी भाषा के 'प्रोसिस' शब्द से बना है। प्राचीनकाल में यूनान देश घोटे-घोटे नगर राज्यों में विभाजित था पर धोरे-धीरे इन नगर राज्यों का स्वल्प यदलना गया और नगर राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य बनने लगे। इस वित्तार के साथ-साथ राजनीति भी विस्तृत होने लगी। राज्य से सम्बन्धित सभी विषयों का अध्ययन इसके मन्त्रांगत विद्या जाने लगा। आजकल वैज्ञानिक मध्ययन की ओर विद्वानों ना मुहावर हो गया है। अब राजनीति की परिभाषा इस प्रकार हो गई है —

गेटेन — 'यह राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का, राजनीतिक सम्बन्ध तथा कायों का, राजनीतिक मस्थानों तथा राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन है।'

पाल जेनेट — 'राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के पाषार तथा शासन के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है।'

सीले — 'राजनीति विज्ञान शास्त्र के तत्वों वा मनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे पर्यावरण धर्म का, जीव-विज्ञान जीवन का, बीज-गणित अथवा का तथा भूगोल स्थान एवं ऊर्जा का करता है।'

गानेर — 'राजनीति शास्त्र का प्रारम्भ तथा मन्त्र राज्य से होता है।'

लास्की — 'राजनीति विज्ञान के अध्ययन वा सम्बन्ध समिति राज्यों से सम्बन्धित मनुष्य के जीवन से है।'

जहाँ तक राजनीति और धर्म का प्रश्न है इस विषय में आजकल धर्म-निरपेक्षता अपनाने वी बात बही जाती है। फिर भी धार्मिक राज्य भी हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही धर्म-प्रणाल राज्य है। पर धर्मकी राजनीति के विषय में नीति शास्त्रीय तर्क दिये जाते हैं। नीति शास्त्र भले-बुरे का ज्ञान करता है और समाज में रहते हुए माचरण के सापरण नियमों को पालन करने का धारेग देता है। धर्म भी कर्त्तव्य और भले की बात बहता है। माचरण की शुद्धता पर भी यह बल देता है। यह पाप से बचने की बात बहता है और ध्यक्ति वो सञ्चरित बनाना चाहता है। ऐसी दशा में तो धर्म राजनीति में सहाय हो सकता है। पर धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना या राजनीति दे यह पर धर्म को कैलाना दोषपूर्ण हो जाता है। ऐसी ही नीति का लक्ष्य हिंसा

गया है। यमं को पट्टर रुप में भपनाने से पदापात होने वी संभायना रहती है। राज्य जिस यमं का घनुयायी है वह उसी यमं का प्रधार और प्रसार चाहिए। इस पारण न्याय समव न हो सकेगा। इन यातो को सोचकर यमं को राजनीति से दूर रखने वी यत वही गई है और वहा गया है कि राज्य को सब यमों के साथ एकला व्यवहार करना चाहए। सभी यमों को पनपने, पदने प्रचार और प्रसार तथा प्रपनी मान्यतायमों को यनाए रखने वा भववर देना चाहिए। भारत के सी संविधान में ही पार्सिक स्वतन्त्रता के अधिकार को प्रदान किया गया है और इसे भारतीय जनता का एक मूल अधिकार माना गया है। भाज के भारत ने यमंनिरपेश राजनीति प्रपनाई है। प्राचीन भारत वी राजनीति में यमं का प्रमुख स्थान था। वर यह होते हुए भी अन्य यमं वालो को पूरी व्यवस्था रहती थी। भाज विश्व में अधिकारिक राष्ट्र यमं और राजनीति को मिलाकर घलाने के पद में नहीं है।

भारत के राजनीतिक दल

लाडं ब्राइस का कथन है कि 'राजनीतिक दल तो यानिवार्य हैं। यदि दल कुछ बुराइयों उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को कम करते हैं तथा दूर करते हैं।' प्राज्ञ प्रत्येक देश में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। फाइनर ने तो यही तक वहाँ है कि सभी प्राषुनिक सरकारों में राजनीतिक दलों ने व्यवस्थापन की शक्ति को विसी सीमा तक हृषिया लिया है। कुछ देशों में तो राजनीतिक दलों की सह्या बहुत ही ग्रधिक है जैसे कान्स। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क में प्रग्य सम्पर्य चलता रहता है और अन्त में ग्रधिक प्रभावशाली विधार मनुष्य का समर्थन प्राप्त कर लेता है और मानव ध्येहार को उसके प्रनुकूल बना लेता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रजातन्त्र में कुछ सगड़न ऐसे पाए जाते हैं जो राज्य के इष्ट सिद्धान्तों के प्रतीक होते हैं। उनमें प्रतियोगिता चलती रहती है और अन्त में जब प्रभावशाली दल वो वैधानिक रूप से जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो अपनी सरकार का निर्माण बरवे अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करता है। इस प्रकार वे समर्थित दल के राजनीतिक दल कहते हैं।

विद्वानों ने राजनीतिक दलों की परिभाषा को विभिन्न शब्दों में प्रणट दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ हम देंगे।

चक्रवर्ती—“राजनीतिक दल मनुष्यों के उम ममूह को कहते हैं जो किमी स्वस्वीकृत सिद्धान्त के प्राधार पर प्रपने समिलित प्रयत्नों द्वारा सार्वजनिक हिन वी वृद्धि के लिए समर्थित होता है।”

ब्राइस—“राजनीतिक दल ऐच्छिक रूप से समर्थित वह दल है जो अपनी सचित शक्ति राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं।”

लोकाक—“राजनीतिक दल वह न्यूनाधिक समर्थित समूह है जो अन्त में जानकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करवे सरकार बनाकर प्रपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करते हैं।”

तिसकाइट—“राजनीतिक दल नागरिकों के उस समठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य सामान राजनीतिक विवार रखते हों प्रीर राजनीतिक इकाई के हृषि में कार्य करते हुए शासन को हायियाने में रत हो ।”

मंकाइट—“जिसका सगठन विसी नीति प्रपत्रा सिद्धान्त के समर्थन में हृषि हो और सर्वेषानिक उपायों से उस सिद्धान्त को शासन वा भाषार बनाने में रत हो, वही दल राजनीतिक दल है ।”

इस परिभाषा में राजनीतिक दलों के सभी लक्षण हैं। यह परिभाषा चार यातों को स्पष्ट करती है—

१—राजनीतिक दल एक समठित समुदाय है ।

२—इसका सगठन एक सिद्धान्त के भाषार पर होता है ।

३—यह शासन को प्रभावित करने वा प्रयास करता है ।

४—यह वैषाणिक विधि से सरकार को अपने हाथ में सेने के प्रयत्नों में लगा रहता है ।

राजनीतिक दल राज्य या देश में राजनीतिक जागरण वा भव्यता है और जनमन से अपनी और भावित करके अपनी सरकार बनाते हैं। सरकार सत्ताहृ राजनीतिक दल के निदानों को ध्यान में रखकर सार्व बरती है। जिस राजनीतिक दल या विधान सभा में यदृमत होता है, वही दल सरकार बनाता है। यह समदातमक देशों की प्रणाली है। इन्हे दल भासोचनामों के द्वारा सत्ताहृ दल को दायरे में बनाये रखते हैं। एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक समठित समूह जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की सरह वाम करके, सरकार को नियन्त्रित करने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दल या मुख्य उद्देश्य अपनी रायों तथा नीतियों को सबवाला है। इसके सिए पह भावश्यक हैं इव वस्थाविदा पर प्रधिकार हो। इसका प्रथम यह हुआ कि इस दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थाविदा में यही तत्त्व हो। इसलिए राजनीतिक दलों का सगठन शुनाव वे लिए विया जाता है। जिनके प्रधिक व्यवस्थाविदा में उनके सदस्य होंगे उनका ही उनका वानून बनाने में प्रभाव होगा। दल के घन्दर भेदभाव प्रतिनिकर है व्योगि इसमें व्यवस्थाविदा में बोट बोट जाते हैं जिससे विरोधी दलों को लाभ होता है।

प्रवातांत्र में राजनीतिक दलों का यहा महत्व है। ये सोकमत को प्रतिवित करते हैं और उनको अभिव्यक्त करते हैं। ये जनना में राजनीतिक चेतना का सचार करते हैं और उसको राष्ट्र की समस्याओं से परिचित करते हैं। नियन्त्रित में समय यह देश की समस्याओं वा प्रस्तुतीदरण एव उनके समाधान वे उपाय अपने पोषणा-

पर पर प्रकाशित करते हैं तथा जनता से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि चुने जाने पर वे तदनुसार कार्यवाही करेंगे। बहुमत प्राप्त होने पर वे अपना मन्त्रिमण्डल बनाते हैं और उन उत्तरायों को कार्यान्वयन करते हैं। यदि उनको अत्यधिक प्राप्त होना है तो वे विरोध पक्ष का निर्माण करते हैं। विराष पक्ष सरकार की आलोचना करता है और उसको जनयत के अनुसार कार्य करने को बाध्य घरता है। शासक दल तथा विरोधी दल दोनों पारस्परिक सहयोग अथवा प्रतिस्पर्धी के द्वारा लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखने का सतत प्रयास करते रहते हैं। जनता वे अधिकारों की रक्षा करते हैं अन्यथा निरकुण शासन की स्थापना का भय बना रहता है। विरोधी दल तत्कालीन शासन को निरकुण बनने में रोकते हैं। ये ही लोकतंत्र के प्रहरी तथा रक्षक होते हैं।

भारत में राजनीतिक दलों का विकास तथा उत्तराति प्रजातंत्र को कार्यान्वयन करने के लिए नहीं अपितु व्रिटिश शासन वे स्वतंत्रता को समाप्त करने एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुई थी। कुछ दलों का निर्माण अन्य कारणों से भी हुआ था और कुछ दल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मिहान्ता के सधर्य के कारण बने रहे। कुछ दलों का निर्माण भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात् राजनीतिक उद्देश्यों से हुआ। इनमें में प्रमुख दल इस प्रकार हैं—

(१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (२) संयुक्त समाजवादी दल (३) भारत का साम्यवादी दल (४) जनसंघ और (५) स्वतंत्र दल। ये दल अखिल भारतीय हैं। कुछ दल भारत के प्रदेश विशेष में सीमित हैं अथवा अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली हैं, जैसे (१) मुस्लिम लीग (वेरल), (२) रामराज्य परिषद् (राजस्थान तथा भृष्य प्रदेश) (३) द्रविड़ मुनेश करघम (मद्रास), (४) मकाली दल (पंजाब), (५) भारत की गणतंत्र परिषद् (६) हिन्दू महासभा, (७) फारवड ब्लाक (८) रिपब्लिकन पार्टी।

यहाँ कुछ प्रमुख दलों का वर्णन किया जाता है—

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

बीसवीं शताब्दी में भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति का जो सद्गम लड़ा वह वास्तव में कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की स्थापना सर ए. प्रो ह्यूम ने सन् १८८५ ई० में की थी। १८८५ से १९०६ ई० तक इसका उद्देश्य सरकार से भनुन्य विनाय करके जनता के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करना था। इस प्रकार तब यह एक भिक्षुक संघर्ष था। नगरों की मध्य वर्गीय तथा शिखित जनता इसमें थी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों की मांग करना था। सरकारी नौकरियों में प्रधिकारिक भारतवासियों को लाभ भी इसका उद्देश्य था। इस युग के प्रमुख नाम सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, गोपालहुड्डू, गोखले, फीरोजगाह मेहता, दादाभाई नोरोजी आदि थे।

इसके प्राणे चलवर उप्रविचारवादी जननेता सामने आये । कांगड़ाज़न ने बाल को विभाजित किया जिसकी बढ़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई । याए ही कांगड़ा में भी दो दल बन गये—एक उदारवादी दूसरा उप्रवादी । उप्रवादियों का दमन प्याकि स्वराज्य की प्राप्ति भिक्षावृत्ति से नहीं हो सकती । संघर्ष से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है । इस दल में लाला साजपत्राय, बासगगायर तिलक, विपिनचंद्र पाल और भरविन्द घोण का नाम उल्लेखनीय है । पर इन सोगों का कांगड़ा में अल्पमत था । प्रत. १६०७ के सूख घटिवेशन से इन्हें भलग हो जाता पड़ा । कांगड़ेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व पना रहा । सरकार ने भी उप्रवादियों का दमन किया । पर राष्ट्रीयता भी जो लहर भारत में दोड़ी वह समाप्त न की जा सकी । एनोबेसेन्ट और तिलक के प्रयत्नों से उप्रवादियों और उदारवादियों में समझौता ले गया । सन् १९१६ में उप्रवादी पुन राष्ट्रेस में शामिल हो गये । ऐसेन्ट और तिलक दो होमश्ल लीग ने भारत के लिए प्रोप्रिवेशिका स्वराज्य की मीम दी ।

कांगड़ा का हीसारा युग गांधी जी द्वा रुग है । इस युग में कांगड़ा ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाम किया । गांधी जी ने बांगड़ा की नीति को एक नया मोड़ किया और इसे सत्य-प्रहिसा और सत्याप्रह पर आधारित किया । गांधीजी ने देशभर का दौरा किया । घीरे-घोरे कांगड़ेस में सामाज्य जनता भी शामिल हो गई । गांधीजी ने सविनय भवज्ञा, प्रसाहयोग हिन्दू मुसलमान एकता, हरिजन उदार, ग्राम गुप्तार, राजी का प्रयोग, शिक्षा भार्दि विभिन्न क्षेत्रों में इम नीति को अपनाया और सत्य, प्रहिसा और सत्याप्रह के द्वारा ही १५ अगस्त १९४७ को भाजादी प्राप्त कर सी ।

३० अनवरी १९४८ को गांधी जी का वय हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू के हाथों में कांगड़ा भी बांगड़ोर आई । यह स्वतन्त्रता का युग रहा । नेहरू द्वा रिसों ने विरोध न किया । जिसने विरोध किया वह कांगड़ेस से बाहर चला गया । नेहरू वे नेतृत्व में भारत की आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों का निर्धारण हुमा ।

कांगड़ेसी में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण कामराज योजना सामने आई । भ्रष्टाचार और प्रधानात् की रोकने के भी प्रबोध किए गए । इस ओर गृहमन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने यह कहा । कामराज योजना के अन्तर्गत सर्वथी कामराज, मोरारजी देसाई, एस० क० पाटिल, नानदबहादुर शास्त्री प्रभृति घड़े-घड़े नेताओं ने प्रत्यय किए । कामराज कांगड़ेस के प्रध्यक्ष बने जो भाज तक है । २७ मई १९६४ वो नेहरू जी भी चल गये ।

कांगड़ेस का संविधान और घोषणा—

कांगड़ेस का संविधान यह १८६६ में बना था । इसके अनुसार कांगड़ेस का प्रधानिक उपायी द्वारा भारतीय जनता के हितों की रक्षा करना था । घीरे-घोरे घैम

मेरे परिवर्तन ग्राता गया और अन्त मेरे कार्योंस का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना हो गया। सदृश्य १६३४ मेरे इसकी व्याख्या की गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १६४६ मेरे जयपुर अधिवेशन मेरे कार्योंस का नया सविधान पारित हुआ जिसके भनुमार कार्योंस का घ्येय यह बताया गया—

“भारत की जनता वा कल्याण एव उत्कर्ष करना और भारत मेरे शान्तिपूर्ण तथा वैय उपायों द्वारा जनता के राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रार्थिक अधिकारों की समानता पर प्राप्तागति एक ऐसे सहकारी समानतम्भ की स्थापना करना जिसका घ्येय विश्व शान्ति तथा सहयोग हो।”

सन् १६५५ के आवडी अधिवेशन के प्रस्ताव द्वारा कार्योंस का घ्येय यह निश्चित किया गया कि—

“एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत राज्य के मुख्य उत्पादक साधनों पर समाज का स्वामित्व प्रथवा प्रधिकार होगा, जहाँ उत्पत्ति को बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न किया जाएगा तथा राष्ट्रीय संपत्ति वा विभाजन व्यायोचित ढंग पर होगा।” इस प्रकार वार्योंस का घ्येय समाजवादी समाज की स्थापना हो गया। भुवनेश्वर अधिवेशन मेरे कार्योंस का घ्येय प्रजातन्त्रीय समाजवाद उद्घोषित किया गया।

संगठन—

कार्योंस के सदस्य तीन प्रकार के होते हैं (१) प्रामिक (२) योग्य (३) कर्मठ प्रारम्भिक सदस्य प्रत्येक भारतीय बन सकता है जो कार्योंस के घ्येय मेरे विश्वास रखता हो और जिसकी उम्र २१ वर्ष की हो चुकी हो। उसे २५ वर्षों वार्यिक चढ़ा देना होता है। योग्य सदस्य वे हैं जो आदतन सादी पहनते हैं। जो कार्योंस के घ्येय मेरे विश्वास रखते हैं और किसी प्रकार का नशा नहीं करते तथा जो हरिजनउद्धार तथा हिन्दू-भुसलमान एकता मेरे विश्वास रखते हैं। वह किसी अन्य राजनीतिक या साम्प्रदायिक दल का सदस्य नहीं बन सकता। कर्मठ सदस्य अपने दैनिक जीवन का कुछ समय रखनात्मक कार्यों मेरे लगाते हैं और योग्य सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। कार्योंस की शास्त्राएँ भारत के ग्राम-नगर मेरे हैं और यह सुमण्डिन सस्पा है।

गांधीजी मेरे प्रारम्भिक कार्योंस पवायते होनी हैं। सामान्यता २५०० की जनसंख्या के लोगों मेरे एक पञ्चायत होती है। पञ्चायत के चुनाव मेरे योग्य तथा कर्मठ सदस्य ही भाग ले सकते हैं। परन्तु मनदान प्रारम्भिक सदस्य भी कर सकते हैं। प्रत्येक नगर मेरे एक नगर कार्योंस कमेटी होती है जिसके अधीन बोर्ड कार्योंस कमेटियाँ होती हैं जिसके सदस्यों का निर्वाचन जिनके कर्मठ सदस्य तथा प्रारम्भिक पञ्चायतों के सदस्यों करते हैं। प्रत्येक प्रदेश के लिए एक प्राविधिक कमेटी होती है जिसके

नियन्त्रण में जिस कार्यमें वर्मेटियों का वर्णन करती है। प्रादेशिक कार्यसेवा वर्मेटियों की गहराई दर्शाते हैं। इनके सदस्यों का निवाचित प्रदेश में समस्त वर्मठ सदस्य तथा प्रारम्भिक पन्थायतों में सदस्य बरतते हैं। एक साल की 'बनसप्तमी' पर एक सदस्य चुना जाता है। प्रदेश कार्यसेवा वर्मेटियों के ऊपर प्रतिसंभारहीय कार्यसेवा वर्मेटी है। इसके सदस्यों वा चुनाव कार्यसेवा वर्मेटियों के सदस्यों द्वारा होता है।

कार्यसेवा अध्यक्ष कार्यसेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह दो वर्ष में निए प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष प्रपनी कार्यसारिणी गठित बनाता है। वह इसके दो तिहाई सदस्यों को मनोनीत करता है। एक तिहाई सदस्य प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। कार्यसारिणी में ही एक समर्दीय महसूस है। इसे साधारणता कार्यसेवा हाई कमांड बहते हैं। यह कार्यसेवा की समस्त समर्दीय तथा विधान मण्डलों की समस्याओं का निपटारा बरता है तथा इन पर नियन्त्रण रखता है। अध्यक्ष तथा उसकी कार्यसारिणी प्रतिसंभारहीय कार्यसेवा वर्मेटी के प्रति उत्तरदायी होती है पर तभी कार्यसेवा और कार्यमें सहस्राएँ अध्यक्ष एवं उसकी कार्यसारिणी भी प्राप्तिमों का पालन करती है।

कार्यसेवा की नीति—

कार्यसेवा विशेष बाद को न प्रपना कर समन्वयशील कार्यक्रम नेवर घसने वाली सहस्रा है। किर भी याधी जी और उनके दर्शन क। इस पर प्रधिक प्रभाव है। हाल ही में समाजवादी तथ्यों का विशेष ज्ञानिपत्र इस पर रहा है। भहिता और सहस्रा की नीति भी यह अधिक अपनाना चाहती है। सर्वोदय की नीति में भी इसका दिवास है। तभी तो समन्वय को प्रमुख माना गया है।

कार्यसेवा का कार्यक्रम—

जहाँ तक कार्यसेवा के प्राचिर कार्यक्रम का मत्त्वा है, इस संस्था ने समाजवादी मिदानों को प्राप्तान्वया है। पर यह पूँजीपति तथा अपक्रियता स्वामित्व के विरोध में विरोध नहीं है पर राष्ट्रीय उद्योगों पर सरकार का अधिकार चाहती है ताकि जनता को प्रधिक सुविधा मिल सहे। यही और हृषकों की उन्नति की एक्टिव से यह जनीदारी उन्नतन, भूदान, साम्बोधन, चर्चनी युटीर उद्योग, सहसारी रेती प्रादि को प्रथय देती है। यह विना वर्ग संघर्ष के आवृत्ति और सद्भावना के प्राप्तार पर मजदूरों की दशा सुधारना चाहती है।

सामाजिक कार्यक्रम में अन्तर्गत यह हरिजन उदार, प्रस्तुत्यता निवारण, मत्यानियंत्रण, नारी वर्ष्याण तथा हिंदू-मुसलमान एकता में विश्वास रखती है। जाति-वाद और नाभिदायिता भी यह गमाप्त बरता चाहती है। यह परमात्मा और संकीर्णता भी नहीं चाहती। साहित्यिक और सांस्कृतिक वर्ष्याण में भी इतरी प्राप्ता है। विद्या के सेवा में वेसिक विद्या की यह हाली है।

विदेशी नीति मे, यह विश्व शान्ति तथा सह प्रसिद्धत्व को बढ़ावा देती है। पञ्चगील के सिद्धान्त का यह समर्थन करती है। तटस्थता वी भीनि यह भारत के लिए अद्यक्षकर समझनी है। समुक्त राष्ट्र मध्य मे इसकी पूर्ण आस्था है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का यह विरोध करती है। रामेश की नीति को यह हेय मानती है।

समीक्षा —

काप्रेस तभी स सत्ताखड़ है जबसे कि भारत को स्वतंत्रता मिली है। इस दीर्घकालीन शासनाधिकार के कारण तथा कुछ नीति भवन्धी दारणो से इसमे अनेक दोष आगए हैं। कुछ दोष इस प्रकार है —

(१) व्यक्तिगत तथा नीति सम्बन्धी मतभेद के कारण अनेक प्रभावशाली तथा विद्वान नेता सहस्रा छोड गए हैं।

(२) सत्ताखड़ व्यक्तियो मे भी मतभेद के कारण मुटवन्दी बढ़ गई है जो इसे और कमज़ोर कर रही है।

(३) सप्तद सदस्य तथा विधान मण्डल के निर्वाचित राजस्य प्रशासनिक अधिकारियो के कार्य मे अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।

(४) अपनी पुरानी देश सेवाओ के आधार पर काप्रेसी लाभान्वित होना चाहते हैं।

(५) एव लोकुपता और स्वार्थ भी नेताओ मे बढ़ गया है।

(६) भ्रष्टाचार का भी बोलबाला हो गया है।

(७) मंहगाई और चोर बाजारी रोकने मे काप्रेस असफल रही है।

फिर भी काप्रेस ने देश की दाफी सेवा की है। इसके शासनकाल मे अनेक योजनाएँ बनी तथा कार्यान्वयत हुई है। हरिजनो, जनजातियो, अमिको, शहिलामो आदि की दशा मे पर्याप्त सुधार हुआ है। बड़-बड़ तथा कुटीर दोनो प्रकार के उद्योग स्थापित और विरसित हुए है। शिक्षा की भी प्रगति हुई है। ६०० से अधिक देशी रियासतो का एकीकरण हुआ है। फासीमी और पुर्तगाली वस्तियों को भारत का अम बनाया गया है।

साम्यवादी दल

मन् १९२४ मे इस दल की स्थापना हुई। यह दल तबसे १६ वर्षों तक गुप्त-रूप से कार्य करता रहा क्योंकि यह ब्रिटिश मरकार का विरोध करता था। दोर्धकाल तक काप्रेस से रह कर भी इसने कार्य किया। १९४३ मे रूप ने जमेनी के विषद्युद मे मिश्र राष्ट्रो की ओर से प्रवेश किया। तब इस दलने जनता का युद्ध घोषित कर

विटिंग जासन का साथ दिया। तब इस दल से प्रतिवर्ष्य हट गए और यह प्रगट हुमें कार्य करने लगा। ब्रिटेन ने इस दल को बढ़िए किया। इन्द्रल ने राजेश को पूंजी-पतियों और जमीदारों की रक्षा की। फिर भी भारत की स्वतन्त्रता के लिए इसने पांडेश का विरोध नहीं किया। स्वतन्त्र भारत में इसने तोड़ कोड़ की नीति प्रपनाई पर १९५१ में इस नीति को त्याग दिया और वैष्णविक तरीके अनाम।

संगठन—

साम्यवादी दल की गवर्नें थीटी इकाई प्रारम्भिक दल उपचारण (प्राइमरी पार्टी धारगण) है जिसकी स्थापना दो या तीन सदस्य चिल्डर नियो द्वारा की गयी थी। यह उपचारण नयी तथा नियो की दलीय इकाई के लिए सदस्य निर्वाचित करता है। ये सदस्य प्रान्तीय यूनिट या निर्माण करते हैं। प्रान्तीय यूनिट अखिल भारतीय समिति की बर्य में एक बार बैठक होती है जिसमें कार्य पालिता गया दल के महामन्त्री का चुनाव किया जाता है। इस केन्द्रीय कार्यपालिका का सचानन एक मठन करता है जिसे पालिट घूरो कहा है। साम्यवादी दल का प्रशान्त नहीं होता।

जाता रहे इय तथा सिद्धान्त—

इस दल ने कार्य मालिनी और नेतृत्व के सिद्धान्तों को प्रपनाया है। प्राप्त सभी के अनुसार इनकी पालिका चलती है। परन्तु १९६२ में भारत पर धीन का प्रायमण जब हुआ तब कुछ कम्यूनिस्टों ने धीन का समर्थन किया और इस दल के दो भाग हो गए।

(१) राष्ट्रवादी साम्यवादी दल अधिकार यंथी साम्यवादी दल जो भारत सरकार का समर्थन या और चीन की निन्दा करता था।

(२) वामपक्षी साम्यवादी दल जिसने धीनी धारणण का समर्थन किया और यह धीनी नेताओं को आदमी मानकर कार्य करता है। यह राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को करता है और इस कारण इनके नेता समयनामय पर कारावास की हुआ राते रहते हैं।

साम्यवादी दल के सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार है :—

(१) पूंजीवादी तथा भजदूरों से समर्थ अनिवार्य है। इस संघर्ष में भजदूरों की विजय होगी।

(२) उद्योगों का राष्ट्रीयररण किया जाय।

(३) जमीदारी बिना गुणाविजे के समाप्त की जाय।

(४) राज्यों का भाषा के आपार पर यठन हो।

- (५) अप्रेजी भवित्वारी सेना से निकाले जाए
- (६) अनिवार्य निःशुल्क प्रायमिक गिरजा हो
- (७) शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना बने।
- (८) महान् राष्ट्रों से मैत्री हो।
- (९) उपनिवेशवाद समाप्त हो।
- (१०) पाकिस्तान से मैत्री सन्ति हो।
- (११) धार्यिक समानता स्वापित हो और वेहारी समाप्त की जाए।
- (१२) कृपक भूस्वामी बने तथा बड़े उद्योगों का वित्तांग दिया जाए।
- (१३) द्वितीय सदन की समाप्ति हो तथा न्यायालय कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त हो।
- (१४) स्थिरों को पूर्णों के समान धर्यिकार प्राप्त हो।
- (१५) निवारक निरोध कानून समाप्त हो।
- (१६) राजा-महाराजाओं का प्रियो पर्व समाप्त हो और उनकी सत्ति जब्त की जाए।
- (१७) गिरजा प्राइवेटिक भाषाओं में दी जाए।
- (१८) घर्म एक प्रकार की असीम है और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है।

मूल्यांकन —

साम्यवादी दल धर्याविक उपायों को भव स्वीकार करते हुए भी हिंसात्मक साधनों पर अविश्वास नहीं करता और क्रान्ति के लिए इनको अपनाने में वह नहीं हिचकिचाएगा। इस दल ने साधारण निवाचिनों में भाग लिया है। तीसरे निर्वाचन में इसको लोकसभा में २६ और राज्यों की विधान सभाओं में १५३ स्थान मिले। सर्वाधिक मकन्ता इसे केरल में मिली पर यह दल परमुखायेकी है। यह हम और चीन की नीतियों के अनुमार चलता है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि यदि वर्षा झम में होगी तो भारतीय साम्यवादी छाता यहाँ लगाएंगे। पर लोकसभा में इसी दल के कापेस के बाद सर्वाधिक सदस्य है। श्री दाते, गोपालग, भूपेश्वरपुत्र, हिरेन मुखर्जी, नम्बूदरीपाठ, मुन्दरेया यादि इस दल के प्रमुख नेता हैं। यह दल रोटी, पकड़ा और मकान का नारा लगा दर तथा कुछ भवने विशेष उत्तेजनात्मक साधनों को अपना कर थमिको पर विशेष प्रभाव जमा लेता है। पर काफी निश्चित जनना भी इस दल की सदस्य है।

भारतीय जन संघ

इस दल की स्थापना राष्ट्रीयता के घटट सिद्धान्तों के धारावर पर हुई है। इसकी स्थापना सन् १९५१ में डा० रमामाधसाद मुखर्जी ने की। परन्तु इसकी स्थापना

में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सम वा हाथ रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सम की दियारपारा और उनके नेतृत्व में ही जनसभा को बल मिला किसके परिणामस्वरूप यह संस्था थीड़े समय में ही उन्नति पर गई। प्रबन्ध जनसभा के अध्यक्ष मोलियद्वारा नामी, प्रेमनाथ दोगरा, देवप्रसाद घोष, डा. एशोर दच्छुराज व्याकरण आदि रहे। प्रबन्ध बलराज मधोन इसके प्रध्यक्ष है। इसके गमदीय नेता चट्टविहारी बाज्रेश्वी है। महामन्त्री दीनदयाल उराध्याय भी दल के प्रमुख नेता है।

संगठन द्वारा उद्देश्य—

इस दल को भी धर्मित भारतीय भाषाएँ पर मान्यता मिली हुई है। इस दल का संगठन यहा अनुशासनपूर्ण है। इस दल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है—

- (१) अवधि भारत का निर्माण करना।
- (२) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राप्तिकर्ता देना।
- (३) राष्ट्रीय एकता को स्पापित करने के लिए एकुआदूत और ऊचनीष के भावों को दूर करना तथा अहिन्दुपों को भारतीय महात्मा के प्रति शाकुट करना।
- (४) भारतीय संविधान में सशोधन कर—एकात्मक सरकार की स्थापना करना।
- (५) मूल अधिकारों की रक्षा करना।
- (६) द्विनीय सदन को समाप्त करना।
- (७) राज्यराजन पद गमाप्त कर देश को प्रमुख विद्यालय भागों में बोटना।
- (८) नोडर शाही, लाल फीतामाही, भट्टाचार्य आदि मिटाना।
- (९) धाय की प्रधिकरण सीमा प्रतिमात्र दो हजार ह० तक निर्धारित करना, कमेंटारियों का प्रधिकरण वेतन ५०० ह० तथा शून्यतम वेतन १०० ह० निर्धारित करना।
- (१०) न्याय को संस्था, मूलभ तथा पश्चात हीन बनाना।
- (११) गोवण और निवारण निरीष प्रधिनियम को समाप्त करना।
- (१२) मोनिक तथा प्रति रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
- (१३) हिन्दी तथा दो दीय माध्यमों द्वी उन्नति के सिए पञ्चवर्धीय योजनाएँ बनाना।
- (१४) दियालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर यस।
- (१५) तटस्थ विदेश नीति द्वारा रखना पर वारिस्तान का मुख्यकरण न करना, तथा इसमें भाग को मुक्त कराना, जीनियों से भी भयने दावों को मुक्त कराना।

तीसरे भाग शुनाय में जनकारण को पहले से अधिक व्यक्त करा दी है। लोक-
रामा में १४ स्थान तथा राज्या नी विषयन समाप्तों में ११३ स्थान मिलते। यह भाज-
कस देश का प्रमुख दल बनता जा रहा है।

समुक्त समाजवादी दल

यह दल जुलाई १८१४ में बना जब वि दो दल की वायंकारिणी एवं हो-
गई। इसके मध्यवद्य थी एस० एम० जाली और मध्यो राजनारायण थे। इस दल में
प्रजा समाजवादी तथा समाजवादी दल मिलते। इस दिनमध्यर ६ ४ में इसमें फिर
पूट पड़ गई और प्रजा समाजवादी दल असंग हा गया पर भी पिर भी समाजवादी
दल गयुक्त समाजवादी दल के नाम से कार्य कर रहा है। दोनों दलों का संधिष्ठित
विवरण यहाँ देना ठीक हांगा।

समाजवादी दल

सत्याग्रह घान्दोलन के पश्चात् १८३० में कुछ नेताओं ने नातिक जेल में
समाजवादी दल के गठन का निश्चय किया। इनमें सबं थी जग प्रकाशनारायण,
पञ्चुक पटवड्ने, युगुफ मेयर तथा यशोव मेहता थे। १८३४ में याचायं नरेन्द्रदेव
की मध्यवद्यता में इस दल का प्रथम घान्दोलन घटना में हुआ। वहाँ यथा वि वायिस
के भीतर रहकर ही समाजवादी दल वायिस के हाटिकोण का प्रभावित बरते का
प्रयाग करेगा। तभी १८३५ तक वायिस के भीतर रहकर ही यह दल कार्य बरता
रहा। तभी १८४८ में इस दल ने कागुरा में तिशय तिया वि यह दल घब वायिस
समाजवादी दल न बहुत बर समाजवादी दल कहागामा और इसमें अन्य साम
भी शामिल विए जाएंगे। तभी १८४६ में घटना अधिकारी तो यह दल अलग
दल बन गया।

तभी १८५२ में इस दल के १५५ सदस्य विधान समाप्तों ने विए तथा १२
सदस्य संसद में लिंग शुल्क गए। अर्थे इस उम्मति करता गया।

वृषक प्रजा पार्टी

इसकी स्थापना तभी १८८१ में याचायं बृहत्तानी ने की। इसका 'बृहत्ता' या
कि ताच्ये और ईमानदार लोगों दो वायिस में बोई स्थान नहीं है। तभी १८५२ के
शुल्कों में दद स्थान मिलते। इसके बाद समाजवादी दल और इस दल की मिलतों
का विचार तागने आया। तब दोनों दलों का मिलाएर प्रजा समाजवादी दल बना।
इस दल के नेता याचायं बृहत्तानी शुल्क गए। कुछ समय बाद वायिस ईमान भी इसमें
मिल गया। तभी १८५४ में दल में पूट गई। डॉ. राममनोहर सेठीद्या ने मपना
समाजवादी दल खोग करा लिया। तभी १८५७ में शुल्क बृहत्ता १८५२

के चुनाव में कुल १६१ संसद सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य चुने गए । इमके भागे दोनों दल किर एक होगए पर किर १६६४ में पृथक होगए ।

संगठन तथा उद्देश्य —

इस दल की शास्त्राएँ भी सभूते भारत में विद्यमान हैं । दल की सबोंपरि वार्षिकालिका वो 'नेशनल एक्जीक्यूटिव आफ दो थूनाइटिड सोशलिस्ट पार्टी' वहते हैं । इसमें २५ सदस्य हैं । यह समस्या नेशनल जनरल कॉमिटी के प्रति उत्तरदायी है । इस दल के उद्देश्य इस प्रकार हैं —

- (१) भारत में जनतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना करना ।
- (२) अहिंसात्मक उपायों की अपनाना ।
- (३) समाज में आधिक और राजनीतिक शोपण का अन्त करना ।
- (४) जमीदारी विना मुआविजे के समाप्त करना ।
- (५) सभी देशों, भारतानो तथा भुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना ।
- (६) मजदूरों के हड्डाल के प्रधिकार का रामर्घन करना तथा उनको पूंजी-पतियों, राजनीतिक दबो और शासन के नियन्त्रण से स्वतन्त्र करना ।
- (७) शासन वा विदेशीकरण करना तथा सषु उद्योगों का विकास करना ।
- (८) निवारक निरोप अधिनियम को समाप्त करना ।
- (९) स्वतन्त्र विदेशी जीति प्रपनाना ।
- (१०) राष्ट्र बहल की रादत्यता को त्यागना ।
- (११) २००० रु. से अधिक देतन का विरोप करना ।
- (१२) शक्तिशाली और सोक्षिय सेना बनाना ।
- (१३) रास्ता तथा निष्पक्ष न्याय सुलभ करना ।
- (१४) अधिकाधिक नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित करना ।

इस दल की पूट इसको कमज़ोर बनाए हुए है । विधान तथा सोक्ष सभा में इसके सदस्य प्रभावशाली हैं । आगे वे चुनाव के पश्चात् ही इमकी उन्नति के विषय में बुध कहा जा सकेगा ।

स्वतन्त्र पार्टी

इस दल की स्थापना सन् १९५६ में जगदर्ती राजगोपालाभारी ने की । इसके प्रमुख नेता प्रो० रगा, वे. एम, मुंशी, एम. पार. मरानो, एच. पी, मोदी आदि हैं । यह दल सपाष्ठ बाद तथा सहारी गेटी आदि वा विरोप करता है और धन, परती, धर्म और धन्यों की स्वतन्त्रता में विश्वास करता है ।

उद्देश्य—

इस दल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः—

- (१) साम्यवादी दल को प्रमुख शब्द मानना ।
- (२) सहकारी वृषि स्थापित न होने देना ।
- (३) अधिकतम वैशक्तिक स्वतंत्रता एव न्यूनतम राज्य नियन्त्रण ।
- (४) भ्रष्टाचार, साल फीता शाही, वक्षपात, ग्रन्तुशलना मिटा वर नीतिकर्ता का प्रसार करना ।
- (५) राष्ट्रम दल से भारत की सदस्यता समाप्त करना ।
- (६) खीन हारा लिए गए धोन को मुक्त करना ।
- (७) भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना ,

इस दल को पूजीपतियो, राजो-महाराजाओं और व्यापारियों का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ । तीसरे चुनाव में इसे लोक सभा में १८ स्थान प्राप्त हुए । राज्यों की विधान सभाओं में ११६ स्थान प्राप्त हुए । लोक सभा में इसे तीसरा बड़ा दल माना जाता है—

भारत में कुछ अन्य दल भी हैं जिनका सदिप्त बहुंत इस प्रकार है—

हिन्दू महा सभा

इस दल की स्थापना गन् १६१६ में हिन्दू सस्ति, साहित्य और हिंतो की रक्षा के लिए हुई । इस दल को मालवीयजी, दोर सावरकर आदि से भी मार्ग दर्शन मिला । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्राव्यनोप लहरी तथा देशपांडे इसके नेता रहे । इस समय नागर्यण वैनर्जी इसके प्रध्यक्ष हैं ।

इस दल के उद्देश्य इस प्रकार है—

- (१) अखण्ड भारत की स्थापना ।
- (२) गोवध चन्दी ।
- (३) भारत को राष्ट्र मंडल से अलग करना ।
- (४) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण ।
- (५) भारत का उद्योगोकरण करना ।
- (६) लोकतंत्र की स्थापना ।
- (७) अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार ।
- (८) व्यक्तिगत सम्पत्ति समानत न करना पर बढ़े उद्योगों वा राष्ट्रीयकरण ।

(६) जो हिन्दू पर्यं घोड़ गए हैं उन्हें पुनः हिन्दू बनाना ।

(१०, सबसे राष्ट्रीय सेना की स्थापना ।

(११) निषुल्क भविवायं शिक्षा । प्रादि ।

इस दल ने काई विशेष उन्नति नहीं की है तथा इसका प्रभाव घटता रहा है । अप्रेजी शासन में इस दल पर सरकार भागुआ रही थी ।

मुस्लिम लोग

मुस्लिम सीधे को विशिष्ट बाल में विशिष्ट सरकार वा समर्थन प्राप्त रहा । यह प्राप्ति का विशेष कर्त्ता रही । इसकी साम्राज्यिक नाति वा भारत १६४७ में हिन्दुस्तान-गाँव सरकार बने । इस वा विभाजन हुआ । इसके सर्वेश्वरी यूहमद पसी जिन्ना ने पाविस्तान की स्थापना की । भारत में इसकी समाप्ति भी हा गई पर किर भी यह बुद्ध स्थानों पर बर्ना रही । मद्रास में इसका संगठन बना रहा । अन्य स्थानों पर भी इसका बनाने की कोशिश की गई पर सफलता न मिली । तीसरे प्राम चुनाव में इसे बहुत बहुत सफलता मिली ।

रामराज्य परिषद

इस दल वा उद्देश्य प्रार्थना सार्व तिळात्मो के द्वाधार पर रामराज्य की स्थापना करना है । इसके गवेश्वरी स्वामी उमराशी जी हैं । इसका उद्देश्य है—१—प्रति कर देवार तीराये २—मूलत २—उपक वो भू-स्वामी बनाना ३—मराठ भारत की शाविष्यूलं उआयो से स्थापना ४—निषुल्क शिक्षा की व्यवस्था ५—नागरिकों वो शस्त्र रक्षन की धाक्का देना । ६—हिन्दू बोद्धिस का विशेष । तीसरे प्राम चुनाव में इस दल की भवित भूमि सफलता मिली ।

अकाली दल

यह निकायों की साम्राज्यिक गत्था है । इसके प्रमुख मास्टर तारासिंह है । दूसरे नेता सन एकेहगिह भी हैं । आज इस दल में पूर्ण पर्दी हुई है । यह दल पंजाबी गुर्जर की भौति वरता है । तीसरे भूमाद में इसको बहुत बहुत सफलता मिली है । मास्टर तारासिंह इस समय चेन्नूची पर्ले रक्ष रहे हैं । गठ पर्हेहलिह पड़स्थी लूदा बनने पर सतुष्ट है ।

अन्य राजनीतिक दल

अन्य दलों में गणतन्त्र परिषद है जो विहार उड़ीसा में बांग्रेज के विद्वद सफल हुई । डा० प्रभेश्वर वा दल भव रिपब्लिक पार्टी बन गया है । भारतीय पार्टी जन जातियों की प्रविश्वार रक्षा चाहती है । कारबड़ इसक १६१३ में सुभाषचन्द्र

बोस के द्वारा स्थापित किया गया था । इसका अब घोड़ा सा प्रभाव पश्चिमी बगाल में रह गया है । ड्रिविड भुनेत्र क्षेत्र का मद्रास में प्रभाव है । यह दल भार्य-भर्यायं का भेद लेकर सामने आया । यह दल ड्रिविडस्तान की माँग करता है । अब इस दल ने यह माँग छोड़ दी है और अब यह भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्य करेगा । यह दल हिन्दी का विरोध करता है ।

इस प्रकार भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं पर कालान्तर में यह कम रह जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है ।

हिन्दू-पाक सम्बन्ध समरेया

जब १५ अगस्त १८४७ को भारत प्रांतवान का पृष्ठ-नृष्ठ प्रांतात हो गया तो उस समय प० जयाहृसाल नहरु न बहा था—

‘हमारे बोई भी महमतान्तर वयो म हो, हम सब भारत के बच्चे हैं। हम आम्प्रदायिक होर समृच्छितां वो बढ़ावा नहीं दे सकते वयोंकि समृच्छित विचार हीर बायों के आधार पर बोई भी राष्ट्र महान नहीं यह सकता।’

बुद्ध मास पश्चात् नेहरू जी ने फिर बहा था—

‘हम ऐसल ऐसे भर्म निरपेक्ष, असाम्प्रदायिक होर सोक्तंत्रामक राज्य की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें विना विभी धार्मिक भेदभाव के सबको एकान धर्मिक होर एकान धर्मिक प्राप्त हो सके। यही आदर्श भारतीय राष्ट्रीय प्रोग्रेस का रहा है। आज भी यह रास्ता इसी आदर्श को अपनाए हुये हैं।’

भारत ये विभाजन के समय भारतीय नेताओं ने आज्ञा भी कि भारत तथा पांचिस्तान में ही गुन्दर पड़ोती जैसे सम्बन्ध रहेंगे और दोनों देश मिल-जुलकर जाति से रहेंगे होर धर्मी प्राणिक उन्नति तथा जनता की शुग़हासी में समय संगाएंगे। इस प्रकार जाति, राजभावना होर बह्योग के बालाकरण की स्थापना होगी। पर दोनों देशों के बीच सम्बन्ध फट्टु ही बने रहे हैं। भारत के घनेक प्रयासों के यावजूद भी पांचिस्तान बटुता वो ही पनपाता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रमुख समस्याएं पह रही हैं—

जन्मू और कारमोर

विटिज जागन काल में भारत एवं राज्य या जिस पर सीधा विटिज जागन था। इस जागन में ५६० रियासतें भी भी जिनको विटिज सरकार ने आलिङ्ग प्राप्तादि दे रही थी। जब १५ अगस्त १८४७ यो रवदानता दिसी होर शतियाँ हुक्कातरिर

की गई तो श्रिटिंग मरकार ने रियासतों को स्वतन्त्र निर्णय का अधिकार दिया कि वे अपनी इच्छानुसार हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में जा सकती है। परन्तु भारत की रियासतों को सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रधासों ने भारत में मिलने के लिए प्रोत्तमाहित किया और राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर रियासतें भारत में मिल गई। परन्तु उस समय काश्मीर का शासक चुप्पी साथ गया। कश्मीर रियासत ने स्वतन्त्र रहना चाहा और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों से लाभ उठाना चाहा। पर पाकिस्तान ने चाल चली और बघू कश्मीर के सचार तथा पूर्ति के मार्ग काट दिए और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलने के लिए विवश किया। वहाँ के महाराज ने पाकिस्तान से इन हरकतों के लिए विरोध प्रगट किया। पाकिस्तान ने इस विरोध का उत्तर आक्रमण से दिया और कबाइलियों के नाम से धुनपंच की। कश्मीर में इसके प्रवरोध के लिए उतनी ताकत न थी अत राज्य का काफी भाग पाकिस्तान ने हड्डप लिया और राजधानी थीनगर पर भी दृश्यन पा घमके। तब विवशता में कश्मीर के शासक ने भारत से रक्षार्थ प्रार्थना की। कश्मीर के प्रधासनमती ने भी ऐसी प्रार्थना भारत सरकार से की।

२६ अक्टूबर, १९४७ वो भारत ने कश्मीर पर ध्वनि दिया और सलाह दी कि वहाँ जनता की सरकार बनाई जाय। भारत की सेना कश्मीर की भूमि पर उतरी और रियासत की रक्षा की। अनेक महीनों वे घोर युद्ध के बाद भारतीय सेनाएँ हमलावरों को खदेढ़ने में सफल हुईं। जब युद्ध चल रहा था भारत ने इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र सभा को भी कर दी। यह शिकायत सुरक्षा परिषद की ३० दिसम्बर १९४६ को की गई। सुरक्षा परिषद ने इस विषय पर एक वार्षिक नियुक्त किया। परिस्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् इस कमीशन ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान की ट्रकिंग अवैध है प्रौढ़ उन्हें वापस ले जाना चाहिए।

१३ अगस्त, १९४८ को कमीशन ने एक युद्ध विषय रेखा स्वीकार की। यह घोषणा उस समय हुई जब कि पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे थे और कश्मीर उनसे मुक्त होने वाला था। पर फिर भी भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। इस समय पाकिस्तान के प्रधिकार में लगभग पांच भाग जम्मू कश्मीर का था और उसने इस भाग को आदायी हमलों के लिए अहु बना लिया थीरे-धीरे समय बीता और सुरक्षा परिषद ने बहसे चली। तभी पाकिस्तान ने नक्शीर में जनगत सश्रह की गीय की। पर भारत ने इस बीच वापी प्रयत्न कश्मीर राज्य की कर दी। आक्रमण के समय में अब तक राज्य ने वापी उन्नति की है। १९४७ में रेवेन्यू में ५० मिलियन रुपयों वी उन्नति हुई और १९४५ में तीनसों के मिलियन से भी अधिक जुड़ि हुई। इन बीच पाकिस्तान बरादर जनगत सश्रह की पुकार करता रहा। पर वहाँ पर तब से अब तक हीन भाग चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत के

साथ रहना चाहता है : चुनावों को सांवंजनिक वयस्क प्रताधिकार के पाषार पर समर्पन कराया गया है ।

नहर पानी विदाद

नहर पानी विदाद भी दोनों देशों में विदाद का बारले रहा है । प्रजाव के विभाजन ने एक समस्या बढ़ी बर दी । सिंचाई के पानी के लिए एक बापा प्राई । सतलज, गंधी और अग्नि पर नहर निकलने के रघान भारत में थाए । पर २५ मेरे में दो नहरें भारत में पड़ी । एक नहर दोनों देशों में पड़ी । भारत में आने वाली प्रजावी मूमि कम उपजाऊ रही । पाकिस्तानी प्रजाव भी मूमि प्रथिक उपजाऊ और प्रथिक पानी में आली रही । पर भारत ने एक समझौते से काम लिया । भारत ने यहाँ कि दाम लेकर वह पानी देता रहेगा । भारत ने व्यवस्थित रूप से पानी दिया पर पाकिस्तान ने समझौते को नवा भी नहीं कराया । ३१ मार्च १९४८ को समझौता समाप्ति पर था । भारत ने पाकिस्तान से ४ मर्ड १९४८ को तुनः समझौता करने के लिए रहा । भारत ने यह भी बहा कि यब पाकिस्तान को यह भी प्यान रखना चाहिए कि भारत का भी पानी बाकी चाहिए । अगस्त २३, १९५० को पाकिस्तान इस समझौते से मुक्त गया और वही दोनों देशों के बाबनूद दितम्बर १९६० में किरणिय की गई ।

सभि के घनुमार भारत ने सतलज, अग्नि और रावी से पानी देना स्वीकार किया तथा नहरों को भी चलते रहने देने के लिए राजी हुआ । तब तक यहाँ पथा कि पाकिस्तान अपनी नहरें बना सेता । जब जल सभि पर हस्तादार हुए थे तो भारत में ऐसा समझा गया था कि हिन्दन्याक सम्बन्धों में एक नवा भोड़ पाएगा । पर यह एक स्वप्न ही निकला ।

अनाक्रमण के मुकाबले—

गन् १९४७ से ही भारत पाकिस्तान को अनाक्रमण सभि के लिए बहुता चला गया है । दितम्बर २२, १९४६ को भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिशनर को ऐसा सुमाव दिया था । इसके कुछ दिन बाद ही भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री को लिखा था—

‘हमारे बीच एक दृष्टि व्यवहार होती चरहिए कि दोनों देश लाति पूर्ण उपायों गे प्रपनी समस्याएँ हल करेंगे । इस बात गे दोनों देशों की जनता में व्याप्त भय और गर्व की प्रवृत्तिया समाप्त होंगी ।’

श्रीनीवास नायिकान ने दृष्टि व्यवहार नहीं किया पर य० नेहरू ने आगा वा गाँधीन न छोड़ा और बार-बार इस बात वा प्रयत्न परते रहे । तुनः नवम्बर १९६२ म प्रधान मन्त्री नेहरू ने प्रेसीडेंट प्रम्यून को लिखा—

'मेरा विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान का स्वल्पिम भवित्य दोनों देशों की मित्रता और सहयोग पर प्राप्तारित है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस और से आपको आश्वस्त रहना चाहिए। हम अच्छे पड़ोसी की तरह से रहना अच्छे कर सकते हैं।'

मई १९६४ में नेहरू इस समार से सदा सदा वे लिए विदा हो गये। श्री लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बने और उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की भाँति रहने की मनाह दी। १५ जून १९६४ को प्रधानमन्त्री शास्त्री ने प्रेसीडेंट अय्यूद को लिखा—'हमें शान्ति, धैर्य और विश्वास के माय पारस्परिक मनभेदों को दूर करना चाहिए।'

पर इस प्रकार की बातें पाकिस्तान ने अपर्याप्त समझों और भारत के प्रति धैर्य भाव प्रदान कर रहा। पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु कहता रहा और आक्रमण के लिए संनिक्त तैयारियाँ करता रहा। कच्छ ये पाकिस्तान द्वारे बढ़ दिया और इसके बाद उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। १९६५ में इस दुखद घटना का भारत को सामना करना ही था। भारत ने मुरक्कात्मक कार्यवाही की और फिर दोनों देशों से पाकिस्तान में मार्ज कर दिया। इस पुढ़ में रूप ने मध्यस्थन की ओर ताशकन्द में दोनों देशों के नेता मिले और ४ जनवरी से १० जनवरी तक बातचीत चली। अन्त में काफी बातचीत के बाद प्रधानमन्त्री को सिगिन दोनों देशों के नेताओं से एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करा सके। इस विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देश शान्तिपूर्ण उपायों से काम लेंगे और शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस धोयणा पर दोनों देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए उसमें ये बातें थी—

(१) भारत के प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के प्रेसीडेंट ताशकन्द में मिले ताकि भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार हो और यह धोयणा करते हैं कि वे दोनों देशों में शान्ति स्थापना का प्रयास करेंगे और दोनों देशों की जनता में मंत्री भाव स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह बात दोनों देशों की जनता के कल्याण के लिए भवित भावशयक है। दोनों देश से ऐसे प्रयत्न होंगे कि दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की तरह जीवन साधन करे। दोनों देश सुकृतराष्ट्र के चार्टर का पालन करेंगे। दोनों देश शक्ति न आजमाकर शान्तिपूर्ण उपायों से अपनी समस्याओं को हस करेंगे।

(२) इस बात पर भी दोनों देश राजी हुए कि दोनों देश अपनी सेनाएँ २५ फरवरी १९६६ तक हटा लेंगे और ५ अगस्त १९६५ के स्थान पर ले आयेंगे। दोनों देशों से युद्ध विराम का पालन किया जाएगा।

(३) दोनों देशों के सम्बन्ध इस बात पर प्राप्तारित होंगे कि कोई देश किसी के आन्तरिक मामले में दखल न देगा।

(४) इस बात पर भी राजीनामा हुआ कि एक दूसरे के विरोध में प्रचार नहीं किया जाएगा और सुविध सम्बन्धों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(५) भारत का हाई कमिशनर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान का हाई कमिशनर भारत में किस प्रपत्ति-प्रदाना पाकिस्तान सम्बन्ध सेंगे और कूटनीतिक सम्बन्ध किस स्थापित हो जायेगे । वे जेनेवा नियमों का पालन करेंगे ।

(६) दोनों देशों द्वारा सार्विक और ध्यानार्थिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करेंगे । दोनों देशों में साहृतिक आदान-प्रदान भी शुरू होगा ।

(७) दोनों देशों के पुढ़ बन्दी एक दूसरे को सोय दिये जायेंगे ।

(८) शरणार्थी तथा गिर कानूनी खुल्लेवाले के मरतों पर दोनों देश वार्तालाप करेंगे । दोनों देश मविहृत तत्वानि को सौंठाने का प्रबन्ध करेंगे ।

(९) भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के प्रेसीडेंट सीवियत तथा केन्द्रामी के प्रति हुनरेता प्रगट बरते हैं जिनके प्रधानमंत्री से दोनों देशों के नेता तिस्ट प्राप्त के ।

भारत और पाकिस्तान के नेतामों ने ताज़ारन्द ममझीने में आस्पा प्रकट की और इसकी सफलता भी कामना की । भारत के प्रधानमन्त्री जाहरी जी अपने विद्याम-स्थल पर आए और उसी रात इस समार से चल दिये । भारत शोक के साथर में हुव गया ।

लिखित शीर्षकी इन्दिरा गांधी भारत भी प्रधानमन्त्री यनो । उन्होंने भी ताज़ारन्द ज्ञानमोने में आस्पा प्रकट की और इसको पूरा करने का वचन दिया ।

इस गमजीते के प्रनुसार भारत के हाईकमिशनर श्री बेंखसिंह पुनः अपने स्पष्टन्तर्यामी सौट गये । पाकिस्तानी हाईकमिशनर भी भारत आये थे । किर भारत और पाकिस्तान के संनिक प्रमुख मिसें और उन्होंने सेनाओं के सौंठाने की पोत्रना स्वीकर्त्ता की । ताज़ारन्द रामजीते के घनुसार २५ फरवरी १९६६ तक सेनाओं प्रपने-परपर हुजार पर सौट आई । समझीते के घनुसार ८ फरवरी १९६६ को युद्ध बन्दियों को हुसेभीदाका के पास पदला-बदला गया । भारत ने ५५२ युद्ध बन्दी दिये । पाकिस्तान ने बदले में ५८३ युद्ध बन्दी सौंठाये । घारे की ओर पदला-बदली के लिए संनिक प्रमुख २२ जनवरी १६ बो दिल्सी में मिले । घास्त १९६६ में जो एक दूसरे देश का भास जब्त किया गया था उसको सौंठाने का तिरुंव किया गया । इस प्रकार

शान्ति स्थापना की ओर कदम बढ़े हैं। परं पाकिस्तान ने पुनः भारत विरोधी प्रधार शुरू कर दिया है और सेनामों को सीमा पर बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से भी सौठ-गौठ बढ़ाली है। वह युद्ध सामग्री भी चीन तथा अन्य देशों से ले रहा है। इस प्रकार वह अब भी युद्ध की तैयारी में प्रतीत होता है। इन बातों से पता चलता है कि वह शान्ति और सद्भाव का इच्छुक नहीं है। उसकी बातें अब भी युद्ध प्रियता को प्रगट कर रही हैं। देखिए, आगे क्या होता है।
